सप्तम माला, खंड 12, अंक 4, गुरुवार, 19 फरवरी, 1981/30 माघ, 1902 (शक)

checked
2/5

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(पांचवाँ सत्र)

सत्यमेव जयते

(खंड 12 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

मूल्य : चार रुपए।

विवय सूची

अंक 4, गुरुवार, 19 फरवरी, 1981/30 माघ, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
*प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1–21
तारांकित प्रश्न संख्या 41, 43 से 45, 47 और 49 से 51	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	21–313
तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 40, 42, 48, 52, 53 और 55 से 59	
अतारांकित प्रश्न संख्या 201 से 508, 510 से 533 और 535 से 600	
गन प्रस्ताव	306–311
दिल्ली में अवैध शराब पीने के कारण हुई मौतें	
शेषाधिकार के प्रश्नों इत्यादि के बारे में	312–313
वे बजट 1981–82–प्रस्तुत	314–335
श्री केदार पांडे	336–347
भापटल पर रखे गये पत्र	348–360
विलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव पर ध्यान दिलाना	
बंगलौर और हैदराबाद में सरकारी क्षेत्र की इन्जीनियरी इकाइयों में हड़ताल	348–350
श्री गदाधर साहा	351
श्री नारायण तिवारी	351–356
श्री के० ए० राजन	356–360
श्री जनार्दन पुजारी	

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति चौदहवां प्रतिवेदन	360
भारतीय दण्ड संहिता संशोधन विधेयक	360
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि को बढ़ाया जाना, दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1967 के कार्यकरण की जांच करने सम्बन्धी समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की अवधि को बढ़ाया जाना	361–362
कार्य-मंत्रणा समिति ग्यारहवां प्रतिवेदन-स्वीकृत	362–366
स्थगन प्रस्ताव–जारी–अस्वीकृत हुआ	366–411
दिल्ली में अवैध शराब पीने के कारण हुई मौतें	
श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार	366–371
श्री एडुआर्डो फैलीरो	371–374
श्री सुनील मैत्रा	374–377
श्री मूलचन्द डागा	377–379
श्रीमती प्रमिला दंडवते	379–382
प्रो० नारायण चन्द पराशर	382–384
स्वामी इन्द्रवेश	384–388
श्रीमती संयोगिता राणे	388–389
श्री तपेश्वर सिंह	389–390
श्री के० मायातेवर	390–393
श्री दिलीप सिंह भूरिया	393–395
श्री कृष्ण कुमार गोयल	395–398
श्री जैवियर अराकल	398–401
श्री झारखंडे राय	401–402
श्री ए० के० राय	402–403
श्री हरीश कुमार गंगवार	403–405
श्री योगेन्द्र मकवाना	405–411
मैक्सिको में भारतीय दूतावास पर कब्जा किये जाने के बारे में वक्तव्य	411–412
श्री पी० शिवशंकर	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	412
श्री वी० एन० गाडगिल	

लोक सभा

गुरुवार, 19 फरवरी, 1981/30 माघ, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को श्री जहानुद्दीन अहमद, जो 1957-70 तक आसाम के घुबरी चुनाव क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य थे, के दुखद निधन की सूचना देता हूं ।

इससे पहले वह कई वर्षों तक आसाम विधान सभा के सदस्य थे । वह शांत स्वभाव वाले एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे । उन्होंने कृषि शिक्षा, अल्प संख्यक समुदायों तथा जनजातियों के उत्थान में बहुत रुचि ली ।

2 फरवरी, 1981 को 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं और मुझे आशा है कि सभा शोकसंतप्त परिवार को संवेदनायें भेजने में मेरा साथ देगी ।

अब सभा शोक प्रकट करने के लिये कुछ क्षण मौन खड़ी होगी ।

इसके पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे ।

प्रो० मधु दंडवते : निधन सम्बन्धी उल्लेख के समय सामान्यतया सभा के नेता को सभा में उपस्थित होना चाहिये ।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : प्रधान मंत्री को राज्य सभा में उपस्थित होना है । इसी कारण वह यहां नहीं आ सकीं ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राजधानी के लिए इलेक्ट्रो-ट्राली बस प्रणाली

*41 **श्री अर्जुन सेठी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में वायु प्रदूषण समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एशियाई खेलों से पहले राजधानी में चरणवार एक इलेक्ट्रो-ट्राली बस प्रणाली आरंभ करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) दूषण की समस्या और ऊर्जा साधनों खासकर पेट्रोल आयल लुब्रीकेंट्स को बचाकर रखने की समस्या को हल करने के लिए उपाय के रूप में दिल्ली में बिजली की ट्राली बसों के चलाये जाने के सुझाव पर विचार किया गया। ऊर्जा मंत्रालय ने निश्चित प्रस्ताव तैयार करने के लिए सरकारी स्तर की एक समिति का गठन किया है, यह समिति अभी प्रस्ताव तैयार कर रही है।

श्री अर्जुन सेठी : मैंने यह प्रश्न नौवहन और परिवहन मंत्री से पूछा था लेकिन उन्होंने इसे ऊर्जा मंत्रालय को भेज दिया है। ऊर्जा मंत्रालय इस बारे में कुछ कर ही रहा होगा लेकिन नौवहन और परिवहन मंत्रालय ने राजधानी में इलैक्ट्रो-ट्राली बस प्रणाली चलाने के लिये क्या विशेष कदम उठाये हैं क्योंकि एशियन खेलों की तिथि नजदीक आती जा रही है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक इलैक्ट्रो-ट्राली बस प्रणाली का प्रश्न है, यह एशियन खेलों से सम्बन्धित नहीं है। हमने एक कार्यकारी समिति का गठन किया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इसे एशियन खेल से जोड़ें, तो क्या आपको कोई आपत्ति है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक कच्चे अनुमान के अनुसार इस योजना पर लगभग 40 करोड़ व्यय होगा। सरकार ने इस व्यय के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया। योजना में भी इस बारे में कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन अत्यावश्यकता तथा इसके महत्व को देखते हुये, हमने एक अध्ययन दल का गठन किया था। उस अध्ययन दल ने मई, 1979 में अपना प्रतिवेदन दे दिया था। उनकी सिफारिश ईंधन के संरक्षण, प्रदूषण के निवारण तथा सारी रिंग रोड के विद्युतीकरण के बारे में है। प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार हो रहा है। निर्णय लेने के बाद ही मैं बता सकूंगा कि हम इस परियोजना को कब शुरू करेंगे और इसे कब तक पूरा कर सकेंगे।

श्री जगदीश टाईटलर : मंत्री महोदय ने कहा है कि एशियन खेल एलेक्ट्रो-ट्राली बस प्रणाली से सम्बन्धित नहीं हैं। मेरे विचार में शुरू में जब यह योजना बनी उस समय तीन बातों पर विचार हुआ—(1) एशियन खेल; (2) दिल्ली परिवहन निगम की बसों द्वारा पैदा प्रदूषण तथा (3) दिल्ली में परिवहन व्यवस्था की कमी। इस प्रकार जून, 1980 में योजना आयोग के कार्यकारी दल ने ये सिफारिशें की थीं जिनमें से मंत्री महोदय ने केवल एक ही सिफारिश का उल्लेख किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर इलेक्ट्रो-ट्राली बस प्रणाली के लिये कोई परियोजना बनायी गई है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 9 जनवरी, 1981 को ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री के कमरे में हुई एक बैठक में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में अन्य सदस्यों के साथ-साथ नौवहन और परिवहन मंत्रालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, पर्यावरण विभाग, निर्माण मंत्रालय तथा दिल्ली परिवहन निगम के प्रतिनिधि हैं और जिसके सदस्य सचिव ऊर्जा मंत्रालय के निदेशक हैं। इस समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं। एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रिंग रोड पर विद्युतीकृत ट्राली बस प्रणाली के पहले चरण का काम शुरू किया जाये।

इस काम को दो चरणों में बांटा गया। पहले चरण में उन्होंने भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड को सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कहा। वे सब प्रतिवेदन प्रस्तुत हो चुके हैं और इस पर विचार हो रहा है।

श्री बी० वी० देसाई : मैं जानना चाहता हूं कि विद्युतीकृत ट्राली प्रणाली का अर्थ क्या है। क्या यह वही पुरानी ट्राम है, जिसे बम्बई में छोड़ दिया गया है और कलकत्ता में अभी भी चल रही है ? यदि हां, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसे शुरू न किया जाये। दूसरे यदि यह कोई सुधरी हुई प्रणाली है तो प्रदूषण की समस्या तथा पेट्रोल की भारी कमी को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री महोदय इसे न केवल दिल्ली ही में लागू करें बल्कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर तथा हैदराबाद जैसे बड़े-बड़े शहरों में भी इसे लागू करने की व्यवस्था करें।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : हम इसे बम्बई में नहीं चाहते।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि यह प्रणाली न केवल दिल्ली में लागू की जाये बल्कि अन्य बड़े-बड़े शहरों में भी लागू की जाये क्योंकि यह प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा ईंधन को संरक्षित करने के लिये जरूरी है। अतः हम इसे अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। इलैक्ट्रानिक बस प्रणाली कोई नई नहीं है। प्रगतिशील देशों में ये प्रणालियां लागू हैं। बसें वहां डीजल तेल से नहीं बल्कि बिजली से चलायी जाती हैं। इसीलिये इसे इलैक्ट्रिक ट्राली बस कहते हैं।

खंडवा-पूर्ना मीटर-गेज लाईन पर गाड़ियों का अनियमित रूप से चलना

* 43 **श्री उत्तम राठौर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के अन्तर्गत खंडवा-पूर्ना मीटर-गेज लाइन पर कार्य-करण बिल्कुल भी सन्तोषजनक नहीं है,

(ख) क्या यह भी सच है कि गाड़ियों के देर से आने और अनियमित रूप से चलने का मुख्य कारण इन्जनों की कमी होना है, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकाजुन : (क) से (ग) जी नहीं। खंडवा-पूर्ना खंड पर गाड़ी सेवाओं का चालन कुल मिलाकर संतोषजनक है। फिर भी,

उनके समय पालन में और अधिक सुधार लाने के लिए इस खंड पर गाड़ियों के चालन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

श्री उत्तम राठौर : (क) मंत्री महोदय द्वारा "संतोषजनक" शब्द के उपयोग करने का क्या तात्पर्य है, यदि आपको याद हो तो श्री पी० वी० नरसिंह राव ने "विचाराधीन"—"सरकार के सक्रिय विचाराधीन" आदि आदि शब्दों का जिक्र किया था। उन्होंने किस तीसरे शब्द का उपयोग किया मैं नहीं जानता। अत: मैं मंत्री महोदय से "सन्तोषजनक" शब्द का उपयोग करने का अनुरोध करता हूं।

(ख) क्या यह सच है कि इस खंड में किराये अब भी एक तथा एक तिहाईगुणा अधिक लिये जाते हैं। क्या रेलवे इसे कम करेगी क्योंकि वह समयबद्धता क्यों नहीं बनाये रख सकती।

श्री मल्लिकार्जुन : मेरे पास इसके लिए चैम्वर्स डिक्शनरी उपलब्ध होनी चाहिए।

"संतोषजनक" का अर्थ सन्तुष्टि से है। "बिचाराधीन" तथा "सक्रिय रूप से विचाराधीन" के बारे में माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि रेलवे किस पर विचार करे। अत: मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री उत्तम राठौर : मेरा दूसरा प्रश्न यह है···

(व्यवधान)

मुझे अपनी सरकार से संतुष्ट रहना पड़ता है

(क) इस बात को सभी जानते हैं कि मीटर गेज गाड़ियों में दक्षीण मध्य रेलवे सबसे अधिक कार्यकुशल सिद्ध हुई है और मुझे बताया गया हैं कि मध्य रेलवे में यही विशेष खंड मीटर गेज का है। क्या मैं सरकार से इस सेक्शन को दक्षिण-मध्य रेलवे में शामिल करने के लिए कह सकता हूं ?

(ख) गाड़ी के समय पर चलने तथा पटरी के समुचित रख रखाव और औरंगाबाद-मनवाड के बीच ब्राड गेज लाईन की स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार दक्षिण-मध्य रेलवे के अधीन पूर्ना, मराठवाड़ा में एक नया डिविजन खोलेगी ?

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, सरकार माननीय सदस्य के सुझाव को अवश्य ध्यान में रखेगी—मैं "विचाराधीन" शब्द का उपयोग नहीं करूंगा क्योंकि इनके मन में "विचाराधीन" के बारे में कुछ गलतफहमियां हैं। अत: मुझे आशा है कि उचित छानबीन के बाद उनके सुझाव को क्रियान्वित किया जायेगा।

जहां तक नयी डिविजन बनाने के बारे में प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, उसके बारे में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और मरम्मत।

* 44. **श्री जेवियर अराकल :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979 और 1980-81 में राष्ट्रीय राजमार्गों की (एक) मरम्मत, (दो) निर्माण पर कितनी राशि व्यय हुई;

(ख) क्या राज्य सरकारें राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए व्यय के सम्बन्ध में वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भेजती है,

(ग) यदि हां, तो केरल से 1979-80 और 1980-81 की प्रगति रिपोर्ट क्या है,

(घ) केरल में कार्य पूरा होने में बिलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ)अरुर अरनाकुलम के बीच पुल कब तक पूरा हो जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 में केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रखरखाव और उनकी मरम्मत पर किया गया खर्च इस प्रकार है :—

	इन वर्षों में खर्च की गयी राशि :	
	1979-80	*1980-81* (दिसम्बर, 1980 तक) (लाख रु०)
(1) रखरखाव और मरम्मत	116.86	90.20
(2) निर्माण कार्य (मूल)	285.56	173.00

(ख) राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग हर महीने एक रिपोर्ट भेजता है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण-कार्यों पर किए गए खर्च का ब्योरा दिया जाता है।

(ग) वर्ष 1979-80 और 1980-81 में केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रख-रखाव और उनकी मरम्मत पर किए गए खर्च का ब्योरा ऊपर भाग (क) के उत्तर में दिया गया है।

(घ) केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण-कार्यों के पूरा होने में देरी होने के मुख्य कारण ये हैं :— (1) विटुमन की कमी, (2)मजदूर संबंधी समस्यायें, (3) ऐसे ठेकेदारों की कमी जो बड़ी योजनाओं का काम अपने हाथ में ले सकते हैं, और (4) कभी-कभी ठेकेदारों द्वारा शुरू किया गया काम बीच में ही छोड़ देना।

(ङ.) संभवतः, माननीय सदस्य का आशय केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 पर कोचीन बाईपास में कुंबलम और अरुर के बीच बन रहे पुल से है। मौजूदा हालत के अनुसार, आशा है कि यह पुल मार्च, 1984 तक बनकर तैयार हो जाएगा।

श्री जेवियर अराकल : मुझे केरल सरकार की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहना परन्तु आंकड़ों पर दृष्टिपात करके मैं अनुभव करता हूं··· (व्यवधान) 1979 से 1980 तथा बाद के

आंकड़ों को देखते हुए मैं अनुभव करता हूं कि केरल में मरम्मत तथा देखभाल के काम पर कम व्यय किया गया है केरल की स्थिति वहां की सरकार की वर्तमान स्थिति से भी बुरी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि केरल में मरम्मत आदि कार्य पर विशेषत: 1980 में राष्ट्रीय राजपथों पर मरम्मत कार्य पर कम राशि व्यय किए जाने के क्या कारण हैं ? मैं समझता हूं कि अधिक धन न दिये जाने के कुछ कारण होंगे मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि केरल में राष्ट्रीय राज्यपथों की मरम्मत के लिए अधिक धन न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक राष्ट्रीय राजपथो की देखभाल तथा मरम्मत का सम्बन्ध है ? मेरे पास आंकड़े हैं कि जो भी धन हमने आवंटित किया है उसे राज्य सरकारों ने व्यय किया है। हमने एक सूत्र बना रखा है कि जिसके अनुसार हम प्रति किलोमीटर या प्रति मील प्रति वर्ष धन की मंजूरी देते हैं। मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं। उस सूत्र के अनुसार जो भीं धन हम अन्य राज्यों को देते है, केरल को भी देते हैं। इस बारे में भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। परन्तु मैं मानता हूं कि केरल में कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना में मंजूर हुए थे वे भी अभी तक अधूरे पड़े हुए हैं। मैंने निजी पत्र द्वारा वहां के मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है।

उदाहरण स्वरूप, मैं कहना चाहता हूं कि 1969 से हमने कुल 39.40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। परन्तु जहां तक चौथी योजना के दौरान शुरू किए गए कार्यो पर अब-तक धन व्यय किये जाने का प्रश्न है, उन्हें अभी 30.60 करोड़ रुपए व्यय करने बाकी हैं। धन की कोई कमी नहीं है। हम उन्हें धन देने को तैयार हैं। परन्तु कठिनाई यह है कि उस क्षेत्र में पुलों का कार्य बड़ा कार्य है और उस पर बहुत धन व्यय होता है। पुल बनाने वाला कोई भी ठेकेदार नहीं मिलता। केरल निर्माण विभाग वहां है, परन्तु उन्हें पुल बनाने का पर्याप्त अनुभव नहीं है। बार-बार श्रमिकों की समस्या भी पैदा हो जाती है। इन कारणों से मंजूरी दिये गये कार्य पूरे नहीं किए जा सके। हम पर्याप्त धन देने को तैयार हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब हो रहा है और अभी उन्हें पूरा नहीं किया जा सका है।

श्री जेवियर अराकल : मैं मन्त्री महोदय को यह जानकारी देने के लिए धन्यवाद देता हूं। जहां तक आरूर-कुम्बालम पुल के निर्माण का प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूं कि उसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, उसको पूरा करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है। उसी प्रकार कुम्बालंगी-पेरुम्बपाप्पडु पुल के लिए भी जो कि केरल सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव है, क्या सरकार द्वारा पुल निर्माण के लिए कोई धन मन्जूर किया गया है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहा तक कुम्बालंगी-पुरूम्बपाप्पडु पुल का संबंध है, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने इस पुल की मंजूरी दे दी है। हालांकि यह राष्ट्रीय राजपथ नहीं है, तो भी हमने केन्द्रीय सड़क निधि में से पुल के लिए मंजूरी दे दी है, जिस पर लगभग 80 लाख रुपये व्यय होगा। मंजूरी की सूचना राज्य सरकार को 12 जनवरी, 1981 को भेज दी गई है।

जहां तक अरूर-कुम्बलम पुल का प्रश्न है कठिनाई यह है कि वह बड़ा पुल है। निविदाएं आमंत्रित किये जाने के बावजूद भी कोई बड़ा ठेकेदार सामने नहीं आया है। इस पुल के निर्माण के कार्य को अब केरल निर्माण निगम को सौंप दिया गया है तथा उन्होंने कार्य शुरू करना स्वीकार कर लिया है। यदि केरल निर्माण निगम पुल को पूरा करता है तो हम जितनी भी राशि आवश्यक होगी उसे देने को तैयार हैं।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : केरल में अधिक वर्षा होती है तथा सड़कें ऊपर और नीचे हैं क्या सच है बिटुमन इस्पात और सीमेंट की कमी के कारण वहां पर सड़क निर्माण कार्य में बाधा पड़ रही है, और यदि हां, तो क्या सरकार केरल में इन वस्तुओं को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने की ओर ध्यान दे रही है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे सीमेंट की कमी का पता नहीं है। मैं बिटुमन की कमी के बारे में माननीय सदस्य की बात मानता हूं। न केवल केरल में अपितु पूरे देश में बिटुमन की कमी है। हम अपनी पूरी चेष्टा कर रहे हैं। इसके कारण कार्य रुकता है। जहां तक बिटुमन की कमी का प्रश्न है हम जितनी बिटुमन सम्भव होगी केरल को उपलब्ध कराने की भरसक चेष्टा करेंगे।

श्री ई० बालनन्दन : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या केरल सरकार ने सड़कों के कार्य को सुगमता से तथा शीघ्रतापूर्वक करने के लिए बड़ी मात्रा में बिटुमन की मांग की है ? क्या सरकार ने केरल सरकार के राज्य में भारी मात्रा में बिटुमन के भंडारण के प्रस्ताव पर विचार किया है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक बिटुमन का प्रश्न है, हम उसे उपलब्ध कराने का भरसक यत्न करेंगे। यह कार्य पेट्रोलियम मंत्रालय तथा उसके अन्तर्गत काम करने वाली कम्पनियों अर्थात इण्डियन आयल कम्पनी तथा अन्य कम्पनियों का है कि बिटुमन उपलब्ध करायें। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। जितने भी बिटुमन की केरल को आवश्यकता है हम उसकी पूर्ति करने के लिए भरसक यत्न करेंगे।

पश्चिमी बंगाल से त्रिपुरा और लाटू के लिए रेलगाड़ी

* 45. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या रेलमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा (अखावरा) और लाटू (आसम करीमगंज) के लिए सीधी गाड़ी के आने-जाने के लिए बंगला देश सरकार के साथ लम्बे समय से की जा रही बातचीत से कोई परिणाम निकले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेम मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री संतोष मोहन देव : मेरे इस प्रश्न "कि क्या पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा (अखौरा) और लाटू (आसाम-करीमगंज) के लिए सीधी गाड़ी के आने-जाने के लिए बंगला देश सरकार के साथ

लम्बे समय से की जा रही बातचीत का कोई परिणाम निकला है" के उत्तर में मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से बताया कि "ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है" तथा "प्रश्न ही नहीं उठता" मैं आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि क्या वह अपने उत्तर पर दृढ़ हैं। मैं सभा के समक्ष ऐसे दस्वावेज पेश कर सकता हूं जिनसे सिद्ध होगा कि लम्वे समय से बातचीत होती रही है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वह अपने उत्तर पर दृढ़ हैं और क्या वह सभा को इस बारे में सन्तुष्ट कर सकते हैं। यह मेरा पहला प्रश्न है।

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य के प्रश्न के लिखित उत्तर में जो बात मैंने कही है, मैं उस पर दृढ़ हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि रेलवे का एक प्रतिनिधि मंडल अक्तूबर, 1980 में बंगलादेश गया था ताकि पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा तक सीधी गाड़ियों के आने-जाने की संभावना का पता लगाया जाये। यह बात बंगलादेश सरकार को बता दी गई है। हम उनकी सहमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह मालगाड़ियों को सीधे ले जाने का प्रश्न है। हम अपनी ओर से बरास्ता राधिकापुर तथा पार्वतीपुर मालगाड़ियां भेजने की व्यवस्था करन चाहते हैं ताकि हम बड़ी मात्रा में माल भेज सकें। हम बंगलादेश सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

जहां तक पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा (आखौरा) और लाडू (आसम–करीमगंज) सैक्शन के प्रथम भाग का प्रश्न है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : मुझे दुःख से कहना पड़ता है और मंत्री महोदय पर दया आती है क्योंकि उत्तर-पूर्व क्षेत्र के भूगोल का उनको बहुत कम ज्ञान है। मैंने इस स्टेशन का विशेष रूप से उल्लेख किया था। मेरे पास रेल मंत्रालय के पत्र हैं जिसमें बताया गया है कि बातचीत में उक्त स्टेशन भी आया है। तथापि उनका उत्तर आज के रेल बजट के कारण कायम है तथा वे कुछ गलत उत्तर दे रहे हैं।

मेरा अगला प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय को पता है कि बंगलादेश की संसद में विपक्ष ने आपत्ति उठाई है कि इस मार्ग से बंगलादेश के रास्ते सेना भेजी जा सकती है तथा कुछ राजनीतिक दल भी हैं जो आसाम में जाकर लोगों को बता रहे हैं कि गाड़ियों से और घुसपैठिये आसाम में आयेंगे। क्या सरकार को इस बात का पता है तथा क्या वह इस प्रकार के प्रचार को रोकने हेतु इसका प्रतिरोध करेगी ?

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य को दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं उस क्षेत्र में नहीं गया हूं। फिर भी मुझे बंगला देश में विपक्ष की मांग अथवा क्या इसका इसी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, आदि की जानकारी मुझे नहीं है परन्तु बंगलादेश का एक शिष्टमंडल भारत आया था। उनके साथ बातचीत हुई है। उन्होंने इस रेल मार्ग को स्वीकार कर लिया है। केवल राधिकापुर तथा पार्वतीपुर के बीच ट्रैक क्षमता पूरी नहीं है, तथा उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि वे लकड़ी के कुछ स्लीपर मंगाकर रेलपथ को गाड़ियों को चलाने के योग्य कर देंगे तब यह मार्ग खुल जायेगा। मुझे बंगला देश में उसके विरोध की जानकारी नहीं है।

भारत में इन्फ्लूएंजा महामारी का आसन्न खतरा

*47. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को पता है कि भयंकर इन्फ्लूएंजा महामारी का खतरा है जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिकों ने आशंका व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश इस वायरस रोग से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है; और

(ग) इतनी गम्भीर स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की पत्रिका "वर्ल्ड हैल्थ" के नवम्बर, 1980 के अंक में छपा "दि वर्ल्ड आन फ्ल्यू वाच" नामक लेख देखा है जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गये विश्वव्यापी मानीटरिंग प्रबन्धों के बारे में ध्यान केन्द्रित किया गया है ताकि किसी भी महामारी इन्फ्लूऐंजा के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए विश्व स्तर पर तैयारी की जा सके । इस लेख को एक चिकित्सीय पत्रकार ने लिखा है जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व चेतावनी पद्धतियों के महत्व पर जोर डालने के लिए एक विश्वव्यापी इन्फ्लुऐंजा फैलने की सम्भावना की अटकल लगाई गई है लेकिन इस अटकलबाजी के समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिया गया है ।

जैसा कि इस लेख में ही उल्लेख किया गया है कि शेष विश्व की तरह भारत में व्याप्त इन्फ्लुएंजा के मौजूदा स्ट्रेंस की घातक शक्ति लोगों द्वारा नष्ट हो गई है क्योंकि लोगों में इम्युनिटी आ गई है । इन अशक्त स्ट्रेन्स से फैलने वाले किसी भी छुटपुट प्रकोप का सामना करने के लिए हमारी स्वास्थ्य पद्धति सुव्यवस्थित है । 'इन्फ्लुऐंजा' की किसी भी नई महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के विश्वव्यापी मानीटरिंग प्रयास में चार राष्ट्रीय मानीटरिंग केन्द्रों के माध्यम से सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है । इन केन्द्रों की संख्या में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आवश्यकतानुसार वृद्धि कर दी जाएगी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मानीटरिंग कार्यकलापों में समन्वय और सम्पर्क रखने का प्रमुख संगठन है ।

श्री धर्मबीर सिंह : मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि वक्तव्य में कहा गया है :

> "इन्फ्लुऐंजा की किसी भी नई महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत विश्व संगठत के विश्वव्यापी मानीटरिंग प्रयास में चार राष्ट्रीय मानीटरिंग केन्द्रों के माध्यम से सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है ।"

मैं समझता हूं कि उनके मंत्रालय की स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिकता ग्रुपों की एक सूची तैयार की गई है कि जिन्हें इन्फ्लुऐंजा महामारी के संभाव्यता से बचाया जाना चाहिये । प्राथमिकता ग्रुपों की सूची में मंत्रिमन्डल के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है । मैं यह नहीं चाहता कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ एक ही समय बिस्तर में पड़ जायें ।

अतः क्या मंत्री महोदय मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी इन प्राथमिकता ग्रुपों की सूची में शामिल करने पर विचार करेंगे ?

स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : माननीय सदस्य द्वारा मंत्रि-मंडल के सदस्यों का उल्लेख विशेष रूप से किया जा रहा है। मुझे यह समझ नहीं आया कि वह विरोधी दलों के नेताओं को इस सम्बन्ध में क्यों भूल गये हैं क्योंकि वर्तमान स्थिति में वास्तविक खतरा इन्फ्लुएंजा से नहीं बल्कि राजनीतिक इन्फ्लुऐंजा से है।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : अध्यक्ष महोदय, कोई भी ऐपीडेमिक जब होती है तो ज्यादा से ज्यादा तकलीफ गरीब वर्ग के लोगों को होती है, तो क्या इस रोग के लिये कोई वैक्सीनेशन निकला है जिससे पहले ही लोगों को इस ऐपीडेमिक से बचा सकते हैं ?

दूसरे यह कि न्यूट्रशन लेविल हमारे देश में गरीब वर्ग में बहुत कम है। उसको बढ़ाने के लिये गरीब वर्ग के लोगों के लिये खास करके अनाज और दूध वगैरह चीजें सस्ते भाव पर देने की व्यवस्था सरकार की ओर से होने वाली है क्या ?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य को यह जान लेना चाहिये कि 'इन्फ्लुऐंजो' की गरीब या अमीर के साथ किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं होती, यह किसी प्रकार का ऐसा भेदभाव नहीं करता है।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : गरीब लोगों में रेजिस्टैंस नहीं होती है क्योंकि उनको न्यूट्रिटिव फूड नहीं मिल पाता है जब कि अमीर लोग अच्छा खाना खाते हैं और इस कारण उनमें रेजिस्टैंस पावर होती है। मुझे भी इन्फ्लुऐंजा हुआ था परन्तु मैं बच निकली।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य को यह जान लेना चाहिये कि इनफ्लुऐंजा संक्रामक रोग है और स्वाभाविक है कि जो भी व्यक्ति संक्रमण की परिधि में आ जाता है उसी पर इसका प्रभाव पड़ जाता है। अच्छी खुराक के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह नहीं कह सकते कि उन्हें जानकारी होनी चाहिये अपितु आप यह कह सकते है कि उन्हें जानना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री शिव प्रसाद साहू : मंत्री जी ने जितने हल्के से इस बीमारी को लिया है शायद उनके दिमाग में यह नहीं घुस रहा है कि हमारे बिहार और उड़ीसा क्षेत्रों में जहां सरकार कहती है कि 2,000 से ऊपर हैल्थ सेन्टर्स खोले हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जंगलों और पहाड़ों में बसने वाले गरीब लोगों के लिये इन्फ्लुऐंजा के अतिरिक्त मलेरिया आदि और भी दूसरी बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के लिए कोई समुचित कार्यवाही होगी कि नहीं या इसी तरह से हंसी मजाक में बात को उड़ा दिया जायगा ?

श्री निहार रंजन लास्कर : यह प्रश्न विशेष विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक मैगजीन में छपे लेख से सम्बद्ध है जिसमें कहा गया है कि विश्व भर में इनफ्लुऐंजा महामारी फैलने की कोई

संभावना नहीं है । यह केवल इनका अनुमान मात्र है । यह ठीक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता । परन्तु यदि किसी दिन यह फैल जाता है तो हमें पूर्णतया ऐसी स्थिति में होना चाहिये कि हम इसके बारे में लोगों को परामर्श दे सकें ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह प्रश्न स्पष्ट रूप से सरकार द्वारा किये गये या प्रस्ताविक उपायों के सम्बन्ध में है । हम यह जानते हैं कि यह केवल अनुमान मात्र ही है । परन्तु यदि यह फैलता है तो चूंकि आपको पूर्व-सूचना दी जा चुकी है; क्या आप इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : यहां की जनता को पूरी तरह रोग मुक्त नहीं किया जा सकता । परन्तु हम पूर्णतया इस स्थिति में हैं कि यदि यह फैलता है तो हम अपने देश की जन-संख्या को इस सम्बन्ध में सूचित कर सकें । परन्तु अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री एस० एम० कृष्ण - उपस्थित नहीं हैं । श्री कृष्ण चन्द्र देव—वह भी अनुपस्थित हैं ।

श्री प्रमिला दंडवते : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है परन्तु दुर्भाग्यवश सदस्य अनुपस्थित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 49, श्री अमरसिंह वी० राठवा—वह अनुपस्थित है ।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय भी उपस्थित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वह बाहर गये हुये हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : संसद के सत्र के दौरान मंत्रियों को संसद छोड़ने या बाहर जाने से हतोसाहित किया जाना चाहिये । जब जनता सरकार का शासन था तो ऐसी मांग बार-बार की जाती थी ।

श्री बीजू पटनायक : यदि मंत्री महोदय उपस्थित नहीं है, तो किसी अन्य मंत्री को उत्तर देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी पूर्व-सूचना है । श्री डी० पी० जदेजा ।

दिल्ली-अहमदाबाद लाइन का बदला जाना

*49. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से अहमदाबाद तक की मीटर गेज को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस परियोजना को पूरा करने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जयपुर और अजमेर के रास्ते दिल्ली-अहमदाबाद (925 कि० मी०) लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम एक अनुमोदित कार्य है जिसकी लागत 150 करोड़ रुपये से अधिक है । तथापि इस योजना के लिए अभी तक योजना आयोग द्वारा स्वीकृति नहीं दी गयी है । इस मामले के

संबंध में उनके साथ कार्रवाई की जा रही है। इस परियोजना के लिए उनकी स्वीकृति मिलने तथा पर्याप्त धन का आवंटन किये जाने के बाद कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

श्री डी० पी० जदेजा : मन्त्री महोदय का वक्तव्य निश्चय ही बहुत निराशाजनक है तथा सौराष्ट्र के व्यापारिक वर्ग को तो इससे और भी निराशा होगी क्योंकि हमारे सभी मध्यवर्ती बन्दरगाह, जिनके माध्यम से अधिकतम आयात और निर्यात किया जाता है, उनकी अन्तर्भूमि राजस्थान ही है। अब इसमें से आधे मार्ग को बड़ी लाइन में बदल दिया गया है और शेष आधा अभी मीटर लाइन में ही चल रहा है। इतना ही नहीं आगामी पंचवर्षीय योजना में भी इसके बदलने का कोई प्रावधान नहीं है।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस विषय पर और अधिक गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और योजना आयोग पर दबाव डालेंगे कि वह दिल्ली से अहमदाबाद तक की लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए तथा वीरामगांव तथा मेहसाना को बड़ी लाइन से जोड़ने के लिए जो कि अधिक महत्वपूर्ण है, धनराशि उपलब्ध करवायें।

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम निश्चय ही योजना आयोग के साथ यह मामला उठायेंगे परन्तु इसके साथ ही मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वयं भी योजना मन्त्री को अलग से इसके बारे में सूचित करें और यह सुनिश्चित करें कि इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य क्रियान्वित किया जाये। मुझे स्वयं भी इसकी काफी चिन्ता है क्योंकि दिल्ली से अहमदाबाद की लाइन पर···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जदेजा···अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछना चाहता है।

श्री डी० पी० जदेजा : मैं समझता हूं कि हमें मन्त्री महोदय ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है।

मैं मन्त्री महोदय से एक बार फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वह इस विषय पर और गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे ? यदि सम्पूर्ण दिल्ली-अहमदाबाद रेल मार्ग को नहीं तो क्या कम से कम वह इसके एक भाग को तो बदल दें ताकि राजस्थान और गुजरात राज्य को तो इसे बड़ी लाइन में बदलने का लाभ प्राप्त हो सके।

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम योजना आयोग के साथ यह मामला उठाएंगे। फिर भी यह योजना आयोग पर ही निर्भर करता है।

श्री दिग्विजय सिंह : क्या इसके लिए कोई वित्तीय प्रावधान किया गया है; मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि क्या मेहसाना-वीरामगांव क्षेत्र के लिए बजट में कोई प्रावधान किया गया है और यदि हां, तो कितना ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रश्न भी उसी में आ जाता है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : हमें इसके लिए अलग सूचना की आवश्यकता है ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह मामला अन्तिम रूप देने तथा मंजूरी के लिए कब से योजना आयोग के अधीन पड़ा हुआ है । यदि संभव हो तो मुझे वर्ष तथा तिथि दोनों बताइये; अन्यथा कम से कम वर्ष तो बता ही दीजिये । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि भूतपूर्व रेल मन्त्री ने जयपुर के एक प्रतिनिधि मंडल को यह आश्वासन दिया था कि दिल्ली से अहमदाबाद रेल मार्ग को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जायेगा ।

श्री मल्लिकार्जुन : यह 1978 से योजना आयोग के विचारार्थ लम्बित पड़ा है क्योंकि सर्वेक्षण 1972-73 में पूरा हो चुका था, इसलिये 1977-78 के बजट में हमने इसके लिए प्रावधान किया था और हमने इसे आरम्भ करने का निर्णय भी किया था परन्तु योजना आयोग द्वारा इसे मंजूरी नहीं दी गई थी । उनकी मंजूरी प्राप्त होने के शीघ्र बाद ही हम इस कार्य को करना आरम्भ कर देंगे । इस रेल मार्ग पर यातायात अधिक है । हमें इसकी काफी चिन्ता है ।

वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यूट के बारे में जांच समिति की रिपोर्ट

*50. **श्री समर मुखर्जी** : **क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के बारे में आरोपों की जांच करने के लिए गठित जांच समिति के निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वास्थ्य मन्त्रालय के पास शिकायतें किए हुए एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है परन्तु वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

वल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान एक स्वायत्त निकाय है जो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाता है । संस्थान के शैक्षिक स्टाफ के कुछेक सदस्यों द्वारा इसकी कार्य प्रणाली के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिए संस्थान के शासी निकाय ने एक समिति गठित की थी । इस समिति का मत है कि संकाय के कतिपय सदस्यों ने संस्थान के विरुद्ध जो आरोप लगाए थे, उनकी पुष्टि नहीं हो सकी है और समाचार पत्रों में इन आरोपों को प्रकाशित कराकर उन्होंने संस्था का नुकसान किया है जिससे इसकी प्रतिष्ठा घटी है । समिति ने यह भी कहा कि संस्थान इन व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्यवाही करे ।

सस्थान के शासी निकाय ने संस्थान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक पुनरीक्षा समिति भी गठित की है। संस्था के मामलों में निर्णय लेने के लिए सक्षम निकाय होने के नाते यह शासी निकाय का ही काम है कि वह समिति की रिपोर्ट मिल जाने के बाद उपयुक्त उपचारी कदम उठाये।

श्री समर मुखर्जी : श्रीमानजी, मेरा प्रश्न उस जांच समिति से सम्बद्ध था जिसका गठन करने का आश्वासन मंत्री महोदय ने हमें पिछले वर्ष दिया था। परन्तु जांच समिति के निष्कर्षों के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया है।

जो उत्तर दिया गया है उससे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के खिलाफ शिकायतें दायर की गयी थी उन्हीं पर उनके बारे में निर्णय देने का कार्यभार भी सौप दिया गया है। उन्होंने अपने लिखित विवरण में कहा है :

"वल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान एक स्वायत्त निकाय है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाता है। संस्थान के शैक्षिक स्टाफ के कुछेक सदस्यों द्वारा इसकी कार्य प्रणाली के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए संस्थान के शासी निकाय ने एक समिति गठित की थी। इस समिति का मत है कि संकाय के कतिपय सदस्यों ने संस्थान के विरुद्ध जो आरोप लगाये थे, उनकी पुष्टि नहीं हो सकी है और समाचार-पत्रों में इन आरोपों को प्रकाशित कराकर उन्होंने संस्था का नुकसान किया है जिससे इसकी प्रतिष्ठा घटी है। समिति ने यह भी कहा कि संस्थान इन व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्यवाही करे।

इतनी ही नहीं समिति ने यह निर्णय भी किया है कि उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए। यह समिति का निर्णय है।

संस्थान की शासी निकाय ने संस्थान के कार्यकरण की जांच हेतु एक पूनरीक्षण समिति का गठन भी किया था। संस्थान की उपयुक्त निर्णायक निकाय होने के नाते, इसके सम्बन्ध में उपचारी कदम उठाने का दायित्व शासी निकाय का ही हो जाता है जब कि उपरोक्त समिति का प्रतिवेदन उनके पास पहुंच जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री समर मुखर्जी : मेरा प्रश्न है जिन व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें की गयी हैं उन्हीं को निर्णय देने का कार्य भार सौंपा गया है। दूसरे शब्दों में जो शिकायत करने वाले थे, उन्हें दण्ड दिया जा रहा है। यह समिति का निर्णय है।

हमें इनमें से एक तथाकथित शिकायतकर्ता ने ही पत्र भी लिखा है। वह मैडिसन्ज में रीडर है। उनमें से एक नाम भी एम० पी० एस० मेनन है तथा वह एम० डी० है। यह सभी बड़े बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने कि शिकायत की है।

अध्यक्ष महोदय : हम इधर-उधर की बातें कर रहे हैं आप कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री समर मुखर्जी : मैं प्रश्न पूछता हूं—क्या यह ठीक है कि जिन लोगों के विरुद्ध शिकायत की गई थी उन्हीं लोगों पर जांच करने तथा निर्णय देने का कार्यभार सौंपा गया था ? मैं केवल

आपकी सहायता कर रहा हूं। मेरे पास जो पत्र आया है मैं केवल उसी पत्र को ही पढ़ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुखर्जी ने पूछा है यह शिकायत उस समिति को क्यों भेजी गई थी जबकि जिन लोगों के खिलाफ शिकायत थी वह लोग ही समिति के सदस्थ थे !

स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : यह ठीक नहीं है मैं सदन को दिखा सकता हूं कि समिति के सदस्य कौन-कौन लोग थे। इससे उनका संशय दूर हो जायेगा। समिति के सदस्य थे :

1. श्री प्रेम कृपाल जो कि शिक्षा मंत्रालय में भारत सरकार में सचिव थे।
2. **डा० वी० शंकरन :** जो कि स्वास्थ्य सेवा में महा-निदेशक थे।
3. श्री वीरा राघवन विश्वविद्यालय के कोषाध्यक्ष थे।

इससे निश्चय ही आपको यह स्पष्ट हो जायेगा कि यह वह व्यक्ति नहीं हैं जिनके विरुद्ध शिकायतें थी। ये ही वे लोग थे जिन्होंने इस समिति का गठन किया और अपना जांच निर्णय प्रस्तुत किया।

(व्यवधान)

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : शिकायत निदेशक के विरुद्ध की गई है। वे अधिशासी निकाय में मुख्य व्यक्ति हैं। शिकायत करने वाले थे औषधि विभाग के रीडर।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय का कहना है कि वे समिति के सदस्य नहीं थे।

श्री समर मुखर्जी : इस समिति का गठन उस अधिशासी निकाय ने किया था जिसे सरकार ने नियुक्त किया था। शिकायतें उन्हीं लोगों के विरुद्ध की गई हैं जिन्हें इस समिति का प्रभारी नियुक्त किया गया है। शिकाययकर्त्ता ने मुझे भी एक पत्र लिखा है। मैं इस पत्र को पढ़कर सुना रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। आप प्रश्न पूछिये।

श्री समर मुखर्जी : मेरा प्रश्न है कि शिकायत निदेशक के विरुद्ध थी और निदेशक महोदय ने न केवल अपनी गतिविधियों को जारी रखा, परन्तु शिकायतकर्त्ता को भी तंग करना शुरू कर दिया। निदेशक महोदय अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं और वे इन लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौनसी शिकायतें हैं जो कि मन्त्री महोदय को इन लोगों से मिली हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : महोदय, आरोप इस प्रकार थे : (1) कि 1970 में अनुसन्धानार्थ रोगियों पर जो जांच-पड़ताल की गई थी उसका स्वरूप कुछ अनैतिक था, (2) बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरा नहीं गया, (3) संस्थान के लेखा की कोई लेखा परीक्षा नहीं की गई, (4) निदेशक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में आरोप और (5) निदा-

नार्थ अनुसंधान केन्द्र के काम में गड़बड़ी । ये आरोप थे और समिति ने इन आरोपों पर विचार किया और उन्होंने पाया कि इनमें कोई सच्चाई नहीं हैं ।

श्री समर मुखर्जी : मेरा प्रश्न यह था कि जांच किस प्रकार की गई ।

अध्यक्ष महोदय : जांच किसी व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार नहीं की जा सकती है ।

श्री समर मुखर्जी : मेरा मुद्दा यह है कि शिकायतकर्त्ता को समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा गया ।

श्री बी० शंकरानन्द : मेरी सूचना के अनुसार शिकायतकर्त्ताओं से जांच-पड़ताल की गई थी और वे कुछ भी सिद्ध नहीं कर सके ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 51

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : महोदय, विदेश मन्त्री महोदय को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए था या उनकी अनुपस्थिति में प्रधान मन्त्री को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए । क्योंकि विधि मन्त्री महोदय आंध्र प्रदेश के हैं तो उन्होंने इसका उत्तर देना पसन्द किया है । मैं श्री शिवशंकर द्वारा दिए जा रहे उत्तर का विरोध करता हूं ।

(व्यवधान)

रूसी सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी

*51.**श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफगानिस्तान से रूसी सेनाओं की वापसी को सुगम बनाने का वातावरण पैदा करने तथा प्रभावित क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए भारत द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ख) इन प्रयासों के क्या परिणाम निकले ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शिवशंकर) (क) और (ख) अपनी इस आस्था के अनुरूप, कि इस मामले में बातचीत के द्वारा राजनीतिक समाधान के लिए तनाव का घटना जरूरी है न कि लड़ाई की स्थिति, भारत सरकार बहुत से देशों के साथ विचार-विमर्श करती रही है ताकि इन परिस्थितियों का सुनिश्चय किया जा सके जो अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की अंततः वापसी के लिए आवश्यक है ।

विदेश मन्त्री ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मन्त्रियों के साथ पहले न्यूयार्क में और हाल ही में नई दिल्ली में बातचीत की थी जिसका उद्देश्य उनकी स्थितियों को समझना और इस बात का अनुमान लगाना था कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से जो मतभेद व्यक्त किए हैं उन्हें कहां तक दूर किया जा सकता है ।

इसके अतिरिक्त गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों के हाल ही में सम्पन्न सम्मेलन की तैयारी के सिलसिले में विदेश मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बहुत से देशों के साथ विस्तृत

विचार-विमर्श किया। इस विचार-विमर्श से वह आम राय तैयार करने में मदद मिली जो इस सम्मेलन में इस विषय पर कायम हुई थी।

हम विश्वास करते हैं कि भारत में निकटतम रूप से सम्बद्ध देशों को यह समझाने के लिए अपने प्रयत्नों में सफल हुआ है कि इस मसले को बातचीत द्वारा शांतिपूर्ण राजनैतिक समाधान खोजने की आवश्यकता है। इसमें प्रत्यक्षरूप से शामिल अधिकतर देशो ने हाल ही में अपनी-अपनी स्थिति के बारे में जो घोषणाएं की हैं उसमें उनके रुखों में नरमी आने का पता चलता है, जिसमें राजनैतिक समाधान पर जोर भी शामिल है।

भारत इस प्रकार के समाधान के लिए यथा-शक्ति प्रयत्न करता रहेगा।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सोवियत संघ के साथ हमारे बड़े मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। सारा सदन चाहेगा, सारा देश चाहेगा कि इन सम्बन्धों को क्षति पहुंचाए बिना हम असम की स्वतन्त्रता और उसका गुटनिरपेक्ष स्वरूप .....

(व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव : मामला हाथ से निकल चुका है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यह गड़बड़ इस लिए हुई है कि कानून मन्त्री जवाब दे रहे हैं। अगर नरसिंह राव जी हमारे सामने होते तो असम का नाम नहीं आता।

(व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : कानून मन्त्री का असम से क्या सम्बन्ध है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम चाहेंगे कि अफगानिस्तान की स्वतन्त्रता और उसका गुट-निरपेक्ष स्वरूप फिर से कायम हो। सोवियत संघ का सैनिक हस्तक्षेप इस आधार पर हुआ है कि वहां विदेशी ताकतें हस्तक्षेप कर रही थीं। हम जानना चहेंगे कि गुटनिरक्षेप देशों के सम्मेलन के दौरान यह सुझाव रखा गया था कि अफगानिस्तान में विदेशी हस्तक्षेप रोकने के लिए गुटनिरपेक्ष देश अपनी एक सेना बनायें, वह सेना अफगानिस्तान में जाए और देखे कि कोई देश अफगानिस्तान के मामले में दखल न दे और सोवियत संघ की सेनायें भी अफगानिस्तान से निकल जायें तो क्या सरकारी स्तर पर सुझाव पर विचार हुआ है तथा क्या इसके बारे में अन्य गुटनिरपेक्ष देशों से चर्चा हुई है ? यदि हुई है तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्री पी० शिवशंकर : गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों के समक्ष अनेक प्रस्ताव रखे गये थे और उन पर विचार-विमर्श हुआ था। अन्ततः घोषणा-पत्र के पैराग्राफ 24 पर सर्वसहमति हो गई। सदन के सूचनार्थ इसे पढ़कर सुनाना शायद मेरे लिये लाभदायक रहे। इसमें कहा गया है :

> "दक्षिणी-पश्चिमी एशिया की स्थिति पर मन्त्रीगण ने गहरी चिन्ता व्यक्त की और इस बात पर सहमत हुये कि इससे उस क्षेत्र की शक्ति और स्थायीत्व के लिए खतरनाक परिणामों की सम्भावना है। वे इस बात पर भी सहमत थे कि यदि ऐसी ही स्थिति बनी

रहती है तो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा पर भी इसका गम्भीर प्रभाव पड़ सकता है। इसी सन्दर्भ में अफगानिस्तान की स्थिति पर भी मन्त्रियों ने विशेष चिन्ता प्रकट की। विदेशी सेनाओं की वापसी के आधार पर उन्होंने इसका राजनैतिक हल तुरन्त निकालने की मांग की और अफगानिस्तान की स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, प्रादेशिक अखण्डता तथा गुटनिरपेक्ष स्थिति के प्रति पूर्ण सम्मान और अहस्तक्षेप तथा तटस्थता के नियम का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने अफगानिस्तान के शरणार्थियों की सुरक्षा और सम्मान के साथ अपने घरों को वापिस लौटने के अधिकार का भी समर्थन किया। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने सभी सम्बद्ध लोगों से एक ऐसे समझौते की ओर कार्य करने का आग्रह किया जिसमें यह निश्चित हो सके कि अफगानिस्तान के लोग बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के स्वयं अपने भाग्य का स्वयं फैसला कर सकें और जिससे अफगानिस्तान के शरणार्थी अपने घरों को वापिस लौटने में सफल हो सकें।

अफगानिस्तान की स्थिति राजनैतिक हल के लिये किये गये सद्प्रयासों के प्रति मन्त्रियों ने प्रशंसा भाव प्रकट किया। उन्होंने सभी देशों से आत्मसंयम बरतने और उस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए और आगे खतरे को न बढ़ने देने की अपील की और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के गुट-निरपेक्ष, सार्वभौमिकता के प्रति सम्मान, राष्ट्रीय स्वाधीनता, प्रादेशिक अखण्डता और अहस्तक्षेप तथा राज्य के आन्तरिक मामलों में तटस्थता पर आधारित उस क्षेत्र के राज्यों के बीच स्थायी और सौहाद्रपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों को पैदा करने वाले कदम उठाने की अपील की।"

यही सर्वसहमति तो वहां पर थी और इसे घोषणा के पैराग्राफ 24 में जोड़ दिया गया। इस प्रकार की स्थिति है। उसके बाद गुट-निरपेक्ष देशों की सेना के सन्दर्भ में प्रश्न था। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। चर्चा के बाद, इसी मतैक्य पर वे पहुंचे थे और इसी घोषणा पर हमें निर्भर करना पड़ रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, मन्त्री महोदय ने गुट-निरपेक्ष सम्मेलन द्वारा स्वीकृत अन्तिम दस्तावेज का उल्लेख किया है और दस्तावेज में विदेशी सेनाओं की वापिसी पर आधारित राजनैतिक हल की बात कही गई है। परन्तु अपने मूल उत्तर में मन्त्री महोदय ने राजनैतिक हल को पहले रखा है और सेनाओं की वापिसी को बाद में। क्या मुझे यह समझ लेना चाहिये कि यद्यपि भारत आतिथेय देश था, यद्यपि भारत ने सम्मेलन की अध्यक्षता की. यद्यपि मन्त्री महोदय का अब यह कहना है कि भारत भी सर्वसहमति वाले देशों में सम्मिलित था, हमारी राष्ट्रीय स्थिति, भारत सरकार की स्थिति अलग है, भिन्न है चूंकि हम राजनैतिक समझौता पहले चाहते हैं और रूसी सेनाओं की वापसी बाद में।

श्री पी० शिवशंकर : जिस बात से मुझे आश्चर्य हुआ है वह है कि उन्होंने बाल की खाल निकालने के लिए वकील की भूमिका निभाई है और व्याख्या करनी शुरू कर दी है। स्थिति की घोषणा में व्याख्या कर दी गई है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी सेनाओं की वापसी

के आधार पर राजनैतिक समझौता किया जाए । हम घोषणा-पत्र को मानते हैं और उसमें हम भी सहभागी हैं ।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : कृपया मूल उत्तर को पढ़कर देखें ।

श्री पी० शिवशंकर : मेरा उत्तर भिन्न नहीं है । इस प्रकार के मामले में किसी को शब्दों के हेरफेर में लाने की आवश्यकता नहीं है । अभिप्राय को घोषणा में स्पष्ट कर दिया गया है और हमें यह स्वीकार्य है ।

श्री सतीश अग्रवाल : क्या यह सच है कि भारत में अनेक देशों पर इस आशय का प्रभाव डालने के लिए कि सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान से वापस जानी चाहिएं, अनेक विश्व-राजधानियों को अपने दूत भेजे थे ? यदि हां तो किस मतैक्य पर पहुंचा गया । अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापिस बुलाने के लिए रूस ने कौन सा अन्तिम रचनात्मक सूत्र तैयार किया है ?

श्री पी० शिवशंकर : यह सच है कि बहुत से देशों से बातचीत की गई थी और उनसे सलाह-मशविरा चल रहा है । परन्तु यह कहना बहुत कठिन है किसी मतैक्य पर पहुंचा जा चुका है । जिस मतैक्य पर पहुंचा गया है उसे घोषणा के पैराग्राफ 24 में खोजा जाना चाहिये । निस्सन्देह अनेक देशों में विचार-विमर्श किया गया है परन्तु चर्चा के विभिन्न सूक्ष्म भेदों को प्रकट करना जनहित में अच्छा नहीं रहेगा । जो कुछ अन्तिम निर्णय हो पाया है उसे तो पहले से ही गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की घोषणा के रूप में रख दिया गया है । अन्य देशों से तो केवल बातचीत ही की गई है । यह कहना कठिन है कि कोई स्पष्ट सूत्र विकसित कर लिया गया है ।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। सभी विश्व-राजधानियों को विशेष दूत भेजे गये थे । मेरे पास विदेश मंत्री महोदय के वे प्रेस वक्तव्य हैं जहां पर उन्होंने इस मामले के बारे में बड़े ही स्पष्ट रूप में अनेकानेक मुद्दों का उल्लेख किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि रचनात्मक सूत्र तैयार हो रहा है और इससे अच्छी प्रगति हुई है और अफगानिस्तान सरकार इस मामले पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो गई है और विशेष संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार द्वारा अनेक विश्व राजधानियों को भेजे गये दूतों ने उन सरकारों पर अफगानिस्तान से रूसी सेनाओं की वापसी की आवश्यकता के लिए दबाव डाला था । इस पैराग्राफ 24 के अतिरिक्त सेनाओं की वापसी के सम्बन्ध में कौनसा अन्तिम रचनात्मक सूत्र तैयार किया गया है ?

श्री पी० शिवशंकर : अनेक दूतों को किसी प्रकार के निश्चित प्रस्ताव के साथ नहीं भेजा गया था अपितु पार्टियों के बीच आपसी बातचीत का वातावरण उत्पन्न करने के लिए भेजा गया था ।

श्री माधवराव सिंधिया : अफगानिस्तान के मामले में हमें वास्तविकताओं से समझौता करना पड़ेगा । अफगानिस्तान में रूस की उपस्थिति तो वस्तुतः है ही और हम कुछ भी खोये बिना व्यवहारिक फार्मूले से हम उनको वहां से बाहर निकलने की नहीं सोच सकते । इस बात को

माना जाना चाहिये ··(व्यवधान) मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस क्षेत्र के विशेषज्ञ श्री हैरिसन के प्रस्ताव पर विचार किया है जिसमें फिनलैंड जैसे फार्मूले की परिकल्पना की गयी है। मैं इस फार्मूले के तीन प्रश्नों का जिक्र करना चाहूंगा। पहले तो सोवियत रूस को अफगानिस्तान से कुछ समय के अन्दर पीछे हटना पड़ेगा लेकिन उन्हें एक संधि के अन्तर्गत इसकी सुरक्षा के हित में यदि जरूरी हो तो पीछे हटने का भी अधिकार होगा ··

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चर्चा नहीं।

श्री माधवराव सिंधिया : मुझे बताना चाहिये कि वह फार्मुला क्या था···(व्यवधान) दूसरे पाकिस्तान तथा ईरान यह आश्वासन देंगे कि वे अफगान विरोधियों को शरण के लिये स्थान नहीं देंगे जिसके बदले सोवियत रूस तथा अफगानिस्तान यह आश्वासन देंगे कि वे बलूच या पठान विद्रोही आन्दोलन को सहायता प्रदान नहीं करेंगे और तीसरे पाकिस्तान और ईरान को भी ऐसे ही निष्प्रभावी बनाया जाना चाहिये जैसे स्वीडकोन बनाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास फार्मूला है, प्रश्न नहीं।

श्री माधवराव सिंधिया : मेरा प्रश्न है—क्या भारत सरकार ने हैरिसन योजना पर विचार करने के बाद कोई ऐसा फार्मूला सामने रखा है ? और यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर इस प्रकार का व्यवहारिक समाधान रखेगी ?

श्री पी० शिवशंकर : सरकार को श्री हेरीशन के प्रस्तावों की जानकारी है। लेकिन यह एक बहुत नाजुक मामला है और भारत सरकार के लिए कोई विशेष रुख अपनाना बहुत कठिन है। भारत सरकार का प्रयत्न हमेशा सम्बन्धित पक्षों की द्वीपक्षीय वार्ता के लिए राजी करना रहा है और भारत सरकार सबसे बड़ी सेवा यह कर सकती है कि वह इस बात का ध्यान रखेगी कि सम्बन्धित पक्ष समझौता करने के लिए इकट्ठे बैठ जायें। इसके अलावा कुछ और करना कठिन है और भारत सरकार ने अभी तक किसी विशेष प्रस्ताव की पेशकश नहीं की है और नहीं इस समय भारत सरकार के विचाराधीन इस प्रकार का कोई प्रस्ताव है। जैसे कि मैंने कहा सरकार सम्बन्धित पक्षों के आमने-सामने बैठकर समझौता करने हेतु राजी करने के लिए कोई कार्य बाकी नहीं छोड़ेगी।

श्री बीजू पटनायक : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या भारत सरकार ने विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन के सामने कोई अपना प्रस्ताव रखा था ? यदि हां, तो क्या वे इस प्रस्ताव को पढ़ सकेंगे ? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि भारत सरकार के मूल प्रस्ताव तथा अन्त में विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन में रखे गये प्रस्ताव में बहुत अन्तर है, जैसे कि खन्ड 29 में कहा गया है। दूसरे क्या भारत सरकार ने मुक्ति आन्दोलन सम्बन्धी भारतीय परम्पराओं के अनुसार ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा कि रूस को पहले किसी समझौते के होने से पूर्व अफगानिस्तान खाली करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इन बातों पर विदेश मन्त्रालय पर वाद-विवाद के दौरान चर्चा करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जनजातियों को उप-योजनाओं के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा धन राशि का निर्धारण

*21. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला, विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पांचवीं तथा छटी योजना में जनजाति उप-योजना क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा विभागों से धनराशि निर्धारित करने के लिए कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो उन मन्त्रालयों तथा विभागों के क्या नाम हैं जिन्होंने अब तक उपयोजना क्षेत्रों के लिए धनराशि निर्धारित की है;

(ग) अन्य संबन्धित मन्त्रालयों द्वारा 1975 से अब तक धनराशि निर्धारित करने में किए गए विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) पांचवीं तथा छठी योजना में जनजाति उप-योजना क्षेत्रों हेतु धनराशि नियत करने के लिए जनजाति क्षेत्रों के उप-योजना सिद्धान्त को अन्तिम रूप देने से अब तक मन्त्रालयों को दिए गए निदेश क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) जनजाति-उप-योजनायें 1974-75 में शुरू की गई थी । केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा विभागों द्वारा उस समय जनजाति उप-योजना क्षेत्रों के लिए धनराशि निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया गया था लेकिन इसको ठोस रूप 'पांचवीं योजना अवधि के अन्त में दिया गया था । मंत्रालयों और विभागों से छठी योजना अवधि के लिए धनराशि निर्धारित करने के लिए कहा गया है । वे मन्त्रालय और विभाग जिन्हें अब तक उप-योजना क्षेत्रों के लिए धनराशियां दी गई हैं इस प्रकार हैं : (1) कृषि, (2) ग्रामीण पुनर्निर्माण, (3) शिक्षा तथा समाज कल्याण, (4) नौवहन तथा परिवहन (5) डाक व तार महानिदेशालय (6) ऊर्जा (7) नागरिक आपूर्ति तथा सहकारिता, (8) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, (9) श्रम मन्त्रालय । इस योजना के लिए धनराशियां निर्धारित करने में कोई बिलम्ब नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त प्रधान मन्त्री ने (1) धनराशि की मात्रा निर्धारित करने, (2) जनजाति क्षेत्रों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम बनाने और (3) चल रहे कार्यक्रमों को उचित रूप से अनुकूल बनाने के निदेश पहले ही दे दिए हैं । योजना आयोग और गृह मन्त्रालय ने समय-समय पर केन्द्रीय मन्त्रालयों से धनराशियां निर्धारित करने के लिए कहा है ।

दहेज के कारण आत्म-हत्या के मामले

*22. **प्रो० रूपचन्द पाल :**

श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दहेज के कारण आत्म-हत्या के कितने मामले हाल के महीनों में दर्ज किए गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन मामलों की पूरी जांच की है; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) इस विषय पर 22–7–1980 को सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को विस्तृत आदेश जारी किए गए थे। जारी किए गए अनुदेशों की एक प्रति सदन के पटल पर रखी जाती है। इसके अतिरिक्त दहेज निषेध अधिनियम 1961 के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की एक समिति इस समय विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1840/81]

सशस्त्र नेताओं में असंतोष

*23. **श्री गुफरान आजम** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी सशस्त्र सेनाओं के कुछ अधिकारी पदोन्नति के अवसरों और पदोन्नति की नीति से असन्तुष्ट हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मन्त्रालय क्या कदम उठा रहा है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्द्रा गांधी) : (क) किसी तरह के असंतोष के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र का पुनर्गठन

24. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र का पुनर्गठन तथा पुनर्निरूपण करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) सरकार ने भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक के पद का नाम बदल कर निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र तथा सचिव,

भारत सरकार कर दिया है । इस पद पर नियुक्ति कर दी गई है । साधनों को श्रेष्ठतम ढंग से काम में लाने तथा सुविधाओं का बेहतर उपयोग करने का जो क्रम निरन्तर चल रहा है, उसके अन्तर्गत भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में अनेक प्रशासनिक कदम उठाये गए हैं ।

पालेकर पंचाट की क्रियान्विति

*25. **श्री डूमर लाल बैठा :**

श्री चित्त बसु : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश समाचारपत्र उद्योगों ने पालेकर न्यायाधिकरण के पंचाट को क्रियान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों को यह निदेश जारी करने का निर्णय किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि पंचाट को अविलम्ब सही रूप में लागू कराया जाये; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन समाचारपत्र उद्योगों के नाम बताने का है जिन्होंने पंचाट लागू कर दिया है तथा जो अभी इसे लागू नहीं करना चाहते तथा इस मामले में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारी संबंधी अधिकरणों की सिफारिसों के बारे में सरकार के आदेश हाल ही में जारी किए गए । इन आदेशों को विधि का बल प्राप्त है । सरकार द्वारा अधिसूचित सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व राज्यसरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का है । योजना और श्रम मंत्री ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य मंत्रियों/अध्यक्षों को लिखा है और यह अनुरोध किया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थता करें कि सरकार द्वारा अधिसूचित सिफारिशों को बिना विलम्ब के कार्यान्वित किया जाए । आदेशों के कार्यान्वयन की सीमा के बारे में सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

दिल्ली में जहरीली शराब पीने से हुई मौतें

*26 **श्री के० पी० सिंह देव:**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जनवरी, 1981 में जहरीली शराब पीने से 7 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई,

(ख) यदि हां, तो क्या यह जानने के लिये कि इस प्रकार की घटनायें प्रति वर्ष किस प्रकार हो रही हैं और इसके लिए पुलिस सतर्कता में कमी किस सीमा तक उत्तरदायी है, सरकार न्यायिक जांच अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाएगी,

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी गिरफ्तारियां की गयी हैं; और

(घ) हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जहरीली शराब दिल्ली में लाये जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि जनवरी, 1981 के महीने में अवैध शराब पीने के कारण 10 व्यक्ति मरे हैं।

(ख) पुलिस आयुक्त ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा जांच करने के आदेश दिए हैं।

(ग) इस संबंध में अब तक एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है।

(घ) सरकार द्वारा किए गए उपायों में अवैध शराब के व्यापार में लगे व्यक्तियों की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन नजरबन्दी, पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर थानो द्वारा सतर्कता बढ़ाना, गहन गश्त लगाना, दिल्ली में पड़ोसी राज्यों के अनुरूप मद्यनिषिद्ध दिवस घोषित करना और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र से कुख्यात बदमाशों को निष्कासित करना शामिल है।

कराची के निकट चीन का नौसैनिक अड्डा

*27**श्री बालासाहिब पिखे पाटिल** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीन कराची के निकट एक नौसैनिक अड्डा बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो हमारे पश्चिमी तट पर अपने नौसैनिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार ने इस तरह की रिपोर्ट समाचार-पत्रों में देखी हैं परन्तु इनकी पुष्टि में कोई निश्चित सूचना नहीं है।

(ख) सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई करेगी।

असम संकट के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन

*28**श्रीमती प्रमिला दंडवते** :

प्रो० मधु दंडवते : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, निर्वाचक सूचियों के आधार पर असम में विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने का कार्य शीघ्र शुरू करने के लिए 4 जनवरी 1981 को नई दिल्ली में आयोजित असम संकट पर राष्ट्रीय सम्मेलन में मतैक्य की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्मेलन द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने अन्य कौन-सा हल अथवा समाधान सोचा है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) निवास स्थान का प्रमाण देने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, 1951

तथा अन्य संगत अभिलेखनों और दस्तावेजों का किस सीमा तक प्रयोग किया जा सकता है, इसमें सम्बन्धित प्रश्न अखिल असम छात्र संघ/अखिल असम गण संग्राम परिषद को स्पष्ट कर दिया गया है। विदेशी नागरिकों के प्रश्न के कुछ अन्य पहलुओं का समाधान करना भी शेष है। आगे बातचीत के लिए सरकार के द्वार खुले हैं।

किसी नागरिक के प्रति हुए अन्याय के लिए राज्य सरकारों का दायित्व

*29. **श्री चन्द्रजीत यादव :**

श्री अजीत कुमार मेहता : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में हाल ही में कुछ विचाराधीन बन्दियों को अंधा कर दिए जाने की घटनाओं को देखते हुए, क्या सरकार ने किसी नागरिक के साथ हुए अन्याय के लिए राज्य सरकारों के दायित्व निर्धारित करने वाले कानूनों की कमियों अथवा अपर्याप्तता को दूर करने के लिए विद्यमान कानूनों की समीक्षा करने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) बिहार में विचारणाधीन बंदियों के अंधा किए जाने के बारे में आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और उच्चतम न्यायालय भी उसके समक्ष कुछ रिट याचिकाएं प्रस्तुत किए जाने के परिणामस्वरूप मामले से अवगत है। रिट याचिकाएं अभी उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत हैं और इस न्यायालय को अभी अपना निर्णय देना है। पूरे तथ्यों का पता लगने और उच्चतम न्यायालय का निर्णय उपलब्ध होने के बाद ही कानून के संशोधन के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

मैसूर सीमेंट फैक्ट्री द्वारा उत्पादन बन्द किया जाना

30. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री के० मालन्ना : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सीमेंट फैक्ट्री ने कोयला न मिलने के कारण उत्पादन बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) जी नहीं। यद्यपि कारखाने के लिये आवश्यकता की अपेक्षा कम परिमाण में कोयले का संभरण किया गया है फिर भी व सीमेंट का उत्पादन करता रहा है।

(ख) इस कारखाने के लिये पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराने के प्रयास किये ज रहे हैं।

"पंजाब प्ली ग्रान ग्रार्मी सरप्लस लैंड" शीर्षक समाचार

*31. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 16 जनवरी, 1981 के इन्डियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली में "पंजाब प्लीआन आर्मी सरप्लस लैंड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान नियमों और आदेशों के अनुसार राज्य सरकार को फालतू रक्षा भूमि का हस्तांतरण, अन्तरल की तिथि को उस भूमि के बाजार मूल्य पर किया जाता है । इस व्यवस्थित स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को भूमि का हस्तांतरण खाता मूल्य पर करना संभव नहीं है ।

राजनीतिक दलों/साम्प्रदायिक संगठनों के कार्यों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना

*32. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक दलों/साम्प्रदायिक संगठनों के कार्यों में भाग लेने/उपस्थित होने की अनुमति है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया) : जी नहीं, श्रीमान ।

छठी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जाना

*33. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :

श्री बी० वी० देसाई : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तिम रूप देने के लिए सभी औपचारिक्ताओं पर विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसका कुल परिव्यय क्या होगा; और

(घ) इसका क्रियान्वयन कब शुरू होगा ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) 1980-85 छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को राष्ट्रीय विकास परिषद् ने 13-14 फरवरी, 1981 को नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में अनुमोदित किया । राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा स्वीकृत किए गए संकल्प की प्रति सभापटल पर प्रस्तुत है । योजना में सरकारी और निजी क्षेत्रकों में 1979-80 की कीमतों पर 1,72,210 करोड़ के कुल परिव्यय की परिकल्पना की गई है, इसमें से सरकारी क्षेत्रक परिव्यय 97,500 करोड़ रुपये होगा । इस दस्तावेज की साइक्लोस्टाइल प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । इस पंचवर्षीय योजना में 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1985 तक की अवधि आती है और यह 1980-81 की वार्षिक योजना से आरम्भ करते हुए पहले से कार्यान्वित की जा रही है ।

विवरण

राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा 13 और 14 फरवरी, 1981 को हुई अपनी बैठक में निम्न लिखित संकल्प स्वीकृत किया गया :

"राष्ट्रीय विकास परिषद् योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के प्रारूप को इस संकल्प द्वारा अनुमोदित करती है और सभी संबंधित अभिकरणों से यह आग्रह करती है कि वे इसके सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लोगों के सक्रिय सहयोग से सभी भरसक प्रयत्न करें।"

पाकिस्तान द्वारा राजस्थान सीमा के दूसरी ओर अणु यन्त्रों का विस्फोट

*34. **श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल के इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान राजस्थान सीमा के दूसरी ओर अपने प्रथम अणु यंत्र के विस्फोट के लिए सरगर्मी से तैयारियां कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान की तैयारियों के सम्बन्ध में सरकार की जानकारी क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इसे देखते हुए अपनी अणु नीति की समीक्षा की है और अपनी रक्षा तैयारियों को पाकिस्तान की तैयारियो के समान बनाने के कदम उठाए हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) सरकार ने पाकिस्तान द्वारा आणविक हथियार/क्षमता प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में अनेक समाचार देखे हैं। पाकिस्तान सरकार ने हमें यह आश्वासन दिया है कि उनके आणविक कार्य-क्रम का उद्देश्य शांतिपूर्ण प्रयोग करना है। सरकार यह आशा करती है कि पाकिस्तान अपने आश्वासन का पालन करेगा। सरकार भारत की सुरक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों पर नजर रखती है और हर समय रक्षा संबंधी पूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के बारे में आवश्यक कदम उठाती है सरकार की आणविक नीति अणु ऊर्जा को शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए इस्तेमाल करने की है।

पाकिस्तान द्वारा आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों की प्राप्ति

*35. **स्वामी इन्द्रवेश :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की सूचना मिली है कि पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में कुछ देशों से आधुनिकतम शस्त्रास्त्र प्राप्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो अनुमानत: कितनी मात्रा में शस्त्रास्त्र प्राप्त किये गए है; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में ब्यौरा प्रकट करना वांछनीय नहीं है ।

(ग) सुरक्षा क्षेत्र में होने वाली ऐसी सभी गतिविधियों पर सरकार लगातार नजर रखती है और हर समय रक्षा तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है ।

उद्योगों की स्थापना के लिए सीमेंट की कमी

*36. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश स्वीकृत उद्योग सीमेंट की कमी के कारण नियत समय पर स्थापित और चालू नहीं हो सके है ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उद्योगों को स्वीकृति देते समय सीमेंट की अपेक्षित मात्रा के लिए सीमेंट के कारखानों को सीधे ही आर्डर देने के बारे में विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विचाराधीन उद्योगों के सन्दर्भ में भविष्य में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) वर्तमान में देश में सीमेंट की कमी है । ऐसी परिस्थितियों में यद्यपि सीमेंट का आवंटन करने के लिए संभव सीमा तक प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है । फिर भी औद्योगिक एककों के निर्माण कार्य में कुछ विलम्ब होने की संभावना हो सकती है ।

(ख) नए औद्योगिक एककों के निर्माण के लिए सीमेंट की आवश्यकता हेतु निर्गम आदेश उनकी आवश्यकता और सीमेंट की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सीधे सीमेंट कारखानों को जारी किए जाते हैं ।

(ग) देश में सीमेंट की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए उनकी आवश्यकता को संभव सीमा तक पूरा करने के लिए प्रत्येक उपाय किया जाएगा ।

पुलिस बल का आधुनिकीकरण

*37. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** :

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी कोई योजना तैयार कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इसे कब तक क्रियान्वित करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सरकार ने 1980-81 से 1989-90 तक की 10 वर्ष की अवधि के लिए 100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण का योजना को फिर से लागू किया है । राज्यों को कुल 750.00 लाख

रुपये की केन्द्रीय आर्थिक सहायता दी जायेगी ताकि वे 1980.81 में योजना को कार्यान्वित कर सके। इस योजना के आवश्यक ब्यौरों का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

आधुनिकीकरण के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1980-81 से 1989-90 तक के अगले दस वर्ष की अवधि के लिए कुल सौ करोड़ रुपये के परिव्यय की योजना को फिर से लागू किया है। केन्द्रीय आर्थिक सहायता का प्रतिमान वही रहेगा अर्थात् 50 प्रतिशत ऋण और 50 प्रतिशत सहायता अनुदान। ऋण की अदायगी 25 वर्ष की अवधि में की जा सकती है। केन्द्रीय सहायता का आशय वाहन, वायरलैस उपकरण, कम्प्यूटर, अन्वेषण के लिए वैज्ञानिक उपकरण और प्रशिक्षण उपकरण खरीदने के के लिए अनावर्ती स्वरूप के खर्च को पूरा करना है। योजना के अधीन स्वीकार्य मदों की सूची उनको सापेक्ष प्राथमिकताओं के साथ नीचे दी जाती है :

(1) वायरलैस उपकरण, टेलीप्रिंटर सेवा समेत लाइन संचार व्यवस्था पर पूंजीगत व्यय शहरों तथा अन्य स्थानों में प्रयोग के लिए वायरलैस मदें, जिसका उद्देश्य प्रत्येक थाने में वायरलैस सेट लगाना है;

(2) गतिशीलता वाहनों की व्यवस्था, प्रत्येक थाने को एक जीप देने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(3) प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए उपकरण;

(4) अपराध विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण और जाच-पड़ताल के लिए अन्य वैज्ञानिक साधनों के उपकरण;

(5) अंगुलि छाप ब्यूरो के लिए उपकरण;

(6) संदिग्ध दस्तावेजों की परीक्षा के लिए उपकरण;

(7) प्रत्येक राज्य के लिए 10 लाख रुपये तक राज्य अपराध प्रयोगशालाओं के लिए भवन निर्माण;

(8) अपराध रिकार्डों, आंकड़ों और लेखों के लिए आंकड़ा प्रक्रिया मशीनें।

2. राज्य सरकारों से समस्या के क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया है, जैसा नीचे दिया गया है :

(1) साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील जिले/स्थान/क्षेत्र;

(2) हरिजनों पर अत्याचारों वाले जिले/स्थान

(3) 5 लाख और उससे ऊपर की जनसंख्या वाले शहर;

(4) गहन श्रम समस्याओं और औद्योगिक झगड़ों के क्षेत्र;

(5) विपत्तिग्रस्त क्षेत्रों जैसी विशेष समस्याओं के क्षेत्र;

(6) बड़े शैक्षिक झगड़ों और बार-बार छात्र अशान्ति वाले क्षेत्र;

(7) बहुत पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र

(8) अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर क्षेत्र ।

नारियल जटा उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारी संघों से ज्ञापन

*38. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नारियल जटा उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारी संघों की ओर से 14 अक्तूबर, 1980 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने उक्त ज्ञापन में क्या-क्या मांगें की हैं; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कॅयर उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले मजदूर संघों द्वारा दिनांक 14 अक्तूबर, 1980 को प्रस्तुत किये गए ज्ञापन में दी गई मांगों के बारे में स्थिति नीचे बताई गई है :—

(1) कॅयर तथा कॅयर से बने सामान के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण

केन्द्रीय सरकार द्वारा कॅयर बोर्ड तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से मामले की सावधानी से जांच की जा रही है ।

(2) कॅयर उद्योग का पुनर्गठन करने की योजना के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त निधि का आबंटन करना तथा कारखाना क्षेत्र के लिए अलग से एक योजना चलाना।

केरल सरकार द्वारा भेजी गई 61.62 करोड़ रुपये के परिव्यय की एक कॅयर विकास योजना पर सरकारी स्तर की बैठकों में विचार किया गया है। पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि योजना के विभिन्न पहलुओं पर योजना के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए चर्चा के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा पुनर्विचार किया जायेगा । राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव की प्रतीक्षा है ।

(3) उन निर्यातकों के निर्यात लाइसेंस रद्द करना जो अपने अधीन कामगारों को सीधे नियोजित नहीं करते

इस समय निर्यात लाइसेंस देने की कोई प्रणाली लागू नहीं है । अतः रद्द करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) देशी तथा विदेशी बाजारों का विस्तार करने के लिए तुरन्त कदम उठाना

सरकार ने देशी तथा विदेशी बाजारों में कॅयर उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए उपयुक्त कदम उठाये हैं।

(5) प्रोत्साहन योजना पुनः लागू करना तथा कॅयर वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उत्पादकों को सीधे प्रोत्साहन देना

कॅयर उद्योग के लिए छठी योजना के प्रस्ताव तैयार करते समय इस मामले को ध्यान में रखा गया है तथा कॅयर बोर्ड द्वारा इस पर आगे कार्रवाई की जायेगी ।

(6) उद्योग में यंत्रीकरण पर प्रतिबंध लगाना

इस सम्बन्ध में विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । सभी पहलुओं पर विचार कर लेने के पश्चात सरकार अन्तिम निर्णय लेगी ।

(7) उद्योग में सहकारिता क्षेत्र तथा मजदूरी संघों को प्राथमिकता देते हुए कॅयर बोर्ड का पुनर्गठन करना

कॅयर उद्योग अधिनियम के उपबंधों तथा उनके अधीन बनाये गए नियमों के अनुसार कॅयर बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है जिसमें सभी संबंधित हितों को प्रतिनिधित्व देने सम्बन्धी उपबंध की व्यवस्था की गई है ।

(8) आवश्यक वस्तु अधिनियम में आवश्यक संशोधन करना और नारियल के छिलके को प्रभावी ढंग से इकट्ठा करने तथा वितरित करने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त शक्तियाँ देना

राज्य सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी ढंग से नारियल के छिलके इकट्ठा करने तथा वितरित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त शक्तियों का प्रत्यायोजन करने में केन्द्र सरकार को सिद्धात रूप में कोई भी आपत्ति नहीं है ।

आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल में मुसलमानों की भर्ती

*39. **श्री जी० एम० बनातवाला**

प्रो० पी० जे० कुरियन क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल प्राधिकारियों ने, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में हाल में एक अधिसूचना जारी की है जिसमें भर्ती की संख्या में मुसलमानों के लिए एक निश्चित संख्या निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मुसलमानों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को निश्चित संख्या को रद्द करने के अनुदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) से (घ) 155 रिक्तयां भरने के लिए एक विज्ञापन हैदराबाद मूल से हैदराबाद ग्रुप कमांडेंट द्वारा प्रकाशन के लिए भेजा गया था। 7 अक्तूबर, 1980 के समाचार पत्र में छपे विज्ञापन में निम्नलिखित विवरण था :—

कुल संख्या	155
अनुसूचित जातियां	26
अनुसूचित जनजातियां	11
मुसलमान	46
भूतपूर्व सैनिक	15
सामान्य	57

इस विज्ञापन के लिए भर्ती की जा चुकी है। संविधान में जो व्यवस्था है उसको छोड़कर केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल में भर्ती के लिये कोई आरक्षण नहीं है। बल में किसी नियुक्ति के बारे में धर्म, वंश, जाति, जन्म-स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। उन परिस्थितयों का पता लगाया जा रहा है जिसमें उक्त विज्ञापन जारी हुआ और उक्त विज्ञापन के जारी होने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

त्रिपक्षी कृतिक बल

*40. **श्री चित्त महाटा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रमुख उद्योगों जैसे कोयला, बिजली तथा परिवहन के कार्य-करण की जांच के लिए एक त्रिपक्षी कृतिक बल की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलरी सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार ने आरम्भ में (1) बिजली, तथा (2) पत्तनों और गोदियों के लिए दो त्रिपक्षीय टास्कफोर्स बनाने का निर्णय किया है जो केवल उत्पादन, उत्पादिता और शाप फ्लोर प्रेक्टिस से सम्बन्धित पहलुओं के बारे में कार्य करेगी। पत्तनों और गोदियों के लिए त्रिपक्षीय टास्क फोर्स का पहले ही गठन किया जा चुका है। इसका गठन अनुलग्नक में दिया गया है। बिजली के लिए टास्क फोर्स का गठन करने के संबंध में कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

विवरण

पत्तनों और गोदियों से लिए त्रिपक्षीय टास्कफोर्स का गठन

1.	सचिव, जहाजरानी और परिवहन मन्त्रालय	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव (श्रम), जहाजरानी और परिवहन मन्त्रालय	सैक्रेटरी
3.	विकास सलाहकार (पत्तन), जहाजरानी और परिवपन मन्त्रालय	सदस्य

4.	सलाहकार (पत्तन संक्रिया), भारतीय पत्तन ऐसोसिएशन	सदस्य
5.	सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	भारतीय खाद्य निगम, इंडियन इंडियन नेशनल शिपओवर्स एसोसिएशन, सिलरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०, और तेल आयोग का एक-एक प्रतिनिधि	सदस्य
7.	पोतवाणिकों के दो प्रतिनिधि	सदस्य
8.	पत्तन और गोदी श्रमिकों के पांच महासंघों अर्थात् (1) आलइंडिया पोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स फेडरेशन, (2) इंडियन नेशनल, पोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स फेडरेशन, (3) पोर्ट डाक एण्ड वाटरफ्रंट वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया, (4) वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया और (5) आल इंडिया पोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स फेडरेशन (वर्कर्स) का एक-एक प्रतिनिधि।	सदस्य

माल डिब्बों की कमी के कारण प्याज के व्यापारियों को कठिनाई

*42. **श्री हीरालाल आर० परमार :**

श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल डिब्बों की कमी तथा खरीदे गये माल का लदान न किये जाने के कारण प्याज उत्पादकों तथा व्यापारियों को भारी हानि और कठिनाई हो रही थी, और

(ख) रेलवे तथा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फैडरेशन (एन० ए० एफ० ई० डी०) द्वारा भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) जी नहीं। नवम्बर, 1980 से जनवरी, 1981 तक की अवधि में बड़ी लाइन के कुल 2,561 और मीटर लाइन के 455 माल डिब्बों में प्याज का लदान किया गया जबकि नवम्बर, 1979 से जनवरी, 1980 तक की अवधि में बड़ी लाइन के 380 और मीटर लाइन के 64 माल डिब्बों का लदान किया गया था।

(ख) प्याज की बड़ी हुई मांग को संतोषपूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए रेलों ने अपने संसाधनों को तेज कर दिया है जब भी नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन अथवा महाराष्ट्र राज्य कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन जैसी अन्य सहकारी सोसायटियों द्वारा, जो समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों की ओर से प्याज की खरीद कर रहे हैं, एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रायोजित किये जाने पर, रेलों द्वारा इस यातायात के संचलन को उच्चतर प्राथमिकता (श्रेणी 'ग') दी गयी।

नया ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून

*48. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जातीय पक्षपातपूर्ण नये ब्रिटिश राष्ट्रीयता विधेयक का अध्ययन किया है जिससे भारतीय आप्रवासियों को द्वितीय श्रेणी के नागरिकों का दर्जा मिलेगा;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ब्रिटेन का दौरा करने के इच्छुक भारतीयों के प्रवेश से इन्कार करने के मामलों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या पर ब्रिटिश सरकार को भारत की चिन्ता व्यक्त कर दी गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शिवशंकर) : (क) सरकार ने नये ब्रिटिश राष्ट्रियता बिल का अध्ययन कर लिया है ।

(ख) हमारा यह मत रहा है कि ब्रिटिश आप्रवासन और राष्ट्रिकता कानून तय करना और बनाना ब्रिटिश सरकार और वहां की संसद का काम है । लेकिन इसके साथ ही भारत सरकार ने ऐसे सभी सम्भव प्रयास किए हैं और भविष्य में भी ऐसे प्रयास करती रहेगी, जिससे कि ब्रिटेन में भारत मूल के लोग सम्मान और इज्जत से वहां रह सकें । राष्ट्रिकता बिल के कुछ प्रावधान जातीय भेद भावपूर्ण प्रतीत होते हैं । ब्रिटिश प्राधिकारियों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया गया है । हमें अब रिपोर्ट मिली है कि ब्रिटिश सरकार उसमें संशोधन लाने का प्रस्ताव कर रही है जिससे कि इसकी ये बातें कम हो जाएं । हम इन सन्शोधनों के पाठ की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

(ग) और (घ) जी हाँ । ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि वे इस मामले की जाँच करेंगे और आप्रवासन अधिकारियों को यह हिदायत देंगे कि वे कोई सख्त रवैया न अपनाये ।

रुपसा-बांग्रीपोसी लाइन

*52. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रुपसा-बांग्रीपोसी छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने के लिये उड़ीसा सरकार ने दिसम्बर, 1977 में भूतपूर्व रेल मन्त्री को एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मन्त्रालय उक्त रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को इसी वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वित करेगा;

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव पर कब विचार किया जाएगा; और

(घ) इस मामले में विवरण क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) जी हां । अनुवर्ती कार्रवाई

के रूप में रुपसा-जंगरीपोसी छोटी लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने और इसे चाकुलिया/गुरु महसानी तक अथवा टाटानगर-खड़कपुर मुख्य लाइन के किसी अन्य उपयुक्त स्टेशन तक बढ़ाने के लिए एक टोह इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण करने के लिए जुलाई, 1978 में आदेश दिए गए थे। सर्वेक्षण सम्बन्धी क्षेत्र कार्य पूरा किया जा चुका है। दक्षिण-पूर्व रेलवे प्रशासन द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसके शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने और इसका मूल्यांकन किये जाने के बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना

*53. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने हाल ही में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग स्थापित करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से गठित किये गये अध्ययन दल ने यह सुझाव दिया है कि संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना करना अभीष्ट होगा।

(ख) सरकार अब राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

भारत-भूटान संबंध

*55. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और भूटान ने अभी हाल ही में अपने द्विपक्षी आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग में विविधता लाने के लिए कुछ विशिष्ट प्रस्तावों पर चर्चा की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या निकले ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शिव शंकर) : (क) और (ख) भूटान-नरेश की 9 से 11 जनवरी 1981 तक की हाल की भारत यात्रा के दौरान सामान्य रूप से भूटान की आगामी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में भारत-भूटान तकनीकी और आर्थिक सहयोग के बारे में बातचीत हुई थी। इस बातचीत के दौरान मानस्संकोश नदियों से सम्बद्ध प्रस्तावित संयुक्त अनुसंधान, भूटान के लिए सिविल एयरलाइन और प्रसारण केन्द्र के बारे में भी विचार-विनिमय हुआ। इन विषयों के संबंध में भूटान की सरकार के साथ आगे और बातचीत की जाएगी।

नन्दयाल-गुन्तकल सैक्शन का विलय

*56. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण-मध्य रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन के नन्दयाल-गुन्तकल सैक्शन के गुन्तकल डिवीजन के साथ विलय के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) परिचालनिक कुशलता और रेल उपयोगतर्ताओं के लिए अधिक संतोषजनक सेवा के हित में गुन्तकल्लु-नडियाद खंड को विजयवाड़ा मण्डल से गुन्तकल्लु मण्डल में अंतरित करने की व्यवस्था की गई है ।

गिरिडीह-रांची रोड रेल लाइन

*57. **श्रीरीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोडर्मा और हजारीबाग सिटी से होकर जाने वाली गिरिडीह और रांची रोड के बीच 194 किलोमीटर लम्बी बड़ी रेल लाइन बनाने का काम कब आरम्भ किए जाने की सम्भावना है;

(ख) इस लाइन के प्राक्कलनों और योजनाओं में कितने नये रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं और योजना की रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस लाइन पर काम आरम्भ करने के लिए 55.26 करोड़ रुपये के प्राक्कलित व्यय में से योजना आयोग ने कितने आरम्भिक परिव्यय की स्वीकृति दी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पूर्व रेलवे द्वारा बड़े आमान की इस सम्पर्क लाइन के लिए एक टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था। रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है । ऊपरी तौर पर यह मालूम पड़ता है कि यह परियोजना अर्थक्षम नहीं होगी । अतः इस पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए रांची से रांची रोड--हजारीबाग टाउन, हजारीबाग रोड–गिरिडीह तक एक वैकल्पिक बड़े आमान की सम्पर्क लाइन का काम 1981-82 के बजट में शामिल करने के प्रश्न पर विचार किया जारहा है ।

पासपोर्ट पद्धति का सरलीकरण

*58. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** :

श्री पी० के० कोडियन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान पासपोर्ट प्रणाली से ठगों को सहायता मिल रही है और इससे पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार फैला है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्तमान पासपोर्ट प्रणाली की समीक्षा करने का है जिससे कि इस प्रणाली को सरल बनाया जा सके;

(ग) यदि नहीं, तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार को क्या अन्य उपाय करने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शिवशंकर) : (क) जी नहीं। यदि आवेदन पत्र ठीक प्रकार से भरा हो और सभी दृष्टि से पूर्ण हो तो अधिकतर पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा आमतौर से चार सप्ताह में पासपोर्ट जारी कर दिए जाते हैं। आपातकालीन मामलों में सीमित अवधि के पासपोर्ट तत्काल जारी कर दिए जाते हैं। नवीकरण, व्यवसाय में परिवर्तन, माता-पिता के पासपोर्टों में बच्चों के नाम की प्रविष्टि आदि अन्य सभी सेवायें सामान्यतः एक सप्ताह से कम समय में उपलब्ध करा दी जाती हैं। इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि किसी प्रकार की सेवा के लिए कोई व्यक्ति किसी को अवैध रूप से कुछ दे, ऐसा सोचना सही नहीं होगा कि वर्तमान प्रक्रिया से पासपोर्ट कार्यालयों के अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार फैला है।

(ख) और (ग) विभिन्न आवश्यकताओं को देखते हुए वर्तमान प्रक्रिया काफी आसान है। तथापि सुधार के लिए इनकी निरन्तर समीक्षा की जाती है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सरकार सतर्कता बनाए रखती है।

दिल्ली परिवहन निगम के किराये में वृद्धि का प्रस्ताव

*59. **श्री एच० एन० गौडा** :

श्री पीयूष तिरकी : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम का विचार राजधानी में किराये में अत्यधिक वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या किराया बढ़ाते समय यात्रियों की कठिनाइयों को भी ध्यान में रखा जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार ने किराये ढांचे में वृद्धि करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम से एक प्रस्ताव प्राप्त किया है। यह मामला विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जब भी ऐसे प्रस्ताव पर बातचीत होती है तो यात्रियों के हितों को हमेशा ध्यान में रखा जाता है।

सौर ऊर्जा विकास कार्यक्रम की प्रगति के लिए मांगी गई विदेशी सहायता

121. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सौर ऊर्जा विकास कार्यक्रम की प्रगति के लिए विभिन्न देशों से क्या सहायता मांगी गयी है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं इलक्ट्रानिकी विभागों के राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह): इस रूप में भारत में सौर ऊर्जा विकास के सम्वर्द्धन के लिए विदेशों से कोई सहायता नहीं

ली गई है। बहरहाल, इस क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग के कार्यक्रमों को भारतीय संस्थानों और आस्ट्रेलिया, संघीय जर्मन गणराज्य, फ्रांस, स्विटजरलैंड, संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ में स्थित संस्थानों के बीच सहयोग के आधार पर अवश्य ही कार्यान्वित किया जा रहा है। विदेशों के साथ किये गये बहुत से द्विपक्षी विज्ञान और प्रौद्योगिकी करारों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इस सहयोग के अन्तर्गत अनुभवों, कार्मिकों और/या उपकरणों का विनिमय किया जा सकता है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निर्वनीकरण का अध्ययन करने की समिति

202. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ क्षेत्र में निर्वनीकरण तथा इस क्षेत्र की परिस्थिति पर इसके प्रभाव का व्यापक अध्ययन करने के लिए वर्ष 1980 के आरम्भ में एक समिति का गठन करने के बारे में विचार किया गया था, लेकिन इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ख) क्या सरकार ने एक और आदेश से उक्त समिति के गठन को बदल दिया है अथवा यह महसूस किया है कि इस प्रकार की समिति की कोई आवश्यकता नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं इलक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) 10-4-1980 को गृह मन्त्रालय द्वारा आयोजित की गयी बैठक में यह तय किया गया था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (अब पर्यावरण विभाग) विशेषज्ञों के एक दल का गठन करेगा जो कि आई० यू० सी० एन० परामर्शदाता डा० डी० एन० मकवीन द्वारा 1976 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊष्ण कटिबन्धीय वर्षा-वनों के परितंत्र के सविस्तार भूमि क्षमता सर्वेक्षण का कार्य करेगी। क्योंकि यह कार्य अत्यधिक तकनीकी ओर जटिल था इसलिए यह तय पाया था कि अध्ययन दल की रिपोर्ट को एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाए। तदनुसार मई, 1980 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक कार्य बल का गठन किया गया था, लेकिन इससे पहले कि यह दल इस कार्य को हाथ में ले पाता, इस मामले की पर्यावरण विभाग द्वारा समीक्षा की गई, जिनके विचारानुसार, देश में ऊष्ण कटिबन्धीय वर्षा वन पारितंत्रों की पारिस्थितिकी पर क्योंकि विशेषज्ञता प्राप्त लोगों की कमी है, इसलिए यह सर्वेक्षण कार्य कार्यबल की क्षमताओं से परे की बात है। क्योंकि आई० यू० सी० एन० के पारिस्थितिकी आयोग ने ऊष्ण कटिबन्धीय वर्षावनों पर विशेषज्ञों का एक रजिस्टर रखा हुआ है, इसलिए यह फैसला किया गया था कि इसके बारे में उन्हें लिखा जाए ताकि उनसे परामर्शदाताओं के एक विषयशास्त्रीय दल की सेवाएं प्राप्त की जा सकें ताकि हमारे समकक्षी अधिकारियों के साथ इस सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया जा सके। इस मामले के बारे में आई० यू० सी० एन० के साथ अत्यावश्यकता के आधार पर पत्र व्यवहार चल रहा है।

राजस्थान परमाणु बिजली संयंत्र में बिजली का उत्पादन

203. **आर्य भगवान देव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1980 में परमाणु बिजली संयंत्रों में बिजली का कितना उत्पादन हुआ और इस सम्बन्ध में चालू वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे ?

विज्ञान तथा प्रौदयोगिकी और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : सन् 1980 में राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट में 10480 लाख यूनिट तथा दूसरे यूनिट में 359 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ था । चालू वर्ष के लिए दोनों यूनिटों का निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित है :—

यूनिट 1	11830 लाख यूनिट
यूनिट 2	5000 लाख यूनिट

दिल्ली प्रशासन की सलाहकार समितियां

204. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन की उन सलाहकार समितियों की कुल संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं जिनमें गैर-सरकारी सदस्य मनोनीत किये जाते हैं;

(ख) ऐसी कितनी समितियाँ कार्य कर रही हैं;

(ग) ऐसी कार्यरत समितियों के पदाधिकारियों और सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) शेष समितियां कब तक गठित की जायेंगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

जवानों के लिए प्रोत्साहन

205. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के जवानों के लिए हाल ही में कुछ प्रोत्साहनों की घोषणा की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन इस प्रकार हैं :—

(1) थलसेना और अन्य दोनों सेनाओं में जूनियर कमीशन अफसरों/अन्य रैंकों के दर्जे बहुत बड़ी संख्या में बढ़ाये गये हैं । यह संख्या थलसेना में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत, नौ सेना में 71 प्रतिशत से 95 प्रतिशत और वायु सेना में 21 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक अलग-अलग हैं । तीनों सेनाओं में प्रतिशत में यह भिन्नता तीनों सेनाओं की आवश्यकताओं, पद संरचनाओं आदि के कारण हैं ।

(2) आनरेरी रैंक मन्जूर करने में भी काफी वृद्धि की गई है। थलसेना में आनरेरी हवलदार और आनरेरी नायक के दो नए आनरेरी रैंक पहली बार शुरू किए गए हैं।

(3) थलसेना में जवानों की सेवा की अवधि में दो वर्ष की वृद्धि की गई है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पेंशन सम्बन्धी लाभों में वृद्धि होगी।

(4) क्वार्टर के बदले मुआवजे में वृद्धि कर दी गई है। 25 वर्ष और उससे ऊपर आयु वाले उन सभी विवाहित कार्मिकों को क्वार्टर के बदले मुआवजा दिया जाता है; जिन्हें सरकारी आवास अथवा किराए का आवास नहीं दिया गया है।

(5) अन्य रैंकों के मामले में सेवानिवृत्ति के लिए छुट्टी के बदले नकद धन की वर्तमान 90 दिन के पात्रता को बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है।

(2) थलसेना मुख्यालय ने सेना कार्मिकों के लिए एक विशेष आवास योजना भी शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत उन्हें महत्वपूर्ण नगरों और छावनियों में बने बनाये मकान दिए जाऐंगे।

तटीय सुरक्षा बल

206. **श्री एन० डेनिस** : (क) क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तटीय सुरक्षा बल को आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र वार इस बल में नियोजित व्यक्यिों तथा रैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य क्षेत्रों के समुद्र तटों पर भी यह योजना लागू होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) से (घ) तट रक्षक संगठन का गठन अगस्त, 1978 में अपनी तटवर्ती और समुद्री सीमाओं में अन्य राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था। यह भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में लागू विभिन्न अधिनियमों को लागू करने वाली एक प्रमुख एजेंसी है। तट रक्षक संगठन के कार्यों के चार्टर में तटों की वास्तविक-सुरक्षा सम्मिलित नहीं है। यह उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य की पुलिस का हैं जो तटरक्षक संगठन के साथ प्रादेशिक जल सीमाओं के अधिकार क्षेत्र में काम करती है।

2. तट रक्षक संगठन एक महानिदेशक की सम्पूर्ण कमान और नियंत्रण में काम करता है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। भारत के पूरे तटवर्ती क्षेत्र को उससे लगने वाले समुद्रवर्ती क्षेत्र को तीन क्षेत्रों अर्थात् पश्चिम पूर्व और अंडमान तथा निकोबार में बांटा गया है। इनके क्षेत्रीय मुख्यालय क्रमशः बम्बई, मद्रास और पोर्ट ब्लेयर में हैं।

3. तटरक्षक संगठन में इस समय 100 अफसर और 800 अन्य वर्दीधारी और सिविलियन कार्मिक हैं।

अल्पसंख्यकों सम्बन्धी उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा भेजा गया अन्तरिम प्रतिवेदन

207. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० गोपाल सिंह की अध्यक्षता वाली अल्पसंख्यकों सम्बन्धी उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सरकार को कोई अन्तरिम प्रतिवेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सरकार को हाल ही में डा० गोपाल सिंह की अध्यक्षता वाले अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों सम्बन्धी उच्चाधिकार प्राप्त पैनल का एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । इस प्रतिवेदन का अभी अध्ययन और उस पर विचार करना है । प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में अभी बताना संभव नहीं है ।

मयूरभंज उड़ीसा में छोटे उद्योगों की स्थापना

208. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में केन्द्रीय सहायता के साथ उड़ीसा में छोटे पैमाने के कितने एकक स्थापित किये गये;

(ख) उपरोक्त अवधि में उड़ीसा के मयूरभंज जिले में ऐसे कितने छोटे एकक चलाये गये हैं;

(ग) क्या इनमें से किसी में वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हो गया है या इस वित्त वर्ष के अन्त तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) जैसा कि उड़ीसा सरकार द्वारा सूचित किया गया है जिला उद्योग केन्द्रों की केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना के अन्तर्गत अप्रैल, 80 से सितम्बर, 80 तक उड़ीसा के 13 जिलों को शामिल करके 13 जिला उद्योग केन्द्रों में 10,022 औद्योगिक एककों (जिनमें से 9,357 एकक कारीगरों पर आधारित और 665 लघु एकक हैं) की स्थापना की गई है ।

(ख) अप्रैल, 80 से सितम्बर, 80 के दौरान जिला उद्योग केन्द्रों के तत्वावधान में उड़ीसा के मयूरभज जिले में 945 एककों (जिनमें से 904 कारीगरों पर आधारित और 41 लघु एकक हैं) की स्थापना कर दी जाने की सूचना मिली है ।

(ग) स्थापित किए गए एककों में वे एकक भी सम्मिलित हैं जिनमें उत्पादन आरम्भ हो गया है ।

(घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए राज्य के 13 जिलों में इस अवधि के दौरान उन एककों को वित्तीय संस्थानो से

4.42 करोड़ रुपए की राशि ऋण सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई है। 62 एककों को 2.78 लाख रुपए की प्रारम्भिक धनराशि (सीड मनी) प्रदान की गई है तथा 2,959 एककों को 41.63 लाख रुपए की नकद राज सहायता प्रदान की गई है। इन एककों ने 20,043 अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं।

असम आन्दोलन में जान माल की हानि

209. **श्री सन्तोष मोहन देव :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में अब तक हो रहे लगातार आन्दोलन के कारण जान माल की कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ख) प्रभावग्रस्त परिवारों को मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री यशवन्त सकवाला) : (क) असम में लम्बे समय से चले आ रहे आन्दोलन ने हिंसा, सन्देह और अविश्वास का वातावरण पैदा कर दिया है और साम्प्रदायिक सौहार्द को भंग कर दिया है। बताया गया है कि इसके परिणामस्वरूप पुलिस गोली में मारे गए 46 व्यक्तियों सहित 266 व्यक्ति मारे गए हैं, इसके अतिरिक्त सम्पत्ति का बहुत अधिक विनाश हुआ है।

(ख) असम सरकार द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार राहत और पुनर्वास सहायता उपलब्ध करायी गई है।

थल सेना, नौ सेना और वायु सेना मुख्यालयों से सम्बद्ध केन्द्रीय प्रोविजन सैल

210. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध, वायु और नौ सेना स्टोर्स उपकरणों की व्यवस्था करने के लिये थल सेना, और नौ सेना और वायु सेना मुख्यालयों से सम्बद्ध केन्द्रीय प्रोविजन सैल कितने हैं;

(ख) ये केन्द्रीय प्रोविजन सैल नई दिल्ली में कब अन्तरित किये गये और क्या इन 'सैलों' में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों की सेवा-शर्तें उनके समान हैं जो सशस्त्र सेना मुख्यालयों में उन्हीं जैसे पदों पर काम करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो कब से, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) थल सेना और नौ सेना में से प्रत्येक से एक एक केन्द्रीय प्रोविजन सैल सम्बद्ध है।

(ख) थल सेना मुख्यालय से सम्बद्ध केन्द्रीय प्रोविजन सैल ने नई दिल्ली में 15/11/1958 को अपनी स्थापना के समय से काम करना शुरू कर दिया था और नौ सेना से सम्बद्ध सैल का 1858 में बम्बई से नई दिल्ली स्थानान्तरित कर दिया गया। नौ सेना मुख्यालय से सम्बद्ध सैल में काम करने वाले लिपिक वर्गीय स्टाफ को छोड़कर शेष सभी सिविलियन कर्मचारियों की सेवा शर्तें सशस्त्र सेना मुख्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के अनुरूप नहीं हैं।

(ग) केन्द्रीय प्रोविजन सैलों में कार्यरत कर्मचारी वास्तव में थल सेना और नौ सेना की निम्न विरचनाओं में कार्यरत कर्मचारी हैं इसलिए उनकी सेवा शर्तें सशस्त्र सेवा मुख्यालय के सिविलियन कर्मचारियों से अलग हैं।

राज्यों में विचाराधीन कैदी

211. **श्री आर० के० महालगी :**

श्री बी० डी० सिंह :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जनवरी, 1981 के इंडियन एक्सप्रैस, नई दिल्ली में "द अगोणो आफ अन्डर ट्रायल्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित सम्पादकीय की ओर दिलाया गया है;

(ख) प्रत्येक राज्य में उन विचाराधीन कैदियों की संख्या कितनी है जो विचार किये जाने की प्रतीक्षा में अपने जीवन के मूल्यवान वर्ष जेलों में बिता रहे हैं; और

(ग) वह छः महीने की अवधियां (छः महीने, बारह महीने, अठारह महीने आदि) क्या हैं जिनके लिए उन्हें विचारार्थ प्रतीक्षा हेतु जेलों में रखा जाता है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक संरचना के प्रबन्ध कार्य में यूनियन के नेताओं द्वारा भाग लिया जाना

212. **श्री रामचन्द्र रथ :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमिक यूनियन के नेता औद्योगिक संरचना के प्रबन्ध कार्य में भाग ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा की ऐसी कौन-कौन सी औद्योगिक इकाइयां हैं जिन्होंने श्रमिकों को प्रबन्ध कार्य में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां। श्रमिक प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता सम्बन्धी किसी न किसी प्रकार की योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक यूनिटों में भाग ले रहे हैं।

(ख) और (ग) अगस्त, 1980 में उड़ीसा सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, ग्यारह औद्योगिक यूनिटों के श्रमिक किसी न किसी रूप में प्रबन्ध तन्त्र में श्रमिकों की सहभागिता सम्बन्धी योजनाओं में भाग ले रहे हैं। तथापि, उड़ीसा सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति बताए, जिसे प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

मारुति लिमिटेड में अंशधारियों को अंश राशि का भुगतान

213. श्री सतीश अग्रवाल:

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को अंश राशि का भुगतान करने का निर्णय किया है जिन्होंने राष्ट्रीयकरण से पूर्व मारुति प्राईवेट लिमिटेड में अंशों (शेयरों) के लिए आवेदन पत्र भेजे थे; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम और पते क्या हैं और उनको कितनी राशि दी जायेगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा हस्तान्तरण) अधिनियम 1980 में उन आवेदनों के लिए शेयर पूंजी के मुआवजे का प्रावधान किया गया है जिनको शेयर आवंटित नहीं किये गए थे। अधिनियम की धाराओं तथा उसके साथ लगे हुए शेडयुल के अनुसार कम्पनी को देवताओं की अदायगियों को प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अदायगी की सही मात्रा का निर्णय भुगतान आयुक्त करेगा।

गाजीपुर जिला (उत्तर प्रदेश) का विकास

214. श्री जैनुल बशर : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अत्यधिक पिछड़े जिले गाजीपुर के विकास के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य द्वारा भेजे गये सुझावों की जांच कर ली गयी है;

(ख) क्या गाजीपुर के विकास के लिए कोई अध्ययन किया जा रहा है; और

(ग) छठी योजना में गाजीपुर के विकास के लिए क्या प्रावधान किये जा रहे हैं ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विशिष्ट जिलों की विकास सम्बन्धी समस्यायों के अध्ययन और उप-राज्य स्तर पर आवंटनों के विषय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। योजना आयोग पूरे राज्य के लिए पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत परिव्यय अनुमोदित करता है। जिलों को उसका और अलग-अलग निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

रोजगार-केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार लाना

215. श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोजगार केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए श्री पी० के० मैथ्यु की अध्यक्षता में कोई समिति नियुक्ति की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन भेज दिया था; और

(ग) यदि हां, तों समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) मैथ्यु समिति की मुख्य सिफारिशों का सरांश दर्शाने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी 1841/81]

नया पुलिस अधिनियम

216. **श्रीमती मोहसिना किदवई :**

श्री बी० वी० देसाई : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये पुलिस अधिनियम का मसौदा सरकार के पास तैयार है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर में पाकिस्तानी हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पकड़ा जाना

217. **श्री निहाल सिंह** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहारनपुर में एक ऐसे गिरोह का पता लगा है जो पाकिस्तान से भारत में हथियारों की तस्करी करता है;

यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) वे किन स्थानों के हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा उसके सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यरत सी० एस० एस० ग्रेड एक के अधिकारियों का "रोटेशन"

218. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **गृह मन्त्री** सी० एस० एस० ग्रेड एक के अधिकारियों के "रोटेशन" के बारे में 3 दिसम्बर, 1980 के अतिरिक्त प्रश्न संख्या 2209 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्बद्ध विवरण में उल्लिखित कुछ अधिकारी 28 वर्ष की आयु के भी नहीं थे जो कि केन्द्रीय सरकारी सेवा में आने के लिए निम्नतम आयु है;

(ख) यदि हां, तो आरम्भ में वे सेवा में किस हैसियत से आये;

(ग) क्या सरकार ने गत 25 वर्षों से अधिक समय से वहां कार्यरत ऐसे अधिकारियों को "रोटेट" करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं; तो इस मामले का निर्णय करने में और कितना समय लगेगा ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया): (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के दो अधिकारी अर्थात् स्वास्थ्य मन्त्रालय के सर्वश्री एस० एल० कठियाला तथा शिव दयाल 18 वर्ष की आयु होने से पहले सरकारी सेवा में आये थे। श्री शिव दयाल ने यद्यपि 20-10-1947 को प्रारम्भ में सेवा में प्रवेश किया था किन्तु बाद में सेवा से उनकी छंटनी हो गयी थी। सरकार के अधीन उनकी लगातार सेवा केवल 20 जुलाई 1951 से ही शुरू हुई जबकि उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक थी।

श्री कठियाला ने राजनीतिक विभाग के अधीन लिपिक तृतीय श्रेणी के पद पर सेवा में प्रवेश किया था तथा श्री शिव दयाल ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में अस्थायी लिपिक तृतीय के रूप में कार्य-ग्रहण किया ।

(ग) तथा (घ) उक्त मामले पर सक्रीय रूप से विचार किया जा रहा है तथा उस पर यथाशीघ्र निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

खण्ड तथा जिला स्तर पर योजना

219. श्री नारायण चन्द्र पाराशर : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खण्ड स्तर तथा जिला स्तर पर योजना के विचार को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस विचार को व्यवहार रूप देने के लिए खण्ड तथा जिला स्तर पर की गयी व्यवस्था की मोटी रूप रेखा क्या है; और

(ग) *यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?*

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग द्वारा जारी किए गए खंड स्तर आयोजना के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में खंड स्तर योजनायें तैयार करने के लिए जिला स्तर पर विद्यमान योजना तन्त्र को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। यह सुझाव दिया गया है कि तीन सदस्यों का एक योजना दल नियुक्त किया जाए जिसमें एक अर्थशास्त्री/सांख्यिकी विद, एक ऋण योजना अधिकारी और एक लघु और कुटीर उद्योग अधिकारी हो तथा उसकी वित्त व्यवस्था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बजट से की जाए।

जहां तक जिला आयोजना का सम्बन्ध है, अधिकतर राज्यों ने जिला योजना बोर्ड/समितियां गठित की हैं और उनमें जिलाधीश के अधीन जिला योजना एकक भी हैं जिनमें एक योजना अधिकारी और उसके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

उड़ीसा में व्यापारियों द्वारा आदिवासियों का शोषण

220. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के आदिवासियों का उनके फार्म और बनों के उत्पाद को खरीद के सम्बन्ध में व्यापारियों तथा उसके बिचौलियों द्वारा शोषण किया जा रहा है; और

यदि हां, तो आदिवासियों की सुरक्षा के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जनजाति क्षेत्रों में व्यापारियों और बिचौलियों द्वारा आदिवासियों का शोषण एक आम समस्या है। सरकार इससे अवगत है और उनकी रक्षा के लिए उपाय किए गए हैं। सहकारिता ढांचे को मजबूत बनाना एक महत्वपूर्ण उपाय है। व्यापारियों और बिचौलियों के शोषण से आदिवासी लोगों को बचाने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में विस्तृत आकार की बहु-उद्देशीय सहकारिता समितियां (एल० ए० एम० पी० एस०) स्थापित की गयी है, जिनके त्रिपक्षीय कार्य है। (क) आदिवासियों से उनके खेतों और बन-उत्पादों को लाभकारी कीमतों पर खरीदना, (ख) उन्हें उनकी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को उचित कीमतों पर बेचना और (ग) उनके लिए उत्पादन और उपभोग ऋण का समय बढ़ाना।

लघु उद्योगों की संख्या और कच्चे माल का आवंटन

221. **श्री सुशील भट्टाचार्य**: क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार कितने-कितने लघु उद्योग थे;

(ख) इन उद्योगों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार अलग-अलग कच्चे माल का कितना-कितना कोटा आवंटित किया गया; और

(ग) उनको उपरोक्त अवधि के लिए राज्यवार और वर्षवार वास्तव में कितने कच्चे माल की सप्लाई की गई और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) राज्यों में उद्योग निदेशकों के पास पंजीकृत लघु उद्योग एककों की संख्या 1977, 1978 और 1979 अन्त के में क्रमश: 2.96 लाख 3.33 लाख, और 3.84 लाख थी। गैर पंजीकृत एककों के व्यापक और विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु यह अनुमान है कि 1979 के अन्त में लगभग 4.16 लाख एकक थे जिससे कि योग 8 लाख होता है। पंजीकृत एककों के राज्यवार आंकड़े संलग्न हैं (अनुबंध-1)

(ख) और (ग) : कोटा निर्धारित करने का प्रश्न तभी उठता है जबकि वितरण नियंत्रण किया जाता हो। आधारित कच्चे माल का केन्द्र द्वारा आवंटन स्टील, ई० सी० ग्रेड एल्युमीनियम,

पैराफीन वैक्स और भेड़ की चर्बी के ही प्रकरण में राज्यों एककों को लिया जाता है । राज्यवार आबंटन और आपूर्ति अनुबंध-11 में की गई है ।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1842/81)

भारतीय साँख्यिकी सेवा के ग्रेड-चार के तदर्थ नियुक्ति वाले कर्मचारियों की नियुक्ति की अवधि का बढ़ाया जाना

222. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड-चार के तदर्थ नियुक्ति वाले कर्मचारियों की नियुक्ति की अवधि को 31 दिसम्बर, 1980 से आगे नहीं बढ़ाया है जिसके परिणामस्रूप 1 जनवरी, 1981 के बाद से उनके वेतन का भुगतान रुक गया है;

(ख) क्या कुछ मंत्रालयों/विभागों ने, जहां ये व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, 1 जनवरी, 1981 से भुगतान बन्द कर दिये हैं जबकि कुछ अन्य विभागों ने बन्द नहीं किया है; और

(ग) इन कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान न किये जाने के कारण होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिये उनकी सेवा अवधि बढ़ाने के आदेश जारी करने में कितना समय लगेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) ऐसे पदों पर तदर्थ नियुक्तियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है जो एक वर्ष से अधिक समय से चल रहे हैं । ग्रेड-IV पदों पर तदर्थ नियुक्तियों को 31-12-1980 के बाद जारी रखने के लिए आयोग को पहले ही लिखा जा चुका है । आयोग के अनुमोदन की प्रतीक्षा है । इसी बीच ऐसे अनुदेश जारी किए गए हैं, जिनमें भाग लेने वाली इकाइयों से ऐसी नियुक्तियों को 31-12-1980 के बाद जारी रखने का अनुरोध किया गया है ।

इस कारण से वेतन तथा भत्तों के बंद किए जाने के संबंध में न तो किसी अधिकारी से और न किसी मंत्रालय/विभाग से कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ।

ब्रिटेनिया इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा सरकारी नियमों का उल्लंघन

223. **श्री मोहम्द इस्माइल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ब्रिटेनिया इन्डस्ट्रीज लिमिटेड अपने उत्पादों की अपनी लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन की बिक्री कर रहा है और इस प्रकार यह सरकारी नियमों का बार-बार उल्लंघन कर रहा है; और

(ख) लघु उद्योग के हितों की रक्षा के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना): (क) सरकार लाइसेंस प्राप्त क्षमता से सम्बन्धित कानून का किसी प्रकार संभावित उल्लंघन करके की गई बिक्री के बारे

में कोई भी आंकड़े नहीं रखती। किन्तु, इस कम्पनी को मार्च, 1981 में समाप्त हो रही तीन वर्ष की अवधि के भीतर बिस्कुटों का अपना कुल उत्पादन घटा कर लाइसेंस प्राप्त क्षमता तक ले आने को कहा है।

(ख) बिस्कुटों का उत्पादन पहले से ही पूर्णरूपेण लघु क्षेत्र में ही विकास के लिए आरक्षित कर दिया गया है।

18 फरवरी, 1981 को होने वाली सदन की बैठक के लिए परमाणु ऊर्जा के सम्बन्ध में इन्डोनेशिया के साथ करार

224. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा के संबंध में इन्डोनेशिया की सरकार के साथ एक करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे भारत को क्या लाभ होगा ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री पी. सी. एन. सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) मोटे तौर पर करार में निम्नलिखित व्यवस्था है :

(1) अवर्गीकृत आंकड़ों तथा प्रकाशनों का आदान-प्रदान;

(2) वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षा.वृत्तियाँ;

(3) वैज्ञानिकों को एक-दूसरे के यहां भेजना;

(4) सामग्री एवं उपस्करों को पट्टे पर देना अथवा उनकी बिक्री; और

(5) पारस्परिक सहयोग के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

भारत और इण्डोनेशिया के वर्तमान मैत्रीपूर्ण संबंध इस करार से और आगे बढ़ेंगे।

कर्नाटक में पिछड़े जिलों का विकास

225. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्नाटक में पिछड़े जिलों का विकास करने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिन्हें छटी योजना के दौरान द्रुत उद्योगीकरण के लिये एक विशेष योजना के अन्तर्गत शामिल किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या योजना आयोग द्वारा इन जिलों का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ये जिले कौन-कौन से हैं और केन्द्रीय राजसहायता की पद्धति क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) लोक सभा में जुलाई,

1980 को औद्योगिक नीति घोषित करते समय सरकार ने विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लघु तथा सहायक उद्योगों की स्थापना करने के लिए केन्द्रस्थ संयंत्रों (न्यूक्लीयस प्लान्टस) के रूप में कार्य करने हेतु सरकारी और निजी क्षेत्रों में बड़े और मझौले क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने संबंधी अपने उद्देश्य की घोषणा की थी। इस उद्देश्य के लिए सरकार उन विशेष परियोजनाओं की संभाव्यता का पता लगाने के लिए जो राज्यों के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्रस्थ संयंत्रों के रूप में कार्य कर सकते हों, कर्नाटक सहित अन्य राज्य सरकारों से पहले से ही संपर्क करती रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनिर्णीत रेल-विवादों का निपटान

226. **श्री ए० के० राय** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने अन्तर्देशीय परिवहन समिति के दसवें सत्र जेनेवा, 1979 में यह सूचित किया है कि भारतीय रेलवे द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 लागू होता है, जिसमें अनिर्णीत विवादों का निपटान समझौते द्वारा और जब यह सम्भव न हो तो मध्यस्थता और अधिनिर्णय द्वारा किये जाने की व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो रेल कर्मचारियों और उनकी पंजीकृत यूनियनों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अधीन विवादों के निपटान के इस अवसर से वंचित रखने के क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) रेलवे में, एक संयुक्त सलाहकार तन्त्र और तीन टायर स्थायी वार्ता तन्त्र काफी समय से कार्य कर रहा है, जहां श्रमिकों और रेलवे प्रशासन के बीच विवादों को आपसी विचार विमर्श आदि द्वारा निपटाया जाता है। तथापि, केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र रेलवे में विवाद में मध्यस्थता करता है, यदि इस सम्बन्ध में हड़ताल का नोटिस दिया गया हो। रेलवे श्रमिक औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33(ग) (1) के अधीन श्रम कार्यालयों में भी जाते हैं।

नौसेना गोदी में समयोपरि भत्ते और मंहगाई भत्ते में अन्तर का भुगतान

227. **श्री बापूसाहिब पल्लेकर** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौसेना गोदी बम्बई के यार्ड क्राफ्ट और फायर ब्रिगेड विभाग में काम कर रहे श्रमिकों को छोड़कर नौसेना गोदी की सभी श्रेणियों के दस हजार श्रमिकों को ग्रेडों का निर्धारण करने के बाद समयोपरि भत्ते और मंहगाई भत्ते के अन्तर का भुगतान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस भेदभाव को दूर करने के लिये कार्यवाही करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर रक्षा सिविलियनों के वेतनमान 1-1-1973 से संशोधित कर दिये गये थे। सभी रक्षा सिविलियन कर्मचारियों को 1-1-1973 से मंहगाई भत्ते का बकाया दे दिया गया है जिनमें केवल डाकयार्ड बम्बई के यार्ड क्राफर और फायर ब्रिगेड विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। जहां तक संशोधित वेतनमान के आधार पर समयोपरि भत्ता दिए जाने का सम्बन्ध है, यह केवल डाकयार्ड बम्बई के औद्योगिक कर्मचारियों को 1-1-1973 से दे दिया गया है परन्तु यार्ड क्राफर और फायर ब्रिगेड विभाग के गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को संशोधित वेतनमानों के आधार पर समयोपरि भत्ता 1-2-1974 से दिया गया।

(ख) और (ग) रक्षा सिविलियनों को समयोपरि भत्ता दिए जाने के मामले में यह मन्त्रालय सिविल मन्त्रालयों के बारे में जारी आदेशों का अनुसरण करता है। सिविल क्षेत्र में इसके सम्बन्ध में (1) औद्योगिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में और (2) गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में दो अलग-अलग आदेश क्रमशः 1.1.1973 और 1.2.1974 से जारी किए गए थे। रक्षा मन्त्रालय द्वारा भी इसी आधार पर आदेश जारी किए गए। नेवल डाकयार्ड बम्बई के यार्ड क्राफर और फायर ब्रिगेड विभाग के गैर-औद्योगिक कर्मचारियों पर 1.2.1974 से लागू होने वाले आदेश लागू होते हैं। इन आदेशों में छूट देने के लिए प्रयत्न किए गए थे ताकि गैर औद्योगिक कर्मचारियों को भी समयोपरि भत्ता 1.3.1973 से दिया जा सके परन्तु ऐसा करना सम्भव नहीं हो सका।

राष्ट्रीय कैडेट कोर का दोहरा वित्तीय नियंत्रण

228. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एन. पी. सी. के एक तो राज्य स्तर पर तथा दूसरा केन्द्र स्तर पर दोहरे वित्तीय नियन्त्रण से उत्पन्न समस्याओं की जानकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) क्या सरकार का दोहरे नियन्त्रण को कम करने अथवा श्रेयस्कर कार्यकरण के लिये समन्वय की प्रक्रिया विकसित करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल): (क) और (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर पर होने वाले व्यय का आधा भारत सरकार और आधा संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन वहन करते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर की यूनिटों और ग्रुप मुख्यालयों में कार्य करने वाले सिविलियन कर्मचारियों के वेतन और भत्तों, राष्ट्रीय कैडेट कोर के अंशकालिक अफसरों के मानदेय, प्रशिक्षण और सुख सुविधाओं जैसी मदों पर होने वाला व्यय और शिविर व्यय का 50 प्रतिशत व्यय राज्य सरकारों के स्रोतों से पूरा किया जाता है। इसलिए इन मदों के बारे में कोई संशोधन करते समय राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों की पूर्व सहमति लेना

आवश्यक हो जाता है। इस तरह से सहमति प्राप्त होने में विलम्ब से प्रशासनिक समस्याएं हो जाती हैं।

(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर के सुचारु रूप से कार्य चलाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच विभिन्न स्तरों पर आपसी परामर्श करने का प्रयत्न किया जाता है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा टी० वी० सेटों का निर्माण

229. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुश (भारत) लिमिटेड, मर्फी (भारत) लिमिटेड और पीको जैसी विशाल विदेशी कम्पनियां भारत में अपने ब्रांड नाम के टी० वी० सेट बनाने के लिए टी० वी० सेट निर्माण उद्योग के क्षेत्र में आने का प्रयास कर रही हैं;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान नीति प्रतिबन्धों को उनके हितों में ढील दी जायेगी; और

(ग) क्या यह सच है कि देश की टी० वी० सेटों की आवश्यकता की पूर्ति लघु उद्योगों और राज्य इलेक्ट्रोनिक निगमों द्वारा की जा सकती है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रानिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) मेसर्स बुश (इंडिया) लिमिटेड ने गैर लाइसेंसशुदा उद्योगों के लिए निर्धारित प्रावधान के अन्तर्गत तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरण करवा लिया है। मेसर्स मर्फी (इन्डिया) लिमिटेड को दूरदर्शन सेटों का निर्माण करने के लिए कोई अनुमोदन नहीं मिला है। मेसर्स पाइको को भी दूरदर्शन उद्योग के क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई अनुमोदन नहीं दिया गया है। किन्तु, भारतीय दूरदर्शन निर्माता संघ से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि मेसर्स पाइको दूरदर्शन सेटों के निर्माण के लिए एक राज्य स्तरीय निगम के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है और उक्त कम्पनी सुस्थापित निर्माताओं द्वारा निर्मित किए जाने वाले दूरदर्शन सेटों को बाजार में लाने का विचार भी कर रही है। इस मामले की जांच की जा रही है।

(ख) इस सम्बन्ध में विदेशी मुद्राविनियमन अधिनियम और एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत नीति सम्बन्धी वर्तमान प्रतिबन्धों में ढील देने का इस समय कोई विचार नहीं है।

(ग) देश में इस समय दूरदर्शन सेटों की जितनी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड राज्य स्तरीय इलेक्ट्रानिक निगमों, संयुक्त क्षेत्र में अन्य लाइसेंसशुदा निर्माण एककों तथा लघु उद्योगों द्वारा उचित रूप से की जा सकती है। बढ़ी हुई मांग की पूर्ति के लिए अतिरिक्त क्षमता के निर्माण के सम्बन्ध में कौन सी रीति-नीति अपनाई जाए, इसके सम्बन्ध में वार्षिक समीक्षा करते समय यथा समय निर्णय किया जाएगा।

रंगीन टेलीविजन के बारे में प्रयोग तथा उस पर व्यय

230. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) रंगीन टेलीविजन परियोजना पर प्रयोग करने में अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) वर्ष 1980-81 के लिये बजट में कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) अब तक किये गए प्रयोग पर सरकार का क्या मूल्यांकन है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रानिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी.पी.एन. सिंह) : (क) जर्मन जनवादी संघ की सरकार द्वारा अक्तूबर, 1975 में उपहार स्वरूप दिए गए उपस्कर की सहायता से रंगीन दूरदर्शन प्रसारण पर आकाशवाणी के अनुसंधान विभाग द्वारा उनके सामान्य कार्यकलापों के भाग के रूप में अध्ययन किया जा रहा है । हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने रंगीन दूरदर्शन तथा मोनोक्रोम (एकवर्ण) दूरदर्शन प्रणाली से सम्बन्धित कुछ न्यूनतम अध्ययन कार्य अनुसंधान विभाग को सौंपा है और इस उद्देश्य के लिए 1.77 लाख रुपये की सांकेतिक अनुदान की मंजूरी दी है । इसमें से अब तक वस्तुत: 47 हजार रुपये खर्च हुए हैं । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी ने वर्ष 1979-80 में 13.8 लाख रुपये की राशि खर्च की है ।

(ख) वर्ष 1980-81 के लिए बजट में रंगीन टेलीविजन के बारे में प्रयोग पर 1.04 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है जो इलेक्ट्रॉनिकी आयोग द्वारा मंजूर किए गए अनुदान का ही एक भाग है । केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी ने भी बजट में 5.62 लाख रुपये का प्रावधान किया है जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन द्वारा संस्थान को आबंटित की गई है ।

(ग) प्रयोग जारी रखे जा रहे हैं और अब तक प्राप्त परिणाम उत्साहवर्द्धक हैं ।

रंगीन टेलीविजन सेटों के मूल्य

231. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) रंगीन टेलीविजन सेट किन्हीं सरकारी उपक्रमों द्वारा बनाये जायेंगे या गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा;

(ख) क्या सरकार ने रंगीन टेलीविजन सेटों के मूल्य निर्धारित कर दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रानिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने रंगीन दूरदर्शन प्रसारण/टेलीविजन प्रसारण प्रारम्भ करने का निर्णय नहीं किया है । इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

बजाज चेतक स्कूटरों की बुकिंग में गिरावट

232. **श्री के० प्रधानी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विदेशी मुद्रा के बदले बजाज चेतक स्कूटर की बुकिंग कराने में भारी गिरावट आई है क्योंकि स्कूटरों की डिलीवरी में विदेशी मुद्रा जमा कराने की तारीख से 4-5 वर्ष का समय लग जाता है;

(ख) यदि हां, तो तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बजाज आटो लि० को यह निदेश देने का है कि प्रतीक्षा अवधि को कम से कम किया जाए और विदेशी मुद्रा के बदले बजाज चेतक स्कूटरों की डिलीवरी प्राथमिकता के आधार पर दी जाए; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार सावधिक जमा ब्याज दरों के सममूल्य पर जमा की गई विदेशी मुद्रा पर ब्याज की दर में वृद्धि करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) कम्पनी ने बताया है कि विदेशी मुद्रा रेमिटेन्स योजना के अधीन बजाज चेतक स्कूटर की बुकिंग में गिरावट संभवतया: डिलीवरी अवधि जोकि इस समय लगभग 5 वर्ष है, के कारण आई है। क्रयादेश की संख्या 1979 में 86502 से घटकर 1980 मे 33,321 हो गई है।

(ग) जी, नहीं। प्रतीक्षा अवधि का सम्बन्ध मांग तथा उत्पादन क्षमता से होता है। उपलब्धता में सुधार करने के लिए कम्पनी को अपनी स्कूटर उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 80,000 नग प्रतिवर्ष करने की अनुमति दी गई है।

(घ) बैंक, आवेदकों के अनुरोध पर यह राशि सावधि जमा में भी रख सकते हैं।

गुजरात की पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति

233. **श्री नर्सिंह मकवाना** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की छठी पंचवर्षीय योजना को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी और उसके लिए कितना प्रावधान किया गया है;

(ख) राज्य सरकार ने क्या सुझाव दिए थे और उसके क्या परिवर्तन किए गए हैं; और

(ग) ये परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) योजना आयोग और गुजरात के मुख्य मन्त्री के बीच 18 नवम्बर, 1980 को हुई बैठक में हुए विचार-विमर्श के अनुसार गुजरात राज्य की 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना के आकार को हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया है। राज्य सरकार ने 4228,28 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया था। तथापि इस योजना के उपलब्ध होने वाले अनुमानित संसाधनों की दृष्टि से 5680 करोड़ रुपए के परिव्यय के लिए सहमति हुई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए समिति

234. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केन्द्रीय मन्त्रियों को उच्च शक्ति प्राप्त समिति की कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) इस क्षेत्र को देश के अन्य भागों के समकक्ष लाने के लिए इन बैठकों के दौरान किन उपायों के सुझाव दिये गये थे; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए मन्त्रियों की समिति को अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं।

(ख) और (ग) समिति को बनाने की पृष्ठभूमि, इसके द्वारा लिए गए निर्णयों और उन पर की मई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

नई सरकार के कार्यभार सम्भालने के बाद प्रधान मन्त्री के कहने पर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा राज्य और अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र हैं, के आर्थिक विकास के लिए मन्त्रियों की एक समिति गठित की गई थी। समिति की वर्तमान रचना इस प्रकार है :

1. श्री योगेन्द्र मकवाना,
   गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री – संयोजक।
2. श्री चरनजीत चानना,
   औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री।
3. श्री आर० वी० स्वामीनाथन,
   कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री।
4. श्री मोहम्मद फजल,
   सदस्य, योजना आयोग।
5. श्री एस० एस० सिसौदिया,
   वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री।

अन्य विभागों/मन्त्रालयों के मन्त्रियों को उनके मंत्रालयों से सम्बन्धित विचार-विमर्श में आमन्त्रित/शामिल किया जाता है।

2. समिति के लिए कोई विशेष विचारार्थ विषय नहीं है और उसके लिए कोई धनराशि भी नहीं रखी गई है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के साधनों और आवश्यकताओं के अनुकूल विकास की नीति बनाने में इस समिति की एक व्यापक भूमिका है। यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों

अथवा संसद सदस्यों से प्राप्त सुझावों और/अथवा केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों/एजेंसियों के परामर्श से विचार करती है । समिति यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं/योजनाओं को कार्यान्वयन प्रक्रियात्मक तथा नेमी विलम्ब से न रुके तथा प्रगति में अवरोध न हो और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन का विश्लेषण किया जाय और उन्हें दूर किया जाय ।

3. समिति की अब तक चार बैठकें हुई हैं, तीन दिल्ली में और एक इटानगर, अरुणाचल प्रदेश में ।

4. इस समिति द्वारा किये निर्णयों में से कुछ इस प्रकार हैं :

(1) रेलवे : न्यू बोंगईगांव से गोहाटी तक ब्राड गेज लाइन को विस्तार करना है । इस कार्य का अनुमोदन कर दिया गया है और लगभग 51 करोड़ रुपये की लागत पर रेलवे बजट में शामिल किया गया है । इस लायन के पूरे हो जाने पर गोहाटी और शेष देश के बीच ब्रांड ग्रेज संपर्क हो जायेगा । 1981 के मध्य तक सोरभोग तक ब्राड गेज चालू हो जायेगी और संपूर्ण परियोजना अर्थात् गोहाटी तक, पूरी करने के लक्ष्य की तारीख 1982 का मध्य है ।

(2) गोहाटी से डिवरूगढ़ तक मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाईन में बदलना अतिमहत्वपूर्ण नई परियोजना है जिसकी कुल लम्बाई 560 कि० मी० है और अनुमानित लागत 100 करोड़ रु० होगी । इस समिति के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप इस परियोजना को योजना आयोग द्वारा भी स्वीकृति दे दी गई है ।

(3) उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करने के लिए और अधिक राष्ट्रीय एकता के हित में 6 बड़ी लाइनें :—असम को छोड़कर छः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एए-एक बनाई जानी है ।

(1) बालीपाड़ा-भालूकपोंग (अरुणाचल प्रदेश के लिये)

(2) धर्मनगर-कुमारघाट (त्रिपुरा के लिए)

(3) सिल्चर-जिरोबम (मणिपुर के लिए)

(4) लालघाट-भेरावी (मिजोरम के लिए)

(5) गोहाटी-बर्नीहाट (मेघालय के लिए) और

(6) अमगुढ़ी-टुली (नागालैंड के लिए)

उपर्युक्त छः लाइनों के 1982 में खुल जाने की आशा है ।

4.1 ब्रह्मपुत्र पर 30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तेजपुर के नजदीक एक पुल का निर्माण हो रहा है । अनुवर्ती कार्रवाई से निर्माण कार्य शीघ्रता से किया जा रहा है ।

4.2 दो नए पुल बनाने का भी प्रस्ताव है—एक जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र पर और दूसरा पासीघाट में सियांग नदी पर जोगीघोपा में सड़क पुल के निर्माण के लिए मश्बरे का कार्य मै० रिट्स को सौंप दिया गया है जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है और इसे उत्तर-पूर्व में पुलों के सर्वेक्षण/निर्माण कार्य का अनुभव है ।

5.(1) इण्डियन एयर लाइन्स ने दिल्ली से गोहाटी तक उड़ान शुरू कर दी है और इस प्रकार दिल्ली से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तक के यात्रियों की कलकत्ते में रात्रि को ठहरने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

5.(2) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए तृतीय स्तर की विमान सेवा शुरू कर दी गई है। इसका संचलनात्मक मुख्यालय गोहाटी में है।

6. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र कुछ बागवानी उपज में काफी अच्छा है परन्तु क्षेत्र के उत्पादकों को अपनी उपज के विपणन के लिए बड़ी कठिनाई हो रही है जिसका अर्थ इस समय उत्पादकों को बहुत कम उपज मिलना है। उत्तर पूर्वी-क्षेत्र की बागवानी उपज के लिए उचित विपणन सुविधाओं के लिए उत्तर पूर्वी कृषि विपणन निगम नामक एक शीर्ष संगठन स्थापित करने का प्रारम्भिक कार्य चल रहा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उत्पादकों के लिए कलकत्ते का बाजार इस नये निगम द्वारा खोल दिये जायेंगे और इस प्रकार उनको अच्छे मूल्य प्राप्त होंगे।

7. 1980-81 के दौरान असम में 5000 शैलो ट्यूबवैल लगाने का त्वरित कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए एक लघु सिंचाई निगम स्थापित किया गया है। यह निगम ए० आर० डी० सी० से आर्थिक सहायता प्राप्त करेगा।

8. कछार क्षेत्र में ड्रिलिंग के कार्य की गति तेज करने के लिये वर्ष 1982-83 से अतिरिक्त रिग नियुक्त करने का प्रस्ताव है। अप्रैल, 1979 से बरक संरचना में एक अन्य कुएं की खुदाई की जा रही है। बरक बांध का निर्माण करने के लिये आवश्यक जांच पड़ताल की जा रही है और यह अध्ययन पूरा करने में लगभग तीन वर्ष लगेंगे।

9. निकट भविष्य में गोहाटी में टी-बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जा रहा है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिये एक अलग भर्ती बोर्ड, स्टेट बैंक आफ इण्डिया का स्थानीय मुख्य कार्यालय और यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया तथा यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के बड़े कार्यालयों को शीघ्र ही स्थापित किए जाने की आशा है। सं० लो० से० आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के लिये अतिरिक्त केन्द्र खोलने का भी निर्णय किया गया है।

10(1) समिति ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र नामत: गोहाटी-दिमापुर (डबल लेन) बालट महेश खोला रोड (मेघालय) में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण/विस्तार में शीघ्रता करने और निम्नलिखित मार्गों को राष्ट्रीय मार्गों के स्तर तक बढ़ाने की इच्छा प्रकट की है (i) इम्फाल-सिलचर-बदरपुर, (ii) सिलचर-एजल-लुंगलेई, (iii) इटानगर के लिए सम्पर्क (iv) उत्तर ट्रंक रोड़ (गोहाटी-पासी घाट-तेजू-सेखोघाट), (v) पैकन तूरा-दालू, (vi) लेटरल रोड (उत्तर बंगाल और असम के भाग।

10(2) निम्नलिखित सड़कों को पहले ही राष्ट्रीय मार्ग घोषित कर दिया गया है:

(i) एन० एच०-31 सी० पश्चिम बंगाल में गालगालिया से असम में बिजली तक।

(ii) एन० एच०-51 बिहार में बैकाल से मेघालय में दालू तक।

(iii) एन० एच०-52 (मूल रूप से उत्तर ट्रंक रोड) असम में बैहाटा-चराली से असम में सैरवोघाट तक।

(iv) एन० एच०-51 ए० असम में बान्दरदेवा से अरुणाचल प्रदेश में इटानगर तक ।

(v) एन० एच०-53 असम में बदरपुर से मणिपुर में इम्फाल तक ।

(vi) एन० एच०-64 असम में सिलचर से मिजोरम में लुंगलेई तक ।

11. स्थानीय युवकों को अधिक रोजगार देने के लिए ठोस प्रगति की गई है । 19 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लगभग 700 स्थानीय युवकों को इस वर्ष में प्रशिक्षण देने और कार्यकारी संवर्गों में खपाने के लिए भर्ती करने को सहमत हो गए हैं । कुशल श्रमिकों, इंजीनियरों और लिपिक वर्गीय स्टाफ समेत क्षेत्र के 479 व्यक्तियों को 9 उपक्रमों द्वारा पहले ही भर्ती कर लिया गया है ।

खान कर्मकारों की मजदूरी नियत करना

235. **श्री गिरधारी लाल व्यास** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सभी खान कर्मकारों के लिये न्यूनतम मजूरी नियत कर दी गई है;

(ख) क्या घीया पत्थर खान कर्मकारों की न्यूनतम मजूरी अभी नियत नहीं की गई है;

(ग) क्या उनकी न्यूनतम मजूरी नियत करने का काम काफी समय पूर्व आरम्भ किया गया था परन्तु इस बीच इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार घीया पत्थर खानों के कर्मकारों का न्यूनतम वेतन कब तक नियत करेगी ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार ने "संबंधित सरकार" होने के नाते सितम्बर, 1980 के दौरान सोप स्टोन खानों सहित विभिन्न खनन रोजगारों में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित/संशोधित की हैं। इसके अतिरिक्त, वोलफ्राम खानों, लौह अयस्क खानों और ग्रेनाइट खानों में न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित करने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

आर० एच० ए० बाजार, अम्बाला कैंट में अतिरिक्त नलकूप

236. **श्री सूरज भान** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि अम्बाला कैन्ट बोर्ड ने पेय जल की कमी को पूरी करने के लिए आर० एच० ए० बाजार, अम्बाला कैन्ट में अतिरिक्त नलकूप हेतु विशेष सहायता अनुदान की मंजूरी के लिए महानिदेशक डिफेंस लैंड्स एण्ड पेन्टूनमेंट्स, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के परिपत्र के अनुसरण में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित मंजूरी जारी करने में विलम्ब का क्या कारण है और आवश्यक कार्यवही किस संभावित तारीख तक की जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) अम्बाला छावनी के आर० एच० ए० बाजार क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या को हल करने के लिए अम्बाला छावनी बोर्ड ने दिनांक 26.11.1980 के संकल्प के अन्तर्गत 2.60 लाख रुपये की लागत से एक नलकूप और उससे सम्बन्धित आनुषंगिक उपकरण लगाने के बारे में पश्चिम कमान के जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ को एक प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया था । बोर्ड इस योजना को अपने फंड से पूरा करेगा ।

2. जिस भूमि में नलकूप लगाने का प्रस्ताव है वह बी–4 किस्म की है और सैनिक सम्पदा अधिकारी के अधीन है। बोर्ड को भूमि की किस्म को बी–4 से सी श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए और इस भूमि को बोर्ड को निशुल्क देने के बारे में सरकार की स्वीकृति लेने के लिए अपना प्रस्ताव भेजना होगा। उनका प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसे उनसे प्रस्ताव प्राप्त होते ही स्वीकृत कर दिया जाएगा। इसके बाद पश्चिम कमान के जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ इस योजना को बोर्ड के सामान्य फंड से कार्यान्वित करने के बारे में स्वीकृति देंगे।

राज्यों में हरिजनों पर अत्याचार रोकने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मजिस्ट्रेटों/पुलिस सुपरिन्टेडेन्टों की तैनाती

237. **श्री चिन्तामणि जैना :**
श्री अर्जुन सेठी :
श्री के० प्रधानी :
श्री एन० ई० होरो :
श्री छीतू भाई गामित : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को यह सुझाव दिया है कि एक मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस सुपरिन्टेंडेंट अथवा कोई अन्य उच्च अधिकारी को हरिजनों पर अत्याचारों को रोकने के लिये जिम्मेदार बनाया जाना चाहिये तथा वह अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों में से होना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इससे सम्बन्धित योजना का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों को अधिक प्रभावकारी ढंग से रोकने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री ने तारीख 6 सितम्बर 1980 को राज्य के मुख्यमंत्रियों को भेजे गए अपने पत्र में सुझाव दिया था कि प्रत्येक संवेदनशील जिलों में, जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीकक्षक, उपमंडलीय मजिस्ट्रेट, उप मंडलीय पुलिस अधिकारी में से कम से कम एक पद पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारी की तैनाती होनी चाहिए। आगे यह भी सुझाव दिया गया था कि ऐसे संवेदनशील इलाकों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को स्टेशन हाउस आफिसर के रूप में तैनात किया जाए।

सांख्यिकी संगठन द्वारा देश में गरीबी का मूल्यांकन

238. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का सांख्यिकी संगठन देश में गरीबी के प्रसार का मूल्यांकन करने में असफल रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गरीबी की व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इस काम को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

योजना एवं श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं। पूर्व काल में समय-समय पर गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के अनुपात के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से प्राप्त उपभोग व्यय के विभिन्न वर्गों के अनुसार व्यक्तियों के विभाजन सम्बन्धी आंकड़ों से तैयार किए गए हैं। 1968–69, 1970–71, 1972–73, 1973–74 तथा 1977–78 वर्षों के ये अनुमान संसद के दोनों सदनों को भेजे जा चुके हैं।

(ख) से (ग) जी, नहीं। सरकार ने योजना आयोग द्वारा 1977 में नियुक्त न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के प्रक्षेपणों से सम्बन्धित कृतिक बल द्वारा दी गई गरीबी की रेखा की परिभाषा को अपनाया है। इस कृतिक बल ने ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति दैनिक आवश्यकता के मानदण्ड की सिफारिश की है। इन कैलोरी मानदण्डों का वित्तीय प्रतिरूप में हिसाब 1979–80 की कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति प्रति मास ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 76 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 88 रुपए लगाया गया है। गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की प्रतिशतता निर्धारित करने के लिए इस प्रकार प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय से नीचे के लोगों के अनुपात का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार सरकारी स्तर पर अपनाई गई गरीबी की संकल्पना स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है।

पुलिस बल द्वारा ठीक ढंग से काम न किया जाना

239. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री बी० डी० सिंह :

श्री छांगुर राम :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 दिसम्बर, 1980 के "स्टेट मैन" में प्रकाशित आल इंडिया पुलिसमैंस फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें पुलिस बल के सरकार और जनता के प्रति कर्त्तव्यों की परिभाषा करने को कहा गया है तथा प्रशासन के ठीक ढंग से काम न करने की आलोचना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) वक्तव्य एक तरफा है और जो इसमें कहा गया है वह सही नहीं है। पुलिस के कर्त्तव्यों को विभिन्न अधिनियमों और पुलिस मैनुअलों में पहले ही परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने भी अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस कर्त्तव्यों के विषय में कुछ सिफारिशें की हैं और ये सिफारिशें विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीय महत्व के पुलों के सम्बन्ध में योजना

240. **श्री डी० पी० यादव :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन और परिवहन मन्त्रालय ने 'राष्ट्रीय महत्व के पुल' शीर्ष के अन्तर्गत एक योजना की वांछनीयता का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा योजना आयोग की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) नौवहन और परिवहन

मन्त्रालय ने अपने 1980--85 के योजना प्रस्तावों में राष्ट्रीय महत्व की सड़कों/पुलों की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को फिर से चलाने और 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था का सुझाव दिया था।

(ख) इस प्रस्ताव पर योजना आयोग ने नौवहन और परिवहन मन्त्रालय से अगस्त, 1980 में 1980--85 की छठी योजना को तैयार करने के लिए किए गए विचार-विमर्श के सम्बन्ध में चर्चा की थी। योजना आयोग की ओर से यह बताया गया था कि यह उन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में से एक स्कीम थी जो राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार राज्य क्षेत्रक को अंतरित कर दी गई थी और इसलिए इस कार्यक्रम के लिए किसी परिव्यय की व्यवस्था नहीं की जा सकती। यह भी बताया गया था कि इस अवस्था में इस स्कीम को फिर से केन्द्रीय क्षेत्रक में लाना बांछनीय नहीं था। इस प्रकार से यह प्रस्ताव विचार-विमर्श के बाद वापस ले लिया गया था।

परमाणु संयंत्रों के लिए स्वदेशी भारी जल

241. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री चिरन्जी लाल शर्मा : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिक स्वदेशी सामग्री तथा पद्धतियों पर आधारित परमाणु संयंत्रों के लिए भारी जल तैयार करने की कुछ पद्धति तैयार करने में सफल हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) शांतिपूर्ण कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर परमाणु ऊर्जा के विकास में तेजी लाने में क्या बाधाएं हैं तथा इन्हें दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इलैक्ट्रानिकी राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह): (क) तथा (ख) जी, हां। कोटा में जिस भारी पानी संयंत्र की स्थापना की जा रही है, वह देश में विकसित तकनीकी जानकारी तथा इंजीनियरी पर आधारित है। इस संयंत्र में प्रयुक्त अधिकांश सामग्री और उपस्कर स्वदेशी हैं। ऐसी आशा है कि संयंत्र में भारी पानी का उत्पादन सन् 1981 की अन्तिम तिमाही में होने लगेगा। सरकार का विचार है कि भविष्य में स्थापित किए जाने वाले संयंत्रों में से कुछ में यही प्राद्योगिकी अपनाई जाए।

(ग) परमाणु ऊर्जा का विकास शांतिमय उपयोगों के लिए और भी बड़े पैमाने पर करने के काम में तेजी लाने में निम्नलिखित बाधाएं हैं—(क) भारी पानी की कमी, (ख) उपस्करों के निर्माण में सामने आई कठिनाइयां और (ग) सीमित वित्तीय साधन। सरकार इन बाधाओं को दूर करने के लिए और भारी संयंत्र स्थापित करना चाहती हैं। देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अनुरूप सहायक सिद्ध होने वाले उद्योगों का विकास करने के लिए जोरदार प्रयत्न किए जा रहे हैं।

मजदूर संघों को मान्यता देने के लिए मान दण्ड

242. **श्री सुनील मेत्रा** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 14–1–1981 के "बिजनेस स्टैण्डर्ड" में मजदूर संघों को मान्यता देने के लिए मान दण्ड संबंधी समाचार देखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गुप्त बैल्ट के जरिये मान्यता देने के लिए बहुमत के विचारों को मानने और प्रचलित सत्यापन पद्धति, जिसे कुछेक मजदूर संघों का समर्थन प्राप्त है को रद्द करने पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूर्ण बहुमत गुप्त बैलेट के जरिये मान्यता देने के हक में है, इस संबंध में सर्वसम्मति प्राप्त करने के प्रयासों को त्याग रही है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पांच केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 6 फरवरी, 1981 को हुई बैठक में इन मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था, परन्तु कोई मतैक्य नहीं हो सका। अतः यह निर्णय लिया गया कि श्रम सचिव इस मामले में उनके साथ और विचार-विमर्श करेंगे, ताकि मतैक्य हो सके।

रक्षा संस्थानों में बोनस का भुगतान

243. **श्री जेवियर अराकल** :

श्री दयाराम शाक्य : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा संस्थानों के सभी कर्मचारियों को बोनस का भुगतान कर दिया गया है;

(ख) रक्षा संस्थानों के कर्मचारियों को बोनस के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) किन श्रेणियों को अभी तक बोनस का भुगतान नहीं किया गया है और उन्हें बोनस के भुगतान से क्यो वंचित रखा गया है; और

(घ) क्या सरकार को भुगतान न करने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) लगभग 10.57 करोड़ रुपए।

(ग) निम्न संगठनों के सिविलयन कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों को उत्पादकता पर आधारित बोनस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है :

(1) नौसेना डाकयार्ड/मरम्मत, संगठन और सपोर्टिंग यूनिटें;

(2) आयुध सेवा निदेशालय;

(3) ई० एम० ई० निदेशालय के अन्तर्गत स्थैतिक श्रेणी की वर्कशाप;

(4) वायु सेना डिपो/मरम्मत संस्थापनाएं;

(5) रक्षा उत्पादन स्थापनाएं ।

(घ) जी, हां । उन कर्मचारियों की ओर से सरकार को समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं जिनको उत्पादकता पर आधारित बोनस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है । इस प्रकार के अभ्यावेदन विचाराधीन हैं ।

गोआ, दमन और दीव में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची

244. श्री एडआर्डो फैलोरो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गोआ, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों की सूची को बढ़ाया जाना चाहिये ताकि कुछ अन्य श्रेणियों के लोगों को उसमें शामिल किया जा सके जिन्हें उनके लाभ मिलने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) इस बारे में भूतपूर्व संसद सदस्य श्री बी० पी० मंडल के सभापतित्व में पिछड़ी श्रेणी आयोग द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को, संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अन्तर्गत समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसार विनिर्दिष्ट किया गया है । गोवा, दमण और दीव में अनुसूचित जातियों को संविधान (गोवा, दमण और दीव) (अनुसूचित जातियां) आदेश 1968 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया गया ।

गोवा, दमण और दीव सहित विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्र से सम्बन्धित सूचियों में कुछ और अधिक जातियों और जनजातियों को सम्मिलित करने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इन सभी प्रस्तावों पर उस समय विचार किया जाएगा जब सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सूची के विस्तृत पुनरीक्षण के लिए एक विधायन लाने का निर्णय करेगी ।

(ग) भूतपूर्व संसद सदस्य श्री बी० पी० मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा की गई सिफारिशों, संविधान के अनुच्छेद 340 (3) के अधीन रिपोर्ट पर कार्रवाई किये जाने और संसद के पटल पर रखे जाने के बाद ही उपलब्ध हो सकती है ।

रुग्ण एककों को बहाल करने की योजना

245. श्री ए० टी० पाटिल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु क्षेत्र के रुग्ण एककों को बहाल करने में सहायता करने की कोई योजना प्रतिपादित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रुग्ण लघु एककों की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने के लिए उक्त योजना के अन्तर्गत लगभग 50 प्रतिशत अतिरिक्त जोखिम पूंजी की व्यवस्था करने का है; और

(घ) (एक) प्रभावी प्रबन्ध (दो) कच्चे माल का उचित नियतन, (तीन) गुणात्मक और परिणात्मक उत्पादन और (चार) सुनिश्चित विपणन सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (चरणजीत चानना) : (क) से (घ) सरकार रुग्ण लघु एककों की पुनर्स्थापना के लिए एक सीमान्त (मार्जिन) धनराशि योजना तैयार करने के बारे में विचार कर रही है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि पता लगाये गये लघु एकक अपने स्वीकृत पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए वित्तीय संस्थानों से अपेक्षित विधि प्राप्त कर सके।

बीड़ी श्रमिक

246. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में बीड़ी श्रमिकों के स्वास्थ्य में आम गिरावट आने के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यहां तक कि उन स्थानों में भी पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं जहां कि बड़ी संख्या में बीड़ी श्रमिक हैं;

(ग) क्या बीड़ी श्रमिकों में क्षय रोग अधिक होने के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए क्या विशेष उपाय करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वेंकट रैड्डी) : (क) और (ख) सरकार को बीड़ी श्रमिकों की बेहतर स्वास्थ्य देख रेख की आवश्यकता के बारे में जानकारी है। बीड़ी श्रमिकों के चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विकास को उन कार्यकलापों में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, जिनके लिए धन की व्यवस्था बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि से की जाती है। अब तक 55 औषधालयों, दस पलंगों वाले एक अस्पताल और वैंक चैस्ट क्लीनिक की स्थापना की गई है। चौदह नये औषधालयों को शीघ्र ही स्थापित किए जाने की सम्भावना है। क्षय रोग से पीड़ित ऐसे श्रमिकों के इलाज के लिए कुछ स्थानों पर अस्पतालों में पलंगों को भी आरक्षित किया गया है। इस समय आशय यह है कि औषधालयों की सेवाओं का उन सभी क्षेत्रों में विस्तार किया जाये जहां 5,000 या अधिक बीड़ी श्रमिक हैं।

(ग) और (ख) बीड़ी श्रमिकों में क्षय रोग की विद्यमानता के बारे में स्वैच्छिक ऐजेंसियों और अन्यों द्वारा कुछ अध्ययन किए गये। इन अध्ययनों में बीड़ी श्रमिकों में इस रोग की विद्यमानता औसत से अधिक आंकी गई है। इसके लिए मुख्य रूप से विभिन्न सामाजिक व आर्थिक

कारण उत्तरदायी हैं जिनमें इन श्रमिकों की अस्वास्थ्यकर रहन-सहन और कार्य दशाएं शामिल हैं।

(ङ) वे कार्यक्रम, जिनके लिये इस समय धन की व्यवस्था बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि से की जा रही है, निम्नलिखित हैं :

1. चिकित्सा देख-रेख की सुविधाओं की व्यवस्था करना, जिनमें अस्पतालों में पलंगों का आरक्षण शामिल है।

2. आवास के लिए आर्थिक सहायता योजनायें।

8. आश्रितों को औक्षणिक छात्रवृत्तियां देना, आदि।

सूरत में क्षेत्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला

247. श्री छीतू भाई गामित : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत (गुजरात) में क्षेत्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रयोगशाला द्वारा किए गये मुख्य कार्य क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा गरीबी की समस्या का अध्ययन

248. श्री जगदीश टाईटलर : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने हाल ही में देश में गरीबी की समस्या का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या रहे; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना एवं श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने अभी हाल ही में इस विषय पर संगोष्ठी में प्रस्तुत एक तकनीकी निबन्ध में गरीबी के अनुमान लगाने में समक्ष आने वाली संकल्पनात्मक एवं रीति-विधान सम्बन्धी समस्यायों का अध्ययन किया था। गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के अनुमान तैयार करने के लिए अब तक सरकार द्वारा अपनाई गई गरीबी की संकल्पना कतिपय निर्धारित न्यूनतम स्तर से कम क्लोरी ग्रहण करने वाले परिवारों की प्रतिशतता के रूप में रही है। अब तक के उपलब्ध गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के अनुपात के अनुमान इस संकल्पना पर आधारित हैं। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के निबन्ध में गरीबी की इस साधारण संकल्पना को अपनाना पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं समझा गया है। निबन्ध में इसे कुछ और अधिक परिमार्जित करने के लिए सुझाव दिये गये हैं जिससे गरीबी के प्रभाव का अधिक यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत किया

जा सके । उदाहरणार्थ निबन्ध में सुझाव दिया गया है कि (1) स्पष्ट रूप से परिभाषित समाजार्थिक एवं व्यवसायिक समूहों तथा भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार परिवारों की दैनिक क्लोरी ग्रहण को यथा सम्भव सीमा तक अलग-अलग किया जाना चाहिए (2) कपड़े तथा अन्य उपभोकता वस्तुओं की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिये और (3) सरकार द्वारा निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर उपलब्ध की जाने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति जैसी सामाजिक सेवाओं के वितरण का और अधिक व्यापक विश्लेषण करना होगा ।

(ग) गरीवी दूर करने के लिये योजना नीति उच्चतर विकास दर और मुख्यतः परिसम्पत्तियों तथा कौशल को हस्तांतरित करने और विशिष्ट खण्डों में लक्षित सर्वाधिक गरीब परिवारों के लिये वर्ष के गन्दी के मौसम में रोजगार की व्यवस्था करने के अनेक विशिष्ट निर्धनता उपशवन कार्यक्रमों पर आधारित है । समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पहले वर्ग से सम्बन्धित है जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम दूसरे वर्ग से। सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम सार्वजनिक नीतियों में पुनर्वितरण पहलुओं को शुद्ध बनाने में सहायक होंगे । योजना में व्यवस्थित वितरणात्मक पहलुओं पर विशेष बल देने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप यह आशा की जाती है कि 1984-85 तक गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की प्रतिशतता पर्याप्त रूप से कम हो जायेगी ।

आदिवासियों में बेरोजगारी

249. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 20 जनवरी, 1981 के स्टेट्समैन में "अनएम्पलाएमेंट हाई अमंग आदिवासीज" से शीर्षक प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है क्या आदिवासी स्नातक लड़कों और लड़कियों को गत वर्षों से नौकरियां नहीं मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके रोजगार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां । श्रम मन्त्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार गुजरात में दि० 30-6-1980 को रोजगार कार्यालयों में रिक्ति रजिस्टरों में दर्ज आवेदकों की सभी श्रेणियों की संख्या 4,47,491 थी । उनमें से अनुसूचित जनजाति के आवेदकों की संख्या 28,085 थी ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजस्थान नहर का दूसरा चरण और उसके लिए निधियां

250. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर के दूसरे चरण को पूरा करने के लिये अनुमानतः कितनी राशि की जरूरत पड़ेगी;

(ख) क्या वार्षिक आवश्यकता के आधार पर तैयार समूचे प्रावधान को, इस नहर के

दूसरे चरण को योजनावधि में ही पूरा करने हेतु छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है; और

(ग) क्या उक्त नहर के निर्माण-कार्य को पूरा करने हेतु आवश्यक कोयले तथा सीमेंट की योजनाबद्ध और यथा-संभव सप्लाई के लिए कोई समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) राजस्थान नहर परियोजना की दूसरी प्रावस्था को पूर्ण करने के लिए दि० 1-4-80 को 189.46 करोड़ रु० की अनुमानित धनराशि की आवश्यकता होगी, जो उस तारीख को दूसरी प्रावस्था की पहले से चली आ रही लागत है ।

(ख) राज्य सरकार ने दूसरी प्रावस्था के पर्याप्त कार्य को पूर्ण करने के लिए छठी योजना के लिए 165 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया था । यह आशा है कि राज्य सरकार के लिए इस राशि को राज्य योजना परिव्ययों के भीतर उपलब्ध कराना संभव होगा ।

(ग) इस परियोजना के लिए कोयले और सीमेंट की पूर्ति के लिए कोई समयवद्ध कार्यक्रम नहीं तैयार किया गया है । इस समय सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयों/संगठनों के परामर्श से सिंचाई मन्त्रालय द्वारा तदर्थ प्रबन्ध किए जा रहे हैं ।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशें

251. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों पर कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान । राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा अब तक प्रस्तुत किए गए अपने प्रतिवेदनों में अनेक सिफारिशें की गई हैं । पहले प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा 6 जून, 1979 को नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था । प्रथम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श पर आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही राज्य सरकारों द्वारा की गई है । अन्य प्रतिवेदनों में निहित सिफारिशें भारत सरकार के सचिवों की एक समिति के विचाराधीन हैं जिसके अध्यक्ष मंत्रिमन्डल सचिव हैं ।

सीमेंट मूल्य नीति के बारे में निर्णय न किए जाने के कारण अनिश्चितताएं

252. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट मूल्य नीति के बारे में सरकार द्वारा निर्णय न किये जाने के कारण सीमेंट उद्योग को गंभीर अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह आशंका है कि जब तक लागत-वृद्धि का पूरी तरह मुकाबला नहीं किया जायेगा, समूचे उद्योग को इतना नुक्सान होगा कि यहां तक कि दीर्घावधि विकास में बाधा पड़ेगी; और

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष की योजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) से (ग) सीमेंट उद्योग के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद संधारण मूल्यों की समीक्षा की गई थी और 3 मई, 1979 से उनका पुनः निर्धारण किया गया है ? यह भी तय किया गया था कि संधारण मूल्यों की वार्षिक समीक्षा की जाए ताकि सीमेंट उत्पादकों की निर्माण लागतों में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति की जा सके । इस प्रकार की एक समीक्षा करने के बाद 3 मई, 1980 से सीमेंट की कीमत में 13 रुपये 65 पैसे प्रति मी० टन वृद्धि करने की अनुमति दी गई थी । उद्योग ने अभ्यावेदन दिया है कि स्वीकृत की गई वृद्धि अपर्याप्त है और यह लागत में हुई वृद्धि की पूरी पूर्ति नहीं करती । मामला विचाराधीन है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के विरुद्ध भूमि सम्बन्धी अपराध

253. **श्री छांगुर राम :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के विरुद्ध भूमि सम्बन्धी अपराधों और अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों को आर्थिक मुआवजा तथा अन्य प्रकार की राहत देने के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की कि ऐसे मामले में जहां किसी भूमि सम्बन्धी झगड़े में कोई हरिजन अथवा जनजातीय व्यक्ति मारा जाता है वहां पुलिस सहित सरकारी तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भूमि का कब्जा मृतक के उत्तराधिकारी के पास रहे और किसी भी परिस्थिति में उन व्यक्तियों को जिन्होंने आक्रमण किया है, भूमि पर कब्जा न करने दिया जाए । आयोग ने यह भी सिफारिश की कि उन राज्यों को जिन्होंने अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक और अन्य राहत देने के बारे में अब तक कोई नीति निर्णय नहीं किया है, ऐसी योजना आरम्भ करनी चाहिए । उसने यह भी सिफारिश की है कि दी गई राहत की मात्रा भी उपयुक्त रूप से बढ़ाई जानी चाहिए । दी जाने वाली राहत संबंधित व्यक्तियों अथवा परिवारों को हुई गंभीर हानि के अनुरूप होनी चाहिए और अत्याचार होने के तुरन्त पश्चात घटना स्थल पर ही दी जानी चाहिए ।

यद्यपि भूमि का विषय राज्यों को आवंटित विषय है तथापि अनुसूचित जातियों की समस्याओं की गंभीरता और अनुसूचित जातियों के प्रति किए गए अत्याचारों को समाप्त करने के भारत सरकार के संकल्प को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय गृह मन्त्री ने अपने 10 मार्च, 1980 के पत्र में अत्याचारों को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले एहातियाति, निरोधात्मक, दंडात्मक और पुनर्वास उपायों के विस्तृत मार्ग दर्शक सिद्धान्त भेजे हैं। चूंकि अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचार करने में भूमि एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है अतः राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि उनकी भूमि अथवा उनको आवंटित की गई भूमि का कारगर कब्जा उनको दिया जाए और जहां झगड़े हों अथवा अवरोध हों उनको इस लायक बनाया जाए कि वे खेती कर सकें। राज्यों को यह पता लगाने के लिए गांव-गांव में अभियान चलाने के लिए कहा है कि अनुसूचित जातियों का क्या अपनी भूमि पर अथवा उनको आवंटित की गई भूमि पर वास्तविक कब्जा है और जहां उनका कब्जा नहीं है वहां उनको कारगर कब्जा दिया जाए। राज्य को यह भी सुझाव दिया गया है कि वे ऐसे गांवों और भूमियों का पता लगायें जहां अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्तक्षेप करने की सम्भावना है और ऐसे मामलों में अनुसूचित जातियों को जुताई खेती के मौसम से और जब तक आवश्यक हो पूरा और कारगर पुलिस संरक्षण दें। उक्त कार्य को कारगर रूप से पूरा करने के लिए राज्यों को जोर देकर कहा गया था कि वे केवल इन्हीं कार्यों के लिए जिलों में राजस्व व पुलिस एकक दल बनायें। जहां तक अत्याचारों से पीड़ितों को प्रतिपूर्ति और अन्य राहत देने का सम्बन्ध है, राज्यों को निम्नलिखित उपाय करने का भी सुझाव दिया गया है कि :

(1) तुरन्त राहत।

(2) अत्याचारों से मरे व्यक्ति के परिवार अथवा असमर्थ हुए पीड़ित व्यक्तियों के लिए रोजगार और/अथवा निजी रोजगार की व्यवस्था करके उनकी पूर्ण आय अर्जन क्षमता को बहाल करना।

(3) उन पर हुए अत्याचार को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त आर्थिक मुआवजा।

(4) योजना के अनुसार सभी सहायता देने के लिए जिला समाहर्ताओं/उपायुक्त जिला मजिस्ट्रेटों को पूरी शक्तियों का प्रत्यावर्तन।

(5) जहां कोई रोजी कमाने और रोजगार और/अथवा निजी रोजगार की व्यवस्था के माध्यम से आय-अर्जन क्षमता बहाल करने का कोई अवसर न हो तो बच्चों को शिक्षा तथा उनका निर्वाह।

(6) आगजनी के पीड़ितों के लिए पक्का आवास भवन।

(7) जब तक आय अर्जन क्षमता पूर्णतः बहाल न हो, पीड़ित परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्य समेत धंधे की व्यवस्था अथवा अन्य सहायता।

बस-चेसियों का जारी किया जाना

254. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बेरोजगार स्नातकों अथवा आदि-

वासियों और हरिजनों जो बस-चेसियों की मांग कर रहे हैं, की तुलना में नई दिल्ली को कितने बस-चेसिस प्रदान किए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : मध्य प्रदेश, विहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश को उसी श्रेणी के वितरण की तुलना में जैसा कि प्रमुख निर्माताओं ने बताया है दिल्ली में जनसाधारण और निजी संगठनों को चेसिसों का वितरण निम्न प्रकार है :

	दिल्ली	मध्य प्रदेश	बिहार	उड़ीसा	उत्तर प्रदेश
1978-79	284	196	269	116	283
1979-80	137	185	238	106	204

निर्माताओं ने बताया है कि जाति के अनुसार चेसिस वितरण का ब्यौरा वे नहीं रखते हैं।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए पृथक विभाग

255. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यों पर ध्यान देने के लिए गृह मन्त्रालय में एक स्वतन्त्र विभाग बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित विभाग कब तक स्थापित किया जायेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

जवानों तथा अधिकारियों के लिए नई वर्दी

556. **श्री दौलत राम सारण** :

श्री आर० एन० राकेश :

श्री राम प्यारे पनिका : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के जवानों तथा अधिकारियों के लिए नई तथा सुविधाजनक वर्दी का डिजाइन तैयार किया गया है और क्या नई वर्दी का डिजाइन और रयन 1978 में जनरल सेथना की अध्यक्षता के अन्तर्गत गठित समिति की सिफारिशों के अनुरूप है;

(ख) समिति द्वारा वर्दी के बारे में मुख्य सिफारिशें क्या हैं और समिति ने अपना प्रतिवेदन कब तक दिया तथा सरकार द्वारा कौन-सी सिफारिशें तैयार की गईं;

(ग) नई वर्दी की आवश्यकता किन कारणों से महसूस की गई तथा नई वर्दी की विशेषताएं क्या हैं तथा उसके चयन की कसौटी क्या है; और

(घ) इस नई वर्दी को लागू करने पर कितना अतिरिक्त खर्चा हुआ है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) पोशाक समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1979 में रक्षा मन्त्रालय को दे दी थी और राजनीतिक मामलों से सम्बन्धित मन्त्रीमण्डल समिति ने विस्तृत परीक्षण के बाद जनवरी, 1981 में इसे अन्तिम रूप से अनुमोदित कर दिया। वर्दी समिति की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) नई प्रकार की वर्दी की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि वर्तमान वर्दी सेनाओं की संचालन सम्बन्धी विविध आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाती थी और उसका रख-रखाव और अनुरक्षण भी सरल नहीं था। नई वर्दी की विशेषताएं और उसके चयन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

(1) इससे सैनिकों की कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी;

(2) इसमें अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग वर्दियों का प्रावधान होगा; और

(3) इसके रख-रखाव में आसानी रहेगी और यह मजबूत भी रहेगी तथा इसे पहनने वाले में चुस्ती भी बनी रहेगी।

(घ) नई वर्दी के लागू करने पर कुल लगभग 12.98 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। चूंकि नई वर्दियों के लागू करने का काम क्रमिक रूप से पांच वर्षों में किया जाएगा इसलिए औसत रूप से प्रतिवर्ष लगभग 2.60 करोड़ रुपए का ही अतिरिक्त व्यय होगा। यह अतिरिक्त व्यय सात वर्षों में समाप्त हो जाएगा और उसके बाद से सरकार को 7.99 करोड़ रुपए की वार्षिक आवर्ती बचत होगी।

विवरण

वर्दी के सम्बन्ध में पोशाक समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें जो नवम्बर, 1979 में रक्षा मन्त्रालय को प्रस्तुत की गईं इस प्रकार हैं :

(क) इस समय वर्दी की 13 मदों के स्थान पर जो दस नई मदें प्रारम्भ की गई हैं वे इस प्रकार हैं :

चालू की जाने वाली प्रस्तावित नई मदें	पात्रता	सामान सूची से निकाली जाने वाली वर्तमान मदें	पात्रता
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
(1) (कक) योधी जैकेट (यह उनके लिए है जिन्हें इस समय एक अथवा शून्य ओवरआल कम्बीनेशन प्राधिकृत हैं)।	2	(1) (कक) कमीज सी. सी. ओ. जी.	2
		(खख) कमीज सी. सी. खाकी	2
(खख) योधी जैकेट (उनके लिए जिन्हें इस समय 2 ओवरआल कम्बीनेशन प्राधिकृत हैं)।	1		

(2) (कक) योधी पैंट (उनके लिए जिन्हें इस समय/अथवा शून्य ओवरआल कम्बीनेशन प्राधिकृत हैं)।	2		(2) (कक) खाकी डिल पैंट	2
			(खख) ओ. जी. डिल पैंट	2
(खख) योधी पैंट (उनके लिए जिन्हें इस समय दो ओवरआल कम्बीनेशन प्राधिकृत हैं)।	1			
(3) टेरीकोट की कमीज	2		(3) ओ. जी. जर्सी पुल्लोवर	1
(4) टेरीकोट की पैंट	2		(4) अंगोला डेव कमीज	2
(5) टेरीवूल सूट	1	जोड़ा	(5) पैंट वी. डी. सर्ज	1/2
(6) ईनर लाइनर योधी जैकेट	1		(6) ग्रेट कोट शोर्ट कंपलीट	1
(7) पूरी बाजू की वेस्ट ऊनी ओ. जी.	2		(7) आधी बाजू की वेस्ट ऊनी सफेद	2
(8) गोल गले की आधी बाजू वाली ओ. जी. सूती वेस्ट	2		(8) बिना बाजू की सफेद सूती वेस्ट	2
(9) ऊनी अंडर पैंट (सर्दी के दौरान योधी पैंट और टेरीवूल की योधी पैंट के नीचे पहनने के लिए)	1		—	—
(10) टोपी एफ. एस. डिसरप्टिव	1		(10) (कक) टोपी एफ. एस. ओ. जी.	1
			(खख) टोपी एफ. एस. खाकी	1
			(11) ऊनी स्कार्फ	1

नोट :- संशोधित योधी जैकेट और एफ. एस. डिसरप्टिव के होने पर ऊनी स्कार्फों की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) नई वर्दियां क्रमिक रूप से पांच साल की अवधि में दी जायेंगी।

(ग) वस्त्रों के स्थान पर अन्य वस्त्र देने की प्रणाली जीवन चक्र धारणा पर आधारित होगी और शांति और युद्ध दोनों ही क्षेत्रों में मुफ्त दी जाएगी।

(घ) ट्रूपों की व्यक्तिगत वस्त्रों की प्रस्तावित दस नई मदें अपने पास रखेंगे और शेष मदों को निर्धारित समय की समाप्ति पर वापस कर दिया जायेगा।

(ङ) प्रति व्यक्ति प्रति माह 9 रुपए दिया जाने वाला वर्तमान वस्त्र भत्ता समाप्त कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर उन्हें प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 15 रुपए का अनुरक्षण भत्ता दिया जाएगा ।

(च) सूची में से 9 मदों को हटा दिया जाएगा और नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार 6 मदों को 'वन टाइम इशू' के रूप में दिया जाएगा :

(1) **सूची में से हटायी जाने वाली मदें :**

(कक) सावुनदानी

(खख) कंघी

(गग) कंघा मार्क II

(घघ) सूई, धागा, थैली

(ङङ) जूनियर कमीशन अफसरों के रैंज के वैज

(चच) टिन ब्लान्स कन्टेनर

(छछ) टिन डबिन प्रोटेक्टिव

(जज) खटकेदार चाकू

(झझ) डोरी वाला खटकेदार चाकू ओ. जी.

(2) **एक बार दिए जाने वाली सामग्री :**

(कक) कंघे पर लगाने के टाइटिल ओ. जी.

(खख) टोपी/पगड़ी, वैज

(गग) पहचान डिस्क

(घघ) पहचान कोर्ड डिस्क

(ङङ) डेजर्ट स्पून

(चच) बैकिंग बेरेट वैज

(छ) नई वर्दियों के रूप में प्रयोग की जाने वाली वस्त्रों की अतिरिक्त मदों का छठी योजना के लिए पहले ही अनुमोदन कर दिया गया है ।

पुलिस-नकसलवादी मुठभेड़ें

257. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 में पुलिस तथा नकसलवादी कहे जाने वाले लोगों के बीच हुई मुठभेड़ों की संख्या क्या है;

(ख) इन मुठभेड़ों के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोई ऐसे मामले भी हैं जिसमें नकसलवादियों ने निर्दोष लोगों पर कहीं हमला किया है;

(घ) देश में बढ़ती हुई नकसलवादी गतिविधियों के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पुलिस तथा नकसलवादियों की कथित मुठभेड़ों की असलियत को जानने के लिए सरकार संसद में मान्यता प्राप्त विभिन्न ग्रुपों के सदस्यों की एक समिति के गठन पर विचार कर रही है; और

(च) क्या विभिन्न राष्ट्रीय तथा सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर बातचीत के लिए सरकार अनेक नकसलवादी ग्रुपों के नेताओं को बुलाने पर विचार कर रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सूचना राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) ऐसे कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

भूतपूर्व अपराधी तथा खानाबदोश जातियों द्वारा बोलियों के आधार पर गणना की मांग

258. **श्री उत्तम राठौर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व अपराधी तथा खानाबदोश जातियां जनगणना के कार्य के दौरान अपनी बोलियों के आधार पर गणना की मांग कर रही हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने जनगणना कार्य के पंजीयक तथा गृह विभाग को यह कार्य आरम्भ करने के लिए लिखा है और यह उनकी कीमत पर होगा; और

(ग) यदि हां, तो गृह विभाग ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जनगणना के दौरान भूतपूर्व अपराधियों और खानाबदोश जातियों की उनकी बोलियों के आधार पर गणना करने के अनुरोध प्राप्त हुए थे।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) इस पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि केवल उन जातियों और जनजातियों की गणना करने की वर्तमान नीति को बनाए रखा जाय जिनको अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा अन्य जातियों अथवा जनजातियों की गणना न की जाए।

भाग लेने, योग्य फारमों में श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चयन करने के बारे में श्रम मंत्रियों की उपसमिति की सिफारिशें

259. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम मंत्रियों की उप-समिति द्वारा 12 जनवरी, 1981 को हुई अपनी बैठक में भाग लेने योग्य फोरमों के श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चयन करने के बारे में क्या मुख्य सिफारिशें की गयीं; और

(ख) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) श्रम मंत्रियों की स्थायी समिति की उप-समिति की 12 जनवरी, 1981 को हुई अपनी बैठक में सहभागी फोर्मों में श्रमिकों के प्रतिनिधियों के चयन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में कोई मतैक्य नहीं हुआ और इसे केन्द्रीय सरकार पर छोड़ दिया कि वह इस मामले में निर्णय ले। केन्द्रीय सरकार इस मामले में शीघ्र निर्णय लेगी।

क्षेत्रीय परिषद् पुनःस्थापित करने का प्रस्ताव

260. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय परिषदें पुनः स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) क्षेत्रीय परिषदों का सृजन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया है। वे कथित अधिनियम के उपबन्धों के आधार पर स्थायी संस्थाएं हैं। अतः उनके पुनः स्थापन का प्रश्न नहीं उठता। देश में पांच क्षेत्रीय परिषदों में से तीन ने वर्ष 1980-81 के दौरान अब तक बैठकें कीं। शेष दो की भी शीघ्र ही बैठक होने की आशा है।

कबीलों के जीवन स्तर में सुधार के उपाय

261. **श्री जयनारायण रोट** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : छठी पंच-वर्षीय योजना में कबीलों के जीवन स्तर में सुधार के लिए क्या मुख्य कदम उठाए जाने का विचार है ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : जनजातीय लोगों सहित गरीबों के जीवन-स्तर को सुधारने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में अनेक उपाय करने का प्रस्ताव हैं। इन उपायों में पशुपालन, वन उद्योग, कृषि, उद्योग, विद्युत, लघु और ग्राम उद्योग, शिक्षा आदि जैसे सामान्य कार्यक्रम आते हैं; तथा एकीकृत ग्रामीण विकास और पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित क्षेत्रक और जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत आने वाली जैसी विशिष्ट वैयक्तिक लाभग्राही-उन्मुख स्कीमें आती हैं।

2. जनजातीय उपन्योजना क्षेत्रों और जनजातीय लोगों के लिए स्कीमों में उनकी उत्पादकता और कुशलता के स्तरों को उन्नत करने के लिए और शिक्षा के विकास के लिए उपाय तथा भूमि के स्वत्व-अंतरण, व्याज पर ऋण, ऋणग्रस्तता, व्यापार, उत्पादन, वन आदि के क्षेत्रों में जनजातीय लोगों के शोषण को समाप्त करने के लिए बनाए गए उपाय शामिल हैं। ऋण और विपणन प्रबन्धों, प्रशासनिक संरचना को बढ़ाने तथा कार्यक्रमों के प्रबोधन और मूल्यांकन को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

असम समस्या पर बातचीत

262. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सतीश अग्रवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तथा असम आन्दोलन के नेताओं के बीच बातचीत तथा सार्वजनिक रूप से बताये गये उनके रुख की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) क्या असम समस्या के समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी के सात सूत्री फार्मूले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो वह फार्मूला क्या है; और

(घ) इन सातों सूत्रों पर अलग-अलग सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार ने असम में विदेशियों के मामले का हल ढूंढने में कोई प्रयत्न बाकी नहीं छोड़ा है। सरकार ने वार्ता के लिए अपने द्वार खुले रखे हैं। किन्तु आन्दोलन के नेताओं से कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला है।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) समाचार पत्रों में यथा प्रकाशित ब्यौरे संलग्न हैं।

(घ) 7-सूत्रों में उल्लिखित बहुत से पहलूओं पर आन्दोलन के नेताओं के साथ पहले ही विचार-विमर्श किया जा चुका है। सरकार का पक्का विश्वास है कि समस्या का समाधान बातचीत द्वारा निकाला जा सकता है और सभी संबंधितों की मान्य संतोषजनक हल संविधान के ढांचे के अन्तर्गत प्राप्त किया जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिनको ध्यान में रखना है वे राष्ट्रीय वचनबद्धता, अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व और समझौते, मानवीय विचार और व्यवहारिक औचित्य है।

विवरण

असम के संकट संबंध में भारतीय जनता पार्टी की 7-सूत्री योजना

1. सभी विदेशियों का पता लगाया जाना चाहिए। इसको संविधान के संबंद्ध उपबन्धों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, 1951 के राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर तथा अन्य संबंद्ध दस्तावेजों का उपयोग करते हुए किया जाना चाहिए।

   विदेशियों के निर्धारण के सम्बन्ध में न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक अपील रखी जाएगी ताकि प्रक्रिया की विश्वासनीयता को सुनिश्चित किया जा सके।

2. समझौते की भावना में आन्दोलन के नेताओं द्वारा यथा स्वीकृत 1961 तक सभी आने वालों को नियमित किया जाना चाहिए।

3. 1961 और 1971 के बीच आए विदेशियों के नाम मतदाता सूचियों से हटा दिए जाने चाहिए। किन्तु यह सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए कि 1961

और 1971 के बीच आने वालों का भार अन्य राज्यों द्वारा भी बांटा जाय। इसके ब्यौरे असम की नई सरकार से परामर्श करके मालूम किये जाएंगे।

4. नई राज्य विधान सभा और लोकसभा के चुनाव संशोधित मतदाता सूचियों के आधार पर किए जाने चाहिएं।

5. जैसा कि सरकार ने पहले ही मान लिया है, 1971 के बाद आए विदेशियों को वापिस भेजना पड़ेगा। असली शरणार्थियों के मामले पर विचार अब तक की गई नीति उद्घोषणाओं के आधार पर किया जाएगा।

6. विदेशियों की घुसपैठ जो अभी जारी है सीमा को बन्द करके और यदि आवश्यक हो तो किसी व्यक्ति की भूमि नहीं का सृजन करके पूर्णरूप से रोक देनी चाहिए। पहचान पत्रों का जारी करना और जन्म, विवाह और मृत्यु रजिस्टर को रखना, घुसपैठ को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों का एक भाग होना चाहिए।

7. आन्दोलन और समाचार पत्रों के सेंसर के विरुद्ध सभी दमनकारी उपायों को वापिस लेना चाहिए, आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों को रिहा किया जाना चाहिए और सभी लम्बित नजरबन्दी आदेशों को रद्द किया जाना चाहिए।

विमानों, युद्धपोतों आदि के उत्पादन के लिए बढ़े हुए लक्ष्य

263. **श्री हरी नाथ मिश्र** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विमानों, युद्धपोतों तथा आधुनिक इलैक्ट्रोनिकी में आगामी पांच वर्षों के दौरान उसे 5 गुणा वृद्धि करने का है; और

(ख) क्या रक्षा संबंधी उपक्रमों के लिए वर्ष दर-वर्ष लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी लक्ष्य क्या हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) रक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक सभी आधुनिक उपस्करों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की नीति के अनुसरण में हमारी रक्षा उत्पादन यूनिटों ने विभिन्न प्रकार के विमान, युद्धपोत और अत्याधुनिक किस्म के इलैक्ट्रानिक उपस्करों का उत्पादन करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। रक्षा क्षेत्र के उपक्रम और अन्य यूनिटें जो उत्पादन में लगी हुई हैं वे रक्षा योजना और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आत्म-निर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसका अनुपालन और कार्यान्वयन कर रही हैं। इस संबंध में अधिक ब्यौरा देना लोकहित में नहीं होगा।

एक समान रोजगार गारंटी योजना

264. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सम्पूर्ण देश के लिए एकसमान रोजगार गारंटी योजना लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब लागू की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को विचार इस दिशा में सभी राज्यों को तुरन्त कार्यान्वयन के लिए मुख्य मार्ग निर्देश जारी करने का है ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) राज्य योजना प्रस्तावों के संबंध में योजना आयोग के विचार योजना पर विचार-विमर्श के समय स्पष्ट किए जाते हैं ।

विचाराधीन बन्दियों को अन्धा करने का मामला

265. डा० बसन्त कुमार पण्डित : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 तक राज्यवार ऐसे कुल कितने मामलों का पता लगा जिसमें बिचाराधीन बन्दियों और कैदियों को अंधा कर दिया गया;

(ख) दोषी व्यक्तियों का पता लगाने तथा अंधा करने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए की गई विभिन्न जांचों न्यायिक और मजिस्ट्रेट द्वारा जांच तथा आयोगों के क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) अंधा करने तथा उसके लिए उकसाने के लिए जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) प्रभावग्रस्तों को यदि कोई मुआवजा दिया गया है तो वह क्या है; और

(ङ) अंधे किये गये कितने व्यक्तियों की चिकित्सा करने से उनकी दृष्टि पूर्णत: और अंशत: लौट आई है

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) तक सूचना राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और इसके प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात में सीमेंट की सप्लाई और आयात:

266. श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की सरकार ने यह सिफारिश की है कि गुजरात औद्योगिक विकास निगम और गुजरात आवास बोर्ड को अपने वास्तविक प्रयोग के लिए विदेशों से सीमेंट का आयात करने की अनुमति प्रदान कर दी जाए; यदि हाँ, तो क्या मांग पूरी की जायेगी और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(ख) वर्ष 1979 और 1980 के दौरान इन निगमों की सीमेंट की कितनी-कितनी मांग थी और उन्हें कितना-कितना सीमेंट सप्लाई किया गया तथा इन निगमों को सीमेंट का आयात करने की अनुमति न देने का क्या औचित्य है, जबकि उन्हें सप्लाई किया गया सीमेंट इनकी मांग से बहुत कम था;

(ग) सिंचाई और विद्युत उत्पादन प्रयोजनों को छोड़कर सीमेंट की कुल वार्षिक सप्लाई में से गुजरात को कितनी मात्रा सप्लाई की गयी तथा वर्ष के दौरान इसमें से कितनी मात्रा का उपयोग किया गया; और

(घ) क्या गुजरात सरकार ने सिंचाई और विद्युत प्रयोजनों के लिए आरक्षित सीमेंट को अन्य निर्माण-कार्यों हेतु बदलने के लिए अनुमति मांगी है, यदि हां; तोअनुमति प्रदान कर दी गई और यदि नहीं तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) और (ख) सीमेंट का सीधे आयात करने की अनुमति देने के लिए गुजरात–राज्य से प्राप्त अनुरोध पर विचार किया गया था तथा चूंकि सीमेंट के आयात को राज्य व्यापार के माध्यम से प्रणाली वद्ध कर दिया गया है अत देश में दूसरे अभिकरणों के माध्यम से सीमेंट का सीधे आयात करने की अनुमति देना सम्भव नहीं है;

इन निगमों को किये जाने बाले सीमेंट के संभरण के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। राज्य सरकारों को प्रत्येक तिमाही में इकट्ठा आवंटन किया जाता है और वे राज्य इन निगमों सहित विभिन्न उपभोक्ताओं के मध्य इस थोक आवंटन का उप-आवंटन करमे के लिये स्वतन्त्र हैं।

(ग) लाख मी० टनों में

अवधि	कुल आर्वटन	सिचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए आरक्षित मात्रा
प्रथम तिमाही/80	391.0	78.7
द्वितीय तिमाही/80	367.0	78.7
त्रितीय तिमाही/80	376.5	137.8
चतुर्थ तिमाही/80	404.8	173.0

राज्य सिंचाई और परियोजनाओं द्वारा वास्तविक उपयोग के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) सिंचाई और विद्युत क्षेत्र के लिये सीमेंट के किसी विशेष मात्रा को अन्य क्षेत्रों को देने के लिये कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

हड़ताल के कारण वर्ष 1980-81 में बेकार हुए जन-दिवसों की संख्या

267. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण 1980-81 में बेकार हुए जन-दिवसों कीं कुल संख्या के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं और इसके कारण क्या हैं;

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय मजूरी नीति के बारे में बिचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धीं ब्योरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) कैलेन्डर वर्ष 1980 के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुये श्रम-दिनों की कुल संख्या 123. 5 लाख थी । तथापि, ये आंकड़े अनन्तिम हैं और 31 दिसम्बर, 1980 तक श्रम ब्यूरो, शिमला में प्राप्त सूचना पर आधारित हैं । हड़तालों और तालाबन्दियों के मुख्य कारण "मजदूरी और भत्ते" "कार्मिक और छंटनी" तथा "अनुशासनहीनता और हिंसा हैं ।

(ख) और (ग) सरकार इस समय वेतन नीति विवरण तैयार करने में व्यस्त है । इस विवरण को नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके अगली राष्ट्रीय-त्रिपक्षीय बैठक में अन्तिम रूप देने का प्रस्ताव है ।

असम आंदोलन में वित्तीय हानि

268. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में छात्रों द्वारा एक वर्ष से अधिक समय से किये जा रहे आन्दोलन से देश को हुई वित्तीय हानि का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख)असम में डेढ़ वर्ष से चले आ रहे "विदेशियों के मुद्दे पर आन्दोलन" ने सामान्य रूप से देश और विशेष रूप से असम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था को इतना अधिक नुकसान पहुंचाया है कि इसका अनुमान लगाना कठिन है । यद्यपि कुल वित्तीय क्षति का निश्चित रूप परिमाणन करना सम्भव नहीं है तथापि 1980 के अन्त तक पेट्रोलियम और उर्वरक क्षेत्रों को 1200 करोड़ रुपये की क्षति हुई है ।

गाडगिल फार्मूले का संशोधन

269. श्री मूल चन्द डागा : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना पर विचार करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में, पिछड़े राज्यों और अधिक संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु प्रधान मन्त्री ने गाडगिल फार्मूले में संशोधन करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी थी; और

(ख) क्या जनता सरकार की उस केन्द्रीय योजना के बारे में भी कोई निर्णय लिए गए थे; जिनके लिए राज्यों को निधि प्रदान कर दी गयी थी; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्योरा क्या है ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां । अगस्त, 1980 में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में प्रधान मन्त्री जी ने यह घोषणा की थी कि 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता आशोधित गाडगिल फार्मूले के आधार पर आवंटित की जाएगी जिसके अंतर्गत मूल गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत जारी बड़ी सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिये दी जाने वाली दस प्रतिशत की तरजीह हटा दी जायेगी और

राष्ट्रीय औसत से कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों की कुल सहायता के दस प्रतिशत भाग की बजाय 20 प्रतिशत भाग आवंटित किया जाएगा ।

(ख) परिशोधित प्रारूप छठी योजना (1978-83) के लिए राज्यों को आवंटित 13394, करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता में 2000 करोड़ रुपये की राशि सामिल है जो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के प्रकार की केन्द्रीय स्कीमों में कुछ आशोधनों के कारण उपलब्ध हो गई थी । इसे आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूले के आधार पर विशेष श्रेणी मे इतर राज्यों में वितरित कर दिया गया था । इस राशि में से, 400 करोड़ रु० राज्यों को 1979-80 में दे दिया गया था, और राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदन के अनुसार 1600 करोड़ रु० की शेषराशि को राज्यों को उनकी 1980-85 की छठी योजना के लिए आय समायोजित कुल जन संख्या के आधार पर आवंटित किया गया है ।

शार्पेज लिमिटेड द्वारा क्षमता का विस्तार

270. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेजर ब्लेड निर्माता एकाधिकार कम्पनी, शार्पेज लिमिटेड के अपनी वार्षिक उत्पादन क्षमता को 20 करोड़ ब्लेडों से 45 करोड़ ब्लेड़ों तक बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि ब्लेडों का निर्माण करने वाले लघु एककों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) तथा (ख) शार्पेज लिमिटेड द्वारा अपनी वार्षिक उत्पादन क्षमता को 20 करोड़ ब्लेडों से 45 करोड़ ब्लेडों तक बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) वास्तव में एक भारतीय कम्पनी मैसर्स हरबंसलाल मल्होत्रा एण्ड सन्स, इस उद्योग में प्रभुत्व वाला एकक है । सरकार का उद्देश्य अन्य एककों द्वारा ब्लेडों का उत्पादन किए जाने को प्रोत्साहन देकर इस प्रकार के प्रभुत्व को कम करना है ।

चम्बो में हरिजनों पर हमला

271. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के चम्बो गांव में 2 जनवरी, 1981 को भूस्वामी राजपूतों द्वारा हरिजनों पर किए गए कथित हमले के समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ख) राज्य सरकार द्वारा

भेजी गई सूचना के अनुसार 2 जनवरी, 1981 की सायं को एक व्यक्ति श्री मोहन सिंह पर हरिजनों द्वारा आक्रमण किया गया। प्रतिशोध में राजपूतों ने हरिजनों पर आक्रमण किया जिसके परिणाम स्वरूप कुछ महिलाओं सहित आठ व्यक्तियों को चोटें आईं। इसका यह कारण बताया जाता है कि हरिजनों ने गांव के मंदिर की मरम्मत में योगदान देने से इन्कार कर दिया था। घायलों को चिकित्सा सहायता दी गई थी। लगभग 3700 रु० की आर्थिक सहायता भी दी गई। एक मामला दर्ज किया गया है जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस की सामायिक कार्रवाई से हरिजनों में विश्वास उत्पन्न हो गया है और अपने घरों को लौट आये हैं। अभियुक्त व्यक्तियों के हथियार छीन लिये गये हैं और उनके लाईसेंसों के निलम्बन के लिए कार्रवाई की गई है। स्थिति नियंत्रण में है। हरिजनों की सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करने के उपाय किये गये हैं।

ऋणात्मक (नेगेटिव) वृद्धि दर दर्शाने वाले बड़े उद्योग

272. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री जनार्दन पुजारी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1980-81 में औद्योगिक उत्पादन में कम वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ बड़े उद्योगों ने चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम आठ महीनों में ऋणात्मक वृद्धि दर दिखाई है;

(ग) किन-किन उद्योगों ने ऋणात्मक वृद्धि दर दिखाई है;

(घ) क्या औद्योगिक उत्पादन में कम वृद्धि दर का मुख्य कारण बिजली की कमी, श्रमिक असंतोष और तालाबंदी है; और

(ङ) क्या जनवरी और फरवरी 1981 में औद्योगिक उत्पादन और भी कम हुआ है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क), (घ) और (ङ) वर्ष 1979-80 की पिछली नकारात्मक वृद्धि दर चालू वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक महीनों में भी बनी रही। किन्तु, प्राप्त अद्यतन जानकारी के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन में जुलाई, 1980 से पुनरुत्थान हुआ है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से प्राप्त अक्तूबर, 1980 के औद्योगिक उत्पादन का अनन्तिम सूचकांक एक वर्ष पूर्व के इसी महीने की अपेक्षा 5.1 प्रतिशत अधिक है। बाद के महीनों में इसमें और अधिक सुधार होने के संकेत मिले हैं।

(ख) और (ग) उत्पादन के उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण उद्योग जिनमें एक वर्ष पूर्व की इसी अवधि की अपेक्षा अप्रैल-नवम्बर, 1980 के दौरान उत्पादन की नकारात्मक वृद्धि दर दिखाई दी है, वे विक्री योग्य इस्पात, कच्चा पैट्रोलियम, पैट्रोलियम रिफाइनरी-उत्पाद एल्यूमिनियम, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक तथा चीनी उद्योग हैं।

फरवरी 18, 1981 को उत्तर देने के लिये अन्तरिक्ष राकेट का नवीनतम माडल

273. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

भारत जो अन्तरिक्ष राकेट बना रहा है उसका नवीनतम माडल क्या है और छोड़े जाने के समय ऊपर जाने की इसकी क्षमता के लगभग बराबर की क्षमता का कौनसा अन्तर्राष्ट्रीय राकेट है;

(ख) क्या भारत इन राकेटों के लिए तरल प्रणोदकों का उत्पादन कर रहा है या इनके उत्पादन की योजना बना रहा है; और

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) एस० एल० वी०-3 के एक संशोधित रूपान्तर के छोड़ने की योजना है, जिसे ए० एस० एल० वी० कहा जायेगा। बृहत्तर प्रणोद प्रदान करने के लिये इसमें अतिरिक्त वर्धक राकेट होंगे। इस राकेट में पृथ्वी की निकट कक्षा में 150 किलोग्राम भार के उपग्रह को स्थापित करने की क्षमता होगी। सूर्य-तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में 600 किलोग्राम भार की श्रेणी वाले उपग्रहों की स्थापना के लिये अधिक शक्तिशाली ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट का विकास करने की भी योजना बनाई गई है।

ए० एस० एल० वी० राकेट की क्षमता सामान्य रूप में संयुक्त राज्य अमरीका के स्काउट राकेट के उन्नत रूपान्तर के बराबर है तथा पी० एस० एल० वी० राकेट की क्षमता एटलस एजीना राकेट के बराबर है।

(ख) जी, हां।

(ग) पी० एस० एल० वी० राकेट में इस्तेमाल किये जाने वाले प्रस्तावित तरल प्रणोदक N_2O_4 (नाइट्रोजन टेट्राक्साइड) तथा यू० डी० एम० एच० (असममित डाइनेथिल हाइड्रैजीन) हैं। N_2O_4 का निर्माण हिन्दुस्तान अर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड (एच० ओ० सी० एल०) द्वारा किया जायेगा तथा यू० डी० एम० एच० का निर्माण इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आई० डी० पी० एल०) द्वारा किया जायेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

274. **श्री के० राममूर्ति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों के वर्तमान आन्दोलन को दबाने के लिये राज्यों ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कितनी गिरफ्तारियां की हैं तथा किन-किन राज्यों ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का सहारा लिया है;

(ख) देश में बढ़ती हुई साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं;

(ग) काला-बाजारियों, जमाखोरों और तस्करों के प्रभाव को रोकने के लिये इस अधिनियम के अंतर्गत कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं; और

(घ) इन गिरफ्तारियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

उत्तरी भारत में नये सीमेंट संयंत्रों का लगाया जाना

275. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित अखिल भारतीय संगोष्ठी ने उत्तरी भारत में नये सीमेंट संयंत्र स्थापित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तरी भारत में सरकार किन-किन स्थानों पर सीमेंट संयंत्र स्थापित करना चाहती है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं। उत्तरी भारत में नये सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिये सीमेंट उत्पादन सम्बन्धी संगोष्ठी में किसी प्रकार की विशिष्ट सिफारिश नहीं की गई थी। किन्तु, संगोष्ठी में विदोहन करने योग्य चूना-पत्थर के निक्षेपों का उपयोग करके नये सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने की आवश्यकता तथा उत्तरी क्षेत्र में जैसे राजस्थान में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने संबंधी आवश्यकता के बारे में विचार-विमर्श किया गया था।

(ख) उत्तरी भारत के सरकारी क्षेत्र से सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र जारी किये गये हैं, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

पार्टी का नाम	स्थापना-स्थल	वार्षिक क्षमता (लाख मी. टन में)
(क) आशय-पत्र		
सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया	भटिण्डा (पंजाब) (पिसाई एकक)	5.00
	दिल्ली (पिसाई एकक)	5.00
जे० के० मिनरल्स	बशौली (जम्मू तथा कश्मीर)	2.00
राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम	कोटपूतली (राजस्थान)	0.66
	सिरोही (,,)	0.66
	जयपुर (,,)	0.66
	राली (,,)	0,66
	नीम-का-थाना (,,)	0.66
	गोताम (,,)	0.66
गढ़वाल मंडल विकास विभाग	पुरकुल गांव (उत्तर प्रदेश)	0.60

(ख) औद्योगिक लाइसेंस

जे० के० मिनरल्स	खड़ी (जम्मू तथा कश्मीर)	2.00
यू० पी० सीमेंट कारपोरेशन	चुनार (उत्तर प्रदेश)	16.80

सीमेंट के लिए लाइसेंस दिया जाना और क्षमता उपयोग

276. **श्री के० ए० राजन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए कई औद्योगिक लाइसेंस और आशय पत्र जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पार्टियों के नाम तथा अन्य विवरण क्या हैं जिन्हें लाइसेंस/आशय-पत्र जारी किये गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि 1978 और 1980 के बीच सीमेंट उद्योग में क्षमता उपयोग काफी कम हुआ;

(घ) यदि हो, तो तत्सम्बन्धी विवरण और कारण क्या हैं; और

(ङ) वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) जी, हां। विवरण इसके साथ संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है।

(ग) से (ङ) वर्ष 1978 और 1979 में सीमेंट की 89 प्रतिशत तथा 78 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हुआ है परन्तु वर्ष 1980 के प्रारम्भ में क्षमता का उपयोग गिरकर लगभग 70 प्रतिशत हो गया है। सीमेंट उद्योग में क्षमता का कम उपयोग प्रमुखतः कोयले तथा बिजली जैसी आवश्यक निविष्टियों की अपर्याप्त पूर्ति के कारण तथा परिवहन सम्बन्धी अड़चनों के कारण हुआ है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयास किए गए हैं जिसके फलस्वरूप क्षमता का उपयोग होने लग गया था और वर्ष के अन्त तक क्षमता के उपयोग का स्तर लगभग 80 प्रतिशत तक पहुंच गया है। क्षमता का और अच्छा उपयोग करना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निविष्टियां उपलब्ध कराने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1843/81]

हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार

277. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा फरेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं का, राज्यवार, ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य के पुलिस कर्मचारियों द्वारा किए गए बलात्कार की घटनाओं की, राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) कितने मामलों में राज्य के पुलिस कर्मचारियों को सजा दी गई है और ऐसे कितने मामले सरकार अथवा न्यायालयों में विचाराधीन पड़े हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :(क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

असम सत्याग्रह के सम्बंध में की गई गिरफ्तारियां

278. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : असम समस्या और असम सत्याग्रह के सम्बन्ध में निवारक नजरबन्दी कानूनों/अध्यादेशों के अधीन अब तक कुल कितने और कौन-कौन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं ?

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : असम सरकार के अनुसार 31-1-81 तक राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश अधिनियम के अधीन विभिन्न आधारों पर 32 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे, जिनको यथा अपेक्षित कानून के अधीन नजरबन्दियों को सूचित कर दिया गया है। उपर्युक्त नजरबन्दियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

प्रश्न में उल्लिखित विवरण

क्र० सं०	नाम	क्रम सं०	नाम
1.	श्री तरुण कुमार दास	17.	श्री तिलक हजारिका
2.	,, नागेन सकिया	18.	,, बिमन बरूआ
3.	,, विमेल कुमार सौगोई	19.	,, अतुल कोच
4.	,, निमेश सैकिय	20.	श्री विजय गोगोई
5.	,, अमर बोरा	21.	,, जीनू गोहैन
6.	,, बिरेन बोरा	22.	,, अनिल बरूआ
7.	,, बासो सिंह	23.	,, मुहीराम सैकिया
8.	,, कमल नायक	24.	,, तिलक मजुमदार
9.	,, भैरव प्रसाद दास	25.	,, कार्तिक हजारिका
40.	,, कृष्ण बरूआ	26.	,, प्रदीप दास
11.	,, उपेन दत्ता	27.	,, दलीप कुमार राजखोवा
12.	,, रोंमा बोरा	28.	,, मुरली शर्मा
13.	,, तीर्थ नाथ हजारिका	29.	,, दिहिंग दाबोटिया
14.	,, प्रो० जोगानन्द गोस्वामी	30.	,, हिरेन कुमार भट्टाचार्य
15	,, विनोदे गोस्वामी	31.	प्रो० बिरेन चालिया
15.	,, कमलेश्वर गोगोई	32.	श्री लक्ष्मीनन्दन

सेनाओं को बढ़ता हुआ संरक्षण

279. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान एशियाई देशों के एक सदस्य देश द्वारा पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं को दिए जाने वाले बढ़ते हुए संरक्षण की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह भारत के लिए चिन्ता का विषय है; और

(ग) यदि हां, तो इस खतरे का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान एशिया के कई देशों के साथ निकट सम्बन्ध और कुछ सैनिक सहयोग बनाए हुए है । यह भी पता चला है कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं के कार्मिक इन देशों में प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं ।

उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी

280. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक सम्बन्धों सम्बन्धी एक उपसमिति ने सिफारिश की है कि उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कोई कानून बनाया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) श्रम मन्त्रियों की स्थायी समिति की उप-समिति ने 12 जनवरी, 1981 को हुई अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रबन्ध तन्त्र में श्रमिकों की सहभागिता की योजना को वैधानिक समर्थन की सिफारिश की । इस सम्बन्ध में सरकार आगे की कार्यवाही पर विचार कर रही है ।

राज्यों को आवंटन का मानदण्ड

281. **प्रो० सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों के लिए किस आधार पर योजनागत आवंटन निर्धारित किया गया है; और

(ख) आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों के आर्थिक उत्थान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) राज्यों के अपने संसाधनों के सहमत अनुमानों के आधार पर और 13-14 फरवरी, 1981 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में किए गए निर्णयों के आधार पर उनको आवंटित केन्द्रीय सहायता के आधार पर विभिन्न राज्यों के लिए छठी योजना के परिव्यय नियत किए गए हैं ।

(ख) पिछड़े राज्यों की छठी योजना के लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए किए गए प्रमुख उपाय नीचे दिए गए हैं :

(1) आशोधित गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत, विशेष श्रेणी के आठ राज्यों, अर्थात् असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता की एक-मुश्त राशि अलग रख दी गई है;

(2) आशोधित गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत, राष्ट्रीय औसत से कम प्रतिव्यक्ति आय वाले छः पिछड़े राज्यों को केन्द्रीय सहायता के विभाज्य समुच्चय के 10 प्रतिशत भाग की बजाय 20 प्रतिशत भाग आवंटित किया गया है;

(3) आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूले के आधार पर राज्यों को 1600 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है;

(4) पहाड़ी क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों, जिनमें से अधिकतर पिछड़े राज्यों में अवस्थित हैं, के विकास के लिए विशेष सहायता आवंटित की गई है; और

(5) पिछड़े राज्यों के बीच 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बाजार ऋण आवंटित किए गए हैं जो सभी राज्यों को एक समान रूप में अनुमत 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के अतिरिक्त हैं।

खेल-कूद का सामान बनाने वाले उद्योग में संकट

282. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेल-कूद का सामान बनाने वाले उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है और बैंत की लकड़ी तथा केन के अभाव में क्रिकेट का बल्ला बनाने वाले कई विनिर्माताओं ने अपने एककों को बंद कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि खेल-कूद का सामान, विशेषकर क्रिकेट का बल्ला, हाकी और बिलियार्ड स्टिक आदि बनाने वालों पर केन के निर्यात का भी बहुत बुरा असर पड़ा है; और

(ग) देश में खेल-कूद का सामान बनाने वालों की सहायता के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) सरकार को बैंत (विलो) की लकड़ी और केन जैसे कच्चे माल के अभाव में क्रिकेट के बल्ले बनाने वाले एककों के बन्द होने की कोई सूचना नहीं मिली है। किन्तु, जालन्धर और मेरठ के एकक जम्मू और कश्मीर से, जो कि कच्चे माल के संभरण का मुख्य स्रोत है, बैंत (विलो) की लकड़ी के पर्याप्त संभरण में कठिनाई का सामना कर रहे हैं।

(ख) चूंकि निर्यात की केवल 1 जनवरी, 1981 से अनुमति दी गई है अतः लकड़ी पर आधारित खेल-कूद के सामान के उद्योग पर केन के निर्यात का प्रभाव आंकना समयपूर्व होगा।

(ग) सरकार ने ओ० जी० एल० के आधार पर क्रिकेट के बल्ले बनाने वालों के लिए उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु बैंत की लकड़ी के अप्रैल, 1980 से शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति पहले ही दे दी है । खेल-कूद के सामान पर आधारित उद्योग के लिए जम्मू और काश्मीर, सिक्किम तथा हिमाचल प्रदेश से बैंत (विलो) की लकड़ी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। अण्डमान, कर्नाटक और गोवा के वन विभागों से खेल-कूद के सामानों पर आधारित उद्योगों के लिए देश में केन के संभरण को भी बढ़ाया जा रहा है और क्रिकेट के बल्लों और हाकी स्टिकों के निर्यात सम्बन्धी उत्पादन के लिए स्पोर्टस गुड्स एक्सपोर्ट प्रामोशन काउन्सिल के माध्यम से उद्योग को उपलब्ध करायी जा रही है ।

टाटा ट्रक तथा बस चेसिस की बुकिंग के लिए नकद धनराशि जमा करना

283. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा लोकोमोटिव और इन्जीनियरिंग कम्पनी के टाटा ट्रक तथा बस चेसिस डीलर्स चेसिस के बुकिंग के लिए अग्रिम धनराशि जमा लेकर कर रहे हैं और इस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा है जबकि पहले बुकिंग के लिए जमा राशि को प्रतिभूति समझा जाता था और इसे पार्टी के नाम बैंक में जमा किया जाता था तथा इस पर ब्याज दिया जाता था;

(ख) क्या ये डीलर्स बिना किसी निवेश के चेसिस की बुकिंग के लिये जमा धनराशि पर लाखों रुपया कमा रहे हैं;

(ग) डीलर्स को इतनी बड़ी धनराशि का बिना ब्याज की अदायगी के उपयोग करने की अनुमति देने का क्या औचित्य है; और

(घ) क्या सरकार का इस व्यवस्था को समाप्त करने तथा इस राशि को बैंक में जमा करने की योजना को पुनः लागू करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) से (ग) मै० टेल्को ने बताया है कि उन्होंने अपने डीलरों को अपने पास बुक किये गये प्रत्येक चेसिस के लिए 6000 रु० की जमा राशि स्वीकार करने की एक पद्धति स्थापित की है । यह जमा राशि 12% ब्याज सहित चेसिस डिलीवरी के समय वापिस कर दी जाती है । यह बताया गया है कि यह पद्धति सामान्य व्यापार प्रक्रिया के अनुरूप है ।

(घ) अग्रिम जमा राशि एकत्र करना कम्पनी जमा नियमों की नियन्त्रक धाराओं के अधिकार क्षेत्र से बाहर है ।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड बैरकपुर के कारखाने में कर्मचारियों की संख्या में कमी

284. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेट, बैरकपुर के कारखाना अवश्यम्भावी बंद होने की स्थिति की ओर धकेला जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इस कारखाने के कर्मचारियों की संख्या 1966 से कम हो रही है और अब यह उस समय से आधी रह गई है;

(ग) क्या यह सच है कि इन रिक्त पदों को भरने के लिए कई वर्षों से कोई भर्ती नहीं की गई;

(घ) 1966 के बाद स्थापित किए गए हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के नये एकक कौन-कौन से हैं;

(ङ) क्या नये एककों की स्थापना करते समय बैरकपुर कारखाने के विस्तार को ध्यान में नहीं रखा गया था; यदि हां; तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का इस कारखाने में नया उत्पादन क्रम बनाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (च) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की बैरकपुर यूनिट कतिपय किस्म के विमानों की ओवरहालिंग के लिए स्थापित की गयी थी। इस तरह के विमानों को आहिस्ता-आहिस्ता सेवा से हटा दिए जाने के परिणामस्वरूप इस यूनिट में कार्यभार कम हो गया है। इसका रोजगार पर भी प्रभाव पड़ा है। कार्यभार कम होने की समस्या को देखते हुए इस फैक्टरी को कुछ अन्य प्रकार के विमानों की ओवरहालिंग का अतिरिक्त कार्य दिया गया है। 1981-82 से आगे इस यूनिट को हैलीकाप्टरों की ओवरहालिंग का कार्य भी सौंप दिया जायेगा और इसके बाद हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड यहां अपनी जनशक्ति का पूरा उपयोग कर सकेगा।

1966 के बाद हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की जो नई यूनिटें स्थापित की गई हैं वे बंगलौर कम्पलैक्स में हैलीकाप्टर प्रभाग और लखनऊ में एक्स-सरीज प्रभाग है। चूंकि बैरकपुर यूनिट में उपलब्ध दक्षता, संयंत्र और मशीन तथा अन्य सुविधाएं केवल ओवरहाल करने के लिए ही उपयुक्त हैं इसलिए इस यूनिट को निर्माणकर्त्ता यूनिट में बदलना सम्भव नहीं है।

तृतीय वेतन आयोग 1973 की सिफारशों के अनुसार जूनियर श्रेणी-एक पदों का दर्जा बढ़ाकर वरिष्ठ श्रेणी एक पद के बराबर करना

285. **श्री आरिफ मोहम्मद खान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 में तृतीय वेतन आयोग ने वैज्ञानिक सेवाओं में पांच वर्ष के बाद जूनियर श्रेणी एक पद का दर्जा बढ़ाकर वरिष्ठ श्रेणी एक पद के बराबर करने की सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो रक्षा मंत्रालय में काम कर रहे वैज्ञानिकों के बारे में इस सिफारिश को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा, जिसमें निरीक्षण महानिदेशालय और तकनीकी विकास तथा उत्पादन (वायु) निदेशालय को छोड़कर रक्षा मंत्रालय में काम करने वाले सभी

वैज्ञानिक आते हैं, के जूनियर श्रेणी ए ग के पदों को वरिष्ठ श्रेणी एक के पदों में पदोन्नत करने की व्यवस्था की गई है। इन दोनों संगठनों में भी इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत किसानों की नजरबन्दी

286. **श्री एस० ए० दोराई सेवस्तियन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राज्यवार कितने-कितने कृषकों को गिरफ्तार और नजरबन्द किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों का राज्य सरकारों द्वारा पालन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कानून और व्यवस्था की स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए राज्य सरकारों ने कितने व्यक्तियों को रिहा कर दिया है ?

गृह मंक्षालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

केरल में इजलीनाला में नौसेना अकादमी

287. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इजलीनाला में नौसेना अकादमी स्थापित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) यह मामला अभी विचाराधीन है और शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिया जाएगा :

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुभाग अधिकारियों की संयुक्त सीमित विभागीय परीक्षा लिया जाना

288. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग अनुभाग अधिकारियों की संयुक्त सीमित विभागीय परीक्षा का परिणाम घोषित करने में काफी समय लेता है और क्या यह भी सच है कि उक्त परीक्षा कराने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि जब विभिन्न मंत्रालयों में अनुभाग अधिकारियों की काफी बड़ी संख्या में अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक रिक्तियां होती रहती हैं तो उन पदों पर अन्य मन्त्रालयों के वरिष्ठ सहायकों को स्थानापन्न आधार पर नियुक्त नहीं किया जाता, जहां तक कि संबंधित मन्त्रालयों को अभ्यावेदन देने के बाद भी जिन मन्त्रालयों में रिक्तियां होती हैं वे अपने ही कनिष्ठ सहायकों को स्थानापन्न रूप में अवसर प्रदान करते हैं; और

(घ) यदि हां, इसके क्या कारण हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया) : (क) तथा (ख) पात्र सहायकों तथा ग्रेड "ए" आशुलिपिकों के लिए सम्मिलित सीमित विभागीय परीक्षा में कार्य की तीन भिन्न-भिन्न अवस्थाएं होती हैं अर्थात् पांच विषयों में लिखित परीक्षा अर्हक आशुलिपि परीक्षा (उन उम्मीदवारों के लिए जो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ख" आदि के लिए प्रतियोगी होते हैं) तथा अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के सेवा रिकार्डों का मूल्यांकन इसमें एक स्तरीय परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक समय लगता है। किन्तु आयोग किसी विशेष वर्ष में ली जाने वाली अपनी परीक्षाओं के लिए काफी समय पहले समयवद्ध कार्यक्रम तैयार करता है तथा प्रत्येक परीक्षा के कार्यक्रम का पालन करने का भरसक प्रयत्न किया जाता है।

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकार के ग्रेड तक की नियुक्तियां तथा पदोन्नतियां विकेन्द्रीकृत कर दी गई हैं तथा उनके लिए विभिन्न संवर्ग उत्तरदायी हैं। फिर भी विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के बीच भारी असमानताओं से बचने के लिए दीर्घकालिक अस्थाई रिक्तियों पर पदोन्नति के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रवर सूचियां/जोन तैयार किये जाते हैं तथा इन रिक्तियों पर इन सूचियों/जोनों में सम्मिलित अधिकारियों में से ही नियुक्तियां की जाती हैं। किन्तु कुछ अल्पकालिक रिक्तियां सम्बन्धित संवर्गों द्वारा प्रवर सूचियों/दीर्घकालिक जोनों से अधिकारियों के उपलब्ध होने तक पूर्णरूप से तदर्थ आधार पर अपने ही सहायकों में से भर ली जाती हैं।

ए० सी० प्रेशर पाईपों का निर्माण करने हेतु केरल में उद्योग की स्थापना

289. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के एस० सी० पाईपों का निर्माण करने के लिए सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में एक औद्योगिक इकाई की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या केरल सरकार ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा क्या कार्रवाई की गयी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) मैसर्स केरल प्रेमो पाईप्स फैक्ट्री, किल्लोन (केरल) ने जो केरल सरकार की पूर्णतया स्वामित्व वाली एक कम्पनी है, इस प्रकार का आवेदन किया था।

(ग) 31.12.1980 को इस पार्टी को एसबेस्टस सीमेंट प्रैसर पाईपों के उत्पादन हेतु 30,000 मी० टन की वार्षिक क्षमता के लिये एक आशय-पत्र जारी किया गया है।

कच्चे माल का रक्षित भन्डार

290. **श्री आर० प्रभु** :

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अविछिन्न औद्योगिक उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिये कच्चे माल का, विशेष रूप से जिनका पूर्णतः आयात किया जाता है, रक्षित भंडार बनाने का कोई बिचार है; और

(ख) यदि हां, तो किस-किस कच्चे माल का भंडार बनाने का बिचार है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) जी हां सरकार ने जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति सम्बन्धों वक्तव्य में यह घोषणा की है कि लघु उद्योगों की सहायता करने के लिये यह प्रस्ताव किया गया है कि जिन कच्चे माल की प्राप्ति में प्रायः कठिनाई होती है उनका पर्याप्त भंडार रखने के लिए एक योजना लागू की जाये। इस नीति सम्बन्धी वक्तव्य के अनुसरण में कच्चे मालों का पता लगाया गया है और सम्बन्धित अभिकरणों / मन्त्रालय के साथ परामर्श करके योजना के अन्य ब्योरे तैयार किए जा रहे हैं।

'सिमको द्वारा एक और माल डिब्बा विनिर्माण उद्योग की स्थापना

291. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के भरतपुर जिले के सबसे बड़े औद्योगिक संस्थान 'सिमको' के प्रबन्धक अपने उत्पादन में आधी कटौती करके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली में किसी स्थान पर एक और माल डिब्बा विनिर्माण एकक की स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं;

(ख) क्या एक ओर तो 'सिमको' में श्रमिक असंतोष के कारण 5 अक्तूबर से वहा तालाबन्दी है, दूसरी ओर रेलवे मन्त्रालय द्वारा उक्त संस्थान को विभिन्न प्रकार के माल डिब्बों के विनिर्माण के लिए लगातार आर्डर भेजे जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तों उक्त संस्थान की स्थिति को सुधारने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रबन्धकों द्वारा यह 6 अक्तूबर 1980 को घोषित तालाबन्दी 9 फरवरी 1981 को उठा ली गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

छोटे ट्रैक्टर और विद्युत चालित हल बनाने के लिए उद्योगों की क्षमता

292. श्री वीरभद्र सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों/संयंत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि कार्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे ट्रैक्टर और विद्युत चालित हल बनाने की क्षमता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन प्राइवेट एजेंसियों/कम्पनियों के नाम क्या हैं जहां से ये ट्रैक्टर प्राप्त हो सकते हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) पहाड़ी क्षेत्रों में 3 से 5 हार्स पावर रेंज के पावर टिलर कृषि कार्यों के लिए अच्छे समझे जाते हैं। वर्तमान पावर टिलर निर्माताओं के पास उनकी निर्माण क्षमता मौजूद है। जहां तक ट्रैक्टरों का सम्बन्ध है 25-हार्स पावर से कम शक्ति के ट्रैक्टर पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए बेहतर समझे जाते हैं। इन किस्मों के ट्रैक्टरों की मांग को पूरी करने के लिए वर्तमान क्षमता काफी है।

छोटे ट्रैक्टरों (25-हार्स पावर तथा उससे कम) और पावर टिलरों के निर्माताओं की सूची संलग्न है जिसमें प्रत्येक मॉडल का मूल्य दिया गया है। ये ट्रैक्टर तथा पावर टिलर विभिन्न राज्यों में उनके डीलरों से खरीदे जा सकते हैं।

विवरण

क्र० सं०	निर्माताओं का नाम	माडल	मूल्य रुपये में
	कृषि ट्रैक्टर		
1.	मै० पंजाब ट्रैक्टर्स लि० फेज V, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, जिला रोपड़-पिन कोड, 161151.	स्वराज-724 स्वराज-सरताज	54,558.00 (रेल भाड़ा मुक्त) 35,700.00 (रेल भाड़ा मुक्त)
2.	मै० एच० एम० टी० लि० 36, कन्निंघम रोड, बंगलौर-560052	जीटर-2511	50,686.00 (रेल भाड़ा मुक्त)
3.	मै० आयशर गुडअर्थ लि०, न्यू फरीदाबाद, हरियाणा	आयशर	40,810.00 (रेल भाड़ा मुक्त)
4.	मै० हर्ष ट्रैक्टर्स लि०, लोनी रोड, गाजियाबाद	टी-25	53,385.00 (एक्स फैक्ट्री)
5.	मै० रुस्तम ट्रैक्टर मैन्यूफैक्चरिंग कं० बहादुरगढ़	(छोटा माडल) (बड़ा माडल)	25,000.00 29,000.00
	पावर टिलर्स		
1.	मै० कृषि इंजिन्स लि०, सन्त-नगर, हैदराबाद	कृषि	17,020.00
2.	मै० वी० एस० टी० टिलर्स ट्रैक्टर लि०, पो० बा० नं० 4801 महादेवपुरा, बंगलौर-560048.	मित्सुबिशी	21,000.00
3.	मै० केरल ऐग्रो मशीनरी कारपोरेशन लि०, 38/697, द्वितीय मंजिल, कटेसन बिल्डिंग, महात्मा गांधी रोड, कोचीन-682011.	कुबोत	29,000.00

4.	मै० जे० के० सतोह एग्रीकल्चरल मशीन्स लि०, कमला टावर, कानपुर	जय के० सतोह	20,000.00

मणिपुर के मंत्रियों के घरों पर छापे

293. **श्री तारिक अनवर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर के कुछ भूतपूर्व मन्त्रियों के घरों पर छापे मारे गये हैं;

(ख) क्या इन छापों में कुछ आपत्तिपूर्ण दस्तावेज तथा गैर-सरकारी हथियार पकड़े गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो पूर्ण ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) प्राप्त सूचना के आधार पर विद्रोह प्रतिकार अभियान के दौरान 19 जनवरी, 1981 को दो भूतपूर्व मन्त्रियों के घरों की तलाशी ली गई थी । कुछ गोलाबारूद, गन आदि सहित एक बिना लाइसेंस की 303 राइफल और एक .30 कारबाइन (जिसका लाइसेंस समाप्त हो गया था) दो घरों से बरामद की गई थीं । फिर भी कोई अभिशंसी दस्तावेज नहीं मिला था ।

एक मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है ।

दिल्ली नगर निगम के शाहदरा स्थित कार्यालय में सम्पत्तियों के नामान्तरण के लिए प्राप्त आवेदन पत्र

294. **श्री चन्द्र पाल शैलानी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के शाहदरा कार्यालय में सम्पत्तियों के नामान्तरण के लिए 1975 में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ आवेदकों को नगर निगम द्वारा 1976 में सूचित किया गया था कि उनके नाम नामान्तरण कर दिया गया है परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं किया गया;

(ग) यदि हां, तो ऐसे आवेदकों के नाम एवं संख्या कितनी है और प्रत्येक मामले में ऐसी गम्भीर चूक के क्या कारण हैं तथा ऐसी चूक के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है, अथवा की जानी है;

(घ) क्या कुछ आवेदकों ने उनसे ली गई नामान्तरण फीस वापस करने का आवेदन दिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या नामान्तरण फीस उनको वापस कर दी गई है; और

(च) यदि नहीं, तो जब सम्पत्ति उनके नाम पर नामान्तरित नहीं की गई तो नामान्तरण फीस वापस न करने के क्या कारण हैं और नामान्तरण फीस उनको कब तक वापस कर दी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 951.

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान ।

(ङ) और (च) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अधीन नामान्तरण के लिए कोई फीस वसूल नहीं की जाती है । सम्पत्ति के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर की बकाया राशि सम्पत्ति के नामान्तरण से पूर्व निगम के उप-नियमों के अधीन पूर्णतया वसूल की जाती है । अतः नामान्तरण फीस वापस करने का प्रश्न नहीं उठता ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के स्कूल लाइन पंचायत क्षेत्र में 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन पुनः आवास स्थल दिया जाना

295. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह सम्बन्धी गृह मन्त्रालय सलाहकार समिति में निर्णय किया गया था कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के स्कूल लाइन पंचायत क्षेत्रों में वर्ष 1977 के दौरान 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अधीन आबंटित सभी आवास स्थलों को, जिन्हें बाद में रद्द कर दिया गया था, पुनः आवंटित किये जायें; और

(ख) यदि हां, तो उनके पुनः आवंटन के लिए अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए गृह मन्त्री की सलाहकार समिति की 20 दिसम्बर, 1980 को हुई बैठक में अन्य बातों के साथ यह सुझाव दिया गया था कि असंगतियों तथा अनियमितताओं के विशेष मामले यदि अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के ध्यान में गये हों, तो मुख्य आयुक्त द्वारा उनकी जांच की जानी चाहिए । यह भी सुझाव दिया गया था कि 1977 में 32 श्रमिकों को मकान स्थलों के आवंटन के जो मामले रद्द कर दिये गये थे, उनकी जांच भी मुख्य आयुक्त द्वारा की जानी चाहिए । वे इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करेंगे ।

(ख) तदनुसार अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह के उप आयुक्त और अन्य राजस्व अधिकारियों ने रद्द किये गये सभी 139 मामलों की संवीक्षा की है और पुनर्विचार किया गया है । पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप यह पता लगा है कि मकान-स्थलों के पुनः आवंटन के लिए 69 मामले विभिन्न कारणों से पात्र नहीं हैं । परन्तु अण्डमान व निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि मकान-स्थलों के पुनः आवंटन के लिए शेष 70 मामलों पर विचार किया जा सकता है, यदि वे विद्यमान कानूनों के अन्तर्गत अन्यथा पात्र पाये जाते हैं, क्योंकि पहले उनके मामले सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा आवंटनों को अस्वीकृत करने के कारण अथवा लागू नियमों तथा विनियमों के तकनीकी उल्लंघन के कारण नामंजूर कर दिये गये थे ।

परन्तु गृह मन्त्री की सलाहकार समिति की पिछली बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार प्रदेश परिषद का गठन होने तक मकान-स्थलों का आगे कोई आवंटन नहीं किया जा रहा है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष प्रदर्शनी में नेत्रहीनों को भाग न लेने देना

296. **श्री आर० एन० राकेश :**

श्री एन० ई० होरो : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के उपलक्ष में प्रधान मन्त्री द्वारा एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते समय लगभग 200 नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली के द्वार बन्द कर दिये गये थे तथा कई नेत्रहीन व्यक्तियों को उस समारोह में भाग नहीं लेने दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) इस समाचार को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ ने, अपने आन्दोलन के एक भाग के रूप में, प्रदर्शन करने और तीन मूर्ति भवन में होने वाले समारोह को भंग करने की योजना बनाई हैं, तीन मूर्ति भवन में प्रवेश करने वालों की जांच की गयी। परिणामस्वरूप लगभग 50 व्यक्तियों को उस परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया जहां समारोह होना था।

"गवर्नमेंट इन्स्टीगेटिंग पुलिसमेन" शीर्षक से समाचार

297. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 दिसम्बर, 1980 के "ट्रिब्यून" में प्रकाशित आल इण्डिया पुलिसमैन फेडरेशन द्वारा लगाये गये इस आरोप की ओर दिलाया गया है कि सरकार देश के पुलिस बल को आन्दोलनकारी तरीके अपनाने के लिये उत्तेजित कर रही है ताकि वह देश में पुनः आपात स्थिति लागू कर सके; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) आरोप सही नहीं है।

जनजाति उपयोजना के लिए आवंटन

298. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने छठी योजना तथा वार्षिक योजना 1980-81 और 1981-82 में जनजाति उपयोजना के लिए आवंटन के बारे में योजना आयोग तथा सम्बन्धित मन्त्रालय से बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यकारी दल द्वारा सुझाई गई राशि उपलब्ध कराने के लिए योजना आयोग सहमत हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सम्बन्धित मन्त्रालय द्वारा जनजाति-उप-योजना के लिए पांचवीं और छठी योजना की वार्षिक योजना के लिए राशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) कार्यकारी दल द्वारा छठी योजना हेतु की गई सिफारिशों के अनुसार आवंटन करने के लिए उनके मन्त्रालय तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा अब तक क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान । गृह मन्त्रालय ने छठी योजना और वार्षिक योजना 1980-81 में जनजाति उप-योजना के लिए आबंटन के बारे में योजना आयोग से विचार-विमर्श किया है । योजना आयोग द्वारा जनजाति विकास 1980-85 पर नियुक्त कार्यदल ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो योजना आयोग के विचाराधीन है । सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयों को जनजाति विकास 1980-85 पर कार्य दल की रिपोर्ट के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अपनाने के लिए लिखा गया है ।

(ख) और (ग) कार्य दल, 1980-85 की सिफारिशें योजना आयोग के विचाराधीन हैं ।

(घ) नौ केन्द्रीय मन्त्रालयों ने वर्ष 1978-79 और 1979-80 के लिए जनजाति उप-योजना क्षेत्रों के लिए राशि निर्धारित कर दी है । छठी योजना अवधि के लिए केन्द्रीय मन्त्रालयों के साथ राशियों को निर्धारित करने की कार्रवाई की जा रही है ।

(ङ) मन्त्रालय योजना आयोग के साथ मामले पर कार्रवाई कर रहा है । जनजातियों के विकास के लिए राशियों को निर्धारित करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए समय-समय पर केन्द्रीय मन्त्रालयों के साथ विचार-विमर्श किया गया है । प्रधान मन्त्री ने केन्द्रीय मन्त्रियों को लिखे तारीख 12 मार्च, 1980 के अपने पत्र में जनजाति विकास के लिए राशियों के परिमाणन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है । गृह सचिव ने तारीख 1-7-1980 को विकास से सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों के सचिवों को लिखे अपने पत्र में उनसे विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत जनजाति उप-योजना क्षेत्रों के लिए प्रत्येक योजना के अन्तर्गत परिमाणित निधियों को दिखाने का अनुरोध किया था ।

विवरण

क्र० सं०	मंत्रालय/विभाग का नाम	योजना का नाम	जनजाति उपयोजना के लिए निर्धारित राशि	
			1978-79	1979-80
			(रुपए लाखों में)	
1	2	3	4	5
1.	कृषि	(i) वन	425.00	510.00
		(ii) भूमि और जन संरक्षण	403.00	415.00
		(iii) पशु पालन	297.00	160.00
		(iv) फसल अभिमुखी कार्यक्रम	164.00	22.00
		(v) लघु सिंचाई और जल प्रबन्ध	55.00	55.00
		(vi) मछली पालन	14.00	25.00
		(vii) अनुसंधान और शिक्षा	28.90	78.00

1	2	3	4	5
2.	ग्रामीण पुनर्निर्माण	(i) जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक बाजार का विकास	30.00	30.00
		(ii) प्रयुक्त पोषण कार्यक्रम (ए. एन. पी.)	13.66	13.26
3.	शिक्षा और समाज कल्याण	(i) अनौपचारिक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	28.80	150.00
		(ii) छात्रवृत्तियां	2.00	3.00
		(iii) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद–जनजाति छात्रों के लिए विशेष पाठ्यचर्या सामग्री और जनजाति क्षेत्रों का अध्ययन आदि का कार्य कर रहे शिक्षा अधिकारियों के लिए पूर्वाभिमुखी कार्यक्रम	1.00	10.00
		(iv) विद्यालय स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम	उ. न.	150.00
		(v) व्यवसायीकरण	उ. न.	15.00
		(vi) समग्र बाल विकास सेवाएं	82.51	107.75
		(vii) प्रौढ़ महिलाओं के लिए क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम	35.48	40.61
4.	नौवहन और परिवहन	केन्द्रीय क्षेत्र सड़क योजना	900.00	1050.00
5.	डाक और तार महानिदेशालय	जनजाति क्षेत्रों में दूर संचार	750.00	750.00
6.	ऊर्जा	ग्रामीण विद्युतीकरण	2477.00	2800.00
7.	नागरिक आपूर्ति और सहकारिता	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (जनजाति क्षेत्रों में सहकारिता के लिए)	230.00	300.00
8.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	(i) सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवी	उ. न.	366.00
		(ii) बहु-उद्देशीय श्रमिकों को प्रशिक्षण और रोजगार	उ. न.	117.80
		(iii) श्रवण शक्ति क्षति की रोकथाम और अंधेपन पर नियंत्रण	उ. न.	85.26
		(iv) तपेदिक नियंत्रण	उ. न.	17.32

1	2	3	4	5
		(v) कुष्ठ रोग नियंत्रण	उ. न.	25.50
		(vi) एस. टी. डी. नियंत्रण	उ. न.	1.43
		(vii) एन. एम. ई. पी. (ग्रामीण)	उ. न.	457.86
		(viii) पाईलेरिया नियंत्रण	उ. न.	1.60
9.	श्रम मंत्रालय	बंधक मजदूर	97.64 (अनु. जा./अनु. ज. जाति के लिए)	53.62

आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए संसाधन

299. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में आदिवासी उपयोजनाओं के लिए आर्थिक उत्थान के लिए अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत (एक) विशेष केन्द्रीय सहायता से, (दो) आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन को मजबूत करने के लिए अनुच्छेद 275 (1) के के अधीन केन्द्रीय सहायता से, (तीन) राज्य क्षेत्र परिव्यय से (चार) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से, (पांच) संस्थागत वित्त पोषण से (छः) केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाओं से और (सात) आदिवासी क्षेत्रों में योजनाओं के लिए राज्यों के द्वारा मांगे गए विश्व बैंक ऋण से जुटाये गए संसाधन क्या हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय में आदिवासी उप-योजना के लिए उक्त संसाधन जुटाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसको मंत्रालयवार और राज्यवार धन राशि कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जनजाति उप-योजना 1980-85 के लिए 470 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता बतायी गई है । जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए सातवें वित्त आयोग ने जनजाति क्षेत्र में नियुक्त राज्य कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ते की अदायगी और रिहायशी आवास के निर्माण के लिए 1979-84 में 42.63 करोड़ रुपये की सिफारिश की राज्य क्षेत्र के परिव्यय, केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा विभागों और संस्थागत वित्त का अभी मूल्यांकन करना है । दो योजनाओं–पुस्तक बैंक तथा प्रशिक्षण एवं सम्बद्ध योजनाओं को छोड़कर जिनमें अनु० जातियों तथा अनु० जनजातियों दोनों के लिए अवयव हैं और जिनका अलग से मूल्यांकन नहीं किया गया है, जनजाति विकास के लिए पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अधीन गृह मंत्रालय की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की धनराशि छठी योजना अवधि के लिए 36.5 करोड़ रुपये आंकी गई है । पुस्तक बैंक ऋणों के लिए राज्यों की मांगें उनकी आर्थिक उप-योजना दस्तावेज, 1980-85 न होने के कारण मालूम नहीं है ।

आदिवासी उप-योजना

300. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने छठी योजना की आदिवासी उपयोजना के बारे में सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या निर्णय लिया गया तथा राज्यों द्वारा उपयोजना के लिए किन-किन नीतियों, कार्यक्रमों और उपबन्धों के बारे में सहमति प्रदान कर दी गई है;

(ग) उपयोजना क्षेत्रों हेतु धनराशि का निवारण करने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा राज्यों तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों को क्या-क्या मार्गदर्शी नियम जारी किए गए हैं; और

(घ) उस उप-योजना के लिए वार्षिक योजना तथा छठी योजना में विभिन्न स्रोतों से कितनी-कितनी नियत धनराशि उपलब्ध होगी ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) योजना आयोग ने जून, 1980 में राज्यों को जनजातीय उपयोजना के लिए छठी योजना के प्रस्तावों को तैयार करने में राज्यों द्वारा ध्यान में रखी जाने वाली बातों के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए थे, जिनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है। राज्यों/संघ क्षेत्रों के प्रस्तावों पर आरंभिक विचार-विमर्श गृह मन्त्रालय में किया गया था। हरैक राज्य के लिए अनुमोदित समग्र परिव्ययों को ध्यान में रखते हुए 1981-82 और 1980-85 के लिए कार्यक्रमों और परिव्ययों के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श योजना आयोग में जल्दी ही किया जाएगा।

केन्द्रीय मन्त्रालयों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने संसाधनों से जनजातीय उप-योजना को दी जाने वाली धनराशि निर्धारित करें और उसकी मात्रा तय करें तथा यह सुनिश्चित करें कि ये धनराशि की व्यवस्थाएं जनजातीय क्षेत्रों के विकास के स्तर से सम्बन्धित हों।

विवरण

जनजातीय उपयोजनाएं :

(क) जनजातीय उप-योजना में पंचवर्षीय योजना की अवधि में निरूपित किए गए मौजूदा जन जातीय क्षेत्रों को और साथ ही ऐसे क्षेत्रों से बाहर के निर्धारित और अनुमोदित किए गए अतिरिक्त जनजातीय आंतर-निवासों को समाविष्ट किया जाना चाहिए।

(ख) राज्य योजनाओं से धनराशि की प्राप्ति राज्य योजनाओं के नए आकार के हिसाब से गिनी जानी चाहिए। अलग-अलग सम्बन्धित क्षेत्रकों से मात्रा भी उपयुक्त रूप में तय की जानी होगी।

(ग) गृह मन्त्रालय से विशेष केन्द्रीय सहायता का अंशदान वही होगा जो पहले सूचित किया जा चुका है।

(घ) विकास के लिए निर्धारित किए गए हरेक परिवार की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई परिवारोन्मुख स्कीमों पर ही जोर है, इसलिए जनजातीय किकास में संस्थागत वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसलिए वित्तीय संस्थाओं को पूरी तरह से संवद्ध किया जाना चाहिए।

(ङ) विभिन्न स्रोतों से, अर्थात् राज्य योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और संस्थागत वित्त से धनराशि की प्राप्ति स्पष्ट रूप से अलग-अलग बताई जानी चाहिए।

(च) प्रशासनिक तंत्र को कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए उत्तरदायित्व दिया जाता है उसे दक्ष कार्यान्वयन के लिए उसका उपयुक्त रूप से पुनर्गठन किया जाना चाहिए और उसे ठीक करके गतिशील बनाया जाना चाहिए, इस संबंध में महेश्वर प्रसाद समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों की प्रति आपको गृह मन्त्रालय द्वारा भेजी जा चुकी है ।

(छ) आदिम जनजातीय समूहों के लिए विकास कार्यक्रमों के लिए 100 प्रतिशत विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है, उसे अलग से तैयार किया जाना चाहिए और उसे कार्यान्वयन में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

(ज) प्रबोधन और मूल्यांकन व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिससे वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए यथावश्यक स्कीमों की समीक्षा की जा सकेगी और उन्हें फिर से तैयार किया जा सकेगा । सभी विकास विभागों को जनजातीय लोगों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों के संबंध में अपने विशेष उत्तरदायित्व से परिचित करा देना चाहिए ।

सशस्त्र सेना मुख्यालय में सहायता के अनुपात में वृद्धि का प्रस्ताव

301. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेना मुख्यालय में सहायकों के अनुपात में वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव पर विचार करने में कितना समय लग गया है और नवीनतम स्थिति क्या है;

(ग) अन्तिम निर्णय न लिए जाने के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो सशस्त्र सेना मुख्यालय में सहायकों का अनुपात क्या होगा; और

(ङ) अनुपात में वृद्धि से कुल कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) यह प्रस्ताव अक्तूबर, 1977 से सरकार के विचाराधीन रहा है ।

चूंकि सशस्त्र सेना मुख्यालयों में लिपिकीय संवर्ग के बारे में किये जाने वाले किसी निर्णय का अन्यत्र भी प्रभाव पड़ सकता है इसलिए अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके इस मामले की जांच की जा रही है ।

(घ) सशस्त्र सेना मुख्यालयों की कुल लिपिक वर्गीय संख्या का 28 प्रतिशत ।

(ङ) लगभग 160 ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को दिया गया मुआवजा

302. **श्री राम चन्द्र रथ** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान औद्योगिक दुर्घटनाओं में घायल हुए कर्मचारियों

को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत मुआवजे के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(ख) देश में बढ़ती हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या जिन फैक्टरियों के कर्मचारियों की संख्या 1000 से ज्यादा है, वह सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए राज्य सरकारों को दिशा निदेश भेज दिये गये हैं;

(घ) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को वह अनुदान जो 1977 में समाप्त कर दिया था, पुन: देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) औद्योगिक दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

1. कार्य-स्थल पर बेहत्तर सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1976 में कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन महत्वपूर्ण संशोधनों में एक संशोधन यह है कि उन कारखानों में, जहां 1000 या अधिक श्रमिक नियोजित हैं, और उन कारखानों में, जहां खतरनाक प्रक्रियाएं होती हैं, सुरक्षा अधिकारियो की नियुक्ति की जाए । अन्य संशोधन उन दुर्घटनाओं, जहां मृत्यु हो जाती है, के सभी मामलों की शीघ्र जांच-पड़ताल से संबंधित है ।

2. सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कारखानों के निरीक्षकों, प्रबंधतंत्र और श्रमिकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना ।

3. अनुसंधान आयोजित करना और श्रम संस्थानों, कारखाना निरीक्षणालयों तथा अन्य प्रोत्साहन सम्बन्धी एजेंसियों के माध्यम से श्रमिकों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और कल्याण के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण, सलाहकारी और परामर्शी कार्यकलापों को प्रोत्साहन देना ।

(ग) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40(ख) के अधीन माडल नियमो के रूप में मार्गदर्शी सिद्धान्त, जो सुरक्षा अधिकारियों की अर्हताओं, सेवा शर्तों और उनके कार्यों से संबंधित हैं, राज्य सरकारों को भेजे गए हैं कि वे इन्हें ऐसे संशोधनों के साथ अपनाएं जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल आवश्यक समझे जाएं ।

(घ) और (ङ) सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को उपयुक्त अनुदान देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

विवरण

लाभ का स्वरूप	राशि 1979-80 (वास्तविक)	राशि 1980-81 (नवम्बर, 1980 तक वास्तविक)
		(रुपये लाखो में)
(1) अस्थायी अपंगता	6,93.68	5,63.07
(2) स्थायी अपंगता	6,50.83	4.58.19
जोड़	13,44.51	10,21.26

संघटक आयोजना तथा जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत उड़ीसा के लिए आवंटन

303. **श्री राम चन्द्र रथ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघटक आयोजना तथा जनजातीय उपयोजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कल्याण है;

(ख) यदि हां, तो संघटक आयोजना तथा जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 के लिए उड़ीसा राज्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार को उड़ीसा में जिला गंजम की जनजातियों के उत्थान के लिए कोई वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(घ) यदि हा, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) 1981-82 के लिए आवंटनों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) जिला गंजम के कुछ भाग पार्लाकामेदी एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना में शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिला गंजम में साओरा जनजाति जो आदिम जनजाति के रूप में जानी जाती है, के विकास के लिए तीन लाघु परियोजनाएं हैं। वर्ष 1980-81 के दौरान इन तीन परियोजनाओं के लिए 9,10,000 रुपए स्वीकृत किए गए थे।

मारुति लिमिटेड के अंशधारियों तथा जमा-कर्ताओं को मुआवजा

304. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंशधारियों तथा आम जनता के जमाकर्ताओं को, जिन्होंने मारुति प्राइवेट लिमिटेड में पूंजी लगाई थी, मुआवजा देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक उक्त व्यक्ति का नाम, उसका पता तथा उनको अदा की जाने वाली राशि का ब्यौरा सभा पटल पर रखेगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 में अधिनियम में दिए गए शेड्यूल के अनुसार जमाकर्ताओं को मुआवजा देने का प्रावधान है। अधिनियम में शेयरधारियों को मुआवजा देने का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। भुगतान आयुक्त द्वारा पात्र पार्टियों को भुगतान किया जायेगा।

छठी योजना में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

305. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना तैयार करते समय, इस बात को ध्यान में रखा गया है कि भारत की 48 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रही है; और

(ख) यदि हां, तो गरीबी उन्मूलन हेतु ठोस कार्यक्रम क्या हैं तथा इनके लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवरी) : (क) जी, हां।

(ख) अब राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) प्रारूप में 5.2 प्रतिशत की वार्षिक दर संवृद्धि के लिए व्यवस्था की गयी है। अर्थ-व्यवस्था की संवृद्धि की समग्र दर में पर्याप्त वृद्धि से ही गरीबी में कमी के लिए अनुकूल दशायें उत्पन्न हो जायेंगीं। इसके अलावा, गरीब वर्गों को सीधे सहायता देने के लिए विशिष्ट स्कीमें शुरू की जायेंगीं। 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी कुछ स्कीमें इस प्रकार हैं :

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम. स्वरोजगार के लिये ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के लिये प्रस्तावित परिव्यय 3,486.77 करोड़ रुपये है। योजना में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 720.30 करोड़ रु०तथा अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना, अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उपयोजना और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिये 1,310,00 करोड़ रुपये की भी व्यवस्था की गयी है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिये 5808 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है।

व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक का प्रस्ताव

306. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार है कि केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों और विभिन्न फैडरेशनों के परामर्श से एक व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक लाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो यह विधेयक पुनःस्थापित करने के लिये क्या समय सीमा निर्धारित की गयी है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामदुलारी सिन्हा) :(क) और (ख) इस समय व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस मामले में सरकार द्वारा नियोजकों, ट्रेड यूनियनों और राज्य सरकारों के साथ किये गए विचार-विमर्श को मद्देनजर रखते हुए तथा मतैक्य को देखते हुए, तीन कानूनों में, जिनमें ट्रेड यूनियनें, स्थायी आदेश तथा औद्योगिक विवाद शामिल हैं, तत्काल संशोधन करने पर विचार किया जा रहा। सरकार का कुछ लोक सभा के चालू सत्र में संशोधी विधेयक पेश करने का इरादा है।

समेकित मजूरी ढांचा नीति

307. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय ट्रेड संगठनों और अन्य निकायों के साथ विचार-विमर्श करके बोनस के मामले में एक सामान्य दृष्टिकोण अपनाकर एक समेकित मजूरी ढांचा नीति तैयार करने का है,

(ख) क्या मजूरी ढांचा नीति के बारे में वर्तमान परिवर्तन तथा सन्देह के दूर करने के लिये सरकार ऐसी नीति तैयार करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित करना चाहती है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) सरकार इस समय एक विवरण तैयार करने में व्यस्त है, जिसमें वेतन नीति के मुख्य तत्व शामिल होंगे। इस विवरण को नियोजकों और श्रमिकों के साथ परामर्श करके आगामी राष्ट्रीय त्रिपक्षीय बैठक में अन्तिम रूप देने का प्रस्ताव है।

प्रशिक्षुता योजना में सम्मिलित व्यवसायों के नाम

308. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशिक्षुता योजना में कौन-कौन से व्यवसाय सम्मिलित किये गये हैं;

(ख) क्या यह आवश्यक कर दिया गया है कि नियोक्ताओं को प्रशिक्षुता के लिए आवेदन आमंत्रित करने सम्बन्धी विज्ञापन देने चाहिएं; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा): (क) शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन निर्दिष्ट व्यवसायों तथा इन्जीनियरी और प्रौद्योगिकी के विषय क्षेत्रों की सूची संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन ऐसा कोई उपबन्ध विद्यमान नहीं है। तथापि, नियोजकों को शिक्षुओं की भर्ती करने के लिये विज्ञापन जारी करने के अतिरिक्त रोजगार कार्यालय की सुविधाओं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों, क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालयों तथा राज्य शिक्षुता सलाहकार की सेवाओं का उपयोग करने की स्वतन्त्रता है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1844/81]

अखिल भारतीय केन्द्रीय सेवाओं में श्रेणी- II के अधिकारियों की पदोन्नत का अनुपात

309. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग के 50 प्रतिशत श्रेणी- अधिकारियों को भारतीय राजस्व सेवा की श्रेणी-I में पदोन्नति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी अखिल भारतीय केन्द्रीय सेवाओं के अन्य विभागों में भी उसी अनुपात का पालन किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो सेवायें कौन-कौन सी हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या): (क) जहां तक आयकर विभाग का सम्बन्ध है, आयकर अधिकारी (श्रेणी-I) के ग्रेड में रिक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा

आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा तथा आयकर अधिकारी (श्रेणी-II) के ग्रेड से पदोन्नति द्वारा 1:1 के अनुपात में भरी जाती हैं।

(ख) से (घ) श्रेणी–11 से श्रेणी 1 में पदोन्नति के प्रयोजनों के लिये यह अनुपात प्रत्येक सेवा में भिन्न-भिन्न है जो पद्धति-सेवा के कार्यक्षेत्र (फील्ड आफ आपरेशन) तथा श्रेणी-I और श्रेणी–11 दोनों में अधिकारियों की सम्पूर्ण संवर्ग पद स्थिति पर निर्भर करता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सभी केन्द्रीय सेवाओं के लिए पदोन्नति का एक समान अनुपात निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

मारुति लि० के संयंत्रों और मशीनरी का सत्यापन

310. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति प्रा० लि० के संयंत्रों और मशीनरी का उस समय कोई वास्तविक सत्यापन किया गया था जब अभिरक्षक (कस्टोडियन) ने 13 अक्तूबर 1980 को सरकारी परिसमापक से इनका अधिग्रहण किया था;

(ख) यदि हां, तो इस दिन प्राप्त किये गए संयंत्रों और मशीनरी का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मद की लागत क्या है;

(ग) यदि कोई वास्तविक सत्यापन नहीं किया गया था इसके क्या कारण हैं और;

(घ) क्या यह राष्ट्रीयकरण के बाद जो संयंत्र और मशीनरी वहां थी उनका ब्यौरा माल बही में लाने का कोई प्रयास किया गया था और यदि हां, तो मशीनरी का उसकी लागत सहित ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर में उल्लिखित संयंत्र व मशीनें निगमित की जा रही नई कम्पनी के अधिकार में तथा उसके खाते में होगीं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या लि० टी० 1845/81]

स्वास्थ्य मन्त्रालय के भारतीय सांख्यिकीय सेवा ग्रेड-3 के अधिकारियों का विश्व स्वास्थ्य संगठन, जनेवा में नियुक्ति के लिए चयन

311. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांख्यिकीय सेवा (ग्रेड-3) के स्वास्थ्य मंत्रालय में काम करने वाले कुछ अधिकारियों का चयन चालू अर्द्ध-वर्ष के दौरान बिश्व स्वास्थ्य संगठन, जनेवा में नियुक्ति के लिए किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और चयन की पद्धति क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ अधिकारी एक वर्ष अथवा इसके लगभग समय से सेवा निवृत्त होने वाले हैं;

(घ) यदि हां, तो भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-2 तथा 3 में तुलनात्मक रूप से उन युवा अधिकारियों को न चुनने के क्या कारण हैं जिनका सेवाकाल अभी कई वर्ष हैं; और

(ङ) क्या इनके मन्त्रालय ने अल्पकालीन विदेशी नियुक्तियों के लिए अधिकारियों के चुनाव के संबंध में कोई निर्देश जारी किये हैं और यदि हां, तो क्या ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० बेंकट सुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी हां,। संयुक्त राष्ट्र संगठनों से सम्बन्धित नोडल मन्त्रालय किसी अधिकारी को संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की सहमति के अध्यधीन अधिक से अधिक 6 महीने की अवधि के लिए कोई अल्पकालीन नियुक्ति स्वीकार करने की अनुमति स्वयं दे सकते हैं ।

पर्यावरण का औद्योगिक प्रदूषण से बचाव

312. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक प्रदूषण तथा वनों के वाणिज्यिक उपयोग के कारण उत्पन्न हो रहे गम्भीर खतरे को देखते हुए प्राकृतिक पर्यावरण के बचाव के लिये कोई कार्रवाई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह योजना कब तक तैयार की जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार ने फरवरी, 1980 में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन पर्यावरणीय प्रतिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधायी उपायों और प्रशासनिक तंत्र की सिफारिश करने के लिए किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 15 सितम्बर, 1980 को पेश की थी। इसने औद्योगिक प्रदूषण और वनों के दोहन के खिलाफ पर्यावरणीय प्रतिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई सिफारिशें की हैं। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से एक मुख्य सिफारिश यह थी कि भारत सरकार में एक पर्यावरण विभाग की स्थापना की जानी चाहिये। पहली नवम्बर, 1980 से पर्यावरण विभाग का सृजन कर दिया गया है। इस समिति की अन्य सिफारिशों को नवस्थापित विभाग को प्रेषित कर दिया गया है ताकि उन्हें आवश्यक अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त रूप से सरकार को प्रस्तुत किया जा सके। इसे इस समय किया जा रहा है । पर्यावरण विभाग की मौजूदा गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं :—मुख्य विकास परियोजनाओं (जल विद्युत और तापीय शक्ति परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं, रासायनिक/पेट्रोरासायनिक उद्योगों आदि) का पर्यावरणीय मूल्यांकन; पर्यावरणीय अनुसंधान का

सम्बर्द्धन; जीवमण्डल रिजर्वों की स्थापना और प्रबन्ध; पारिस्थितिकीय बहाली के लिए पर्यावरणीय जागरूकता का सृजन करना और पर्यावरणीय शिक्षा कार्य को आगे बढ़ाना; पारिस्थितिकीय मानचिण और पर्यावरणीय मानीटरन। इस क्षेत्र में योजना सम्बन्धी गतिविधियों के लिए छठी योजना (1980-85) में 40 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड औद्योगिक और अन्य कारणों से होने वाले जल प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी है। वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों को वायु (प्रदूषण का निवारण और नियन्त्रण) विधेयक के अधिनियमित किए जाने के पश्चात हाथ में लिए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है।

(घ) यह एक लगातार चलने वाला कार्यक्रम है जिसे उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को संसाधित करने और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के पश्चात और अधिक बढ़ावा और समर्थन प्राप्त होगा।

बोरबिल (उड़ीसा) में छोटे सीमेंट संयंत्र की स्थापना

313. **श्री हरिहर सोरेन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1981-82 के वित्त वर्ष के दौरान देश में छोटे सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में स्थापित किये जाने वाले ऐसे प्रस्तावित संयंत्रों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार की बोरबिल खान क्षेत्र में कुछ छोटे सीमेन्ट संयंत्रों की स्थापना करने की कोई योजना है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) और (ख) 1981-82 के दौरान देश में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने हेतु सीमेंट कारपोरेशन आफ इन्डिया के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड ने जिला सुन्दरगढ़(उड़ीसा) तहसील राजगंगापुर कटरा-किरिंगसेरा (कतरा ब्लाक) में 66,000 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता हेतु एक मिनी सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने के लिए अप्रैल 1980 में एक आशय-पत्र प्राप्त किया है।

(ग) बरबिल खनन क्षेत्र में मिनी सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने के लिए आशय-पत्र देने हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमेन्ट उद्योग का क्षमता उपयोग

314. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सीमेन्ट संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संयंत्रों की विद्यमान वार्षिक क्षमता क्या है तथा उसमें कितना विस्तार करने का विचार किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) देश में विद्यमान सीमेंट का विस्तार करके अतिरिक्त क्षमता की स्थापना को प्रोत्साहन देना सरकार की नीति है।

(ख) और (ग) आज की तारीख तक वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 262.90 लाख मि. टन है । विद्यमान एककों का पर्याप्त विस्तार करके 54.60 लाख मी. टन की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है ।

विज्ञान केन्द्रों की स्थापना

315. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों में विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या उन पिछड़े क्षेत्रों को, जहां इन केन्द्रों की स्थापना की जाएगी, चुन लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के नाम तथा इन केन्द्रों के मुख्य कार्य क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) देश के पिछड़े क्षेत्रों में विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है । बहरहाल, छठी योजना 1980-85 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर कार्यकारी दल द्वारा योजना आयोग को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय और ग्रामीण विकास में और समाज के कमजोर वर्गों के विकास के लिए क्या भूमिका अदा कर सकती है । इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन मजदूरों और समाज के कमजोर वर्गों के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशिष्ट योजनागत योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है । इस योजना के अधीन, जहां इन समुदायों के हित के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का समर्थन किया जा सकता है वहां विशिष्ट परियोजनाओं और कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे विज्ञान-आधारित गतिविधियों में शामिल हों । एक अलग योजना के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राज्य परिषदों की स्थापना की जाएगी और इनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वे पिछड़े इलाकों की आवश्यकताओं को पूरा करें ।

आत्महत्या के मामले

316. **प्रो० रूप चन्द पाल** :

श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या गृह मंत्री गत एक वर्ष के दौरान, महीनेवार (राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार) देश में दर्ज कराये गये आत्महत्या के ऐसे मामले जो कि दहेज के

कारण हुए, की कुल संख्या का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : सूचना एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

परमाणु ईंधन

317. **श्री गुफरान आजम** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हमारे परमाणु संयंत्रों की ईंधन सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहती रहेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो परमाणु ईंधन के मामले में आत्म-निर्भर बनने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) देश में जो परमाणु बिजलीघर स्थापित किए जा रहे हैं उनमें प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में काम में लाया जाएगा । प्राकृतिक यूरेनियम के जिन भंडारों का पता देश में अब तक चल चुका है, वे इस कार्य के लिए पर्याप्त रहेंगे । देश में ईंधन तैयार करने वाली सुविधाओं में भी समुचित वृद्धि की जा रही है ।

इलेक्ट्रोनिक उद्योगों में वृद्धि-दर

318. **श्री गुफरान आजम** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि-दर तेजी से नहीं बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार (एक) उपभोक्ता, (दो) संचार, (तीन) कम्प्यूटर तथा (चार) अंतरिक्ष सुरक्षा संबंधी इलेक्ट्रानिकी से संबंधित साज-सामान की मात्रा तथा किस्म में सुधार करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) इलेक्ट्रॉनिकी-उद्योग के अधिकांश क्षेत्रों में प्रगति की दर संतोषजनक है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) छठी योजनावधि 1980-85 में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में मात्रात्मक दृष्टि से जिन प्रगति दरों की परकल्पना की गई है, उनका ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :

(1) उपभोक्ता इलेक्ट्रानिकी	22.0%
(2) संचार-उपस्कर	20.0%
(3) कम्प्यूटर	40.0%
(4) वायु आकाश (एरोस्पेस) तथा रक्षा इलेक्ट्रानिकी	15.0%

प्रगति की ये दरें आंशिक रूप से सार्वजनिक और गैर-सरकारी, इन दोनों ही क्षेत्रों में उपलब्ध विद्यमान क्षमता के बेहतर उपयोग द्वारा और आंशिक रूप से नई क्षमता स्थापित करने के माध्यम से हासिल की जाएंगी।

जहां तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की क्वालिटी (गुणवत्ता) सुधारने का प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण (एस. टी. क्यू सी.) नामक एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया है, जिसके अंतर्गत छोटे तथा मध्यम स्तर के उद्योगों को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से, और खास तौर पर समग्रतः उनके इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों की गुणवत्ता (क्वालिटी) में सुधार लाने की दृष्टि से 18 इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकस केन्द्र (ई. टी. डी. सी.) स्थापित किए जा रहे हैं।

परुलेकर समिति के निर्णय की क्रियान्विति

319. **श्री गुफरान आजम** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परुलेकर रिपोर्ट की समिति के निर्णय समाचार पत्रों के कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं द्वारा स्वागत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पार्टियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाने की सम्भावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों सम्बन्धी अधिकरणों की सिफारिशों के बारे में कर्मचारियों और नियोजकों की मिश्रित प्रतिक्रिया हुई है यद्यपि कुछ ने उनका स्वागत किया है, परन्तु कुछ अन्यों ने उन्हें न्यायालयों में चुनौती दी है। सरकार ने आदेश जारी किए हैं जिसमें मंहगाई भत्ते से सम्बन्धित सिफारिशों को छोड़कर अधिकरणों की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार किया है। इन्हें कानून का बल प्राप्त है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए कानून में व्यवस्था है। इन आदेशों के कार्यान्वयन को लागू करने के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले में उचित कार्यवाही करें।

रेयर अर्थ स्टेशन प्रोजेक्ट, छतरपुर के कार्य में हुई प्रगति

320. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में छतरपुर स्थित रेयर अर्थ स्टेशन प्रोजेक्ट के कार्य में अब तक कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के निर्माण पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च हो चुकी है; और

(ग) यह परियोजना कब पूरी होने जा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के छतरपुर स्थित उड़ीसा खनिज रेत उद्योग-समूह (ओसकाम परियोजना) के निर्माण में अब तक हुई प्रगति में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं—स्थल के तैयार करने का काम पूरा करना, विदेशी सहयोगियों द्वारा प्लांटों तथा उपस्करों के डिजायनों का तैयार किया जाना, अधिकांश प्लांटों एवं

मशीनों के लिए आर्डरों का दिया जाना तथा फैक्ट्री के तथा अन्य प्रकार के भवनों तथा सहायक सुविधाओं से सम्बन्धित सिविल निर्माण कार्यों एवं तंरचना कार्यों के लिए ठेके देना। संयंत्र-भवनों, रिहायशी बस्ती, रेलवे साईडिंग, जल तथा बिजली की सप्लाई की व्यवस्था और फैक्ट्री के भवनों से भिन्न अन्य भवनों से सम्बन्धित सिविल निर्माण-कार्य चल रहा है और स्टील तथा सीमेंट प्राप्त किए जा रहे हैं ।

(ख) 31 दिसम्बर, 1980 तक परियोजना के निर्माण पर 33.2 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं।

(ग) अब परियोजना के यांत्रिक पक्ष के काम के मई, 1982 तक पूरा हो जाने और व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के दिसम्बर, 1982 तक आरम्भ होने की आशा है ।

उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना के लिए मंजूरी

321. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में 1980-81 और 1981-82 में किन्हीं उद्योगों की स्थापना के लिए मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों के नाम क्या हैं और इन उद्योगों में निवेश की राशि कितनी है; और

(ग) क्या 1980-81 में इनमें से किसी उद्योग की स्थापना हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य में 1980 और 1981 (जनवरी 81 तक) में औद्योगिक एककों के लिए 15 आशय-पत्र और 8 औद्योगिक लाइसेन्स दिये गये ।

(ख) सभी आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेन्स के विवरण को जिसमें पार्टी का नाम, उत्पादन की वस्तु आदि का उल्लेख होता है "वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेन्सेज एक्सपोर्ट लाइसेन्सेज एण्ड इण्डस्ट्रियल लाइसेन्सेज" में और इण्डियन इन्वेस्टमेन्ट सेन्टर द्वारा प्रकाशित "मन्थली न्यूज लेटर" के परिशिष्ट में प्रकाशित किया जाता है ।

औद्योगिक विकास विभाग के सचिवालय में सभी प्रकरणों में किये गये निवेश सम्बन्धी सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है ।

(ग) एक आशय-पत्र 12 महीने की वैध अवधि के लिए जारी, किया जाता है इसकी वैधता अवधि एक वर्ष और बढ़ाई जा सकती है। आशय-पत्र की शर्तों के पूरा किए जाने के बाद इसे औद्योगिक लाइसेन्स में बदल दिया जाता है इसकी प्रारम्भिक वैधता अवधि दो वर्ष होती है जिसे प्रशासकीय मंत्रालय उचित कारणों से दो साल के लिए और बढ़ा सकता है। अतएव उक्त आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेन्स अभी कार्यान्वयन की प्रारम्भिक अवस्था में होंगे ।

पूर्वोत्तर बिहार में भर्ती केन्द्र

322. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेना का कोई भर्ती-केन्द्र नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सीमा क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिये पूर्णिया (बिहार) में सेना का एक भर्ती-केन्द्र स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार करने का है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। बिहार के उत्तर-पूर्व क्षेत्र की मांग को मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी और मुर्शिदाबाद स्थित शाखा भर्ती कार्यालयों द्वारा पूरी तरह से पूरा किया जाता है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में भर्ती दल भी भेजे जाते हैं।

(ख) सरकार देश में कुछ और शाखा भर्ती कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है। बिहार के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को उस समय ध्यान में रखा जाएगा जब इन भर्ती कार्यालयों के लिए वास्तविक स्थान चुनने के बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा।

उद्योगों को दिए गए प्रोत्साहन का मूल्यांकन

323. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न उद्योगों को दिए गए प्रोत्साहन का मूल्यांकन करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; यदि हां, तो मुख्य बातें क्या हैं जिसके आधार पर यह मूल्यांकन किया जाएगा;

(ख) क्या अनेक औद्योगिक स्थापनाओं ने, इन प्रोत्साहनों का उन प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया, जिनके लिए ये प्रोत्साहन दिए गये थे, अपितु इनका अत्यधिक दुरुपयोग किया है; और

(ग) प्रोत्साहन के सार्थक उपयोग के लिए सरकार की क्या योजना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) से (ग) 23 जुलाई, 1980 के उद्योग नीति विवरण के 19वें पैरा में यह बात मान्य ठहरायी गई है कि उद्योग हेतु दिये जाने वाले सभी प्रोत्साहन कार्यनिष्पादन उन्मुख होने चाहियें। तदनुसार ही यह देखने के लिए कि प्रारम्भ में निश्चित किये गये उद्देश्य को पूरा करने में प्रोत्साहन कहां तक प्रभावशील है, सभी मन्त्रालयों/विभागों को नियमित रूप से इसका आवधिक निर्धारण करने हेतु निदेश दे दिये गये हैं। यह काम निरन्तर होता रहता है। चूंकि माननीय सदस्य ने प्रोत्साहनों का उपयोग न किए जाने/दुरुपयोग के विशिष्ट उदाहरण नहीं बतलाए हैं, अतः प्रोत्साहनों का सार्थक रूप से उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने की भावी सरकारी योजनाएं बताना मुश्किल है।

उड़ीसा में अनुपयुक्त पड़ी हुई सेना की भूमि

324. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्त्रालय के अधीन उड़ीसा में एक बहुत बड़ा भू-क्षेत्र 5 वर्ष से भी अधिक समय से अनुपयुक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस तरह अनुपयुक्त पड़ा कुल क्षेत्र कितना है;

(ग) क्या मन्त्रालय ने अतिरिक्त भूमि को खाता मूल्य पर उड़ीसा सरकार के सुपुर्द करना वांछित समझा है ताकि उस भूमि का बेहतर उपयोग किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) उड़ीसा में निम्नलिखित स्थानों पर रक्षा भूमि पांच वर्ष से अधिक समय से बेकार पड़ी हुई है :

		जिला	क्षेत्र (एकड़ों में)
(1)	गोपालपुर आनसी में भूमि	बहरामपुर	1,544.00
(2)	सुर्दा कैम्पिग ग्राउन्ड	,,	3.00
(3)	पिपल पोंक कैम्पिग ग्राउन्ड	,,	5.07
(4)	छतरपुर कैम्पिग ग्राउन्ड	गंजम	11.88
(5)	अमरदा रोड हवाई क्षेत्र	,,	160.35

2. मद (1) में वर्णित भूमि की एक महत्वपूर्ण रक्षा परियोजना के लिए आवश्यकता है। इस योजना का निष्पादन चरणों में किया जा रहा है और इसके पहले चरण का कार्य 477 एकड़ भूमि पर पहले ही प्रारम्भ हो चुका है। बाकी भूमि को भी परियोजना के निष्पादन के लिए उत्तरोत्तर दे दिया जाएगा। चूंकि इस भूमि की परियोजना के लिए तत्काल आवश्यकता नहीं थी इसलिए सेना सम्पदा अधिकारी ने इसे अस्थायी तौर पर कृषि कार्यों के लिए पट्टे पर दे दिया था।

3. उपर्युक्त (2) से (5) में वर्णित शेष भूमि रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं से फालतू है इसलिए उसे वर्तमान बाजार भाव पर उड़ीसा सरकार को देने की पेशकश की गई है। इस समय विद्यमान नियमों के अनुसार राज्य सरकार से भूमि का बाजार भाव लिया जाना है न कि खाता मूल्य।

राष्ट्रीय मसलों पर राजनीतिक पार्टियों का सहयोग

325. **श्री के० पी० सिंह देव :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

श्री सतीश अग्रवाल :

श्री एन० के० शेजवलकर :

श्री वीरभद्र सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय मसलों पर राजनीतिक पार्टियों का सहयोग मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो उस संबंध में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय मसलों को हल करने में प्रधान मंत्री ने राजनैतिक दलों के सहयोग का सदैव स्वागत किया है । उन्होंने सरकार बनाने के तुरन्त बाद प्रेस सम्मेलनों और नई दिल्ली में 6.12.1980 को अ. भा. कां. क. (आई) के अधिवेशन को सम्बोधित करते समय ऐसे सहयोग को सार्वजनिक रूप से आमंत्रित किया था।

(ख) कुछ रिपोर्टें जो कुछ विपक्षी दलों के विचारों के बारे में पत्र, पत्रिकाओं और समाचार-पत्रों में निकली थीं, के अतिरिक्त सरकार को इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

गिरफ्तार किए हुए पाकिस्तानी एजेंट

326. **श्री चन्द्रजीत यादव :**

श्री जगपाल सिंह :

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कितने पाकिस्तानी एजेंट गिरफ्तार किये गये, किन क्षेत्रों से गिरफ्तार किये गये और उनकी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कितने मामलों में सजा दी गई थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों पर निगरानी

327. **श्री नवीन रवाणी :**

श्री रामजी भाई बी० मावणि : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह राज्य मंत्री श्री वेंकट सुब्बय्या ने अभी हाल में कहा है कि सरकार की योजना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर रोक लगाने की नहीं है, अपितु राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे भाषण/वक्तव्य देने के क्या कारण हैं; और

(घ) किन परिस्थितियों के कारण सरकार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा ऐसे समान संगठनों पर रोक न लगाने का उपर्युक्त निर्णय लिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) 23 जनवरी, 1981 को तिरूचिरापल्ली में कुछ संवाददाताओं ने गृह मंत्री श्री पी० वेंकट सुब्बैय्या से भेंट की थी। एक संवाददाता ने मंत्री से पूछा था कि क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और नकसलवादियों पर प्रतिबंध

लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। मंत्री ने उत्तर दिया कि सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन सरकार इन संघों की उन गतिविधियों पर नजर रखेगी जो राष्ट्र की सुरक्षा और देश के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति को खतरा पैदा करती हों।

(घ) जिन संघों की गतिविधियां साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और राष्ट्रीय एकता के हितों के प्रतिकूल हों, उनसे आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 1972 द्वारा यथा संशोधित गैर कानूनी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम 1967 के उपबन्धों के अन्तर्गत निपटा जा सकता है। यह प्रश्न कि क्या किसी संगठन के संबंध में कानून के उपबन्धों को लागू किया जाय, इस बात पर उस संगठन की गतिविधियों के विषय में उपलब्ध सामग्री को दृष्टि में रखते हुए सरकार द्वारा समय-समय पर विचार किया जाता है।

विदेशों में स्थित वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन

328. **श्री चन्द्रजीत यादव :**

श्री रशीद मसूद : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत वैज्ञानिकों को इस समय क्या-क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ताकि वे अपनी पूरी योग्यता से कार्य कर सकें और उक्त प्रोत्साहन अन्य मुख्य देशों में वैज्ञानिकों को दिये जा रहे प्रोत्साहनों की तुलना में कितने न्यूनाधिक हैं;

(ख) क्या सरकार ने प्राप्त अनुभव के आधार पर, भारतीय वैज्ञानिकों को देश में ही आकर कार्य करने हेतु उक्त प्रोत्साहनों की परीक्षा करने की बांछनीयता पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई निर्णय लिया गया है तो वह क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इस प्रश्न पर विचार करने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) देश में अनुसंधान कार्य के लिए वैज्ञानिकों के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों और सुविधाओं की सरकार द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है और इस बारे में समय-समय पर उपयुक्त उपाय किये जाते हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

विवरण

(क) निम्नलिखित वे मुख्य प्रोत्साहन हैं जो कि इस समय देश में भारतीय वैज्ञानिकों को प्रदान किए जा रहे हैं :

1. व्यक्तिगत प्रोत्हासन :

1. महान वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को सरकारी व्यवस्था में नीति निर्माण की स्थितियों में वरिष्ठ स्तरों पर शामिल किया जाता है;

2. राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिक अभिकरणों/संगठनों के काम कर रहे वैज्ञानिकों को दिये जा रहे वेतनमान और भत्ते सरकार के अन्य संवर्गों में कर्मचारियों के दिये जा रहे वेतनमानों से किसी भी प्रकार से कम नहीं हैं ।

3. कई वैज्ञानिक संगठनों में योग्यता के आधार पर पदोन्नतियों और अग्रिम वेतन-वृद्धियों की योजना चलाई जा रही हैं ।

4. सी० एस० आई० आर० की और कई अन्य प्रयोगशालाओं में पंचवर्षीय मूल्यांकन द्वारा उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की योजना कार्यरत है ।

5. अधिकांश वैज्ञानिक संस्थाओं में अनुसंधान वैज्ञानिकों की सेवानिवृत्ति की आयु सामान्यतया 60 वर्ष है ।

6. अनुसंधान वैज्ञानिकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे अपने अनुसंधान कार्य के परिणामों को वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं में प्रकाशित करा सकें ।

7. वैज्ञानिकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे विदेशों में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों में भाग लें । इसके लिए उन्हें आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। युवा वैज्ञातिकों को विभिन्न तकनीकी सहायता कार्यक्रमों, द्विपक्षीय करारों के अधीन वैज्ञानिकों के विनिमय के लिए कार्यक्रमों के अधीन उच्च प्रशिक्षण के लिए विदेशों में प्रतिनियुक्त किया जाता है ।

8. युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक नई योजना का प्रारम्भ किया गया है जिसके अधीन वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रुचि के कार्यक्रमों को हाथ में ले सकते हैं और इस प्रकार से युवाओं में वैज्ञानिक रुचि का सम्वर्द्धन कर सकते हैं ।

9. विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में उत्कृष्टतम कार्य को मान्यता प्रदान करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक अभिकरणों द्वारा कई वार्षिक पुरस्कारों को आरम्भ किया गया है । यथा सी. एस. आई. आर. का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, आई. सी. ए. आई. का रफी अहमद किदवई पुरस्कार, हरिओम ट्रस्ट पुरस्कार, इंडियन नेशनल साइंस अकादमी पुरस्कार, आदि ।

10. देश में अलग-अलग वैज्ञानिकों के उत्कृष्टतम कार्यों को भी व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं, यथा इंडियन नेशनल साइंस अकादमी; इण्डियन अकादमी आफ साइंसिज,

बंगलौर द्वारा भी मान्यता प्रदान करते हुए उन वैज्ञानिकों को अकादमी के फैलो (मानद सदस्य) चुन लिया जाता है।

11, कई वैज्ञानिक संगठनों में ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनके अन्तर्गत समेकित पारिश्रमिक पर समयबद्ध अनुसंधान कार्यों के लिए सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों को उपयोगी रूप से नियोजित कर दिया जाता है।

12. अनुसंधान वैज्ञानिकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने आविष्कारों के लिए पेटेन्ट ले लें।

13. विभिन्न संगठनों में वैज्ञानिकों को अध्ययन अवकाश की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

14. वैज्ञानिकों द्वारा हाथ में ली गई अनुसंधान योजनाओं का निधीयन सी. एस. आई. आर., डी. एस. टी. और अन्य अभिकरणों द्वारा किया जाता है।

2. रोजगार के रूप में प्रोत्साहन :

1. सी. एस. आई. आर., यू. जी. सी., आई. सी. एम. आर. आदि द्वारा अनुसंधान अधिछात्र वृत्तियों/एसोसिएटशिप की पेशकश की जाती है।

2. विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों में अनुसंधान योजनओं का वित्तीयन विभिन्न अभिकरणों द्वारा किया जाता है और इस प्रकार वे वैज्ञानिक कार्य के लिए रोजगार के और अन्यथा उपयुक्त अवसर जुटाते हैं।

3. सी. एस. आई. आर. द्वारा चलाई गई वैज्ञानिक पूल की योजना उच्च शिक्षा रिकार्ड प्राप्त वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकविदों और डाक्टरों को उस समय के दौरान अस्थायी रोजगार प्रदान करती है जबकि वे स्थायी नौकरी की तलाश कर रहे हैं;

4. सी. एस. आई. आर. की एक योजना है जिसके अधीन वे अपने वैज्ञानिकों को तीन वर्ष की छुट्टी प्रदान कर सकते हैं ताकि वे सी. एस. आई. आर. प्रयोगशालाओं में विकास की गई जानकारी के आधार पर उद्योगों की स्थापना कर सकें।

5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सुविधाओं, वेतनमानों और काम करने की परिस्थितियों में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं ताकि उच्च बौद्धिक योग्यता के पुरुषों और महिलाओं को उपयुक्त अनुपात में शिक्षण व्यवसाय की ओर आकृष्ट कर सकें।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित और अन्य परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को प्रशिक्षण देने वाले संस्थान

329. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री के० प्रधानी :

श्री छीतूभाई गामित :

श्री आर० एन० राकेश : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित और अन्य परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिए कई संस्थान हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इन केन्द्रों को वित्तीय सहायता दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण तथा सम्बद्ध योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 22 परीक्षा-पूर्व केन्द्र स्थापित किए गए हैं । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 6 केन्द्रों में, केन्द्रीय/राज्य अधीनस्थ सेवा, इत्यादि परीक्षाओं समेत राज्य सिविल सेवाओं के लिए 14 केन्द्रों में और संयुक्त इन्जीनियरिंग सेवा परीक्षाओं के लिए 2 केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है । दो गैर-सरकारी संस्थाओं में अर्थात राय आई० ए० एस० स्टेडी सर्कल, नई दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा के लिए और एस० एन० दास गुप्ता कालेज नई दिल्ली में भारतीय आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा परीक्षा तथा जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी पदों की परीक्षाओं के लिए सीमित संख्या में अनु० जातियों/अनु० जन-जातियों के लिए उम्मीदवारों को प्रशिक्षण सुविधाएं भी दी जा रही हैं ।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

(घ) राज्यों के माध्यम से चल रहे केन्द्रों को प्रत्येक राज्य के प्रतिबद्ध क्षेत्र के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान अनुरूप आधार पर दी जाती है, जो 1978-79 के अन्त तक हुए खर्च के बराबर है । इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अनु० जातियों और अनु० जन-जातियों के लिए अखिल भारतीय सेवा परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र और इलाहाबाद तथा तिरूचिरापुल्ली में दो इन्जीनियरिंग सेवा केन्द्रों के लिए प्रशिक्षार्थियों के ट्यूशन, भोजन, आवास का पूरा खर्च और अन्य आकस्मिक खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है । अनु० जातियों और अनु० जनजातियों के प्रशिक्षण के लिए भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित दो गैर-सरकारी संस्थाओं को निर्धारित ट्यूशन तथा अन्य शुल्क की अदायगी की जाती है ।

लद्दाख में आंदोलन

330. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री चिन्तामणि जेना : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख में चल रहे आंदोलन के कारण क्या हैं;

(ख) क्या केवल जनसंख्या के आधार पर लेह और कारगिल पर धनराशि खर्च करके भेदभाव किया जाता रहा है और उस क्षेत्र विशेष अथवा उसके पिछड़ेपन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता रहा; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का विचार इस मामले में जम्मू तथा काश्मीर सरकार को परामर्श देने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार लेह कार्य समिति द्वारा की गई निम्नलिखित मुख्य मांगें लेह में हाल के आंदोलन के कारण थीं :

(1) लद्दाख के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता;

(2) लेह तथा कारगिल दोनों जिलों के लिए लेह में मंडल मुख्यालयों की स्थापना;

(3) लेह जिले में क्षेत्र के आधार पर न कि जनसंख्या के आधार पर निधियों का आवंटन;

(4) पर्याप्त बिजली की पूर्ति; और

(5) पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान । राज्य सरकार द्वारा लेह तथा कारगिल के बीच निधियों का विभाजन लोगों की स्थिति सुधारने के उद्देश्य से मुख्यतः जनसंख्या के आधार पर किया गया था । पिछड़ापन भी एक तत्व है जिसे आवंटन के समय ध्यान में रखा जाता है परन्तु यह तत्व पूरे लद्दाख क्षेत्र पर लागू होगा । इसके अतिरिक्त योजना आयोग किसी राज्य के भिन्न-भिन्न जिलों के बीच परिव्यय विभाजित करने के लिए कोई मानदण्ड निश्चित नहीं करता है । आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूला के अनुसार केवल केन्द्रीय सहायता आवंटित करता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

"केन्द्रीय परियोजनाओं हेतु पंजाब राज्य का दावा" शीर्षक समाचार

331. **रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनका ध्यान दिनांक 15 जनवरी, 1981 के "इन्डियन एक्सप्रेस" नई दिल्ली में प्रकाशित "पंजाब स्टेट क्लेम फार सेंट्रल प्रोजेक्ट्स" (केन्द्रीय परियोजनाओं हेतु पंजाब राज्य का दावा) शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पंजाव में सरकारी क्षेत्र में स्थापना के लिए मांगी गई प्रस्तावित परियोजनाओं के ब्यौरे क्या हैं तथा उनके स्थान और पूंजी निदेश क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) से (ग) जी, हां । पंजाब के मुख्य मन्त्री से हुई चर्चा में राज्य के औद्योगिक विकास का सामान्य प्रश्न शामिल है । किसी विशिष्ट परियोजना के सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं की गई थी ।

पश्चिमी बंगाल में एकाधिकार वाली तथा विदेशी फर्मों को औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना

332. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने विभिन्न एकाधिकार समूहों तथा विदेशी फर्मों को औद्योगिक लाइसेंस देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इन समूहों के नाम तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए गए प्रस्तावों के विस्तृत ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों पर भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) से (ग) वर्ष 1980 के दौरान बड़े गृहों और विदेशी फर्मों को पश्चिम बंगाल में स्थापित एककों के लिए 6 आशय-पत्र और 4 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है। ऐसे आवेदकों द्वारा दिए गए आवेदन पत्रों पर विचार करते समय लाइसेंसिंग विनियमनों के अन्तर्गत राज्य सरकार के भी विचार मंगाए जाते हैं। राज्य सरकार ने लाइसेंसों की मंजूरी के लिए इन मामलों पर सिफारिश की थी। आवेदक पार्टियों को इन लाइसेंसों की मंजूरी देते समय उनकी टिप्पणी को ध्यान में रखा गया था।

विवरण

आवेदक का नाम/स्थापना स्थल	विनिर्माण की वस्तु तथा आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस की किस्म
आशय-पत्र	
1. जय श्री टी एण्ड इन्डस्ट्रीज लि० कलकत्ता (खरदाह-पश्चिम बंगाल)	1. सिंगल सुपर फास्फेट 2. सल्फरिक एसिड (पर्याप्त विस्तार)
2. फ्रेजर लि०, बम्बई (प० बंगाल)	1. मोरन्टेल टार्ट्रेट 2. पाइरेन्टल पामोट (पर्याप्त विस्तार)
3. यूनाइटेड कार्बन इण्डिया लि०, थाना (मिदनापुर-पश्चिम बंगाल)	1. टेरटा बूटाइल एल्कोहल 2. सेक० बूटाइक एल्कोहल आदि (उ. न.)
4. स्टैंडर्ड फार्मेस्युटिकल्स लि० कलकत्ता (हुगली-पश्चिम बंगाल)	संफोनीकल सेंसपेशन (उ. न.)
5. मिदनापुर फाटन मिल्स प्रो. दि इन्डियन रेयन कारपोरेशन लि० मिदनापुर (मिदनापुर-प. बंगाल)	सूती धागे (पर्याप्त विस्तार)
6. दि फोर्ट विलियम कं० लि०, कलकत्ता (हुगली-प. बंगाब)	आबोमाइन्ड मेटेलिक (नया पाउडर उपक्रम)

औद्योगिक लाइसेंस

7.	एशियाटिक आक्सीजन लि० कलकत्ता (हावड़ा-प. बंगाल)	वैल्डिंग और सहोत्पाद के रूप में कटिंग ब्लों पाइप (उ. नहीं)
8.	एशियाटिक आक्सीजन लि०, कलकत्ता (दुर्गापुर-पश्चिम बंगाल)	नाइट्रोजन गैस (सहोत्पाद के रूप में प्राप्त की जाने वाली) (उ. नहीं)
9.	इण्डियन लिनोशियम लि० कलकत्ता (24 परगना-पश्चिम बंगाल)	1. पेन्ट 2. वार्निश (कार्य चालू रखने के लिए लाइसेंस)
10.	इण्डियन फैयूल्स लि०, नई दिल्ली (कवारहटी-प. बंगाल)	अल्यूमिनियम फायल्स (पर्याप्त विस्तार)

अस्पृश्यता सर्वेक्षण

333. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 दिसम्बर, 1980 के "पेट्रिआट" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ द्वारा देश के 12 राज्यों में किए गए सर्वेक्षण में अस्पृश्यता का व्यवहार किए जाने के बारे में बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) ऐसे खंडों के विवरण जहां भेदभाव और अस्पृस्यता की प्रथा है, हरिजन सेवक संघ से प्राप्त कर लिए गए हैं और सम्बन्धित राज्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ भेज दिए गए हैं कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की संगत धाराओं के अधीन तुरन्त कार्रवाई की जाए। गांवों के नाम राज्य सरकारों और इस मन्त्रालय को भेजने के लिए भी संघ से कहा गया है।

जेलों में विचाराधीन बन्दियों के बारे में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी

334. **श्री राम विलास पासवान** :

,, **आर० के० महालगी** :

,, **जगपाल सिंह** :

,, **बी० डी० सिंह** :

,, **सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** :

,, **कमला मिश्र मधुकर** :

,, **रशीद मसूद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी के बावजूद कि जो व्यक्ति उस अवधि से अधिक समय तक जेल में है जितनी उन्हें दोष सिद्ध पाये जाने पर सजा होती, रिहा कर दिये जायें। विभिन्न जेलों में विचाराधीन बन्दियों के बारे में दिनांक 2 और 3 जनवरी, 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निदेशों को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के ध्यान में लाया गया है। उनको यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करने का भी अनुरोध किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अधीन आने वाले विचाराधीन बंदियों के मामलों का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाए और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाए ताकि विचाराधीन बंदियों को अनावश्यक लम्बी कैद न भुगतनी पड़े।

बिहार में विचाराधीन कैदियों को अन्धा बनाए जाने सम्बन्धी प्रतिवेदन

335. **श्री राम विलास पासवान :**

,, ई० बालानन्दन :

,, प्रो० अजित कुमार मेहता :

,, जगपाल सिंह :

,, छांगुर राम :

,, रशीद मसूद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भागलपुर में विचाराधीन कैदियों को अंधा किए जाने की हाल की घटनाओं के सम्बन्ध में की गई जांच के बारे में बिहार सरकार से कोई प्रतिवेदन प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने बिहार सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर बिहार में पुलिस प्राधिकारियों द्वारा कुछ विचारणाधीन कैदियों को अंधा बनाए जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में 1.12.80 को लोक सभा में एक वक्तव्य पहले ही दे दिया है। इस घटना के सम्बन्ध में केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो द्वारा जांच का भी आदेश दिया है और यह की जा रही है।

असम समस्या

336. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

,, सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

,, ए० टी० पाटिल :

,, अमर राय प्रधान :

,, एस० एम० कृष्ण :

,, पी० एम० सईद :

,, सत्यनारायण जटिया :

,, वीरभद्र सिंह :

,, डी० पी० जदेजा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम समस्या के बारे में कोई अंतिम समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भूतपूर्व प्रधानमन्त्री सहित अनेक पार्टियों ने इस समस्या के हल के लिए एक प्रस्ताव प्रधानमन्त्री के समक्ष रखा था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उस प्रस्ताव से सहमत है;

(घ) क्या असम आन्दोलनकर्त्ता इन प्रस्तावों से सहमत हो गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो अंतिम समझौता कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) असम में विदेशियों के मुद्दे पर अनेक क्षेत्रों से सुझाव और प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विपक्ष के नेताओं के साथ संसद में तीन बैठकें की गई हैं और नेताओं के साथ मामले पर व्यक्तिगत रूप से भी विचार-विमर्श किया गया है। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई 10 फरवरी, 1981 को गृह मन्त्री से मिले लेकिन कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।

अखिल असम छात्र संघ और अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ अनेक बार विचार-विमर्श किया गया। इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं कि आंदोलनकारियों ने अपना कठोर रुख त्याग दिया है। सरकार अपनी तरफ से, विचार-विमर्श के माध्यम से यथाशीघ्र समाधान ढूंढने के लिए उत्सुक है।

बिजली की कमी के कारण उद्योगों का बन्द होना

337. **श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की कमी के कारण बहुत से राज्यों में जनवरी, 1980 में बहुत से उद्योगों को बन्द हो जाना पड़ा।

(ख) यदि हां, तो क्या बिजली की कमी के कारण राजस्थान और कर्नाटक राज्यों के उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा;

(ग) क्या इसके कारण देश में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर की गति धीमी पड़ गई है; और

(घ) यदि हां, तो औद्योगिक उत्पादन पर किस हद तक बुरा प्रभाव पड़ा है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) जनवरी, 1980 की तुलना में जनवरी, 1981 में विद्युत जनित्रण के अखिल भारतीय आंकड़ों में कुल जनित्रण में 9 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई दी है। किन्तु, इसके बाबजूद कृषि और उद्योग के लिए बिजली की आवश्यकता में वृद्धि हो जाने के कारण कुछ राज्यों में अत्यन्त आवश्यकता की अवधि में कुछ प्रतिबन्ध लगाने पड़ गए थे और 10 प्रतिशत तथा इससे भी अधिक बिजली की कटौती भी करनी पड़ गई थी। किन्तु, यह कहना सही नहीं होगा कि जनवरी, 1980 में अधिकांश उद्योग बन्द करने पड़ गए थे, हां, वे प्रतिबन्धित आधार पर कार्य कर रहे थे।

(ख) राजस्थान में, वाटरवर्क्स प्रशीतन भण्डार, दूध को ठंडा करने वाले संयंत्रों (मिल्क चिल्लिग प्लाटस) तथा लघु उद्योगों (25 एच. पी. तक) को छोड़कर अन्य उद्योगों (तथा कृषि) को 16 जनवरी, 1981 से बिजली की प्रतिबंधित पूर्ति की जा रही थी और 125 से अधिक अश्वशक्ति वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 100 प्रतिशत कटौती लागू थी। कर्नाटक में 1-12-80 को बिजली की सीमित कटौती लागू की गई थी लेकिन राज्य सरकार के मतानुसार इससे कर्नाटक के औद्योगिक उत्पादन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) तथा (घ) कृषि तथा उद्योग दोनों की गतिविधियां बढ़ जाने के कारण बिजली की अधिक आवश्यकता पड़ी है उनके लिए एक ही समय में बिजली की सम्पूर्ण आवश्यकता को जैसा कि ऊपर बताया गया है विद्युत जनित्रण में 9 प्रतिशत वृद्धि हो जाने के बाबजूद भी पूरा न कर पाने के कारण उत्पादन पर कुछ सीमा तक प्रभाव पड़ा है। इस प्रभाव का परिणाम बताना संभव नहीं होगा।

सीमेंट के कारण और खुदरा मूल्यों में वृद्धि

338. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मौजूदा तथा नए एककों के लिए हाल ही में सीमेंट के खुदरा मूल्यों और इसके धारण मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीमेन्ट के मूल्यों में इस वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) से (ग) सीमेंट का कारखाने से निकलते समय का मूल्य दिनांक 3-5-1979 को 318.94 रुपये प्रति मी. टन निर्धारित किया गया था तथा तब से यही मूल्य चलता आ रहा है। किन्तु, सीमेंट के संधारण मूल्यों की संवीक्षा की गई तथा इन्हें 3-5-1980 को पुन: निर्धारित किया गया था। उत्पादन लागत में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति करने के लिए 3-5-1980 से विद्यमान सीमेंट उत्पादकों, एककों, पर्याप्त विस्तारों तथा मिनी सीमेंट संयंत्रों को सीमेंट का मूल्य 13.65 रुपये प्रति मी. टन बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। संधारण मूल्यों में हुई इस प्रकार की वृद्धि को सीमेंट विनियमन लेखे से पूरा किया जा रहा है।

सेवामुक्त किए गए अल्पकालीन कमीशन प्राप्त आफिसर जिन्हें रोजगार अथवा निजी रोजगार के लिए कोई सहायता नहीं दी गई

339. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सेवामुक्त किए गए ऐसे अल्पकालीन कमीशन प्राप्त आफिसरों की संख्या कितनी है जिन्हें न तो कोई वैकल्पिक रोजगार दिया गया है और न ही निजी रोजगार के लिए कोई सहायता दी गई हैं;

(ख) क्या उनमें से कुछ ने मान्यता प्राप्त संस्था और विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यों के लिए योग्यता प्राप्त कर ली है, और यदि हां, तो क्या उन्हें केन्द्र तथा राज्य के सरकारी उपक्रमों में प्रबन्ध सेवाओं में समाविष्ट करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अर्हता प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है जो रोजगार की प्रतीक्षा में हैं और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उन्हें उपयुक्त रोजगार देने अथवा निजी रोजगार के लिए सहायता देने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) से (घ) इस समय 361 भूतपूर्व अल्प सेवा कमीशन अफसर पुनर्वास महानिदेशालय में रोजगार सहायता के लिए पंजीकृत हैं। अन्य 95 भूतपूर्व अल्प सेवा कमीशन अफसरों ने नाम दर्ज करने के लिए आवेदन किया है और उन मामलों में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इन आंकड़ों में विभिन्नता हो सकती है क्योंकि पुनर्वास महानिदेशालय को इस बारे में न तो वे अफसर ही सूचित करते हैं जिन्हें रोजगार मिल जाते हैंऔर न ही नियोक्ता इस प्रकार के रोजगार दिए जाने के बारे में सूचना देते हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान पुनर्वास महानिदेशालय के माध्यम से जिन अल्प सेवा कमीशन अफसरों/आपात कमीशन अफसरों को रोजगार दिया गया उनकी संख्या इस प्रकार है :

1976	—	113
1977	—	129
1978	—	107
1979	—	59
1980	—	89

2. चूंकि अफसरों ने अपने नाम दर्ज कराने के बाद पुनर्वास महानिदेशालय को ऐसी कोई सूचना नहीं दी है कि उन्होंने कोई अतिरिक्त योजना प्राप्त कर ली है इसलिए उनके रिकार्ड अद्यतन नहीं किए जा सके। परन्तु इन अफसरों को उनकी अर्हता, सेवा और अनुभव के अनुसार

केन्द्रीय और राज्य दोनों ही सरकारी उपक्रमों में भेजा जाता है। उन अफसरों को नौकरी के लिए विज्ञापनों के उत्तर में सीधे आवेदन भेजने की सलाह दी जाती है।

3. उन सभी पात्र अल्प सेवा कमीशन अफसरों को विभिन्न प्रबन्ध सम्बन्धी विशेष पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया है जिन्होंने इनके लिए आवेदन किया था। पिछले तीन वर्षों में जिन अफसरों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लिया उनकी संख्या इस प्रकार है :

1978	—	12
1979	—	8
1980	—	9

4. सेवामुक्त अल्प सेवा कमीशन अफसरों को अन्य सहायता के अलावा निम्नलिखित रियायतें और अपना काम शूरू करने में सहायता दी जाती है :

(क) विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्र के उपक्रमों की एजेंसियां प्राप्त करने में सहायता।

(ख) कृषि कार्यों में पुनर्वास।

(ग) लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता पिछले 5 वर्षों में इन योजनाओं से लाभान्वित अफसरों की संख्या इस प्रकार है :

(1)	लाइट पेट्रोल गैस एजेंसियां, पेट्रोल पम्प और उर्वरक एजेंसियां आवंटित की गई	22
(2)	आवंटित औद्योगिक प्लांटों की संख्या	2
(3)	आवंटित ट्रैक्टरों की संख्या	21
(4)	आवंटित टाइप राइटरों की संख्या	1
	जोड़	46

जिन अफसरों ने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो वे अपना कार्य शुरू करने के लिए 7,000/ रुपये की एक मुश्त पुनर्वास सहायता पाने के भी हकदार हो जाते हैं। 1977 से इस सहायता के लिए 64 अफसरों ने आवेदन किया है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० द्वारा सप्लाई किए गए घटिया किस्म के उपकरण

340. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० की क्षमता केवल 100 मेगावाट क्षमता वाले विद्युत संयंत्रों का निर्माण करने की है;

(ख) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० के विद्युत उपकरण घटिया किस्म के हैं क्योंकि जहां भी उनके उपकरणों की स्थापना की गई है, वहां विद्युत उत्पादन में कमी आ रही है;

(ग) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० द्वारा बनाये गए संयंत्रों का भारत में उपयोग नहीं किया जा सकता, जैसा कि एन. टी. पी. सी. के चेयरमैन ने बताया है; और

(घ) यदि हां, तो भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० के उपकरण का उपयोग करने के बारे में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पास 1000 मे. वा. क्षमता तक के थर्मल पावर जनरेटिंग सेट बनाने की क्षमता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि० के अध्यक्ष ने कभी ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

(घ) बी. एच. ई. एल. द्वारा निर्मित उपकरण भारत में पहले से ही प्रयोग में लाये जा रहे हैं।

पिछड़े वर्गों संबंधी आयोग के प्रतिवेदन की क्रियान्विति

341. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :**

,, डी. पी. यादव :

,, पी. के. कोडियन :

,, लक्ष्मण मलिक :

,, अमर राय प्रधान :

,, जयराम वर्मा :

श्री रामावतार शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग द्वारा वर्ष 1980 में प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उनमें से किन-किन सिफारिशों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करने का विचार है; और

(घ) उन पर कितनी राशि खर्च होगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछड़े वर्ग सम्बन्धी आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें संविधान के अनुच्छेद 340(3) के अधीन प्रतिवेदन पर कार्रवाई किए जाने और संसद के पटल पर रखे जाने के बाद ही उपलब्ध कराई जा सकती है।

(ख), (ग) और (घ) प्रतिवेदन पर कार्रवाई की जा रही है।

अवैध शराब से मौतें

342. श्री एच. एन. नन्जे गौडा :

,, जगपाल सिंह :

,, पीयूष तिरकी :

,, छीतू भाई गामित :

,, डी. एम. पुत्ते गौडा :

,, आर एन. राकेश :

,, छींगुर राम :

,, राजेश कुमार सिंह :

,, के. लकप्पा :

श्री त्रिलोक चन्द : क्या गृ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में अवैध शराब पीने से, राज्यवार कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ख) अवैध शराब निकाले जाने, वितरण और अन्तर्राज्यीय तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) 18 दिसम्बर, 1980 को सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को निम्न-लिखित उपाय करके प्रभावकारी कदम उठाने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं :

(1) मिलावट को रोकने के लिए देशी शराब भण्डार की जांच करने के लिए राज्य सीमा-शुल्क तंत्र को अधिक प्रभावकारी बनाना ।

(2) अवैध शराब बनाने और इसका अवैध व्यापार करने में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा समय पर और सख्त कार्रवाई शुरू करना ।

(3) सीमा पर अवैध शराब की तस्करी रोकने के उपाय करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा पड़ोसी राज्यों के समन्वय से उपयुक्त कदम उठाना ।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन नजरबन्द किए गए व्यक्ति

343. श्री ई. बालानन्दन :

,, धर्मवीर सिंह :

,, डी. पी. यादव :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री सत्यगोपाल मिश्र :

श्री रामावतार शास्त्री : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश में 31 जनवरी, 1981 तक, राज्यवार तथा महीनेवार, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश/अधिनियम के अधीन कितने व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया था;

(ख) यदि वे राजनीतिक दलों से सम्बद्ध हैं, तो उन दलों के नाम क्या हैं;

(ग) उनको गिरफ्तार किए जाने के कारण क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) अब तक कितने व्यक्ति रिहा किए जा चुके हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिये छठी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय को अन्तिम रूप दिया जाना

344. **श्री चित्त महाटो :**

श्री डी० पी० जदेजा : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की छठी पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्ययों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से अन्तिम रूप दिया गया है। सहमत परिव्ययों का विवरण संलग्न है। समग्र संसाधनों की उपलब्धता, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं सहित विभिन्न वाध्यकारिताओं को ध्यान में रखते हुए इन परिव्ययों के लिए सहमति हुई थी।

विवरण

(करोड़ रु०)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहमत परिव्यय 1980-85
राज्य	
1. आंध्र प्रदेश	3100.00
2. असम	1115.00
3. बिहार	3225.00
4. गुजरात	3680.00

1	2
5. हरियाणा	1800.00
6. हिमाचल प्रदेश	560.00
7. जम्मू और काश्मीर	900.00
8. कर्नाटक	2265.00
9. केरल	1550.00
10. मध्य प्रदेश	3800.00
11. महाराष्ट्र	6175.00
12. मणिपुर	240.00
13. मेघालय	235.00
14. नागालैण्ड	210.00
15. उड़ीसा	1500.00
16. पंजाब	1957.00
17. राजस्थान	2025.00
18. सिक्किम	122.00
19. तमिलनाडु	3150.00
20. त्रिपुरा	245.00
21. उत्तर प्रदेश	5850.00
22. पश्चिम बंगाल	3500.00
जोड़–राज्य	47204.00
संघ राज्य क्षेत्र	
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	96.60
2. अरुणाचल प्रदेश	212.00
3. चण्डीगढ़	100.75
4. दादर और नागर हवेली	23.09
5. दिल्ली	800.00
6. गोवा, दमन और दीव	192.00
7. लक्षद्वीप	20.35
8. मिज़ोरम	130.00
9. पाण्डिचेरी	71.54
जोड़–संघ राज्य क्षेत्र	1646.33
कुल जोड़–राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	48850.33

आसाम में विदेशियों का पता लगाया जाना

345. **श्री चित्त महाटा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम में विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने का काम आरंभ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य किस आधार पर किया जा रहा है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और(ख) असम में विदेशियों का पता लगाने का कार्य 1952 से चल रहा है । कार्यविधि यह है कि किसी पुलिस अधीक्षक के किसी व्यक्ति के विदेशी होने के बारे में सन्तुष्ट होने के बाद उसे "भारत छोड़ो" नोटिस दिया जाता है । उसे यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह कोई अभ्यावेदन चाहे तो वह ऐसा कर सकता है । अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पूरे सबूत के साथ न्यायाधिकरण को उसकी राय प्राप्त करने के लिए भेजे जाते हैं । अन्त में, यदि वह व्यक्ति विदेशी पाया जाता है तो "भारत छोड़ो" नोटिस लागू किया जाता है । परन्तु निम्नलिखित मामले न्यायाधिकरण को नहीं भेजे जाते :– (क) पुनः घुसपैठियों के मामले, (ख) ऐसे नये घुसपैठियों के मामले, जिनका पता सीमा पर या आन्तरिक स्थानों में उनकी यात्रा के दौरान लग जाए और (ग) उन विदेशी नागरिकों के मामले जिन्होंने वैध दस्तावेजों के आधार पर प्रवेश किया था और गैरकानूनी रूप से ठहरे हुए थे।

कृषकों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के दुरुपयोग के बारे में ज्ञापन

346. **श्री चित्त महाटा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषकों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जनवरी, 1981 के प्रथम सप्ताह में श्री एस० जे० सादिक पाशा और चार संसदों ने भारतीय कृषक संघ के नेता श्री नारायण स्वामी नायडू, तमिलनाडु की गिरफ्तारी के बारे में प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन भेजा था ।

(ग) राज्य सरकार ने 12.1.1981 को नजरबन्दी आदेश को रद्द कर दिया था । इस विशिष्ट मामले में केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जानी थी । फिर भी केन्द्रीय सरकार ने इस विधान का उचित प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को पहले ही मार्गदर्शी निदेश भेज दिये हैं ।

दिल्ली में नेत्रहीनों पर लाठी चार्ज की न्यायिक जांच प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई

347. **श्री आर० के० महालगी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मार्च, 1980 में नेत्रहीनों पर हुए लाठी चार्ज के बारे में हुई न्यायिक जांच से पता चला था कि कुछ पुलिस कर्मी ज्यादतियों के बत्तरदायी थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) आयोग ने घटना के लिए मुख्यत: श्री राम लुभाया थानेदार, थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट को उत्तरदायी ठहराया है। आयोग ने सहायक उप निरीक्षक श्री बृन्दासिंह और सहायक पुलिस आयुक्त श्री नरेन्द्रसिंह की ओर भी कमियां पाई। इसके अतिरिक्त आयोग ने पुलिस मुख्यालय की शाखा के डैस्पैचर की भी कमी पाई।

थानेदार श्री राम लुभाया, सहायक उपनिरीक्षक श्री बृन्दावन सिंह और सहायक पुलिस आयुक्त श्री नरेन्द्र सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। डैस्पैचर कांस्टेबल अभय सिंह की निन्दा की गई है।

आयोग ने पुलिस उपआयुक्त पी० आर० एस० बरार की भी सूक्ष्म कमियां पाई। श्री बरार का तबादला कर दिया गया है और उन्हें भविष्य में और अधिक सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है।

भीलवाड़ा में एक कागज संयंत्र स्थापित किया जाना

348. **श्री गिरधारी लाल व्यास :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अभ्रक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) क्या बहुत से स्थानों पर काफी मात्रा में अभ्रक का अपशिष्ट पड़ा हुआ है क्योंकि वहां पिछले कई वर्षों से अभ्रक निकाली जा रही है;

(ग) क्या एम० आई० टी० सी० ओ० (मिटको) ने अभ्रक के अपशिष्ट से कागज बनाने का निर्णय किया है।

(घ) क्या सरकार का विचार कागज के इस कारखाने को लगाने के लिए भीलवाड़ा के हक में निर्णय लेने का है क्योंकि इस कार्य के लिए यह बहुत उपयुक्त स्थान है और यह एक पिछड़ा क्षेत्र भी है; और

(ड.) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार कब तक निर्णय कर लेगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) (क) जी, हां

(ख) भीलवाड़ा में वर्ष 1980 में 668 मी० टन तथा 1980 को समाप्त पिछले 10 वर्षों में 11,794 मी० टन कुल अभ्रक का उत्पादन हुआ था। यह अनुमान लगाया गया है कि कूड उत्पादन में 70 से 82 प्रतिशत अभ्रक छीजन व स्क्रैप निकल सकता है।

(ग), (घ) और (ड.) मैसर्स माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इन्डिया ने अभ्रक कागज (माइका पेपर) पर आधारित तथा अभ्रक के छीजन पर आधारित उत्पादों के उत्पादन के लिए भीलवाड़ा, राजस्थान में एक एकक स्थापित करने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया था। राजस्थान में मिलने वाला अभ्रक पर आधारित उत्पादों के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया है। इसके अलावा, झुमरी तल्लैया, बिहार में एक नया एकक स्थापित करने सम्बन्धी कम्पनी का आवेदन पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रथमदृष्टया रद्द करने सम्बन्धी पत्र 26.12.80 को जारी किया गया था। कम्पनी ने निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन किया हैं तथा मामला अब भी विचाराधीन है।

जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) की मिलों और खानों में काम कर रहे कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि की राशियों का जमा न कराया जाना

349. **श्री गिरधारी लाल व्यास** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला भीलवाड़ा की अनेक मिलों तथा खानों ने अनेक वर्गों से कर्मचारी भविष्य निधि की राशियां जमा नहीं कराई हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और वे कब से ऐसी चूक कर रहे हैं;

(ख) क्या भविष्य निधि के कर्मचारियों का अंशदान उनके वेतनों से काट लिया गया था और मिलों तथा खानों के प्रबन्धकों ने धनराशियां अपने पास रख लीं और ऐसे प्रतिष्ठानों के नाम क्या हैं जिन्होंने कर्मचारियों का तथा स्वयं अपना अंशदान जमा नहीं कराया है;

(ग) क्या भीलवाड़ा जिले में ऐसे अनेक प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने गत दस वर्षों से अपने कर्मचारी भविष्य निधि की रसीदें जारी नहीं की हैं और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) सरकार द्वारा उन प्रतिष्ठानों और जिन अधिकारियों की सांठ-गांठ से यह हुआ हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जिन्होंने भविष्य निधि के लिए कर्मचारियों का अंशदान उनके वेतनों से तो काट लिया परन्तु सरकार के पास उसे जमा नहीं किया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

प्रश्न के विभिन्न भागों के सम्बन्ध में स्थिति नीचे दी गयी है :

(क) भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार, भीलवाड़ा जिले में निम्नलिखित छूट न

प्राप्त प्रतिष्ठान, उनके सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि, परिवार पेंशन निधि और कर्मचारी सम्बद्ध बीमा राशियों के भुगतात में दोषी हैं :

प्रतिष्ठान का नाम	अवधि, जिसके लिए देय राशियों का भुगतान नहीं किया गया है
1. मैसर्स सत्यनारायण नथानी, अभ्रक खान मालिक, जिला भीलवाड़ा	मार्च, 1976 से आगे की अवधि के लिए
2. मैसर्स सेवा सदन, भीलवाड़ा	अगस्त, 1980 से अब तक
3. मैसर्स भूपाल माइनिंग वर्क्स भीलवाड़ा	–यथोक्त–
4. मैसर्स भीलवाड़ा इंडस्ट्रियल प्राईवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा	–यथोक्त–
5. मैसर्स लक्ष्मी आयल मिल्स, भीलवाड़ा	–यथोक्त–
6. मैसर्स राम प्रसाद राजगडिया, भीलवाड़ा	–यथोक्त–
7. मैसर्स भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, भीलवाड़ा	अक्तूबर 1980 से अब तक
8. मैसर्स राजस्थान मेटल वर्क्स, भीलवाड़ा	–यथोक्त–
9. मैसर्स प्रोजेक्ट आफिसर	नवम्बर 1980 से अब तक
10. मैससं रामचन्द्र चन्दी राय गिनिग फैक्ट्री, भीलवाड़ा	–यथोक्त–
11. मैसर्स श्री बलदेव काटन मिनिग और प्रेसिग फेक्ट्री, गंगापुर	–यथोक्त–
12. मैसर्स महाराणा टैक्सटाइल्स, भीलवाड़ा	नवम्बर, 1980 से अब तक
13. मैसर्स महालक्ष्मी काटन मिनिग और प्रैसिग फैक्टरी (असिन्द)	–यथोक्त–
14. मैसर्स बूलन मिल्स, भीलवाड़ा	मई 1974 से फरवरी, 1978
15. मैसर्स काटन मिनिग और प्रैसिग फैक्टरी, भीलवाड़ा	अक्तूबर, 1972 से जनवरी, 1978 तक

(ख) भाग (क) में सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों के क्रमांक के विरुद्ध वकाया राशियों की वसूली के के लिए कानूनी कार्यवाही की जा रही है। क्रमांक 2 से 13 के प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में स्थिति का सत्यापन किया जा रहा है। क्रमांक 14 और 15 में निर्दिष्ट प्रतिष्ठानों ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 की धारा 16(ख) के अधीन संरक्षण का दावा किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 7(क) के अधीन जांच की जा रही है।

(ग) इस क्षेत्र में अंशदाताओं को वार्षिक लेखा विवरण जारी करना बाकी है। भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा इनको यथाशीघ्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(घ) एक प्रतिष्ठान के विरुद्ध कर्मचारियों के अंशदान का भुगतान न करने के लिये भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 409 के अधीन अपराधिक कार्यवाही और कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। दोषी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जाती है और इस सम्बन्ध में अधिकारियों पर मौन सहमति का आरोप लगाना सही नहीं है।

छावनी बोर्डों के सदस्यों के लिए वेतन भत्ता

350. **श्री सूरज भान :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी बोर्डों के चुने हुए सदस्यों को इस समय उन बैठकों के लिए बैठक भत्ता नहीं दिया जाता है जिनमें वे उपस्थित होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या छावनी बोर्डों की बैठकों को और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने और छावनी बोर्डों को राज्य विधान सभाओं जैसे अन्य निर्वाचित निकायों के समान लाने के लिए छावनी बोर्डों के सदस्यों को बैठक-भत्ता देने हेतु प्रावधान करने का कोई प्रस्ताव है?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जिला उद्योग केन्द्रों में कर्मचारियों तथा धनराशि संबंधी स्थिति

351. **श्री सूरज भान :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जिला उद्योग केन्द्र कार्यकारी प्रबन्धकों, उद्योग संवर्धन अधिकारियों, इन्सपेक्टरों, जिला उद्योग अधिकारियों आदि जैसे अपेक्षित क्षेत्रीय कर्मचारियों के बिना खोले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित क्षेत्रीय कर्मचारियों के बिना उद्योगों का संवर्धन किस प्रकार से किया जा सकता है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू काश्मीर राज्यों को इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित धनराशियां/अनुदान दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो विगत दो वर्षों में राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितनी धनराशियां दी गई; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस बात को देखने के लिए कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई हैं कि उक्त राज्यों को आवंटित धनराशियों का उचित एवं सम्पूर्ण उपयोग हो ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) जिला उद्योग केन्द्रों के लिए प्रस्तावित कर्मचारियों के मूल ढांचे में क्षेत्रीय (फील्ड) कर्मचारियों पर आवर्ती व्यय के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से निधि की व्यवस्था की गई है। बहुत से राज्यों में विस्तार कार्य का सुनिश्चित करने के लिए तहसील अथवा खण्ड स्तर पर क्षेत्रीय (फील्ड) कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। राज्य सरकारों को भी परामर्श दिया गया है कि वे ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं में उप-जिला स्तर पर ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं में पहले से काम कर रहे कार्मिकों का जिला मुख्यालयों में स्थानान्तरण न करें। ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय ने भी राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे खण्डों में समन्वित ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए उद्योगों के लिए ही पूर्णरूपेण एक विस्तार अधिकारी नियुक्त करें।

(ग) तथा (घ) जी, हां। जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के कार्यन्वयन के लिए वर्ष 1978-79 तथा 1979-30 में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर एवं पंजाब राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा दी गई निधियां निम्न प्रकार हैं :

(रु० लाखों में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	केन्द्र द्वारा दी गई राशि			
		1978-79		1979-80	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1.	हरियाणा	71.50	31.50	23.40	5.50
2.	हिमाचल प्रदेश	48.20	34.00	23.80	6.00
3.	जम्मू तथा काश्मीर	69.25	28.00	29.00	5.00
4.	पंजाब	45.50	20.00	25.80	3.50

(ङ) जी हां, जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को दी गई निधियों की नियमित रूप से वित्तीय मानीटरिंग की जाती है।

बिहार द्वारा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को शस्त्ररहित किया जाना

352. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में तैनात केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बारे में 10 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3221 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार ने किन शक्तियों के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को, जो सीधे भारत सरकार के अधीन एक केन्द्रीय सुरक्षा बल है, शस्त्ररहित करने का आदेश दिया है;

(ख) क्या सितम्बर, 1980 में हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची से वापस लिए गए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिटों को पुनः वहां तैनात कर दिया गया है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कितने जवानों के खिलाफ दाण्डिक स्थानान्तरण सहित अनुशासनिक कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बिहार सरकार के प्राधिकारियों ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्राधिकारियों के अनुरोध पर एहतियाती उपाय के रूप में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टुकड़ियों के हथियारों को अपने कब्जे में लिया था।

(ख) सितम्बर, 1980 में वापस लिए गए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों को अन्य स्थानों पर तैनात किया गया और हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन रांची में जनवरी, 1980 में नई टुकड़ी तैनात की गई।

(ग) 81 व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, जैसा कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियमों में निर्धारित है। नियमों के अन्तर्गत स्थानान्तरण कोई दण्ड नहीं है और बल के सदस्यों को किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकता है।

विज्ञान सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति को पुनर्जीवित करना

353. **श्री चित्त बसु : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विज्ञान सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति को पुनर्जीवित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) पिछली विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति का कार्यकाल जुलाई, 1980 में समाप्त हो गया। सरकार ने अपने इस निर्णय की घोषणा की है कि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर मन्त्रिमंडलीय समिति को फिर से स्थापित करेगी और मन्त्रीमंडल की एक वैज्ञानिक सलाहकार समिति की भी स्थापना करेगी।

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का पता लगाना

354. **श्री चित्त बसु : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की बढ़ती हुई ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करते के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत को उपयोग में लाने की संभावनाओं का पता लगाने के संबंध में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रानिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

विवरण

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को काम में लाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का नव ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम, जो कि पहले ही वजूद में आ चुका है, के अन्तर्गत सौर ऊर्जा, जीव भार, पवन ऊर्जा आदि जैसे नव ऊर्जा स्रोतों के उपयोगीकरण से संबंधित अनुसंधान, डिजाइन, विकास और प्रदर्शन संबंधी गतिविधियां आती हैं। इस व्यापारिक आधार वाले एकीकृत कार्यक्रम के अन्तर्गत, अनुसंधान संस्थाओं, उद्योगों, उपभोक्ता और विस्तार अभिकरणों द्वारा भाग लिए जाने की अपेक्षा की आती है। इस क्षेत्र में पहले ही काफी विशेष योग्यता का विकास किया जा चुका है और विभिन्न प्रणालियों, युक्तियों (तंत्रों) और उत्पादों का विकास किया गया है।

2. 1980-81 के दौरान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में इस कार्यक्रम में और अधिक उपक्रम किए हैं और विकास और क्षेत्रीय प्रतिष्ठापन की गति को उल्लेखनीय रूप से तीव्रता प्रदान की है।

3. सौर तापीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में गतिविधियों के अन्तर्गत ऐसे अनुप्रयोग आते हैं यथा, जल और स्थान तापन, प्रशीतन और वातानुकूलन, फसल शुष्कन, विलवगीकरण, पम्पन, विकेन्द्रीकृत विद्युत उत्पादन आदि। इस वर्ष के दौरान प्रदर्शन जल तापन प्रणालियों की प्रतिष्ठापना पुणे स्थिन कुष्ट रोग हस्पताल और अहमदावाद स्थित एक कपड़ा मिल में की गई है। इस समय एक डेरी, एक बेकरी, एक आसवन शाला और एक इलैक्ट्रानिकी और मशीनी औजार फैक्ट्री में जल तापन प्रणालियों की प्रतिष्ठापना की जा रही है। एक प्रदर्शन रोकड़ फसल शुष्कन की स्थापना गोहाटी में की गई है और तम्बाकू संसाधन, प्लाइवुड की वेनियर शुष्कन, अनाज शुष्कन और रोकड़ फसल शुष्कन के लिए शुष्ककों की प्रतिष्ठापना की जा रही है। एक उत्पाद विकास और विश्लेषण केन्द्र की स्थापना की बातचीत चल रही है ताकि वड़े पैमाने पर आदि प्ररूपों के विकास प्रदर्शन और वाणिज्यीकरण के कार्य को हाथ में लिया जा सके।

4. सौर प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग संविरचना के स्तर को बढ़ाने और सौर सैलों की प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों और कुशलताओं में सुधार लाने पर बल दिया जा रहा है। और साथ ही कम लागत की सौर ग्रेड की सिलिकान सामग्री के विकास और स्वदेश में निर्माण पर बल दिया जा रहा है। परिचालनों को मेगावाट स्तर तक उत्थित करने के लिए पूर्व-वाणिज्यिक प्रायोगिक संयंत्र परियोजना और व्यापक पैमाने पर क्षेत्रीय स्तर के प्रदर्शन को भी प्रारंभ किया जा रहा है। प्रदर्शन प्रकाश वोल्टीय पम्पों को अवानिया (गुजरात) और तिजारा (राजस्थान) गांवों में, आई० ए० आर० आई० नई दिल्ली में और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में प्रतिष्ठापित किया गया है। नई दिल्ली की एक आवास बस्ती में, मद्रास के एक मत्स्यशाला अनुसंधान संस्थान में, गुजरात, पश्चिमी बंगाल और हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालयों में, मीजोरम और लद्दाख में पम्पों की स्थापना

की जा रही है । लद्दाख में एक गांव में सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था से संबंधित परियोजना, जहाजरानी चालन के लिए रेडियो बीकन यंत्रों की परियोजना और सामुदायिक रेडियो और दूरदर्शन के लिए परियोजनाओं में प्रकाश वोल्टीय मोहसूलों के उपयोग का प्रदर्शन किया गया है ।

5, जीव भार उत्पादन, रूपांतरण और उययोगीकरण के क्षेत्र में अधिक बल, प्रदर्शन-समुदाय आकार के जैव गैस संयंत्रों की प्रतिष्ठापना पर और निवेश के रूप में पशु विष्टा के अतिरिक्त जल हियार्सिथ, कचरा, वनस्पति अपशिष्टों और कृषि अवशिष्टों जैसे अन्य प्रकार के ठोस अपशिष्टों/सामग्रियों के उपयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है । देश में 20 स्थानों पर प्रदर्शन-समुदाय संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है ।

6. ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा भण्डारन के बारे में और पवन ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, महासागर तापीय ऊर्जा, लघु जल प्रौद्योगिकियी, आदि जैसे अन्य नवीकरणीय ऊर्जाओं को इसमें शामिल करके इस कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है । पाल टाइप पवन मिलों के लिए पवन मिल प्रदर्शन कार्यक्रम को देश में दस स्थानों पर कार्यान्वित किया जा रहा है और देश में दस स्थानों पर तीन-तीन के समूहों में कम लागत के धातु पिच्छफलक पवन मिलों की स्थापना के एक और कार्यक्रम को भी हाथ में लिया जा रहा है ।

7. छठी पंचवर्षीय योजना में विभाग पहले से ही विकास की गई प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और वाणिज्यीकरण पर विशेष बल दे रहा है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का देश में अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके । ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित सभी मामलों पर विभाग को परामर्श देने के लिए एक सलाहकार समिति विद्यमान है । सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग की लाइन पर वैकल्पिक ऊर्जाओं पर एक आयोग की स्थापना करने का निर्णय किया है ताकि देश के लिए इन कार्यक्रमों को अधिक महत्ता और संगति को ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों को शीघ्रता से चलाया जा सके ।

तारापुर परमाणु संयंत्र के संबंध में अमरीका के साथ विचारों का आदान-प्रदान

355. **श्री चित्त बसु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में तारापुर परमाणु संयंत्र के संबंध में अमरीका के साथ विचारों का कोई आदान-प्रदान किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) सन् 1963 में हुए द्विपक्षीय सहकार करार के अनुसार, भारत सरकार ईंधन की सप्लाई के प्रश्न पर तथा अन्य मामलों के बारे में अमरीका की सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए है ।

(ख) भारत सरकार उस आवेदन के सम्बन्ध में, जिस पर निर्णय पहले ही हो जाना चाहिए था, उक्त करार के अनुसार अमरीका की सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है ।

पश्चिम बंगाल माल डिब्बा उद्योग में संकट

356. **श्री चित्त बसु :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल का माल डिब्बा उद्योग संकट की स्थिति से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) उद्योग को संकट से उबारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) गत समय में पश्चिमी बंगाल स्थित वैगन बनाने वाले एककों को कम बिक्री, बिजली तथा व्हील सेटों जैसे निवेशों की सप्लाई में कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है ।

(ग) सरकार ने आयात द्वारा व्हील सेटों जैसे निवेशों की सप्लाई में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं । इसके साथ ही भारतीय रेलवे द्वारा वैगनों की कुल खरीद में काफी वृद्धि होने की भी संभावना है जिससे वैगन निर्माता एककों को अपनी क्षमता उपयोग तथा जीव्यता में सुधार लाने का अवसर मिल सकेगा ।

राज्यों में अल्पसंख्यकों के दर्जे का अध्ययन

357. **प्रो. अजीत कुमार मेहता :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने किन्हीं राज्य सरकारों से कहा है कि किन्हीं नगरों में अल्प संख्यकों के दर्जे के संबंध में गहन अध्ययन किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा अध्ययन का स्वरूप क्या है एवं उसका प्रयोजन क्या है; और

(ग) सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा अध्ययन कब तक पूरा किया जाना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान । कुछ राज्य सरकारों को सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोणों से गहन अध्ययन करने के लिए कुछ नगरों के लिए कार्यकारी दल स्थापित करने और कार्यान्वयन के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम बनाने का सुझाव दिया गया है । सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा शीघ्र ही अध्ययन पूरा किए जाने की आशा है ।

सीमेंट की मूल्य निर्धारण नीति

358. **प्रो. अजित कुमार मेहता :**

श्री बी. डी. सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट की मूल्य निर्धारण नीति तथा इस उद्योग को आर्थिक दृष्टि से लाभकारी बनाने के लिए इसके विस्तार के बारे में सरकार के निर्णय के कारण न केवल देशी उत्पादन क्षमता अप्रयुक्त पड़ी रहती है बल्कि मांग को पूरा करने के लिए लगभग 100 प्रतिशत ऊंची लागत पर देश को सीमेंट का निर्यात करना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अभी हाल ही में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने सीमेंट के मूल्य के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में निर्णय लेने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) जी, नहीं। कोयले और बिजली की उपलब्धता में कमी जैसी बाहरी रुकावटों के कारण सीमेंट उद्योग में क्षमता का कम उपयोग हो रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्य श्रेणियों (रैंकों) के लिए परिवार आवास की कमी और रति रोग का होना

359. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा सेवाओं की अन्य श्रेणियों (रैंकों) के लिए पर्याप्त परिवार आवास उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या यह सच है कि रक्षा कर्मचारी अपनी पत्नियों के जरिये बहुत ज्यादा संख्या में रति रोग से ग्रस्त हो रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसका समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) अफसरों सहित रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए परिवार आवास का निर्माण करना एक लगातार चलने वाला कार्य है। सरकार ने अफसरों सहित रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए आवास सम्बन्धी इस कमी को परिवार आवास के निर्माण में वृद्धि करके पूरा करने का निश्चय किया है ताकि इस कमी को 1978-79 से 13 वर्षों के अन्दर पूरा किया जा सके।

तीनों सेनाओं में अन्य रैंकों के लिए परिवार आवास का वर्तमान प्रतिशत इस प्रकार है :

अन्य रैंक (थलसेना)	46.4 प्रतिशत
वायु सैनिक	59. प्रतिशत
नौसैनिक	54.7 प्रतिशत

किराये की निर्धारित सीमाओं के अनुसार, अन्य रैंक के लिए मकान किराए पर

भी लिए जाते हैं। किराये की इन सीमाओं की सावधिक समीक्षा की जाती है व उनमें संशोधन किए जाते हैं।

सरकारी आवास की कमी के कारण कठिनाइयों को कम करने के लिए क्वार्टर के बदले मुआवजा भी दिया जाता है। हाल ही में संशोधित शर्तों के अनुसार 25 वर्ष से ऊपर के उन सभी विवाहित कार्मिकों को यह रियायत मिलती है जो निर्धारित प्रतिशत के अन्दर आते हैं चाहे उनका परिवार उनके साथ उनकी ड्यूटी के स्टेशन पर रहता हो अथवा नहीं।

सरकार के पास उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि रति रोग सम्बन्धी घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए सशस्त्र सेनाओं में रति रोग नियन्त्रण के लिए सामान्य कार्यक्रम के अलावा कोई विशेष कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

सेना में भर्ती

360. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) गत तीन वर्षों में सेना में भर्ती के राज्यवार, आंकड़े क्या हैं; और

(ख) प्रत्येक राज्य से निर्धारित कोटा न भरे जाने और उससे अधिक भर्ती किये जाने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और(ख) राज्यवार भर्ती के बारे में सूचना देना लोकहित में नहीं होगा ?

थल सेना और नौसेना में भर्ती के लिए रिक्त स्थानों की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों में विभाजित किया जाता है। वायु सेना के मामले में क्षेत्रवार आवंटन किया जाता है जिनमें कई राज्य शामिल हैं। अपेक्षित स्तर के उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण कभी-कभी किसी क्षेत्र/राज्य विशेष के लिए निर्धारित कोटा पूरा नहीं हो पाता है। ऐसे मामलों में किसी विशेष क्षेत्र/राज्य के उन रिक्त स्थानों को अन्य राज्यों/क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है।

बंगाल वाणिज्य उद्योग मण्डल. कलकत्ता द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का दुर्विनियोग

361. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगाल वाणिज्य और उद्योग मंडल कलकत्ता ने अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि का दुर्विनियोग किया है और इस धनराशि को जमा करने में धोखा-धड़ी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार, मैसर्स बंगाल वाणिज्य और उद्योग मंडल, कलकत्ता ने नवम्बर/दिसम्बर, 1980 महीनों के बारे में अपने छूट न प्राप्त यूनिट और मई दिसम्बर, 1980 की अवधि के बारे में अपने छूट प्राप्त यूनिट के सम्बन्ध में भविष्य निधि की देय राशियां जमा नहीं कराई थीं।

(ग) इस प्रतिष्ठान ने उपर्युक्त देय राशियों को जमा करा दिया है और अब उनकी ओर कोई राशि बकाया नहीं थी।

पुलिस आयोग के प्रतिवेदन

362. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस आयोग ने अपने गठन के समय से अब तक कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यह प्रतिवेदन किन तारीखों को प्रस्तुत किये गये हैं; और

(ग) यह प्रतिवेदन किन कारणों से सभा पटल पर नहीं रखे गए हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपने गठन की तारीख से अर्थात 15 नवम्बर, 1977 से अब तक भारत सरकार को 5 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं।

(ख) प्रथम प्रतिवेदन 7 फरवरी, 1979 को, द्वितीय प्रतिवेदन 16 अगस्त 1979 को, तृतीय प्रतिवेदन 1 फरवरी, 1980 को, चतुर्थ प्रतिवेदन 19 जून 1980 को और पंचम प्रतिवेदन 26 नवम्बर, 1980 को प्रस्तुत किया गया था।

(ग) आयोग के प्रथम प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा गया था। अन्य प्रतिवेदनों में निहित सिफारिशें भारत सरकार के सचिवों की समिति के विचाराधीन है जिसके अध्यक्ष मंत्रि-मंडल सचिव हैं।

जगुआर बिमान सम्बंधी सौदे का आकार तथा कार्यक्षेत्र

363. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जगुआर विमान सम्बन्धी सौदे के आकार और कार्यक्षेत्र के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार ने जगुआर कार्यक्रम के आकार और काम क्षेत्र के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, अहमदाबाद का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मांग करने वाला ज्ञापन

364. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमालपुर पगाठिया, अहमदाबाद (गुजरात) स्थित भारतीय साम्यवादी पार्टी के एकक ने प्रधान मन्त्री को दिनांक 1 नवम्बर, 1980 का ज्ञापन दिया था जिसमें अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी जमालपुर, दानिल मिडा वार्ड, जमालपुर पगथिया, अहमदाबाद के शाखा मन्त्री ने उपर्युक्त ज्ञापन में अहमदाबाद में लघु उद्योगों की वृद्धि तथा विकास करने के लिये एक पूर्ण राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के प्रादेशिक कार्यालय की स्थापना करने की मांग की थी। उक्त ज्ञापन की जांच राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के परामर्श से की गई तथा उनकी राय में वर्तमान कार्यालय व्यवस्था द्वारा सम्पूर्ण गुजरात राज्य की लघु क्षेत्र की जरूरतों को देखा जा रहा है अतः अहमदाबाद में किसी प्रादेशिक कार्यालय के खोले जाने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यावेदनकर्त्ता को केन्द्र सरकार द्वारा उपयुक्त स्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

गोआ, दमन और दीव का औद्योगीकरण

365. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन और दीव में औद्योगिक विकास के अच्छे संसाधन उपलब्ध हैं परन्तु उनका पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है; और

(ग) दक्षिण गोआ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए सरकार क्या विशिष्ट परियोजनाएं चालू करना चाहती हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) गोवा, दमन तथा दीव का तेजी से औद्योगिकीकरण करने के लिए समस्त केन्द्र शासित प्रदेश को रियायती वित्त सुविधाएं पाने के लिए पात्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है। पणजी की महानगरीय सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र को छोड़कर समस्त केन्द्र शासित प्रदेश को केन्द्रीय निवेश राज सहायता पाने के लिए पात्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र भी घोषित किया गया है।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में उपर्युक्त दो सुविधाओं के अलावा निम्नलिखित प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराए गए हैं :

1. ब्याज राज सहायता।
2. कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधा।

पिल्लोमिल्लो में विदेशी

366. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1981 के पहले सप्ताह में अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के निकोबार जिले में स्थित एक द्वीप पिल्लोमिल्लो में कुछ विदेशी देखे गए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 2 जनवरी, 1981 को पिल्लोमिल्लो बाह्य पुलिस चौकी के प्रभारी ने लिटिल निकोबार द्वीप के गांव इनफाक में 8 विदेशी राष्ट्रिकों को (4 थाई और 4 बर्मी राष्ट्रिक) हिरासत में लिया जहां वे पिछले दो दिनों से एक आदिवासी के साथ ठहरे हुए थे। इन विदेशियों ने पुलिस प्राधिकारियों को सूचित किया कि वे थाईलैंड से आए हैं और उनकी नाव में तकनीकी खराबी आने के कारण इस द्वीप में बहकर आ गए, जो समुद्र तट से लगभग 500 मीटर और इनफाक गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर लंगर डाले हुए थी।

2. सभी आठ राष्ट्रिकों को पोर्ट ब्लेयर लाया गया और उनके विरुद्ध विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है।

3. द्वीपों के दक्षिणी ग्रुपों पर गश्त को और अधिक गहन कर दिया गया है।

पारुलेकर आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना

367. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्य सरकारों ने श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के लिए पारुलेकर आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के निर्णय को अब तक स्वीकार किया है; और

(ख) उस पर अन्य राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारी सम्बन्धी अधिकरणों की सिफारिशों को स्वीकार करने के बारे में जारी की गई अधिसूचनाओं में कानूनी बल है और किसी राज्य सरकार द्वारा इनको स्वीकार न करने का प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासियों को आवंटित भूमि

363. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासियों को अब तक, राज्यवार कुल कितनी भूमि का आवंटन किया गया है; और

(ख) उससे राज्यवार कितने आदिवासियों को लाभ प्राप्त हुआ है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार आदिवासियों को आवंटित भूमि का क्षेत्र इस प्रकार है :

(1) गुजरात 1,95,885 एकड़,

(2) पश्चिम बंगाल 1,23,500 एकड़,

(3) दादर तथा नागर हवेली 1,369 हैक्टेयर,

(4) राजस्थान 10,13,863 एकड़

(5) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह 500 एकड़।

(ख) उपर्युक्त राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में लाभान्वित आदिवासियों की संख्या नीचे दी गई है :

(1) गुजरात 57,788 आदिवासी,

(2) पश्चिम बंगाल 2,20,257 आदिवासी,

(3) दादर तथा नागर हवेली 1,509 आदिवासी,

(4) राजस्थान 3,46,678 आदिवासी,

(5) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह 165 परिवार।

मिश्रित ईंधन का वाणिज्यिक स्तर पर तैयार करना

369. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में तैयार प्लूटोनियम-यूरेनियम ईंधन को वाणिज्यिक स्तर पर तैयार करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) एक मिश्रित आक्साइड ईंधन के विकास के लिए अन्वेषण किये जा रहे हैं। लेकिन इनके परिणामों के बारे में अथवा वाणिज्यिक उपयोग की योजनाएं तैयार करने के बारे में अभी कुछ भी कहना समय से पहले की बात है।

गुजरात में परमाणु बिजलीघर की स्थापना

370. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में एक परमाणु बिजलीघर की स्थापना किये जाने का बिचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परमाणु बिजलीघर की क्षमता क्या होगी ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) पश्चिमी विद्युत क्षेत्र में, जिसमें गुजरात भी आता है, 470 मेगावाट क्षमता का एक परमाणु बिजलीघर स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

समुद्र विज्ञान अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

371. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र विज्ञान अनुसंधान के लिए कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस प्रस्ताव पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग और इलैक्ट्रानिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) :(क) से (ग) ओशन साइन्स एंड टेक्नालोजी एजेंसी (ओस्टा) की स्थायी समिति ने हिन्द महासागर क्षेत्र में बहु विषय शास्त्रीय और अन्तःअभिकरण समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान के संचालन के लिए 7 राष्ट्रीय कार्यक्रमों का अभिनिर्धारण किया है, नामतः (1) समुद्र तल मूल्यांकन कार्यक्रम, (2) सजीव संसाधन कार्यक्रम, (3) मौसम विज्ञान, भौतिक और रासायनिक समुद्र विज्ञान, (4) पर्यावरणीय गुणवत्ता मूल्यांकन और समुद्र तटीय क्षेत्र कार्यक्रम, (5) आंकड़ा प्रबंध और प्रणाली विकास कार्यक्रम, (6) समुद्री प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम और (7) जनशक्ति विकास कार्यक्रम ।

उपर्युक्त कार्यक्रमों को विभिन्न अनुसंधान और सर्वेक्षण अभिकरणों द्वारा किए जा रहे कार्य के साथ मिलाकर, इन्हें समेकित कर दिया जाएगा । नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ ओशनोंग्राफी, गोवा समुद्र और समुद्री पर्यावरण के खाद्य, खनिज, ऊर्जा और औषधियों से संबंधित बहुविषय-शास्त्रीय समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान में लगा हुआ है । नमूने और आंकड़े इसके अनुसंधान जहाज गवेषणी से प्राप्त किए जाते हैं । आई. सी. ए. आर. की प्रयोगशालाएं नामतः सी. एम. एफ. आर. आई., सी. आई. एफ. टी. और सी. आई. एफ. ई. और पर्यावरण विभाग के भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणि सर्वेक्षण समुद्री मत्स्यशालाओं और अन्य समुद्री प्राणिजात और वनस्पतिजात सम्बन्धी अनुसंधान में लगे हुए हैं । इन्स्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम एक्स्प्लोरेशन/तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हाइड्रोकार्बनों और खनिजों के लिए भूविज्ञानों के अनुसंधान/सर्वेक्षण करने में लगे हुए हैं । भारत मौसम विज्ञान विभाग और इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ ट्रापिक्ल मीटियोरोलोजी समुद्री मौसम वैज्ञानिक अनुसंधान में सक्रिय हैं । भारतीय नौसेना ने जल विज्ञान और भौतिक समुद्र विज्ञान में विस्तृत कार्य किया है । कई और अभिकरण प्रदूषण और समुद्री पर्यावरण से सम्बन्धित हैं यथा बी. ए. आर. सी., एन. ई. ई. आर. आई. आदि ।

ओस्टा के तत्वावधान में मुख्य समुद्र वैज्ञानिक सुविधाओं के अधिग्रहण से, इन कार्यक्रमों को कहीं अधिक उत्साहबर्द्धक आधार पर हाथ में लिया जा सकता है । इन मुख्य राष्ट्रीय समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान सुविधाओं पर, जिन्हें छठी योजना के दौरान ओस्टा के तत्वावधान में स्थापित किए जाने की योजना है, लगभग 100 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है । इन समुद्रगामी अनुसंधान सुविधाओं के लिए 1985 तक, जबकि इन्हें पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा, और प्रयोगशाला अनुसंधान सर्वेक्षणों पर अन्तरिम आवर्ती व्यय के क्रमशः 6 करोड़ और 8 करोड़ रुपये तक प्रतिवर्ष होने का अनुमान है । समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ अलग-अलग सम्बन्धित संगठनों/एजेंसियों को, उनके उत्तरदायित्व के चार्टर के अंग के रूप में उनके ही बजटों में अविरत आधार पर धन प्रदान किया जाता है ।

विभिन्न विभागों में पुनर्गठन की समीक्षा

372. **श्री जगदीश टाइटलर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र में विभिन्न विभागों के पुनर्गठन की कोई समीक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जबलपुर के वाहन कारखाने में वाहनों के निर्माण में कमी

373. **श्री जगदीश टाइटलर :**

श्री निहाल सिंह : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जबलपुर के वाहन कारखाने में शक्तिमान और निशान वाहनों के निर्माण में भारी कमी आई है;

(ख) क्या शक्तिमान वाहनों के निर्माण की लागत में कोई वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) वाहन फैक्टरी जबलपुर में वाहनों के उत्पादन का स्तर सुधारने और उत्पादन की लागत में कमी लाने के लिए आवश्यक सुधार करने के बारे में सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

प्रथम मारुति कार का निर्माण

374. **श्री जगदीश टाइटलर :**

,, सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

श्री अमर राय प्रधान : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत मारुति लिमिटेड से प्रथम स्वदेशी निर्मित पेसेन्जर कार के बन कर कब तक निकलने की संभावना है ।

(ख) इस परियोजना में विदेशी सहयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना में कितना पूंजी निवेश किया जायेगा;

(घ) वार्षिक उत्पादन तथा कार की लागत सम्बन्धी अनुमान क्या हैं; और

(ङ) क्या कार आन्तरिक खपत के लिये होगी अथवा निर्यात के लिये ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) मारुति कारखाने में मोटर गाड़ियों का उत्पादन 1983 में आरम्भ हो जाने की आशा है ।

(ख) तथा (ग) सहयोग के लिए उचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु विभिन्न विदेशी निर्माताओं को आमंत्रित किया गया है। प्राप्त होने वाले प्रस्तावों की जांच पड़ताल करने के पश्चात सहयोग करने के लिए कोई निर्णय लिया जायेगा। निवेश के लिए भी उसी समय निर्णय किया जायेगा।

(घ) तथा (ङ) देशी तथा निर्यात बाजारों के लिए प्रति वर्ष 1,00,000 यात्री कारें तथा 30 से 40 हजार हल्की वाणिज्यिक गाड़ियों के निर्माण का प्रस्ताव है। कार का मूल्य चुने जाने वाले माडल, निवेशों तथा अन्य सम्बन्धित बातों पर निर्भर करेगा।

भारतीय औषध निर्माता कम्पनियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें

375. **श्री निहाल सिंह :** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय औषध निर्माता कम्पनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं पक्की नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) विदेशी एवं भारतीय औषध फर्मों में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा उनमें से स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

कोटा परमाणु विद्युत केन्द्र में त्रुटियां

376. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा परमाणु विद्युत केन्द्र में किस प्रकार की त्रुटियां हैं जिनके कारण यह केन्द्र 15 दिसम्बर, 1980 से बन्द पड़ा है;

(ख) इन त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि इस परमाणु विद्युत केन्द्र के बन्द हो जाने से राजस्थान में, जोकि सूखे से बुरी तरह ग्रस्त है, कृषि, उद्योग तथा पीने के पानी की समस्याओं पर प्रतिकूल असर पड़ा है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) तथा (ख) 18 दिसम्बर, 1980 को, राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट के कन्ट्रोल सर्किट में एक फ्यूज के ठीक तरह से काम न करने के कारण, रिऐक्टर के ट्रिप करने की एक घटना हुई। ऐसा किसी यांत्रिक त्रुटि के कारण नहीं हुआ था, बल्कि यह एक विचित्र घटना थी। फ्यूज के खराब हो जाने पर, स्वचालित सुरक्षा-व्यवस्था, जिसमें डाउजिंग भी शामिल है, काम करने लगी। प्रभावित उपस्कर को फिर से लगाने तथा उसके कार्य-निष्पादन की जांच करने के बाद 28-1-1981 को यह यूनिट ग्रिड के साथ मिला दिया गया। इस समय पहला यूनिट 160 मेगावाट के स्तर पर काम कर रहा है। इस पूरी अवधि में दूसरा यूनिट, जिसे परीक्षण के तौर पर चलाया जा रहा है, 70 मेगावाट के स्तर पर कार्य करता रहा।

(ग) यह बिजलीघर ग्रिड को बिजली सप्लाई करता है। इस सप्लाई के बन्द होने का कुछ न कुछ विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था।

छठी योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम

377. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी दूर करने संबंधी कार्यक्रम में प्राप्त सफलता के बारे में ब्यौरेवार जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करने के लिए आरम्भ किए जाने वाले कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और उससे गरीबी की रेखा से निचले स्तर के कितने प्रतिशत लोगों की स्थिति में सुधार हो जाएगा; और

(ग) इस समय देश में गरीबी की रेखा से निचले स्तर के लोगों की संख्या कितनी है ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के प्रारूप में जिसे हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया, पिछले तीस वर्षों में गरीबी को दूर करने में हुई प्रगति की समीक्षा की गई है और योजना की अवधि में प्रस्तावित गरीबी प्रतिरोधक कार्यक्रम दिए गए हैं। इस योजना के प्रारूप की दस प्रतियां संदर्भ के लिए संसद के पुस्तकालय में पहले से उपलब्ध हैं।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 5.2 प्रतिशत की वार्षिक संवृद्धि दर के लिए व्यवस्था की गई है। अर्थ-व्यवस्था की संवृद्धि की समग्र दर में पर्याप्त वृद्धि से ही गरीबी में कमी के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसके अलावा, गरीब वर्गों को सीधे सहायता देने के लिए विशिष्ट स्कीमें शुरू की जाएंगी। इस योजना में शामिल की गई कुछ स्कीमें इस प्रकार हैं :--एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित परिव्यय 3,486,77 करोड़ रु० है। इसके अलावा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 5,808 करोड़ रु० का परिव्यय भी आवंटित किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप यह अनुमान है कि गरीबी के स्तर से नीचे के लोगों का प्रतिशत 1979-80 में लगभग 48 प्रतिशत से कम होकर 1984-85 में 30 प्रतिशत हो जाएगा।

(ग) 1979-80 में गरीबी के स्तर से नीचे के लोगों की संख्या के सामान्य रूप से 3168.44 लाख होने का अनुमान है।

जिला राजनन्द गांव की बूधल खानों में हड़ताल

378. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जिला राजनन्द गांव की बूधल खानों में नेताओं द्वारा आयोजित हड़ताल की जानकारी है; और

(ख) सरकार ने अपने अस्थायी श्रमिकों को स्थायी नौकरियों में खपाने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) हड़ताल समाप्त हो गई और प्रबन्धतन्त्र तथा श्रमिकों ने समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के अनुसार, श्रमिकों को माडल स्थायी आदेशों में दिए गए वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि ऐसे श्रमिकों को जो स्थायी आधार पर नियुक्त किए गए हैं और जिन्होंने तीन मास की परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है, स्थायी श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

उद्यमियों द्वारा आसाम में पूंजी निवेश करने के प्रति उत्साह-हीनता

379. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राज्य में वर्तमान अव्यवस्था के कारण उद्यमी उस राज्य में पूंजी निवेश के प्रति उत्साही नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो उद्यमियों की उत्साह-हीनता को दूर करने के लिए और राज्य के द्रुत औद्योगिक विकास के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) आसाम में विदेशियों के बारे में आन्दोलन अगस्त-सितम्बर, 1979 में प्रारम्भ हुआ था और 18 महीनों बाद अभी चल ही रहा है। आन्दोलन के दौरान बार-बार बन्द, घिराव, असहयोग, भूखहड़ताल तथा सत्याग्रह किए जाने से एक तनावपूर्ण वातावरण बन गया है जिसके परिणामस्वरूप समस्त राज्य में ही एक साम्प्रदायिक भावना घर कर गई है। समूचे राज्य में सामान्य आर्थिक गतिविधियां बारम्बार के बन्द तथा धरनों के कारण अस्तव्यस्त हो गयी हैं।

(ख) हाल ही में सरकार द्वारा आसाम सहित उत्तर-पूर्वीय प्रदेश के अधिसूचित जिलों के औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में किए जाने वाले 15 प्रतिशत के केन्द्रीय निवेश राजसहायता के परिणाम को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर देने का सुनिश्चय किया गया है।

महाराष्ट्र में छोटे सीमेन्ट संयंत्र स्थापित किए जाना

380. **श्री उत्तम राठौड** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व उद्योग मंत्री ने इस सदन में यह घोषित किया था कि महाराष्ट्र में दो सीमेन्ट संयंत्र स्थापित किए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों के लिए किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) इस नीति की उद्घोषणा के पश्चात् क्या प्रगति की गई है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) सरकार की नीति देश में लघु सीमेन्ट संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देने की रही है। महाराष्ट्र राज्य में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए निम्नलिखित तीन पार्टियों को आशय-पत्र जारी किए गए हैं :

योजना का नाम	स्थापना-स्थल	क्षमता लाख मी० टनों में	आशय-पत्र जारी करने की तारीख
हरी गंगा सीमेंट लि०	राजुरा	0.66	16.4.1980
श्री नेम कुमार केशरीमल पोरवाल एण्ड सुशील कुमार, नेम कुमार पोरवाल पोस्ट कामतु	राजुरा, जिला चन्द्रापुर	0.60	28.7.1980
एग्रीमा इन्जीनियरिंग एण्ड कंसलटेंसी सर्विसेज लि.	राजुरा	0.66	28.7.1980

चन्द्रपुर में 9,000 मी० टन की क्षमता के लिए एक लघु सीमेंट संयंत्र की स्थापना हेतु एक और योजना तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पास पंजीकृत की गई है ।

मैसर्स इंडिया पेपर कम्पनी लि० हाजीनगर पश्चिम बंगाल का बन्द किया जाना

381. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इण्डिया पेपर पल्प कम्पनी लि०, हाजीनगर 24-परगना पश्चिम बंगाल के बन्द हो जाने के कारण इसके 1700 कर्मचारी भूखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं;

(ख) क्या इस कम्पनी का प्रबन्ध जून, 1976 की आपातकालीन अवधि के दौरान हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि० को सौंप दिया गया था ताकि अन्ततः इसका प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में ले ले;

(ग) क्या इसे पुनः चालू करने के लिए जनता सरकार ने 6.64 करोड़ रुपये की धन राशि स्वीकृत की थी और 29 जुलाई, 1979 को यह राशि बढ़ाकर 10.13 करोड़ रुपये कर दी गई थी;

(घ) क्या उन्होंने उक्त कम्पनी को सरकार के प्रबन्धाधिकार में लेने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की थी और उक्त समिति अपना प्रतिवेदन 1980 में दे चुकी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कम्पनी को अपने अधिकार में लेने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) से (ग) चूंकि इण्डिया पेपर पल्प कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय स्थिति खराब हो गयी थी, इसलिये पश्चिम बंगाल सरकार ने एकक को एक राहत उपक्रम घोषित कर दिया तथा 30 अप्रैल, 1080 को जबरी

छुट्टी की घोषणा कर दी गई थी । कर्मचारियों को नवम्बर, 1980 तक जबरी छुट्टी प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान कर दिया गया था । हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन में मिल को पुनरुज्जीवित करने में सहायता पहुंचाने की दृष्टि से कम्पनी को प्रबंधकीय विशेषज्ञता प्रदान की । सरकार द्वारा वर्ष 1978 में 6.64 करोड़ रुपये के परिव्यय की एक पुनर्वास योजना के लिए स्वीकृति दे दी गई थी, किन्तु 1979 के अन्त में वित्तीय आवश्कताओं का पुनः निर्धारण 10.13 करोड़ रुपये किया गया है, चूंकि कम्पनी के भावी संचालन को मितव्ययितापूर्ण तथा अर्थक्षम तरीके से चलाने में सन्देह प्रकट किया गया था, इसलिए मिल को पुनरुज्जीवित करने की भावी संभावनाओं की जाँच का काम हाथ में लेने हेतु एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति कर दी गयी है । विशेषज्ञ दल की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

लेह में उपद्रव

382. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेह में हाल ही में बड़े पैमाने पर उपद्रव हुए थे जिनसे सीमा सुरक्षा बल को तैनात करने की आवश्यकता पड़ गई;

(ख) क्या सरकार को लेह में हुए उपद्रवों के कारणों के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कार्रवाई समिति, लेह ने 30 नवम्बर और 28 दिसम्बर, 1980 को प्रदर्शन आयोजित किए थे । इन अवसरों पर सीमा सुरक्षा दल की कोई टुकड़ियां तैनात नहीं की गई थीं ।

(ख) और (ग) जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार प्रदर्शन कार्रवाही समिति की निम्नलिखित मुख्य मांगों के समर्थन में थे :

1. लद्दाख के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता;
2. लेह और कारगिल जिलों के लिए लेह में मण्डलीय मुख्यालयों की स्थापना;
3. लेह के लिए क्षेत्र के आधार पर निधि का आवंटन करना, न कि जनसंख्या के आधार पर;
4. पर्याप्त बिजली की आपूर्ति; और
5. पर्याप्त पीने के पानी की व्यवस्था ।

(घ) इन मांगों पर विचार करना प्राथमिक रूप से राज्य सरकार का काम है । राज्य सरकार ने लद्दाख क्षेत्र के लोगों के प्रतिनिधियों के साथ वार्त्ता शुरू की है और केन्द्र सरकार इसका स्वागत करती है ।

राज्यों में बीस-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित न किया जाना

383. **श्री जयनारायण रोत** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्यों में बीस-सूत्री कार्यक्रम को अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 20-सूत्री कार्यक्रम अधिकतर सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) 20-सूत्री कार्यक्रम के विभिन्न मदों के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं को तैयार करते समय की जाती है।

जनगणना रिकार्डिग फार्मों से राष्ट्रियता पहिचान का कालम हटाया जाना

384. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने जनगणना आयुक्त को निदेश दिया है कि जनगणना रिकार्डिग फार्मों में से इस बार राष्ट्रियता पहिचान का कालम हटा दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आसाम तथा अन्य पूर्वी राज्यों में इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1971 की जनगणना में "राष्ट्रीयता" के प्रश्न की जांच नहीं की गई थी। 1981 की जनगणना में इसे पुनः शुरू करने पर विस्तार से विचार किया गया था परन्तु इस प्रश्न की जांच करने का निर्णय किया गया था।

(ख) 1971 की जनगणना में राष्ट्रीयता सम्बन्धी प्रश्न हटा देने के पक्ष में मुख्य तर्क इस तथ्य पर केन्द्रित रहा कि ऐसे आंकड़े विश्वसनीय नहीं हो सकते थे, क्योंकि जनगणना में वादी का उत्तर अनुसूची में दर्ज किया गया था और कुछ मामलों में गलत हो सकता था। अन्तर्ग्रस्त सभी विवादों की पुनः जांच करने पर यह महसूस किया गया था कि इस प्रश्न के माध्यम से प्राप्त सूचना अविश्वसनीय बनी रहेगी और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि इसके परिणाम अतीत परिणामों से भिन्न होंगे।

असम में जनगणना स्थगित कर दी गई है। पूर्वी क्षेत्र के अन्य राज्यों से कोई प्रतिक्रिया सूचित नहीं की गई है।

दिल्ली में लोकप्रिय सरकार की फिर से स्थापना

385. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लोकप्रिय सरकार की फिर से स्थापना तथा निर्वाचित नगर निगम के लिए मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ये चुनाव कब तक कराए जाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सरकार को दिल्ली महानगर परिषद और दिल्ली नगर निगम के चुनावों को कराने की मांगों की जानकारी है। सरकार इस विषय में (1) मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण सम्बन्धी कार्य के पूरा हो जाने और (11) भारत के महापंजीकार द्वारा जनगणना के कार्य को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद निर्णय लेगी।

औद्योगिक रुग्णता

386. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक रुग्णता एक अखिल भारतीय बात हो गई है;

(ख) क्या यह रुग्णता बड़े तथा मध्यम उद्योगों की अपेक्षा छोटे उद्योगों में अधिक तेजी से फैली है,

(ग) क्या यह रुग्णता मुख्यत: कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि तथा सामान्य मुद्रा स्थिति के कारण हुई है, और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने का प्रस्ताव है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में 31.12.1979 तक रुग्ण एककों की संख्या इस प्रकार है :

लघु क्षेत्र	:	20.975
संगठित क्षेत्र	:	1,391

(ख) लघु क्षेत्र के एककों में रुग्ण एककों का प्रतिशत अनुमानत: 3.5 प्रतिशत है। इसे बहुत अधिक नहीं माना गया है।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ कच्चे माल की लागतों में हुए उतार-चढ़ाव तथा मुद्रा-स्फीति औद्योगिक रुग्णता के लिए जिम्मेवार कारण है।

(घ) बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रारम्भ में ही रुग्णता का पता लगा लेने की व्यवस्था की गई है ताकि समय से उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके। जिन एककों के जीव्य होने की सम्भावना होती है, वे उनका पोषण तथा पुनर्वास करने की योजनायें भी तैयार करते हैं और उन्हें कार्यान्वित करते हैं। सरकार भी उपयुक्त सुधार विषयक उपाय करती है। रुग्ण एककों को पुनरुज्जीवित करने हेतु सरकार की नीति राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों तथा मजदूरों का सहयोग सुनिश्चित करने की है।

अनुसन्धान परियोजनाओं में वैज्ञानिकों को सम्मिलित करना

387. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या विज्ञान और प्राद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और गोष्ठियों तथा विशेष परियोजनाओं और उनके सम्बन्ध में नीति बनाने के कार्य में युवा वैज्ञानिकों का सक्रिय सहयोग पाने के लिये परियोजना तैयार करने का है;

(ख) क्या देश के युवकों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए कोई परियोजना बनाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिक परिषद स्थापित करने तथा उन्हें सहायता देने का है जिससे राज्य स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की गतिविधियों के क्षेत्र में विद्यमान कमी को पूरा किया जा सके ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने युवकों में वैज्ञानिक रुचि का सम्वर्द्धन करने के लिए एक नई योजना का सूत्रपात किया है। इस योजना में यह परिकल्पना की गई है कि व्यापक रूप से 21 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के युवा वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी गतिविधियों से सम्बन्धित किया जाए। इस योजना का उद्देश्य यह है कि युवा वैज्ञानिकों को युवाओं में रुचि के सम्वर्द्धन और प्रवर्द्धन के लिए संगोष्ठियों/सेमिनारों का आयोजन करने में सक्रिय रूप से भाग लेने के योग्य बनाना है, उन्हें उपयुक्त स्तरों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन से सम्बन्धित विषयों पर हुए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना और विशेष अनुसंधान योजनाओं को हाथ में लेना है।

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राज्य परिषदों की स्थापना और विकास के लिये उत्प्रेरक सहायता प्रदान करने के लिये एक योजना का सूत्रपात किया है ताकि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी गतिविधियों के सम्वर्द्धन के लिये राज्यों में केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य कर सकें। 14 और 15 जनवरी, 1981 को बंगलौर में आयोजित की गई बैठक में इससे सम्बन्धित मामलों पर सविस्तार चर्चा की गई, जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

मारुति लिमिटेड में कार निर्माण के लिए विदेशी पार्टियों से आवेदन-पत्र

388. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई मारुति लिमिटेड परियोजना के अन्तर्गत एक लाख पेसेन्जर कारों तथा 40,000 वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करने के लिए विदेशी पार्टियों से आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये थे;

(ख) यदि हां, तो उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्होंने आवेदन-पत्र दिये हैं, प्रत्येक की विदेशी मुद्रा आवश्यकता क्या है और तुलनात्मक आधार पर अन्य ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया है और यदि हां, तो उसकी कसौटी क्या है तथा चुने गये आवेदनों की शर्तें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ पार्टियों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं तथा कुछ से प्राप्त होने की सम्भावना है । इच्छुक पार्टियों के विस्तृत ब्यौरे प्राप्त होने के पश्चात् ही तुलनात्मक मूल्यांकन संभव हो सकेगा ।

(ग) जी, नहीं ।

सीमेंट के लिए क्षमता उपयोग तथा निर्यात प्रोत्साहन

389. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग राज्य मन्त्री ने सीमेंट मेन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए यह घोषणा की थी कि 1980 के पाइप लाइन के आयात आदेश के पूरा होने के बाद सीमेंट का आयात नहीं किया जायेगा;

(ख) 1979 तथा 1980 के दौरान वर्षवार सीमेंट का कितना आयात हुआ तथा कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई;

(ग) क्या सरकार के पास (एक) विद्यमान सीमेंट संयंत्रों की स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग करने, (दो) मशीनों को आधुनिक बनाने, (तीन) छोटे सीमेंट उद्योग को सुविधाएं तथा नये लाभ देने के लिए कोई योजनाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार आगे सीमेंट में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा यहां तक कि इसका निर्यात करने के बारे में सोच रही है, यदि हां, तो आगामी पांच वर्षों के लिए उत्पादन तथा निर्यात के लक्ष्य क्या हैं; और

(च) जैसा कि सरकार ने अनुमान लगाया है, 160 लाख टन अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने के लिए सीमेंट उद्योग ने कितना निवेश करने की योजना बनाई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) जी नहीं । यह बता दिया गया था कि सीमेंट का आयात केवल उतने ही समय के लिये किया जायेगा जब तक देश से इसकी कमी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना अत्याधिक जरूरी होगा ।

(ख)

वर्ष	परिमान लाख/मी० टन	मूल्य (रुपये करोड़ों में)
1978–79	16.35	77.24
1979–80	15.47	92.00

(ग) और (घ) सरकार अवस्थापना सम्बन्धी अपेक्षित विक्रियां अपलब्ध करवा कर सीमेंट संयंत्रों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने, देश में अनेक मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने तथा विद्यमान सीमेंट एककों में अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग करने का सुनिश्चित करने के हरसंभव प्रयास कर रही है । सरकार की नीति सीमेंट उत्पादकों द्वारा किये गये निवेश पर उचित लाभ दिलाने का सुनिश्चय करने की भी है ।

(ङ) सीमेंट उद्योग पर योजना आयोग द्वारा नियुक्त किये गये कार्यकारी दल ने छठी योजतावधि में सीमेंट का उत्पादन निम्न प्रकार करने की कल्पना की है :

वर्ष	प्रत्याशित उत्पादन
	(मिलि. मी. टनों में)
1980–81	20.00
1981–82	25.23
1982–83	28.98
1983–84	32.86
1984–85	37.36

चूंकि मांग प्रत्याशित उत्पादन की तुलना में अधिक रही है इसलिये छठी पंचवर्षीय योजनावधि में सीमेंट का निर्यात करने की कोई परिकल्पना नहीं है।

(च) कार्यकारी दल की रिपोर्ट में लगभग 226.9 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने के लिये छठी पंचवर्षीय योजनावधि में अनुमानत: 1,462 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है।

मध्य प्रदेश राज्य में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या

390. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या ज्ञात की है;

(ख) यदि हां, तो 1978, 1979 और 1980 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी थी;

(ग) उनमें से कितनों को 1978, 1979 और 1980 में रोजगार अथवा स्वनियोजना अथवा पुनर्वास दिया गया; और

(घ) राज्य में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कम करने के लिए केन्द्र तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा क्या नई योजनायें प्रायोजित की गई हैं ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से प्राप्त की गई सूचना के अनुसार उनके द्वारा शिक्षित बेरोजगारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, काम ढूंढने वाले शिक्षित व्यक्तियों का (जिनमें से सभी बेरोजगार नहीं होते) पंजीकरण राज्य में रोजगार कार्यालयों में किया गया है।

(ख) और (ग) राज्य में रिक्ति रजिस्टरों में दर्ज रोजगार ढूंढने वाले शिक्षित व्यक्तियों की संख्या और रोजगार कार्यालयों के जरिए रोजगार दिलाए गए ऐसे व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :

(हजार)

वर्ष/अवधि (के अन्त में)	वर्ष/अवधि के अन्त में रिक्ति रजिस्टरों में दर्ज संख्या	वर्ष/अवधि में दिलाई गई नौकरियों की संख्या
1978	337.3	10.2
1979	332.7	11.2
1980 (परिशोधित) (जनवरी-जून)	351.6	5.5

वर्ष 1978, 1979 और 1980 में स्वरोजगार के उपक्रमों के लिए "शिक्षित बेरोजगारों को सुलभ कर्ज" की विशिष्ट स्कीम के अन्तर्गत 966 शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों ने स्वरोजगार के उपक्रम स्थापित किये।

(घ) 1980-85 की नई योजना में रोजगार सम्बन्धी कार्यनीति में, जिसमें स्वरोजगार के लिए विकेन्द्रित कार्यनीति शामिल है, शिक्षित बेरोजगारों में बेरोजगारी को कम करने के लिये अनेक उपायों की परिकल्पना की गई है और इन्हें योजना के दस्तावेज में बताया गया है। राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के लिये योजनागत स्कीमों के जरिये रोजगार के अवसर उत्पन्न कराने के लिये सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में बंधवा श्रमिक

391. **डा. बसन्त कुमार पण्डित** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुमानतः 5 लाख से भी अधिक बंधुआ श्रमिक हैं;

(ख) उनमें से जिलावार कितनों का पता लगा लिया गया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को अनुदेश दिए हैं कि राज्य में बंधुआ श्रमिक सम्बन्धी श्रमिक कानूनों को सख्ती से लागू किया जाये; और

(घ) बंधुआ श्रमिकों को 1985 तक मुक्त करने तथा उनका पुनर्वास करने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या विशेष योजनाएं बनायी गई हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) राज्य सरकार के अनुसार, 1531 बंधित श्रमिकों का पता लगाया गया है और उन्हें मुक्त कराया गया हैं। शायद 5 लाख की संख्या गांधी शान्ति प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा 1978 में संयुक्त रूप से किए गए बंधित श्रमिकों की विद्यमानता सम्बन्धी सर्वेक्षण की प्रारम्भिक रिपोर्ट में दिए गए अनुमान से सम्बन्धित है। जिलावार संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों से तत्काल और दक्ष कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत बंधित श्रमिकों का, जहां

कहीं वे विद्यमान हैं, पता लगाने उन्हें मुक्त कराने तथा पुनर्वासित करने के लिये गहन सर्वेक्षण करना शामिल है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे गहन सर्वेक्षण करेंगे, जिसके परिणाम के आधार पर वे बंधित श्रमिकों के लिए अपने पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करेंगे और उन्हें प्रस्तुत करेंगे।

दक्षिण में सीमेंन्ट एककों का बन्द होना

392. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सूचित किया गया है कि दक्षिण स्थित सभी सीमेंट एककों को सिंगरेनी कोयला खानों से जोड़ने के रेल बोर्ड के एकतरफा निर्णय से दक्षिण में सीमेंट एककों को कोयले की कमी के कारण अपना काम बन्द करने के लिए बाध्य किया गया था;

(ख) क्या नीति में इस अकस्मात परिवर्तन के कारण दक्षिण स्थित अधिकांश एककों को अपने कोटे से 40 प्रतिशत कम कोयला मिलेगा और इससे वे संकट में पड़ जायेंगे;

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय के मुख्य कारण क्या थे और इस निर्णय से दक्षिण के सीमेंट एककों पर किस हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या इस संकट को देखते हुए सरकार ने उक्त निर्णय में परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो मंत्रालय ने दक्षिण में सीमेंट एककों को बचाने के लिए क्या पहल की है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) से (ङ) दक्षिण स्थित सीमेंट एकक अपनी कोयले की आवश्यकताओं को सिंगरेनी कोयला खानों के साथ-साथ पश्चिमी कोयला क्षेत्रों के चाँदा क्षेत्र और पूर्वी कोयला क्षेत्रों के रानीगंज क्षेत्रों से पूरा करते हैं। ये सम्बन्ध निरन्तर प्रदर्तित रहते हैं।

प्रतिकूल विकास दर वाले उद्योग

393. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष 1980-81 के पहले 7 महीनों के दौरान 59 प्रमुख उद्योगों में 72.2 प्रतिशत तक का प्रतिकूल विकास दर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मन्त्रालय भी, जिसने 148 चुने हुए उद्योगों के विकास ढांचे का अध्ययन किया था, इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस अवधि के दौरान 23 उद्योगों में 4 प्रतिशत का स्थिर विकास दर रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो चालू वित्तीय वर्ष के 7 महीनों के बाद की स्थिति क्या है;

(घ) उनके ऋणात्मक विकास के मुख्य कारण क्या थे;

(ङ) ऋणात्मक विकास दर वाले वे 59 प्रमुख उद्योग कौन-कौन से थे; और

(च) उन उद्योगों के ऋणात्मक विकास को रोकने के लिए सरकार ने अब क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) और (ङ) चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम सात महीनों के दौरान नकारात्मक विकास दरें दर्शाने वाले* 59 उद्योगों की एक सूची विवरण–1 में दी गई है।

(ख) और (ग) उस समय उपलब्ध अंतिम उत्पादन आंकड़ों के आधार पर 148 चुने हुए उद्योगों की समीक्षा में 23 उद्योगों की विकास दरें 0 से लेकर–5 प्रतिशत में दिखाई गई हैं।

(घ) और (च) औद्योगिक उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डालने वाले अवस्थापना संबंधी अन्तरालों पर उच्च स्तर पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है और विभिन्न रुकावटों को दूर करने के लिये उपर्युक्त सुधारात्मक उपाय किये गये हैं।

विवरण

1. विद्युत ट्रांसफार्मर
2. सोडा ऐश
3. विस्कोस फिलामेंट धागे
4. स्टोरेज बैटरी
5. अखबारी कागज
6. साइकिलें
7. मोटर स्टार्टर और कन्टैक्टर
8. कास्टिक सोडा
9. ए. सी. एस. आर./ए. ए. सी.
10. पोलिएस्टर धागे
11. साइकिल टायर
12. सीमेंट
13. सिगरेटें
14. स्टील की ढली हुई वस्तुएं
15. चमड़े के जूते (भारतीय किस्म के)
16. वी. आई. आर./पी. वी. सी
17. तार के रस्से
18. विटामिन "ए"
19. बिक्री योग्य इस्पात (मुख्य)
20. सिलाई मशीनें
21. पैन्सिलीन
22. बिस्कुट
23. पी. आई. एल. सी.
24. ट्रांसमिशन टावरे
25. तांबा, पीतल की चद्दरें तथा गोले
26. सीमेंट मशीनें
27. एल्युमिनियम की चद्दरें और गोले
28. आक्सीजन गैस
29. रबर और प्लास्टिक का सहायक सामान
30. इन्कैन्डीसेंट लैम्प
31. बेल्डिंग इलैक्ट्रोइस
32. पोलिथिलीन एच. डी.
33. इस्पात पिंड (मुख्य)
34. कारें
35. विस्कोस टायर कोर्ड
36. वॉयलर
37. पोलिएस्टरीन
38. नाइलोन टायर कोर्ड
39. नाइट्रोजन युक्त उर्वरक
40. सेल्यूलोन फिल्में
41. जस्ता
42. स्टील पाइप और ट्यूबें
43. अल्यूमिनियम
44. डी. डी. टी.
45. कैल्सियम कार्बाइड
46. बी. एच. सी. (ठेंक)

*विकास की दरें अन्तिम हैं और इनमें परिवर्तन हो सकता है।

टिप्पण :—सीमेंट मशीनों और बायलरों की विकास दरें वर्तमान मूल्यों की कीमत के अनुसार और धनात्मक हैं।

47. सिन्थेटिक रबर
48. स्ट्रैप्टोमाइसिन
49. सल्फर दवाइयां
50. वाट रंजक
51. पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद
52. घड़ियां
53. कच्चा पेट्रोलियम
54. विस्कोस स्टेपल फाइबर
55. पी. वी. सी. रेजिन
56. रेजर ब्लेड
57. चीनी मशीनें
58. मेलाथियोन
59. चीनी

आल इण्डिया डिफेन्स एम्प्लाईज फेडरेशन के साथ समझौते को कार्यान्वित करने के लिए कदम

394. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने आल इण्डिया डिफेन्स एम्प्लाईज फेडरेशन के साथ 11 अगस्त, 1979 को कुछ मांगों में समझौता किया था; और

(ख) यदि हां, तो समझौते को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

'पाक वाइज आर्म्स फ्रोम पुर्तगाल' शीर्षक के समाचार

395. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 26 जनवरी, 1981 के "हिन्दुस्तान टाईम्स" नई दिल्ली, में 'पाकिस्तान वाइज आर्म्स फ्रोम पुर्तगाल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। परन्तु ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि 1980 की पहली छमाही में उनके बीच हथियारों के संबंध में 12.5 लाख पौंड से भी अधिक का कोई सौदा हुआ है।

"चाईना टैस्ट्स आई. आर. बी० एम०" शीर्षक से समाचार

396. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान नई दिल्ली के 21 जनवरी, 1981 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित "चाइना टेस्ट आई. आर. बी. एम." शीर्षक से समाचार की ओर आकर्षित हुआ है;

(ख) क्या इस प्रक्षेपणास्त्र का रेंज 2,500 कि. मी. है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) यह परीक्षण भी चीन द्वारा वर्षों से किए जा रहे इस तरह के परीक्षणों का ही एक भाग है। इस परीक्षण से भारत की सुरक्षा को कोई नया खतरा नहीं है।

विजयन्त टैंकों का उत्पादन

397. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी व्हीकल फैक्टरी, अबाडी में विजयन्त टैंकों का उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता का केवल एक तिहाई हो रहा है;

(ख) क्षमता के कम उपयोग के क्या कारण हैं; और

(ग) क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) यह सही नहीं है कि हैवी व्हीकल फैक्टरी आबड़ी में विजयन्त टैंकों का उत्पादन इसकी स्थापित क्षमता का एक तिहाई है। फिर भी कुछ वर्षों में इस फैक्टरी में उत्पादन इसकी स्थापित क्षमता से कुछ कम रहा है जिसके कारण इस प्रकार है :

1. बाजार से उपकरणों और कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई;
2. हैवी व्हीकल फैक्टरी को सामग्री सप्लाई करने वाली फर्मों में बिजली की कमी;
3. औद्योगिक अशान्ति और उप-सप्लाईकर्ताओं का कार्य बन्द होना;
4. आयातित उपकरणों की सप्लाई में विलम्ब।

(ग) फैक्टरी में उत्पादन पर निरन्तर नजर रखी जा रही है और उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं जिनमें वैकल्पिक सप्लाईकर्ताओं को आदेश देना, सरकारी फैक्टरियों में संघटकों का उत्पादन शुरू करना, विदेशी फर्मों के साथ शीघ्र कार्रवाई करना और इसी तरह के अन्य कार्य शामिल हैं।

सिंधी शरणार्थियों की समस्याएं

398. **आचार्य भगवान देव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंधी बोलने वाले, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रदेश से आकार देश के विभिन्न भागों में बस गए हैं, की अपनी विधान सभा न होने के कारण उन्हें अपनी समस्याओं तथा असुविधाओं के समाधान का उपयुक्त अवसर नहीं मिलता;

(ख) क्या सरकार का इस समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता देने तथा इन्हें अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को दी जाने वाली सुविधाएं देने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का अल्पसंख्यक आयोग को यह कहने का विचार है कि वह इन लोगों की समस्याओं का अध्ययन करके सिफारिशें दें; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सिंधी भाषी लोगों को भी वे सभी संरक्षण उपलब्ध हैं जो अन्य भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध हैं। संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठापित व्यक्तिगत मूल अधिकार, विशेषरूप से अनुच्छेद 19 में (स्वतंत्रता का अधिकार), अनुच्छेद 32 में (मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार) सिंधी भाषी लोगों समेत सभी अल्पसंख्यकों को समान रूप से उपलब्ध है और जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में प्रभावकारी ढंग से उनके भाग लेने को संविधान में संरक्षण की व्यवस्था है। संविधान में अनुच्छेद 29, 30 और 350-ख में उपबंधों के अनुसार विशेषत: भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्राप्त है। अनुच्छेद 29 नागरकिों के किसी वर्ग की भाषा, लिपि तया संस्कृति को बनाए रखने को भी संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जाने वाली शैक्षिक संस्थाओं की व्यवस्था और सहायता देने के मामले में ऐसी संस्थाओं के प्रति भेदभाव बरतने में राज्यों को रोकता है।

2. संविधान में अल्पसंख्यकों को उपलब्ध संरक्षणों के अतिरिक्त अल्पसंख्यकों को उपलब्ध संरक्षणों के लिए विशेष रूप से अगस्त, 1961 में हुई मुख्य-मन्त्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों की बैठकों में राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना तैयार की गई थी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों, चाहे वे धर्म पर आधारित हों अथवा भाषा पर, के संरक्षण के लिए 1978 में एक अल्पसंख्यक आयोग गठित किया था।

3. ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति को देखते हुए सिंधी भाषी शरणार्थियों से सम्बन्धित समस्याओं को अल्पसंख्यक आयोग को भेजने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

आसाम का औद्योगिकरण

399. : **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास देश के अन्य राज्यों की तुलना में नगण्य रहा है;

(ख) सरकार का राज्य के शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती हुई जन संख्या की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आसाम का तेजी से बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है, और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी नहीं, आसाम में सरकारी क्षेत्र के एककों में 31.3.1980 तक सभी केन्द्रीय निवेश की कुल राशि 390.37 करोड़

रुपये है, और यह राशि बहुत से बड़े राज्यों में लगी तदनुरूप केन्द्रीय निवेश राशि से अधिक है।

(ख) और (ग) : इस समय आसाम राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र की कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं निम्न प्रकार हैं :

1. **हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन :**
   (क) नौगांग पल्प एन्ड पेपर प्रोजेक्ट।
   (ख) कछार पल्प एन्ड पेपर प्रोजेक्ट।
2. **सीमेंट कारपोरेशन आफ इन्डिया :**
   (1) बोकाजन परियोजना।
   (2) बोगागांम पैट्रोकेमिकल्स।
3. **पैट्रोलियम-क्षेत्र :**
4. **हिन्दुस्तान उर्वरक निगम :**
   (क) नामरूप (iii) उर्वरक परियोजना।
   (ख) नामरूप कम्पलैक्स पर अन्य खर्च।

इनके अतिरिक्त, छठी पंचवर्षीय योउना की अवधि 1980-85 के दौरान राज्य सरकार के क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में कार्यान्वियन के लिए चमड़ा परियोजना, थेल्टिक एनहाइड्राइड परियोजना, जूट मिल, औद्योगिक कागज, सिगरेट परियोजना, ब्रेकरी परियोजना, रेयन ग्रेड की लुग्दी और विस्कोस फाइवर परियोजना तथा कताई मिल आदि परियोजनाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकार के पास अनेक प्रस्ताव हैं। औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र में धन लगाने को आकर्षित करने हेतु भावी उद्यमियों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता और वित्तीय संस्थानों द्वारा रियायती वित्त जैसे अनेक प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। ये सभी उपाय राज्य के बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से किए गए हैं।

राजस्थान में आदिवासियों के लिए विकास परियोजनाएं

400. **श्री जयनारायण रीत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : छठी पंचवर्षीय योलना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में आदिवासियों के लिए विकास परियोजनायों को क्रियान्वित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अब तक पाच समग्र जनजाति विकास परियोजनायें और एक आदिम जनजाति विकास परियोजना स्थापित की गयी है। जनजाति क्षेत्र विकास आयुक्त को जनजाति विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। राज्य स्तर पर जनजाति परामर्शदात्री परिषद मार्गदर्शी नीति की व्यवस्था करती है और विभिन्न कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करती है। राज्य के विकास से सम्बन्धित विभाग कार्यों को निष्पादित करते हैं।

1980-85 के लिए अन्तिम जनजाति विकास उप-योजना को राजस्थान सरकार द्वारा अभी प्रस्तुत किया जाना है । छठी योजना के लिए विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के विवरण राज्य सरकार से विचार-विमर्श करने के बाद ही उपलब्ध होंगे ।

क्षेत्रीय कैंसर अस्पताल

401 **श्री जनार्दन पुजारी : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त उस समिति ने अपना प्रतिवेदन भेज दिया है, जिससे क्षेत्रीय कैन्सर अस्पतालों का किस पद्धति से विकास किया जाए, इस बात की जांच करने का कार्य सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है तथा चालू वर्ष के दौरान किन-किन नगरों में इन कैंसर केन्द्रों की स्थापना की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लाकर) : (क) और (ख) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों का किस पैटर्न पर विकास किया जाए इसकी जांच करने के लिए सरकार ने हाल ही में कोई समिति नियुक्त नहीं की थी । वैसे, इस प्रयोजन के लिए 1971 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के भूतपूर्व महानिदेशक डा० पी० एन० वाही की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी । इस समिति ने नवम्बर, 1972 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । वही समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं :

(1) कैंसर नियंत्रण तथा उपचार की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए बम्बई, अहमदाबाद, नई दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, कटक, हैदराबाद, मद्रास, कांचीपुरम, त्रिवेन्द्रम और नेय्यूर स्थित वर्तमान 11 केन्द्रों को मजबूत किया जाना चाहिए ।

(2) कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, मद्रास, हैदराबाद और दिल्ली स्थित केन्द्रों को क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाए ।

(3) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के संस्थान के रूप में एक राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री की स्थापना ।

(4) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में कोशिका विकृति-विज्ञानी, कोशिका टेक्नोलाजिस्टों और कोशिका तकनीशियनों के प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान संस्थान की स्थापना ।

(ग) वाही समिति की सिफारिशों का पालन करते हुए और बाद में हुए विकासों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता में तीन क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की स्थापना की । परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में बम्बई स्थित टाटा मेमोरियल केन्द्र का एक क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में विकास किया गया। 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना के चालू वर्ष में अहमदाबाद, त्रिवेन्द्रम, ग्वालियर, कटक,

बंगलौर और गोहाटी स्थित वर्तमान छः कैंसर संस्थानों को क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान संस्थान की पहले ही स्थापना की जा चुकी है। क्षेत्रीय कैंसर रजिस्ट्री की स्थापना के बारे में भी सरकार तुरन्त ध्यान दे रही है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की सूची में से निकाली गई औषधियां

402. **श्री निहाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जनवरी, 1980 से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों द्वारा लिखी जाने वाली औषधियों की सूची में से अनेक आवश्यक औषधियां निकाल दी गई हैं जिसके परिणामस्वरूप अस्पतालों के विशेषज्ञों द्वारा लिखी जाने बाली औषधियां रोगियों को तत्काल उपलब्ध नहीं होतीं;

(ख) क्या अस्पतालों के डाक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली औषधियों को बाजार से खरीदने पर अधिक मूल्य देने पड़ते हैं क्योंकि उन पर बिक्री कर आदि देना पड़ता है जबकि सरकार द्वारा थोक विक्री दरों पर सीधे खरीदे जाने पर कम मूल्य देने पड़ते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, हां। परन्तु ऐसी दवाइयों की स्थानीय खरीददारी कभी-कभी तब की जाती है जब स्थानीय मार्किट से इनका खरीदना अनिवार्य हो जाता है।

कोट्टापुरम-मुथामुन्नम पुल

403. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : कोट्टापुरम-मुथामुन्नम पुल के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : पेरियार नदी पर कोट्टापुरम-मुथामुन्नम पुल का निर्माण करने के लिए जिसकी मंजूरी दिसम्बर, 1979 में दी गयी थी, राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने टेंडर मंगाये। इसके जवाब में सिर्फ एक टेंडर प्राप्त हुआ। यह टेंडर बहुत ऊंचा था। इसलिये इसे स्वीकार नहीं किया गया। अब इस काम के लिये दुबारा टेंडर मंगाये गये हैं। टेंडर प्राप्त करने की आखरी तारीख 25.2.1981 है। इन टेंडरों पर विचार करने के बाद यदि कोई टेंडर उपयुक्त पाया गया तो राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग उक्त कार्य उसे सौंप देगा। काम शुरू होने के बाद पुल का निर्माण-कार्य पूरा होने में चार वर्ष लगने की संभावना है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सेत्तर श्रेणी-I और II के अधिकारी

404. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालत में चिकित्सेत्तर श्रेणी I तथा II के अधिकारियों के बारे में 18 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4455 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सम्बन्धित अधिकारियों को अतिरिक्त प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कोई अन्तिम तिथि निर्धारित की गई है, यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हाल ही के 'बकाया काम निपटान पखवाड़े' में कितने मामले निपटाये गये हैं और कितने मामले अभी तक विचाराधीन पड़े हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) प्रथम और द्वितीय श्रेणी के नान मेडिकल अधिकारियों (जो अब ग्रुप 'क' और 'ख' के अन्तर्गत आते हैं) की अर्हक सेवा के विवरण तैयार करके वेतन और लेखा अधिकारी के पास उनकी सेवा का सत्यापन करने तथा उनकी सेवा पंजियों में इस आशय का प्रमाणपत्र रिकार्ड करने के लिए भेज दिया गया है।

(ख) इन मामलों में सम्बन्धित अधिकारियों को ऐसे किसी प्रमाणपत्र जारी करने के लिये तारीख निर्धारित कर पाना व्यावहारिक नहीं है। अपेक्षित प्रमाणपत्र तभी जारी किया जा सकता है जब वेतन और लेखा कार्यालय (सचिवालय) सम्बन्धित अधिकारी के सेवा-रिकार्ड का सत्यापन कर ले और उसकी सेवा पंजी में इस आशय का प्रमाणपत्र रिकार्ड कर दे।

(ग) कोई नहीं।

मुगल लाइन्स को भारतीय जहाजरानी निगम में विलय करने का प्रस्ताव

405. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 'मुगल-लाइन्स' लि० को 'भारतीय जहाजरानी निगम' में विलय करने का कोई विचार था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर पुनः विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) भारत सरकार परिचालानात्मक तथा वित्तीय प्रबंध इत्यादि में सुधार लाने के लिए, भारतीय नौवहन निगम तथा मुगल लाईन लि० के बीच कार्यों के युक्तिसंगत विभाजन के प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। परन्तु विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय किया गया है कि कार्य के युक्तियुक्त विभाजन के कार्य को भारतीय नौवहन निगम के तटीय कर्मचारियों के वेतन और मंहगाई भत्ते में संशोधन इत्यादि के प्रश्न, मुख्य भूमि से अण्डमान तक नौवहन सेवाओं के लिए

आर्थिक सहायता तथा कुछ मामलों से सम्बन्धित विवाद के कारण एक वर्ष अर्थात् 1.4.1982 तक स्थगित रखा जाय।

रानीगंज में ऊपरी पुल

406. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : रानीगंज के द्वीपीय प्लेटफार्म तथा रानीगंज में जगन्नाथ रोड ऊपरी पुल के बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : रानीगंज स्टेशन की मुख्य और लूप लाइन दोनों ही के लिए एक द्वीपीय प्लेटफार्म की व्यवस्था की गई है। 20 बोगियों को खड़ा करने के लिये मुख्य प्लेटफार्म को बढ़ाने के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था परन्तु धन की कमी के कारण 1981-82 के निर्माण कार्यक्रम में इस काम को शामिल न किया जा सका।

जगन्नाथ रोड पर ऊपरी सड़क पुल बनाने के काम को 1981-82 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो।

कांडला बन्दरगाह

407. **आचार्य भगवान देव** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला बंदरगाह में कितनी डी० डब्ल्यू० टी० क्षमता के जहाज प्राप्त करने की सुविधाएं हैं;

(ख) क्या वहां पर यात्री जहाज प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो कब से ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) फिलहाल काण्डला पत्तन पर 35000 डी० डब्ल्यू० टी० तक के जहाज आ जा सकते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

गुजरात में पोरबन्दर में बारहमासी पत्तन

408. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोरबन्दर में बारहमासी पत्तन पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी राशि खर्च की गयी है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उक्त परियोजना के लिए गुजरात राज्य सरकार को कितनी राशि की प्रतिपूर्ति की है;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने शेष 6.12 करोड़ रुपये की राशि की इस प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, यह यातायात के लिए जून, 1978 में खोल दिया गया था।

(ख) इस परियोजना के लिए गुजरात सरकार ने 13.35 करोड़ रुपए के खर्च का संशोधित अनुमान अनुमोदित किया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने 31.1.1978 तक 7.22 करोड़ रुपए की धनराशि दी जो पोरबन्दर पत्तन के विकास के लिए शुरू में अनुमोदित की गयी थी।

(घ) गुजरात सरकार ने 1977-78 में अतिरिक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए अनुरोध किया था।

(ङ) इस मामले पर राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा नीति के रूप में लिए गए इस निर्णय के आधार पर योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श किया गया कि पहली अप्रैल, 1978 से छोटे पत्तनों का विकास कार्य राज्यों की योजनाओं में सरकारी क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए और तद्नुसार यह निर्णय किया गया कि अतिरिक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को नहीं दी जानी चाहिए।

कुष्ठ-निरोधी टीके का विकास

409. **श्री नारायण चौबे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कुष्ठ-निरोधी टीके का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

जखपुरा–बांसपानी लाइन

410. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जखपुरा से दईतोरी तक जखपुरा-बांसपानी रेल लाइन के पहले चरण का निर्माण-कार्य पूरा होने की लक्ष्य तारीख क्या है;

(ख) क्या निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार पूरा हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जखपुरा-दईतोरी बड़ी लाइन

के निर्माण कार्य को पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.12.1980 थी। लेकिन भयंकर बाढ़ की स्थिति से निपटने तथा ईस्ट कोस्ट रेल प्रणाली के अस्त-व्यस्त संचार-सम्पर्क के पुनः स्थापन में सारे संसाधनों को लगा दिये जाने के कारण इस तिथि तक यह काम पूरा नहीं किया जा सका।

निर्माण-कार्य-चरण-1 फरवरी, 1977 में शुरू किया गया था और इसके 31.3.81 तक पूरे होने की सम्भावना है।

अलाभकर नौवहन सेवायें

411. **प्रो० मधु दण्डवते : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की विशिष्ट नौवहन लाइनों विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों को मिलाने वाली लाइनों की हानियों पर विचार करते समय भारतीय नौवहन निगम के कुल लाभ पर ध्यान नहीं दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करने तथा इस आधार पर, कि कतिपय नौवहन सेवाएं आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं हैं, उनको बन्द नहीं करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

कन्टेनर वाले मालवाहक जहाज

412. **श्री ए० टी० पाटिल : नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जहाज बनाने के कारखाने की कन्टेनर वाले माल वाहक जहाजों को बनाने की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) इस प्रकार के जहाजों के सम्बन्ध में भारतीय जहाजरानी कम्पनियों की वर्तमान आवश्यकता कितनी हैं, और

(ग) इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम कंटेनरों में माल ले जाने वाले 14,000 डी० डब्ल्यू० टी० से 27,000 डी० डब्ल्यू० टी० तक के जहाज प्रतिवर्ष बना सकता है। ये जहाज 24 फीट के 300 से 580 तक कंटेनर ले जा सकते हैं।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

प्रमुख पत्तन न्यासों के चेयरमैन के पद

413. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख पत्तन न्यासों के चेयरमैन के पद निश्चित अवधि के पद हैं;

(ख) यदि हां, तो कोई व्यक्ति कितने समय तक उस पद पर रह सकता है; और

(ग) उन लोगों के नाम क्या हैं जो इस समय प्रमुख पत्तन न्यासों के चेयरमैन के पद पर कार्य कर रहे हैं और अब तक उनकी कुल सेवा कितनी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) बड़े पत्तन न्यासो के अध्यक्षों के पदों को निश्चित अवधि के पद नहीं कहा जा सकता । महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अनुसार, पत्तन न्यास का अध्यक्ष अपने पद पर तभी तक काम करेगा जब तक केन्द्रीय सरकार चाहेगी ।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें बड़े पत्तन न्यासों के मौजूदा अध्यक्षों के नाम और अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति की तारीख दिखाई गई है ।

विवरण

क्र० सं०	पत्तन न्यास का नाम	अध्यक्ष का नाम	अध्यक्ष पद पर नियुक्त की तारीख
1	2	3	4
1.	बम्बई	श्री के० के० उप्पल	16.7.80
2.	कलकत्ता	श्री आर० एच० एम० डी० सिल्वा	22.9.80
3.	कोचीन	श्री यू० महाबल राव	8.10.76
4.	काण्डला	श्री एस० एल० वर्मा	17.9.77
5.	मद्रास	श्री वी० सेल्वराज	30.6.80
6.	मार्मुगाओ	श्री प्रभाकर कामत	24.10.79
7.	न्यू मंगलौर	श्री ई० एस० राजथातर	1.4.80
8.	परादीप	श्री के० बी० वर्मा	26.12.79
9.	कूटीकोरन	श्री वी० सुन्दरम	1.4.79
10.	विशाखापत्तनम	श्री टी० आर० प्रसाद	30.11.80

गया में पोलिया का महामारी के रूप में फैलना

414. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के गया जिले में पीलिया महामारी के रूप में फैल गया है;

(ख) यदि हां, तो इससे मरने वालों की संख्या क्या हैं;

(ग) क्या यह अन्य जिलों में भी फैल गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना बिहार राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

तिलकनगर/हरिनगर और केन्द्रीय सचिवालय के बीच गुरुद्वारा बंगला साहिब होते हुए सीधी बस सेवा

415. **श्री भीखा भाई** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरुद्वारा बंगला साहिब जाने वाले तिलकनगर/हरिनगर आदि के लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हरिनगर डिपो–धौला कुआं–खड़गसिंह मार्ग–पंत मार्ग होते हुए तिलकनगर/हरिनगर और केन्द्रीय सचिवालय के बीच कोई सीधी बस सेवा है;

(ख) क्या यह सच है कि हरिनगर घंटाघर से केन्द्रीय सचिवालय आने वाली एकमात्र बस अथवा तिलकनगर से सचिवालय आने वाली बसें गुरुद्वारा बंगला साहिब नहीं जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों से गुरुद्वारा बंगला साहिब में पूजा करने के लिए प्रतिदिन आने वाले हजारों तीर्थ-यात्रियों, विशेषकर महिलाओं/बच्चों को भारी असुविधा होती है; और

(ग) क्या सरकार का विचार तिलकनगर/हरिनगर से हरिनगर डिपो, लाजवन्ती गार्डन, नंगल राय, धौला कुआं, विलिंगडन अस्पताल, खड़ग सिंह मार्ग, पंत मार्ग होते हुए केन्द्रीय सचिवालय तक एक सीधी नई बस चलाने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं । तिलकनगर और हरिनगर घंटाघर से केन्द्रीय सचिवालय (केन्द्रीय टर्मिनल) तक आने के लिए क्रमशः रूट नं० 810 और 73 की बसें चल रही हैं जो वैस्ट पटेल नगर, शंकर रोड और राम मनोहर लोहिया अस्पताल से होकर आती-जाती हैं । जो लोग गुरुद्वारा बंगला साहिब जाना चाहते हैं, वे केन्द्रीय सचिवालय और रास्ते में पड़ने वाले अन्य कई स्थानों से बसें बदल सकते हैं और बंगला साहिब की तरफ जाने वाली बसें बड़े आराम से ले सकते हैं । यह दिल्ली परिवहन निगम के लिए संभव नहीं है कि वह शहर के हर स्थान के बीच सीधी बस सेवा शुरू कर सके ।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

विशेष सैलून में अधिकारियों के परिवार

416. **श्री एन० डेनिस** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने सरकारी दौरों के दौरान अधिकारियों को अपने परिवारों को अपने साथ विशेष यात्री डिब्बों (सैलूनों) में ले जाने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में अधिकारियों को विशेष सैलून में यात्रा करने की अनुमति दी जाती है; और

(ग) इस प्रकार के सैलूनों के उपयोग में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सभी रेल अधिकारियों को निरीक्षण सवारी डिब्बों का, जिन्हें प्राय: सैलून कहा जाता है, प्रयोग करने का हक है। उनका प्रयोग केवल कार्यालय प्रयोजनों और जहां उपयुक्त आवास उपलब्ध न हो, तक सीमित रखने के अनुदेश जारी किये गये हैं।

विदेशों में प्रचार

417. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय उपलब्धियों का विदेशों में पर्याप्त प्रसार को सुनिश्चित कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1980-81 के दौरान कोई सुधार किए वए हैं/किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इन सुधारों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शिवशंकर) : (क) विदेश मंत्रालय राष्ट्रीय विकास कार्यों और उपलब्धियों के बारे में विदेशों में निरन्तर प्रचार करता रहा है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं, विदेशी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में भारत से सम्बन्धित विशेष परिशिष्ट निकाले जाते हैं और वृत्त-चित्रों, फोटोग्राफों टेलीविजन साक्षात्कारों तथा स्लाइड शो आयोजित करके दृश्य-श्रव्य प्रचार भी किये जाते हैं। विदेशी पत्रकारों और विदेशों में स्थित हमारे मिशनों को भारत के विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी नियमित रूप से दी जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरा संलग्न है।

विवरण

विदेश प्रचार प्रभाग में सुधार सम्बन्धी टिप्पणी

विदेश मंत्री के विशिष्ट निर्देशों के अनुसार विदेश मंत्रालय ने विदेश प्रचार के क्रियाकलापों में सुधार करने तथा उसे अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से उसकी विशेष रूप से समीक्षा की। विदेश प्रचार के क्रियाकलापों के सुधार के लिए निम्नलिखित कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।

1. विदेश स्थित भारतीय मिशनों तथा केन्द्रों को भारत से भेजे जाने वाले प्रचार सम्बन्धी सामान, उपस्कर आदि, की जरूरत मालूम कर ली गई। फिल्म प्रोजेक्टरों स्लाइडों, फोटोग्राफों, कार्यालय उपस्करों, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास से सम्बन्धित सूचना सम्बन्धी मांग का अधिकतर भाग विदेश स्थित भारतीय मिशनों को उपलब्ध करा दिया गया है। मिशनों से कहा गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मंत्रालय को अद्यतन सूचना भेजी जाए।

2. विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों तथा केन्द्रों को इस बारे में विशेष मार्ग निर्देश दे दिए गए हैं कि मिशन में आने वाले भारतीय यात्रियों तथा विदेशी यात्रियों के

साथ, विशेषकर पत्रकारों, संचार माध्यमों तथा कला क्षेत्र से सम्बद्ध व्यक्तियों, के साथ उन्हें किस तरह व्यवहार करना चाहिए ।

3. मिशनों में भारत विषयक संदर्भ सामग्री को अद्यतन रूप देने के लिए कार्रवाई की गई है और पुस्तकों, पत्रिकाओं, सांख्यकी तथा अन्य आंकड़ों के रूप में इसे विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों को उपलब्ध कराया जा रहा है ।

4. विदेश मंत्रालय ने अधिक सामग्री का मुद्रण करने और अंग्रेजी तथा रोमन लिपि (फ्रांसीसी, अंग्रेजी, स्पेनिश और जर्मन) वाली अन्य भाषाओं में अच्छी सामग्री तैयार करने के लिए विदेश प्रचार प्रभाग के लिए एक नयी प्रिंटिंग प्रैस प्राप्त करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है । धन उपलब्ध होते ही प्रेस लगा दी जाएगी। आशा है कि वित्तीय वर्ष 1981-82 के प्रारम्भ में लगा दिया जाएगा ।

5. भारत से सम्बन्धित प्रचार सामग्री को प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं में तैयार करने के लिए विदेश प्रचार प्रभाग में सम्पादकीय तथा अनुवादक अनुभाग बनाने के लिए प्रस्ताव मंत्रिमंडल को भेजे जाने हैं ।

6. इसी प्रकार विदेश स्थित 25 भारतीय मिशनों में, विशेषकर पश्चिम दक्षिण पूर्व एशिया में जहां ऐसे सूचना स्कंध नहीं हैं, अलग सूचना स्कंध खोलने के लिए 1981-82 वित्तीय वर्ष के शुरू में एक अन्य प्रस्ताव मंत्रिमंडल को भेजा जा रहा है । धन उपलब्ध होने पर इन प्रस्तावों को मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा और यदि अनुमोदन प्राप्त हो गया तो तीन से पांच वर्ष की अवधि के अन्दर इन प्रस्तावों को क्रियान्वित कर दिया जाएगा ।

7. विदेश प्रचार प्रभाग प्रैस आफ इण्डिया के उप ग्रह संचार चैनलों के माध्यम से विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में प्रतिदिन विदेश प्रचार के प्रेषणों के लिए प्रैस ट्रस्ट आफ इण्डिया के साथ प्रबन्ध कर रहा है । इस सम्बन्ध में कार्रवाई 1981-82 के वित्तीय वर्ष के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है । इससे इन क्षेत्रों में विदेश स्थित हमारे मिशनों को भारतीय गतिविधियों से सम्बन्धित समाचारों को तीव्रता और स्पष्टता से प्रेषित करने में सुधार होगा ।

8. विदेश प्रचार प्रभाग ने पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न देशों में पी. टी. आई., यू. एन. आई., हिन्दुस्तान समाचार तथा समाचार भारती से सम्बन्धित भारतीय सम्पादकों की स्थिति में सुधार किया है, इसका उद्देश्य भारत से सम्बन्धित समाचारों को भारतीय समाचार अभिकरणों के स्वतंत्र चैनलों के माध्यमों से सुस्पष्ट रूप में प्रस्तुत करना और विदेशी समाचार अभिकरणों तथा समाचार पत्र संगठनों के साथ स्थापित उनके सम्बन्धों को विदेश प्रचार कार्यों के लिए प्रयोग करना था ।

9. विदेश प्रचार प्रभाग समाचार अभिकरणों की विशेष सामग्री सेवाओं का भी लाभ उठाता है और कभी-कभी उनके माध्यम से भारत के किसी ऐसे पक्ष पर विशेष

लेख आदि लिख पाता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक उपलब्धि पर रचनात्मक विदेश प्रचार के लिए उपयोगी हों।

10. विदेश प्रचार प्रभाग ने 1980-81 के वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय पत्रिकाओं के विशेष अंकों के प्रकाशन को भी समर्थन दिया जिसमें गुट-निरपेक्ष, शांति-क्षेत्र के रूप में हिन्दमहासागर की स्थापना, हमारी विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं आदि जैसे विषयों के बारे में थे। (ये विशेषांक पत्रिकाओं के थे)। 'मेन एंड डवलपमैंट,' 'फोकस', 'सेमिनार' इन विशेषांकों की प्रतियां प्रत्याभूत मुद्रण आदेश पर खरीदी गई थीं और इनका वितरण भारत में महत्वपूर्ण सम्मेलनों और विदेश स्थित हमारे मिशनों के माध्यम से किया गया था।

11. विदेश प्रचार प्रभाग फोटोग्राफिक प्रदर्शनियों, भारतीय चित्रों की प्रदर्शनियों को भी समर्थन दिया है और विदेशों से भारत आने वाले पत्रकारों की यात्रा में आर्थिक सहायता दी है जिससे भारत की कलात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक और तकनीकी गतिविधियों के बारे में ठोस प्रचार हुआ है।

12. विदेश प्रचार प्रभाग भारत के अन्तरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग जैसे तकनीकी विभागों से सम्पर्क बनाये रहा है और इस प्रभाग ने सरकार के इन विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री के आधार पर भारत की अन्तरिक्ष और नाभिकीय नीतियों के बारे में प्रचार सामग्री प्रकाशित की है। विदेश स्थित भारतीय मिशनों से कहा गया है कि इस प्रकार की भेजी गई सामग्री का उपयोग वे या तो अपने बुलिटनों में करें और उन विशेष परिशिष्टों में भी जो वे निकलवायें। वर्ष 1980-81 के दौरान लगभग 70 विशेष परिशिष्ट निकाले गये। विदेश प्रचार प्रभाग अपने प्रकाशन कार्यक्रम में विस्तार कर रहा है ताकि भारतीय गतिविधियों, विशिष्ट धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विषयों के बारे में वे सचित्र और तथ्य परक पुस्तकें प्रकाशित कर सकें। आशा है कि विदेश प्रचार प्रभाग विदेश नीति के विषयों के बारे में भी अपने प्रकाशन कार्यक्रम में विस्तार करेगा जिसमें संसद में और इसी प्रकार के अन्य सार्वजनिक अवसरों पर दिये वक्तव्य और परिचर्चा शामिल होगी।

13. विदेश प्रचार प्रभाग ने विदेश स्थित भारतीय मिशनों के पुस्तकालयों के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली पुस्तकों को मानकी रूप देने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। 260 किताबों की एक मानक सूची तैयार कर ली गई है और इस विशेष उद्देश्य के लिए ज्यों-ज्यों साधन उपलब्ध हो जायेंगे विभिन्न मिशनों को ये पुस्तकें भेजने की कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी ताकि दो से तीन वर्षों की अवधि में ये सभी पुस्तकें भेज दी जा सकें।

रायगडा नगरपालिका के हक में रेलवे की भूमि को छोड़ना

418. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे प्राधिकरण ने रायगडा नगरपालिका, कोरापुट, उड़ीसा के हक में रेलवे की भूमि छोड़ने से सम्बन्धित मामले पर विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो रेलवे कितनी भूमि देने पर सहमत हुआ है;

(ग) क्या इस प्रश्न पर उड़ीसा सरकार और दक्षिण-पूर्ण रेलवे प्राधिकरण ने विचार-विमर्श किया है;

(घ) उसके लिये क्या निर्णय किया गया तथा क्या-क्या शर्तें तय हुईं; और

(ङ) यदि अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तो उस नगरपालिका की आवश्यकता और उसके लिये रेलवे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निपटाने के लिये मामले पर कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) 35 एकड़।

(ग) से (ङ) रेलवे भूमि को छोड़ने के लिये उड़ीसा राज्य सरकार ने रेल प्रशासन को पत्र लिखा है। परन्तु डामनजोड़ी में प्रस्तावित अल्यूमिनियम काम्पलैक्स के लिये रायगडा को कोरापुट से एक नये रेल सम्पर्क द्वारा जोड़ने से सम्बन्धित प्रस्ताव के फलस्वरूप भूमि को छोड़ने का प्रस्ताव उस समय तक के लिये स्थगित कर दिया गया है जब तक कि रायगडा में रेलवे के लिए कुल भूमि की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर लिया जाता।

अफ्रीकी देशों में रह रहे भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार

419. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीकी देशों में रह रहे भारतीयों की संख्या क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उनके साथ उचित एवं मानवीय व्यवहार नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शिव शंकर) : (क) संभवतः यह प्रश्न सहारा के दक्षिण में अफ्रीका के देशों के बारे में पूछा गया है। इन देशों में लगभग 30 हजार भारतीय राष्ट्रिक रहते हैं।

(ख) सरकार को इन देशों में रहने वाले भारतीयों के साथ किसी अभद्र व्यवहार के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम में ड्राइवरों तथा कन्डक्टरों के रूप में भर्ती

420. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम में मैट्रिक पास और स्नातकों को ड्राइवरों तथा कन्डक्टरों के रूप में भर्ती करने सम्बन्धी कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस सम्बन्ध में अब तक क्या उपाय किये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। शहरी यात्रियों खास तौर से दिल्ली में बस यात्रियों के प्रति अधिक विनम्रता और शिष्टाचार के व्यवहार की मांग को पूरा करने के लिए रिटेनर क्रू ड्राइवरों के पदों के लिए शुरू-शुरू में उन अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र मांगे गये हैं जो किसी राज्य शिक्षा बोर्ड की मैट्रीकुलेशन परीक्षा या हायर सेकेन्डरी परीक्षा पास कर चुके हैं तथा जिन्हें दिल्ली राज्य में सरकारी वाहन को चलाने के लिए वैध लाइसेंस मिला हुआ है व जिन्हें भारी वाहन चलाने का तीन वर्षों का अनुभव प्राप्त है। यह प्रयोग के आधार पर किया गया है। इसलिए इससे जो अनुभव प्राप्त होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

इस्राइल के वाणिज्य दूतावास का बन्द किया जाना

421. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्राइल द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्पों की लगातार अवज्ञा किये जाने को ध्यान में रखते हुए सरकार इस्राइल के साथ सभी व्यापारिक सम्बन्धों को समाप्त करने और बम्बई में इस्राइल के वाणिज्य दूतावास को बंद करने सहित इस्राइल के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेगी;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी क्या कारण है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शिवशंकर) : (क) से (ग) इजरायल के साथ आधिकारिक स्तर पर भारत सरकार का कोई आर्थिक सम्बन्ध नहीं है। भारत ने बार-बार इस बात की पुष्टि की है कि इजरायल की नीतियों तथा आचरण के लिए उसके विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों का समर्थन करने में भारत किसी से पीछे नहीं रहेगा। जब कभी भी संयुक्त राष्ट्र के समक्ष यह प्रश्न आएगा, भारत का रुख उस नीति के अनुरूप ही रहेगा जो उसने अभी तक अपनाई है। नई दिल्ली में 9 से 13 फरवरी तक हुए गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में भारत ने संयुक्त राष्ट्र तथा उसके विशिष्ट अभिकरणों के सदस्य राज्यों की इस मांग का समर्थन किया था कि इजरायल द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वैधता का उल्लंघन करने और यरूशलम को इजरायल की राजधानी घोषित करने के कारण इजरायली प्रतिनिधि-मंडल के प्रत्यायन-पत्र स्वीकार न किये जाएं।

इजरायली कौंसलावास 1951 से बम्बई में कार्य कर रहा है। इजरायली कौंसलावास का मुख्य कार्य इजरायल में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिये भारतीय यहूदियों की यात्राओं को सुविधाजनक बनाना तथा सम्बन्धित कौंसली सेवाएं प्रदान करना है।

पश्चिम बंगाल को खाद्यान्नों तथा कोयले की सप्लाई

422. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय खाद्य निगम तथा कोल इण्डिया लिमिटेड को अपेक्षित वैगनों की सप्लाई में रेलवे की असफलता के कारण पश्चिम बंगाल की अनाज तथा कोयले की सप्लाई की स्थिति बिगड़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल को अनाज, कोयला आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और वर्ष 1979 की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में कोयला और खाद्यान्नों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम अथवा कोल इण्डिया लि० को माल डिब्बों की सप्लाई करने में कोई कमी नहीं हुई है।

"प्रति व्यक्ति शुल्क" के बारे में भारतीय चिकित्सा संघ के विचार

423. **श्री राम चन्द्र रथ** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारतीय चिकित्सा संघ ने दिसम्बर, 1980 में आयोजित अपने भुवनेश्वर सम्मेलन में देश में नये चिकित्सा कालेज खोलने के लिये "प्रति व्यक्ति शुल्क" का कड़ा विरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इस पद्धति को रोकने के लिये संबंधित राज्य सरकारों को निदेश देने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां। 28-30 दिसम्बर, 1980 को कटक में हुए 56वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सम्मेलन ने नए मेडिकल कालेज खोलने और उनमें दाखिला देने के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क लेने के विरुद्ध एक संकल्प पारित किया था।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने पहले ही उन सभी राज्य सरकारों को जहां मेडिकल कालेज प्रति व्यक्ति शुल्क लेते हैं, इस पद्धति को पूर्ण रूप से समाप्त करने की सलाह दे दी है।

पाकिस्तान का भारत के विरुद्ध प्रचार

424. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान के समाचार पत्रों द्वारा भारत में हथियारों का जखीरा बताये जाने संबंधी किए जा रहे प्रचार की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इसका खंडन करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्री (श्री शिव शंकर) (क) जी हां।

(ख) सरकार ने भारत में हथियारों के तथाकथित भण्डार बनाये जाने के संबंध में पाकिस्तान के संपर्क माध्यमों द्वारा किए जा रहे प्रचार के मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है। हमने उनसे कहा है कि भारत के बारे में इस प्रकार के निराधार एवं नकारात्मक समाचारों से भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया में सहायता नहीं मिलती, और इससे हमारे संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अन्य मित्र सरकारों को भी इस मामले की सही स्थिति से अवगत करा दिया गया है। प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के साथ मित्रतापूर्ण और अच्छे सम्बन्ध बनाने की हमारी बचनवद्धता की सार्वजनिक रूप से पुष्टि की है। हाल ही में प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति जिया को लिखे एक पत्र में भी इस बात को दोहराया है।

सिजुआ में ड्यूटी पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर का कत्ल

425. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मन्त्री सिजुआ में ड्यूटी पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर के कत्ल के बारे में 10 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3712 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 21 अप्रैल, 1980 को सिजुआ पूर्वी रेलवे में ड्यूटी पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर के निर्दयतापूर्ण कत्ल के संबंध में सुराग लगाने के लिए पुलिस द्वारा की गई जांच के क्या परिणाम हैं ?

(ख) कातिलों का पता लगाने में हुए इतने विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्युरो को यह मामला न सौंपे जाने का क्या औचित्य है जबकि एक वर्ष बीतने को है परन्तु कातिल का पता नहीं लगा है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पुलिस ने मामले की छानबीन की है और अभियुक्त मकसूदन सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 394 तथा विस्फोटक पदार्थ कानून की धारा 4/5 के अंतर्गत आरोप पत्र सं० 18 दिनांक 18-10-80 न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। मामला न्यायाधीन है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोंकण लाइन पर सेवा-रत मुगल लाइन्स के कर्मचारियों की याचिका

426. **श्री बापू साहिब परुलेकर :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण लाइन पर सेवा-रत मुगल लाइन्स के कर्मचारियों ने अपनी सेवा शर्तों के बारे में सरकार को शिकायती याचिका प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) मुगल लाइन लिमिटेड तथा कोंकण यात्री सेवा स्टाफ की प्रतिनिधि जहाजी मजदूर यूनियन के बीच समझौता हो गया है। इस समझौते के अनुसार, आवश्यक कार्यवाई की जा रही है।

रेलवे स्क्रैप

427. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन जो बड़ी इंजीनियरी यूनिटों से जुड़ा है, में रेलवे स्क्रैप की बिक्री दो महीने के अन्तराल से की जाती है;

(ख) क्या मैसर्स ओम इंजीनियरिंग वर्क्स, जयनगर; शशि इंजीनियरिंग वर्क्स, मधुबनी तथा अन्य छोटी इंजीनियरिंग यूनिटें, यदि उन्हें 15 दिन के अन्तराल से स्क्रैप की बिक्री की जाए, तो वे रेलवे के लिए माल ठेले का निर्माण करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने तद्नुसार आवेदन किया है;

(ग) क्या इन छोटी इंजीनियरिंग यूनिटों की मांग पर विचार करने का रेलवे का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर मंडल में रद्दी लोहा इकट्ठा हो जाने पर इसका निपटान डेढ़ या दो मास के अन्तराल से नीलामी/निविदा द्वारा बिक्री करके किया जाता है ।

(ख) जी, हां । मैसर्स ओम इंजीनियरिंग वर्क्स, जयनगर ने समस्तीपुर मंडल के रद्दी लोहे से सामान लादने वाली ट्रालियों का निर्माण करने के लिए इसे छोटे पैमाने वाली इकाइयों को 15/20 दिन के अन्तराल से सारणीवद्ध तरीके से बेचे जाने हेतु रेल मन्त्रालय को लिखा है । उन्होंने रेलों की ट्रालियों की खरीद के आर्डर भी इन्हीं छोटी इकाइयों को देने के लिए अनुरोध किया है । मैसर्स शशि इंजीनियरिंग वर्क्स मधुबनी तथा अन्य किसी से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ) फर्म के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि रद्दी लोहे के निपटान के लिए वर्तमान नियमों के अनुसार इसे प्राइवेट पार्टियों को बेचा जाना अनुमेय नहीं है । फर्म को परामर्श दिया गया है कि वह रेलवे के रद्दी लोहे की खरीद नीलामी/निविदा में भाग लेकर कर सकती है जिसका व्यापक पैमाने पर प्रचार किया जाता है ।

फरक्का बांध पर रेल पुल

428. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरक्का बांध पर दोहरी लाइन वाले रेल पुल के उप-ढांचे को मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(घ) उपरोक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) निर्माण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है और नवम्बर, 1971 में इकहरी लाइन को यातायात के लिये खोल दिया गया है।

लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटन

429. **श्री चन्द्र पाल शैलानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों को सरकारी आवास के आबंटन के बारे में 24 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5471 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) कितने व्यक्तियों ने बीमारी के आधार पर कालेज परिसर में बिना पारी के सरकारी आवास आवंटित किये जाने के लिये आवेदन किया है;

(घ) क्या बीमारी के आधार पर/डाक्टर की राय पर बिना पारी के सरकारी आवास आवंटित करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कितने आवेदकों को कालेज परिसर में सरकारी आवास का आबंटन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) जी हां, अभी हाल ही में।

(ख) यद्यपि बिना बारी के सरकारी आवास अलाट करने के लिये कोई विशेष हिदायतें नहीं हैं, फिर भी रोगियों की देख-रेख और कर्मचारी की सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बिना बारी के अलाटमेंट करने में उचित बल दिया जाता है ताकि अस्पताली सेवाओं को सुचारु रूप से चलाया जा सके। 1.1.1977 से 31.12.1979 तक की अवधि के दौरान तीन कर्मचारियों को बिना बारी के रिहायशी आवास अलाट किया गया था । इन कर्मचारियों को प्रसूति वार्ड, इमरजेंसी वार्ड तथा ओल्ड नर्सेस होटल में तैनात किया गया था।

(ग) चार।

(घ) जी, नहीं। दिल्ली प्रशासन इस मामले पर बिचार कर रहा है।

(ङ), और (च) किसी को नहीं क्योंकि यह मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

मान्यता प्राप्त तथा पंजीकृत रेलवे श्रमिक यूनियनों की संख्या

430. **श्री सत्यनारायण जाटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में मान्यता प्राप्त तथा पंजीकृत श्रमिक यूनियनों की प्रत्येक की

सदस्यता तथा उनसे संबंध कर्मचारियों की कुल संख्या की प्रतिशतता अलग-अलग दर्शाते हुए, कुल संख्या क्या है;

(ख) प्रत्येक श्रमिक यूनियन को मान्यता तथा सदस्यता दिये जाने की तिथि तथा उस समय रेल कर्मचारियों की कुल संख्या क्या थी;

(ग) रेलवे में यूनियनों को मान्यता दिये जाने की शर्त क्या है तथा क्या इस समय सभी पंजीकृत और मान्यताप्राप्त यूनियनें इन शर्तों को पूरा करती हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और यदि नहीं, तो उन यूनियनों के नाम क्या हैं जो इन शर्तों को पूरा नहीं करतीं और तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ङ) केन्द्रीय श्रम संगठन, जिनसे रेलवे की प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक यूनियन सम्बद्ध है, नाम क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें रेलों पर उन मान्यता प्राप्त और पंजीकृत यूनियनों जिन्हें बहुत दिनों पहले मान्यता दी गयी थी, की सदस्यता के आंकड़े दिए गए हैं। इन यूनियनों ने 12.87 लाख कर्मचारियों की सदस्यता का दावा किया है जो रेलों पर कुल अराजपत्रित कर्मचारियों के लगभग 83 प्रतिशत कर्मचारियों की सदस्यता का द्योतक क।

(ग) और (घ) जिन यूनियनों को मान्यता दी जाती है, वे इन्डियन ट्रेड यूनियन एक्ट के अधीन पंजीकृत होनी चाहिएं, और इसमें सभी कोटियों के कर्मचारियों को व्यापक रूप से सम्मिलित किया गया हो और ये कर्मचारियों की वर्गवार कोटियों से मिलकर न बनी हों। प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संलग्न विवरण में जिन मान्यता प्राप्त यूनियनों की सूची दी गई हैं वे इन सभी शर्तों को पूरा करती हैं। इन मान्यता प्राप्त यूनियनों के अलावा रेलों पर काफी संख्या में गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनें भी काम कर रही हैं जिनके बारे में सरकार के पास सही ब्यौरा नहीं है।

(ङ) रेलों पर सभी मान्यताप्राप्त यूनियनें या तो आल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन अथवा नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन से सम्बद्ध हैं जिसका उल्लेख प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर से सम्बन्धित संलग्न विवरण में किया गया है।

विवरण

1. आल इंडिया रेलवेमैंस फेडरेशन से सम्बद्ध यूनियनों के नाम	सदस्यता की बतायी गयी संख्या (लगभग)
1	2
नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन	1,13,288
ईस्टर्न रेलवेमैंस यूनियन	96,501
नार्दर्न रेलवेमैंस यूनियन	1,10,505

1	2
एम० एफ० रेलवे मजदूर यूनियन	51,351
सदर्न रेलवे मजदूर यूनियन	65,680
एस० ई० रेलवे मजदूर यूनियन	67,245
एस० सी० रेलवे मजदूर यूनियन	66,550
वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन	1,06,110
जोड़	6,77,230

2. नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन से सम्बद्ध यूनियनों के नाम

सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ	92,853
ईस्टर्न रेलवेमैन्स कांग्रेस	75,854
उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन	85,405
एन० ई० रेलवे एम्प्लाइज यूनियन	25,180
एन० एफ० रेलवे एम्प्लाइज यूनियन	35,480
सदर्न रेलवे एम्प्लाइज संघ	61,456
एस० ई० रेलवेमैन्स कांग्रेस	89,955
एस० सी० रेलवे एम्प्लाइज संघ	61,120
वैस्टर्न रेलवे मजदूर संघ	83,010
जोड़	6,10,313

विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति

431. **श्री जय नारायण रोट** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में निम्नलिखित श्रेणियों में नियुक्त किया गया है :

(एक) श्रेणी IV के कर्मचारी;

(दो) श्रेणी III के कर्मचारी;

(तीन) श्रेणी II के अराजपत्रित और राजपत्रित अधिकारी;

(चार) श्रेणी I के राजपत्रित अधिकारी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : यह सूचना इस प्रकार है :

कर्मचारियों की श्रेणी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में अब तक नियुक्त किये गये अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या
(1) चौथी श्रेणी	3
(2) तीसरी श्रेणी	10
(3) दूसरी श्रेणी-अराजपत्रित	5
दूसरी श्रेणी-राजपत्रित	1
(4) पहली श्रेणी	2

ग्रेट ब्रिटेन जाने के इच्छुक भारतीयों को परेशान करना

432. **श्री के० पी० सिंह देव :**

श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रटेन जाने से मना करने वाले भारतीयों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1979 की तुलना में 1980 में यह संख्या दुगनी हो गयी;

(ग) क्या सरकार वीजा प्रणाली लागू करने का प्रयास करेगी जिससे सदाशयी भारतीय आगंतुकों (विजिटरों) को परेशान नहीं किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया जानने के लिये यह मामला ब्रिटिश सरकार के साथ उठाया गया है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शिव शंकर) : (क) जी, हां। पिछले चार वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रिकों को यू० के० में प्रवेश की अनुमति न दिए जाने के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। 1977 में 676 भारतीय राष्ट्रिकों को, 1978 में 890, 1979 में 1206 और सितम्बर 1980 तक 994 भारतीय राष्ट्रिकों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई।

(ख) जी, नहीं। वर्ष 1980 के पहले 9 महीनों में 994 भारतीय राष्ट्रिकों को प्रवेश की अनुमति देने से इन्कार कर दिया गया था जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में ऐसे लोगों की संख्या 840 थी। अक्तूबर, 1980 के बाद जिन व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गयी, उनके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

देश में बेरोजगार डाक्टरों की संख्या तथा नये मैडिकल कालेज खोलना

433. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला वक्तव्य सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस समय वड़ी संख्या में डाक्टर बेरोजगार हैं परन्तु फिर भी विभिन्न राज्यों में उनके स्थानों पर अनेक मैडिकल कालिज खोले जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979-80 में, राज्यवार कितने मैडिकल कालिज खोले गये और बाद में कितने कालिज खोलने का विचार है;

(ग) क्या मैडिकल कालिज खोलने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होती है;

(घ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त स्थनों पर मैडिकल कालेज खोलने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् की पूर्व अनुमति प्राप्त की गई थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) 31.12.1979 तक की स्थिति के अनुसार देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में स्नातक और स्नतकोत्तर चिकित्सकों की संख्या 13,847 थी। इस संख्या में (1) सिक्कम, अरुणाचल प्रदेश और दादरा नगर हवेली से संबंधित सूचना जहां रोजगार कार्यालय नहीं हैं, और (11) दिल्ली तथा महाराष्ट्र को छोड़ कर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन कार्यालय से संबंधित सूचना शामिल नहीं है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश की सरकारों ने निम्नलिखित मैडिकल कालेज खोलने की अनुमति दे दी है :

1. एम० एस० रमैया मैडिकल कालेज, बंगलौर, कर्नाटक।
2. कैम्पे गौडा इन्स्टीट्यूट आफ मैडिकल साइसेंस, बंगलौर, कर्नाटक।
3. डा० अम्बेडकर मैडिकल कालेज, बंगलौर, कर्नाटक।
4. सिद्धार्थ मैडिकल कालेज, विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

मैक्सिको के राष्ट्रपति की यात्रा

434. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

श्री नवीन रवाणी :

श्री वीरभद्र सिंह :

श्री रामजी भाई बी० मावाणी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैक्सिको के राष्ट्रपति ने जनवरी, 1981 में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो वहां के राष्ट्रपति के साथ हुई चर्चा का क्या परिणाम निकला ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) मैक्सिको के राष्ट्रपति ने भारत सरकार के निमंत्रण पर भारत की राजकीय यात्रा की और वे गणतंत्र दिवस समारोह में सम्माननीय मुख्य अतिथि थे। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति से मिलने गए और उन्होंने प्रधान मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया। इस विचार विमर्श से स्पष्ट हुआ कि कई अति-महत्वपूर्ण मामलों में दोनों देशों के दृष्टिकोणों में काफी समानता है। मैक्सिको के राष्ट्रपति की यह यात्रा दोनों देशों के बीच पहले से विद्यमान निकट संबंधों और अधिक सुदृढ़ करने तथा लातीनी अमरीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को और गहन बनाने की भारत सरकार की इच्छा की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति थी।

इस यात्रा की समाप्ति पर जारी संयुक्त विज्ञप्ति सभा की मेज पर रख दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया; देखिये संख्या एल० टी० 1846/81]

भागलपुर में गंगा पर एक सडक-पुल का निर्माण

435. **श्री डी० पी० यादव** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विहार के मुख्य मन्त्री ने पटना में हुई इन्डियन रोड कांग्रेस के सत्र के दौरान मांग की थी कि भागलपुर जिले में सुलतानगंज के स्थान पर गंगा नदी पर एक सड़क पुल का निर्माण किया जाये;

(ख) क्या बिहार सरकार ने पूर्वी बिहार में गंगा पर एक उच्च स्तर के पुल के निर्माण के लिए स्थान के चुनाव के बारे में एक तकनीकी आयोग में संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रस्तावित पुल बन जाने पर राज्य की सड़क पर पड़ेगा। इसलिए इस मामले से मुख्यतः बिहार सरकार संबंधित है। इसलिए बिहार सरकार से यह कहा गया था कि वह इस पुल को छठी योजना (1980-85) में शामिल करने के लिए सीधे ही कार्रवाही करें। इसलिए अब आगे की कार्रवाही राज्य सरकार द्वारा की जानी है।

विशाखापत्तनम में क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय खोला जाना

436. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तटीय आन्ध्र प्रदेश में पारपत्र प्राप्त करने में वर्तमान कठिनाइयों का पता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विशाखापत्तनम में एक क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय स्थापित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शिव शंकर) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में किसी खास कठिनाई की बात सरकार के ध्यान में नहीं आई है। हैदराबाद में एक पासपोर्ट कार्यालय है जो पूरे आन्ध्र प्रदेश के निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए विशाखापत्तनम में दूसरा पासपोर्ट कार्यालय खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई विकसित कालोनियों में अस्पताल तथा औषधालय खोला जाना

437. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नई विकसित कलोनियों में, जहां पर दिल्ली विकास प्राधिकरणने 975-1 76 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों को प्लाटों का आबंटन किया गया था, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ देने एवं आम जनता हेतु अन्य अस्पताल एवं औषधालय खोलने के लिए उनके मन्त्रालय के क्या प्रस्ताव हैं; और

(ख) अब तक वहां रह रहे लोगों की यह मूलभूत सुविधा देने के प्रति ध्यान न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली की विभिन्न पुनर्वास और झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में पहले ही 27 एलोपैथिक औषधालय और 13 होम्योपैथिक औषधालय खोल रखे हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि खण्ड/फ्लेट उपलब्ध कराये जाने पर दिल्ली प्रशासन 14 नई विकसित बस्तियों में नये औषधालय खोलने का विचार रखता है।

इनके अलावा, छठी पंचवर्षीय योजना में मंगोलपुरी और खिचड़ीपुर की पुनर्वास बस्तियों में सौ-सौ पलंगों वाले दो अस्पताल खोलने का भी दिल्ली प्रशासन का विचार है। साथ ही, दिल्ली प्रशासन 1981-82 में विभिन्न पुनर्वास बस्तियों में 3 पालिक्लीनिक खोलने का भी विचार रखता है।

इन बस्तियों की आम जनता को केन्द्रीय सरकार का स्वास्थ्य योजना की सुविधायें देने का कोई विचार नहीं है क्योंकि यह योजना मूल रूप में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए ही है।

क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्र त्रिवेन्द्रम

438. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र बनाने के प्रस्ताव पर क्या कदम उठाये गये हैं तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) संशोधित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) कार्य कब आरम्भ किया जायेगा तथा केन्द्र को कब चालू किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) अक्तूबर, 1979 में केरल सरकार ने त्रिवेन्द्रम में एक कैंसर केन्द्र विकसित करने का निर्णय किया था। राज्य सरकार इस केन्द्र के विकास के लिए अब तक लगभग 60,00 लाख रुपये खर्च कर चुकी है। 1980-81 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे एक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के रूप में मान्यता देने का निश्चय किया और चालू वर्ष के दौरान 6.50 लाख रुपये का आरम्भिक अनुदान मंजूर किया है।

(ख) केरल सरकार ने बताया है कि इस परियोजना की कुल संशोधित अनुमानित लागत लगभग 11 करोड़ रुपये है।

(ग) मेडिकल कालेज त्रिवेन्द्रम के वर्तमान परिसर में स्थित इस केन्द्र की सुविधाओं में सुधार करने का कार्य पहले ही आरम्भ किया जा चुका है। यह केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहा है।

गोआ, दमन और दीव के लोगों के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार के लिये उपाय

439. **श्री एडुआर्डो फैलोरो :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, संघ शासित प्रदेश गोआ, दमन और दीव के लोगों के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करने के लिए उपाय करेगी; और

(ख) गोआ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के बारे में क्या विशिष्ट उपाय किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) संघ शासित प्रदेश गोआ, दमन और दीव में स्वास्थ्य परिचर्या और स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाने के लिए जो उपाय किए गए हैं वे किसी क्षेत्र विशेष के लिए नही बल्कि सारे संघ शासित प्रदेश के लिए किए गए हैं।

नौपद-गुनपुर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

440. **श्री के० प्रधानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने नौपाद-गुनपुर नैरो गेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1981-82 के दौरान उस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा; और

(ग) प्रस्ताव के क्रियान्वयन के बारे में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। नौपद-गुनपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए अक्तूबर, 1978 में उड़ीसा सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उड़ीसा सरकार को सूचित कर दिया गया था कि कम यातायात प्राप्त होने की संभावनाओं को देखते हुए इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पारादीप में शिप-बिल्डिंग यार्ड

441. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(त) क्या पारादीप में एक शिप-बिल्डिंग यार्ड की स्थापना के प्रस्ताव को निवेश बोर्ड ने मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त शिप-बिल्डिंग यार्ड का निर्माण कार्य कब आरम्भ होने वाला है; और

(ग) उक्त निर्माण कार्य के आरम्भ होने में अन्य क्या कठिनाइयां बन रही हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता।

मद्रास में द्रुत परिवहन पद्धति

442. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में मद्रास तट से तिरुवनमियूर तक महानगरीय द्रुत परिवहन पद्धति एक फ्लाइंग ट्रेक द्वारा प्रतिस्थापित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस नई रेलवे परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ल) यह किस तारीख तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेल मंत्रालय द्वारा जिस द्रुत परिवहन योजना की स्वीकृति के लिए योजना आयोग से सिफारिश की गयी है, वह 53.46 करोड़ रुपये की लागत से मद्रास बीच से लुज तक (8.45 कि० मी०) के धरातल एवं उसे उत्थापित करने के आरेखन से सम्बन्धित है।

(ग) यह परियोजना कार्य प्रारम्भ होने की तारीख से 6 वर्ष के भीतर पूरी हो जाने की संभावना है।

बख्तियापुर-राजगीर लाइन को गया तक बढ़ाना

443. **श्री विजय मोडक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बख्तियापुर-राजगीर रेल लाइन को गया तक बढ़ाने का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो राजगीर से गया तक रेलवे लाइन का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) इस लाइन के कब तक चालू होने की संभावना है।

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पूर्व रेलवे से अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। यदि यह परियोजना वित्तीय रूप से अर्थक्षम पायी गयी और योजना आयोग द्वारा धन राशि आवंटित करने की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो इस परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा।

'बर्निंग ट्रेन' फिल्म में जले रेल के सवारी डिब्बे

444. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :**

श्रीमती कृष्णा साही : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग ने 'बर्निंग ट्रेन' फिल्म के निर्माताओं को पश्चिम रेलवे मेकेनिकल डिपार्टमेंट से सवारी डिब्बे संख्या 6133, 6146, 2804 और 2806 का उपयोग करने की अनुमति दी थी;

(ख) क्या यह सच है कि ये सभी सवारी डिब्बे पूरी तरह जल गये थे;

(ग) क्या इन्हें मरम्मत के लिए पश्चिम रेलवे को परेल बम्बई वर्कशाप में लाया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या फिल्म निर्माताओं से इनकी कुल लागत और क्षति वसूल की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, केवल कोच नं० 6146 को छोड़कर जिसके बदले कोच नं० 6148 दिया गया था।

(ख) जी, नहीं। वे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त/जले हुए थे।

(ग) जी, हां।

(घ) एक वितरण संलग्न है।

(ङ) और (च) फिल्म निर्माताओं से क्षति के लिए मांगी गयी रकम के संबंध में उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया था और यह मामला एक मात्र मध्यस्थ को सौंपा गया था जिसने अब अपना निर्णय दे दिया है। रेलवे ने उक्त निर्णय के अनुसार दावे का निपटारा करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है।

विवरण

डिब्बेवार क्षति का ब्यौरा :

1. कोच प्रं० 6133—केवल भीतरी पैनल जल कर राख हो गये थे।

2. कोच नं० 6148—कोच का केवल एक ही कक्ष जला था। उक्त कक्ष के बिजली-तारों और बदरंग पैनलों का बदलाव करना अपेक्षित है।

3. कोच नं० 2804-ए—कोच के एक ओर की सम्पूर्ण लम्बाई में आग के चिन्ह सुस्पष्ट थे। भीतरी पैनल, खिड़कियों के पैनलों और पाकेटों के बीच रोधन का बदलाव/मरम्मत अपेक्षित है। तीन खिड़कियों के ऊपरी बाहरी पैनल क्षतिग्रस्त हो गये थे। एक शौचालय पूरी तरह जल गया था। तीन खिड़कियों के किनारों के खम्बे और शहतीर मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे।

4. कोच नं० 2806-ए—कोच के भीतरी क्षति के कोई चिन्ह स्पष्ट नहीं हैं।

पुरुलिया-कोटशिला लाइन

445. **श्री वसुदेव आचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरुलिया-कोटशिला नैरी गेज लाइन को ब्राड-गेज लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पुरुलिया और कोटशिला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में एक यातायात एवं इंजीनियरी सर्वेक्षण करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

ईरान के साथ आर्थिक सहयोग

446. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ईरान के साथ आर्थिक संबंध सुधारने के लिए विशेषत: बंधकों के मामले पर कुछ पश्चिमी देशों द्वारा ईरान के खिलाफ उठाए गए आर्थिक कदमों को देखते हुए, क्या उपाए किए हैं; और

(ख) अब बंधकों को मुक्त कर दिए जाने के बाद भारत और ईरान के बीच आर्थिक सहयोग की क्या भावी संभावनाएं हैं ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शिवशंकर) : (क) और (ख) भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। भारत-ईरान के बीच आर्थिक संबंधों में वृद्धि और विकास का ईरान के विरुद्ध किसी अन्य देश द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों अथवा हाल ही मुक्त हुए बन्धकों के मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है।

ईरान के वाणिज्य मंत्री ने जून, 1980 में भारत की यात्रा की और उस समय दोनों देशों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के व्यापक क्षेत्र निर्धारित किए गए। इसके बाद भी दोन के शिष्टमंडलों ने एक-दूसरे देश की यात्रा की। हाल ही में ईरान के उद्योग तथा खान उप-मन्त्री के नेतृत्व में एक वहां का आर्थिक तथा औद्योगिक शिष्टमंडल नई दिल्ली में इंजीनियरी व्यापार मेला देखने आया इस शिष्ट मण्डल में ईरान के विविध वर्गों का व्यापक प्रतिनिधित्व था। भारत-ईरानी आर्थिक सहयोग के विद्यमान अवसरों तथा उसके भावी विकास की सम्भावनाओं को अब पहले की अपेक्षा बेहतर ढंग से समझा जा रहा है।

रेलगाड़ियों में अपराध की घटनाओं में वृद्धि

447. **श्री सुभाष यादव :**

श्री तारिक अनवर :

श्री होरालाल आर० परमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रेल दुर्घटनाओं, गाड़ी पटरी से उतरने, चलती गाड़ी में लूटपाट, रेल विभागो में चोरी की घटनाओं में बहुत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1980-81 के दौरान और 31 जनवरी, 1981 तक उपर्युक्त घटनाओं के परिणाम-स्वरूप कुल कितने यात्री मारे गये हैं और कितने घायल हुए हैं; और

(घ) यात्रियों के जीवन और सम्पत्ति तथा सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए और सुरक्षित रेल यात्रा सुनिश्चित करने हेतु इन घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किये जाने हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गाड़ियों में लूटमार और डकैती की घटनाओं में कुछ वृद्धि हुई है परन्तु यात्रियों के सामान की चोरी की घटनाओं में कुछ कमी आयी है।

गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। अप्रैल, 1980 से जनवरी, 1981 के दौरान गाड़ियों के पटरी से उतरने सहित 859 दुर्घटनाएं हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 759 दुर्घटनाएं हुई।

(ख) कुछ राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति असामान्य होने के कारण गाड़ियों में लूटमार और डकैती की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

अप्रैल 1980 से जनवरी, 1981 के दौरान हुई 859 गाड़ी दुर्घटनाओं के कारण निम्नलिखित हैं :

	कारण	दुर्घटनाओं की सं०
1.	रेल कर्मचारियों की गलती	403
2.	रेल कर्मचारियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की गलती	91
3.	यांत्रिक उपस्करों की खराबी	147
4.	रेल पथ की खराबी	41
5.	बिजली उपस्कर की खराबी	2
6.	तोड़-फोड़	3
7.	आकस्मिक	80
8.	कारण पता नहीं लगाया जा सका	27
9.	कारणों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका	65
	कुल	859

(ग) 1980-81 में 31.3.81 तक लूटमार/डकैती के मामलों में 31 यात्री मारे गए तथा 241 यात्री घायल हुए और गाड़ी दुर्घटनाओं में 192 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 747 घायल हुए।

(घ) गाड़ियों में लूटमार/डकैती की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

1. सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण गाड़ियों में रात के समय राजकीय रेलवे पुलिस के सशस्त्र रक्षकों को तैनात किया जाता है।
2. स्टेशनों, प्लेटफार्मों और प्रतीक्षा हालों में गश्त लगाना।
3. अपराधियों एवं बदनाम व्यक्तियों पर नजर रखना।
4. पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा रात्रि गाड़ियों की जांच।
5. भेद्य स्टेशनों पर पुलिस टुकड़ियों की जांच।
6. राज्य सरकारों के अपराध जांच ब्यूरों के विशेष दस्तों द्वारा महत्वपूर्ण मामलों की छान-बीन की जाती है ताकि इन मामलों के लिए जिम्मेदार अपराधियों को पकड़ा जा सके।
7. गलियारेदार डिब्बों के दरवाजों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बन्द रखा जाता है।
8. चल टिकट परीक्षकों/परिघरों और कंडक्टरों को अनुदेश हैं कि वे अनधिकृत व्यक्तियों को डिब्बों में और विशेषरूप से आरक्षित डिब्बों में न घुसने दें।

9. जब किसी विशेष क्षेत्र में अपराधों में तेजी आती है, तो यात्रियो की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है और यथा अपेक्षित आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है ।

10. एक और उपाय के तौर पर यात्री गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा बल के 2,000 सशस्त्र जवानों को तैनात किया गया है ताकि अपराधियों को रोका जा सके और यात्रियों में विश्वास पैदा किया जा सके ।

11. गाड़ियों में यात्रियों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे बोर्ड में एक उप महानिरीक्षक/डकैती निरोधक की तैनाती की गई है ताकि राज्य पुलिस से निकट संपर्क स्थापित किया जा सके ।

चूंकि गाड़ी दुर्घटनाओं के कारणों में रेल कर्मचारियों की गलती सबसे बड़ा अकेला कारण रहा है, रेलें संरक्षा संगठन, गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित कर्मचारियों में संरक्षा सम्बन्धी अधिक चेतना उत्पन्न करने के लिए अथक अभियान चला रही हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी नियमों का उल्लंघन न करें और लाघव विधियां न अपनाएं जिनसे दुर्घटना होने की आशंका रहती है ।

गाड़ियों की जांच तथा सवारी तथा माल डिब्बा डिपुओं में मौके पर जांच को कड़ा कर दिया गया है और रेल पथ के उपयुक्त अनुरक्षण की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है । मानवीय तत्व पर निर्भरता कम करने के लिए पहियों, धुरा और पटरियों, धुरा काउन्टरों, रेल पथ, परिपथन आदि के लिए परिष्कृत उपायों जैसे पराश्रव्य दोष संसूचकों को उत्तरोत्तर लागू किया जा रहा है ।

चूंकि समपारों पर अधिकतर दुर्घटनाएं रेल उपयोगकर्ताओं की जल्दवाजी और लापरवाही के कारण होती हैं, रेलें सड़क उपयोगकर्ताओं में पर्चे और इश्तहार बांटकर तथा सिनेमाघरों में सलाइडें आदि दिखाकर शिक्षाप्रद अभियान चलाती हैं । राज्य पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से अचानक जांच की जाती है ताकि सड़क उपयोगकर्ता मोटर वाहन नियमों का कड़ाई से पालन करें ।

इसके अलावा, बिना चौकीदार वाले संभावित खतरनाक समपारों पर रेलें अपनी लागत से चौकीदारों की व्यवस्था कर रही हैं ।

खान-पान सम्बन्धी सेवाएं

448. **श्री राम बिहारी वहेरा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रेलों में खान-पान सम्बन्धी (कैट्रिंग) सेवाओं में सुधार के लिए कोई विशेष अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो अचानक मारे गये छापों की संख्या, मण्डलवार कितनी है और रेलों में घटिया किस्म का भोजन परोसे जाने के कितने मामले पकड़े गए; और

(ग) भोजन की किस्म में सुधार करने के लिए क्या प्रस्ताव हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) रेलें, खान-पान सेवाओं का उपयुक्त मानक बनाये रखने के लिए सतत प्रयास करती हैं। अच्छे भोजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्य और स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों और निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण, अचानक जांच की जाती है और विशेष अभियान आदि चलाये जा रहे हैं।

1980 के दौरान अचानक की गयी जांचों और ऐसे मामलों की संख्या जिनमें घटिया भोजन परोसना पाया गया, नीचे दी गयी हैं :

रेलवे	अचानक जांच	पाये गये मामले
मध्य	227	4
पूर्व	112	—
उत्तर	493	110
पूर्वोत्तर	158	23
पूर्वोत्तर सीमा	365	3
दक्षिण	67	18
दक्षिण-मध्य	1144	26
दक्षिण-पूर्व	3	—
पश्चिम	3168	21

वर्ष 1980 के दौरान अचानक जांचों के अलावा, 821 बार आवधिक निरीक्षण और 64 विशेष अभियान चलाये गये थे। रेलों पर खान-पान सेवाओं में सुधार लाने के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों के कड़े पर्यवेक्षण के अधीन आधुनिक किस्स के आधार रसोइयों में तैयार किये गये पिक-अप भोजन, आधुनिक पाक तकनीकी को अपनाना आधुविक रसोई जुगतों, मानक संसाधनों से अच्छी किस्म के खाद्य पदार्थ की खरीद, खान-पान कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण आदि जैसे अनेक उपाय किये गये हैं।

बंगाल की खाड़ी में नए द्वीपों का उदय

449. **डा० वसन्त कुमार पंडित :**

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने सीमावर्ती नदी हरियाबंगा के मुहाने में नवोदित द्वीपों पर बंगला देश के साथ अपने दावे को स्थापित कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का बंगाल की खाड़ी में द्वीपों पर शान्तिपूर्ण कब्जे के लिए बातचीत हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) दोनों देशों के बीच आपसी सद्भावना की पृष्ठ-भूमि में बंगला देश सरकार का क्या रुख है।

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शिव शंकर) : (क) हरियाबंगा के मुहाने में "न्यू मूरे" द्वीप (अथवा पुर्वाशा) पर भारत का अधिकार स्पष्ट है और इस बात से बंगला देश को अवगत करा दिया गया है।

(ख) और (ग) बंगला देश ने "न्यू मूरे" महाद्वीप पर भारत के अधिकार के प्रश्न को उठाया है और इस बात को निश्चयपूर्वक कहा है कि "न्यू मूरे" महाद्वीप और पूर्वाशा दो अलग-अलग महाद्वीप हैं। हमने स्पष्ट कर दिया है कि एक ही भौगोलिक भाग के ये दो अलग-अलग नाम हैं। किसी प्रकार की गलतफहमी को दूर करने के लिए बंगला देश की सरकार के साथ अपनी स्थिति और स्पष्ट करने का हमारा विचार है।

संतति निरोध के जिए प्रोत्साहन

450. **श्री गुफरान आजम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा नहीं मिल रहा है; और

(ख) जन संख्या में अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या प्रोत्साहन दे रही है अथवा अन्य उपाय कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 1977 से 1979 के बीच इस कार्यक्रम को सख्त धक्का लगा था परन्तु उसके बाद 1980 के आरभ से इसमें फिर तेजी आनी शुरू हो गई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा टर्मिनल तरीकों/अन्तर्गभाशय युक्ति निवेशन स्वीकार करने वालों को मुआवजा देने की योजना चलाई गई थी, उसे जारी रखा जा रहा है। कुछेक राज्य अपनी-अपनी निधियों से इन स्वीकारकर्ताओं को अतिरिक्त नकदी के रूप में भी प्रोत्साहन देते हैं। छोटे परिवार को अपनाने के पक्ष में सामाजिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाने के अभिप्राय से शिक्षा और प्रेरणा पर विशेष बल दिया जाता है। सभी राज्यों में खासकर गांवों में, प्रतिष्ठित लोगों के अनेक शिविर लगाये जा रहे हैं ताकि जनसंख्या-शिक्षा का प्रसार किया जाय और लोगों को जिम्मेदार माता-पिता बनने की आवश्यकता और उसके लाभ से अवगत कराया जाय। इस कार्यक्रम के लिए समुचित वातावरण तैयार करने के लिए सरकार के सभी प्रचार माध्यमों को काम में लगा दिया गया है। ग्राम, तालुक और जिला स्तरों पर बढ़िया परिवार नियोजन सेवाओं का प्रबन्ध किया जाता है और बाद में अनुवर्ती सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी वर्गों के लोगों, खासकर स्वैच्छिक और महिला संगठनों को, इस कार्यक्रम में लगाया जाता है। मां और बच्चे की बेहतरी और अच्छे स्वास्थ्य पर बड़ा बल दिया जा रहा है और इसके लिए विशिष्ठ योजनाएं चलाई जा रही है।

ट्रकों तथा टूरिस्ट बसों को जारी किए गए राष्ट्रीय परमिट

451. **श्री के० राममूर्ति : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के लिए ट्रकों और टूरिस्ट बसों को जारी किए गए राष्ट्रीय परमिटों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उद्योगों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आयातित माल को ढोने हेतु राष्ट्रीय परमिट योजना को प्रस्तावित आइलैंड कन्टेनर पत्तनों के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार अद्यतन आंकड़ों का विवरण संलग्न है जिसमें दिखाया गया है कि विभिन्न राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा ट्रकों के लिए कितने नेशनल परमिट और टूरिस्ट बसों के लिए कितने आल इण्डिया परमिट जारी किए गए हैं। ट्रकों के लिए नेशनल परमिट और टूरिस्ट बसों के लिए टूरिस्ट परमिट देने का कोई सालाना कोटा निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

विवरण

	अब तक जारी नेशनल परमिटों की संख्या (15-10-80)	टूरिस्ट बसों के लिए जारी टूरिस्ट परमिटों की संख्या
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	441	59
2. आसाम	423	1
3. बिहार	450	30
4. गुजरात	435	36
5. हरियाणा	350	1
6. हिमाचल प्रदेश	291	17
7. जम्मू और काश्मीर	296	10
8. कर्नाटक	390	34
9. केरल	392	—
	200	

1	2	3
10. मध्य प्रदेश	447	—
11. महाराष्ट्र	432	48
12. मणिपुर	50	—
13. मेघालय	41	अनुपलब्ध
14. नागालैण्ड	50	अनुपलब्ध
15. उड़ीसा	400	22
16. पंजाब	400	1
17. राजस्थान	420	अनुपलब्ध
18. सिक्किम	मोटर यान अधिनियम, 1939 अभी तक इस राज्य में लागू नहीं किया गया है।	—
19. तमिलनाडु	400	48
20. त्रिपुरा	188	—
21. उत्तर प्रदेश	444	28
22. पश्चिम बंगाल	450	अनुपलब्ध
23. अरुणाचल प्रदेश	10	—
24. चण्डीगढ़	50	—
25. दादर और नागर हवेली	17	3
26. दिल्ली	237	18
27. गोवा, दमन और दीव	209	15
28. मिजोरम	—	—
29. पाण्डिचेरी	48	17
कुल	7761	398

पिंक सिटी एक्सप्रेस में अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाना

452. **श्री अशोक गहलोट** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिंक सिटी एक्सप्रेस में (दोनों ओर से) अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाने की मांग के बारे में लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार उनकी मांग पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो अतिरिक्त सवारी डिब्बे कब तक उपलब्ध कराए जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (घ) जी हां, 1501/502 पिक सिटी एक्सप्रेस को दो इंजनों से चलाकर उसके डिब्बा भार में वृद्धि करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। विभिन्न ब्यौरों को अन्तिम रूप दिये जाने पर इसे कार्यान्वित किया जाएगा।

त्रिवेन्द्रम-नेडुमंगड़-शेनिओथाह लाइन

453. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार**: क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम-नेडुमंगड़-शेनिओथाह रेलवे लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का सर्वेक्षण करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

ईरान-इराक विवाद को हल करने के लिए किए गए प्रयास

454. **स्वामी इन्द्रवेश :**

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री रामविलास पासवान : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईरान-इराक के बीच शान्ति स्थापित करने और युद्ध-विराम के लिए कोई प्रयास/प्रस्ताव फार्मूला तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) भारत सरकार इराक-ईरान संघर्ष के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रही है। इस सिलसिले में भारत सरकार इराक और ईरान तथा अन्य गुट-निरपेक्ष देशों की सरकारों के साथ सम्पर्क बनाये हुए है।

हाल ही में आयोजित गुट-निरपेक्ष विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन ने इस संघर्ष के जारी रहने पर अत्यधिक खेद व्यक्त किया और क्यूबा भारत एवं जाम्बिया के विदेश मन्त्रियों तथा फिलस्तीनी मुक्ति संगठन के राजनैतिक विभाग के अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे दिल्ली सम्मेलन की अन्तिम घोषणा के पैरा 26 में (विवरण संलग्न है) बताये गये गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सिद्धान्तों के कार्यान्वयन में योगदान देने के लिए सभी संभव प्रयत्न करें। इस सम्बन्ध में सहमति कायम करवाने में सक्रिय भूमिका अदा करने वाले प्रतिनिधि मण्डलों में भारत भी शामिल था।

विवरण

पांच महीने पुराने इराक-ईरान युद्ध और इससे दोनों देशों में हुई जान-माल की क्षति और इसके कारण गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के समक्ष उत्पन्न संकट पर अत्यधिक खेद व्यक्त करते हुए इस सम्मेलन ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सिद्धान्तों को दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि किसी भी राज्य को बल प्रयोग से किसी अन्य राज्य के भू-भाग को अर्जित नहीं करना चाहिए और न उस पर कब्जा ही करना चाहिए तथा इस प्रकार अर्जित किए गए भू-भाग को वापिस कर दिया जाना चाहिए, किसी भी राज्य पर आक्रमण नहीं करना चाहिए; सभी राज्यों की क्षेत्रीय अखण्डता और सम्प्रभुता का सम्मान करना चाहिए; किसी भी राज्य को दूसरे राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप अथवा दखलदांजी की कोशिश नहीं करना चाहिए; विभिन्न राज्यों के बीच होने वाले मतभेदों अथवा उनके द्वारा किए जाने वाले दावों को शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाया जाना चाहिए ताकि सदस्य-राज्यों के बीच शान्तिपूर्ण संबंध कायम रहें। इस सम्मेलन में क्यूबा, भारत तथा जाम्बिया के विदेश मंत्रियों और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के राजनैतिक विभाग के अध्यक्ष से कहा कि वे उपर्युक्त सिद्धान्तों के कार्यान्वयन में योगदान देने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न करें।

लैप्रास्कोपिक ट्यूबक्टोमी कार्यक्रम

455. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में लैप्रास्कोपिक ट्यूबक्टोमी कार्यक्रम आरम्भ किया गया है और उसकी सफलता एवं असफलता संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) दूसरे राज्यों में भी इस कार्यक्रम को आरम्भ न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त तरीके से एक घंटे में 100 नसबन्दी आपरेशन किए जा सकते हैं और क्या यह तरीका वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्णतया सही है;

(घ) क्या इस पद्धति के लिए प्रशिक्षित डाक्टरों की संख्या बहुत सीमित है, यदि हां, तो और अधिक डाक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) किस-किस देश में उक्त पद्धयि राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ की गई है और क्या उनकी वैज्ञानिक पद्धतियां तथा उनके प्रयोग करने के ढंग हमारे देश की पद्धतियों तथा ढंग से भिन्न हैं; यदि हां, तो किस प्रकार और उक्त पद्धति उन देशों में किस तरह सफल हुई है;

(च) क्या सरकार का विचार उक्त पद्धति को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने का है; और

(छ) महिलाओं ने इस पद्धति के प्रति क्या प्रतिक्रिया दिखाई अथवा किस हद तक स्वीकार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन लैपरोस्कोप से महिलाओं के नसबन्दी आपरेशन करने की विधि का अधिकांश राज्यों द्वारा थोड़ा बहुत उपयोग किया जाता है। देश में महिलाओं तथा की नसबन्दी आपरेशन की कई विधियों का प्रयोग हो रहा हैं जैसे "मनिला पैराटोमी" तथा "क्लडोस्कोपी", आदि और आपरेशनों के आंकड़ों अथवा प्रत्येक विधि की सफलता अथवा विफलता का अलग-अलग ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। यह धारणा खतरनाक है कि लैपरोस्कोप से सैकड़ों आपरेशन सुरक्षित ढंग से किये जाते हैं। इस उपकरण में निरन्तर तबदीली होती रहती है। अलग-अलग लैपरोस्कोपों में भिन्न-भिन्न सर्जनों द्वारा इलक्ट्रोकाटरी, क्लिप और छल्ले इस्तेमाल किये जाते हैं और ये सभी लोग दावा करते हैं कि उनकी विधि सब से बढ़िया है। लैपरोस्कोप की विधि के लिए सर्जन को समुचित परिस्थितियों और उच्चतर प्रशिक्षण तथा अध्ययन की आवश्यकता भी पड़ती है।

(घ) अनेक सरकारी डाक्टर और प्राईयेट संस्थाओं के डाक्टर और लैपरोस्कोप के इस्तेमाल में पहले ही कार्यकुशलता प्राप्त कर चुके हैं। वैसे, समान स्तर के प्रशिक्षण और कार्यकुशलता तथा क्वालटी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने देश में लैपरोस्कोप की विधि के प्रशिक्षण के लिए तीन केन्द्र पास किये है। बम्बई, बड़ौदा और दिल्ली में एक-एक केन्द्र है। अब तक 26 दलों को, जिनमें एक-एक स्त्री रोग विशेषज्ञ एक थियेटर नर्स और एक थियेयटर तकनीशियन होता है, आपरेशन करने की विधियों और उपकरणों के रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन आन्ध्र प्रदेश का एक दल, असम का एक दल, गुजरात के तीन दल, हिमाचल प्रदेश का एक दल, जम्मू व काश्मीर का एक दल, कर्नाटक का एक दल, मध्य प्रदेश का एक दल, केरल का एक दल, महाराष्ट्र के तीन दल, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों के एक-एक दल, राजस्थान और तमिलनाडु के दो-दो दल, उत्तर प्रदेश के चार दल तथा गोवा और पांडिचेरी के एक-एक दल को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। भविष्य में ऐसे और अधिक दलों को यह प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(ङ) संसार के अधिकांश देशों में महिलाओं के नसबन्दी आपरेशन के लिए लैपरोस्कोप की विधियों के साथ-साथ अन्य विधियों का उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जैसा कि हमारे देश में किया जाता है। जहां तक हमें जानकारी है, कोई भी देश अन्य सर्जिकल विधि की अपेक्षा इस विधि को राष्ट्रीय स्तर की विधि समझकर तरजीह नहीं देता है क्योंकि इसके लिए आधुनिक उपकरणों, रखरखाव की सुविधाओं की व्यापक उपलब्धता और उच्च स्तर की कार्यकुशलता की जरूरत होती है।

(च) जी, नहीं। सरकार नसबन्दी आपरेशत के लिए किसी एक विधि विशेष की अपेक्षा अन्य विधियों को बढ़ावा देना नहीं चाहती है। महिलाओं के आपरेशन के लिए किसी विधि विशेष को इस्तेमाल, आपरेशन करने वाले चिकित्सक की कार्यकुशलता, उसके ज्ञान और अनुभव के साथ-साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि यह किस परिस्थितियों में आपरेशन करता है। सरकार सारी विधियों को उपयोगी और कारगर समझती है। वैसे, और अधिक संस्थाओं

को समयबद्ध रूप से कबर करने के लिए लैपरोस्कोप की विधि के प्रशिक्षण की सुविधायें दी जा रही हैं।

(छ) कुछ राज्यों में लैपरोस्कोप से नसबन्दी करने का काम बढ़ रहा है क्योंकि यह लोकप्रिय हो चुकी है और इसमें अस्पताल में भर्ती होने की बहुत कम या बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। मिनी-लैपरोटोमी विधि में भी ये सारे लाभ होते हैं।

भावनगर-तारापुर लाइन

456. **श्री नवीन रवाणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भावनगर-तारापुर लाइन और भावनगर-सुरेन्द्रनगर मीटर-गेन सेक्शन को ब्राड गेज लाइन में बदलने के सम्बन्ध में गुजरात सरकार से कुछ पत्र, अभ्यावेदन और प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त लाइन कब तक चालू हो जायगी; और

(ग) इन निर्माण-कार्यों को शुरू न करने के कारण और कठिनाईयां क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भावनगर से तारापुर तक नयी बड़ी लाइन बिछाने के लिए 1977 में किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि इस 150 किलो मीटर लम्बी लाइन के निर्माण पर उस समय प्रचलित दरों के आधार पर लगभग 34 करोड़ रुपये लागत आयेगी और माल यातायात दरों में 100 प्रतिशत वृद्धि करने पर भी यह लाइन अर्थक्षम नहीं होगी। संसाधनों की अत्यधिक तंगी को देखते हुए इस परियोजना को हाथ में लेना संभव नहीं होगा।

भावनगर-सुरेन्द्रनगर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस खंड के बदलाव से सौराष्ट्र क्षेत्र शेष मीटर लाइन खंड देश की शेष मीटर लाइन प्रणाली से कट जायेगा।

रेलवे खान-पान व्यवस्था में घाटा

657. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खान-पान व्यवस्था करने के कार्य में रेलवे को घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष कितना घाटा रहा है; और

(ग) क्या उक्त हानि को देखते हुए सरकार का विचार फिर से इस कार्य को ठेके पर देने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कटपाड़ी-तिरुपति लाइन

458. **श्री पी० राजगोपालन नायडू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कटपाड़ी से तिरुपति तक बड़ी लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान उपरोक्त रेल लाइन का निर्माण पूरा करने का है ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री(श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आंध्र प्रदेश में कटपाड़ी से तिरुपति तक बड़ी लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पीकिंग समर्थक गिरोह

459. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के पूर्वोत्तर भाग में चीन की वर्तमान गतिविधियों के उद्देश्य और लक्ष्य वही हैं जो 1962 में पीकिंग सेनाओं द्वारा भारतीय भू-भाग के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के समय थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये गुप्तचर सेवाओं द्वारा नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में पीकिंग समर्थक गिरोह काफी पहले बसाये जा चुके हैं, जिनके सदस्यों को आतंक फैलाने का प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें हथियार दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शिव शंकर) : (क) से (ग) यद्यपि पहले नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में उग्रवादी दलों को चीन की ओर से सामग्रीगत और सैद्धान्तिक समर्थन देने के कई मामले सामने आए थे लेकिन फरवरी, 1979 में भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री की चीन की यात्रा के बाद से ऐसा कोई नया मामला ध्यान में नहीं आया है, जबकि उन्हें चीन के विदेश मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि उक्त सहायता को अब अतीत की बात समझना चाहिए । बाद में भी जब कभी भारत सरकार ने इस मामले को उठाया है, तो चीनी पक्ष ने फरवरी, 1979 में दिए गए आश्वासन को ही दोहराया है ।

दक्षिण-पूर्वी रेलवे में खाली पद

460. **प्रो० सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे कार्यालय में बहुत अधिक संख्या में पद खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ग्रेड-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पदों को भरने का क्या तरीका है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दक्षिण-पूर्व रेलवे पर रिक्त पदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

कोटि	ग्रेड	संख्या
कार्यालय लिपिक	260-400 रुपये	454
टंकण	,,	5
टेलीफोन आपरेटर	,,	50
सराफ	,,	25
लेखा लिपिक ग्रेड–I	330-360 रुपये	171
आशुलिपिक	,,	1
विधि सहायक	550–750 रुपये	4
आर्टिस्ट	380–640 रुपये	1

(ग) ये रिक्त पद रेल सेवा आयोग, कलकत्ता के माध्यम से भरे जाने हैं। इसके लिए मांग पहले ही भेजी जा चुकी है।

जाजपुर रोड-नारीगया लाइन

461. **श्री अनादि चरणदास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को छठी योजना अवधि के दौरान जाजपुर रोड बैतरनवी नारीगया (जाजपुर टाउन) का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इस प्रस्तावित रेलवे लाइन का प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों की भारत यात्रा

462. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 दिसम्बर, 1980 से 31 जनवरी, 1981 के दौरान बहुत से विशिष्ट व्यक्तियों ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्राओं का प्रयोजन क्या था;

(ग) भारत में उन्होंने विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के साथ क्या बातचीत की और उसका क्या परिणाम रहा; और

(घ) उनमें से प्रत्येक के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1847/81]

बंगलौर शहर में निचले और ऊपरी पुल

463. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर शहर में तथा शहर के इर्द-गिर्द ऊपरी पुल तथा नीचे के रेलवे पुलों के निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) उन पुलों के नाम क्या हैं जो निर्माणाधीन हैं तथा उन पुलों के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बैंगलुरु सिटी में एवं उसके आस-पास वर्तमान समपारों के बदले निचले सड़क पुलों के निर्माण के तीन प्रस्ताव हैं। ये निम्नलिखित है :

(1) बैंगलुरु छावनी तथा बैटयप्पनाहल्ली रेलवे स्टेशनों के बीच मिलर रोड के आर-पार, (2) बैंगलुरु सिटी तथा बैंगलुरु छावनी रेलवे स्टेशनों के बीच पैलेस रोड के आर-पार, (3) बैंगलुरु छावनी तथा बैटयप्पनाहल्ली स्टेशनों के बीच व्हीलर रोड के आर-पार। बैंगलुरु-अरसीकैरे खंड पर यशवंतपुर स्टेशन पर पैदल चलने वालों के लिए उप-मार्ग का भी प्रस्ताव है। मिलर रोड तथा पैलेस रोड पर निचले सड़क पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में उपर्युक्त मद (1) और (2) के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा रेलवे द्वारा इन पर बैंगलुरु निगम के परामर्श से विचार किया जा रहा है। जब प्रस्तावित निचले सड़क पुलों के सम्बन्ध में विस्तृत अभिकल्प, आरेखण, अनुमानित लागत तथा लागत की हिस्सेदारी के सम्बन्ध में शर्तों और नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा तथा ये रेलवे तथा राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आपस में तय कर ली जाएगी। तब इसे रेलवे निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के संबंध में तुरन्त कार्रवाई की जाएगी। व्हीलर रोड के सम्बन्ध में बैंगलुरु निगम से अभी तक कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यशवंतपुर स्टेशन पर उप-मार्ग के निर्माण के लिए एक अनुमान बैंगलुरु निगम को उनकी स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

चूंकि ये प्रस्ताव अभी आरम्भिक चरण में हैं अतः यह कहना संभव नहीं है कि प्रस्तावित पुल कब तक पूरे हो जायेंगे।

एक भारतीय परिवार के साथ अमरीका में किया गया अमानवीय व्यवहार

464. **श्री ज्योतिर्मय वसु** :

श्री कालीचरण शर्मा :

आचार्य भगवान देव : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार द्वारा न्यूयार्क में रहने वाले एक व्यक्ति श्री के० भार्गव और उसके परिवार के साथ किए गए क्रूर, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार की सरकार को जानकारी दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शिव शंकर) : (क) और (ख) सरकार को संयुक्त राज्य अमरीका में श्री के० भार्गव के साथ किए गए बर्ताव के बारे में उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जानकारी है। सरकार की सूचना के अनुसार श्री भार्गव ने अमरीकी कानून के अन्तर्गत प्रदत्त सभी कानूनी उपायों का इस्तेमाल अभी नहीं किया है। सरकार मामले की पूछ-ताछ कर रही है।

चीनी विदेश मन्त्री की प्रस्तावित यात्रा

465. **श्री त्रिविद चौधरी :**

श्री सतीश अग्रवाल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का कोई संकेत मिला है कि चीनी विदेश मन्त्री श्री हुआंग हुआ की प्रस्तावित यात्रा, जो पिछले वर्ष स्थगित कर दी गई थी, इस वर्ष शीघ्र ही हो सकती है;

(ख) क्या यह सच है कि चीनी नेताओं ने कुछ अन्य देशों के प्रमुख राजनीतिज्ञों को भारत के साथ बातचीत शुरू करने की अपनी इच्छा का संकेत दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शिव शंकर) : (क) चीन के विदेश मन्त्री द्वारा भारत की प्रस्तावित यात्रा की संभावित तारीख के बारे में भारत सरकार को चीन सरकार की ओर से कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) विदेश के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों ने भारत सरकार को सूचित किया है कि चीनी नेताओं ने भारत से सम्बन्ध सुधारने के बारे में उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की है।

(ग) राष्ट्रपति ने 16 फरवरी, 1981 को संसद में दिए गए अपने अभिभाषण में भारत-चीन सम्बन्धों को और सामान्य बनाने तथा सभी अनसुलझी समस्याओं के बारे में बातचीत करने की भारत सरकार की इच्छा की पुन: पुष्टि की है।

रेल दुर्घटना में मृत्यु होने के मामले में क्षतिपूर्ति का भुगतान

466. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में 50,000 रुपए दिए जाएंगे;

(ख) उस निर्णय के बाद रेल दुर्घटना में, वर्षवार कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ग) अब तक कितने मृतकों के परिवारों को क्षतिपूर्ति की अदायगी की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) समय-समय पर संशोधित रेल दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, 1950 के साथ पठित भारतीय रेल अधिनियम 1890 की धारा 82(क) के प्रावधानों के अनुसार दुर्घटना में मारे जाने वाले व्यक्ति अथवा यात्रियों को ले जाने वाली रेल गाड़ी के किसी भाग के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर मरने वाले किसी व्यक्ति के आश्रित (आश्रितों)—परिवारों को नहीं—50,000 रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। 'आश्रित' शब्द का वही अर्थ है जो श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अध्याय 1, पैरा 2(1) (घ) में दिया गया है।

(ख) और (ग)

वर्ष	मृत व्यक्तियों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें क्षतिपूर्ति के दावों का भुगतान किया गया।
दिसम्बर, 74 से मार्च, 74	47	26
74–75	103	82
75–76	42	35
76–77	71	56
77–78	182	118
78–79	79	49
79–80	98	42
80–81	94	2
	716	410

कटिहार-जोगबनी सेक्शन का बदला जाना

467. **श्री डी० एल० बैठा** : क्या रेल मंत्री बरौनी-कटिहार मीटर गेज लाइन के बदले जाने के बारे में 27 नवम्बर, 1980 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1561 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्हें या उनके प्रशासन को पूर्वोत्तर रेलवे के कटिहार-जोगबनी सेक्शन को बदलने के लिये किसानों, व्यापारियों और नागरिकों के अनेक संगठनों से बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) कटिहार-जोगबनी सेक्शन को बदलने पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी;

(ग) क्या सरकार पूर्वोत्तर रेलवे के इस सेक्शन का विशेषकर इस बात को ध्यान में

रखते हुए सर्वेक्षण करेगी कि कटिहार के आगे अन्य सभी सेक्शनों को बड़ी लाइत में बदला जा चुका है या बदलने के लिये सर्वेक्षण कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) कटिहार-जोगबनी मीटर लाइन (111 कि० मी०) की बड़ी लाइन में बदलने की अनुमानित लागत वर्तमान निर्माण लागत के आधार पर लगभग 20 करोड़ रुपये होगी।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इस समय किया गया सर्वेक्षण उस समय तक पुराना हो जायेगा जब भविष्य में एक लम्बे समय के बाद इस खण्ड के आमान परिवर्तन पर विचार किया जायेगा।

अम्मासांद्रा के लिए आरक्षित कोयले के वैगन अन्यत्र ले जाना

468. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री वी० डी० सिंह :

प्रो० अजित कुमार मेहता :

श्री एस० बी० सिदनाल :

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्मासांद्रा (मैसूर) के लिए रखे गये कोयले के वैगन रेलवे अधिकारियों की सांठ गांठ से हाल ही में किसी अज्ञात स्थल पर भेज दिये गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि अम्मासांद्रा स्थित मैसूर सीमेंट कारखाने को कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण बन्द कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस मामले में यदि कोई जांच की गई है तो उसका परिणाम क्या रहा और उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) क्या रेलवे के अन्य डिवीजनों में इस प्रकार की घटनायें हुई हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) कोयले की कमी के कारण संयंत्र के बन्द हो जाने की रेलवे को कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) किसी उपभोक्ता को आबंटित माल डिब्बे दूसरे उपभोक्ता को केवल आपवादिक परिस्थितियों में हस्तान्तरित किये जाते हैं। जब ऐसे हस्तान्तरण किये जाते हैं तो उसके लिए सम्बन्धित पार्टी की क्षतिपूर्ति के लिये कार्रवाई की जाती है।

सम्बलपुर-तलचेर रेलवे सम्पर्क

469. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित सम्बलपुर-तलचेर रेलवे सम्पर्क का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण कार्य इस बीच पूरा हो गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस बीच सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू किये जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट 31 1,1981 को प्राप्त हो गयी है और रेल मंत्रालय के विभिन्न निदेशालयों में इसकी जांच की जा रही है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मूल्यांकन करने के बाद योजना आयोग के परामर्श से निवेश के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा।

रेलवे सिग्नलिंग प्रणाली

470. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 जनवरी, 1980 को नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट आफ रेलवेज निग्नल एण्ड टेली कम्यूनिकेशन इंजीनियर्स द्वारा स्वचालित सिग्नलिंग सम्बन्धी सम्मेलन की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वक्ताओं ने भारतीय रेलवे (सिग्नल प्रणाली) में की गई प्रगति के बारे में असन्तोष व्यक्त किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले की कमी के कारण गाड़ियों का रद्द किया जाना

471. **श्री जैनुल बशर** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की कमी के कारण सभी रेलों पर कौन-कौन सी गाड़ियां रद्द की गई;

(ख) क्या रेलों में कोयले की कमी का कारण कोल इण्डिया द्वारा कोयले की सप्लाई न किया जाना है अथवा रेलों द्वारा कोयला न ढोया जाना है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 16-2-81 तक क्षेत्रीय रेलों पर कोयले की कमी के कारण 240 जोड़ी सवारी गाड़ियां रद्द रहीं।

(ख) और (ग) इस समय देश में भाप कोयले की समग्र उपलब्धता, रेलों की और उद्योगों की मिश्रित पूर्ण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोयला की वितरक और वाहक होने के बावजूद, रेलों की अधिकाधिक भाप कोयला की मांग करने वाले विभिन्न औद्योगिक यूनिटों की शिकायतों पर विचार करना होता है। इस प्रकार किफायत के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए, रेल सेवाओं के इंजनों के लिए अपेक्षित कोयले में स्वैच्छिक तौर पर कटौती करनी पड़ी। फिर भी, कोयला लदान करने वाली रेलों को संतोषजनक स्तर तक कोयले का अधिक लदान करने की हिदायतें दी गयी हैं ताकि रेलों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

रेलवे बोर्ड के कार्यकरण का विकेन्द्रीकरण

472. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे बोर्ड के कार्यकरण का विकेन्द्रीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल प्रबन्ध की मूल संरचना में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । रेलवे के कार्य को प्रभावी रूप से चलाने के लिए क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन यूनिटों के महाप्रबन्धकों, मंडल रेल प्रबन्धकों और निचले अधिकारियों को अपेक्षित अधिकार सौंपे गये हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मालगाड़ियों का पटरी से उतरना

473. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या **रेल मंत्री** मालगाड़ियों की धीमी गति के बारे में दिनांक 11 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3422 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालगाड़ियों के पटरी से उतरने के बारे में उनके द्वारा दिये गये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 1979-80 वर्ष के दौरान प्रति दिन पटरी से उतरने की औसतन 1.3 घटनायें घटीं;

(ख) क्या यह सच है कि पटरी से उतरने की इन बार-बार होने वाली घटनाओं के कारण मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के चलने में नियमित रूप से रुकावट आ रही है और जनता को बहुत असुविधा हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) गाड़ियों के पटरी से उतर जाने से यातायात पर प्रभाव पड़ता है ।

(ग) चूंकि दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेवार एकमात्र सबसे बड़ा कारण रेल कर्मचारियों की गलती रहा है, इसलिए गाड़ी संचलन से सम्बन्धित कर्मचारियों में संरक्षा सम्बन्धी चेतना पैदा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी नियमों का उल्लंघन न करें या ऐसे लाघव उपाय न अपनायें जो दुर्घटना का कारण बनें, रेलों के संरक्षा संगठनों को निरन्तर अभियान चलाने के निदेश दिये गये हैं ।

गाड़ियों की जांच तथा सवारी और माल डिब्बा डिपुओं में मौके पर जाकर व्यापक जांच गहन कर दी गई है और रेलपथ के उपयुक्त अनुरक्षण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है । मानवीय तत्वों पर निर्भरता कम करने के लिए पहियों, धुरों तथा पटरियों धुरा काउंटरों, रेलपथ परिपथन आदि के लिए पराश्रव्य दोष संसूचक जैसे परिष्कृत साधन उत्तरोत्तर उपयोग किये जा रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश में कन्हर नदी पर पुल

474. **श्री रामप्यारे पनिका** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तत्कालीन नौवहन और परिवहन मन्त्री श्री चांद राम ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कन्हर नदी पर पुल का शिलान्यास किया था;

(ख) यदि हाँ, तो कब और इसके पूरा होने की तिथि क्या है; और

(ग) पुल के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है और इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) प्रस्तावित कन्हर पुल निर्माण के पश्चात् राज्य सड़क पर पड़ेगा। इसलिए इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से होगा। मार्च, 1978 में भारत सरकार ने 66.5 लाख रु० के अनुदान का अनुमोदन किया था जो कि इस पुल के निर्माण का 200 लाख रु० की लागत का एक तिहाई भाग है जो कन्हर तथा सतबाहिनी नदी पर दुधी विद्यमगंज सड़क पर पड़ता हैं। बाकी लागत उत्तर-प्रदेश तथा बिहार सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से वहन की जानी थी। परन्तु बाद में बिहार सरकार ने कन्हर पुल की लागत वहन करने में असमर्थता प्रकट की क्योंकि यह पुल उत्तर प्रदेश की सीमा में 13 मील अन्दर आता है। इसके विकल्प के रूप में उत्तर-प्रदेश सरकार से कन्हर पुल की 50% लागत वहन करने का अनुरोध किया गया। इस मामले में केन्द्रीय सरकार बाकी 50% लागत को वहन करने के प्रश्न पर विचार कर सकती है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के विचार अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। आगे की कार्रवाई धन सम्बन्धी प्रश्न को हल करने के बाद ही की जा सकती है।

घटिया किस्म के नेत्र-लेंसों का प्रयोग

475. **श्री रघुनाथ सिंह वर्मा** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय बिना तराशे शून्य डिग्री के नेत्र शीशों की मांग और सप्लाई के अन्तराल को आपटीकल पावर लेंस के स्वदेशी संसाधक खिड़कियों के शीशों का आयात करके पूरा करते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं और इन्हें आम तौर पर समाज के कमजोर वर्ग तथा ग्रामीण जनता द्वारा प्रयोग में लाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खिड़कियों के शीशे मानव नेत्र के लिए हानिकारक हैं और इसके प्रयोग से मोतियाबिन्दु के रोगियों की संख्या दस गुणा बढ़ गई है; और

(ग) यदि हां, तो खिड़कियों के शीशों से बनाए गए घटिया स्तर के नेत्र-लेंसों के प्रयोग की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री: (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) जी, हां।

(ख) यह सच है कि खिड़कियों के शीशे का उपयोग मनुष्यों की आंखों के लिए हानिकारक हैं। फिर भी, ऐसे शीशों के इस्तेमाल के कारण मोतियाबिन्दु के प्रकोप को आंकने के लिए अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) घटिया शीशों के उपयोग और बिक्री पर कानून द्वारा पाबन्दी लगाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

विदेशों को माल डिब्बों की सप्लाई

476. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने माल डिब्बों और सवारी डिब्बों की सप्लाई के

लिए आर्डर दिये हैं अथवा करार किया है और जिनके आर्डर अभी पड़े हैं तथा सप्लाई पूरी नहीं हुई है/आर्डर स्वीकार कर लिए गए हैं लेकिन सप्लाई शुरू नहीं की गई है;

(ख) कितने माल डिब्बे, सवारी डिब्बे तथा अन्य रेल सामग्री की सप्लाई किये जाने का अनुबन्ध किया गया है और किस अवधि तक उसे पूरा किया जाना है;

(ग) माल डिब्बे, सवारी डिब्बे तथा अन्य रेल सामग्री के निर्माण करने के लिए सरकार और उसके सम्बद्ध उपक्रमों तथा गैर सरकारी फर्मों की वार्षिक क्षमता कितनी है, ऐसे प्रत्येक निर्माता द्वारा 1978-979 तथा 1980 में कितना वार्षिक उत्पादन किया गया और उसका प्रतिशत क्या है तथा निर्माताओं के नाम क्या हैं;

(घ) 1978-1979 और 1980 के दौरान कार्यरत माल डिब्बों और सवारी डिब्बों तथा खराब हो गए और आवश्यकता पड़ने पर काम में लाने के लिए आरक्षित डिब्बों की अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ड.) अगले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेल की इनकी वास्तविक मांग कितनी होगी और प्रत्येक वर्ष में कितनी मांग किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कुष्ठ अधिनियम में संशोधन

477. **श्री आर० के० महालगी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुष्ठ अधिनियम के बारे में दिनांक 27 दिसम्बर, 1980 के टाइम्स आफ इन्डिया में "करंट टापिक्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियम में संशोधन करने का है जिसके शताब्दी पुराने उपबन्ध आधुनिक समय में कुष्ठ-रोगियों के लिए पर्याप्त नहीं है; और

(ग) सरकार के विचाराधीन यदि कोई प्रस्ताव है तो उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत सरकार ने लेपर्स एक्ट, 1898 में संशोधन करने के बारे में सलाह देने के लिए 1975 में राष्ट्रीय कुष्ठ सलाहकार समिति की एक उप-समिति गठित की थी। उप-समिति ने लेपर्स एक्ट 1898 को रद्द करने तथा एक माडल जन स्वास्थ्य अधिनियम बनाकर उसमें आवश्यक उपबन्धों को समाविष्ट करने की सिफारिश की थी। चूंकि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, इसलिए नवम्बर, 1979 में राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई थी कि वे 1898 वाले एक्ट में संशोधन करने/उसे रद्द करने के लिए उपयुक्त कानून बनाने पर विचार करें। माडल जन स्वास्थ्य कानून का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

रेलवे के लम्बे रूट का विद्युतीकरण

478. **श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में रेलवे के लम्बे रूटों अर्थात् दिल्ली-बम्बई, दिल्ली-मद्रास और दिल्ली-हावड़ा (मेन) के विद्युतीकरण के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने मीटर रेलवे मार्ग का विद्युतीकरण किया जाना है और उस पर कुल कितना खर्च आएगा; और

(ग) इन रेलवे रूटों के विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप जोड़े जाने वाले प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के नाम क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) छठी योजना में

दिल्ली-बम्बई, दिल्ली-मद्रास और दिल्ली-हावड़ा (पूर्व रेलवे की मुख्य लाइन के रास्ते) के ट्रंक मार्गों पर विद्युतीकरण के प्रस्ताव इस प्रकार हैं :

क्रम सं०	मार्ग का नाम	कुल मार्ग कि० मी०	मार्ग कि० मी० विद्युतीकृत	चालू कार्य (मार्ग कि० मी०)	छठी योजना में प्रस्तावित विद्युतीकरण के कार्य (मार्ग कि० मी०)	1980 की कीमतों के आधार पर कालम 5 और 6 में दी गई परियोजनाओं की अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	टिप्पणी
1.	मध्य रेलवे के रास्ते दिल्ली-बम्बई	1542	444 (बम्बई-भुसावल)	416 (दिल्ली-झांसी)	682 (भुसावल-झांसी)	157 (दिल्ली-भुसावल)	
2.	पश्चिम रेलवे के रास्ते दिल्ली-बम्बई	1390	392 (बम्बई-बड़ोदरा)	633 (बड़ोदरा-रतलाम, दिल्ली-मथुरा-गंगापुरसिटी)	437 (गंगापुर सिटी-रतलाम)	127 (मथुरा-बड़ोदरा) (शेष उपर्युक्त मद 1 में शामिल हैं)	
3.	दिल्ली-मद्रास	2188	434 (विजयवाड़ा-मद्रास)	416 (दिल्ली-झांसी)	1338 1. झांसी-इटारसी उक्त मद 1 में शामिल है 2. विजयवाड़ा-वर्धा-पुरनाग इटारसी	156 विजयवाड़ा-नागपुर इटारसी (शेष उक्त मद 1 में शामिल है)	
4.	पूर्व-रेलवे की मुख्य लाइन के रास्ते दिल्ली-हावड़ा	1546	989 (हावड़ा-सीतारामपुर और मुगलसराय-दिल्ली)	शून्य	557 सीतारामपुर-मुगलसराय	87	ग्रांड कार्ड के छोटे मार्ग (मार्ग कि० मी० 144) के रास्ते दिल्ली-हावड़ा पहले से ही विद्युतीकृत है
				जोड़	3014	527	

(ग) इन मार्गों पर मुख्य औद्योगिक क्षेत्र पहले ही रेल में जुड़े हैं इसके अन्तर्गत और अतिरिक्त क्षेत्रों के आने की संभावना नहीं है।

रेलगाड़ियों का विद्युतीकरण

479. **श्री के० ए० राजन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते हुए तेल मूल्यों के कारण ऊर्जा को बचाए रखने की आवश्यकता को देखते हुए रेलगाड़ियों के विद्युतीकरण की गति तेज की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस नये कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल सरकार के केरल में रेल लाइनों के एक भाग के विद्युतीकरण के बारे में काफी समय से लम्बित पड़े प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में 2800 मार्ग किलोमीटर और सातवीं पंचवर्षीय योजना में 5000 मार्ग किलोमीटर के विद्युतीकरण का कार्यक्रम बनाया गया है ।

(ग) फिलहाल नहीं ।

इस्लामी सम्मेलन में किया गया विचार-विमर्श

480. **श्री चित्त बसु** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तइफ में इस वर्ष 25 जनवरी को शुरू हुए इस्लामी देशों के सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शिव शंकर) : (क) भारत सरकार ने तइफ में हुए इस्लामी सम्मेलन के क्रिया-कलापों पर पूर्ण मनोयोग के साथ ध्यान रखा था ।

(ख) भारत सरकार को यह देखकर संतोष हुआ कि मक्का घोषणा में उल्लिखित कतिपय मामलों में हमारे विचारों में समानता है ।

पालघाट में सवारी डिब्बों की मरम्मत का कारखाना

481. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पालघाट स्थान पर सवारी डिब्बों की मरम्मत के कारखाने की स्थापना करने का अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दक्षिण क्षेत्र (दक्षिण और दक्षिण-मध्य रेलों) की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तकनीकी एवं आर्थिक आधार पर, तिरुपति में एक नया रेलवे सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना स्थापित करने का पहले ही निर्णय लिया जा चुका है । कारखाने का निर्माण-कार्य प्रगति पर है ।

वैगनों का आयात

482. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वैगनों का आयात करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आयात किए जाने वाले वैगनों की कुल संख्या क्या है;

(ग) देश में वैगनों का निर्माण करने वाली यूनिटों की कुल स्थापित क्षमता क्या है तथा उनकी वर्तमान उपयोग क्षमता क्या है; और

(घ) वैगन निर्माण में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) देश में माल डिब्बा यूनिटों की कुल संस्थापित क्षमता 28,040 माल डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) की है । लेकिन माल डिब्बों की खरीद वर्षानुवर्ष के आधार पर किए गए योजना नियतनों पर निर्भर करती है और 1980-81 के लिए क्षमता का उपयोग 46% है ।

(घ) देश में उपलब्ध क्षमता, भावी वर्षों के लिए रेलों की माल डिब्बों की समूची आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है ।

कोयले की ढुलाई के लिए माल डिब्बे

483. **श्री तारीक अनवर** :

श्री हीरालाल आर० परमार : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की ढुलाई के लिए प्रतिदिन कितने माल डिब्बों की आवश्यकता होती है और रेलवे द्वारा इस समय इस उद्देश्य हेतु कितने माल डिब्बे दिये जा रहे हैं; और

(ख) माल डिब्बों की कमी को दूर करने हेतु सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोयले और कोक के परिवहन के लिए प्रतिदिन लगभग 10,190 माल डिब्बों की आवश्यकता होती है । इस समय प्रतिदिन औसत लदान लगभग 8,975 माल डिब्बों का है ।

(ख) रेल कोयला की ढुलाई के लिए माल डिब्बों की सप्लाई को उच्चतर प्राथमिकता देती हैं । कोयले के संचलन के लिए सम्पूर्ण आवश्यकताओं को शीघ्र ही पूरा करने की रेलों की आशा है जो प्रतिदिन प्राप्त होने वाले कोयला की मात्रा, कोयला खान साइडिंगों में माल डिब्बों के लदान की दर और थोक उपभोक्ताओं द्वारा उतराई की दर पर निर्भर करेगा ।

अदरा-खड़गपुर सैक्शन का विद्युतीकरण

484. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस तथ्य की दृष्टि से कि दक्षिण-पूर्व रेलवे को अदरा-खड़गपुर सैक्शन पश्चिम बंगाल के बांकुरा तथा पुरुलिया जिलों की भांति ही पिछड़े जिलों के अन्तर्गत आता है, इस सैक्शन का विद्युतीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय रेलों का विद्युतीकरण, संचालन व्यय तथा उच्च गति डीजल की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें उच्च घनत्व के ट्रंक रूटों को भी शामिल करने की योजना है। ताकि जो निवेश किया गया है उससे अधिकतम बचत हो सके। दक्षिण-पूर्वक रेलवे के खड़गपुर-आद्रा खण्ड पर यातायात के अपेक्षाकृत कम घनत्व को देखते हुए इस मार्ग पर फिलहाल विद्युतीकरण की कोई योजना नहीं है।

गीतांजलि एक्सप्रेस में चोरी की घटनायें

485. **श्री जी० नरसिम्हा रैड्डी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रायपुर में और इसके आस-पास गीतांजलि एक्सप्रेस और अन्य लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में चोरी की घटनायें बहुत आम हो गई हैं और जंजीर खींचने के मामले रोजमर्रा की बात हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे तथा रेलवे सुरक्षा दल के सक्रिय सहयोग से इस क्षेत्र में कार्यरत चोरों का एक सुसंगठित गिरोह इसके पीछे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दिसम्बर 1980 में ऐसी कितनी घटनायें हुई थीं और उनमें से कितनी घटनाओं का पता चला है; और

(घ) इस क्षेत्र में चोरी तथा जंजीर खीचने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन):(क) रायपुर और उसके आस-पास गीतांजली एक्सप्रेस और अन्य लम्बी दूरी की गाड़ियों में चोरी और छीनने (डकैती) की घटनाओं में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस क्षेत्र में, दिसम्बर 1980 के दौरान यात्रियों के सामान की चोरी के 4 मामले, छीनने (डकैती) के 1 मामले की रिपोर्ट मिली है। यात्रियों के सामान की चोरी के 4 मामलों का पता लगाया गया है लेकिन छीनने (डकैती) के मामले का अभी तक पता नहीं लग सका है। पुलिस की जांच पड़ताल जारी है।

(घ) इस क्षेत्र में अपराधों में वृद्धि राजकीय रेलवे पुलिस के ध्यान में लायी गयी है ताकि इनकी रोक-थाम के लिए निवारक उपाय किये जा सकें और मामले की पर्याप्त जांच हो सके।

निवारक उपाय के रूप में गीतांजली एक्सप्रेस में राजकीय रेलवे पुलिस तैनात की गयी है। कर्मचारियों के उपलब्ध होने पर अन्य गाड़ियों पर भी पुलिस तैनात की जाती है। इस क्षेत्र में खतरे की जंजीर खींचने के मामले को रोकने के लिए राज्य पुलिस के साथ मिल कर समन्वित अभियान चलाये जा रहे हैं।

कनाट प्लैस, नई दिल्ली स्थित आरक्षण कार्यालय में चोरी

486. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाट प्लैस, नई दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे के आरक्षण कार्यालय में से 20 जनवरी, 1981 को 55,000 रुपये की नकदी चोरी हो गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह राशि बरामद कर ली गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस चोरी के कारणों तथा कार्य विवरण का अध्ययन करने के लिए और अपराधियों को पकड़ने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380 के अधीन दिनांक 20-1-81 को रेलवे पुलिस, दिल्ली द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है और जांच-पड़ताल चल रही है। इसके अतिरिक्त 3 वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों की एक विभागीय जांच समिति भी नियुक्त की गयी है जिसका काम इस घटना की भलीभांति छान-बीन करना, कौन कर्मचारी जिम्मेवार है यह सुनिश्चित करना तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोक-थाम के लिये उपायों की संस्तुति करना है।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा बनाए गए शेड

487. **श्री निहाल सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम द्वारा विभिन्न बस रूटों पर वर्षा से उचने के लिए बनाए गए शेड उनमें दरार पड़ जाने के कारण टपकते हैं।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा आर. सी. सी. छतों वाले कितने शेड बनाए गए है और उन पर कितना खर्च हुआ है; और

(ग) घटिया माल का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी ठेकेदारों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा बनाए गए बरसाती शेडों (बस क्यू शैल्टर) में ऐसी दरारें नहीं हैं जहां से पानी टपकता हो, जब तक कि तोड़फोड़ करने वालों ने उन्हें क्षति न पहुंचाई हो। क्षतिग्रस्त शेडों को

बदलने/उनकी मरम्मतों का कार्य जब और जैसे जरूरत होती है किया जाता है और इस तरह सभी शेड सही हालत में रखे जाते हैं।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम ने 10 वर्ष पहले आर. सी. सी. छत वाले केवल एक बस क्यू शैल्टर की व्यवस्था की थी और उसका निर्माण विभाग द्वारा ही किया गया था। पुराने मामले की वजह से उसके खर्च का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। परन्तु उस समय जो खर्च हुआ था वह अनुमानतः 5000/- रुपये था।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम उस क्षेत्र में बस क्यू शैल्टर बनाता है जो दिल्ली नगर निगम का है। बस शैल्टरों पर ए. सी. सी. की छतें होती हैं और बारिस के पानी की निकासी के लिए उनकी पर्याप्त ढलान होती है। सामान्यतः ए. सी. सी. शैडों में दरारें नहीं आतीं इसलिए वे लीक नहीं करतीं।

2. नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में शैडों की व्यवस्था की गई है और उनका अनुरक्षण नगर पालिका ही कर रही है। इन शैल्टरों पर आर. सी. सी. की छतें हैं। आर. सी. सी. छतों वाले इन शैल्टरों के निर्माण और अनुरक्षण से दिल्ली परिवहन निगम का कोई वास्ता नहीं है।

केन्द्रीय यूनानी औषधियां अनुसंधान परिषद के लिए स्वीकृत अनुदानें

488. **श्री निहाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनानी औषधियों में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद् को 40 जाख रुपये का अनुदान मंजूर किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उन मदों का जिन पर अनुदान की राशि कम की गई है, ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् को 1979-80 के लिए 39.85 लाख रुपये का सहायता अनुदान मंजूर किया गया था।

(ख) यह अनुदान यूनानी चिकित्सा पद्धति की उन योजनाओं के अनुसंधान कार्य पर खर्च किया गया था जिनका अनुमोदन इस परिषद् के अधिशासी निकाय ने किया था। वर्तमान योजनाओं के अलावा दो क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, एक क्लिनिकी अनुसंधान एकक और एक मोबाइल क्लिनिकी अनुसंधान एकक 1979-80 में स्थापित किये गये थे।

पश्चिम रेलवे मुख्य कार्यालय का बम्बई से गांधीनगर को स्थानान्तरण

489. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने कई बार केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि पश्चिम रेलवे के मुख्य कार्यालय को बम्बई से गांधीनगर अन्तरित किया जाये;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम अनुरोध कब किया गया था; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) नवम्बर, 1980 में ।

(ग) पश्चिम रेलवे मुख्यालय बम्बई से अन्यत्र ले जाना प्रशासनिक, परिचालनिक और आर्थिक दृष्टि से वांछनीय नहीं समझा जाता । ऐसा करना कर्मचारियों के हित में नहीं होगा ।

जाखपुरा बांसपानी लाइनें

490. **श्री हरीहर सोरन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास चालू वित्तवर्ष में दाइतोरी से बांसपानी तक जाखपुरा बांसपानी रेल लाइन (उड़ीसा) के दूसरे चरण का निर्माण कार्य आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) जाखपुरा से बांसपानी तक की उपरोक्त रेल लाइन के दूसरे चरण के निर्माण कार्य को पूरा करने की लक्षित तारीख क्या है; और

(घ) तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) जापुरा-बांसपानी रेल सम्पर्क के दूसरे चरण में दैतारी से बांसपानी तक रेलवे लाइन का निर्माण करने के प्रस्ताव पर अभी योजना आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

मदुरै मण्डल में रद्द की गई गाड़ियाँ

491. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की कमी के कारण गत छः महीनों में मदुरै मण्डल में कितनी गाड़ियां रद्द की गई हैं; और

(ख) कोयले की कमी के कारण गाड़ियों को बार-बार रद्द करना रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्किार्जुन): (क) अगस्त, 80 से जनवरी, 81 की अवधि के दौरान कोयले की कमी के कारण मदुरै मंडल पर प्रतिदिन औसतन 10 जोड़ी सवारी गाड़ियां अंशतः अथवा पूर्णतया और 4.3 माल गाड़ियां रद्द की गयी थीं ।

(ख) इस समय देश में भाप कोयले की समग्र उपलब्धता रेलवे और उद्योग दोनों की आवश्यकताओं को पूर्णतया पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है । रेलों को कोयले की ढुलाई और वितरण करने वाली होने के नाते उन शिकायतों पर विचार करना होता है जो उत्तरोत्तर अधिक भाप कोयले की मांग करने वाली विभिन्न औद्योगिक यूनिटों से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्था की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए रेल सेवाओं के

लिए लोको कोयले की सप्लाई में स्वैच्छा से कटौती करनी पड़ी । तथापि कोयले की ढुलाई करने वाली रेलों को अनुदेश दे दिये गए हैं कि रेलों की जावश्यकताओं को पूरा करने के लिए यथोचित सन्तोषजनक स्तर पर कोयले के लदान में वृद्धि करें ।

वैगन निर्माण की क्षमता

492. **श्री मनमोहन टुडु :**

श्री अनादि चरण दास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में वैगन निर्माण की क्षमता यहां के भाड़ा परिवहन में सम्भावित वृद्धि को पूरा करने में समर्थ नहीं है;

(ख) यदि हां, तो वैगनों के अतिरिक्त उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

यातायात सर्वेक्षण प्रतिवेदन

493. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में देश में नैरोगेज लाइन के यातायात सर्वेक्षण प्रतिवेदन की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो ब्रांच लाइन रिपोर्ट पेश किये जाने के पश्चात् मंत्रालय द्वारा किन सिफारिशों पर विचार किया गया तथा क्रियान्विति के लिये स्वीकार किया गया;

(ग) देश में नैरोगेज लाइनों के नाम क्या हैं तथा वे कितनी मील लम्बी हैं;

(घ) उन नैरोगेज लाइनों के नाम क्या हैं जिन्हें अब तक छोटी लाइन और बड़ी लाइन में बदला गया है; और

(ङ) नैरोगेज लाइनों को बदले जाने के बारे में तथा उन्हें पांचवीं योजना तथा छठी योजना में प्राथमिकता देने के बारे में सरकार की क्या नीति हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक बिवरण संलग्न है जिसमें उन छोटी लाइनों के नाम और लम्बाई दिये गये हैं जिनके सर्वेक्षश किये गये हैं और उनको छोटे आमान से बड़े आमान में बदलाव स्वीकार किया जा चुका है ।

(घ) पहली योजना में अंजार और भुज के बीच के खण्ड का छोटी लाइन से मीटर लाइन में बदलाव कर दिया गया था ।

(ङ) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों के अनुसार, मध्य भारत छोटी लाइन प्रणाली तथा कुछ पहाड़ी खण्डों को उनकी इंजीनियरी कुशलता तथा सीमित पर्यटक

यातायात की दृष्टि से छोड़कर एक नीति विषयक उपाय के रूप में छोटे आमान की अन्य सभी लाइनों को बन्द करना बेहतर रहेगा । भारत सरकार के अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

क्र० सं०	विवरण	लम्बाई कि० मी० में	टिप्पणी
1	2	3	4
मध्य रेलवे			
1,	नैराल-माथेरान	20.05	
2.	ग्वालियर-भिंड	83.57	ग्वालियर और भिंड के रास्ते गुना से इटावा तक बड़े आमान की एक नई लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण चल रहा है ।
3.	ग्वालियर-शिवपुर कलां	199.79	
4.	धौलपुर-तांतपुर-मोहारी-सिरमथुरा	88.79	
5.	पचौरा-जामनेर	55.57	
6.	घोंड-वारामनी	43.70	
7.	मिरज-कुडुखाडि-लातूर	325.91	प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था । इसे अलाभप्रद पाया गया ।
8.	पुलगांव.अर्वी	34.43)	सी० पी० रेलवेज कम्पनी के अधिकार में थी लेकिन मध्य रेलवे द्वारा परिचालित थी ।
9.	यवतमल-मुर्तजिपुर-जबलपुर	188.33)	
	जोड़ मध्य रेलवे	1040.14	
पूर्व रेलवे			
1.	शान्तिपुर-नवद्वीपघाट	27.58	छोटी लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण किया गया और अलाभप्रद पाया गया ।

2.	अहमदपुर-कटवा	51.81	
3.	बर्दमान-कटवा	52.26	
	जोड़ पूर्व रेलवे	131.65	
उत्तर रेलवे			
1.	पठानकोट-जोगिन्दरनगर	163.99	
2.	कालका-शिमला	95.57	
	जोड़ उत्तर रेलवे	259.56	
1.	न्यू जलपाईमुड़ी-दार्जिलिंग	87.48	
दक्षिण रेलवे			
1.	बैंगलूरु सिटी-बंगारपैट्टै	148.16	छोटे आमान से बड़े आमान में बदलाव के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण को 1980-81 के बजट में शामिल कर लिया गया है। काम शुरू करने के लिए प्रारम्भिक प्रबन्ध किये जा रहे हैं।
दक्षिण-पूर्व रेलवे			
1.	नौपदा गुनपुर	90.61	
2.	सतपुड़ा रेलवेज	1007.32	1973 में आमान परिवर्तन के लिए सतपुड़ा रेलवेज के उत्तरी भाग का सर्वेक्षण किया गया था। पुन: 1980 के बालाघाट-कटनी सहित गोदिया-जबलपुर खण्डों का छोटे आमान से बड़े आमान में बदलाव के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था। यह पाया गया था कि वित्तीय आर्थिक तथा परिचालनिक दृष्टि से इन खण्डों का बदलाव औचित्य-पूर्ण नहीं है।
3.	पुर्लिया-कोटशिला	36.99	इस लाइन को छोटे आमान से बड़े आमान में बदलने के लिए प्रारम्भिक एवं अन्तिम स्थान निर्धारण तथा इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण को

			1981-82 के बजट में शामिल करने के लिए विचार किया जा रहा है।
4.	रांची-लोहारडागा	69.15	टोरी तक एक नयी बड़ी लाइन सहित इस लाइन के छोटे आमान से बड़े आमान में बदलाव के लिए यातायात जरने के एवं इंजीनियरी सर्वेक्षण का पुनर्मूल्यांकन काम को 1981-82 के बजट में शामिल करने के बारे में विचार किया जा रहा है।
5.	रायपुर-धमतारी 1 राजिम	89.11	रायपुर-धमतारी लाइन का आमान परिवर्तन करने और प्रस्तावित लाइन को बालोद तक बढ़ाने के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण के पुनर्मूल्यांकन का काम 1981-82 के बजट में शामिल किये जाने के बारे में विचार किया जा रहा है।
6.	तुपसा-तालवन्द	89.36	प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का क्षेत्र कार्य पूरा ही चुका है और सर्वेक्षण रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इसके दक्षिण-पूर्व रेलवे से शीघ्र प्राप्त हो जाने की प्रत्याशा है।
7.	बांकुड़ा-रानीनगर	96.48	
	जोड़ दक्षिण-पूर्व रेलवे	1479.02	

पश्चिम रेलवे

1.	छूछापुरा-तनसाला	38.00	गुजरात सरकार के कहने पर पश्चिम रेलवे ने राज्य सरकार की लागत पर एक निक्षेप कार्य के रूप में इन लाइनों का छोटे आमान से बड़े आमान में बदलाव के लिए नया सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया है।
2.	डभोई–छोटा उदयपुर	71.93	
3.	डभोई–विश्वामित्रि	30.55	
4.	अंकलेश्वर–राजपोपला	62.60	
5.	कोसाम्बा–उमरपाडा	61.96	
6.	झगाडिया–नेत्रंग	30.15	
7.	चारांडा–मोती कोरल	18.67	

8.	सामनी–दाहेज	39.28	
9.	गोधरा–लूनावाडा	40.68	
10.	पोपलौद–देवगढ़वारिया	15.11	
11.	जोरावरनगर–संयाला	27.31	
12.	चंपानेर–शिवराजपुर/ पानी माइन्स	49.13	
13.	डभोई–टिम्बा रोड	100.39	
14.	भदाव–जवुसर–कीवा	75.17	
15.	विश्वामित्रि–जंबूरसर	47.70	
16.	चंडोड–डभोई	16.27	
17.	नडियाद–कपडवंज	44.66	इस लाइन का छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलाव एक अनुमोदित कार्य है और नडियाद से पोडासा तक एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण 1978-79 के लिए अनुमादित कार्य का एक भाग है।
18.	नडियाद–भुज–भद्रान	57.69	
19.	बिलीमोरा–वगही	62.72	
20.	मोरवी–घंटीला	43.09	
21.	मोरवी–टंकारा	20.23	
22.	भावनगर–महूवा	108.23	
23.	मियाजाम–करजन–डभोई	32.21	
24.	मियागाम–चोरांडु–पालसर	38.09	
25.	मोरवी–कांकरसेही	1.78	
	जोड़ पश्चिम रेलवे	3134.82	
	कुल जोड़–अखिल भारतीय रेलवे (छोटी लाइन)	4281.13	

छठी योजना के दौरान उड़ीसा में नई रेलवे लाइनें

494. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय का विचार छठी योजना अवधि तथा छठी योजना की वार्षिक योजना में उड़ीसा राज्य में कौन-कौन सी नई रेल लाइनें बिछाने का है;

(ख) उस राज्य में शामिल किए जाने और विचार किए जाने के लिए उनके मन्त्रालय के पास प्रस्तावित रेल लाइन के बारे में क्या सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) उड़ीसा में उन रेल लाइनों के नाम क्या हैं जिनका सर्वेक्षण चल रहा है और जिनके सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं;

(घ) उक्त रेल लाइनों की रिपोर्ट कब तक पूरी होने की संभावना है; और

(ङ) राज्य सरकार ने और उनके मन्त्रालय ने निर्माण के लिए कौन-कौन सी रेल लाइनों को प्राथमिकता दी है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोरापुट-रायगडा बड़ी लाइन को छठी योजना में शामिल किए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है।

(ख) कोरापुट-रायगडा (ब० ला०) रेल सम्पर्क के संबंध में सर्वेक्षण रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और रेल मन्त्रालय के विभिन्न निदेशालयों में इसकी जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) कोई नहीं।

(ङ) कोरापुट-रायगडा लाईन के निर्माण के सम्बन्ध में रेल मन्त्रालय तथा उड़ीसा सरकार आपस में सहमत हैं।

जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं

495. **गिरिधर गोमांगो** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जनहित जातीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं तथा समस्याओं के बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वार्षिक प्रतिवेदनों की सिफारिश की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्यों को अपने जन-जातीय क्षेत्रों के लिए पांचवीं तथा छठी योजना में चिकित्सा सुविधाओं के बारे में कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ग) भिन्न-भिन्न राज्यों द्वारा क्या-क्या चिकित्सा सुविधाएं दी गईं और उनके मन्त्रालय ने पांचवीं और छठी योजना में जन-जातीय क्षेत्रों में कौन-कौन सी योजनाएं तथा कार्यक्रम लागू किए; और

(घ) राज्यों तथा उनके मन्त्रालय ने जन-जातीय उप-योजना क्षेत्रों में पांचवीं तथा छठी योजना की वार्षिक योजना के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध की ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों में राज्य मंत्री : (श्री निहार रंजन लास्कर) :

(क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की सिफारिशों राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पास, गृह मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालय दोनों के द्वारा समुचित कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं। विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में जहां कहीं आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं।

(ग) और (घ) आदिवासी क्षेत्रों में चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संबंध में सूचना विवरण में देखी जा सकती है। छठी योजना (1980–85) में आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों तथा विशेष घटक उप-योजना क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों के लिए दी गई धन राशि की तसवीर

भी उक्त विवरण में दिखा दी गई है । चिकित्सा सुविधाओं के बारे में सूचना तथा आदिवासी क्षेत्रों के लिए राज्यों द्वारा जितने-जितने धन की व्यवस्था की जा रही है, उसकी सूचना राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और उनसे मिलते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

विवरण

केन्द्रीय स्वास्थ्य क्षेत्र

वार्षिक योजना 1981–82 और छठी पंचवर्षीय योजना 1980–85 के दौरान आदिवासी उप-योजना और विशेष घटक उप-योजना क्षेत्रों के लिए दी जा रही राशि की रूप रेखा ।

क्रम सं०	योजना	आदिवासी उप-योजना 1980–85	1981–82	विशेष घटक 1980–85	उप-योजना 1981–82
1	2	3	4	5	6
1.	जन स्वास्थ्य रक्षक	3540.15	556.70	—	—
2.	बहुउद्देशीय कार्यकर्त्ता	685.98	152.15	—	—
3.	राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण (ग्रामीण)	4014.50	938.15	4933.34	1133.21
4.	टी० बी०	112.24	25.51	208.87	47.47
5.	कुष्ठ	455.00	38.00	—	—
6.	फाइलेरिया	13.39	2.47	21.23	3.93
7.	संघ शासित क्षेत्रों में स्कूल स्वास्थ्य	1.77	0.42	—	—
8.	संघ शासित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो	6.30	1.30	2.22	0.47
9.	संघ शासित क्षेत्रों के आदिवासी खंडों में परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों/होम्योपैथी के औषधालय	3.00	0.48	—	—
10.	संभोगजनित रोगों पर नियंत्रण, प्रशिक्षार्थियों के स्टाईपेंड सहित	6.92	0.79	9.88	1.21

1	2	3	4	5	6
11.	पेचिश संबंधी रोगों के नियंत्रण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिक्षा	6.00	1.50	—	—
12.	केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची	3.63	0.46	—	—
13.	120 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय छात्रवृत्ति योजना	2.50	0.50	5.00	1.00
14.	परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से न्यूक्लीयर मेडिसन के क्षेत्र में अध्ययन	—	0.03	—	0.02
15.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, पांडिचेरी	12.58	2.67	—	—
16.	स्वास्थ्य संबंधी रूप रेखा और आदिवासी जाति के लिए स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान अध्ययन केन्द्र	15.00	3.97	15.00	3.98
17.	स्वास्थ्य आसूचना	8.93	3.11	8.93	3.11
18.	अनुसूचित जन जाति/अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ योजना सेल	2.14	0.48	—	—
19.	आयुर्वेद एवं अनुसंधान का उच्च स्तरीय अध्ययन संस्थान, केरल	3.00	—	2.00	—
20.	आयुर्वेद और सिद्धकी केन्द्रीय अनुसंधान परिषद	20.00	3.00	12.00	2.00
21.	केन्द्रीय नानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद	17.00	4.00	53.00	10.00
22.	केन्द्रीय होम्योंपैथी अनुसंधान परिषद	36.40	4.00	166.00	—

तेल माल के उतार-चढ़ाव के लिए प्राधिकृत पत्तन

496. **श्री राम मोहन देव** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन पत्तनों को तेल माल के उतार-चढ़ाव के लिए प्राधिकृत किया गया है; और

(ख) तेल माल के उतार-चढ़ाव के लिए अन्य पत्तनों को अनुमति न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) तेल के माल (सम्भवत: पेट्रोल तेल तथा लुब्रीकेट) के उतारने-चढ़ाने का काम बम्बई, कांडला, न्यू मंगलौर, मार्मुगाओ, कोचीन, मद्रास, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम तथा कलकत्ता/हल्दिया पत्तनों पर होता है ।

(ख) केवल परादीप पत्तन पर तेल के उतारने-चढ़ाने का काम नहीं होता । इसका कारण यह है कि यहां तेल को उतारने-चढ़ाने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ।

बरक नदी पर रेल पुल

497. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **रेल मंत्री** यह बतासे की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को एन० ई० सी० अथवा असम सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि मासूमदर बाजार और थूतपट्टी के बीच बरक नदी पर प्रस्तावित रेल पुल की योजना में संशोधन किया जाये और उसे रेल एवं सड़क पुल के रूप में बनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, आसाम सरकार के आपूर्ति मंत्री द्वारा एक ज्ञापन रेल मंत्री को जुलाई, 1979 में दिया गया था ।

(ख) रेल एवं सड़क पुल की व्यवस्था करवाने के लिए आसाम राज्य सरकार से अपने हिस्से की 1.6 करोड़ रुपये की लागत जमा कराने के लिए नवम्बर, 1979 में कहा गया था । आसाम सरकार से अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

बारक वैली गाड़ी को बांगई गांव तक बढ़ाना

498. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारक वैली गाड़ी को बोंगई गांव तक बढ़ाने का विचार है ताकि गोहाटी में यानान्तरण किये बिना ही यात्री बड़ी लाइन तक पहुंच सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लौंका-बिहारा लाइन

499. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लुमडिंग और बदरपुर के बीच वैकल्पिक रेल मार्ग की व्यवस्था करने के लिए लौंका से बिहारा तक की नई रेल लाइन के लिये सर्वेक्षण का प्रस्ताव था; और

(ख) इस मार्ग पर रेल परिवहन विकसित करने के लिये और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) गुवाहटी से बदरपुर तक एक वैकल्पिक बड़ी लाइन मार्ग के प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण करने तथा लमडिंग-बदरपुर हिल रोड में चरणबद्ध रूप में लाइन क्षमता में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त यातायात सुविधाएं सम्बन्धी प्रस्ताव पर सक्रिय विचार किया जा रहा है।

भारतीय अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे

500. **श्री चिरंजीलाल शर्मा :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के सचिव तथा अन्य अधिकारियों ने वर्ष 1980 के दौरान कितने विदेशी दौरे किए और उक्त अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(ख) उनके उक्त विदेशी दौरों पर कितनी राशि खर्च हुई ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री शिव शंकर) : (क) और (ख) इन विदेश यात्राओं के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	1980 के दौरान की गई यात्राओं की संख्या	इन यात्राओं पर किया गया लगभग कुल व्यय
1	2	3	4
	भाग I–सचिव		
1.	श्री आर. डी. साठे (विदेश सचिव)	9	रु. 1,18,226.50
2.	श्री एरिक गोंसाल्वेज (सचिव पूर्व)	9	,, 2,12,752.08
3.	श्री आर. भण्डारी, सचिव (आर्थिक संबंध)	9	,, 3,58,056.63
4.	श्री जे. एस. मेहता (सचिव)	1	,, 57,002.86
		भाग I का कुल जोड़ :	रु. 7,46,038.07

भाग II—अन्य अधिकारी

1	2	3	4
1.	श्री एस. के. सिंह	3	रु. 34,410.04
2.	श्री एन. कृष्णन	7	,, 1,29,986.70
3.	डा. एस. पी. जगोता	4	,, 80,428.30
4.	श्री बी. सी. मिश्र	3	,, 41,211.76
5.	श्री ए. पी. वैंकटेश्वरन	2	,, 68,693.20
6.	श्री पी. जौहरी	2	,, 13,412.73
7.	श्री जे. एन. दीक्षित	3	,, 31,900.82
8.	श्री सी. दास गुप्ता	2	,, 826.64
9.	श्री एस. वी. पुरुषोत्तम	2	,, 44,396.68
10.	श्री सी. आर. गारेखां	2	,, 84,475.36
11.	श्री के. के. भार्गव	4	,, 80,235.87
12.	श्री आर. सी. अरोड़ा	2	,, 34,658.72
13.	श्री ए. आर. देव	2	,, 11,799.86
14.	श्री ए. एन. राम	6	,, 13,933.78
15.	श्री गौरी शंकर	3	,, 30,915.61
16.	श्री आर. पटनायक	7	,, 1,05,235.43
17.	श्री ए. बी. पटवर्धन	4	,, 41,862.49
18.	श्री एम. एल. सूरी	2	,, 43,870.44
19.	श्री एस. एल. मलिक	5	,, 69,955.09
20.	श्री दलीप मेहता	2	,, 7,007.99
21.	श्री आर. के. दीक्षित	5	,, 60,354.39
22.	श्रीमती नीना सिबल	2	,, 24,828.73
23.	श्री ए. मुबई	2	,, 41,398.50
24.	श्री स्वषपावन सिंह	2	,, 3,922.80
25.	श्री राजीव के. भाटिया	2	,, 8,497.86
26.	श्री एम०. वी. ओक	2	,, 21,756.20
27.	श्री ए. बनर्जी	5	,, 82,939.79
28.	श्री राजीव डोगरा	2	,, 23,798.27

1	2	3	4
29.	डॉ. संगत सिंह	2	,, 24,484.35
30.	डॉ. वेंकटरमैया	2	,, 50,895.65
31,	श्री भीमसेन राव	2	,, 43,675.70
32.	श्री बी. के. भाटिया	3	,, 67,404.45
33.	श्री पी. एल. आनन्द	5	,, 42,269.31
34.	श्री जे. डी. एम. गुप्ता	2	,, 2,969.72
35.	श्री दर्शन सिंह	2	,, 2,353.45
36.	श्रीमती मीरा शंकर	2	,, 2,106.82
37.	श्री जे. आर. हीरेमठ	1	,, 19,096.85
38.	श्री के. नटवर सिंह	1	,, 38,095.36
39.	श्री आई. पी. खोसला	1	,, 17,860.82
40.	श्री के. दोषी	1	,, 40,227.66
41.	श्री के. डी. शर्मा	1	,, 9,693.74
42.	श्री एम. एच. अन्सारी	1	रु. 10,080.00
43.	श्री एस. के. अरोड़ा	1	,, 8,530.00
44.	श्रीमती निर्मला प्रसाद	1	,, 2,272.79
45.	श्री वी. सी. खन्ना	1	,, 22,896.13
46.	श्री निगम प्रकाश	1	,, 15,626.00
47.	श्री रजनीकान्त वर्मा	1	,, 39,680.00
48.	श्री देव मुखर्जी	1	,, 36,429.55
49.	श्री जी. एन. राव	1	,, 3,035.22
50.	श्री. ए. एन. अय्यंकर	1	,, 25,815.60
51.	श्री के. पी. जैन	1	,, 4,526.69
52.	श्री प्रभाकर मेनन	1	,, 19,037.37
53.	श्री आर. एस. काल्हा	1	,, 12,500.00
54.	श्री मनवेन्द्र शाह	1	,, 8,500.00
55.	श्री श्याम सरन	1	,, 34,000.00
56.	श्री बी. आर. जस्सल	1	,, 2,152.00

1	2	3	4
57.	श्री नलिन सूरी	1	,, 8,822.75
58.	श्री एन. सेन	1	,, 14,823.25
59.	श्री एस. टी. विजयराघवन	1	,, 3,220.00
60.	श्री. जी. एस. राजू	1	,, 11,253.78
61.	श्री एस. एस. गिल	1	,, 16,120.47
62.	श्रीमती लक्ष्मी पुरी	1	,, 1,692.87
63.	श्री भास्कर मित्र	1	,, 5,443.60
64.	श्री एच. एल. थापर	1	,, 5,885,44
65.	श्री एम. बी. तुली	1	,, 5,520.60
66.	श्री एस. बी. सिंह	1	,, 20,042.42
67.	कुमारी एस. गांगुली	1	,, 6,297.05
68.	श्री आर. पी. दुआ	1	,, 29,058.45
69.	श्री बी, एस. प्रकाश	1	,, 12,091.13
70.	श्री बी. पी. सिंह	1	,, 42,836.00
71.	श्री जी. एस. भाटिया	1	,, 17,693.00
72.	श्री एस. एम. वाई. नदीम	1	,, 11,448.00
73.	श्री पी. वी. सचदेव	1	,, 1,305.64
74.	श्री डी. के. जैन	1	,, 1,876.00
75.	श्री बचन सिंह	1	,, 893.78
76.	श्री बर्जिन्दर सिंह	1	,, 1,621.62
77.	श्री गुरदयाल सिंह	1	,, 1,456.37
78.	श्री ओ. पी. बत्रा	1	,, 800.59
79.	श्री एस. एस. सचदेव	1	,, 3,220.00
80.	श्री अजैब सिंह पुनिया	1	,, 4,120.00
81.	श्री सी. के. बनर्जी	1	,, 3,220.00
82.	श्री जय किशन शर्मा	1	,, 3,220.00
83.	श्री विजय कुमार	1	,, 3,823.53
84.	कुमारी सान्ता बाली	1	,, 3,964.23
85.	श्री एच. एस. पुरी	1	,, 28,116.03
		भाग II का कुल जोड़ :	रु. 21,13,215.88

भाग I का जोड़ : रु. 7,46,038.07

भाग II का जोड़ : रु. 21,13,215.88

कुल जोड़ : रु. 28,59,253.95

नई चेसिसों के लिए ठेका

501 **श्रीमती मोहसिना किदवई :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई चेसिसों के ठेकों को केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों, बेरोज़गार, स्नातकों, भूतपूर्व सैनिकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को देने का निर्णय किया गया था, और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (सरदार बूटासिंह) : (क) और (ख) संभवतः, माननीय सदस्य का आशय दिल्ली परिवहन निगम से है । स्थिति निम्न प्रकार है :

दिल्ली परिवहन निगम ने अपने बेड़े में 250 नई प्राईवेट बसें शामिल करने का फैसला किया है । इन बसों के आकार इत्यादि से संबंधित सभी विशिष्टियां और उनका रंग (दिल्ली परिवहन निगम की बसों से भिन्न रंग) दिल्ली परिवहन निगम की बसों से मिलता-जुलता होगा। इसलिए, दिल्ली परिवहन निगम इन बसों के लिए चेसिस प्राप्त करने में प्राइवेट आपरेटरों की सहायता करेगा । इसके लिए, आवेदनपत्र आमन्त्रित किए गए थे । कुल मिलाकर 2041 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं । आवेदनकर्त्ताओं को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है :

1. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आवेदनकर्ता
2. भूतपूर्व सैनिकों,
3. बेरोजगार स्नातक,
4. वे व्यक्ति जो दिल्ली परिवहन निगम के अधीन 8 साल पुरानी और 8 साल से अधिक पुरानी बसें चला रहे हैं; और
5. सामान्य श्रेणी ।

दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड द्वारा अभी इस बात पर फैसला किया जाना बाकी है कि प्रत्येक श्रेणी को किस-किस माडल का चेसिस दिया जाए ।

अरब-लीग का राजनयिक दर्जा

502. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अरब देशों के संघ के शिष्टमण्डल को किसी प्रकार का राजनयिक अथवा सरकार द्वारा मान्य अन्य कोई दर्जा प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो मान्यता का स्वरूप क्या है;

(ग) मान्यता कब दी गई थी;

(घ) उक्त मान्यता की शर्तें क्या हैं; और

(ङ) नई दिल्ली में उक्त शिष्टमण्डल को प्रदान की गई विशेष सुविधाएं और रियायतों का विवरण क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शिव शंकर) : (क) से (ङ) अरब राज्यों के संघ का एक कार्यालय 1965 से दिल्ली में काम कर रहा है। अरब संघ द्वारा इस कार्यालय में तैनात किए गए मुख्य प्रतिनिधि तथा अन्य अधिकारियों को वही विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जो संयुक्त राष्ट्र तथा उसके विशिष्ट अभिकरणों के अधिकारियों को मिलती हैं। यह सुविधा काहिरा में तत्कालीन भारतीय राजदूत तथा पूर्ववर्ती अरब राज्य संघ के प्रधान के बीच 12 जुलाई, 1965 को हर पत्रों के आदान-प्रदान के अनुसार दी गयी हैं। पत्रों के आदान-प्रदान की एक प्रति संलग्न है।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1848 81)

परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को मार्गदर्शी नियम

503. **श्री राम चन्द्र रथ** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कलयाण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को केन्द्रीय मार्गदर्शी नियम भेज दिये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा उस राज्य में जनसंख्या की वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य राज्यों की तरह, उड़ीसा में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम न केवल शिक्षा और प्रेरणा संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे का प्रबन्ध करके ही चलाया जा रहा है, अपितु इसके लिए अच्छी सेवाएं और बाद में पर्याप्त देखभाल की भी व्यवस्था की जा रही है। इस कार्यक्रम के हर क्षेत्र की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। ताकि उपचारी उपाय काम में लाए जा सकें। लोगों के मौजूदा बच्चे जीवित रहेंगे, इस आश्वासन से जनन-दर पर निश्चित रूप से असर पड़ता है और इसीलिए जच्चा बच्चा स्वास्थ्य योजनाओं पर काफी जोर दिया जाता है।

लोको रनिंग कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से बीमारी की छुट्टी लिया जाना

504. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्राईवरों सहित लोको रनिंग कर्मचारियों के एक वर्ग ने दक्षिण रेलवे के पालघाट तथा त्रिवेन्द्रम डिवीजनों में 25/26 जनवरी 1981 को अथवा उसके लगभग सामूहिक रूप से बीमारी की छुट्टी का आन्दोलन किया था;

(ख) यदि हां, तो आन्दोलनों के क्या कारण हैं तथा कर्मचारियों की मांगें क्या हैं, और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दक्षिण रेलवे के पालघाट मंडल के रनिंग कर्मचारी कोच्चीन हार्बर टर्मिनस कम्पलैक्स में अनेक वर्षों से गाड़ियों के संचालन का काम कर रहे थे जो कि परिचालनिक दृष्टि से अनिवार्य था और रनिंग कर्मचारियों द्वारा, निर्धारित नियमों का किसी तरह से उल्लंघन नहीं किया गया। कुछ रनिंग कर्मचारियों ने इस परिपाटी के विरोध में कोच्चीन हार्बर टर्मिनस तक गाड़ियों का संचालन स्पष्ट चेतावनी के बावजूद अचानक बन्द कर दिया। इसलिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का कथित विरोध करने के लिए पालघाट मंडल के कुछ लोको रनिंग कर्मचारियों ने 25-1-1981 से बीमारी की सूचना देनी शुरू कर दी।

(ग) कुछ लोको रनिंग कर्मचारियों द्वारा जान बूझकर गाड़ी संचलन को अस्त-व्यस्त करने के प्रयास, जिससे समाज के लिए अनिवार्य वस्तुओं की ढुलाई पर प्रभाव पड़ता है, को रोकने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

अस्पतालों में प्रसाविका के चयन की कसौटी

505. **श्री के० मालन्ना** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : अस्पतालों में प्रसाविका अथवा महिला प्रचारिका के प्रशिक्षण के लिए चयन हेतु कसौटी क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निभागों में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर): भारत में मिडवाइफों को अलग से कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। अर्हता प्राप्त तथा रजिस्टर्ड नर्स को ही मिडवाइफरी प्रशिक्षण दिया जाता है या फिर इसे सहायक नर्स मिडवाइफरी पाठ्यक्रम के साथ जोड़ दिया जाता है और जिसके लिए किसी उम्मीदवार को मेट्रिकुलेट अथवा इसके समकक्ष होना चाहिए।

महिला परिचरों के लिए सरकार के अस्पतालों के किसी भी केन्द्र में ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता।

न्यास बोर्डों तथा प्रमुख पत्तन न्यास बोर्डों के लिए सदस्यों के मनोनयन सम्बन्धी प्रावधान

5०6. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख पत्तन न्यास बोर्डों के लिए सदस्यों के मनोनयन सम्बन्धी प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी प्रमुख पत्तन बोर्ड में किसी संसद सदस्य को भी नामांकित किया जाता है; और

(ग) कितने प्रमुख पत्तन न्यास बोर्डों में संसद पत्तन के सदस्यों के रूप में कार्यरत हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 के अध्याय 11 में महा पत्तन न्यास बोर्डों में व्यक्तियों के नियुक्ति/मनोनयन सम्बन्धी प्रवधान हैं।

(ख) कोई भी संसद सदस्य किसी भी पत्तन न्याय बोर्ड में व्यक्तिगत हैसियत से नियुक्त नहीं किया गया है। परन्तु कुछ संसद सदस्य, पत्तन पर काम करने वाले श्रमिकों के प्रतिनिधियों की हैसियत से नियुक्त किए गये हैं।

(ग) इस समय दो संसद सदस्य श्रमिकों के प्रतिनिधियों के रूप में पत्तन न्यासों में (मद्रास और बम्बई में एक-एक) न्यासी है।

रेल मंत्रालय में नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या

507. **श्री जयनारायण रोट** : क्या **रेल मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि : मंत्रालय में अब तक नियुक्त कियें गये अनुसूचित जनजाति के श्रेणी चार, श्रेणी तीन, श्रेण दो के अराजपत्रित कर्मचारी तथा श्रेणी दो के राजपत्रित अधिकारी तथा श्रेणी एक के राजपत्रित अधिकारियों की संख्या क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : 31.12.1980 को रेल मन्त्रालय में विभिन्न कोटियों में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

श्रेणी 1	2
श्रेणी 2	7
श्रेणी 3	23
श्रेणी 4	4

पुरना-खण्डवा लाइन पर वसूल किया जाने वाला अतिरिक्त भाड़ा

508. **श्री उत्तम राठौर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे अन्य मार्गों की अपेक्षा पुरना-खण्डवा लाइन पर वास्तविक तय की गई दूरी के लिए अतिरिक्त भाड़ा वसूल करता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लोगों ने इस अतिरिक्त भाड़े को न लगाए जाने के लिए अनेक बार अभ्यावेदन किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) कोई अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाता है लेकिन खंडवा-पूर्वी लाइन के खंडवा-हिंगोली भाग पर किराया वास्तविक दूरी के किराये 33⅓ प्रतिशत वृद्धि करके लिया जाता है।

(ख) खंडवा-हिंगोली भाग पर दूरी बढ़ाकर जो अधिक किराया लिया जाता है, उसके विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) यह वृद्धि अभी भी जारी है क्योंकि यह लाइन घाटे पर चल रही है।

यात्री तथा माल परिवहन

510. **श्री धर्मवीर सिन्हा :**

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में यात्री और माल परिवहन में विषमताओं को दूर करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) संभवतः यहां आशय किराया, भाड़ा और मार्ग-कर की उन दरों से है जो विभिन्न राज्यों में इस समय प्रचलित हैं। इनकी दरों को निश्चित करने का काम राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन दरों में विभिन्नता परिचालन की लागत में विभिन्नता के कारण है जो सामग्री की कीमत के अलावा स्थानीय परिस्थिति पर भी निर्भर करती है।

वनस्पति निर्माताओं को विटामिन "ए" का प्रयोग न करने की अनुमति

511. **श्री धर्मवीर सिंह :**

श्री पी० के० कोडियन :

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस आशय की एक अधिसूचना जारी की थी कि वनस्पति निर्माता उत्पादन तैयार करने में विटामिन "ए" की उपेक्षा कर सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) जी, नहीं। वैसे, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के उपबन्धों के अन्तर्गत वनस्पति के लिए निर्धारित किए गए मानकों से प्रतिग्राम 25 आई० यू० संश्लिष्ट विटामिन "ए" की न्यूनतम अपेक्षाओं को हटाने के प्रस्ताव पर जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

(ख) यह प्रस्ताव विशेषज्ञों की इस राय पर आधारित है कि वनस्पति में मिलाये गये विटामिन "ए" की अधिकांश मात्रा पकाने और तलने के समय नष्ट हो जाती है।

पश्चिम एशिया और खाड़ी-क्षेत्रों में अमरीका के साथ सैनिक समझौते किए जाना

512. **श्री एस. एम. कृष्ण : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की आशा की जाती है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउलहक ने पश्चिमी एशिया और फारस की खाड़ी के देशों की अपनी वर्तमान यात्रा के दौरान पश्चिम एशिया

और खाड़ी क्षेत्रों में अमरीका के साथ सैनिक समझौते करने से सम्बन्धित विशिष्ट मुद्दों पर बातचीत की है;

(ख) क्या यह नया क्षेत्रीय गुट "सेन्ट्रल ट्रीटी आर्गेनाइजेशन" जो अब रिष्क्रिय हो गई है, का स्थान लेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस नये सैनिक समझौते पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शिव शंकर) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउलहक ने 11 जनवरी से 17 जनवरी 1981 तक तुर्की, कुवैत, बहरीन, कातार, जोर्डन और ओमान की यात्रा की थी । सरकार ने इस आशय की खबरें भी अखबारों में देखी हैं कि राष्ट्रपति जिया ने सैन्टो की तरह के मध्यपूर्व संगठन की स्थापना के बारे में समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की । राष्ट्रपति जिया ने इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने अपनी इन यात्राओं के दौरान इस विषय में विचार विमर्श किया है ।

(ग) सैनिक संधियों/गुटों के बारे में सरकार के विचार सुविदित हैं और वह अब भी इन सैनिक संधियों के विरुद्ध है क्योंकि इनसे स्थिति में अस्थिरता आ सकती है, इनसे बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वन्दिता बढ़ती है और सम्बद्ध क्षेत्र में नए तनाव पैदा होते हैं ।

लेखा विभाग के अनुभाग अधिकारी

513. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा विभाग के अनुभाग अधिकारियों को महालेखा परीक्षक के लेखा-परीक्षा विभाग में अपने समवर्तियों के समान ही सभी लाभ नहीं मिलते हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) लेखा विभाग के अनुभाग अधिकारी को वही वेतनमान और सेलेक्शन ग्रेड दिये गए हैं जो लेखा परीक्षा विभाग में उनके समवर्तियों को दिए गए हैं । फिर भी, उन्होंने लेखा परीक्षा विभाग के समान ग्रुप 'बी' में पदोन्नति देने के संबंध में(1) उच्च वेतनमान के पदों का अनुपात निर्धारित करने (11) लिखित और मौखिक परीक्षा लिए वगैर वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति देने के संबंध में समानता लाने के लिए एक ज्ञापन दिया था ।

(ग) इस मांग पर विचार किया गया लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया ।

एशियाई खेलों (एशियाड) के लिए यातायात और परिवहन को सुगम बनाने के लिए परियोजनाएं

514. **श्री अटल विहारी वाजपेयी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में होने वाले एशियाई खेलों (एशियड) के अवसर पर यातायात और परिवहन को सुगम बनाने के लिए कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं;

(ख) प्रत्येक काम को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि खर्च की जायेगी और कितना समय निर्धारित किया गया है; और

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) राजधानी में स्थानीय अधिकरणों द्वारा अर्थात् दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है ताकि 1982 में दिल्ली में होने वाली एशियन गेम्ज के अवसर पर परिवहन और यातायात की सुविधा हो सके। कार्यों, उनकी लागत, वे कब तक पूरे होंगे और कार्यों की प्रगति आदि का ब्यौरा जहां तक दिल्ली प्रशासन का सम्बन्ध है, विवरण-1 में दिया गया है, जहां तक दिल्ली नगर निगम का संबंध है, ब्यौरा विवरण-11 में दिया गया है, और जहां तक नई दिल्ली नगर पालिका का सम्बन्ध है, ब्यौरा विवरण-111 में दिया गया है। विभिन्न राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रमों दिल्ली परिवहन निगम और आई० टी० डी० सी० के साथ अलग से विचार विमर्श करके खेलों में भाग लेने वालों तथा दर्शकों दोनों के लिए ट्रांसपोर्टर की व्यवस्था की जा रही है। इन निगमों की गाड़ियों में नियोजित वृद्धि से यह आवश्कयता पूरी हो जाने की संभावना है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1849/81)

भारतीय जहाजरानी निगम और यूगोस्लाविया क्या शिपयार्ड के बीच विवाद का निपटान

515. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया की सरकार ने भारतीय जहाजरानी निगम तथा उस देश की "उल्जैनिक" शिपयार्ड के बीच के उस विवाद का निपटान करने के लिए अनुरोध किया है, जो "उल्जैनिक" शिपयार्ड द्वारा भारतीय जहाजरानी निगम को मई, 1979 से फरवरी, 1980 के बीच दिए जाने वाले चार मालवाहक जहाज सौंपने को अस्वीकार करने से उत्पन्न हो गया है;

(ख) मध्यस्थ पंचाट के अंतर्गत भारतीय जहाजरानी निगम को कितने जुर्माने का भुगतान करना था; और

(ग) पंचाट की शर्तें क्या थीं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) चार माल जहाजों की सुपुर्दगी के बारे में अल्जानिक शिपयार्ड, पुला, युगोस्लाविया और भारतीय नौवहन निगम के बीच चल रहे विवाद को हल करने के लिए उल्जानिक शिपयार्ड ने बेलग्रेड स्थित भारतीय राजदूत के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध किया है। सरकार ने विवाद को सुलझाने से सम्बन्धित प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) और (ग) मध्यस्थता अधिनिर्णय के अधीन भारतीय निगम को कोई जुर्माना या दण्ड नहीं देना पड़ा। अधिनिर्णय की शर्तें इस प्रकार थीं :

(क) कि शिपयार्ड जहाज का निर्माण यथाशीघ्र पूरा करे और हानियों के लिए समायोजित किए गए खरीद मूल्य की अन्तिम किश्तें अदा करने के बारे में की गयी शर्तों के अनुसार सम्बन्धित मांगकर्ता को जहाज बनाकर दे;

(ख) कि जहाज बनाकर देने में हुई देरी के लिए करार की धारा XII के अधीन जहाज के खरीद मूल्य में 721,000 अमरीकी डालर की कमी की जाए और धारा V (2) (ङ) के उपबन्धों के अनुसार इस राशि का समायोजन किया जाय;

(ग) कि जहां तक जहाज के खरीद मूल्य का सम्बन्ध है, जहाज और उसके सभी पुर्जे मांगकर्त्ता की स्वतंत्र और अनन्य सम्पत्ति है और इसलिए, मांगकर्त्ता की लिखित इजाज़त के बगैर जहाज या उसके किसी पुर्जे को जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, निपटाने या बेचने का कोई अधिकार शिपयार्ड को नहीं है । लेकिन, करार की शर्तों के अधीन रहते हुए शिपयार्ड मांगकर्त्ता के लिए जहाज बनाने का काम पूरा करने और उसे बनाकर देने के लिए ऐसा कर सकता है ।

(घ) कि यार्ड इस अधिनिर्णय की तारीख से 60 दिन के भीतर जहाज का निर्माण पूरा करेगा और करार के उपबन्धों का विधिवत् पालन करेगा । इस तारीख के बीत जाने के बाद मांगकर्त्ता को पूरी आजादी होगी कि वह अपना जहाज प्रतिवादी के यार्ड से हटाकर उसका निर्माण अन्यत्र किसी और शिपयार्ड में पूरा करवा ले । यह काम कैसे होगा, इसका निर्णय अधिनिर्णायक द्वारा बाद में उसी वक्त किया जाएगा; और

(ङ) उक्त अधिनिर्णय पर जो खर्च आएगा, उसकी अदायगी यार्ड को करनी होगी ।

पत्तनों पर माल का सुचारु रूप से उतार-चढ़ाव

516. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

श्री जगदीश टाइटलर :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री जनार्दन पुजारी : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नौवहन उद्योग की मालवाहक क्षमता बढ़ाने की कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) मालवाहक जहाजों की माल-ढुलाई क्षमता बढ़ाने के बाद पत्तनों पर माल सुचारु रूप से उतार-चढ़ाव सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख)

जी, हां । छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश के लिए कुल 7.5 मिलियन जी. आर. टी. का लक्ष्य बनाया गया है ।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में बड़े पत्तनों की आधारभूत सुविधाओं का विकास करने पर बल दिया गया है । इसके लिए विभिन्न स्कीमों में बर्थों का निर्माण, कंटेनरों के माल को रखने-उठाने के उपकरण और जलयान प्राप्त करना तथा मद्रास और न्हावाशेवा में टर्मिनलों के निर्माण का काम शामिल है ।

भारतीय नाविकों के लिए अधिक मजूरी

517. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल यूनियन आफ सीफ अरर्स आफ इण्डिया ने उनको एक ज्ञापन दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय नाविकों के लिए अधिक मजूरी दिए जाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो मजूरी के बारे में क्या विशिष्ट मांग की गई है;

(ग) क्या सरकार मांग को स्वीकार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) नेशनल यूनियन आफ सीफेयरर्ज आफ इण्डिता बम्बई ने भारतीय नाविकों की आवश्यकताओं पर आधारित न्यूनतम वेतन देने का अनुरोध किया है ।

(ग) से (ङ) विदेशगामी सभी भारतीय रेटिगो (नाविकों) की, चाहे वे भारतीय जहाजों पर काम करते हा, चाहे विदेशी जहाजों पर, वेतन और सेवा शर्तें नेशनल मैरिटाईम बोर्ड द्वारा तय की जाती हैं । यह एक द्विपक्षीय मशीनरी है जिसमें भारतीय नाविकों और जहाज मालिकों के प्रतिनिधि होते हैं । नेशनल मैरिटाईम बोर्ड ने अभी हाल ही में भारतीय नाविकों के वेतन में संशोधन किया है ।

लापता भारतीय सैनिकों की खोज के लिए पाकिस्तान द्वारा पेशकश

518. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** :

स्वामी इन्द्रवेश :

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री राम विलास पासवान : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन लापता भारतीय सैनिकों, जिन्हें समझा जाता है कि वे अभी भी पाकिस्तान में हैं, की पुनः खोज के लिए पाकिस्तान सरकार ने सहयोग देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी और पुनः खोज करवाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शिवशंकर): (क) से (ग) 1971 के भारत-पाक संघर्ष के समय से 40 रक्षा कार्मिक लापता हैं और ऐसा समझा जाता है कि ये पाकिस्तानी जेलों में बन्द हैं। सरकार ने कई अवसरों पर उनकी रिहाई और प्रत्यावर्तन के प्रश्न को पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया है। स्वयं प्रधान मन्त्री ने पाकिस्तान के विदेश मन्त्री को जुलाई, 1980 की भारत यात्रा के दौरान और इस महीने के शुरू में भी इस मामले को उठाया था।

पाकिस्तान की सरकार का कहना यह रहा है कि पाकिस्तान की जेलों में कोई भारतीय सैनिक कार्मिक नहीं है। हम यह मानने के लिए तैयार नहीं और हमने उस सूचना से उनको अवगत कराया है जो हमारे पास उपलब्ध है और जिससे यह पता चलता है कि बहुत संभव है कि पाकिस्यान की जेलों में अभी भी कुछ भारतीय सैनिक कार्मिक नजरबन्द हैं। हमने पाकिस्तान की सरकार से अनुरोध किया है कि हमने उसे जो सूचना दी है, उसके आधार पर वह इस मामले की छानबीन करे।

लीबिया के राजनयिक द्वारा इसकी दूतावास में शरण लेना

519. **श्री चन्द्रजीत यादव :**

श्री रशीद मसूद :

श्री राम विलास पासवान : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में एक लीबियाई राजनयिक द्वारा अपने देश से अलग होने के बाद उसने इस तथ्य के बावजूद इराकी दूतावास में शरण मांगी कि सरकार ने विदेशी दूतावासों को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि किसी व्यक्ति को राजनैतिक शरण न दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्री (श्री शिव शंकर) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीन द्वारा काश्मीर के मामले में पाकिस्तान का समर्थन

520. **श्री चन्द्रजीत यादव :**

श्री रशीद मशूद :

श्री रामविलास पासवान : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान के विदेश मन्त्री की हाल की चीन यात्रा के दौरान उस देश द्वारा काश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों के आधार पर तय किए जाने के लिए पाकिस्तान को अपने पूरे समर्थन के बारे में दिए गए आश्वासनों का पता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस बारे में विशेष रूप से भारत के चीन के साथ अपने सम्बन्ध सामान्य बनाने के प्रयासों के संदर्भ में, क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शिव शंकर) : (क) चीन की सरकारी समाचार एजेंसी (न्यू चाइना न्यूज एजेंसी) की खबर के अनुसार 24 दिसम्बर, 1980 को पाकिस्तान के सम्मान में दिए गए भोज के अवसर पर चीन के विदेश मन्त्री, श्री हुआंग हुआ ने अपने भाषण में कहा था : "हम, पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने और बढ़ाने की आपकी नीति की सराहना करते हैं और शिमला समझौते की भावना तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्बद्ध संकल्पों के अनुसार काश्मीर समस्या के उचित हल ढूंढने के लिए आपके प्रयत्नों का समर्थन करते हैं।"

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में हाल ही में दिए गए अपने वक्तव्य में मैंने इस सुविदित तथ्य को दोहराया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर के प्रश्न पर जो भी संकल्प पास किए गए हों, अब उनका कोई महत्व नहीं रह गया है। हमें आशा है कि पाकिस्तान और तीसरे देश भी मानेंगे कि शिमला समझौते का सार यह है कि दोनों देशों के बीच की सभी समस्यायें आपसी बातचीत से ही हल की जानी चाहियें। इस संदर्भ में स्मरणीय है कि 21 जून, 1980 को एक भारतीय सम्वाददाता से बातचीत करते हुए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष श्री डेंग जियाओपिंग ने यह कहा बताया जाता है कि काश्मीर एक ऐसा प्रश्न है जिसका सम्बन्ध केवल भारत और पाकिस्तान से ही है।

गुट-निरपेक्ष देशों के समक्ष हिन्द महासागर का मामला उठाना

521. **श्री चन्द्रजीत यादव :**

श्री बी. बी. देसाई : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय क्षेत्रों से यह मांग की गई है कि हिन्द महासागर में निरन्तर हो रहे सैन्य संगठन के प्रश्न को गुट-निरपेक्ष देशों के समक्ष उठाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शिव शंकर) : (क) जी, हां। गुट-निरपेक्ष देशों के विगत सम्मेलनों की भांति ही, हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने से सम्बद्ध प्रश्न पर नई दिल्ली में 9 फरवरी से 13 फरवरी 1981 तक आयोजित गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भी विचार किया गया था।

(ख) 13 फरवरी को सम्मेलन में पारित नई दिल्ली घोषणा में हिन्द महासागर के संबंध में नीचे लिखे अनुसार कहा गया है; जिस पर विचार-विमर्श के बाद आम सहमति से स्वीकृति दी गई थी :

"मंत्रियों ने हिन्द महासागर के क्षेत्र में बड़ी शक्तियों की सैनिक उपस्थिति में निरन्तर वृद्धि पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की। इन मंत्रियों ने इस बात पर गौर किया कि हिन्द महासागर के तटवर्ती और पश्च राज्यों की स्पष्ट इच्छा के बावजूद हिन्द महासागर के क्षेत्र में बड़े राष्ट्रों की सैनिक गतिविधि सभी रूपों और अपनी सभी अभिव्यक्तियों में और तेज हुई है तथा इस

क्षेत्र में शान्ति और सुरक्षा का वातावरण निश्चित रूप से बहुत बिगड़ा है। उन्होंने यह भी नोट किया कि हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने की अवधारणा को, जोकि 1971 में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा में संयुक्त राष्ट्र संकल्प संख्या 2832, (16 दिसम्बर, 1971) में निहित है और जिस पर जुलाई, 1979 में पश्च और तटवर्ती राज्यों की बैठक में तथा बाद में हिन्द महासागर की तदर्थ समिति की बैठकों में विचार किया गया है, बड़ी शक्तियों द्वारा अपनी सैनिक तैयारियों का विस्तार करके क्रमिक रूप से निरस्त किया जा रहा है। इस क्षेत्र में मौजूदा विदेशी अड्डों, सैनिक प्रतिष्ठानों, सामरिक आपूर्ति सुविधाओं, नाभिकीय अस्त्रों और सामूहिक विनाश के अस्त्रों के रखे जाने तथा नए अड्डों की सुविधाओं की तलाश किए जाने के कारण खतरनाक तनाव की स्थिति की ओर से गम्भीर रूप से चिन्तित इन मंत्रियों ने ऐसी किसी भी कार्रवाई के खतरों की ओर से चेतावनी दी कि जिनकी वजह से इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने अथवा बड़ी शक्तियों की उपस्थिति के लिए कोई बहाना मिल सकता हो। उन्होंने 1981 में श्रीलंका में होने वाले हिन्द महासागर से सम्बद्ध सम्मेलन की सफलता के लिए, हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाने की अवधारणा के लक्षणों को प्राप्त करने के लिए कृत-संकल्प होकर कार्य करने के लिए भी अपनी पुनः पुष्टि व्यक्त की।''

दिघा घाट पर रेलवे पुल

522. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री रामावतार शास्त्री : रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पटना के निकट दिघा घाट पर एक रेल पुल का निर्माण करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : केन्द्रीय जल एवं बिजली स्टेशन, पुणे ने पुल के स्थल की उपयुक्तता का निर्धारण करने के उद्देश्य से नमूना परीक्षण किये हैं। यह पाया गया है कि पुल का निर्माण करने के फलस्वरूप रतना बैंक के साथ नदी के बहाव का वेग बढ़ जाता है जिससे पटना बैंक और पटना सिटी की संरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। अतः, इसकी आगे छानबीन करना आवश्यक है और केन्द्रीय जल एवं बिजली स्टेशन पुणे इस बात की नमूना परीक्षण कर रहा है कि पुल का निर्माण करने के बुरे प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है। जैसे ही केन्द्रीय जल एवं बिजली स्टेशन पुणे से अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होगी वैसे ही पुल का निर्माण करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

चीन-भारत सम्बन्ध

523. **श्री के० पी० सिंह देव :**

श्री सतीश अग्रवाल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने हाल ही में हमारे प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य का स्वागत किया है कि भारत और पाकिस्तान को अपने मसलों में उलझने के स्थान पर इकट्ठा खड़ा होना चाहिये;

(ख) क्या चीनी दृष्टिकोण से इस बात का कोई संकेत मिला है कि वह देश चीन-भारत सीमा विवादों को आपस में तय करने का इच्छुक है ।

(ग) क्या सरकार द्वारा इस बारे में कोई नई कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस मामले में चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शिव शंकर) : (क) चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्युहा में "उप-महाद्वीप में नई स्थिति" शीर्षक से प्रकाशित एक समीक्षा में हमारी प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य को कि भारत और पाकिस्तान को आपस के मामलों में परस्पर उलझने की बजाय मिलकर काम करना चाहिए "ध्यान देने योग्य" कहा गया है ।

(ख) उपर्युक्त समीक्षा में यद्यपि चीन-भारत सीमा विवाद का उल्लेख नहीं है तथापि, जैसा कि आपको याद होगा, जून 21, 1980 को श्री डेंग जियोओपिंग द्वारा एक भारतीय संवाददाता को दी गई भेंट पर आधारित सिन्युहा की पहले की एक समीक्षा में एक "एकमुश्त योजना" का जिक्र किया गया था ।

(ग) एक ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में मैंने 2-7.1980 को लोकसभा में दिए गए अपने वक्तव्य में इस विषय पर भारत सरकार के विचार प्रस्तुत किए थे ।

(घ) यद्यपि इस बारे में चीन की कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं है, तथापि नवम्बर, 1980 में प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के साथ भेंट में चीन के उप विदेश मंत्री ने यह कहा बताया जाता है कि "चीन का विश्वास है कि चीन-भारत सीमा विवाद परस्पर सम्मान की भावना से बातचीत करके हल किया जा सकता है ।"

पारादीप में जहाज बनाने के कारखाने के बारे में परियोजना प्रतिवेदन

524. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पारादीप में जहाज बनाने का कारखाना स्थापित करने के बारे में जापान के परामर्शदाताओं ने अपना परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिवेदन सरकार को कब प्राप्त हुआ था;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो परामर्शदाताओं की सही-सही सिफारिशें क्या हैं और कौन सी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार की गई हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इन्वेस्टमेंट बोर्ड को धन की मंजूरी देने के लिए लिखा है और यदि हां, तो कितनी धनराशि की मंजूरी के लिए लिखा गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जापानी परामर्शकों की परियोजना रिपोर्ट मई, 1979 को प्राप्त हुई थी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) परामर्शकों ने दो शिपयार्डों की स्थापना की सिफारिश की है—एक गुजरात में हजीरा में दूसरा उड़ीसा में पारादीप में इन सिफारिशों पर सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा विचार किया जा रहा है ।

अमरीकी संसद सदस्यों की यात्रा

525. **श्री के० पी० सिंह देव :**

,, के० मालन्ना :

,, जगदीश टाईटलर :

,, चिन्तामणि जेना :

श्री अमर राय प्रधान : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी संसद् सदस्यों के प्रतिनिधि-मंडल ने हिन्द महासागर क्षेत्र में उत्पन्न हो रहे तनाव के सम्बन्ध में वार्ता के लिये भारत की यात्रा की;

(ख) यदि हां, तो वार्ता का क्या परिणाम रहा; और

(ग) इस क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने के लिए भारत सरकार द्वारा यदि कोई सुझाव दिए गए, तो वे क्या हैं ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शिव शंकर) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें वहां के हाऊस आफ रिप्रेजेंटेटिव की सशस्त्र सेना समिति के अध्यक्ष और कुछ सदस्य शामिल थे, कई देशों की यात्रा के अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी 1981 में भारत के दौरे पर आया था । अपने भारत प्रवास के दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने प्रधान मंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष से भेंट की । उन लोगों ने कुछ संसद सदस्यों से भी मुलाकात की । उन्हें विदेश और रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से हिन्द महासागर की स्थिति सहित हमारी सुरक्षा और राजनीति सम्बन्धी अवधारणा की जानकारी दी गई । वे बम्बई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र भी देखने गए ।

(ग) प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार-विमर्श के दौरान यह स्पष्ट कर दिया गया कि हिन्द महासागर से सभी बाहरी शक्तियों की सैनिक मौजूदगी को समाप्त करके ही इस क्षेत्र में शान्ति एवं सुरक्षा कायम की जा सकती है ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे की चंदिल-आडरा सैक्शन में रद्द की गई गाड़ियां

526. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे की चंदिल-आडरा सैक्शन में 18 जनवरी, 1981 को गाड़ियों का आना जाना 10 घंटे तक रुका रहा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या थे; और

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वे इस प्रकार की हड़तालों से जिनसे आवश्यक वस्तुओं के आवागमन में व्यवधान पड़ता है, अपनी रेलों को प्रभावित न होने दें ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पुरुलिया रेलवे सेवा सुधार परिषद द्वारा चलाये गये जन आन्दोलन के कारण आद्रा-चांडिल खंड पर 17 से 19 जनवरी 1981 तक गाड़ी सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । उनका प्रदर्शन दो मांगों अर्थात पुरुलिया और हावड़ा के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने और पुरुलिया-कोटशिला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के समर्थन में था ।

(ग) जी, हां

बाड़ से बिलारा तक रेल लाइन

527. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-अहमदाबाद लाइन पर बाड़ स्टेशन से बिलारा तक मीटर गेज लाइन के निर्माण करने के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया था अथवा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस लाइन को बिछाने सम्बंधी कुल परिव्यय कितना होगा;

(ग) क्या इस लाइन के बन जाने से दिल्ली से जोधपुर तक की यात्रा में लगभग सात घन्टे का समय बच जायेगा, और

(घ) यदि हां, तो इस लाइन के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और उस पर निर्माण-कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल बजट में घाटा

528. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में बहुत बड़ी संख्या में अधिकारियों के हो जाने के कारण प्रशासन पर भारी खर्च पड़ रहा है;

(ख) क्या निःशुल्क पास जारी करने के कारण रेलवे के घाटे में वृद्धि होती है; और

(ग) यदि हां, तो इन व्यक्तियों को किस आधार पर पास दिये जाते हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं । अधिकारियों के भत्ते और भविष्य निधि आदि पर आने वाली लागत कर्मचारियों पर होने वाले कुल खर्च का लगभग 2.3% है और यह कुल संचालन व्यय का 1.2% है । रेजों पर अधिकारियों की तुलना में कर्मचारियों का अनुपात 146 है जो अन्य सभी मन्त्रालयों/सरकारी विभागों की तुलना में सबसे अधिक है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) रेलों और एयरलाईन्स, शिपिंग कम्पनियों और रोडवेज आदि जैसे अन्य परिवहन उपक्रमों की अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा के अनुसार, रेलों द्वारा अपने कर्मचारियों को यात्रा सुविधाएं दी जाती हैं ।

रेल कर्मचारियों पर खर्च

529. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ने वर्ष 1980 के दौरान अपने कर्मचारियों के वेतन भत्तों तथा अन्य लाभों पर, वर्ष 1970–71 की तत्सम्बन्धी राशि की तुलना में कितनी राशि खर्च की और उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ख) वर्ष 1979-71 में, वर्ष 1981 की तुलना में, अस्थायी तथा स्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी थी और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की तुलना में कार्यभार में कितनी तथा किस प्रकार की वृद्धि हुई;

(ग) कार्य में उक्त वृद्धि का प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या सरकार का विचार अनुत्पादक व्यय में कमी करने तथा अधिकारियों की संख्या घटाने का है ताकि रेल बजट में घाटे को कम किया जा सके; और

(ङ) वर्ष 1970-71 की तुलना में अब रेलवे अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय रेल के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पर वर्ष 1979-80 में 1,160,1 करोड़ रु० खर्च हुए जबकि 1970-71 में 459.9 करोड़ रुपये खर्च हुए थे अर्थात नवीनतम वर्ष की सूचना के अनुसार खर्च में 152.3% की वृद्धि हुई हैं । कर्मचारियों के कल्याण, शैक्षिक सहायता, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं आदि पर 1970-71 में 26.3 करोड़ रु०, और 1979-80 में 79.8 करोड़ रुपये खर्च हुए जिसमें 203.4% की वृद्धि हुई ।

(ख) और (ग) 1980.81 के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं अन्तिम वर्ष 1979-80 के बारे में उपलब्ध आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

	1970-71	1979-80	प्रतिशत वृद्धि
कर्मचारियों की संख्या:			
(i) स्थायी	1,187,103	1,325,064	11.6
(ii) अस्थायी	187,100	226,307	21.0
कार्यभार :			
(i) यात्री किलोमीटर (दस लाख में)	118,120	198,642	68.2
(ii) शुद्ध टन कि० मी० (दस लाख में)	127.358	155,995	22.5

(घ) अधिकारियों की संख्या में कोई अनापशनाप वृद्धि नहीं हुई है, और उन पर खर्च भी निरर्थक नहीं हुआ है।

(ङ) 31 मार्च 1971 को वर्ग 'क' और 'ख' के कर्मचारियों (अधिकारियों) की संख्या 8086 से बढ़कर 31 मार्च, 1980 को 10,441 हो गयी जबकि वर्ग 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों की संख्या इसी अवधि में 1,366,117 से बढ़कर 1,540,930 हो गयी। वर्ग 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों को वर्ग 'ख' में पदोन्नति के अच्छे अवसर प्रदान करने से वर्ग 'क' और 'ख' के अधिकारियों के पदों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन

530 **श्री जगदीश टाईटलर :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री नारायण चौबे :

श्री पी० एम० सईद : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत ने हाल ही में गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया उनका ब्यौरा क्या है तथा उसमें क्या-क्या निर्णय लिये गए ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शिव शंकर) : (क) जी. हां। भारत ने 9 फरवरी, 1981 तक नई दिल्ली में आयोजित गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की।

(ख) इस सम्मेलन में जिन मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें अन्य विषयों के साथ-साथ गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की भूमिका और नीति; अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, तनाव-शैथिल्य, निरस्त्रीकरण, विउपनिवेशन की समीक्षा, हिन्द महासागर, दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण-पश्चिमी एशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया की स्थिति, ईरान-इराक संघर्ष, भूमध्यसागर और यूरोप एवं लेटिन अमरीका, नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना; आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में गुट-निरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के बीच बढ़ते हुए सहयोग तथा सूचना और जनसम्पर्क माध्यम के क्षेत्रों में गुट-निरपेक्ष देशों के बीच बढ़ते हुए सहयोग भी शामिल हैं।

नई दिल्ली घोषणा की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में रखी गई है।

पटना में रेलवे जोन

531. **श्री चन्ददेव प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की राजधानी पटना में 'रेलवे जोन' स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न कहीं उठता ।

कानपुर में तपेदिक के मामले

532. **श्री आरिफ मोहम्मद खाँ** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के एक प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर में विश्व भर की तुलना में तपेदिक के रोगी ज्यादा हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस रोग का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) कानपुर में टी० बी० के प्रकोप का पता लगाने के लिए रोग व्यापकता के बारे में कोई भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है । इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि कानपुर में टी० बी० का प्रकोप विश्व भर में सबसे अधिक है ।

(ख) कानपुर में टी० बी० रोगियों का पता लगाने, उनका उपचार करने और बी० सी० जी० का टीका लगाने के लिए एक जिला टी० बी० केन्द्र खोल दिया गया है और ये सेवाएं इस जिले में स्थित समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, तालुक अस्पतालों आदि में भी विकसित की जा रही हैं ताकि सम्पूर्ण जिले के टी० बी० के रोगियों को ये सुविधाएं उपलब्ध की जा सकें ।

भारतीय तल कर्षण निगम लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारी

533 **श्री ई० बालानन्दन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय तल कर्षण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या शिकायतें व्यक्त की हैं; और

(ग) उन कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितने लोग अस्थायी हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

(ग) कर्मीदल में कुल संख्या 387 है । इसमें से 184 व्यक्ति दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं (इन्हें पहले अस्थायी कर्मीदल या बन्दरगाह कर्मीदल कहा जाता था) ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 कोस्ट रोड केरल के निर्माण में विलम्ब

535. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 कोस्ट कोड केरल के निर्माण में अनुचित रूप से बिलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 में निर्माणाधीन मुख्य पुल क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 स्थित है, इसलिए इसके निर्माण करने का प्रश्न नहीं होता। राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार, अर्थात् उन्हें चौड़ा करना, मजबूत करना, कमजोर पुलियों तथा पुलों के स्थान पर नये पुल बनाना तथा नये पुलों का निर्माण ऐसा कार्य है जो निरन्तर किया जाता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना पुल के चौराहे, भीड़-भाड़ वाले कस्बों तथा शहरों के बगल से गुजरने वाले उपमार्गों का निर्माण संबंधी कमियों को दूर किया जा रहा है जो वित्तीय कठिनाई तथा अन्य कार्यों को पूरा करने पर निर्भर है। इस सम्बन्ध में 8 करोड़ रुपये से अधिक लागत के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस सड़क के कुछ चुने हुए हिस्सों को चौड़ा करने तथा मजबूत करने के कार्य को 1980-85 की चालू योजना में शामिल किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुख्य पुलों की स्थिति निम्नलिखित है, जिसके निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है :

(I) पुद्दुपोनानी पुल–इसका कार्य नवम्बर 1980 में प्रारम्भ किया गया तथा इसके नवम्बर 1982 में पूरा हो जाने की संभावना है।

(II) कोट्टापुरम पुल–इसके निर्माण कार्य की स्वीकृति दिसम्बर, 1979 में दी गई। पहली बार टेंडर मांगने पर केवल एक टेंडर भरा गया। यह टेन्डर बहुत ऊंचा था। इसलिये उसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके लिए अब दुबारा टेन्डर मांगा गया है। इसकी अन्तिम तारीख 25-2-81 रखी गयी है। आशा है कि इसका निर्माण कार्य शुरू करने के बाद चार वर्ष के अन्दर कार्य समाप्त हो जाएगा।

(III) छेत्तुवई पुल–इसके निर्माण कार्य के लिए अप्रैल 1980 में स्वीकृति दी गई थी। टेन्डर मांगे गये हैं। अभी तक किसी ने टेन्डर नहीं भरा है। आशा है इसका निर्माण प्रारम्भ करने के बाद तीन वर्ष में पूरा हो जाएगा।

एर्नाकुलम एलेप्पी लाइन

536. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एर्नाकुलम एलेप्पी कोस्टल रेलवे लाइन तथा कुट्टिपुरम-गुरुवयूर रेलवे लाईन के सम्बन्ध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं, क्या प्रगति हुई है और कितनी राशि अब तक उन पर खर्च हो चुकी है; और

(ख) उक्त लाईन कब तक पूरी हो जाएगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जन) : (क) एर्णाकुलम से एलेप्पी तक एक बड़ी लाइन के निर्माण के लिए 2.37 करोड़ रुपये के तत्कालिकता प्रमाण पत्र की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जनवरी, 1981 के अन्त तक इस काम की प्रगति 5% थी। अभी तक 49.44 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। गुरवायुर के रास्ते कुट्टिप्पुरम-तिरुच्चूर तक बड़ी लाईन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण अद्यतन करने का काम प्रगति पर है।

(ख) एर्णाकुलम-एलेप्पी रेलवे लाइन के 1983 तक पूरा हो जाने की आशा है, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों। कुट्टिपुरम-तिरुच्चूर रेलवे लाइन के निर्माण कार्य को अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है।

समस्तीपुर-दरभंगा लाइन को बडी लाइन में बदलना

537. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री नया मुजफ्फरपुर-दरभंगा और सकरी-हसनपुर लाइनों और कुछ हाल्टों को स्टेशनों में बदलने के बारे में 5 फरवरी, 1980 को दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर-दरभंगा लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) दरभंगा-मधुबनी को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) सकरी हसनपुर नई लाइन के निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) पटना के निकट गंगा नदी पर रेलवे पुल के निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ङ) मुजफ्फरपुर-रक्सौल को बड़ी लाइन में बदलने का ब्यौरा क्या है;

(च) मुजफ्फरपुर-कटरा-भरवाड़ा-दरभंगा की तुलना में और इससे अलग मुजफ्फरपुर-बनबाद-दरभंगा की वास्तविक दूरी कितनी है और इसकी आर्थिक लाभप्रदता क्या है; और

(छ) दरभंगा-सीतामढ़ी-रक्सौल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी पिछले सर्वेक्षण के क्या परिणाम हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1980-81 के दौरान इस कार्य के लिए 50 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है और उसके शीघ्र ही शुरू किए जाने की आशा है।

(ख) यह सर्वेक्षण दरभंगा-जयनगर लाइन के आमान परिवर्तन का एक भाग है। पूर्वोत्तर रेलवे को यह सर्वेक्षण शीघ्र ही पूरा करने के लिए अनुदेश जारी किये गये हैं।

(ग) इस लाइन के निर्माण का अद्यतन अनुमान शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है और पूर्वोत्तर रेलवे इसके अनुमान की स्वीकृति के पश्चात् निर्माण कार्य शुरू करेगी बशर्ते कि इसके लिए 1981-82 में धन उपलब्ध हो।

(घ) इस पुल के निर्माण के लिए स्थान का चयन करने के लिए सी. डब्ल्यू. पी.आर. एस. पुणे में नमूना परीक्षण किया जा रहा है।

(ङ) पुनर्मूल्यांकन सर्वेक्षण प्रगति पर है ।

(च) कटरा-भरावाड़ा और सिंहवाड़ा के रास्ते मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बीच नयी बड़ी लाइन की वास्तविक दूरी 65.54 कि० मी० है और प्रमुख नगरों से होकर गुजरती है ।

यद्यपि धनबाद के रास्ते सीधे मार्ग की दूरी 6 कि० मी० कम है, किन्तु यह लाइन इन नगरों को छोड़ देती है ।

(छ) मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा, सीतामढ़ी आदि दोनों रास्तों से होकर समस्तीपुर से रक्सौल तक के मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण किया गया था । इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच 1971 में बोर्ड कार्यालय में की गई थी । दोनों वैकल्पिक मार्गों के सापेक्ष लाभ और हानि की जांच के बाद 1978-79 में यह विनिश्चय किया गया था कि सगौली के रास्ते केवल मुजफ्फरपुर-रक्सौल मीटर लाइन खंड को ही बड़ी लाइन में बदलने के लिए इन्जीनियर एवं यातायात पुनर्मूल्यांकन सर्वेक्षण किया जाए । उस सर्वेक्षण का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है ।

रद्द की गई गाड़ियों की संख्या

238, **श्री अमर सिंह राठवा :**

,, **के० प्रधानी :**

,, **चिन्तामणि जेना :**

,, **कमला मिश्र मधुकर :**

,, **छीतू भाई गामित :**

,, **मंगल राम प्रेमी :**

,, **चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कुछ गाड़ियां रद्द की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सेक्शनवार उनकी संख्या कितनी है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) उद्योगों की जरूरतों तथा मिश्रित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में भाप कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए रेलों को भाप कोयले के प्रापण में कमी करनी पड़ी थी । इसके अलावा, लोको रनिंग कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा किये गये आन्दोलन के कारण हाल में कुछ गाड़ियां रद्द करनी पड़ीं । 16.2.81 तक इन कारणों से रद्द की गयी सवारी गाड़ियों की संख्या 331.5 जोड़ी गाड़ियां थीं ।

रद्द की गयी जोड़ी गाड़ियों का क्षेत्रवार ब्यौरा इस प्रकार है :

	मध्य	पूर्व	उत्तर	पूर्वोत्तर	पूर्वो. सीमा	दक्षिण	द.-म.	द.-पू.	पश्चिम
कोयले की कमी	8	—	59.5	28	—	69.5	—	1	74
कर्मचारी आन्दोलन	—	12	22.5	27	17	—	13	—	—

(घ) कर्मचारी आन्दोलन तथा लोको कोयले की उपलब्धता में सतत सुधार हो जाने पर रद्द की गयी गाड़ियां पुनः चला दी जाएंगी ।

आयुर्वेदिक और पारस्परिक औषधियों के विकास के लिए सहायता

539. **श्री के० प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने आयुर्वेदिक और पारम्परिक औषधियों के विकास के लिए कुछ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है; और

(ख) यदि हां, तो इस धनराशि के राज्यवार आवंटन का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1980–81 के लिए परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों के विकास हेतु 290.37 लाख रुपए का प्रावधान किया है । इस राशि को सरकार द्वारा स्थापित परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों और सांविधिक/स्वायत्त निकायों की विभिन्न संस्थाओं को धन देकर विशुद्ध केन्द्रीय योजनाओं पर मुख्य रूप से खर्च किया जाता है ।

उपर्युक्त राशि में विवरण में यथावर्णित राज्य सरकारों को दो केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अधीन अर्थात् (I) परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों के प्रशिक्षण और अनुसंधान के स्नातकोत्तर विभागों का दर्जा बढ़ाने के लिए सहायता और (II) राज्य परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों की फार्मेसियों के साथ-साथ जड़ी-बूटी उद्यानों और औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए दी जाने वाली 40.80 लाख रुपए की राशि भी शामिल है ।

विवरण

(रुपए लाखों में)

राज्य	परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों के प्रशिक्षण और अनुसंधान के स्नातकोत्तर विभागों का दर्जा बढ़ाने के लिए सहायता की अनुमानित राशि 1980–81	राज्य परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों की फार्मेसियों के साथ-साथ जड़ी-बूटी उद्यानों तथा औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के विकासार्थ अनुमानित राशि 1980–81
1	2	3
1. राजस्थान	2.00	2.60
2. पश्चिम बंगाल	1.50	1.00

1	2	3
3. महाराष्ट्र	1.10	—
4. उत्तर प्रदेश	3.40	1.00
5. मध्य प्रदेश	2.90	0.50
6. उड़ीसा	1.10	1.50
7. कर्नाटक	2.50	0.80
8. पंजाब	2.00	0.05
9. तमिलनाडु	2.00	1.00
10. केरल	7.50	0.50
11. गुजरात	0.50	1.00
12. बिहार	—	—
13. आंध्र प्रदेश	2.20	1.15
14. हिमाचल प्रदेश	—	1.00
	28.70	12.10

धनबाद डिवीजन में कोयला और राख का चढ़ाना-उतारना

540. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ठेकेदारों तथा श्रम सहकारी समितियों के नाम क्या हैं जिन्हें धनबाद डिवीजन, पूर्व रेलवे में कोयला और राख चढ़ाने-उतारने का ठेका दिया गया है;

(ख) प्रत्येक ठेकेदार अथवा प्रत्येक श्रम सहकारी समिति के अधीन कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं तथा धनबाद, हावड़ा, सियालदह डिवीजनों की लोको शैडों में उनको क्या मजूरी तथा अन्य सुविधाएं दी जाती हैं;

(ग) गोमोह, कटरामगढ़ तथा पाथरडीह की श्रम सहकारी समितियों के मन्त्री, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के नाम क्या हैं;

(घ) क्या प्रशासन को कटरामगढ़ श्रमिक सहयोग समिति के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष की ओर से इस सहकारी समिति को पाथरडीह में दिए गए गैर-कानूनी ठेके तथा उसके लिए गैर-कानूनी भुगतान, के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो शिकायत का ब्यौरा क्या है और गैर-कानूनी कार्यों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

वैगनों की कमी

541. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980-81 के दौरान वैगनों के लदान तथा रेलवे द्वारा उठाए गए टन-भार में अब तक गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे को प्राथमिकता क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई हुई है;

(ग) क्या 1977-78 से आने वाले प्रत्येक वर्ष में रेलवे वैगन लदान में आया परिवर्तन 1980-81 के पहले 8 महीनों के दौरान जारी रहा है, जब बड़ी लाइन तथा छोटी लाइनों दोनों प्रभागों में मूल वैगन लदान में कमी आई है;

(घ) अप्रैल-नवम्बर, 1979 की तुलना में, अप्रैल-नवम्बर, 1980 के दौरान बड़ी लाइन पर माल डिब्बों के लदान में कुल कितने माल डिब्बों की कमी आई है;

(ङ) तत्संबंधी कारण क्या है ?

(च) क्या लगभग 2500 वैगन निर्माण यूनिटें आदि पहिया, धुरी, टायरों आदि के कारण बन्द पड़ी हैं; और

(छ) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष और छठी योजना अवधि में वैगनों के निर्माण, वैगन लदान और भाड़ा यातायात में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों के दौरान माल डिब्बों के लदान तथा रेलवे द्वारा ढोए गए टन-भार में कुछ गिरावट आई थी, परन्तु नवम्बर, 1980 के मध्य से इसके निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। प्राथमिकता क्षेत्रों में वैगनों की सप्लाई में भी सुधार हुआ है ।

(घ) अप्रैल से नवम्बर, 1986 के दौरान अप्रैल से नवम्बर, 1979 की तुलना में बड़ी लाइन पर औसतन प्रतिदिन 357 माल डिब्बों का कम लदान हुआ ।

(ङ) असम में अशांति, पूर्वी क्षेत्र में बिजली की भारी कटौती जिससे विन्यास यार्डों तथा कारखानों के कार्य निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा, इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चे माल की मांग में कमी, बेलाडिला की खानों में श्रमिक उपद्रव जिससे लौह अयस्क के संचलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, पूर्वी क्षेत्र में तेलशोधक कारखानों में तालाबन्दी, जिससे पेट्रोलियम उत्पादों के लदान पर प्रभाव पड़ा, गन्ने की मांग में भारी कमी, पंजाब और हरियाणा राज्यों से सूखाग्रस्त राज्यों को अनाज की अधिक ढुलाई, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण-पूर्व रेलों पर बाढ़ तथा कटाव तथा अनेक रेलों पर कर्मचारी आंदोलन आदि जैसे कुछ मूख्य कारण थे जिनकी वजह से रेलों पर माल के लदान में गिरावट आयी । इनमें से अधिकांश कारण ऐसे हैं जो रेलों के काबू के बाहर हैं ।

(च) माल डिब्बा निर्माता यूनिटों के पास पहिया सैटों की कमी के कारण चौपहियों के हिसाब से 1045 माल डिब्बे रुके पड़े हैं।

(छ) चालू वित्त वर्ष में माल यातायात के लदान में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) रोलर वियरिंग तथा सैंटर वफर कपलर्स से सुसज्जित माल डिब्बों को परम्परागत माल डिब्बों से अलग करके रेकों में परिवर्तित किया गया ताकि अनाज, खाद, सीमेंट तथा कोयले जैसी अनिवार्य वस्तुओं की ढुलाई की जा सके।

(2) जम्बो रेकों का संयोजन करना तथा उनको चलाना, जो बन्द माल डिब्बों वाली अधिक भाड़ा अर्जित करने वाली गाड़ियाँ हैं, जो थोक यात्रा में वस्तुओं को लम्बी दूरी तक तेज गति से ढोती हैं।

(3) विभिन्न खण्डों पर प्रत्येक माल गाड़ी द्वारा अधिकतम माल की ढुलाई को सुनिश्चित किया गया है।

(4) आयु एवं हालत के आधार पर ऐसे माल डिब्बों को नाकारा घोषित करना जिनकी मरम्मत करना अलाभप्रद है।

(5) एक ही बिजली या डीजल ईंधन से थ्रू माल गाड़ियां चलाना।

(6) यातायात की योजनाबद्ध तरीके से ढोने के लिए सम्बन्धित एजेंसियों से निकट का सम्पर्क रखा जाता है।

जहां तक चालू वित्त वर्ष में माल डिब्बों के निर्माण में सुधार का सम्बन्ध है, माल डिब्बा निर्माताओं के कारखानों में पहिया सैटों के लिए खड़े माल डिब्बों में जल्दी ही पहिया सैट लगाकर अगले 4–5 महीनों में दे दिए जाएंगे। छठी योजना अवधि में कुल मिलाकर लगभग एक लाख माल डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी।

रेलवे सुरक्षा दल अधिनियम

542. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या उत्तरी राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति असंतोषजनक है और उसमें रेलवे की सम्पत्ति की भारी क्षति हुई है;

(घ) यदि हां, तो रेलवे की यह क्षति और हानि किन राज्यों में अधिक है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप रेलवे वित्त किस सीमा तक प्रभावित हुआ है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(1) उपबन्ध 12 में प्रस्तावित संशोधन से इस बल के किसी वरिष्ठ अधिकारी अथवा सदस्य को यह अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि वह बिना मजिस्ट्रेट अथवा बिना वारेन्ट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो,

(I) किसी यात्री के शरीर अथवा सामान के किसी गम्भीर अपराध से सम्बद्ध हो अथवा उसके विरुद्ध उनसे सम्बद्ध होने का उचित सन्देह मौजूद हो और

(II) रेलवे सीमाओं अथवा गाड़ियों में यात्रियों अथवा उनके समान से सम्बन्धित कोई गम्भीर अपराध करने की नीयत से अपनी उपस्थिति को छुपाने का प्रयास करता पाया जाये ।

(2) उपबन्ध 20 में प्रस्तावित संशोधन से बल के वरिष्ठ अधिकारियों तथा सदस्यों की गिरफ्तारी तथा अपनी ड्यूटी करते हुए उनके द्वारा की गयी किसी प्रकार की सिविल अथवा अपराधिक कार्यवाही के लिए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने से सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी । इस प्रकार की गिरफ्तारी केवल केन्द्र की अनुमति प्राप्त कर लेने के पश्चात ही संभव होगी और उपयुक्त नोटिस दिए जाने के बाद ही उनके विरुद्ध सिविल या अपराधिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

(ग), (घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं रही है । इससे रेलों के परिचालन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और रेलवे सम्पत्ति की क्षति भी हुई है ।

श्रीलंका में नागरिकताहीन भारतीयों की समस्या का समाधान

543. **श्री बी० वी० देसाई :**

,, के० राममूर्ति : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय मूल के नागरिकताहीन व्यक्तियों की समस्या के समाधान के लिए दो वर्ष और देने के श्रीलंका के अनुरोध पर भारत ने सहमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो अवधि को आगे बढ़ाने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा क्या कारण दिए गए हैं;

(ग) क्या समस्या के समाधान में पहले से ही काफी बिलम्ब हो चुका है;

(घ) श्रीलंका में अभी भी कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मामले विचाराधीन पड़े हैं;

(ङ) वे मुद्दे क्या हैं जिनके आधार पर समय अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है; और

(च) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्री (श्री शिव शंकर) : (क) इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है .

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1964 और 1974 के भारत-श्रीलंका करारों के क्रियान्वयन में देरी हुई है। मुख्य रूप से श्रीलंका में चाय-बागानों में देश प्रत्यावर्तियों को काम से छोड़ने में देरी तथा सरकार द्वारा भविष्य निधि उपदान आदि की अदायगी की औपचारिकताओं को पूरा करने में देरी के कारण हुआ है ।

(घ) 31.12.80 को श्रीलंका में भारतीय मूल के राज्य-विहीन व्यक्तियों की संख्या अनुमानत: 6.5 लाख थी (इसमें 1964 के बाद से होने वाली स्वाभाविक वृद्धि भी शामिल है) ।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते ।

उड़ीसा में गोपालपुर पत्तन का बिकास

544. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा में गोपालपुर पत्तन के निर्माण तथा विक स के लिए कोई राशि मंजूर की है, और

(ख) यदि हां, तो गोपालपुर पत्तान विकास परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) पत्तानों का विकास करने की कार्यकारी जिम्मेदारी संवधित राज्य सरकारों की है । केन्द्रीय क्षेत्र में छोटे पत्तनों का विकास करने के लिए 1-4-78 से कोई धनराशि नहीं दी गई है । लेकिन उड़ीसा में गोपालपुर पोर्ट का विकास करने के बारे में आरम्भिक अध्ययन करने के लिए उक्त तारीख से पहले अर्थात् 31 मार्च, 1978 तक 17.72 लाख रुपये दिए गए थे ।

कन्याकुमारी-तिरुनेलबेली लाइन

545. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के मदुरई डिवीजन के हड़ताली कर्मचारियों को यह आश्वासन दिलाया गया था कि उनके हड़ताल समाप्त करने पर मदुरई डिवीजन में कन्याकुमारी से तिरुनेलवेली तक एक नई रेलवे लाइन को सम्मिलित किया जाएगा, और

(ख) यदि हां, तो रेल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल वापस लेने पर उस आवश्वासन को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोलम्बो में भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय के लिए तमिल पुस्तकें

546. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बो स्थित हमारे उच्चायोग में तथा हमारे सहायक उच्चायुक्त कार्यालय कैंडी में कोई ऐसा पूर्ण पुस्तकालय है जिसमें भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर तमिल में पुस्तकें हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो दोनों स्थानों पर ऐसे पुस्तकालय स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं जिससे कि भारतीय मूलक तथा सिंघली दोनों ही जो तमिल भाषा जानते हैं, भारत के बारें में जानकारी प्राप्त कर सकें ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शिव शंकर) : (क) और (ख) कोलम्बो स्थित भारतीय हाई कमीशन में एक भरापूरा पुस्तकालय है जिसमें लगभग 8000 पुस्तकें हैं। जिनमें से 80 पुस्तकें तमिल की हैं। तमिल की ये पुस्तकें भारतीय इतिहास और संस्कृति तथा भारतीय विकास के वर्तमान पहलुओं पर हैं। तमिल की इन पुस्तकों में, जो भारतीय समाज और संस्कृति के संबंध में हैं बौद्ध धर्म का भी उल्लेख है। लेकिन इस पुस्तकालय में बौद्ध धर्म पर तमिल भाषा में अलग से कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। ऐसा ही एक पुस्तकालय कैंडी स्थित भारतीय सहायक हाई कमीशन में भी है जिसमें लगभग 1100 पुस्तकें हैं। लेकिन कैंडी स्थित हमारे इस पुस्तकालय में सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी की ही पुस्तकें हैं। कोलम्बो स्थित हाई कमीशन ने मंत्रालय से तमिल भाषा की कुछ और पुस्तकें भेजने के लिए अनुरोध किया है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद की जाती है कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान ये पुस्तकें उक्त मिशन को भेज दी जाएंगी।

श्रीलंका में भारतीय चान्सरी का निर्माण

547. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका में हमारी चांसरी के निर्माण के लिए भूमि कब तथा कितने मूल्य की खरीदी गई;

(ख) श्रीलंका में चांसरी का निर्माण आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) श्रीलंका में हमारी चांसरी का वार्षिक किराया जितना है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शिवशंकर) : (क) कोलम्बो में हमारी चांसरी के लिए मकान बनाने के वास्ते मार्च, 1979 में 5,07,936.50 रुपये मात्र की भूमि खरीदी गई।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को इस परियोजना को पूरा करने का काम सौंपा गया है। उसके तकनीकी दल ने अक्तूबर; 1979 में कोलम्बो की यात्रा की उन्होंने नक्शे और लागत-अनुमान तैयार कर लिए हैं और अब उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है। अगस्त, 1981 तक निर्माण कार्य शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) कोलम्बो स्थित हमारे चांसरी भवन का वार्षिक किराया 30,182.40 रुपये है।

गाड़ियों का देर से चलना

548. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री हरिनाथ मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन में नए गठन के बाद से गाड़ियों के देर से चलने की स्थिति और बिगड़ गई है,

(ख) क्या यह सच है कि देश के किसी भी भाग में गाड़ियां समय पर नहीं चल रही हैं,

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में स्थिति गिरावट आने के क्या कारण हैं, और

(घ) गाड़ियों के ठीक समय पर चलने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) जी, नहीं । लेकिन खतरे की जंजीर खींचने में वृद्धि शरारती तत्वों की गतिविधियों, असम आन्दोलन, महाराष्ट्र में किसान आन्दोलन, बंगाल तथा विहार बन्द, दुर्घटनाओं, आदि जैसे जन आन्दोलनों के कारण समय पालन पर असर पड़ा है । इंजन के फेल होने, सिगनल फेल होने/खराबियों जैसे रेलों के नियंत्रणाधीन कारणों के अंतर्गत और अन्य परिचालनिक विफलताओं से भी समय पालन पर असर पड़ा है ।

(घ) यात्री गाड़ियों के समय पालन निष्पादन पर सभी स्तरों पर सतत् निगाह रखी जाती है और गाड़ियों के चालन में सुधार लाने के लिए संगठित प्रयास किये जा रहे हैं । परिहार्य स्कौनियों पर तत्काल ध्यान दिया जाता है और गाड़ियों का समयबद्ध चालन सुनिश्चित करने के बिए महाप्रबन्धकों को वैयक्तिक ध्यान देने के लिए निदेश दियें गये है । रेलों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि समय पालन में अनुत्तरदायी पाये जाने वाले कर्मचारियों का पता लगाया जायें और उनके विरूद्ध तत्काल और कड़ी कार्रवाई की जाये । किसी विशेष मेल/एक्सप्रेस गाड़ी समय के पालन में होने वाली हानि के कारणों का सम्यक विश्लेषण करने के लिए आधिकारियों का एक दल मनोनीत करने के लिए रेलों को सलाह दी गयी है ताकि तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके ।

शरारतीं तत्वों की गतिविधियों, खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं तथा होजपाइपों को अलग करने के मामलों की जांच करने के लिए सम्बधित राज्य सरकारों से भी सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है ।

खलतीपुर से कोयले की ढुलाई

549. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से अब तक पूर्वी/पुर्वोत्तर रेलवे में (1) खलतीपुर, (2) ओल्ड माल्दा, (3) इक्लाखी, (4) समसी, (5) वालुका रोड और (6) हरिशचन्द्रपुर से कोयले की ढुलाई का ब्यौरा क्या है, और

(ख) गन्तव्य स्थान और तारीख सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और समा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे कैन्टीन कर्मचारियों के बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन

550. **श्री बासुदेव आचार्य** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालयों द्वारा रेलवे कैन्टीन कर्मचारियों के बारे में 1980 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं० 4232 के सम्बन्ध में 1978 की सिविल अपील सं० 368 तथा 22 अक्तूबर, 1980 को पास किए गए आदेश को क्रियान्वित करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलवे कैंटीन कर्मचारी एसोसियेशन एवं अन्य बनाम महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे एवं अन्य से सम्बन्धित मामले में अपील की विशेष इजाजत सम्बन्धी 1980 की याचिका (सी) सं० 4132 से उत्पन्न भारत संघ एवं अन्य बनाम जगराव एवं अन्य से सम्बन्धित 1978 की सिविल अपील सं० 368 और 1980 की सिविल अपील में सर्वोच्च न्यायालय के 22 अक्तूबर, 1980 के निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि 16 दिसम्बर, 1980 को ही प्राप्त हुई है कैन्टीन के कर्मचारियों को लाभ देने के प्रश्न पर, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है और इस मासले में शीघ्र निर्णय लेने के लिये सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

बांकुरा-मेजिया लाइन

551. **बासुदेव आचार्य** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बांकुरा और मेजिया के बीच एक नई रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) निक्षेप कार्य के लिए दिसम्बर, 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार को प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा ऊर्जा मन्त्रालय (कोयला विभाग) की टिप्पणी के आधार पर दक्षिण-पूर्व रेलवे को पहले सर्वेक्षण का शीघ्र पुनर्मूल्यांकन करने तथा रिपोर्ट देने के लिए कहा जा चुका है। पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट के मिलने तथा उसका मूल्यांकन करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

552. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर राजमार्ग बनाया जाना है;

(ख) मध्य प्रदेश में इस समय कितने किलोमीटर लम्बा राजमार्ग है और कब से;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राजमार्ग घोषित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, यदि हां, तो प्रत्येक प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(घ) विभाग ने अपनी मसौदा योजना में योजना आयोग को मध्य प्रदेश के लिए कितने किलोमीटर राजमार्ग का सुझाव दिया है; और

(ङ) परिवहन तथा यातायात की दिक्कतों को दूर करने के लिए देश में राजमार्ग बढ़ाने की आम नीति क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ङ) मध्य प्रदेश सहित किसी भी राज्य का राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए किलोमीटर कोटा नहीं है स्थानीय आवश्यकताओं से भिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित मापदण्डों, संसाधनों की उपलब्धता, अखिल भारतीय आधार पर अलग-अलग सड़कों की परस्पर प्राथमिकता आदि को ध्यान में रखते हुए सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाता है ।

(1) वह देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाला मुख्य राजमार्ग होना चाहिए;

(2) वे विदेशी राजमार्गों से जुड़ते हों;

(3) वे राज्यों की राजधानियों से गुजरते हों;

(4) वे बड़े-बड़े पत्तनों और बड़े-बड़े औद्योगिक या पर्यटक केन्द्रो को जोड़ते हों;

(5) वे सामरिकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले होने चाहिएं ।

इन मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया जाता है। इन मापदण्डों को स्वीकार करते हुए, और अविकसित या पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचने और आर्थिक स्थिति पर भी जोर दिया जाता है ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना (1957-62) काल से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई, 2,670 किलोमीटर है अभी हाल में, राज्य सरकार ने 17 नए मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों का रूप देने के लिए कोई भी मसौदा योजना अभी तक योजना आयोग को नहीं भेजा गया है क्योंकि इस तरह का सामान्य प्रस्ताव 1980-85 योजना के अधीन नियतनों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही सभी राज्यों को एक साथ, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल हैं, भेजा जा सकता है ।

विवरण

क्रम संख्या	प्रस्तावित सड़क का नाम	मध्य प्रदेश में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई (किलोमीटर)
1	2	3
(1)	**भोपाल को अन्य राज्यों की राजधानियों से जोड़ने वाले मार्ग :**	
1.	भोपाल–होशंगाबाद–वेतुल–भुलताय–छिन्नद्वारा–सियोनी–मांडला–डिडोरी–अमरकंटक–बड़हर–कोप्मान महेन्द्रगढ–अम्बीकापुर–रामानुगंज–पटना,	1,065
2.	भोपाल–वेतुल–छिन्द्वारा–सियोनी–मांडला–अमरकंटक–बिलासपुर–रायगढ़–भुवनेश्वर,	291
3.	भोपाल–नागपुर–हैदराबाद,	70
4.	भोपाल–इन्दोर–अहमदाबाद,	330
5.	भोपाल–बियोरा–कोटा-जयपुर,	66
6.	भोपाल–सांची–विदिशा–सागर–छतरपुर–बान्दा–कानपुर–लखनऊ ।	374
	कुल :	2, 96
(2)	**ऐसे मार्ग जो विभिन्न राज्यों की राजधानियों को जोड़ते हैं और मध्य प्रदेश से गुजरते हैं :**	
1.	बम्बई–बरहनपुर––खंडवा–वेतुल–छिन्नद्वारा-सियोनी–मांडला–अमरकंटक–बड़हर–महेन्द्रगढ़–अम्बीकापुर–पटना,	274
2.	हैदराबाद–नागपुर–जबलपुर–दमोह–बांदा–कानपुर–लखनऊ	179
3.	लखनऊ–भुवनेश्वर–बरास्ता बरेली–इलाहाबाद–सिद्धि–बैदां–वैकुंठपुर–अम्बीकापुर–सम्बलपुर,	484
4.	भुवनेश्वर–जयपुर–बरास्ता सम्बलपुर–रायगढ़–विलासपुर–अमरकंटक–शाहडोल–कातनी–पन्ना–छतरपुर–झाँसी–शिखपुरी–शिवपुर ।	550
	कुल :	2,487

1	2	3
	(3) पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग :	
1.	सियोनी से कान्हा तक बरास्ता नयनपुर चारी दोगड़ी,	50
2.	जबलपुर से कान्हा बरास्ता माँडला–चारी दोगड़ी,	96
3.	जबलपुर–शाहपुरा–गोरेगांव–बकसपुर–श्रीनगर–जितेश्वर,	75
4.	(क) भोपाल–होशंगाबाद–पिपरिया–मुत्खली–पंचमढ़ी,	93
	(ख) मुत्खली–छिन्नद्वारा–सियोती,	133
5.	सतना–चित्रकोट–बान्दा,	75
6.	ग्वालियर–झांसी–खजूरगढ़ी–रेवा,	166
7.	इन्दौर–थार–माडूं–मंडलेश्वर–आमकाछे–इन्दौर,	220
	कुल :	908
	सकल योग :	4,591

यू० के० में आप्रवासियों का एक्स-रे परीक्षण

553. **डा० वसन्त कुमार पंडित :**

श्री एन० ई० होरो : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ब्रिटेन के गृह सचिव द्वारा ब्रिटिश संसद में शीत कालीन अधिवेशन के अन्तिम दिन दिए गए इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि आप्रवासियों का एक्स-रे परीक्षण जारी रहेगा;

(ख) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग ने एक रिपोर्ट जारी करके सभी आप्रवासियों के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कलाई के एक्स-रे तथा छाती के एक्स-रे की सिफारिश की है;

(ग) क्या भारतीय उच्चायुक्त ने समुचित अधिकारियों के साथ मामला उठाया है और यदि हां, तो उसका क्या प्रभाव हुआ है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शिव शंकर) : (क) जी, हां। हाऊस आफ कामन्स में एक प्रश्न के उत्तर में ब्रिटेन के गृह मंत्री ने आप्रवासन नियंत्रण के संदर्भ में डाक्टरी जांच के बारे में येलोलीस रिपोर्ट के विस्तृत निष्कर्षों की घोषणा की थी। इन निष्कर्षों में यह भी बताया गया है कि जिन मामलों में बच्चों की आयु मालूम करना आवश्यक हो और इसके लिए अन्य संतोषजनक प्रमाण उपलब्ध नहीं हो, उनमें हाथ-पांव की हड्डियों का एक्स-रे (काफी सावधानी से लिया गया) करना काफी सही और एक ऐसा मान्य एवं सुरक्षित तरीका है। लेकिन वयस्कों के मामले में यह पद्धति बहुत सही नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि विदेश स्थित केन्द्रों को

हिदायतें दे दी गयी हैं कि आयु निर्धारण के सिलसिले में एक्स-रे जांच के लिए वयस्कों को प्रवेश की अनुमति देने वाले अधिकारियों के पास न भेजा जाए। लेकिन बच्चों के माममों में हाथ-पांव की हड्डियों तक ऐसी जांच की अनुमति दी गयी है।

(ख) ब्रिटिश गृह मंत्री ने येलोलीस रिपोर्ट को हाऊस आफ कामन्स के पुस्तकालय में रख दिया है। रिपोर्ट में आयु निर्धारण के लिए एक्स-रे जांच से सम्बन्धित उपर्युक्त निष्कर्ष शामिल हैं लेकिन उसमें यह सिफारिश की गई है कि आयु का पता लगाने के लिए 21 वर्ष अथवा उससे ऊपर की आयु वाले वयस्कों का एक्स-रे नहीं किया जाना चाहिए।

(ग) भारतीय हाई कमीशन इस मामले तथा इससे सम्बन्धित अन्य मामलों पर ब्रिटिश प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाए हुए है जो हमारे देश के हितों में सहायक है।

पाकिस्तानी सुरक्षा मजबूत करने के लिए चीन को अमरीका और पाकिस्तान के बीच त्रिपक्षीय वार्ता

554. **श्रीमती मोहसिना किदवई :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और विशेष रूप से अफगानिस्तान के वर्तमान संकट को दृष्टि में रखते हुए पीकिंग, वाशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच प्रस्तावित उच्च-शिखर वार्ता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) तनाव दूर करने के लिए किस प्रकार के उपाय किये जा रहे हैं और इन देशों के साथ सम्बन्धों को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शिव शंकर) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय की खबरें समाचार पत्रों में देखी हैं कि चीन, अमरीका और पाकिस्तान के बीच एक उच्च-स्तरीय त्रिपक्षीय बैठक की तैयारी के सिलसिले में काम चल रहा है। इन खबरों के अनुसार इसका उद्देश्य अफगानिस्तान की स्थिति के संदर्भ में पाकिस्तान की रक्षा-व्यवस्था को समर्थन देना है। यह खबर कहां तक ठीक है, इस बारे में कोई पुष्ट समाचार सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार ने सम्बद्ध सभी पक्षों पर निरन्तर इस बात का बल देने का प्रयास किया है कि इस क्षेत्र में हथियारों के लाने के किसी भी प्रयत्न से तनाव बढ़ेगा और यहां विश्वास पैदा करने की जो प्रक्रिया चल रही है उसको धक्का पहुंचेगा। सरकार ने इस बात का भी संकेत दिया है कि भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध विकसित करने के लिए कृत-संकल्प है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया-उल-हक को प्रेषित हाल ही के अपने एक पत्र में प्रधान मंत्री ने यह संकेत दिया है कि "हमेशा की तरह आज भी भारत के लोग भारत की जनता तथा मैं स्वयं अपने दोनों देशों के बीच मित्रता, समझ-बूझ और सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" सभी देशों के साथ, जिनमें वे भी शामिल हैं जिनका यहां उल्लेख किया गया है, अच्छे और शान्तिपूर्ण सम्बन्धों को सुदृढ़ करना और इन सम्बन्धों को सुधारना भारत सरकार की नीति है।

राष्ट्रपति ब्रेझनेव की भारत यात्रा

555. **श्री जनार्दन पुजारी :**

श्री पी० के० कोडियन :

श्री रामजी भाई मावणि :

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति ब्रेझनेव की यात्रा के दौरान उनके और भारत की प्रधान मंत्री के बीच हुई शिखर वार्ता में अनेक आर्थिक और वाणिज्यिक समझौते हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समझौतों के कार्यान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शिव शंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किए गए :

(i) भारत गणराज्य और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग करार । इस करार में ऊर्जा, लोह, धातु-कर्म और सिंचाई के क्षेत्रों में परियोजनाएं निश्चित की गई हैं और तत्सम्बन्धी आर्थिक प्रावधान किए गए हैं ।

(ii) भारत गणराज्य और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के बीच व्यापार-करार । इस करार में रुपए में भूगतान की प्रक्रिया के अन्तर्गत द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में वृद्धि की रूप-रेखा और विनिमय की जाने वाली वस्तुएं तय की गई हैं ।

(ग) इनके कार्यान्वयन की दिशा में प्रथम महत्वपूर्ण कदम के रूप में आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग से सम्बन्धित अन्तः सरकारी भारत-सोवियत आयोग की छठी बैठक 22 से 23 जनवरी, 1981 को नई दिल्ली में हुई । इसमें अन्य बातों के अलावा 10 दिसम्बर 1980 के आर्थिक और तकनीकी सहयोग में निश्चित की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया । सोवियत अधिकारियों और विशेषज्ञों से सम्बन्धित भारतीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अपने समकक्ष अधिकारियों और विशेषज्ञों से भी विचार-विमर्श किया । इनके क्रियान्वयन की दिशा में ठोस कार्रवाई के रूप में, तेल, कोयला, बिजली और सिंचाई के सम्बन्ध में संविदाओं और/अथवा कार्यचालक कार्यक्रमों पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं ।

चीन द्वारा सिक्किम को एक अलग देश दिखाया जाना

556. **श्री जनार्दन पुजारी : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जनवरी, 1981 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित "चाइना शोज सिक्किम एज सेपरेट स्टेट" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शिव शंकर) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीनी शब्दों में सिक्किम को भारत से अलग सत्ता के रूप में दिखाया गया है।

(ख) भारत सरकार ने चीन सरकार का ध्यान उनके नक्शों की गलती की ओर आकर्षित किया है।

उद्योगों को बैगनों की सप्लाई

557. **श्री गुफरान आजम** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैगनों की सप्लाई द्वारा उद्योगों की वर्तमान मांग पूरी की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो मांग पूरी करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) बैगनों की कुल संख्या कितनी है और कितने बैगनों की जरूरत है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) माल यातायात के संचलन के लिए माल डिब्बों की सप्लाई नवम्बर, 1980 के मध्य से बढ़ गयी है। चालू वित्त वर्ष के प्रथम 7 महीनों के औसत लदान की तुलना में जनवरी, 1981 में ही प्रतिदिन लगभग 4,700 माल डिब्बों के फेरों में सुधार करने के अलावा रेल परिवहन के मुख्य उपयोग-कर्ताओं के साथ निकट समन्वय बनाये रखा जा रहा है।

(ग) चौपहिया माल डिब्बों के अनुसार बड़ी और मीटर लाईन दोनों आमान के माल डिब्बों की संख्या लगभग 5,15,000 है। माल डिब्बों की यह संख्या यातायात की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

मार्ग में उठाईगिरी, चोरी के कारण हानि सम्बन्धी लम्बित दावे

558. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रीय रेलों में 1977, 1978 और 1979 के दौरान मार्ग में क्षति, उठाई-गिरी तथा चोरी के कारण हानि सम्बन्धी दावों की संख्या क्या है तथा उनमें कितनी राशि अन्त-र्ग्रस्त है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान निपटाये गए ऐसे दावों की राशि का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) न्यायालयों में लम्बित मामलों की क्षेत्रवार संख्या क्या है; और

(घ) इन दावों के शीघ्र निपटाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

(क) अवधि	दावों के मामलों का अथशेष	वर्ष के दौरान प्राप्त नये दावों तथा दोबारा खोले दावों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाए गये दावों की संख्या
1977	44,665	399,820	409,039
1978	35,534	505,207	498,937
1979	41,804	576,518	568,233

बकाया दावों की राशि के सम्बद्ध आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ख) रेलवे दावों के मामले में भुगतान की गयी राशि (लाख रुपयों में)

	1977	1978	1979
मध्य	128.93	129.19	147.53
पूर्व	344.80	313.31	229.35
उत्तर	200.46	157.64	125.73
पूर्वोत्तर	44.91	40.51	39.91
पूर्वोत्तर सीमा	156.91	95.17	95.31
दक्षिण	91.78	111.31	142.87
दक्षिण-मध्य	104.74	72.17	49.25
दक्षिण-पूर्व	225.25	179.17	140.16
पश्चिम	142.83	132.61	144.08

(ग) रेलवे बकाया न्यायाधीन मामलों की संख्या

	1.1.1978	1,1.1979	1.1.1980
मध्य	4.100	4.683	4.635
पूर्व	12.445	10.164	8.887
उत्तर	6.832	7.145	6.904
पूर्वोत्तर	1.971	2.025	1.983
पूर्वोत्तर सीमा	3.168	2.970	3.302
दक्षिण	5.556	3.495	3.406
दक्षिण-मध्य	1.848	1.672	1.526
दक्षिण-पूर्व	10.860	8.905	8.861
पश्चिम	5.198	5.046	4.796

(घ) दावों के मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :

1. अधिकारियों, निरीक्षकों तथा कुछ चुने हुए महत्वपूर्ण स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि ।
2. जिन मामलों में वित्तीय सहमति आवश्यक होती है उनकी आर्थिक सीमा में वृद्धि ।
3. मौके पर दावों को प्राप्त करने तथा निपटाने के लिए अनेक स्टेशनों पर चल दावा कार्यालयों की स्थापना ।
4. दावा कार्यालयों को खोये हुए माल की अग्रिम रिपोर्ट भेजना ।
5. क्षतिपूर्ति दावों को निपटाने के लिए तंत्र को सुप्रभावी बनाना तथा उसका पुनर्गठन करना ।
6. गुण-दोष के आधार पर न्यायालय के बाहर बातचीत द्वारा दावों का निपटारा करना ।

मद्रास बीच स्टेशन-थ्रुवनमियूर लाइन का विद्युतीकरण

559. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास बीच स्टेशन तथा थ्रुवनमियूर को जोड़ने के लिए एक विद्युतीकरण लाईन का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उक्त योजना कब तक चालू हो जाएगी ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल मन्त्रालय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सेथुसमुद्रम परियोजना

560. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेथुसमुद्रम परियोजना के बारे में "श्री कोयलपिल्लई" का प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है; और

(ख) श्री कोयलपिल्लई के प्रतिवेदन के आधार पर सेथुसमुद्रम परियोजना की आर्थिक दृष्टि से उपयोगिता का अध्ययन करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) सेथुसमुद्रम परियोजना पर होने वाले खर्च की जांच करने के लिए मन्त्रालय के विकास सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है । श्री कोयलपिल्लई भी इस समिति के सदस्य हैं ।

कोट्टयम-मदुरा पर्वतीय रेलवे

561. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के अन्तर्गत कोट्टयम-मदुरा पर्वतीय रेलवे के लिए कभी कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कोट्टयम-मदुरा पर्वतीय रेलवे का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ कर देने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) जी, हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिवेन्द्रम-एर्नाकुलम लाइन का विद्युतीकरण

562. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि त्रिवेन्द्रम-एर्नाकुलम रेलवे लाइन को दोहरा करने तथा विद्युतीकरण करने की जरूरत है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार निकट भविष्य में क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस खण्ड की वर्तमान क्षमता को पर्याप्त समझा जाता है । इसलिए, इस खण्ड पर दोहरी लाइन बिछाना आवश्यक नहीं है । इसके अलावा, इस खण्ड के यातायात का घनत्व इतना नहीं है कि अभी इसका विद्युतीकरण करना आवश्यक हो ।

हिन्दुस्तान लेटेक्स, त्रिवेन्द्रम का प्रसार और विकास

563. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लेटेक्स, त्रिवेन्द्रम के प्रसार और विकास के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी स्वीकृति न दिये जाने के क्या कारण हैं और सरकार उसकी स्वीकृति कब तक देगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सरकार किसी निश्चित प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है । फिर भी, त्रिवेन्द्रम स्थित

सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम मैसर्स हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, जो कण्डोम तैयार करता है, अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की सम्भावनाओं की जांच कर रहा है ।

हिन्दुस्तान लेटेक्स त्रिवेन्द्रम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

564. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1980 में हिन्दुस्तान लेटेक्स त्रिवेन्द्रम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) कर्मचारी कितने दिनों तक हड़ताल पर रहे थे और क्या अब भी हड़ताल जारी है; और

(ग) क्या प्रबन्धकों ने कोई कदम उठाए हैं ताकि हड़ताल न हो और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :

(क) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के कर्मचारी अपने वेतन और भत्तों तथा अन्य सेवा शर्तों में पर्याप्त सुधार करने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं ।

(ख) हड़ताल 3 दिसम्बर, 1980 से चल रही है ।

(ग) कम्पनी में सामान्य स्तर से बहुत कम उत्पादन होने तथा पिछले दो वर्षों से उसके घाटा उठाने के बावजूद भी प्रबन्धकों ने कर्मचारियों को अतिरिक्त परिलब्धियां तथा अन्य सीमांत लाभ जैसे उदार रियायतें देने की पेशकश की है । कर्मचारियों से निश्चित उत्तर न मिलने के परिणामस्वरूप यह मामला राज्य की श्रमिक समझौता मशीनरी के पास चला गया है जिसके सम्मुख समझौता करने के लिए कई अनिर्णायक बैठकें हो चुकी हैं ।

उद्घाटन हो चुकी रेल लाइनों का निर्माण

565. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: पिछले तीन वर्षों में जिन रेलवे लाइनों के निर्माण कार्य का प्रधान मन्त्री तथा रेल मन्त्री द्वारा उद्घाटन किया जा चुका है उनके क्या नाम हैं और इन लाइनों के निर्माण कार्य में प्रत्येक मामले में क्या प्रगति हुई हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम सं०	विवरण	लम्बाई कि० मी०	दिसम्बर,'80 तक काम की प्रगति का प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	नडियाद-कपडवंज मोडासा	105.14	7.2%	रेल मन्त्री द्वारा अप्रैल, 1978 में उद्घाटन किया गया ।

1 2	3	4	5
2. आप्ता-रोहा	52. 0	37%	30 अप्रैल, 1978 को रेल मन्त्री द्वारा निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया।
3. धर्मनगर-कुमारघाट	33.50	3.34	3,11 1978 को प्रधान मंत्री द्वारा की गयी घोषणा।
4. सिलचर-जिरीबाम	50.36	1.51	
5. लालाघाट-भैरावी	48.77	8.2	
6. गुवाहाटी-बर्नीहाट	28.21	8.3	
7. बालीपाड़ा-भालूकपोंग	33.45	1.0	
8. आमगुड़ी-तुली	17.07	अनन्तिम स्थान निर्धारण का काम जारी है।	
9. तिरुवनंतपुरम-कन्याकुमारी	87. 0	कार्य पूरा हो गया।	15.4.79 को प्रधान मंत्री द्वारा यातायात शुरू करने के लिए उद्घाटन किया गया।
10. एर्णाकुलम-एलैप्पी	52.00	3.5	19.5.79 को रेल मन्त्री द्वारा निर्माण कार्य का उद्घाटन।
11. सुब्रामानया रोड-सकलेशपुर-घाट खंड़ (हसन-मैंगलुरु नया लाइन का भाग)	42. 0	कार्य पूरा हो गया है।	20.5.1979 को रेल मंत्री द्वारा यातायात शुरू करने के लिए उद्घाटन किया गया।
12. रोहतक-भिवानी	49. 3	कार्य पूरा हो गया है।	3.6.80 को रेल मन्त्री द्वारा यातायात शुरू करने के लिए उद्घाटन किया गया।
13. शामली-सहारनपुर (दिल्ली-शाहदरा-सहारनपुर लाइन का भाग)	68. 9	कार्य पूरा हो गया है।	14.11.1980 को रेल मंत्री द्वारा यातायात शुरू करने के लिए उद्घाटन किया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलवे के कार्यक्रम

566. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलवे के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए क्या-क्या प्राथमिकताएं हैं;

(ख) रेलवे के लिए छठी योजना के कुछ आकार में से प्रस्तावित परिव्यय के संदर्भ में प्रत्येक मद के लिए क्या अनुपात है; और

(ग) पहले की प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता की तुलना में यह कितनी न्यूनाधिक है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) देश की यातायात संबंधी आवश्यकताओं को यथासम्भव अधिकतम सीमा तक पूरा करने के अतिरिक्त रेलों की छठी पंचवर्षीय योजना में रेलों की परिसम्पत्तियों के पुन: स्थापन तथा व्यस्त ट्रंक मार्गों पर विद्युतीकरण के काम को तेजी से पूरा करने पर बल दिया गया है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

योजना के शीर्ष	छठी योजना		पांचवीं योजना**		चौथी योजना	
	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय	योजना के कुल परिव्यय का प्रतिशत	वास्तविक	योजना के कुल परिव्यय का प्रतिशत	वास्तविक	योजना के कुल परिव्यय का प्रतिशत
चल स्टाक	2100	41.2	785.56	51.6	587.47	41.1
मशीन और संयंत्र	230	4.5	32.51	2.1	21.46	1.5
कारखाने तथा शैड	280	5.5	41.97	2.8	19.48	1.4
रेल पथ का नवीकरण	500	9.7	142.32	9.3	158.22	11.1
पुल संबंधी काम	90	1.7	32.87	2.2	26.43	1.9
यातायात सुविधाएं	4400	9.4	226.65	14.9	224.97	15.8
सिगनल और दूर संचार	90	1.8	57.30	3.8	60.88	4.3
विद्युतीकरण	450	8.8	78.93	5.2	70.04	4.9
विद्युत सम्बन्धी अन्य कार्य	20	0.4	17.14	1.1	18.51	1.3
नई लाइनें	380	7.5	80.22	5.3	66.68	4.7
कर्मचारी कल्याण	30	0.6	18.61	1.2	15.17	1.1
कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	60	1.2	22.56	1.5	31.42	2.2
रेल उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाएं	25	0.5	13.74	0.9	19.60	1.4
अन्य निर्दिष्ट कार्य	20	0.4	9.86	0.6	9.58	0.7
भण्डार सूची	40	0.8	−102.80	−6.7	76.69	5.4
सड़क सेवाओं में निवेश	50	1.0	32.49	2.1	13.16	0.9
महानगर परिवहन परियोजना	255	5.0	33.29	2.2	8.56	0.6
	5100		1523.22		1428.32	

** पांचवीं योजना को एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया।

योजना के शीर्ष	तीसरी योजना		दूसरी योजना		पहली योजना	
	वास्तविक	योजना के कुल परिव्यय का प्रतिशत	वास्तविक	योजना के कुल परिव्यय का प्रतिशत	वास्तविक	योजना के कुल परिव्यय का प्रतिशत
चल स्टाक	542.36	32.2	372.62	35.7	228.02	53.8
मशीन और संयंत्र	11.01	0.7	17.00	1.6	14.06	3.3
कारखाने तथा शैड	47.59	2.8	28.10	2.7		
रेल पथ नवीकरण	215.28	12.8	154.22	14.8	68.03	16.1
पुल संबंधी कार्य	27.87	1.7	32.06	3.1		
यातायात सुविधाएं	320.48	19.0	173.44	16.6		
सिगनल तथा दूर संचार	37.77	2.2	17.31	1.7		
विद्युतीकरण	80.71	4.8	53.77	5.2		
विद्युत संबंधी अन्य कार्य	4.36	0.3	—			
नई लाइनें	211.96	12.6	77.83	7.5	33.35	7.9
कर्मचारी कल्याण	16.74	1.0	11.32	1.1		
कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	44.29	2.6	47.86	3.6		
उपयोगकर्त्ताओं के लिए सुविधाएं	14.63	0.9	14.71	1.4	13.34	3.1
अन्य निर्दिष्ट कार्य	27.42	1.6	30.39	2.9		
भण्डार सूची	75.71	4.5	17.72	1.7		
सड़क सेवाओं में निवेश	7.65	0.5	5.34	0.5		
महानगर परिवहन परियोजना	—		—			
अन्य संरचना इंजीनियरी कार्य, सवारी डिब्बा कारखाना, चितरंजन रेल इंजन कारखाना, जी० पी० पी०, कोयला खानें, बन्दरगाहें तथा					68.10	16.1
कर्मचारी क्वार्टर सहित विविध व्यय					1.17	—0.3
	1685.83		1043.69		423.73	

* भण्डार इतिशेष में कमी और जमा खाते मुक्त की गई सामग्रियों के और अन्य वसूलियो के कारण ।

शिवाजी की तलवार का वापस लाया जाना

567. **स्वामी इन्द्रवेश :**

श्री राजेश कुमार सिंह :

,, एम. राजगोपाल रेड्डी :

,, राम विलास पासवान :

श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: क्या इस समय ब्रिटेन में विद्यमान शिवाजी की ''भवानी'' तलवार को भारत वापस लाने के लिए भारत की सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शिव शंकर) : जी, हां। यूनाइटेड किंगडम में भारत का हाई कमीशन ब्रिटिश प्राधिकारियों से सम्पर्क में है और शिवाजी से सम्बद्ध तलवार वापस ले आने के लिए प्रयत्न कर रहा है।

वनस्पति में विटामिन ''ए'' मिलाने की छूट देने की अनुमति

468. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति निर्माताओं को वनस्पति में विटामिन ''ए'' मिलाने से छूट देने के प्रस्ताब के बारे में अपमिश्रण निवारक नियम, 1955 में संशोधन पर आपत्तियां मांगने की राजपत्र में अधिसूचना जारी की थी, और

(ख) यदि हां, तो प्राप्त आपत्तियों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) जनता से मिली आपत्तियों/सुझावों की जांच की जा रही है और उसके पूरा हो जाने पर ही सरकार कोई निर्णय करेगी।

''गांधी'' फिल्म बनाने वाली कम्पनी को रेलवे द्वारा दी गई सहायता

569. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'गांधी' फिल्म बनाने वाली एक विदेशी कम्पनी को रेलवे द्वारा क्या सहायता दी ग ई है; और

(ख) इस पर कुल कितना व्यय होगा और कम्पनी द्वारा रेलवे को कितना भुगतान किया गया है; और

(ग) रेलवे के किन-किन उपकरणों की मांग की गई थी और कितनी अवधि के लिए ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फिल्म 'गांधी' के निर्माताओं

मैसर्स इंडो ब्रिटिश फिल्म लि० को रेलों द्वारा रेलवे स्टेशनों और चलती गाड़ियों में शूटिंग की अनुमति देकर और चल स्टाक, रेल इन्जनों तथा कर्मचारियों की व्यवस्था करके सहायता की जा रही है।

पहले दिये गये और भविष्य में दिये जाने वाले चल स्टाक, रेल इंजन उनके उपस्कर का ब्यौरा उनकी अवधि सहित संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) निर्माताओं को पहले ही दी गई सभी प्रकार की सहायता तथा भविष्य में शूटिंग के लिए मांगी जाने वाली सहायता के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि गाड़ियों के फेरों और स्कौनियों, प्रभारों, शूटिंग की लाइसेंस फीस आशोधन प्रभारों कर्मचारी खर्च तथा अन्य प्रभारों पर लगभग 30 लाख रुपये की लागत आएगी। रेलों द्वारा शूटिंग के लिए दी गई सुविधाओं हेतु निर्माताओं द्वारा 1 लाख रुपये की राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

विवरण

फिल्म 'गांधी' के निर्माताओं द्वारा मांगे गये रेल उपस्कर और चल स्टाक की अवधि तथा ब्यौरा का विवरण :

5-6-12 और 13 जनवरी, 1981 को उत्तर रेलवे के गढ़ी हरसरु और फरुखनगर स्टेशनों पर फिल्म 'गांधी' की शूटिंग के लिए निम्नलिखित मीटर लाइन के चल स्टाक और रेल इंजनों की व्यवस्था की गई थी।

1. 2 पुराने भाप रेल इन्जन (जी-1 और एम. जे. क्लास)
2. 1 चिकित्सा यान
3. 5 निरीक्षण यान
4. 1 बोगी फ्लेट माल डिब्बा
5. एक जनित्र यान
6. लोको कर्मचारियों के लिए एक विश्राम यान
7. दूसरे दर्जे के 10 पुराने यान

निर्माताओं द्वारा अपेक्षित उपरोक्त चल स्टाक तीन सप्ताह के लिए फरुखाबाद और गढ़ी हरसरु से मांगा गया था।

13 फरवरी, 1981 को फिल्म की शूटिंग के लिए बम्बई सेंट्रल स्टेशन पर 7 पुराने भाप इंजन और 7 पुराने यानों की व्यवस्था की गयी थी। फिल्म के निर्माताओं ने यह चल स्टाक केवल एक सप्ताह ही रोका।

गढ़ी हरसरु और फरुखनगर में शूटिंग के लिए दिए गए मीटर लाइन के चल स्टाक के अलावा, निर्माताओं द्वारा 14 और 16 अप्रैल, 1981 को जयपुर मण्डल में आसलपुर-जोबनेर खंड पर शूटिंग के लिए निम्नलिखित चल स्टाक की फिर से मांग की गई थी।

2 पुराने भाप इंजन

4 निरीक्षण यान

2 दूसरे दर्जे के यान

1 जनित्र ले जाने वाली बोगी फ्लैट रेल

2 कर्मचारी यान

फुलेरा से उदयपुर तक चलती गाड़ी से गांवों की शूटिंग करने के लिए उपरोक्त चल स्टाक वाली एक गांड़ी (2 पुराने भाप इन्जनों को छोड़कर) चलाई जानी है।

यही गाड़ी पश्चिम रेलवे के मावली-उदयपुर तक और डूंगरपुर-उदयपुर खन्डों पर शूटिंग के लिए भी अपेक्षित है।

निर्माताओं को इस गाड़ी के चल स्टाक की उपरोक्त अनुक्रम में शूटिंग करने के लिए लगभग 6 सप्ताह के लिए आवश्यकता पड़ेगी।

फिल्म के निर्माताओं द्वारा 1 भाप रेल इन्जन, 2 माल डिब्बे और एक बक्तरबन्द गाड़ी, जिसमें 6 वाहन होंगे, जो कि इस समय नई दिल्ली स्थित रेल परिवहन संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए रखे हैं, पश्चिम रेलवे के उदयपुर मण्डल पर शूटिंग के लिए मार्च/अप्रैल, 1981 में लगभग एक मांस के लिए मांगे गये हैं।

निर्माताओं द्वारा 5 से 11 अप्रैल, 1981 तकपूर्व रेलवे के दानापुर मण्डल में शूटिंग के लिए बड़ी लाइन के 2 भाप रेल इन्जन और दूसरे दर्जे के 9 पुराने यान मांगे गये हैं।

फिल्म के निर्माताओं को इस चल स्टाक की आवश्यकता, ट्रायल रन (परीक्षात्मक चालन) फिल्मांकन पूर्व सुविधाओं आदि के लिए लगभग 3 सप्ताह के लिये पड़ेगी।

10 और 11 अप्रैल, 1981 को दानापुर मण्डल के डीधा घाट स्टेशन पर शूटिंग के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

गांवों के शाट लेने के लिए चलती गाड़ी से सिलीगुड़ी-दार्जिलिंग खण्ड पर शूटिंग की जाएगी।

बिहार और पश्चिम बंगाल में रेलवे कर्मचारियों को परेशान किया जाना

570. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार और पश्चिम बंगाल के सभी रेलवे विभागों में कर्मचारियों को अधिक परेशान किए जाने की जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप यात्री यातायात के आवागमन में बाधा तथा विलम्ब हुआ है और माल समय पर नहीं पहुंचा है जिससे राष्ट्रीय राजस्व को भारी हानि होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय सोचे गये हैं और किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन

571. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री नारायण चौबे :

श्री पी० एम० सईद :

श्री चित्त महाटा : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में इस वर्ष 9 फरवरी से आयोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आमन्त्रित देशों और भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उक्त सम्मेलन में कम्पूचिया को आमन्त्रित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां । 9 से 13 फरवरी, 1981 तक नई दिल्ली में गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ ।

(ख) गुट-निरपेक्ष देशों के आंदोलन के पूर्ण सदस्यों के तौर पर निम्नलिखित देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया ।

अफगानिस्तान, जन गणराज्य अल्जीरिया, अंगोला, अर्जेन्टाइना, बहरीन, बंगलादेश, बेनिन, भूटान, बोलीविया, बोटसवाना, बुरुंडी, केप वर्दे, मध्य अफ्रीका, गणतन्त्र, चाड, कोमोरस, कांगो, क्यूबा, साइप्रस, कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य, लोकतांत्रीय यमन, जिबती, मिस्र, इक्वेटोरियल गिनी, ईथेपिया, गैबन, गेम्बिया, घना, ग्रेनाडा, गिनी, गिनी बिसाऊ, म्यान, भारत, इन्डोनेशिया, ईरान, इराक, आइवरी कोस्ट, जमायका, जोर्डन, केन्या, कुवैत, लाओस लोक जनगण राज्य, नबनान, लेसोथो, लाइबेरिया, लीबियाई अरब जमहूरिया, मेडागास्कर, मलयेशिया, मलदीव, माली, मालूटा, मारीतानिया, मारीशस, मोरक्को, मोजाम्बीक, नेपाल, नेकारगुआ, नाइजर, नाइजीरिया, ओमान, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन, पाकिस्तान, पानामा, पेरु, कतार, रवान्डा, सेंटलूसिया, साओं ग्रेन और प्रिंसाइप, साऊदी अरब, सेनेगल, सेशेल्स, सियेरा लियोन, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी जन संगठन, श्रीलंका, सूडान, सूरीनाम, स्वाजीलैंड, सीरिया अरब गणतन्त्र, टोगो, त्रिनीदाद, यौर टोबागो, ट्यूनीसिया, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, केमरून संयुक्त गणराज्य, तंजानिया संयुक्त गणराज्य, अपर बोल्टा, वियतनाम, यमन अरब गणराज्य, युगोस्लाविया, जाइर, जाम्बिया और जिम्बाबवे, ।

गुजरात में जनवरी में रद्द की गई यात्री और माल गाड़ियां

572. **श्री रामजी भाई मावणि :**

श्री नरसिंह मकवाना : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जनवरी 1980 से 31 जनवरी 1981 के बीच गुजरात में पश्चिम रेलवे में विभिन्न सैक्शनों और डिविजनों पर अनेक माल और यात्री गाड़ियां रद्द की गई थीं;

(ख) रद्द की गई प्रत्येक गाड़ी का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) उनमें से कितनी पुनः चालू कर दी गई हैं;

(घ) अन्य रद्द गाड़ियां पुनः कब से चालू की जाएंगीं;

(ङ) क्या डिविजन मुख्यालयों, रेलवे बोर्ड में रेलवे अधिकारियों तथा मंत्रियों को महत्वपूर्ण व्यक्तियों, विभिन्न संगठनों, वाणिज्य मंडलों आदि के प्रतिनिधि मंडल अभ्यावेदन, संकल्प और शिकायतें मिली हैं, और क्या गाड़ियों को रद्द किए जाने पर वहां पर भारी रोष व्याप्त है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस रोष को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (च) चूंकि देश में भाप कोयले की वर्तमान समग्र उपलब्धता रेलों और उद्योगों की सम्मिलित अपेक्षाओं को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए काफी नहीं है, इसलिए कोयला के वितरक और वाहक होने के कारण रेलों को विभिन्न औद्योगिक यूनिटों की अपेक्षाओं को भी पूरा करना होता है। मितव्ययिता के विभिन्न क्षेत्रों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए रेल सेवाओं के लिए इन्जनों के कोयले की खपत को स्वैच्छिक रूप से कम भी करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप जनवरी, 81 महीने के दौरान गुजरात में 56 जोड़ी यात्री गाड़ियां और 176 माल गाड़ियां रद्द करनी पड़ी थीं। इनमें से 2 जोड़ी यात्री गाड़ियां 13.2.81 को पुनः चला दी गयी थीं।

इस सम्बन्ध में सेवाओं को पुनः आरम्भ करने के लिए कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। रेलों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संतोषजनक स्तर तक लदान बढ़ाने के लिए रेलों को हिदायतें दी गयी हैं। भाप कोयला की उपलब्धता में सुधार होने पर रद्द की गयी गाड़ियों को धीरे-धीरे पुनः चालू कर दिया जायेगा।

बांद्रा और अन्धेरी के बीच एक महिला प्राध्यापक की हत्या

573. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3 जनवरी, 1981 को बांद्रा और अंधेरी (बम्बई) के बीच उपनगरीय पश्चिम रेलवे के प्रथम श्रेणी के रेलवे डिब्बे में उपनगरीय कालेज के एक महिला प्राध्यापक की नृशंस हत्या किन परिस्थितियों में की गई थी;

(ख) ड्यूटी में उपेक्षा बरतने के लिए रेलवे सुरक्षा दल के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) प्रथम क्षेणी के डिब्बों में इस प्रकार किए जा रहे अपराधों को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 3.1.81 को रात के लगभग 10.58 बजे, जब बिलार जाने वाली 231 डाउन लोकल गाड़ी अंधेरी स्टेशन पर पहुंची, तो कुछ यात्रियों ने गाड़ी के पहले दर्जे में प्रो॰ श्रीमती पी० एस० शान्ता देवी को खून में लथ-पथ पाया। हत्या किन परिस्थितियों में की गयी, इसकी जांच पुलिस द्वारा अभी की जा रही है।

(ख) उस उपनगरीय गाड़ी में रेलवे सुरक्षा बल का कोई कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं था। अतः रेलवे सुरक्षा बल के किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता है। इसके अतिरिक्त, गाड़ी में यात्रा करते समय यात्रियों की जान-माल की रक्षा करने की जिम्मेदारी राजकीय रेलवे पुलिस की है।

(ग) भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत राजकीय रेलवे पुलिस बांद्रा ने एक मामला दर्ज किया है और यह मामला सी० आई० डी० पुलिस बम्बई को सौंप दिया है जो कि मामले की जांच कर रही है। पश्चिम रेल प्रशासन ने बम्बई उपनगरीय खंड की राजकीय रेलवे पुलिस में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की अनुमति दे दी है जिससे इस क्षेत्र के सभी उपनगरीय प्लेटफार्मों पर सुरक्षा के उपायों को कड़ा किया जा सके।

विलम्ब शुल्क को बट्टे खाते डालना

574. **श्री नारायण चौबे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग उद्योगपतियों द्वारा माल की सुपुर्दगी लेने में विलम्ब के कारण पड़ने वाले विलम्ब शुल्क के रूप में प्रति वर्ष लाखों रुपये की राशि बट्टे खाते में डाल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विलम्ब प्रभारों को बट्टे खाते में नहीं डाला जाता बल्कि प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर समक्ष प्राधिकारी द्वारा माफ कर दिया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्योर ड्रिंक्स प्राइवेट लि० द्वारा रेल विभाग की भूमि पर कब्जा

575. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक लेखा समिति की सिफारिश के अनुसार प्योर ड्रिंक्स (प्रा०) लि० तथा उनकी सहयोगी कम्पनी द्वारा 1942 से रेल विभाग की भूमि पर अनधिकृत कब्जा किए रहने के बारे में जांच करने के लिए रेल बोर्ड द्वारा एक उच्चाधिकार समिति स्थापित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मामले को प्रेम-भाव और शीघ्र सुलझाने का प्रशासन का सदा प्रयास रहा है।

रेल प्रशासन द्वारा सभी विनिश्चय उचित विचार-विमर्श करके और विभिन्न गुण-दोषों को ध्यान में रख कर किये जाते हैं। इन परिस्थितियों में रेल मंत्रालय ने यह महसूस किया कि और अधिक जांच कीं आवश्यकता नहीं है और लोक लेखा समिति द्वारा इस सिफारिश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया।

कलकत्ता में सर्कुलर रेल

576. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता राज्य के विभाजन और 1947 से बाहर से शरणार्थियों और पड़ौसी राज्यों से लोगों के निरन्तर भारी संख्या में आगमन के कारण वहां अत्यधिक जनसंख्या हो जाने को देखते हुए कलकत्ता में सर्कुलर रेल के लिए सरकार को बार-बार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता में पड़ौसी राज्यों से लोग भारी संख्या में आ रहे हैं जिससे नगर की जनसंख्या में गम्भीर रूप से वृद्धि हुई है और वहां पर नियमित रूप से अड़चनें रही हैं;

(ग) क्या सरकार को वर्तमान रेल लाइनों की जानकारी है और व्यक्तियों की संख्या में इसकी सेवाओं और उत्पादन में कमी से तुलना करने पर निवेश बहुत कम होगा; और

(घ) क्या उनका विचार कलकत्ता के चारों ओर सर्कुलर रेल चलाने का है जिसके लिए रेल लाइन पहले से ही मौजूद है और इस सम्बन्ध में निवेश काफी कम होगा ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट रेलवे लाइनों पर दमदम जंक्शन से प्रिंसेप घाट तक एक सर्कुलर रेलवे की व्यवस्था करने के प्रस्ताव की 1979 में पूर्व रेलवे द्वारा विस्तृत जांच की गयी थी और यह पाया गया था कि दमदम जंक्शन और प्रिंसेप घाट के बीच कलकत्ता पोर्ट ट्रमीशनर के रेल पथ पर लगभग 81 समपार होने, चल स्टाक में अधिक व्यवधान पड़ने, कई तीक्ष्ण घुमाओं के होने, पोर्ट परिचालन से सम्बन्धित सुविधाओं में बाधा पड़ने और तेज रफ्तार वाली गाड़ियों से उत्पन्न कम्पन से नदी तट के धसने का खतरा होने के कारण दमदम जंक्शन और प्रिंसेप घाट के बीच उपनगरीय गाड़ियां नहीं चलायी जा सकतीं।

पड़ोसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध

577. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के समूचे हित में, सरकार पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा, चीन और अफगानिस्तान आदि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध रखना अत्यन्त आवश्यक समझती है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं— देशवार ब्यौरा दीजिए ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) देशवार विवरण इस प्रकार है :

बंगला देश

भू-सीमा, समुद्रीं सीमा, सीमा पर अवैध आवागमन और रेलवे पारगमन सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय प्रश्नों पर मन्त्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक-दूसरे देश की नियमित यात्राओं के माध्यम से रचनात्मक बातचीत करके भारत, बंगलादेश के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए बराबर प्रयत्न कर रहा है। दोनों देशों के बीच अक्तूबर और दिसम्बर, 1980 में क्रमशः एक व्यापार करार और सांस्कृतिक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए गए।

बर्मा

सरकार बर्मा के साथ मित्रता और परस्पर लाभदायक सहयोग के सम्बन्धों को विकसित और सुदृढ़ करने का प्रयत्न कर रही है जो नवम्बर, 1980 में राष्ट्रपति यू ने विन की भारत यात्रा के परिणामस्वरूप और सुदृढ़ हुए हैं। भारत, बर्मा में 21 प्रायोगिक परियोलनाएं स्थापित कर रहा है और अपनी उच्चतर तकनीकी और अनुसंधान संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं को उसके साथ बांट रहा है।

चीन

चीन के साथ सम्बन्धों के बारे में भारत सरकार की नीति को 16 फरवरी, 1981 को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण में नीचे लिखे अनुसार दोहराया गया है :

> "यह बात बार-बार साफ तौर पर दोहराई जा चुकी है कि हम चीन के साथ अपने सम्बन्धों को और सामान्य बनाने तथा विद्यमान सभी समस्याओं पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चीन भी अपनी ओर से ऐसी तत्परता का परिचय देगा।"

भारत इसके लिए सतत प्रयत्न करता रहा है। संसद के पिछले अधिवेशन के बाद, दोनों सरकारों के बीच सम्पन्न एक समझौते के अन्तर्गत, दोनों देशों के समाचार-पत्रों के सम्वाददाता एक-दूसरे के देश में गये हैं। विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि कृषि, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं खेलों में कार्यात्मक आदान-प्रदान भी हुआ है।

छठी योजना में कैंसर के उपचार की सुविधाओं को बढ़ाने की योजनाएं

578. **श्री त्रिदिव चौधरी :**

श्री आर० प्रभु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में देश में कैंसर के उपचार की सुविधाओं को बढ़ाने तथा इस उद्देश्य हेतु प्रादेशिक केन्द्र खोलने सम्बन्धी सरकार की क्या योजनायें हैं;

(ख) प्रस्तावित प्रादेशिक केन्द्रों के स्थापना स्थल क्या हैं; और

(ग) क्या इसमें से किसी केन्द्र के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क)

से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय कैंसर अनुसंधान और उपचार के काम में लगी हुई राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों और स्वैच्छिक संगठनों को (I) कैंसर का शुरू में निदान करने वाले केन्द्र खोलने, (II) कोबाल्ट थेरेपी यूनिटों की स्थापना करने और (III) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों का विकास करने के लिए केन्द्रीय सहायता देता है। कलकत्ता, मद्रास, नई दिल्ली और बम्बई स्थित चार वर्तमान क्षेत्रीय केन्द्रों के अलावा, इस मन्त्रालय ने ग्वालियर, अहमदाबाद, त्रिवेन्द्रम, कटक, गोहाटी और बंगलौर स्थित वर्तमान कैंसर केन्द्रों को मान्यता देने और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उनका केन्द्रीय क्षेत्रों के रूप में विकास करने का निश्चय किया है। उपर्युक्त छः केन्द्रों में पहले से ही सेवाएं सुलभ की जा रही हैं। यह मन्त्रालय इन छः केन्द्रों का क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में विस्तार और विकास करने हेतु उन्हें उपयुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

कटिहार में यानान्तरण सुविधाएं

579. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तरी सीमांत रेलवे के कटिहार स्टेशन पर यानान्तरण सुविधाओं में विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यानान्तरण सुविधाओं के विस्तार की योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इस पर कितना रुपया खर्च होगा ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) बड़ी लाइन और मीटर लाइन की साइडिगों सहित 0 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 350 मीटर लम्बे यानान्तरण प्लेटफार्म की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

कटिहार-जोगबनी और बरौनी-कटिहार सैक्शनों में गाड़ियों का देर से चलना

580. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व सीमांत रेलवे के कटिहार-जोगबनी सेक्शन में तथा पूर्वोत्तर रेलवे के बरौनी-कटिहार सेक्शन में रेलगाड़ियों की समय की पाबन्दी को बरकरार रखना कठिन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन सेक्शनों पर कितने दिन यात्री गाड़ियां, रेलगाड़ी-वार तथा तिथि-वार, देर से पहुंचीं तथा इसके क्या कारण थे तथा इस बारे में क्या कदम उठाए गए;

(ग) उत्तर सीमांत रेलवे तथा पूर्वोत्तर रेलवे में, डिवीजन-वार, भाप तथा डीजल के कितने इंजन थे;

(घ) क्या रेलवे इंजनों की मरम्मत के लिए पर्याप्त संख्या में फालतू कल पुर्जों की सप्लाई न तो स्टोर द्वारा की जाती है और न वे बाजार से खरीद कर उपलब्ध कराए जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन सेक्शनों पर गाड़ियों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क), (ख) और (ङ) जी, नहीं ।

लेकिन बरौनी-कटिहार तथा कटिहार-जोगबनी खंडों सहित पूर्वोत्तर सीमा रेलों पर 'समय न खोने वाली सवारी गाड़ियों' की समय की पाबन्दी संतोषजनक नहीं रही है और यह लगभग 75.0 प्रतिशत थी । मुख्यतया खतरे की जंजीर खींचे जाने, हौज पाइप अलग करने, जनता/कर्मचारियों के आन्दोलनों, इंजन की खराबियों/कमियों, लाइनों के आमान-परिवर्तन आदि की बढ़ी हुई घटनाओं के कारण इन गाड़ियों के परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

गाड़ियों की समय-पाबन्दी पर, सभी स्तरों पर कड़ी नजर रखी जा रही है । परिहार्य स्कौनियों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है और गाड़ियों के संचालन में सुधार लाने के लिए उपचारात्मक/दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है । शरारती तत्वों द्वारा खतरे की जंजीर खींचने और हौज पाइप अलग करने की घटना को रोकने के लिए राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए रखा जा रहा है ।

(ख) पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर भाप और डीजल रेल इंजनों की संख्या नीचे दी गई है :

पूर्वोत्तर रेलवे

भाप इंजन	मंडल	रेल इंजनों की संख्या
1	2	3
बड़ी लाइन	समस्तीपुर	12
	सोनपुर	16
		28
मीटर लाइन	इज्जतनगर	135
	लखनऊ	230
	वाराणसी	145
	समस्तीपुर	164
	सोनपुर	108
		782

1	2	3
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे		
डीजल रेल इंजन		
मीटर लाइन		99
भाप इंजन		
बड़ी लाइन		
	कटिहार	68
	अलीपुरद्वार	10
		78
मीटर लाइन		
	कटिहार	68
	अलीपुरद्वार	99
	लमडिंग	109
	तिनसुकिया	72
		348

(घ) पिछली खपत और खपत के रुख के आधार पर फालतू पुर्जों आदि की खरीद की योजना बनाई जाती है । लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंजनों के पुर्जे प्राप्त करने में उस समय कुछ कठिनाई रही जब उस क्षेत्र में विभिन्न अशान्त परिस्थितयों के कारण सप्लाई नहीं हो पायी थी। इस कठिनाई पर काबू पाने की दृष्टि से अन्य रेलों को इस आशय के अनुदेश दिए गए थे कि वे फालतू पुर्जों आदि की खरीद और सप्लाई के मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र की रेलों की सहायता करें। क्षेत्रीय रेलों तथा यूनिटों को भी खरीद की आपतकालीन शक्तियां दी गयी हैं और क्षेत्र अधिकारियों को ऐसे संकट का सामना करने के लिए सप्लाई की मदों में तंगी/कमी के समय पुर्जों की खरीद के लिए आपतकालीन शक्तियां दी गयी हैं।

अमरीका के विदेश मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

581. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जनवरी, 1981 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार, अमरीका के विदेश मन्त्री जनरल अलेक्जेंडर एम० हियाग ने यह कहा बताया जाता है कि भारत सम्बन्धी नीतियों पर विचार पाकिस्तान सम्बन्धी नीतियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शिव शंकर) : (क) जनरल एलेक्जेंडर एम० हैग ने अमरीकी सीनेट की विदेश सम्बन्ध समिति के समक्ष पुष्टिकारी सुनवाई के दौरान जो ब्यान दिए थे, उनके बारे में सरकार को जानकारी है। अमरीकी विदेश नीति के नाभिकीय अस्त्रों के प्रसार पर प्रतिबन्ध लगाने से सम्बद्ध उद्देश्यों की चर्चा करते हुए जनरल हैग ने कहा था कि इस क्षेत्र में अमरीका की नीति में "एक क्षेत्रीय अर्थ में निरन्तर एकरूपता होनी चाहिए" और इसीलिए भारत के प्रति जो भी नीतियां हों वे पाकिस्तान के प्रति नीतियों के अनुरूप ही होनी चाहिए।

(ख) भारत सरकार को पूरा विश्वास है कि संयुक्त राज्य अमरीका अथवा किसी भी अन्य देश के साथ भारत के सम्बन्धों में निरन्तर सुधार के लिए यह जरूरी नहीं कि यह उस देश विशेष और पाकिस्तान के बीच अच्छे सम्बन्ध के अनुरूप ही हो।

"स्टेटमेंट अबाउट रशिया मेड डेलिबरेटली : देसाई" शीर्षक से समाचार

582. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 14 जनवरी, 1981 के "टाइम्स आफ इन्डिया" नई दिल्ली में "स्टेटमेंट अबाउट एशिया मेड डेलिबरेटली : देसाई-शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) लोक सभा में 5 दिसम्बर, 1980 को इस विषय पर सर्वश्री इन्द्रजीत गुप्त, वी० के० यादव, नारायण चौबे तथा श्रीमती गीता मुखर्जी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में दिए गए विस्तृत वक्तव्य में सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया गया था। माननीय सदस्य की सूचना के लिए एक प्रति संलग्न है। देखिए संलग्न विवरण।

श्री इन्द्रजीत गुप्त की एक टिप्पणी के उत्तर में यह बताया गया था कि उस मौके पर श्री मोरार जी देसाई का यह वक्तव्य इतना महत्व रखता है कि उसे आकस्मिक नहीं कहा जा सकता। सरकार को इस बारे में और कुछ नहीं कहना है।

विवरण

लोक सभा में 5-12-1980 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में विदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव का वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने आज सवेरे के अखबारों में भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई के उस वक्तव्य के सम्बन्ध में खबर देखी है जिसमें उन्होंने यह कहा बताते हैं कि सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के नेताओं ने उन्हें पाकिस्तान को "एक सबक सिखाने" का सुझाव दिया था। उन्होंने यह भी कहा बताते हैं कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह कहा है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध आसन्न है।

अध्यक्ष महोदय, हमने सभी रिकार्ड देखे हैं और यह देखने के बाद मैं बहुत साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि उनमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे उसकी पुष्टि होती हो जो श्री मोरारजी देसाई ने राष्ट्रपति ब्रेजनेव के साथ बातचीत के बारे में कहा बताते हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे द्विपक्षीय सम्बन्धों के इतिहास में सोवियत संघ ने कभी हमें इस तरह का कोई सुझाव नहीं दिया, जिसका संकेत श्री मोरारजी देसाई ने दिया है। पिछले ग्यारह महीनों की बातचीत के आधार पर मैं यह बात खुद अपनी जानकारी से कह सकता हूं कि हमारी बातचीत हमेशा मित्रता और अच्छे सम्बन्धों के बारे में हुई है, जो हम अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ चाहते हैं, या इस क्षेत्र के दायित्व के बारे में हुई है। श्री मोरारजी देसाई ने जिस प्रकार के सुझाव की बात कही है वैसा कभी कोई सुझाव नहीं दिया गया।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कभी कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया जिसमें यह सुझाव दिया गया हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध आसन्न है। इस सम्बन्ध में श्री मोरारजी देसाई ने जो वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है कि सुनी-सुनाई बात कहना गलत और गैर-जिम्मेदाराना होती है। जैसा कि सदन को और भारत के लोगों को याद है यह सरकार पाकिस्तान की सरकार और वहां के लोगों के साथ निकट और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित करने के लिए कृतसंकल्प है और इस दिशा में हम अपने प्रयासों से विमुख नहीं होंगे।

धन्यवाद।

दक्षिण-पूर्व एशिया में अमरीका, जापान द्वारा हथियारों का जमाव

583. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री अमर राय प्रधान : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर के प्रधान मंत्री श्री ली कुआन यू ने दक्षिण-पूर्व एशिया में अमरीका, जापान द्वारा हथियारों के जमाव का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्री (श्री शिव शंकर) : (क) बताया जाता है कि सिंगापुर के प्रधान मन्त्री ने एक वक्तव्य में यह सुझाव दिया है कि जापान दक्षिण-पूर्व एशिया में अपने लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थायित्व कायम रखने की दृष्टि से अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकता है और साथ ही यह भी कहा है कि वह इस भूमिका को संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मिलकर भी निभा सकता है।

(ख) जैसा कि प्रधान मन्त्री ने 11 जनवरी, 1981 को मद्रास में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि "दक्षिण-पूर्व एशिया में बाहरी शक्तियों द्वारा हथियारों के जमाव से केवल संघर्ष और तनाव ही बढ़ेगा और इसकी वजह से शांति कायम होने की बजाय युद्ध होगा।" तटवर्ती राज्य, हिन्द महासागर के क्षेत्र में हथियारों के जमाव का पहले ही जोरदार विरोध कर चुके हैं।

सम्बलपुर में डिवीजिनल कार्यालय

584. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सम्बलपुर (उड़ीसा) में डिविजनल कार्यालय खोलने के बारे में उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार की नीति और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर उपयुक्त समय पर विचार किया जायेगा ।

दस जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव

585. **श्री निहाल सिंह** :

श्री ए० सी० दास : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में दस जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने वाले किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन जलमार्गों के नाम क्या हैं; और

(ग) उनमें से प्रत्येक पर सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च किए जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क), (ख) और (ग) सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों ने निम्नलिखित दस जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए कार्रवाई करने की सिफारिश की है :

(1) ब्रह्मपुत्र नदी ।

(2) गंगा-भागीरथी-हुगली नदी ।

(3) सुन्दरवन ।

(4) नर्मदा नदी ।

(5) ताप्ती नदी ।

(6) महानदी ।

(7) गोदावरी नदी ।

(8) मान्दुवी-कुम्बार्जुआ नहर और जुआरी जल मार्ग ।

(9) कृष्ण नदी ।

(10) एलेप्पी-कोचीन जलमार्ग ।

राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किए जाने के लिए विचाराश्र उपरोक्त प्रत्येक नदी पर खर्च की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि का तभी पता चलेगा जब तकनीकी-आर्थिक अध्ययन कार्य और

इन जलमार्गों के लिए जल-सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो जाए। गंगा-भागीरथी-हुगली नदी पर हल्दिया और फरक्का के बीच के भाग का इस तरह का अध्ययन कार्य अब पूरा हो गया है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है। फरक्का और इलाहाबाद के बीच इस नदी के शेष भाग का अध्ययन भी शुरू किया जा रहा है।

शेष नौ जलमार्गों के लिए तकनीकी-आर्थिक अध्ययन और जल सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्य भी धन उपलब्ध होने पर शुरू किए जाने का विचार है।

सिसारिया में हुई रेल दुर्घटना की जांच

586. **श्री निहाल सिंह** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर डिवीजन के सिमारिया स्टेशन पर 5 दिसम्बर, 1980 को हुई रेल दुर्घटना की दिनांक 10 दिसम्बर, 1980 को कोई जांच की गई थी और क्या जांच-कार्य पूरा किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसमें कितने लोग दोषी पाए गए तथा वे किस-किस पद पर कार्य कर रहे हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (मल्लिकार्जुन) (क) जी, हां।

(ख) रेलवे संरक्षा आयुक्त, कलकत्ता ने, जिन्होंने इस दुर्घटना की जांच की है। कहा है कि यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई। उन्होंने 46 डाउन के ड्राईवर और दो फायरमैनों को इस दुर्घटना के लिए दोषी ठहराया है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि गाड़ी का गार्ड सतर्क रहता तो, यह दुर्घटना बचायी जा सकती थी।

(ग) अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

स्कूल जाने वाले बच्चों में कुपोषण तथा अन्धता

587. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेष रूप से स्कूली बच्चों में कुपोषण तथा अन्धता के मामलो की संख्या निरन्तर बढ़ रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश भर के स्कूली बच्चों में कुपोषण तथा अन्धता को रोकने के लिए उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से विटामिन "ए" देने का एक व्यापक अभियान आरम्भ करने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 1978 के दौरान राष्ट्रीय कुपोषण मानिटरिंग ब्यूरो ने 10 राज्यों के स्कूली बच्चों में कुपोषण और विटामिन "ए" की कमी की प्रचलित दरों का पता लगाने के लिए जो सर्वेक्षण किए थे उनके परिणाम विवरण में दिए गए हैं।

इन सर्वेक्षणों से पता चला है कि स्कूली बच्चों में प्रोटीन कैलोरी कुपोषण प्रकोप केवल गुजरात और मध्य प्रदेश में पाया गया जो क्रमशः 0.1 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत था जबकि उनमें विटामिन "ए" की कुल कमी 3.4 से 12.1 प्रतिशत तक थी।

(ख) और (ग) स्कूलपूर्व बच्चों में विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाली दृष्टिहीनता को रोकने के लिए उन्हें उच्च शक्ति का विटामीन "ए" घोल देकर प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को स्कूली बच्चों के लिए आरम्भ करने का कोई विचार नहीं है।

विवरण

राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग ब्यूरो=5-12 वर्षों की आयु के बच्चों में विटामिन "ए" की कमी की व्यापकता की प्रतिशतता

राज्य	केरल	तमिलनाडु	कर्नाटक	आंध्र प्रदेश	महाराष्ट्र	गुजरात	मध्यप्रदेश	उड़ीसा	पश्चिम बंगाल	उत्तरप्रदेश
संख्या	497	753	1268	722	1031	8733	248	380	847	772
प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के दो या तीन लक्षण	—	—	—	—	—	0.1	3.6	—	—	—
विटामिन "ए" की कुल कमी	4.8	8.6	5.4	6.4	3.5	6.3	7.7	7.1	3.4	12.1

"गैट ए रिफन्ड आफ यूज्ड रेल टिकट" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

588. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 दिसम्बर, 1980 के टाइम्स आफ इंडिया में "गैट ए रिफंड आफ यूज्ड रेल टिकट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो रेल राजस्व की "बड़े पैमाने पर हो रही हानि" को रोकने के लिए टेस्फि नियमों में खामियों को दूर करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

यह समाचार 24 दिसम्बर, 1980 के दिल्ली से प्रकाशित "टाइम्स आफ इंडिया" में छपा था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें थीं :

(1) प्रयुक्त रेल टिकटों के किराये की वापसी ।

(2) 1977-78 में अकेले मध्य रेलवे ने 13.3 करोड़ रुपये के क्षति पूर्ति दावों का भुगतान किया । वनस्पति तेल के 60 बैरल परेषण सम्बद्ध 80,000 रु० के झूठे दावे के भुगतान का एक उदाहरण भी उद्धृत किया गया था ।

(3) बुक किये गए परेषणों/रेल सम्पत्ति की चोरियों के मामलों की जांच पड़ताल; और

(4) एक स्टेशन पर पड़ी 200 रेल पटरियों की चोरी ।

समाचार में उठाए गए मुद्दों की जांच सम्बन्धित रेल प्रशासनों द्वारा की गयी थी ।

जहां तक मद (1) का सम्बन्ध है, स्टेशनों अथवा सिटि बुकिंग कार्यालयों से जारी किए गए अग्रिम टिकटों का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ और आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं थे । मौजूदा नियम पर्याप्त समझे जाते हैं और इनमें आशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है । वहरहाल, बेईमान तत्वों द्वारा अग्रिम जारी टिकटों के किसी सम्भावित दुरुपयोग और बाद में किराये की वापसी के दावों को रोकने के लिए बड़ी सतर्कता रखी जाती है ।

जहां तक मद (2) का सम्बन्ध है, वर्ष 1977-78 के दौरान मध्य रेलवे पर भुगताये गये क्षतिपूर्ति के दावों की कुल राशि 1.33 करोड़ रुपये थी न कि 13.3 करोड़ रुपये जैसा कि समाचार में उल्लेख था । इसके अलावा, इस रेलवे ने हाल में 80,000 रुपये के ऐसे किसी दावे का भुगतान नहीं किया है ।

जहां तक बुक किये गये परेषणों/रेल सम्पत्ति की चोरियों की जांच-पड़ताल से सम्बन्धित मद (3) का सम्बन्ध है; यह सही नहीं है कि वर्ष 1977-78 के दौरान मध्य रेलवे पर चोरियों के केवल चन्द मामलों की सरकारी तौर पर जांच की गयी । रेल सम्पत्ति के 2007 मामले पकड़े गए और 2455 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके 2,78,545/– रु० के मूल्य की सम्पत्ति बरामद

की गई इसी प्रकार बुक किए गए परेषणों के मामलों में 233 मामले पकड़े गए और 1,21,883/ रु० के मूल्य की सम्पत्ति बरामद की गयी और 390 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए ।

जहां तक एक स्टेशन पर पड़ी 200 रेल पटरियों की चोरी से संबंधित मद (4) का सम्बन्ध है, समाचार में इस मामले का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है ।

इन्दौर तथा उज्जैन के बीच तेज गाड़ी का चलाया जाना

589. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उज्जैन तथा इन्दौर के बीच मीटर गेज लाइन पर एक तेज गाड़ी चलाने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उज्जैन तथा इन्दौर के बीच औसतन कितना दैनिक रेल एवं यात्री-भार होता है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के मुख्य नगरों इन्दौर तथा उज्जैन के बीच यात्री यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक तेज गाड़ी चलाई जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) मीटर लाइन और बड़ी लाइन दोनों पर इन्दौर और उज्जैन के बीच रोजाना अप दिशा में लगभग 365 और डाउन दिशा में 500 यात्री यात्रा करते हैं । रोजाना प्रत्येक दिशा में औसत लगभग 300 यात्री सड़क से यात्रा करते हैं ।

(ग) और (घ) इन्दौर और उज्जैन के बीच उपलब्ध अधिक सुविधाजनक बस सेवाओं को देखते हुए इस समय मीटर लाइन पर इन स्थानों के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इसके अलावा, लाइन क्षमता की कमी के कारण भी इस खण्ड पर एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना सम्भव नहीं है ।

उज्जैन और इन्दौर के बीच मीटर गेज रेल सेवा

590. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उज्जैन और इन्दौर के बीच मीटर गेज रेल सेवा के उपलब्ध होने के समय क्या हैं और उज्जैन से इन्दौर तथा इन्दौर से उज्जैन पहुंचने में औसतन कितना समय लगा और इसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी; और

(ख) अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1980 तथा 26 जनवरी, 1981 तक तारीखवार निर्धारित समय के बाद उज्जैन और इन्दौर पहुंचने वाली कौन-कौन सी मीटर गेज रेलवे सेवाएं हैं और उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उज्जैन और इन्दौर के बीच यात्रा करने के लिये उज्जैन से तीन यात्री गाड़ियां 6.15 बजे, 12.50 बजे और 19.40 बजे उपलब्ध हैं। इन्दौर और उज्जैन के बीच 62.38 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इन गाड़ियों द्वारा दिए गये औसत समय में 1 घंटे 54 मिनट से 2 घंटा 33 मिनट तक का अन्तर है ।

(ख) अक्तूबर, 1980 से 26 जनवरी, 1981 तक ये गाडियां इन्दौर और उज्जैन केवल 43 बार--19 बार परिचालनिक कारणों से, 8 बार दुर्घटनाओं की वजह से, 5 बार यांत्रिक खराबी के कारण, 3 बार खतरे की जंजीर खींचने के कारण, 2 बार सिगनल और दूर संचार की खराबी के कारण और 6 बार विविध कारणों से विलम्ब से पहुंचीं ।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव

591. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और/अथवा क्या सरकार का उप-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बदलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इनमें से कितने केन्द्रों की स्थापना की जानी है अथवा उनका दर्जा बढ़ाया जाना है और कब तक इनमें से कितने केन्द्रों की बदायूं जिले में स्थापना किए जाने अथवा दर्जा बढ़ाए जाने की संभावना है और कब ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी हां, छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान 600 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है । इसका राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है । नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्थान का फैसला राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
		31-3-80 की स्थिति के अनुसार	लक्ष्य 1980-85
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	420	22
2.	असम	150	16
3.	बिहार	575	100
4.	गुजरात	253	25
5.	हरियाणा	89	6
6.	हिमाचल प्रदेश	77	—
7.	जम्मू और कश्मीर	81	6
8.	कर्नाटक	271	35
9.	केरल	167	13

1	2	3	4
10.	मध्य प्रदेश	465	47
11.	महाराष्ट्र	441	58
12.	मणिपुर	27	10
13.	मेघालय	22	10
14.	नागालैंड	15	11
15.	उड़ीसा	314	20
16.	पंजाब	129	—
17.	राजस्थान	232	24
18.	सिक्किम	12	7
19.	तमिलनाडु	383	80
20.	त्रिपुरा	28	7
21.	उत्तर प्रदेश	877	50
22.	पश्चिम बंगाल	326	30
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	2	10
24.	अरुणाचल प्रदेश	79	—
25.	चण्डीगढ़	1	—
26.	दादर तथा नागर हवेली	2	2
27.	दिल्ली	8	—
28.	गोआ, दमन था दीव	15	—
29.	लक्षद्वीप	7	—
30.	मिजोरम	16	4
31.	पांडिचेरी	12	2
		5499	595 (लगभग 600)

इस्लामी देशों के सम्मेलन में काश्मीर का उल्लेख

592. **श्री भीखू राम जैन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मक्का में 25 जनवरी, 1981 को हुए इस्लामी देशों के सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान ने काश्मीर का उल्लेख किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शिव शंकर) : (क) और (ख) जी, हां। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 26 जनवरी, 1981 को दिए गए एक वक्तव्य में कहा है कि : "जम्मू और काश्मीर की समस्या पाकिस्तान की जनता के लिए निरन्तर चिन्ता का विषय है और इससे भारत के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित करने में बाधा पहुंचती है। पाकिस्तान और भारत 1972 के शिमला समझौते के आधार पर अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए वचनबद्ध हैं और जम्मू तथा काश्मीर समस्या का समाधान इस समझौते का एक अभिन्न अंग है। इस समझौते के अन्तर्गत दोनों पक्ष अपनी समस्याओं को हल करने के लिए शक्ति का प्रयोग न करने के लिए भी वचनबद्ध हैं। हमारा विश्वास है कि शिमला समझौते के प्रावधानों और संयुक्त राष्ट्र संघ के संगत संकल्पों के आधार पर जम्मू और काश्मीर की समस्या के समाधान से भारत के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया अपने तर्क संगत निष्कर्ष की दिशा में अग्रसर होगी।"

(ग) सरकार ने पाकिस्तान सरकार को बार-बार यह कहा है कि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर काश्मीर के प्रश्न को उठाने का उसका प्रयास शिमला समझौते का उल्लंघन है और इससे भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

आयुर्वेदिक औषधियों की स्थानीय तौर पर खरीद

593. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री आयुर्वेदिक औषधियों की स्थानीय तौर पर खरीद के बारे में 18 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4370 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन बिना तारीख वाले अनुदेशों की प्रति, जिनको केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा द्वारा जारी किया बताया गया है और जो सभा पटल पर रखी गई थी, वह आयुर्वेदिक औषधालयों/एककों को नहीं मिली है, जिसके कारण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के लाभ-प्राप्तकर्ताओं को अत्याधिक असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन अनुदेशों को सभी औषधालयों की जानकारी के लिए पुनः परिचालित करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) हिदायतों की एक-एक प्रति केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सभी आयुर्वेदिक औषधालयों/यूनिटों को भेज दी गई थी। ये हिदायतें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सभी आयुर्वेदिक औषधालयों/यूनिटों को दोबारा भेज दी गई हैं।

हजिरा पत्तन का विकास

594. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में हजिरा पत्तन काम्पलैक्स का विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यह प्रस्ताव कब किया गया था;

(ग) क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना की नवीनतम स्थिति क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है और केन्द्रीय प्रायोजना में हजिरा पत्तन के विकास के लिए किसी धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई है।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं होता।

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए भवन

595. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दूतावासों के लिए किन-किन देशों में अपने भवन नहीं बनाए हैं; और

(ख) दूतावासों के लिए अपने नए भवन बनवाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शिव शंकर) : (क) और (ख) उन 76 देशों की सूची विवरण संलग्न है, जिनमें सरकार के पास अपने कार्यालय के लिए भवन नहीं हैं।

सरकार की नीति है कि एक चरणवद्ध कार्यक्रम के अनुसार विदेशों में कार्यालय और रिहायश के लिए भूमि और भवन अर्जित किए जाएं। इस समय स्विटजरलैंड, पाकिस्तान, तुर्की, ब्राजील, जाम्बिया, कुवैत, श्रीलंका और लन्दन में हमारे अपने भवनों के निर्माण/खरीद के लिए काम चल रहा है। इस सिलसिले में सरकार द्वारा अपनी सम्पत्ति अर्जित करने/भवन बनाने की एक पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन हो चुका है। इस योजना में 1980-81 से 1984-85 की अवधि के दौरान 70 करोड़ रुपये खर्च करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

विवरण

उन देशों/मिशनों के नाम जहां हमारे कार्यालयों के पास अपनी सरकारी इमारत नहीं है

1. अफगानिस्तान
2. अल्जीयर्स
3. अर्जेन्तीना
4. आस्ट्रिया
5. बहरीन
6. ब्राजील
7. बल्गारिया
8. बर्मा
9. कम्पूचिया
10. चीन
11. कोलंबिया
12. पनामा
13. क्यूबा
14. चेकोस्लोवाकिया
15. मिश्र
16. इथयोपिया
17. फिनलैंड
18. जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य

19. जर्मन संघीय गणराज्य
20. यूनान
21. गनी
22. हंगरी
23. इराक
24. इटली
25. आइवरी कोस्ट
26. कोरियाई लोकतांत्रिक जन गणराज्य
27. कोरिया गणराज्य
28. कुवैत
29. लाओस
30. लबनान
31. लीबिया
32. मालदीव
33. मोज़ाम्बिक
34. ओमान
35. पाकिस्तान
36. पेरू
37. फिलिपीन्स
38. पोलैंड
39. पुर्तगाल
40. कात्तार
41. रुमानिया
42. सऊदी अरब
43. सेनेगल
44. सोमालिया
45. स्पेन
46. सूडान
47. सुरीनाम
48. स्वीडन
49. स्विट्जरलैंड
50. तूनीसिता
51. तुर्की
52. संयुक्त अरब अमीरात
53. सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ
54. वेनेजुएला
55. वियतनाम
56. यमन अरब गणराज्य
57. यमन लोकलांत्रिक जन गणराज्य
58. यूगोस्याविया
59. बंगलादेश
60. साइप्रस
61. फीजी
62. घाना
63. गुयाना
64. जमाईका
65. कीनिया
66. मलयेशिया
67. मारीशस
68. न्यूजीलैंड
69. नाइजीरिया
70. माहे
71. श्रीलंका
72. त्रिनिडाड और तोबागो
73. उगांडा
74. जाम्बिया
75. तन्जानिया
76. ईरान

दक्षिणी अफ्रीका की जेलों में भारतीय मूल के व्यक्ति

596. **श्री चिरंजी लाल वर्मा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका की जेलों में बिना किसी अपराध के हजारों भारतीय वर्षों से हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार उनको रिहा करवाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भारी संख्या में बंदी बनाए जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) दक्षिण अफ्रीका में बिना मुकदमे के किसी भारतीय राष्ट्रिक के बंदी बनाए जाने के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है और न ही उसे इस बात की कोई सूचना है कि हाल ही में वहां भारतीय-मूल के व्यक्तियों को भारी संख्या में बंदी बनाया गया है । बताया जाता है कि 1980 में अश्वेत लोगों तथा भारतीय-मूल के व्यक्तियों द्वारा स्कूलों का बहिष्कार करने के समय भारतीय-मूल के कुछ दक्षिण अफ्रीकियों को बंदी बनाया गया था लेकिन बताया जाता है कि उनमें से अधिकतर लोगों को बाद में छोड़ दिया गया था ।

भारत सरकार दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन का राजनयिक, वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में पूर्ण बहिष्कार कर रही है । भारत सरकार दक्षिण अफ्रीकी शासन द्वारा अपनायी जाने वाली रंगभेद और दमनकारी नीतियों की हमेशा निन्दा और भर्त्सना करती रही है ।

भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध

597. **श्री अर्जुन सेठी :**

,, धर्मवीर सिंह :

,, राजेन्द्र प्रसाद यादव :

,, बी० किशोर चन्द्र एस० देव :

,, डी० पी० यादव

,, सतीश अग्रवाल

,, कृष्ण प्रताप सिंह :

,, चिन्तामणि पाणिग्रही :

,, जी० एम० बनातवाला

,, पी० राजगोपाल नायडू :

,, एम० रामगोपाल रेड्डी :

,, अमर राय प्रधान :

,, चित्त महाटा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया-उल-हक ने यह कहा है कि वे भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धों में सुधार लाने के लिए इस वर्ष भारत की यात्रा करना पसन्द करेंगे;

(ख) क्या सरकार को पाकिस्तान के राष्ट्रपति का काश्मीर के बारे में बातचीत करने के सम्बन्ध में कोई सन्देश प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) कुछ अखबारी खबरों में राष्ट्रपति जिया को उद्धृत करते हुए यह कहा गया है कि वे इस वर्ष भारत की यात्रा करना चाहेंगे। लेकिन 4 जनवरी, 1981 के पाकिस्तान टाइम्स ने जो आमतौर से पाकिस्तानी सरकार के सुविज्ञ स्रोतों के हवाले से ही खबर देता है, यह लिखा है कि राष्ट्रपति जिया की भारत यात्रा की कोई योजना नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका द्वारा आस्ट्रेलिया के निकट द्वीपों में अवतरण सुविधाओं का विकास किया जाना

598. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा आस्ट्रेलिया के निकट द्वीपों में नए पत्तन और अवतरण सुविधाओं का विकास किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) सरकार ने अखबारों में छपी इस आशय की खबरें देखी हैं कि ऐसा प्रस्ताव आस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारों के विचाराधीन है।

(ख) इस सम्बन्ध में भारत सरकार का दृष्टिकोण सुविदित है। हम चाहते हैं कि हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाया जाए और वहां मौजूद सभी प्रकार की बाह्य सैनिक उपस्थिति तथा सैनिक अड्डे समाप्त किए जाएं।

वाशिंगटन में भारत के हितों की देख-रेख के लिए वैतनिक एजेंट

599. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार वाशिंगटन में अपने हितों की देख-रेख के लिए कुछ वैतनिक एजेंट रखती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं और उनके कार्य का स्वरूप क्या है; और

(ग) क्या इसी प्रकार के एजेंट किन्हीं अन्य देशों की राजधानियों में भी रखे गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स पब्लिक रिलेशन्स अताशे इन्कार्पोरेटेट (पी० आर० ए० आई०) वाशिंगटन; डी० सी० 9 अगस्त, 1965 से भारत सरकार के नियोजन में रही है। इस संगठन को अर्थ कार्य विभाग,

वित्त मंत्रालय ने रखा था। वर्तमान सूचना के अनुसार पब्लिक रिलेशन्स अताशे इन्कार्पोरेटेड में चार आदमी काम करते हैं जिनमें इस संगठन का प्रमुख भी शामिल है। इस अभिकरण का मुख्य काम भारतीय राजदूतावास के आर्थिक स्कन्ध की सहायता करना है ताकि वह उस देश के आर्थिक और वाणिज्यिक संनठन तथा महत्वपूर्ण बैंकों, व्यवस्था और अर्थ क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों और संगठनों से संपर्क रख सके। इस अभिकरण ने संगोष्ठियों, व्याख्यानों, टी० वी० साक्षात्कारों का और राजदूतावास के कर्मचारियों के लिए इस देश के विभिन्न संगठनों के माध्यम से संयुक्त राज्य के विभिन्न भागों में अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है।

(ग) जी, नहीं।

छुटपुट चोरी अथवा क्षति के कारण 1-4-77 को बकाया दावे

600. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल 1977 को माल की छुटपुट चोरी अथवा क्षति के कारण बकाया दावों की संख्या क्या है तथा इन दावों की कुल राशि क्या है ?

(ख) 1977-78 के दौरान अन्तिम रूप से निपटाये गये बकाया दावों की संख्या क्या है तथा उनमें भुगतान की कितनी राशि अंतर्गत है;

(ग) 1977-78 के दौरान पेश किये गये दावों की संख्या क्या है तथा इस अवधि के दौरान निपटाये गये दावों में कितनी राशि अन्तर्गत है;

(घ) 1978-80 के दौरान पेश किये गये तथा निपटाये गये दावों की वर्ष-वार संख्या क्या है तथा रेलवे द्वारा भुगतान की गई राशि क्या है तथा 1 अप्रैल से 30 नवम्बर 1980 की अवधि में भुगतान की गई राशि क्या है;

(ङ) 1977-80 के दौरान रेलवे द्वारा भुगतान के लिए घोषित दावों की वर्षवार कुल राशि क्या है तथा वर्षवार पेश किये गये दावों की संख्या तथा रद्द किये गये दावों की संख्या क्या है; और

(च) ऐसे दावों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1.4 1977 को रेलों पर चोरी, उठाईगीरी, क्षति आदि के कारण 37947 क्षतिपूर्ति के दावे अनिर्णीत पड़े थे। अनिर्णीत दावों की रकम से सम्बन्धित आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) 1.4.1977 से 31.3.1978 तक की अवधि के दौरान 428,213 दावों के मामले निपटाये गये और क्षतिपूर्ति के रूप में 14,23.84 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

(ग) से (ङ)

वर्ष	प्राप्त हुए दावों की संख्या	भुगतान द्वारा निपटाये गये दावों की सं०	स्पष्ट हस्ताक्षर आदि के अंतर्गत परेषणों की सुपुर्दगी के कारण निपटाये गये दावे	अदा की गयी राशि (लाख रुपयों में)	रद्द किये गये दावों की संख्या
1977-78	396,230	168,133	88,215	1423.84	171,865
1978-79	512,338	172,504	144,994	1224.90	210,258
1979-80	566,511	155,834	185,049	1149.90	233,637
1980-81 (अप्रैल से नवम्बर)	414,193	114,492	158,798	817.84	148,019

(च) परेषणों की हानि, उठाईगीरी, क्षति आदि को रोकने के लिए रेलों द्वारा किए गए विभिन्न उपाय विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

परेषणों की हानि, चोरी और उठाईगीरी आदि को रोकने के लिए किए गए विभिन्न उपाय नीचे दिये गये हैं :

1. परेषणों को खोए जाने से रोकने के लिए उन पर भली प्रकार निशान लगाना, पता लिखना और लेबल लगाना।

2. सामग्रियों के लदान के लिए वाणिज्यिक रूप से उपयुक्त माल डिब्बों का चुनाव करना।

3. भीगने से खराब होने वाले सामानों की ढुलाई के लिए जल-रोधी माल डिब्बों का उपयोग करना।

4. माल डिब्बों का भली-भांति अनुरक्षण करना ताकि माल डिब्बों के खराब होने की घटनाओं, जिनके परिणामस्वरूप उन्हें रुके रहना पड़ता है और माल का यानान्तरण करना पड़ता है, में कमी हो तथा दरवाजों और सुराखों से भीगने तथा उठाईगीरी से होने वाली क्षति को कम किया जा सके।

5. कटे हुये माल डिब्बों का इस्तेमाल रोकने के लिए मरम्मत लाइनों-यार्डों और माल शेडों में माल डिब्बों के पैनल कटाओं में पैबन्द लगाना।

6. बरसात के मौसम में सामान गीला होकर क्षतिग्रस्त न हो जाए, इससे बचाव के लिए विशेष एहतियात बरतना। बरसात में रिसने वाले माल डिब्बों की छतों और साइड पैनलों की मरम्मत करने के लिए सामान्य संगठन के अलावा रेलें विशेष संगठन स्थापित करती हैं।

7. बरसात के पानी को माल डिब्बों में घुलने से रोकने के लिए बन्द माल डिब्बों के फ्लैपों वाले दरवाजों की दरारों में तारकोल वाले टाट या सीमेंट का घोल और ग्रीस का उपयोग करना।

8. चीनी, अनाज, दालें, तिलहन आदि के परेषणों से लदे हुए माल-डिब्बों के दरवाजों पर सुरक्षा की दृष्टि से निभार की व्यवस्था पर जोर देना।

9. जिन माल डिब्बों में मूल्यवान सामान लदा हो उनमें रिवट लगाने के लिए ढिबरी और काबले का उपयोग करना।

10. भेद्य खंडों में लोहा और इस्पात, खाद्यान्न, चीनी, तिलहन आदि ले जाने वाली माल गाड़ियों का रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कार्मिकों द्वारा मार्ग में रक्षा करना।

11. भेद्य यार्डों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कार्मिकों द्वारा गश्त लगाना।

12. अपराध आसूचना एकत्रित करना और रेलों को अपराध आसूचना के कर्मचारियों के साथ-साथ रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारियों द्वारा अपराधियों तथा चोरी का सामान लेने वालों का पता लगाने के उद्देश्य से अचानक छापे मारना।

13. राजकीय रेलवे पुलिस, रेल सुरक्षा बल और रेल कर्मचारियों के बीच निकट समन्वय रखा जाता है ।

14. लदान और उतराई के दौरान पैकेजों का भली-भांति पर्यवेक्षप और सावधानीपूर्वक मिलान करना ।

15. आमान परिवर्तन यानान्तरण स्थलों और पुनर्पैकिंग स्थलों पर पर्यवेक्षण के काम को गहन करना, आदि ।

16. कर्मचारियों का उत्तरदायित्व शीघ्र नियत करना ।

17· गन्तव्य स्टेशनों द्वारा जारी किये गये क्षति और माल में कमी से संबंधित संदेशों की जांच करना और बनावटी क्षति तथा माल में कमी के संदेशों का पता लगाना और

18. स्टेशनों पर पड़े असम्बद्ध परेषणों की मानिटरिंग ।

——

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : हम लोगों ने एमेंडमेंट का मोसन दिया है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बगैर मेरी इजाजत के क्यों बोलते हैं ? मैं सुनूंगा । आप मेरी अनुमति ले सकते हैं । मैं आपको अनुमति दूंगा । (व्यवधान)* किसी भी बात के लिए अनुमति नहीं है । कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं होगा ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : मैं एक अनुरोध करने के लिए आपकी अनुमति लेता हूं · · · (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें । मैं आपको अनुमति दूंगा यदि कोई··· (व्यवधान) कृपया बैठ जायें । मैं आपकी बात सुनूंगा । मुझे कुछ घोषणायें करनी हैं ।

——

स्थगन प्रस्ताव

दिल्ली में अवैध शराब पीने के कारण हुई मौतें

अध्यक्ष महोदय : पिछले अधिवेशन के दौरान मैंने हरियाणा तथा पंजाब में जहरीली तथा नकली शराब पीने से हुई मृत्यु तथा कुछ लोगों के अन्धे होने के समाचार के बारे में अनेक स्थगन प्रस्ताव प्राप्त किये थे और बताया था कि यह हम सब लोगों के लिए चिन्ता का विषय है जब अनेक राज्यों में नकली शराब पीने से कई लोगों की मृत्यु हुई तथा कई लोग अन्धे हुए । मैंने सरकार से इस मामले पर विचार करने तथा सम्बन्धित अधिकारियों को इस प्रकार की दुखद घटनायें रोकने के लिए ठोस तथा प्रभावशाली कदम उठाने के लिए कहा था ।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

सामान्यतया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कुछ विशेष मामलों पर चर्चा की गुंजायश कम ही होती है क्योंकि इस प्रकार की सभी बातों पर सामान्य चर्चा के दौरान चर्चा हो सकती है।

फिर भी इस प्रकार की दुखद मौतों के जारी रहने को ध्यान में रखते हुए और समाचारों के अनुसार दिल्ली में हुई इसी वर्ष की ऐसी दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं अनुभव करता हूं कि मुझे ऐसी विकट परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नियम 56 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देनी चाहिए।

श्री नाडार के नोटिस को बैलट में पहला स्थान मिला है। वे अब प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति मांगें।

श्री ए० नोलालोहियादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : मुझे देश की राजधानी दिल्ली में अवैध शराब के पीने के कारण 8 व्यक्तियों की मृत्यु और अनेक अन्य की बीमारी और इससे उत्पन्न गम्भीर स्थिति के बारे में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सभा से अनुमति चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति का विरोध नहीं हुआ है, अनुमति दी जाती है। स्थगन प्रस्ताव 4 बजे म० प० लिया जायेगा और इसकी चर्चा के लिये 2½ घंटे निश्चित किये जायेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : इन लोगों की बात सुनी जाये · · · (व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रिविलेज मोशन दिया है··· (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई-उत्तर) : मैंने आपकी अनुमति मांगी थी · · · (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके बोलें। मैं आपकी बात सुनूंगा।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैंने आपको 17 फरवरी 1981 को सभा में माननीय सदस्य श्री एच० के० एल० भगत के आचरण के बारे में नियम 222 के अधीन एक विशेषाधिकार का मामला उठाने के लिए आपकी अनुमति मांगने के लिए आपको लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आपको पहिले ही सूचित किया जा चुका है। · · · (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र वर्मा : आपने मुझे सूचित नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह मामला यहां उठाये जाने योग्य नहीं है· · ·(व्यवधान) मैं आपको इस बारे में सूचित कर चुका हूं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : आपने मुझे सूचित नहीं किया है। मैं नहीं जानता कि आप यह अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप आकर मुझे मिल सकते हैं । यहां नहीं । · · · (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र वर्मा : पता नहीं आपने इस पर कैसा निर्णय किया है · · · (व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय मुझे भी टाइम दीजिये । मैंने प्रिविलेज मोशन दिया है । · · · (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा । मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री जगपाल सिंह : एक मिनट मुझे दीजिये । मेरी बात सुनिये ।

अध्यक्ष महोदय : जगपाल जी, मैं आपकी बात सुनूंगा लेकिन इस तरह से डिकटेट मत कीजिये · · ·(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र वर्मा : यदि आपने अनुमति रोक ली है तो मुझे इसकी सूचना नहीं दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां इस पर बहस नहीं कर सकता ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : लेकिन मुझे सूचित अवश्य किया जाना चाहिए और कारण बताए जाने चाहिएं । नियम 224 के अधीन कुछ शर्तें दी गई हैं जिनके अन्तर्गत आप अपनी अनुमति रोक सकते हैं । इसलिए, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि नियम 224 के अधीन आपके मार्गदर्शन के लिए जो शर्तें निर्धारित की गई हैं वे मुझे यह मामला उठाने से नहीं रोकतीं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप मेरे कक्ष में आकर इस बारे में मुझसे बात-चीत कर सकते हैं । यहां नहीं । (व्यवधान) आप मेरे कक्ष में आ सकते हैं । (व्यवधान) आप व्यर्थ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : आप अनुमति नहीं दे रहे हैं । मुझे कारण बताये जाने चाहिएं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ जाएं । मैं आपको सभा में यह मामला उठाने की अनुमति नहीं देता । (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए । आप मेरे पास आ सकते हैं । मैं पहले ही निर्णय ले चुका हूं । मैं अपना निर्णय कभी बदलता नहीं हूं । (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आप श्री वर्मा को अपने कक्ष में आने के लिए कह रहे हैं । क्या हम यह मान लें कि मामला विचाराधीन है ?

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे उसके बारे में बात-चीत करना चाहता हूं। मैं उस पर उनसे बात-चीत करूंगा। इस पर पुनः विचार किया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मसोदय, यह कोई ऐसी बात नहीं है जो श्री वर्मा और आपके बीच निजी मामला हो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : निवेदन कभी भी किये जा सकते हैं। आप मेरे कक्ष में आकर पुनः निवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस समय नहीं। (व्यवधान) देखिये, आप ज्यादती कर रहे हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं देता। आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप मेरे कक्ष में आकर पुनः अपनी बात कह सकते हैं। (व्यवधान) आप पुनः मेरे कक्ष में आ सकते हैं और दोबारा अपनी बात कह सकते हैं। (व्यवधान) मैं उन्हें बता चुका हूं कि मैं इसका निपटारा पहले ही कर चुका हूं लेकिन वह पुनः अपनी बात कह सकते हैं। (व्यवधान) व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं। यदि कोई बात है तो मैं इसे दोबारा देख सकता हूं। अब प्रो० के० के० तिवारी।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं आपके निर्णय के बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि वह इसे दोबारा पेश कर सकते हैं। वह अपनी बातें कह सकते हैं। मैं उनकी बात पहले ही सुन चुका हूं ·· (व्यवधान) मैंने प्रो० के० के० तिवारी को अनुमति दी है। माननीय सदस्य खड़े हैं। मैं औरों की बातें नहीं सुनूंगा। (व्यवधान) नहीं, नहीं। यह बहुत बुरी बात है। मैं उनकी बात सुनूंगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है। यह माननीय सदस्य और आपके बीच निजी मामला नहीं है। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए .....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कोई चर्चा नहीं की जाएगी। (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : पश्चिम-बंगाल सरकार द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति तथा एक राष्ट्रीय प्रोफेसर सहित सैकड़ों बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार किया गया है.....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस समय उसकी अनुमति नहीं है। मैंने नियम 377 के अधीन इसकी अनुमति दी है। (व्यवधान) मैं इसकी अनुमति नहीं देता। आप मुझे अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। मैंने नियम 377 के अधीन इसकी अनुमति दी है। आपको क्या हो रहा है? मैं तो एक दफा और एक-एक करके आपकी बात सुन सकता हूं। (व्यवधान) मैं केवल एक व्यक्ति की बात सुन सकता हूं, सबकी एक साथ नहीं। (व्यवधान) आप क्या कर रहे हैं? मैं नियम 377 के अधीन उन्हें अनुमति दे रहा हूं। (व्यवधान) मैं नियम 377 के अधीन इसकी अनुमति दे रहा हूं। (व्यवधान) आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने इन्हें अनुमति दी है। मैंने माननीय सदस्य को अनुमति दी है। मैं नहीं जानता। मैंने पहले उन्हें अनुमति दी है। (व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, 17 तारीख को श्री एच० के० एल० भगत और श्री महेन्द्र प्रसाद ने जो इस सदन की अवमानना की है उसके बारे में टाइम्स आफ इण्डिया और इण्डियन एक्सप्रेस ने एडीटोरियल छापे हैं। कम से कम भूतपूर्व प्रधान मन्त्री को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बारे में मैंने मोशन दिया है। आप उनसे माफी मंगवाएं। इसके अलावा हम लोगों के साथ इन्होंने ज्यादती की है उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वर्मा जी को कहा है कि वे मेरे कमरे में आकर मुझ से बात कर लें। आप बैठ जाइए। (व्यवधान) आपने जो तीन आदमियों ने मोशन दिया है और अन्य आनरेबल मेंबर्स ने भी दिया होगा (व्यवधान) बैठ जाइए मैं सुन लूंगा।

मैंने इस प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है। मैंने इसे स्वीकृति नहीं दी है। आप इसे दोबारा पेश करने के लिए मेरे पास मेरे कक्ष में आ सकते हैं। मैं यह निर्णय दे चुका हूं। निर्णय तो निर्णय ही है। इसे बदला नहीं जा सकता। आप मेरे पास आ सकते हैं। यदि मुझे ठीक लगा तो मैं देख लूंगा। (व्यवधान) आप सब लोग इस तरह से कर रहे हैं। मैं एक आदमी 50 आदमियों की बात कैसे सुन सकता हू ?

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : 225 के अन्तर्गत (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई भी चीज कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न की जाए। (व्यवधान)*

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) . मैं व्यवस्था का प्रश्न करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने माननीय सदस्य को पश्चिम-बंगाल का मामला उठाने के लिए नियम 377 के अधीन अनुमति दी है। किसी राज्य से सम्बन्धित कोई मामला यहां कैसे उठाया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसे चुनौती नहीं दे सकते।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या राज्य से सम्बन्धित मामले नियम 377 के अधीन उठाये जा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : राज्य से सम्बन्धित कोई विषय यहां कैसे उठाया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : राज्य से सम्बन्धित कौन सा विषय यहां उठाया जा सकता है, यह मैं देखूंगा। कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये। (व्यवधान)*

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, जमशेदपुर की स्थिति बड़ी गम्भीर है··· (व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये ।

मैं पूछना चाहता हूं कि जो कुछ आप कर रहे हैं क्या यह आपको शोभा देता है ? इसका कोई अर्थ हो या इस तरह की बातों से कोई सार्थक बात बनती हो तो जरूर आप ऐसा करें और इससे भी ज्यादा जोर लगाकर करें, मुझे कोई एतराज नहीं है । यह सदन आपका है, मेरा नहीं है । आप चाहें जिस तरीके से चलाएं । लेकिन ऐसा करना क्या आपके लिए शोभायमान है ? आप भी देख रहे हैं और बाहर वाले भी देख रहे हैं । कानून के हिसाब से, रूल्ज के हिसाब से सब बात सुनने के लिए मैं तैयार हूं, बात करने के लिए तैयार हूं । लेकिन इस तरीके से आप हो-हल्ला करके सदन को चलाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी । लेकिन यह कोई तरीका नहीं है । किस बात के लिए चिल्लाते हैं ? एक-एक के बजाय पचास-पचास एक साथ खड़े होकर बोलना शुरू कर देते हैं । यह ठीक नहीं है ।

इस विषय में पक्का नियम है कि बिना मेरी अनुमति के कोई भी सदस्य नहीं बोल सकता है । आप स्वयं कुछ पढ़ते क्यों नहीं ? (व्यवधान) मैं आपको कह चुका हूं कि मैं आपकी बात सुनूंगा । लेकिन एक समय में मैं केवल एक ही आदमी की बात सुन सकता हूं । (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : आपने मुझे इजाजत दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात तो खत्म हो गई है । आप मोशन दे दें ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है, कालिंग अटेंशन दिया है टिस्कों में दस हजार मजदूर···

अध्यक्ष महोदय : दिया है तो मैं देखूंगा । इस तरह से नहीं हो सकता है । उसे इस तरह नहीं उठाया जा सकता । मैं किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यहां चर्चा नहीं कर सकता । मैं अनुमति नहीं देता ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : हम चाहते हैं कि सरकार मेक्सिकों में हुई घटना के बारे में, जहां किसानों ने भारतीय दूतावास पर कब्जा करने का प्रयत्न किया एक वक्तव्य दें ।···

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं ।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैंने रामपुर बदुआ कोयला खानों में हुई खान दुर्घटना के बारे में, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं, एक स्थगन प्रस्ताव दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक स्थगन प्रस्ताव पहले ही स्वीकार कर चुका हूं । एक ही दिन में दो स्थगन प्रस्ताव नहीं लिए जा सकते । कल एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है । आपको नोटिस अवश्य पढ़ना चाहिए ।

——

विशेषाधिकार के प्रश्नों आदि के बारे में

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : मैंने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ संसद सदस्य के रूप में मुझे कारण बताओ नोटिस देने के लिए एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है।···

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही आपको सूचित कर चुका हूं।

श्री के० मायातेवर : आपने मुझे उत्तर प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करने की सलाह दी थी। मैं प्रतीक्षा कर चुका। परसों मैंने अभ्यावेदन दिया था। यह सदन और सारे भारत के विधान-मंडलों के अधिकारों पर गंभीर प्रहार है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहले ही सूचित कर चुका हूं।

श्री के० मायातेवर : आपको तमिलनाडु सरकार से उत्तर प्राप्त हुआ है। मैं संतुष्ट नहीं हूं और आप भी संतुष्ट नहीं हैं। आपका उत्तर क्या है ? यदि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, यदि आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते तो मैं यह मामला सभा के समक्ष लाऊंगा और सभा से बहुमत लूंगा। मैं यह मामला भारत की इस प्रभुसत्ता-सम्पन्न प्रजातान्त्रिक संसद के समक्ष लाना चाहता हूं। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना है।···(व्यवधान)

श्री सी० टी० दन्डपाणि (पोल्लाची) : एक संसद सदस्य को राज्य सरकार द्वारा····· को पूरा करने से रोका जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं देता। आप एक बार फिर आ सकते हैं और जो कुछ आप कहना चाहते है, उस पर मुझसे चर्चा कर सकते हैं। (व्यवधान) यदि आप इस प्रकार कानून को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है। अब मैं किसी भी बात को कार्यवाही वृतान्त में शामिल करने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री के० मायातेवर :*

श्री ए० के० सेन (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : पश्चिम बंगाल में आज जो गंभीर स्थिति है हमने उसके बारे में एक ध्यानाकर्षण नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे पास विचाराधीन है। (व्यवधान) आप अपनी बात कह चुके हैं। वह स्वयं क्यों नहीं कह सकते कि वह क्या चाहते हैं ? यह मेरे पास विचाराधीन है। मैं उस पर विचार कर रहा हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : जरा ठहरिये। इतनी जल्दी मत कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस सभा की कार्यवाही को चलाऊं तो कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

* कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष जी आपने जो अभी व्यवस्था दी हम लोग पूर्णतः···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं इसे फिर से आरम्भ नहीं करना है। आप उसी विषय को बार-बार नहीं आरम्भ कर सकते।

आप अन्दर आकर कहिये·· (व्यवधान) आप फिर बोलने लगे ? माननीय जगपाल सिंह जी, आप न बोलिये।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : महोदय, आपने कई अवसरों पर यह व्यवस्था दी है कि शून्य काल के दौरान आपकी अनुमति के बिना उठाया गया कोई भी मामला कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा या समाचारपत्रों द्वारा प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : इसलिए, मैं यह जानना चाहूंगा कि विशेषाधिकार के तथाकथित उल्लंघन का प्रश्न, जो बिना आपकी अनुमति के आज उठाया गया था, कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया गया है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जाता है, वह मेरी अनुमति से ही होता है, जब मैं यह कहता हूं कि मैं कोई बात सुनूंगा, अन्यथा नहीं। मेरी अनुमति के बिना कोई भी चीज कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जाती।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : अतः इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं कि वह मेरे पास आयेंगे और यदि उन्हें कुछ कहना है तो मेरे समक्ष दोबारा प्रस्तुत करेंगे।

श्री जो० एम० बनातवाला : महोदय, इस बात से गलत इन्कार किया गया है कि बम्बई केन्द्रीय यार्ड कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। मैंने उप-रेलमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने यह निदेश 115 के अन्तर्गत लेना है।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : समस्तीपुर जेल में पुलिस फायरिंग के बारे में जो काल अटेंशन दिया था···

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम 377 के अधीन पहले ही इसकी अनुमति दे चुका हूं।

बिना मतलब बात करते हैं तो कैसे बात चलेगी।

——

रेल बजट—1981–82

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय रेल मंत्री ।

रेल मंत्री (श्री केदार पांडे) :

अध्यक्ष महोदय,

मैं 1980-81 के संशोधित अनुमान और 1981-82 के बजट अनुमान पेश करने के लिए प्रस्तुत हूं ।

1979-80 के वित्तीय परिणाम

मैं पिछले वर्ष अर्थात् 1979-80 के वित्तीय परिणामों की संक्षिप्त समीक्षा से आरम्भ करूंगा, जिसका लेखा अन्तिम रूप से तैयार हो चुका है । मार्च 1980 में अन्तरिम बजट पेश करते समय मेरे पूर्ववर्ती रेल मंत्री ने सदन को सूचित किया था कि पिछली सरकार द्वारा पेश किए गए उस वर्ष के बजट अनुमान 2,220 लाख टन राजस्व अर्जक यातायात के प्रारंभिक लदान पर आधारित थे जो 1976-77 के बाद माल यातायात के गिरते हुए रुख के सन्दर्भ में अवास्तविक सिद्ध हुए । अत: उस वर्ष के संशोधित अनुमान 1,940 लाख प्रारम्भिक राजस्व अर्जक यातायात के घटे हुए लक्ष्य के आधार पर पुन: आकलित किये गये और वास्तविक लदान 1,930.6 लाख टन हुआ ।

संचालन व्यय में 36.24 करोड़ रुपये की वृद्धि करनी पड़ी थी अर्थात् यह 1,827.83 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,864.07 करोड़ रुपये हो गया था क्योंकि साधन-सामग्री की लागतें लगातार बढ़ती जा रही थीं । कुल मिलाकर संशोधित अनुमानों में 42.10 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था । लेकिन वर्ष की समाप्ति पर घाटा 66.24 करोड़ रुपये रहा क्योंकि यातायात से सकल प्राप्ति 16.60 करोड़ रुपये कम हुई और साधारण संचालन व्यय 14.31 करोड़ रुपये अधिक हुआ, हालांकि शुद्ध विविध व्यय और सामान्य राजस्व को देय लाभांश के अन्तर्गत 6.77 करोड़ रुपये की बचत हुई । इसके फलस्वरूप वर्ष का परिचालन अनुपात 90.04 प्रतिशत से गिरकर 91.5 प्रतिशत हो गया । इसीलिए सामान्य राजस्व के प्रति रेलों की देनदारी भी, जो मार्च 1979 के अन्त में 273.52 करोड़ रुपये थी, मार्च 1980 के अन्त में बढ़कर 370.92 करोड़ रुपये हो गयी ।

1979-80 में योजना व्यय 692.88 करोड़ रुपये रहा जिसमें महानगर परिवहन परियोजनाओं के 21.40 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं । बजट में इनके लिए क्रमश: 629.00 करोड़ रुपये और 21.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी ।

1980-81 में माल परिवहन :

अब मैं चालू वर्ष के कार्य निष्पादन को संक्षेप में बता दूं ।

सदन को ज्ञात है कि चालू वर्ष के लिए राजस्व अर्जक प्रारंभिक यातायात के लदान का लक्ष्य 2,145 लाख टन रखा गया था । प्रथम सात महीनों में अर्थात् अप्रैल से अक्टूबर, 1980 तक राजस्व अर्जक यातायात के लदान में, इस अवधि के आनुपातिक बजट लक्ष्य की तुलना में,

152.9 लाख टन की कमी रही। इस अवधि में कार्य निष्पादन पर जिन बातों का असर पड़ा उनमें से कुछ प्रमुख हैं पूर्वी क्षेत्र में बिजली की कटौती जिसके कारण मार्शलिंग यार्डों और कारखानों में उत्पादकता घट गयी, इस्पात का कम उत्पादन जिसके कारण इस्पात कारखानों ने कच्चा माल कम मंगाया, और सीमेंट का कम उत्पादन खासकर राजस्थान क्षेत्र में। असम में उपद्रवों के कारण भी यातायात रुक गया और बड़ी संख्या में लदे हुए माल डिब्बे खड़े रहे। बेलाडिल्ला की खानों में श्रमिक अशांति का निर्यात वाले लौह अयस्क के संचालन पर बुरा प्रभाव पड़ा। अयुक्तिसंगत संचलन भी बढ़ गया क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने बन्द हो जाने के कारण पश्चिमी क्षेत्र से पेट्रोलियम उत्पादों का संचलन अधिक लम्बी दूरियों के लिए करना पड़ा जिससे माल डिब्बों का 'टर्न राउण्ड' बढ़ गया तथा देश के अनेक राज्यों में सूखे की स्थिति के कारण पंजाब और हरियाणा से ज्यादा लम्बी दूरियों तक खाद्यान्न का संचलन भी अधिक करना पड़ा। इसके अलावा, रेलों की कुछ आन्तरिक बातों के कारण भी परिचालन कुशलता मन्द पड़ गयी।

प्रसन्नता की बात है कि तीन महीने पहले जो विभिन्न प्रशासनिक और नव-परिवर्तनकारी कदम उठाये गए हैं उनके फलस्वरूप और बदलती हुई अर्थ-व्यवस्था के कारण रेल परिचालन फिर 'पटरी पर' आ गया और वर्ष में पहली बार, नवम्बर 1980 के महीने में लदान पिछले वर्ष के उसी महीने की अपेक्षा अधिक हुआ। वर्ष के प्रथम सात महीनों में मासिक औसत लदान 150.3 लाख टन हुआ था। नवम्बर 1980 में यह बढ़कर 161.9 लाख टन, दिसम्बर 1980 में 178.2 लाख टन और जनवरी 1981 में लगभग 190 लाख टन हुआ। नवम्बर 1980, दिसम्बर 1980 और जनवरी 1981 में दैनिक औसत लदान प्रथम सात महीनों के औसत से क्रमशः 1,383 माल डिब्बे, 3,879 माल डिब्बे और 4,742 माल डिब्बे अधिक रहा। रेलों ने हाल के महीनों में जिस समुत्थान-शक्ति का परिचय दिया है उससे मुझे यह विश्वास है कि काम की यह बढ़ी हुई रफ्तार वर्ष के शेष दो महीनों अर्थात् फरवरी और मार्च, 1981 में भी कायम रहेगी और वर्ष में होने वाले कुल लदान की मात्रा पिछले वर्ष से अधिक रहेगी।

माननीय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि परिचालन कुशलता में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं। अतः मैं प्रबन्ध-व्यवस्था सम्बन्धी कुछ अधिक महत्वपूर्ण नये परिवर्तनों की संक्षेप में चर्चा करूंगा जिनकी वजह से परिचालन कार्य में फिर से तेजी आई है। सबसे अधिक लाभदायक काम तो यह किया गया है कि आधुनिक माल डिब्बों के बेड़े को, जिनमें रोलर बेयरिंग और सेंटर बफर कपलर लगे हैं, पुराने पारस्परिक माल डिब्बों से अलग कर दिया गया है और उन्हें माल यातायात की 'एक्सप्रैस' धारा के रूप में चलाया जा रहा है। अनाज, उर्वरक, सीमेंट और कोयले जैसी परमावश्यक वस्तुओं के लिए अब इस एक्सप्रैस धारा का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है और ये वस्तुएं अब देश भर में पहले से अधिक उपलब्ध होने लगी हैं। इस नये परिवर्तन से कपलरों की असंगति भी दूर हुई है जिससे मार्शलिंग यार्डों व टर्मिनलों में कार्यभार घट गया है और गाड़ियां अधिक रफ्तार से चलने लगी हैं। इससे माल डिब्बों के टर्न राउण्ड में सुधार हुआ है। कोयला, इस्पात कारखानों के माल और निर्यात वाले लौह अयस्क के लिए खुले बी० ओ० एक्स० डिब्बों तथा खाद्यान्न, उर्वरक और सीमेंट के लिए 'जम्बो' नामक बन्द

माय डिब्बों को अधिकतर तंग दायरे में चलाने से रेलें अधिक कुशलतापूर्वक और अधिक यातायात का परिवहन करने लगी हैं। इसके अलावा माल गाड़ियों के डिब्बों के अनुकूलीकरण की दृष्टि से यह अनुशासन लागू किया गया है कि गाड़ियों की रचना इस प्रकार के और इतने डिब्बों से की जाये कि रेल इंजनों की पूरी कर्षण क्षमता का उपयोग हो सके। इससे गाड़ियों की संख्या घटी है और खंड की क्षमता का बेहतर उपयोग होने लगा है। एक दूसरा नया परिवर्तन है विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में डीजल और बिजली के रेल इंजनों का प्रयोग। जिन खंडों पर पहले भाप के इंजन चल रहे थे उनका चयनात्मक अध्ययन करके ये क्षेत्र नामित किये गये हैं। इस उपाय से चुनीदा क्षेत्रों में माल डिब्बों को तेजी से यथास्थान लगाने और बाहर भेजने का दो-मुखी प्रयोजन सिद्ध हुआ है जिसके फलस्वरूप परिचालन कार्य सुचारु रूप से होने लगा है और भाप इंजन फालतू हो गये हैं। इस प्रकार, अब तक लगभग 500 भाप इंजन भंडार में भेजे जा चुके हैं जिसकी वजह से रेलों पर अपने कार्यों के लिए कोयले की आवश्यकता कम हो गयी है और उद्योगों के लिए उतना ही अधिक कोयया उपलब्ध हो गया है। कीमती परिसम्पत्तियों के अधिकतम उपयोग की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम के रूप में एकीकृत परिचालन का सूत्रपात किया गया है जिसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिजली या डीजल के एक ही इंजन से थ्रू माल गाड़ियां चलायी जा रही हैं और उन्हें मध्यवर्ती स्टेशनों पर नहीं रुकना पड़ता। इससे चल स्टाक के उपयोग में काफी सुधार हुआ है और आने-जाने में समय भी कम लगता है। मध्यवर्ती माल-डिब्बा-परीक्षा-स्थलों पर इस तरह जन-शक्ति की जो बचत होती है उसका उपयोग सामान्य माल डिब्बा अनुरअण के लिए किया जाता है और भाप इंजन-शेडों में बचने वाली जन-शक्ति का उपयोग माल डिब्बा मरम्मत डिपुओं में माल-डिब्बा अनुरक्षण को सुधारने के लिए किया जाता है। ये डिपो उन्हीं भाप इंजन शेडों में से बना दिये गये हैं, अन्यथा उन्हें बन्द करना पड़ता।

माल डिब्बों को मरम्मत और अनुरक्षण के बकाया काम को पूरा करने पर काफी ध्यान दिया गया है ताकि 'कार्यक्षम बेड़ा' तैयार हो सके। लदान के अयोग्य माल डिब्बों को तेजी से अलग किया जा रहा है और उन्हें दुरुस्त करने के लिए सुविधाएं बढ़ायी गई हैं। गतायु माल डिब्बों को आयु-एवं-दशा के आधार पर छाटने और नाकारा घोषित करने के लिए भी एक जोरदार कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि ऐसे डिब्बों का रद्दी के रूप में शीघ्र निपटान किया जा सके। इससे यार्डों और डिपुओं में उन्हें खड़ा करने की जगह बचेगी और रेलपथ की क्षमता भी बचेगी। रद्दी लोहे की बिक्री से अतिरिक्त आय भी होगी। एक और खास फायदा यह होगा कि उद्योगों के लिए दुर्लभ रद्दी इस्पात अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकेगा। बी० ओ० एक्स० मालडिब्बों की तेजी से पुनःस्थापना करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये माल डिब्बे यातायात की एक्सप्रेस धारा वाले बेड़े का लगभग 50 प्रतिशत हैं।

विगत काल में, अनेक बाधाओं के कारण, दुर्भाग्य से चल स्टाक के अनुरक्षण की सुविधाएं आवश्यकता के अनुरूप नहीं बढ़ायी जा सकी हैं। स्थिति सवारी डिब्बों के सम्बन्ध में विशेष रूप से खराब रही है, जिसके कारण नयी यात्री गाड़ियों को चलाने, मौजूदा यात्री गाड़ियों में अधिक स्थान उपलब्ध कराने और पर्यटकों तथा अन्य लोगों की आवश्यकता के अनुसार सवारी

डिब्बे जुटाने में काफी बाधा पड़ी है। स्थिति को सुधारने के लिए एक प्रयास के रूप में प्रति वर्ष 1200 सवारी डिब्बों की मरम्मत के लिए एक नयी मरम्मतशाला की मंजूरी दी जा चुकी है और 25 दिसम्बर, 1980 को तिरुपति में भारत के राष्ट्रपति इस फैक्ट्री की आधारशिला रख चुके हैं।

यात्री यातायात

चालू वर्ष में 79 गैर-उपनगरीय गाड़ियां और चलायी गयी हैं तथा 27 अन्य गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया है। इनमें सप्ताह में दो बार चलने वाली बम्बई वी० टी०-वाराणसी महानगरी एक्सप्रैस, दिल्ली-पटना सोनभद्र एक्सप्रैस, एर्णाकुलम और कण्णानूर के बीच दिन की तेज गाड़ी, धनबाद और पटना के बीच रात की गाड़ी तथा मैसूर और बेंगलूरु के बीच एक दैनिक एक्सप्रैस गाड़ी शामिल है। विभिन्न पर्वों और मेलों के अवसर पर होने वाली यात्रियों की भीड़ की निकासी के लिए की जाने वाली सामान्य व्यवस्था के अलावा रेलों ने भगवान बाहुबली की प्रतिमा की संस्थापना की सहस्राब्द पूर्ति के सिलसिले में तीर्थयात्रियों के लिए विशेष प्रबन्ध किये।

राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का तकाजा है कि माल यातातात की आवश्यकताएं उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जायें और उधर सवारी डिब्बों की भी कमी है। अतः हो सकता है कि फिलहाल और अधिक यात्री गाड़ियां चलाने का काम मन्द पड़ जाय। फिर भी देश की बढ़ती हुई आबादी और आर्थिक गतिविधि को देखते हुए मैं अतिरिक्त यात्री गाड़ियों की मांग की वास्तविकता के प्रति पूर्णतः सजग हूं। किन्तु मुझे यह खेदजनक निर्णय कुछ तो इसलिए लेना पड़ा कि साधनस्रोतों का अभाव है और कुछ इसलिए भी कि और अधिक यात्री गाड़ियां चलाने से अत्यधिक आवश्यक माल यातायात के परिवहन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः हमारा प्रयास यह है कि एक से अधिक इंजनों द्वारा खींची जाने वाली 4,500 टन बल्कि 7,500 टन तक की भारी माल गाड़ियां चलाने के लिए अवसंरचना तैयार की जाय। इससे लाइन क्षमता बचेगी जिसका उपयोग भविष्य में यात्री सेवाएं बढ़ाने के लिये किया जा सकेगा। मुझे यकीन है कि सदन के सभी वर्ग इस दृष्टिकोण से सहमत होंगे।

अल्पकालिक उपाय के रूप में यह विनिश्चय किया गया है कि मौजूदा यात्री गाड़ियों का और अधिक डीजलीकरण और विद्युतीकरण करके, और कुछ चुनींदा गाड़ियों में दो इंजन लगाकर, इनके डिब्बों की संख्या यथासम्भव बढ़ा दी जाय और इस प्रकार यातायात की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। इसलिए 29 जनवरी, 1981 से कर्णाटक-केरल एक्सप्रैस में डिब्बों की संख्या 14 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। दिल्ली और जयपुर के बीच पिंक सिटी एक्सप्रैस को भी दो इंजनों से चलाने की व्यवस्था की जा रही है और यह तेज गाड़ी के रूप में दिल्ली और अजमेर के बीच भी सप्ताह में तीन बार चला करेगी। दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रैस भी अब बिजली इंजन से चलायी जा रही है जिसकी वजह से इस गाड़ी में अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था हो गयी है और कीमती डीजल ईंधन की बचत भी हुई है।

माल यातायात की संचलन व्यवस्था को युक्तियुक्त और सुचारु रूप प्रदान कर देने के

बाद अब यात्री यातायात की उपलब्ध सुविधाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। मैं जानता हूं कि अभी गाड़ियों के समय-पालन, गाड़ियों और स्टेशन परिसरों में सफाई, खानपान व्यवस्था, आरक्षण की सुविधा आदि के मामले में काफी सुधार की जरूरत है। मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि इन मामलों पर अब जिस तरह ध्यान दिया जा रहा है उससे अगले कुछ महीनों में, उपलब्ध वित्तीय और भौतिक साधनों के भीतर, स्थिति काफी सुधर जायेगी।

योजना परिव्यय

छठी पंचवर्षीय योजना

1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रेलों के लिए 5,100 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय निर्धारित है जो 1978-83 की सम्प्रति निष्क्रिय योजना के लिए रखे गये 3,400 करोड़ रुपये के परिव्यय से काफी अधिक है। लेकिन अतिरिक्त क्षमता के सृजन, नयी लाइनों की शुरूआत और नवीकरण एवं बदलाव के बकाया काम की पूर्ति के लिए रेलों की आवश्यकता को देखते हुए यह राशि अब भी बहुत कम है। विभिन्न प्रतिस्पर्धी और बाध्यकारी आवश्यकताओं के बीच निवेश-योग्य दुर्लभ साधन-स्रोतों का विवेकपूर्ण आवंटन एक दुष्कर कार्य रहा है। सबसे भारी आवश्यकता पुनःस्थापन की है, इसलिए यह विनिश्चय किया गया है कि बदलाव और नवीकरण के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। रेलपथ के नवीकरण और माल डिब्बों के बदलाव के पिछड़े हुए काम को अच्छी तरह निपटाया जायेगा। आशा है कि इस योजना-अवधि में चौपहिये के हिसाब से 50,000 से अधिक माल डिब्बों, 5,000 सवारी डिब्बों और 300 ई० एम० यूनिटों का बदलाव और 14,000 किलोमीटर रेलपथ का नवीकरण किया जा सकेगा। इस मुख्य कार्य को देखते हुए, 1980-85 की रेल योजना को 'पुनःस्थापन योजना' कहा जा सकता है। इनके साथ-साथ एक दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में, राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से विद्युतीकरण की गति भी तेज की जा रही है। इन उपायों के बावजूद रेल परिवहन की मांग और उसकी उपलब्धता के बीच अन्तर बना रहेगा। लेकिन राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के आभ्यन्तरिक क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकताओं को पर्याप्त प्राथमिकता दी जायेगी।

उपलब्ध शेष धन में से एक अच्छा-खासा अंश क्षमताजनक किस्म की चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवंटित करना होगा ताकि राष्ट्र को जल्दी से जल्दी इन परियोजनाओं का लाभ मिल सके। फलतः नयी लाइनों और आमान परिवर्तनों के लिए आवंटन तब तक अपेक्षित स्तर से बहुत नीचे रहेगा जब तक कि और अधिक साधन-स्रोत उपलब्ध न हो जायें।

विभिन्न मुकामों से आमान परिवर्तन की जो मांग की जा रही है उससे मुझे लगता है कि आम तौर पर ऐसी धारणा बन गयी है कि बड़ी लाइन की रेलवे ही कुशलतापूर्वक सेवा कर सकती है, मैं इस धारणा को दूर करना चाहता हूं। मीटर लाइन वाली रेलों के पास यदि पर्याप्त साधन-सामग्री हो तो वे तेज, कुशलतापूर्ण और मितव्ययितापूर्ण रेल परिवहन सेवा प्रदान कर सकती हैं, जैसा कि अन्य कई देशों का अनुभव है। वस्तुस्थिति यह है कि इन देशों में मीटर लाइन पर गाड़ियों की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रतिघंटा तक पहुंच गयी है जबकि हमारे यहां बड़ी लाइन पर अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर प्रतिघंटा है। अतः हमारा जोर इस बात पर

होना चाहिए कि मीटर लाइन सेवाओं में सुधार किया जाय, न कि उनकी उपेक्षा या बहिष्कार किया जाय। एक जैसे आमान के लाभ सुस्पष्ट हैं। लेकिन इसके बावजूद आमान परिवर्तन के लिए भारी मात्रा में साधन-स्रोतों का उपयोग करना एक विलासिता होगी जो अभी हमारे जैसे विकासशील देश के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि साधन-स्रोतों की बाधा निरन्तर बनी हुई है। अतः आमान परिवर्तन की परियोजनाओं का बारीकी से मूल्यांकन करके यह मालूम करना होगा कि क्या परिवहन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा पर्याप्त वित्तीय एवं आर्थिक औचित्य के आधार पर ऐसे आमान परिवर्तनों की अपरिहार्य आवश्यकता है। अतः मैं रेलवे बोर्ड को निर्देश कर रहा हूं कि आमान परिवर्तन परियोजनाओं के विषय में एक समुचित नीति निर्धारित की जाय और एक संदर्शी योजना तैयार की जाय।

करूर से तूतीकोरिन और तिरुनेलवेल्लि बरास्ता मदुरै जैसी नयी लाइनों को हाथ में लेने के लिए अपेक्षित मात्रा में वित्तीय साधन तलाश करने का प्रयत्न करना होगा।

मैं आशावादी हूं और मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का काफी उत्थान होगा और साधन-स्रोतों की समग्र स्थिति में सुधार होगा जिससे रेलें अपनी योजना पर कार्य करते हुए अपनी विकास-संबंधी आवश्यकताओं के लिए और अधिक साधन जुटा सकेंगीं। उस समय आबंटनों की पुनः समीक्षा की जायेगी।

इस योजना से हमें जिन उल्लेखनीय उपलब्धियों की आशा है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं--चौपहियों के हिसाब से एक लाख माल डिब्बों, 5,680 सवारी डिब्बों, 390 ई० एम० यूनिटों और 780 डीजल/बिजली रेल इंजनों की प्राप्ति, 2,800 किलोमीटर रेलपथ का विद्युतीकरण, लगभग 1,800 मार्ग किलोमीटर लम्बी नयी लाइनों का खुलना, 935 किलोमीटर मीटर लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन और 1,415 किलोमीटर में दोहरी लाइन बिछाया जाना। बेंगलुरु के निकट, येलहंका में पहिया-धुरा संयंत्र लगाने का काम इस योजना में पूरा हो जायेगा और पहियों के आयात पर अब जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है उसमें भारी बचत होगी। दिल्ली में रिंग रेलवे कम्प्यूटर सेवा मध्य-1982 से चालू हो जायेगी और तभी 'एशियाई खेल, 1982' भी होंगे। कलकत्ता में मीटर रेल प्रणाली का काम काफी आगे बढ़ चुकेगा और एम्प्लानेड-टालीगंज खण्ड पर पहली गाड़ी योजना की अवधि समाप्त होने से पहले चलने लगेगी। कारखानों के आधुनिकीकरण का प्रथम चरण भी पूरा हो जायेगा। इन योजना में जो अन्य महत्वपुर्ण चालू स्कीमें पूरी की जायेंगीं वे हैं--छितौनी-बगहा लाइन की पुनःस्थापना और बाराबंकी-समस्तीपुर, बरौनी-कटिहार तथा न्यू बोंगाईगांव-गुवाहाटी लाइनों का बड़ी लाइन में परिवर्तन।

1981 82 का योजना परिव्यय

1981-82 का वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना का दूसरा वर्ष होगा। इस वर्ष का परिव्यय 1980-81 के 762 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 980 करोड़ रुपये किया जा रहा है, अर्थात् इसमें लगभग 29 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। छठी योजना के मूलभूत लक्ष्यों के अनुरूप, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया, परिसम्पत्तियों के बदलाव और नवीकरण को प्राथमिकता दी जायेगी और इस पर खर्च की जाने वाली राशि चालू वर्ष के 231 करोड़ रुपये से बढ़ाकर

1981-82 में 450 करोड़ रुपये कर दी जायेगी। जिन चालू स्कीमों में चल स्टाक के अनुरक्षण और मरम्मत की सुविधाओं के मौजूदा बकाया काम को निपटाने में मदद मिलेगी, तथा जिन निर्माण कार्यों से अर्थ-व्यस्था के आभ्यन्तरिक क्षेत्रों वाले यातायात अर्थात् कोयला, सीमेंट आदि के यातायात की बढ़ती हुई जरूरतें पूरी होंगीं, उनको तेजी से पूरा करने पर भी बल दिया जायेगा। इस वर्ष के योजना परिव्यय की कुछ विशेषताएं हैं – पुराने स्टाक के बदलाव के लिए 18,000 माल डिब्बों की तेजी से खरीद, विद्युतीकरण की गति बढ़ाने के लिए जोरदार प्रयास और रेलों में कोयले की खपत घटाने के लिए भाप इंजनों की बड़ी संख्या में सेवा-निवृत्ति।

नये निर्माण

सीमेंट और इस्पात जैसी परम आवश्यक वस्तुओं की कमी के बावजूद नये निर्माण की परियोजनाओं में संतोषजनक प्रगति हुई है। सदस्यों की जानकारी के लिए मैं चालू और योजनाधीन दोनों प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का ब्यौरा देना चाहता हूं।

नयी लाइनें

चालू वर्ष में अब तक 126 किलोमीटर नयी लाइनें अर्थात् रोहतक-विभानी, शामली-सहारनपुर और जखपुरा-सुखिडा लाइनें खोली जा चुकी हैं। बसई रोड-दीवा, आप्ता-पेन, तिरुनेलवेल्लि-नगरकोइल, बीबीनगर-नालगोंडा, सुखिडा-दैतारी, संतरागाछी-बड़गछिया और करैला रोड-काकेरी की 257 किलोमीटर लाइनें भी चालू वर्ष में खुल जाने की आशा है। मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार, 1981-82 में 171 किलोमीटर नयी लाइनें खोलने की योजना है जिसमें, धानी-पिम्पलकोटि, पैन-रोहा, काकेरी-जयन्त और भद्राचलम्-मानगुरु खंड शामिल हैं। कोटा से चित्तौड़गढ़ वरास्ता बूंदी के बीच एक बड़ी लाइन के स्वीकृत कार्य के लिए परिव्यय बढ़ाया जा रहा है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में छः नयी रेल लाइनों अर्थात् गुवाहाटी-वर्नीहाट, धर्मनगर-कुमारघाट, वालीपाडा-भालुकपोंग, सिलचर-जिरिवाम, अमगुड़ी–तुली और लालाघाट–भैरवी का निर्माण कार्य उस क्षेत्र की परिस्थितियों के कारण कुछ मन्द पड़ गया था। अब उसे फिर से तेज किया जा रहा है। रामपुर-हल्द्वानी नयी बड़ी लाइन का काम और छितौनी-वगहा रेल सम्पर्क के एक भाग के रूप में गंडक नदी पर नये पुल के निर्माण का काम भी शुरू हो गया है। मानिकगढ़-चांदुर बड़ी लाइन का काम भी तेज किया जायेगा। तेलापुर-पातनवेरु के बीच नयी लाइन के निर्माण के लिए भी 1981-82 के बजट में व्यवस्था की गयी है।

आमान परिवर्तन

2800 किलोमीटर की तेरह आमान परिवर्तन परियोजनायें पहले से हाथ में हैं। वीरमगाम और हापा के बीच 268 किलोमीटर की वीरमगाम-ओखा/पोरबन्दर आमान परिवर्तन योजना का पहला चरण पूरा हो गया है और परिवर्तित अंश जून 1980 में यातायात के लिए खोल दिया गया है। सोनपुर और बाराबंकी के बीच 476 किलोमीटर मार्ग के आमान परिवर्तन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और परिवर्तित लाइन को 1981 के मध्य तक खोल देने की

योजना है। न्यू बोंगाईगांव और गुवाहाटी के बीच समानान्तर बड़ी लाइन और बरौनी से कटिहार तथा गुन्तकल्लु से बेंगलूरु तक आमान परिवर्तन का काम भी 1981-82 में पूरा होने की संभावना है। छितौनी-बगहा लाइन की पुन: स्थापना को प्राथमिकता देने से अब समस्तीपुर-दरभंगा के आमान परिवर्तन को भी हाथ में ले लिया जायेगा ताकि ये दोनों काम साथ-साथ पूरा हो सकें। मऊ से शाहगंज और छपरा तक की लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग पर भी विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार की अन्य विचारार्थ आमान परिवर्तन योजनाये हैं : वाराणसी-भटनी, मैसूर-बेंगलूरु, गुन्टूर-माचेर्ला, मुरादाबाद-रामनगर और मनमाड-औरंगाबाद। 580 किलोमीटर के गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ खंड को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य 1981-82 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

सर्वेक्षण

नई लाइनों के लिए पैंतीस सर्वेक्षण और आमान परिवर्तन के लिए तेरह सर्वेक्षण पहले से हाथ में हैं। इसमें जम्मू-ऊधमपुर, आरा-सासाराम, कुट्टिपुरम-त्रिचूर बरास्ता गुरुवायूर, मुजफ्फरपुर-रक्सौल बरास्ता सगौली (वेतिया-बगहा खंड सहित), पातनचेरु-पेडपल्लि बरास्ता सांगारेड्डि और नांगल-तलवाड़ा शामिल हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, नयी लाईनों का कार्यक्रम 1980-85 की योजना के लिए अपर्याप्त परिव्यय के कारण अत्यधिक प्रतिबन्धित रहेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि ज्यों-ज्यों योजना आगे बढ़ेगी, साधन-स्रोतों की उपलब्धता में सुधार होगा और हम नयी लाइनों के निर्माण की योजनायें शुरू करने के लिए आवश्यक समायोजन कर सकेंगे। इसलिए मैं यह नहीं चाहता कि भविष्य के लिए नई लाइनों की योजनाओं की संभाव्यता मालूम करने के उद्देश्य से किये जा रहे सर्वेक्षणों का काम स्थगित कर दिया जाय। इस निर्णय पर पहुंचने में मैंने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि नयी परियोजनाओं की एक पाइप-लाइन होना आवश्यक है ताकि साधन-स्रोतों की स्थिति में सुधार होते ही उन्हें हाथ में लिया जा सके। तदनुसार 1981 82 के बजट में इन सर्वेक्षणों को शामिल किया गया है :

क—नई लाईने

1. नांड्याल-येरागुंतला
2. रायचूर-कर्नूल-माचेर्ला
3. तिपलांग-ईटानगर
4. डिब्रूगढ़ के पास ब्रह्मपुत्र पर रेल-सड़क पुल
5. जोगीघोपा के पास ब्रह्मपुत्र पर रेल-सड़क पुल
6. कुमारघाट-अगरतल्ला
7. जगईरोड-बदरपुर
8. मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी
9. लालमटिया-कहलगांव

10. गिरडीह-हजारीबाग रोड/हजारीबाग टाउन-रांची
11. देवगढ़-दुमका बरास्ता वासुकिनाथ
12. चामराजनगर-मेट्टुपालयम
13. अलेप्पी-कांयाकुलम
14. धुले-आमलनेर
15. कोटा-देवगढ़/नादरिया, लाम्बिया-ब्यावर से मीटर लाइन ठोकर सहित
16. नाथद्वारा-भीलवाड़ा-काकड़ी-टोडारायसिंह
17. बैलारा-बाड़
18. अलीगंज-धानापुर-अफजलगढ़-कालागढ़
19. मथुरा-अलवर
20. रायचूर-कृष्णा-मस्तियाल-विकाराबाद
21. दुमका-मधुपुर
22. शाहगंज-सुल्तानपुर-अमेठी-गढ़ी मानिकपुर (गोतनी)
23. नडिकुडि-गुडूर/कालाहस्ती

ख—आमान परिवर्तन

1. गुवाहाटी-डिब्रूगढ़
2. कटिहार-बरसोई-सिलीगुड़ी-न्यू जलपाईगुड़ी
3. रायपुर-धमतरी-बालोद
4. दीमापुर-चैमुकदीमा
5. जोधपुर-मारवाड़ बरास्ता लूनी
6. मद्रास-ताम्बरम् (मी० ला०) उपनगरीय प्रणाली
7. बरेली-काठगोदाम
8. रांची-लोहारदागा, तोड़ी तक और उसके साथ लोहारदागा से तोड़ी तक एक नई लाइन
9. पुरुलिया-कोटशिला
10. सूरतगढ़-सरूपसर-अनूपगढ़
11. गोरखपुर-छितौनी/वाल्मीकिनगर

विद्युतीकरण

1980-81 में 437 किलोमीटर में विद्युतीकरण का काम पूरा किया गया । इसमें किरन्दुल में वाल्तेरू तक के लौह-अयस्क यातायात वाले मार्ग पर किरन्दुल-जगदलपुर खंड और विजयवाड़ा

से मद्रास के बीच का मुख्य ट्रंक मार्ग शामिल है। वालतेरु-किरन्दुल खंड पर शेष निर्माण कार्यों को तेज किया जा रहा है और यह समूचा खंड चालू वर्ष की समाप्ति तक विद्युत कर्षण में आ जायेगा।

1981-82 में जिन अधिक सघन खंडों को विद्युतीकरण के लिए लिया जा रहा है वे हैं— सीतारामपुर-पटना-मुगलसराय, झांसी-इटारसी, भुसावल-नागपुर, विजयवाड़ा-बल्हरशाह, अरकोणम-ईरोड, अरकोणम-रेनीगुंटा-गुडूर और गंगापुर सिटी-रतलाम। ये उन विद्युतीकरण कार्यों के अलावा हैं जो किरन्दुल-जगदलपुर, दिल्ली-झांसी, बड़ोदरा-रतलाम, गोधरा-आणंद, मथुरा-गंगापुर सिटी, त्रिवेल्लूर-अरकोणम और कुछ कोयला खान वाली लाइनों पर चालू हैं और जिनकी कुल लम्बाई 1,418 किलोमीटर है।

महानगर रेल परिवहन परियोजनायें

चालू वर्ष में 27.00 करोड़ रुपये के बढ़े हुए परिव्यय से कलकत्ता में चालू महानगर रेल परियोजना के काम में तेजी से प्रगति हुई है। अक्तूबर, 1980 में सुरंगों का काम शुरू किया गया था। कुल मिलाकर काम सन्तोषजनक रूप से आगे बढ़ रहा है। (व्यवधान)

श्री के० टी० कोसलराम (तिरूचेंडूर) : यह है रेलवे बोर्ड की सिफारिश जो उसने करूर-डिंडीगल-तूतीकोरिन/तिरूनवेली रेलवे लाइन के बारे में हैं। और यह है भूतपूर्व रेलवे मन्त्री का वचन जो सभा की कार्यवाही का एक अंग बन चुका है। तमिलनाडु भारत का एक भाग है या नहीं, अथवा तमिलनाडु को अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया है?

बम्बई में बान्द्रा के फ्लाई ओवर को 1981 के अन्त तक पूरा कर देने की योजना है। इससे बम्बई के दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी और वे अन्धेरी की तरफ से बम्बई वी० टी० को, रास्ते में गाड़ी बदले बिना, सीधे जा सकेंगे।

महानगर परिवहन परियोजना की स्कीमों के लिए 1980-81 में परिव्यय 33.72 करोड़ रुपये हैं जिसे 1981-82 में बढ़ाकर 50.00 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

अन्य रोचक विषय

1980-81 के संशोधित अनुमान और 1981-82 के बजट अनुमानों पर आने से पहले मैं सदन को रेलों की कुछ अन्य उपलब्धियों और कार्य-योजनाओं के बारे में जानकारी देना चाहता हूं।

व्यापक क्षितिज

अन्तर्राष्ट्रीय रेल परिवहन

भारतीय रेलों ने दिसम्बर, 1980 में नई दिल्ली में उष्णकटिबंधीय मोटर आमान की रेलों के यू० आई० सी० ग्रुप की बैठक की मेजबानी की थी। इस बैठक में भारत ने दो महत्व-पूर्ण सफलतायें अर्जित कीं। एक तो यह कि मोटर आमान के लिए हमारे अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा तैयार किये गये रेलपथ मानकों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया

तथा दूसरी यह कि रेलपथ के अन्य सामानों और चल स्टाक के लिए विशिष्टियां तैयार करने का काम भारतीय रेलों को सौंपा गया। इस क्षेत्र में भारतीय रेलों की विशेषज्ञता को यह अभिनन्दनीय मान्यता प्राप्त हुई है जो इस बात से जाहिर है कि अभी तक विश्व भर की रेलें केवल यू० आई० सी० की विशिष्टियों का ही अनुकरण करती रही हैं।

भारतीय रेलें अक्तूबर, 1981 में नई दिल्ली में एशिया के शीर्षस्थ रेल प्रशासकों की एक बैठक तथा अक्तूबर 1982 में एशिया व पेसेफिक आर्थिक-सामाजिक आयोग के सदस्य देशों की एक गोष्ठी की मेजबानीं करेंगी। इसके अलावा, भारतीय रेलें, एस्कैप के तत्वावधान में, एशिया को यूरोप से जोड़ने वाली ट्रांस-एशियन रेलवे लाइन के लिए एशियाई मास्टर प्लान तैयार करने में सक्रिय सहयोग देंगीं।

राइट्स

रेल भारत तकनीकी और आर्थिक सेवा, लिमिटेड (राइट्स), जो मेरे मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, वर्ष के दौरान उन्नति के पथ पर अग्रसर रहा। इसका कारोबार 1979-80 के 8.70 करोड़ रुपये से बढ़कर 1980-81 में 10.50 करोड़ रुपये हो जायेगा। आशा है चालू वर्ष में 2.50 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। इस कम्पनी ने वर्ष 1979-80 के लिए 25 प्रतिशत लाभांश की घोषणा की है।

सदन को ज्ञात है कि नाइजेरिया में तीन वर्ष के लिए नाइजेरियन रेलवे कार्पोरेशन की प्रबन्ध-व्यवस्था को सम्हालने के करार के अन्तर्गत राइट्स ने जो कार्य किया है उसकी न केवल नाइजेरिया में बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस में भी भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है। डीजल रेल इंजनों की उपलब्धता, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि, चल स्टाक के पुनः स्थापन तथा कारखानों के उत्पादन में सुधार के जो लक्ष्य करार में रखे गये थे, वे सभी करार के प्रथम दो वर्षों में न केवल प्राप्त कर लिये गये बल्कि आंकड़े उनसे भी आगे निकल गये। मैं इन उपलब्धियों की सराहना करता हूं।

1980 की एक अन्य बड़ी उपलब्धि यह है कि चल स्टाक के पुनः स्थापन और विकास के लिए निवेश कार्यक्रम तैयार करने में बंगला देश की रेलों को सलाहकारी सहायता देने के लिए एशियाई विकास बैंक ने इस कम्पनी को जो परामर्श ठेका दिया था उसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ईराक, फिलीपीन, जाइरे और घाना में अन्य ठेके संतोषजनक रूप से चल रहे हैं।

चालू वर्ष में राइट्स ने और भी विदेशी ठेके प्राप्त किये हैं।

इरकान

मेरे मन्त्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक अन्य उपक्रम भारतीय रेल निर्माण कम्पनी लिमिटेड (इरकान) है। इस कम्पनी का कारोबार 1979-80 के 28.75 करोड़ रुपये से बढ़कर इस वर्ष 67.63 करोड़ रुपये हो गया। चालू वर्ष में कम्पनी को 30 लाख रुपये का शुद्ध लाभ होने की आशा है जबकि पिछले पिछले वर्ष 15.46 लाख रुपये का मुनाफा हुआ था। इरकान द्वारा किये जा रहे कुछ प्रमुख कार्य हैं—कोरवा, रामगुंडम् और सिंगरौली में ताप बिजली परियोजनाओं के लिए सहायक रेल प्रणाली तथा फरक्का में ताप

बिजली संयंत्र के लिए मैरी-गो-राउण्ड प्रणाली का निर्माण । विश्व बैंक के एक दल ने, जो कोरवा परियोजना के निरीक्षणार्थ गया था, इस बात के लिए इरकान की विशेष प्रशंसा की है कि उसने परिवहन सुविधाओं से सम्बन्धित काम समस्या पर निष्पादित कर दिया । अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर, इरकान ने नाइजेरिया में 47 लाख रुपये का एक ठेका प्राप्त किया है । इरकान ने सऊदी अरब, थाइलैंड, मलेशिया, लीबिया, बंगला देश और ईराक में प्रमुख रेल परियोजनाओं के लिए पूर्व-अर्हता भी अर्जित कर ली है ।

मैं इन दोनों संगठनों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं ।

अनुसंधान और विकास

लखनऊ-स्थित अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन की विशेषज्ञता और तकनीकी जानकारी का रेल उपस्कर निर्माताओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अधिकाधिक लाभ उठाया जा रहा है । इधर हाल में अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा जो उल्लेखनीय योगदान दिया गया है वह रेलों की बढ़ती हुई और विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बिजली और डीजल रेल इंजनों, माल डिब्बों और सवारी डिब्बों के नये डिजाइनों के विकास से संबंधित है । इस श्रृंखला में नवीनतम उपलब्धि है प्रतिष्ठित राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों को खींचने के लिए बिजली रेल इंजनों का विकास । बड़े आमान की शाखा लाइनों के लिए 1,380 अश्व शक्ति के डीजल रेल इंजन, छोटे आमान के लिए 700 अश्व शक्ति और 400 अश्व शक्ति के तथा मीटर आमान के लिए 700 अश्व शक्ति के डीजल हाइड्रॉलिक रेल इन्जनों के मूल डिजाइनों का विकास किया गया है । इन इन्जनों का निर्माण चित्तरंजन रेल इन्जन कारखाने और डीजल रेल इन्जन कारखाने में किया जायेगा । अभिमुख जनित्र वाले वातानुकूल दुमंजिले सवारी डिब्बे के विकास का विचार किया जा रहा है ताकि वर्तमान डिजाइन के दुमंजिले डिब्बों में अपर्याप्त वायुसंचार की जो समस्या है उसे दूर किया जा सके । हमारे देश के रेल परिवहन में एक युगान्तरकारी कार्य होगा बी० ओ० एक्स-एन माल डिब्बों का विकास जिनसे 4,500 टन और 7,500 टन गाड़ी भार खींचा जा सकेगा । इसके परिणामस्वरूप वर्तमान लाइन क्षमता का अधिक गहन उपयोग करके काफी बचत की जा सकेगी ।

अनुसंधान और विकास की कोई सीमा नहीं है । अतः मैं रेलवे बोर्ड को यह हिदायत दे रहा हूं कि इस संगठन को पूर्णतः सशक्त बनाने के लिए एक संदर्शी योजना तैयार की जाये ताकि रेलों को अगले दशकों में आने वाली चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाने के लिए यह संगठन नये परिवर्तनों के सुझाव और परिष्कृत कोटि के प्रौद्योगिक उपस्कर प्रस्तुत कर सके ।

आरक्षण

आरक्षण खिड़कियों पर लगने वाले समय को कम करने के लिए तथा मांग और पूर्ति के बीच अन्तर बने रहने से जो कदाचार होता है उसे समाप्त करने के लिए विगत काल में अनेक उपाय किये गये हैं । जब से मैं रेल मन्त्रालय में आया हूं तभी से मेरा दिमाग इस ओर लगा है कि यात्रियों की कठिनाइयां दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं । सभी सम्बद्ध पहलुओं पर सावधानी से विचार करने के बाद मैंने अग्रिम आरक्षण की अवधि को छः माह से घटाकर एक

माह कर देने का फैसला किया है। यह भी तय किया है कि दूसरे दर्जे में यात्रा एजेंटों के लिए कोई कोटा नहीं होगा। अल्प सूचना पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए, राजधानी एक्सप्रेस को छोड़कर, अन्य सभी डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में शनैः-शनैः दूसरे दर्जे का कम से कम एक-एक आरक्षण रहित डिब्बा लगाने का विचार है।

आई० एस० ओ० कन्टेनर

विश्व भर में आयात और निर्यात वाला यातायात बड़े पैमाने पर आई०एस० ओ० कन्टेनरों में ढोया जाने लगा है। इस समय हमारे देश में इन कन्टेनरों की खलाई-भराई बन्दरगाह क्षेत्रों में की जाती है जिसकी वजह से जहाजी व्यापारी माल को सीधे भीतरी गन्तव्य स्थानों में भेजने के लाभ से वंचित हो जाते हैं। व्यापारी वर्ग यह महसूस करता है कि कन्टेनर यातायात की अन्तर्माध्यम सम्हलाई की तत्काल व्यवस्था होना जरूरी है। परिवहन के एक किफायती माध्यम के रूप में भारतीय रेलें इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं।

अतः बन्दरगाह से अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपुओं तक, जो बेंगलूरु, तुगलकाबाद, अहमदाबाद और गुंटूर में स्थापित किये जायेंगे, आई० एस० ओ० कन्टेनर ले जाने के लिए आवश्यक अवसंरचना सुविधाओं की योजना बनायी जा रही है। इस प्रयोजन के लिए आरम्भिक परियोजनाओं के तौर पर बेंगलूरु छावनी और नयी दिल्ली के प्रगति मैदान में डिपो स्थापित करने का कार्य 1931-82 के बजट में शामिल किया गया हैं।

भारतीय रेल अधिनियम

भारतीय रेल अधिनियम प्रारम्भ में 1890 में पारित किया गया था और तभी से यह समय-समय पर किए गए संशोधनों के साथ लागू है। इन 90 वर्षों में राष्ट्रीय आवश्यकताओं में भारी परिवर्तन आया है और वर्तमान स्थिति के उपयुक्त एक नया अधिनियम बनाने की आवश्यकता लम्बे अर्से से महसूस की जा रही है। वर्तमान अधिनियम की पुनरीक्षा पहले से विचाराधीन है और आशा है कि मैं शीघ्र ही सदन के समक्ष एक नया विधेयक प्रस्तुत करूंगा।

निजी स्वामित्व वाली रेल कम्पनियां

इस समय देश के भिन्न-भिन्न भागों में कम्पनी स्वामित्व वाली छः निजी रेलें चल रही हैं। इनमें से पांच रेलें, अर्थात् असम की कठखल-लालाबाजार और चापरमुख-सिलघाट रेलें, महाराष्ट्र की सेन्ट्रल प्रोविन्सेज रेलवे तथा पश्चिम बंगाल की अहमदपुर-कटवा और बांकुड़ा-दामोदर रिवर रेलें अलग-अलग करारों के अन्तर्गत भारतीय रेलों द्वारा चलायी जा रही हैं। एक रेलवे, अर्थात् बिहार की फतुहा-इस्लामपुर रेलवे, स्वयं कम्पनी द्वारा चलायी जा रही है। इन रेलों के राष्ट्रीयकरण की निरन्तर मांग की जा रही है। इस मांग की आंशिक पूर्ति के लिए कठखल-लालाबाजार लाइट रेलवे तथा चापरमुख-सिलघाट रेलवे का राष्ट्रीयकरण करने का विनिश्चय किया गया है। इस विनिश्चय को कार्यरूप देने के लिए एक विधेयक सदन के समक्ष यथासमय प्रस्तुत किया जायेगा।

कर्मचारी कल्याण

भारतीय रेलों पर लगभग 17 लाख कर्मचारी नियोजित हैं जो देश भर में फैले 7,000 से अधिक स्थानों पर चौबीसों घंटे काम करते हैं। इनमें से बहुत से कार्यस्थल ऐसे एकान्त स्थानों पर हैं जहां जीवन की मूलभूत सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं। इसमें सन्देह नहीं कि एक आदर्श नियोक्ता के नाते भारतीय रेलों ने अपने इन कर्मचारियों की भलाई के लिए विगत काल में प्रशंसनीय कार्य किया है। लेकिन, उन्हे रेल संचालन के काम की तरफ और अधिक प्रेरित करने, अपने काम पर गर्व करने और उनमें साहचर्य की भावना जागृत करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। अब मैं कुछ ऐसे पहलुओं की चर्चा करूंगा जिन्हें हाथ में लेने का विचार है।

आवास

1979-80 के अन्त में कुल उपलब्ध क्वार्टरों की संख्या 5.64 लाख थी जिनमें केवल 38 प्रतिशत कर्मचारियों को ही आवास प्रदान किया जा सका था। मैं जानता हूं कि यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। चालू वर्ष में 6,611 क्वार्टर बनाने की योजना है। इसके लिए और अधिक धन जुट पाता तो अच्छा था, लेकिन साधन-स्रोतों की भारी तंगी के कारण ऐसा करना संभव नहीं हुआ। फिर भी, कर्मचारियों को अपने मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मैं रेलवे बोर्ड को यह निदेश दे रहा हूं कि कर्मचारियों को बड़ी संख्या में सहकारी भवन निर्माण समितियां बनाने की प्रेरणा दी जाये और इन समितियों को विभिन्न संगठनों से ऋण दिलाया जाय तथा निर्माण के दौरान तकनीकी पर्यवेक्षण की सुविधा प्रदान की जाए। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया जायेगा कि वे ऐसी समितियों को रियायती दर पर जमीन दें।

पुराने टाइप के क्वार्टर को सुधारने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा और उनमें वायु-संचार, बिजली, शौचालय और रसोईघर की बेहतर व्यवस्था की जाएगी।

चिकित्सा

चालू वर्ष में विभिन्न अस्पतालों में 105 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार, बिस्तरों की कुल संख्या 10,986 हो जायेगी। पूर्व रेलवे के कलकत्ता स्थित अस्पताल के विकलाग विभाग, मद्रास के पेरम्बूर अस्पताल में खुली हृदय शल्य चिकित्सा विभाग तथा गुवाहाटी अस्पताल का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आगामी वर्ष के लिए स्वीकृत नये कामों में पेरम्बूर के सवारी डिब्बा कारखाने के लिए 50 बिस्तरों वाले एक अस्पताल की व्यवस्था तथा बैंगलूरु और लखनऊ में पोली क्लिनिकों की व्यवस्था शामिल है। विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य यूनिटों में चिकित्सा कार्मिकों की वर्तमान कमी को दूर करने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं।

विगत काल में डाक्टरों की कमी के कारण रेलवे अस्पतालों की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। रेल कर्मचारियों के बच्चों को भी मेडीकल कालेजों में प्रवेश पाने में कठिनाई होती है। अतः मैंने रेलवे बोर्ड से कहा है कि एक मेडीकल कालेज खोलने की योजना तैयार करे जिसका संचालन रेलवे द्वारा स्वयं किया जायेगा।

शिक्षा

कर्मचारियों के कल्याण के लिए रेलों द्वारा ऐसे स्टेशनों पर शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है जहां राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शिक्षा सुविधाएं अपर्याप्त हैं या बिल्कुल नहीं हैं। इसी नीति के अनुसरण में रेल 4 कालेज, 74 हाई स्कूल जिनमें 7 केन्द्रीय विद्यालय भी शामिल हैं, 28 मिडिल स्कूल और 649 प्राइमरी स्कूल चला रही है। जुलाई 1981 से समस्तीपुर और चक्रधरपुर में दो और केन्द्रीय विद्यालय चालू हो जाने की आशा है। आद्रा में भी एक केन्द्रीय विद्यालय यथाशीघ्र खोलने के लिए कदम उठाये गये हैं।

वर्दियां

अपनी यात्राओं के दौरान माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि एक बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी वर्दियां पहनते हैं जो उन्हें रेल प्रशासनों द्वारा सप्लाई की जाती हैं। लेकिन, कई कारणों से यह पहिनावा क्षोभ उत्पन्न करता रहा है। सामाजिक-आर्थिक स्थिति में हुए सर्वतोमुखी परिवर्तनों के कारण इन वर्दियों की मौजूदा बनावट और इनका कपड़ा कर्मचारियों में अब लोकप्रिय नहीं रहा। हाल में किये गये पुनरीक्षण के आधार पर अब वर्दियों के स्केल और किस्म के मानकों में परिवर्तन किया जायेगा। हर कर्मचारी के अपने नाप की एकदम फिट वर्दियां समय पर सप्लाई करने के लिए भी विशेष कदम उठाये जा रहे हैं।

खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां

खेलकूद और व्यायाम के क्षेत्र में भारतीय रेलों का कार्य सराहनीय रहा है। 1979-80 में रेलों ने बाल बैडमिन्टन (मध्य वर्ग), हाकी, वालीबाल, सीनियर और जूनियर भारोत्तोलन तथा जल पोलो में राष्ट्रीय उपाधियां अर्जित कीं। वे तैराकी और ब्रिज में भी आगे रहीं। रेलवे की महिला कर्मचारियों तथा रेल कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों में खेलकूद धीरे-धीरे लोकप्रिय होते जा रहे हैं। रेलवे की महिला टीमें बैडमिन्टन और क्रास कन्ट्री दौड़ में राष्ट्रीय चैम्पियन हो गयीं तथा कबड्डी और वालीबाल में आगे रहीं।

रेलवे के पुरुषों और महिलाओं ने अन्तर्राष्ट्रीय अखाड़े में भी अपना नाम रोशन रखा। 1979-80 में 42 पुरुष और 27 महिला अर्थात 69 रेल कर्मचारियों को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली राष्ट्रीय टीमों में रखा गया था। पिछले माह तीन खिलाड़ियों को, जिनमें दो महिलाएं थीं, सुप्रसिद्ध अर्जुन पुरस्कार दिया गया। उनमें से एक को पद्मश्री की उपाधि से भी विभूषित किया गया।

कार्येतर गतिविधियों में भाग लेने के लिए रेल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में भाग लेने के लिए प्रशिक्षण की अवधि को तथा उनमें वास्तविक रूप से भाग लेने की अवधि को ड्यूटी माना जायेगा। यह भी तय किया गया है कि क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय रेलवे स्तरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने की अवधि को विशेष नैमित्तिक छुट्टी माना जायेगा तथा तत्सम्बन्धी यात्राओं के लिए विशेष मानार्थ पास दिये जायेंगे।

कर्मचारियों से सम्बन्धित अन्य विषय

मार्च 1980 के अन्त में नियमित सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या 3.23 लाख थी अर्थात् रेल कर्मचारियों की कुल संख्या का 21 प्रतिशत/वर्ष के दौरान इन जातियों के लगभग 7,000 कर्मचारी भर्ती किये गये । अब भी कुछ कमी रहती है । सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में आरक्षणों से सम्बन्धित आदेशों को वैध घोषित किया है । अतः अब इस कमी को पूरा करने के लिए आगे कदम उठाये जायेंगे ।

विकलांग व्यक्तियों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हाल में दक्षिण रेलवे पर एक परीक्षण किया गया है जिसके अन्तर्गत मद्रास सेंट्रल और बेंगलूरु सिटी स्टेशनों पर केटरिंग स्टालों और कैफेटेरिया में विकलांग लड़कियों को नियोजित किया गया है । इसका अच्छा स्वागत हुआ है और सभी रेलों को इसी तरह से उपाय करने की हिदायत दी गयी है ।

इतने विशाल देश में फैले 17 लाख कर्मचारियों को खुश रख पाना कोई आसान बात नहीं रह गयी है, खासकर जब लोगों की व्यक्तिगत आकांक्षाएं ऊंची हों और वे मानवीय गरिमा को यथोचित मान्यता दिलाने के प्रति अधिक सचेत हों । रेलों के सर्वतोमुखी विकास के साथ-साथ, विशेषकर आधुनिक और अधिक परिष्कृत उपस्कर पर बढ़ती हुई आस्था के कारण शिक्षित और तकनीकी अर्हता-प्राप्त कार्मिकों की संख्या बढ़ रही है । अतः कार्मिक प्रबन्धकों का एक अलग संवर्ग बनाने की आवश्यकता है । इस दिशा में कुछ शुरुआत की गयी है और 1980 में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किये गये नवयुवक कार्मिक अधिकारियों का पहला दल शीघ्र ही 'कार्मिक प्रबन्ध' तथा 'औद्योगिक सम्बन्ध' विषयों में अपना व्यापक प्रशिक्षण आरम्भ कर देगा । कुछ ही वर्षों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और अनुभव-प्राप्त सुविज्ञ प्रबन्धकों का संवर्ग 'कार्मिक प्रबन्ध' और 'औद्योगिक सम्बन्ध' के माममों में भूमिका निभाने लगेगा ।

विशेषज्ञों की उच्चाधिकार समिति

आगे आने वाले दशकों में रेलों को आज की अपेक्षा ढाई-तीन गुना यातायात की ढुलाई करनी होगी । उसके सामने तरह-तरह की चुनौतियां होंगीं जिसके लिए वित्त, संगठन और प्रशासन के क्षेत्रों में भारी सुधार करने की आवश्यकता होगी । इन सभी पहलुओं का गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है ताकि संतोषजनक हल निकाले जा सकें । नयी लाइनों में निवेश के लिए तथा वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाने, उन्नत करने और आधुनिक बनाने के लिए तथा अतिरिक्त सुविधाएं जुटाने के लिए भारी मात्रा में वित्तीय साधन-स्रोतों की आवश्यकता होगी । अतः इस बात की जांच करना जरूरी हो जाता है कि क्या वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत अपेक्षित मात्रा में धन प्राप्त हो सकेगा या उसके लिए कोई वैकल्पिक उपाय करने होंगे । यातायात में प्रत्याशित वृद्धि को सम्हालने की क्षमता प्राप्त करने के लिए योजनाबन्दी और निगहवानी की प्रक्रियाओं का उन्नयन और परिष्कार करना होगा । सम्हलाई और कर्षण कार्यों को युक्ति संगत और आधुनिक बनाना होगा तथा प्रौद्योगिक सामान-सामग्री को निरन्तर बढ़ाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि गाड़ियां निरापद, तेज और अबाध गति से चलें । प्रशासन की दृष्टि

से रेलों के क्षेत्रों और मंडलों का पुनर्गठन करने और उन्हें मजबूत बनाने की जरूरत पड़ सकती है। रेल संचालन के इन पहलुओं की तथा अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए मैं एक उच्चाधिकार विशेष समिति नियुक्त करना चाहता हूं। इस समिति के गठन और विचारणीय विषयों की घोषणा शीघ्र की जायेगी।

पर्यटन

पर्याप्त संख्या में उपयुक्त सवारी डिब्बों और अन्य सुविधाओं की कमी के कारण रेलें पर्यटन-विकास के क्षेत्र में अधिक काम नहीं कर सकी हैं। 'इंडरेल' पास देने के अलावा और कोई खास काम पर्यटक यातायात के विकास के लिए नहीं किया गया है, हालांकि उससे विदेशी मुद्रा की कमाई की बहुत अच्छी संभावना है। पर्यटक स्वभावतः आराम के साथ और पूर्वनियोजित कार्यक्रम के अनुसार यात्रा करना चाहता है। मैं समझता हूं, अब यह जरूरी हो गया है कि विदेशी और आन्तरिक पर्यटन से सम्बन्धित सभी बातों पर ध्यान देने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाय और भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा सम्बद्ध एजेंसियों के सहयोग से पर्यटन विकास के उपाय निकाले जायें जिसमें रेलें भी अपनी खास भूमिका अदा करें। अतः मैंने विनिश्चय किया है कि पहले रेल मंत्रालय में अलग से एक पर्यटन निदेशालय की स्थापना कर दी जाये।

—

संशोधित अनुमान 1980-81

माल यातायात से आमदनी

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि जून, 1980 में चालू वर्ष के लिए रेलवे बजट प्रस्तुत करते समय यह कहा गया था कि हमारी आशा के अनुसार अयुक्तिसंगत रेल संचलन की मात्रा में कमी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आन्दोलन की समाप्ति नहीं हो रही है। फिर भी इस आशा से कि अच्छी वर्षा और अधिक पन-बिजली उपलब्ध होने पर राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था सुधर जायेगी राजस्व अर्जक प्रारम्भिक यातायात का वही लक्ष्य रहने दिया गया जो अन्तरिम बजट में रखा गया था, अर्थात् 2,145 लाख टन। बाद में घटनाचक्र ऐसा रहा कि यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। मैं पहले बता चुका हूं कि रेलों के काम में शिथिलता किन कारणों से आ गयी थी और पिछले तीन महीनों में कौन-कौन से जोरदार और दूरदर्शितापूर्ण कदम उठाये गये हैं। वर्तमान अनुमान के अनुसार, चालू वर्ष में लगभग 1,950 लाख टन राजस्व अर्जक यातायात होने की आशा है। यह बजट में रखे गये लक्ष्य से 195 लाख टन कम है, तथापि 1979-80 से 20 लाख टन अधिक है। मिले-जुले अनुकूल यातायात के कारण और औसत गमनदूरी में मामूली सी वृद्धि के कारण इस कमी का वित्तीय प्रभाव केवल 30.12 करोड़ रुपये होगा।

यात्री यातायात से आमदनी

यात्री यातायात से आमदनी के बजट अनुमानों में पिछले वर्ष की अपेक्षा 6 प्रतिशत अधिक यातायात की आशा की गयी थी। लेकिन नवम्बर, 1980 के अन्त तक के काम से पता चलता है कि प्रारम्भिक यात्रियों की कुल संख्या में केवल 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रत्याशा से कम

यातायात मुख्यतः इसलिए हुआ कि वर्ष के आरम्भ में बड़ी संख्या में गाड़ियां रद्द करनी पड़ी थीं, व्यापक सूखे की स्थिति रही और औद्योगिक गतिविधियों का पुनरुत्थान धीमी गति से हुआ। परिणामतः चालू वर्ष में यात्री यातायात से आमदनी भी बजट लक्ष्यों की तुलना में 34.25 करोड़ रुपये कम होने की संभावना है।

दूसरी ओर, अन्य कोचिंग तथा फुटकर यातायात से होने वाली आमदनी में कुछ वृद्धि हुई है। इन सभी बातों को हिसाब में लेने के बाद यातायात से कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 2707.22 करोड़ रुपये रखा गया है जो 42.37 करोड़ रुपये कम है।

संचालन व्यय

साधारण संचालन व्यय का बजट अनुमान 2111.93 करोड़ रुपये था। माल यातायात के लदान का लक्ष्य 2,145 लाख टन से घटाकर 1,950 लाख टन कर देने पर खर्च में कमी होगी लेकिन तो भी बजटोत्तर कारकों से उत्पन्न देयताओं को पूरा करने के लिए 91.07 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। यह अच्छा हुआ कि वर्ष के दौरान कड़े वित्तीय नियंत्रण के कारण इन अतिरिक्त देयताओं का प्रभाव कम हो गया है और अतिरिक्त आवश्यकता केवल 52.68 करोड़ रुपये की है। अतः साधारण संचालन व्यय का संशोधित अनुमान 2164.61 करोड़ रुपये रखा गया है।

मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पेंशन निधि में विनियोग की राशि बजट व्यवस्था के अनुसार क्रमशः 220 करोड़ रुपये और 84 करोड़ रुपये ही रखी गयी है। विविध व्यय के अन्तर्गत मामूली समायोजन के बाद, अर्जित शुद्ध राजस्व 272.09 करोड़ रुपये होगा। लेकिन सामान्य राजस्व को लाभांश की देयता 324.43 करोड़ रुपये है, अतः पूरा भुगतान नहीं किया जा सकता। बजट में प्रत्याशित 42.71 करोड़ रुपये की बचत की तुलना में 52.34 करोड़ रुपये का घाटा होगा। फलतः आस्थगित लाभांश देयता खाता 31.3.80 के 181.42 करोड़ रुपये से बढ़कर 233.76 करोड़ रुपये हो जायेगा। इसके अतिरिक्त, विकास निधि से किये जाने वाले निर्माण कार्यों पर व्यय के लिए तथा विकास निधि के लिए लिये गये ऋणों पर ब्याज के भुगतान के लिए सामान्य राजस्व से 34.66 करोड़ रुपये का ऋण और लेना पड़ेगा। वर्ष के अन्त में विकास निधि के लिए लिये गये कुल ऋणों की राशि 224.17 करोड़ रुपये हो जायेगी।

बजट अनुमान 1981-82

अब मैं 1981-82 के बजट अनुमानों पर आता हूं।

1980-81 के लिए घटाकर रखे गये 1,950 लाख टन की तुलना में तथा नवम्बर, 1980 से परिचालन में हुए सुधार को देखते हुए, 1981-82 में राजस्व अर्जक प्रारम्भिक यातायात का लक्ष्य 2,150 लाख टन रखा गया है। 1981-82 के बजट अनुमानों में अनुपनगरीय यात्री यातायात में 3 प्रतिशत और उपनगरीय यात्री यातायात में 6 प्रतिशत वृद्धि की परिकल्पना की गयी है।

1980-81 के लिए 2707.22 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में, 1981-82 में यातायात से सकल प्राप्ति की राशि चालू किराये भाड़े की दरों के आधार पर, 2920.49

करोड़ रुपये आंकी गयी हैं । इस प्रकार 1981-82 में यातायात से प्राप्त होने वाली सकल राशि 213.27 करोड़ रुपये अधिक होगी जिसमें से 27.60 करोड़ रुपये यात्री यातायात से तथा 182.39 करोड़ रुपये माल यातायात से प्राप्त होंगे ।

संचालन व्यय

मैं पहले कह चुका हूं कि परिसम्पत्तियों के बदलाव और नवीकरण का काम भारी मात्रा में बकाया पड़ा है और उस पर अधिक धन खर्च करने की जरूरत है । इस जरूरत को पूरा करने के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग की राशि 1980-81 के 220 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1981-82 में 350 करोड़ रुपये की जा रही है अर्थात् इसमें 130 करोड़ रुपये बढ़ाये जा रहे हैं । पेंशनीय कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि तथा लाभों की मात्रा के उत्तरोत्तर उदारीकरण के कारण पेंशनीय देयता बढ़ती जा रही हैं । अतः पेंशन निधि में विनियोग, जो 1980-81 में 84 करोड़ रुपये था, 14.50 करोड़ रुपय बढ़ाकर 1981-82 में 98.50 करोड़ रुपये किया जा रहा है । निवेशों की मात्रा बढ़ जाने से 1981-82 में सामान्य राजस्व को देय लाभांश की राशि भी 25.48 करोड़ रुपये बढ़ जाने की संभावना है । इसके अलावा, बढ़े हुए वेतन बिल, ईंधन की कीमतों में वृद्धि, सामान की अधिक खपत, सामान की कीमतों में वृद्धि तथा रेल कारखानों के लिए रखे गये ऊंचे उत्पादन लक्ष्य के लिए भी राशि बढ़ानी होगी और 300.03 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी होगी । इस प्रकार, 1980-81 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 467.30 करोड़ रुपये अधिक खर्च होने की सम्भावना है । इसमें मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पेंशन निधि में विनियोग तथा सामान्य राजस्व को लाभांश का भुगतान शामिल है ।

निधियों में विनियोग सहित कुल व्यय का अनुमान 2870.65 करोड़ रुपये लगाया गया है जबकि यातायात से कुल प्राप्तियों का अनुमान 2920.40 करोड़ रुपये है । इस प्रकार शुद्ध राजस्व केवल 43.54 करोड़ रुपये होगा जो 349.91 करोड़ रुपए की प्रत्याशित लाभांस देयता भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है । अतः समग्र बजटीय अन्तर 306.37 करोड़ रुपए रहेगा जो विकास निधि से किए जाने वाले खर्च के लिए अपेक्षित 38.47 करोड़ रुपए की राशि के अलावा है ।

प्रस्ताव

रेल दर जांच समिति

सदन को विदित है कि सितम्बर, 1977 में एक रेल दर जांच समिति बनायी गयी थी । अपनी अन्तरिम रिपोर्ट के बाद, जो मुख्यतः उपनगरीय और अनुपनगरीय सीजन टिकटों के किराए के बारे में थी, समिति ने अपनी मुख्य रिपोर्ट अप्रैल, 1980 में प्रस्तुत की थी । जून, 1980 के अन्त में उसने अपनी अन्तिम रिपोर्ट दी थी । पिछली दो रिपोर्टों में दिए गए निष्कर्षों और सिफारिशों की कुल संख्या 386 है । मैं समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एच० के० परांजपे तथा अन्य दो सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्हें जो कार्य सौंपा गया था उसे उन्होंने परिश्रमपूर्वक सम्पन्न कर दिया है और इतनी अमूल्य सिफारिशें की हैं । समिति की सिफारिशों में रेल संचालन के जो क्षेत्र लिए गए हैं उनकी प्रकृति और संख्या को देखते हुए अभी सब सिफा-

रिशों पर अन्तिम निर्णय लेने की कार्रवाई करना सम्भव नहीं हो पाया है। इसके अलावा, ये सिफारिशें संघटित किस्म की हैं इसलिए यह सम्भव नहीं है कि उनमें से कुछ को आंशिक कार्यान्वयन के लिए चुन लिया जाये। इधर, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने कहा, विभिन्न साधन-सामग्रियों की कीमतें बढ़ रही हैं। अतः बजटीय अन्तर को पूरा क रने के लिए मुझे तदर्थ उपाय के रूप में, प्रतिशतीय आधार पर पूरक प्रभार लगाने की पद्धति का सहारा लेना पड़ा है। ये पूरक प्रभार रेल दर जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किराया-भाड़ा प्रभारों को लागू करते समय उनमें समायोजित कर दिए जायेंगे। लेकिन, सरसरी तौर पर मैं यह बता दूं कि ये पूरक प्रभार लेने के बाद भी किराए और भाड़े रेल दर जांच समिति द्वारा अनुशंसित किराये-भाड़े से कम ही होंगे।

अब मैं बजटीय अन्तर की पूर्ति के निमित्त अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए अपने प्रस्तावों का उल्लेख करूंगा।

यात्री यातयात

उपनगरीय यात्री यातायात

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि रेल दर जांच समिति से नवम्बर, 1978 में प्राप्त अन्तरिम रिपोर्ट में सीजन टिकट के किरायों को युक्तिसंगत बनाने की जो सिफारिश की गयी थी उसका प्रथम चरण अभी केवल आंशिक रूप में ही कार्यान्वित किया गया है। साधन-सामग्री की लागत में वृद्धि तथा दैनिक यात्रियों के लिए सेवा की मात्रा और किस्म में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए, मासिक सीजन टिकट के किरायों में वृद्धि करना आवश्यक है, जैसा कि रेल दर जांच समिति ने अपनी मुख्य रिपोर्ट में भी दोहराया है। लेकिन, रेल दर जांच समिति की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय होना बाकी है, अतः मैं अभी उपनगरीय यातायात के लिए मासिक सीजन टिकटों की वर्तमान दरों में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं।

मैं यह देखता हूं कि बम्बई तथा अन्य स्थानों के छात्रों को मासिक सीजन टिकट के सामान्य किरायों में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है जबकि कलकत्ता के छात्रों को अभी केवल 33⅓ प्रतिशत की रियायत प्राप्त है। मुझे इस भेदभाव का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। कलकत्ता के छात्रों को भी अब एक अप्रैल, 1981 से 50 प्रतिशत रियायत मिलने लगेगी।

अनुपनगरीय यात्री यातायात

मेरा प्रस्ताव है कि वर्तमान किरायों के अलावा, वातानुकूल पहले दर्जे के लिए 15 प्रतिशत, पहले दर्जे के लिए 12.5 प्रतिशत तथा वातानुकूल कुर्सीयान के लिए 10 प्रतिशत अधिप्रभार लिया जाये। इसी प्रकार, डाक/एक्सप्रेस और साधारण दोनों के दूसरे दर्जे के लिए भी 10 प्रतिशत अधिप्रभार लिया जाएगा। लेकिन, साधारण दर्जे में 150 किलोमीटर तक की यात्राओं पर इस अधिप्रभार से छूट दी जाएगी। बातानुकूल दो-टियर शयनयान दर्जे का मूल किराया डाक/एक्सप्रेस के पहले दर्जे के किराये के बराबर होगा, किन्तु इस दर्जे में उपलब्ध सेवा की किस्म और आराम को देखते हुए अब 1,000 किलोमीटर तक की यात्राओं के लिए 15

रुपये और उससे अधिक लम्बी यात्राओं के लिए 25 रुपये प्रति टिकट की दर से पूरक प्रभार लिया जाएगा ।

अन्य प्रभार

व्यक्तिगत यात्रियों द्वारा मांगी जाने वाली विशेष सेवाओं पर आजकल जो लागत आती है उसे देखते हुए भिन्न-भिन्न दर्जों के लिए आरक्षण शुल्क की दरें, शयनयान प्रभार, सुपर फास्ट पूरक प्रभार और अमानती सामानघर के प्रभार भी बढ़ाये जा रहे हैं ।

माल यातायात

निम्नलिखित वस्तुओं को छोड़कर, अन्य सभी माल यातायात पर वर्तमान दरों के अलावा 15 प्रतिशत की समान दर से अधिप्रभार लेने का भी प्रस्ताव है :—

(क) घरेलू उपयोग के लिए नमक;

(ख) जलाने की लकड़ी; और

(ग) लकड़ी का कोयला ।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के समुचित विकास के लिए तथा उस क्षेत्र के लोगों की, जिन्हें कि दैनिक उपयोग की अनिवार्य वस्तुओं के लिए भी ऊंची दर पर परिवहन प्रभार देने पड़ते हैं, आम भलाई को ध्यान में रखकर मैंने फैसला किया है कि असम, मेघालय. त्रिपुरा, मिजोरम. मणिपुर. नागालैण्ड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पड़ने वाले स्टेशनों को अथवा उन स्टेशनों से, ह्रावड़ा क्षेत्र के रास्ते, बुक होने वाले सभी माल यातायात के भाड़े में 6 प्रतिशत की रियायत दी जाए ।

लगेज और पार्सल यातायात

सभी प्रकार के लगेज और पार्सल यातातात के लिए भी वर्तमान दरों के अलावा 10 प्रतिशत की समान दर से अधिप्रभार लिया जाएगा ।

वजट प्रलेखों के साथ-साथ एक ज्ञापन भी वितरित किया जा रहा है जिसमें इन प्रस्तावों का ब्यौरा दिया गया है । उपर्युक्त प्रस्ताव 1 अप्रैल, 1981 से लागू होंगे ।

वित्तीय परिणाम

यह अनुमान लगाया गया है कि इन अधिप्रभारों की उगाही तथा उपर्युक्त प्रस्तावों के आधार पर अन्य मदों में वृद्धि के फलस्वरूप यात्री यातायात से 70.04 करोड़ रुपये, माल यातायात से 276.08 करोड़ रुपये तथा लगेज और पार्सल यातायात से 10.14 करोड़ रुपये, अर्थात् कुल मिलाकर 356.26 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । इस प्रकार 349.91 करोड़ रुपये की लाभांश देयता का पूरा भुगतान किया जा सकेगा । विकास निधि से किये जाने वाले खर्च के लिए 38.47 करोड़ रुपये का विनियोग करने के बाद 11.42 करोड़ रुपये की शुद्ध बचत होगी जिसका उपयोग आस्थगित लाभांश देयता को आंशिक रूप से चुकाने के लिए किया जायेगा ।

रेलवे अभिसमय समिति

पिछली रेलवे अभिसमय समिति ने लाभांश की दरों तथा अन्य आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में जो सिफारिशें की थीं वे केवल दो वर्ष अर्थात् 1978-79 और 1979-80 के लिए थीं। छठी लोक सभा भंग हो जाने पर वह समिति निष्क्रिय हो गयी। अब नयी समिति का सत्र चल रहा है। उसकी सिफारिशें प्राप्त होने तक के लिए, 1981-82 के ये बजट अनुमान वर्तमान व्यवस्थाओं के आधार पर बनाए गए हैं लेकिन इनमें मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पेंशन निधि में अंशदान की राशियां बढ़ाकर रखी गयी हैं।

श्रमिक सम्बन्ध

वर्ष के दौरान रेल कर्मचारियों के साथ सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण बने रहे। स्थायी वार्ता तंत्र ने उपयोगी कार्य किया। कानून के प्रति निष्ठा रखने वाले बेकसूर स्टेशन कर्मचारियों और चलती गाड़ियों में ड्यूटी देने वाले चल टिकट परीक्षकों जैसे अन्य कर्मचारियों के साथ होने वाली मार-पीट के बारे में मैं बहुत चिंतित हूं। यह संतोष की बात है कि ऐसी घटनाओं के बावजूद रेल कर्मचारी अपना-अपना कार्य करते रहे हैं। कार्य निष्पादन में सुधार के लिए मेरी अपील पर सभी स्तर के रेल कर्मचारियों ने हाल में जो अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उसकी भी मैं सराहना करता हूं। यह उनकी अटूट निष्ठा का परिचायक है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि रेल कर्मचारियों ने पिछले तीन महीनों में जो जोश और उत्साह दिखाया है वह आगे आने वाले कठिन समय में भी बना रहेगा। मुझे आशा है कि अगला समय रेलों की समृद्धि और आधुनिकीकरण तथा रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण का युग होगा। मुझे विश्वास है कि हम सब की निरन्तर सहानुभूति और सद्भाव से प्रेरित होकर रेल कर्मचारी छठी पंचवर्षीय योजना की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे।

अन्त में, मैं अध्यक्ष महोदय तथा सदन के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनने की कृपा की।

——

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 45 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 50 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

सभापति महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

——

सभा पटल पर रखे गये पत्र

परिवहन विकास निधि समिति का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय जल परिवहन निगम लिमिटेड कलकत्ता के कार्यकरण की वर्ष 1979-80 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन और मरमुगाओ पत्तन न्यास के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे ।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 16 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, परिवहन विकास निधि समिति के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–1790/81)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा,

(दो) केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । (ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1791/81)

(3) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मरमुगाओ पत्तन न्यास के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–1792/81)

भारत ओपथेलमिक ग्लास लिमिटेड; दुर्गापुर; हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड; रांची; स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ; भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम आदि की वर्ष 1979-80 की समीक्षाएं और वार्षिक लेखे ।

उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगम) : श्री चरणजीत चानना की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(क) (एक) भारत ओपथेलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत ओपथेलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-1793/81)

(ख) (एक) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-1794/81)

(ग) (एक) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड लखनऊ के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०-टी० 1795/81]

घ) (एक) भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1796/81]

ङ) (एक) इन्जीनियरिंग प्रोजेक्टस (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इन्जीनियरिंग प्रोजेक्टस (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-1797/81]

च) (एक) दि रिचार्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) दि रिचार्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद 1 (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब

के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1798/81]

(3) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इण्डिया, पुणे के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-1799/81]

(4) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, विकास परिषद (प्रक्रिया सम्बन्धी) संशोधन नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-1800/81]

(5) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1801/81]

(6) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-1802/81]

(7) इंस्टीट्यूट फार डिजाइन आफ इलेक्ट्रीकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, बम्बई के वर्ष 1979–80 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(8) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, कलकत्ता, सेंटर इन्स्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद और इंस्टीट्यूट फार डिजाइन आफ इलेक्ट्रीकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, बम्बई के वर्ष 1979–80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-1803/81]

(9) (एक) सीमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(दो) सीमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1978–79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1804/81]

सभापति महोदय : श्री शिवराज वी० पाटिल ।

श्री जाफर शरीफ : खड़े हुए ।

सभापति महोदय : उन्हें अधिकार है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : (बम्बई उत्तर-पूर्व) परन्तु उन्हें ही क्यों है ?

सभापति महोदय : उत्तरदायित्व संयुक्त है ।

प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद और भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर की वर्ष 1979-80 की समीक्षाएं और वार्षिक प्रतिवेदन ।

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जाफर शरीफ) : श्री शिवराज पाटिल की ओर से मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद का वर्ष 1979–80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1805/81)

(2) (एक) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1979–80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-1806/81]

सभापति महोदय : श्री बूटासिंह ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (बसिरहाट) : उन्होंने किसी को अधिकार नहीं दिया है ।

सभापति महोदय : जी, श्री भीष्म नारायण सिंह जी ।

राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजाब सरकार के साथ हुआ समझौता ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : श्री बूटासिंह जी की ओर से मैं राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत 23 अगस्त, 1980 को पंजाब सरकार के साथ हुए समझौते (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1807/81]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे अब बाद में ख्याल आया है कि वह तो आपको कभी यह अधिकार नहीं देते हैं ।

सेमीकन्डक्टर कम्पलेक्स लिमिटेड एस० ए० एस० नगर (पंजाब) तथा इण्डियन रेअर अर्थस लिमिटेड, बम्बई की वर्ष 1979–80 की समीक्षाएं और वार्षिक प्रतिवेदन ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम. 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) सेमीकन्डक्टर कम्पेलक्स लिमिटेड, एस० ए० एस० नगर (पंजाब) के वर्ष 1979–80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) सेमीकन्डक्टर कम्पलेक्स लिमिटेड, एस० ए० एस० नगर (पंजाब) का वर्ष 1979–80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1808/81]

(2) (एक) इंडियन रेअर अर्थस लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1979–80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इंडियन रेअर अर्थस लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1979–80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–1809/81]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 1979 के पेंसठवें सत्र में स्वीकृत सिफारिशों आदि पर की गई कार्रवाही तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का प्रतिवेदन और लेखे ।

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के जून, 1981 में जेनेवा में हुए पेंसठवें सत्र में स्वीकृत समझौतों और सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही पर एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1810/81]

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति –

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1979–80 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ची के वर्ष 1979–80 के लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1811/81]

दिल्ली पुलिस अधिनियम. 1978 और अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अधीन अधिसूचनाएं ।

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : श्री पी० वेंकटसुब्बैया की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) दिल्ली सार्वजनिक स्थान विस्फोट नियंत्रण विनियम, 1980 जो दिनांक 10 दिसम्बर 1980 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3652/स्पेशल सेल, पीएचक्यू में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ० 10/5/79-होम (पी०/ईएसटीटी, जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें उन नियमों और आदेशों का ब्यौरा दिया हुआ है जो दिल्ली पुलिस के सभी अधीनस्थ कर्मचारियों, असैनिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे ।

(तीन) दिल्ली पुलिस (पदोन्नति और स्थायीकरण) नियम, 1980, जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1980 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 10/52/80–होम (पी)/ईएसटीटी खंड तीन में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) विज्ञापन साधन के निर्माण अथवा प्रदर्शन के दिल्ली नियंत्रण, विनियम, 1980, जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1980 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5207/स्पेशल सेल में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों (सिनेमाओं को छोड़कर) एवं सार्वजनिक मनोरंजन सम्बन्धी प्रदर्शनों के लिए लायसेंस देने और नियंत्रण रखने सम्बन्धी विनियम, 1980, जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1980 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4935/स्पेशल सेल में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) दिल्ली पुलिस (दण्ड और अपील) नियम, 1980, जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1980 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 10/52/80–एच (पी) ईएसटीटी खंड 2 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) दिल्ली पुलिस (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1980, जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 10/58/60–एच (पी)/ईएसटीटी में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) दिल्ली पुलिस नियुक्ति तथा भर्ती नियम, 1980 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 10(52)/80–होम (पी)/ईएसटीटी में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) दिल्ली पुलिस (प्रकीर्ण) मामले नियम, 1980, जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1980 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० 10/53/80–होम

(पी)/ईएसटीटी में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1812/81]

(2) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) आठवां संशोधन विनियम, 1980, जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 698 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) ग्यारहवां संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 699 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) 18वां संशोधन विनियम, 1980 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 700 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) 15वां संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 701 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) 19वां संशोधन विनियम, 1980 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 702 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) 16वां संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 703 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1980 जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1291 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) नौवां संशोधन विनियम, 1980 जो निदांक 22 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 708 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) 12वां संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 22 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 709 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 27 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1305 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) संशोधन विनियम, 1981 जो दिनांक 16 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 21 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1981 जो दिनांक 16 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 22 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) संशोधन विनियम, 1981 जो दिनांक 5 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1981 जो दिनांक 5 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 47 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पन्द्रह) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1981 जो दिनांक 23 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 31 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(सोलह) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1981 जो दिनांक 23 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 32 (ङ) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1813/81]

वित्त अधिनियम, 1979, केन्द्रीय उत्पाद तथा नमक अधिनियम, 1944, आयकर अधिनियम, 1961 सीमाशुल्क अधिनियम 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अधीन अधिसूचनाएं ।

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 40 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 जनवरी 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा नई दिल्ली में हुए गुटनिरपेक्ष विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने वाले विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने वाले विदेश मंत्रियों, उनकी पत्नियों/पतियों तथा प्रतिनिधियों को विदेश यात्रा कर के भुगतान से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-1814/81]

(2) केन्द्रीय उत्पाद तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पहला संशोधन) नियम 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 14 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 20 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1815/81]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 22 जनवरी, 1981 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 47 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1816/81]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) सा० सां० नि० 697 (ङ) जो 17 दिसम्बर 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा निर्यात उत्पादन के लिए अग्रिम लाइसेंसों पर शुल्क की भुगतान किये बिना आयात की अनुमति दिये जाने वस्तुओं की सूची में विस्तारण के बारे में है।

(दो) सा० सां० नि० 706 (ङ) जो 20 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 3 अक्टूबर, 1979 की अधिसूचना संख्या 204 सीमा शुल्क तथा 205 सीमा शुल्क को रद्द करने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 712 (ङ) जो 23 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा पोंडस् स्ट्रर्लिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को पोंडस् स्ट्रर्लिंग में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) असवाब(संशोधन) नियम 1980 जो दिनांक 26 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 716 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) सा० सां० नि० 718 (ङ) जो दिनांक 26 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा अर्द्धनिर्मित तरल नाइट्रोजन पात्रों को उन पर उदगृहणीय समस्त मूल तथा अतिरिक्त सीमा शुल्कों से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० सां० नि० 720 (ङ) जो दिनाक 31 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जल रहित अमोनिया पर दिनांक 6 जनवरी, 1977 की अधिसूचना संख्या 4-सीमाशुल्क की विधिमान्यता

के 31 दिसम्बर, 1980 तक विस्तार करने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० सां० नि० 721 (ङ) जो दिनांक 27 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के महाप्रबन्धक को अनिवार्य प्रमाणपत्र जारी करने के लिए विशिष्ट सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है ।

(आठ) सा० सां० नि० 727 (ङ) जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा ग्लास सैल सम्बन्धी दिनांक 19 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या 8-सीमा शुल्क की विधिमान्यता को 31 मार्च, 1980 तक बढ़ाया गया है ।

(नौ) सा० सां० नि० 730 (ङ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा द्रव्य नाइट्रोजन संयंत्र सम्बन्धी दिनांक 30 जनवरी, 1980 की अधिसूचना संख्या 10-सीमा शुल्क विधिमान्यता को 31 दिसम्बर, 1981 तक बढ़ाया गया है ।

(दस) सा० सां० नि० 1 (ङ) जो दिनांक 1 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा० सां० नि० 2 (ङ) जो दिनांक 1 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी. तथा इन्सटेंट काफी को निर्यात शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) दिनांक 1 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा० सां० नि० 3 (ङ) और 4 (ङ) तथा एल्यूमीनियम स्क्रैप को 35% से अधिक मूल्यानुसार मूल्य शुल्क से छूट और सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क तथा सहायक शुल्क से पूर्ण छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) दिनांक 2 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा० सां० नि० 6 (ङ) तथा स्टैनलेस स्टील, प्लेटों, स्ट्रिपस् और शीट पर सीमा शुल्क में छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) दिनांक 6 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा० सा० नि० 9 (ङ) तथा घने किस्म के सोडा एश पर मूल सीमा शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) दिनांक 8 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा० सां० नि० 10 (ङ) तथा फेरोनिकल पर लगाये जाने वाले अतिरिक्त शुल्क से पूर्ण छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) दिनांक 13 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा० सां० नि० 19 (ङ) तथा मूल क्रोम सल्फेट पर मूल्यानुसार 40% से अधिक मूल सीमा शुल्क से और अतिरिक्त सीमा शुल्क से पूर्ण छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1817/81]

(5) केन्द्र सरकार द्वारा दिसम्बर, 1980 में जारी किए गये बाजार ऋणों के परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1818/81]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) दिनांक 27 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा० सां० नि० 722 (ङ) तथा आन्ध्र प्रदेश डेरी विकास निगम द्वारा तैयार किये गये : जमाया हुआ दुग्ध चूर्ण और आन्ध्र प्रदेश में बच्चों को निःशुल्क भोजन देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये जाने वाले इस दूध को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) दिनांक 30 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा० सां० नि० 724 (ङ) और 725 (ङ) तथा ट्रांसफारमरों, जनित्रों और विद्युत मोटरों पर उत्पाद शुल्क से आंशिक छूट की अवधि बढ़ाये जाने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) दिनांक 30 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा० सां० नि० 726 (ङ) तथा तांबे की नंगी तारों पर शुल्क से छूट की अवधि बढ़ाने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा० सां० नि० 729 (ङ) तथा अमोनिया के निर्माण में प्रयोग होने वाले कच्चे नेप्था पर छूट की अवधि बढ़ाने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) दिनाक 16 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा० सां० नि० 25 (ङ) तथा ऐसे कारखाने में वार्षिक क्षमता 60,000 सिलैण्डरों से अधिक हो, में निर्मित सिलैण्डरों पर छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(छः) दिनांक 21 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा० सां० नि० 30(ङ) तथा 4 जून, 1979 की अधिसूचना संख्या 201/79-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कतिपय संशोधन करने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) दिनांक 6 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा० सां० नि० 49(ङ) तथा क्रीम लेड और क्रीम बोव कागज पर छूट वापस लेने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) दिनांक 31 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा० सा० नि० 108(ङ) तथा हल्के डीजल तेल के निर्माण के लिए डीवैक्सिंग सालवेंट के रूप में बैंजीन, टोलूइन आदि के प्रयोग को शामिल करने के लिए दिनांक। मार्च, 1973 की अधिसूचना सं० 35/73-सी० ई० में कतिपय संशोधन करने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-1819/81]

रेल (भाण्डागारण और घाट-भाड़ा) (प्रथम, द्वितीय और तृतीय संशोधन) नियम, 1981

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) रेल (भाण्डागारण और घाट-भाड़ा) (संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 1 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) रेल (भाण्डागारण और घाट-भाड़ा) (दूसरा संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 16 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 31(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) रेल (भाण्डागारण और घाट-भाड़ा) (तीसरा संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 28 जनवरी 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 69(ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-1820/81)

— —

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बंगलौर और हैदराबाद में सरकारी क्षेत्र की इन्जीनियरी इकाइयों में हड़ताल

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : मैं श्रम मन्त्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

बंगलौर और हैदराबाद में सरकारी क्षेत्र की इन्जिनियरी इकाइयों में चल रही हड़ताल के कारण उत्पन्न गम्भीर स्थिति और मामले को निपटाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।

योजना तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जिसमें एच० ए० एल०, बी० ई० एल०, बी० ई० एम० एल०, आई० टी० आई०, ई० सी० आई० एल०, भारत डायनोमिक्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लि० शामिल हैं, एक लाख से अधिक कर्मचारी, जो विभिन्न यूनिटों में फैले हुए हैं, 26–12–1980 से 21–1–1981 तक शुरू होने वाली विभिन्न तारीखों पर हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल बी० एच० ई० एल० के उन कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा शर्तों में समानता की मांगों के बारे में है, जिन्हें प्रबंधतंत्र द्वारा कर्मचारियों की मजदूरी-दरों और मंहगाई भत्ते में वृद्धि दी गई है। इस हड़ताल के परिणामस्वरूप ई० सी० आई० एल० हैदराबाद के प्रबंधतंत्र ने 8 जनवरी, 1981 से तालाबन्दी घोषित कर दी क्योंकि उस उपक्रम में हड़ताली कर्मचारी हिंसा पर उतारू हो गए थे।

सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों के बारे में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजन हेतु संबंधी सरकारें कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकारें हैं। इन राज्य सरकारों की औद्योगिक संबंधी मशीनरी ने इस मामले में अलग से मध्यस्थता की और हड़ताल को टालने का प्रयास किया। कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के श्रम मन्त्रियों तथा कर्नाटक के मुख्य मन्त्री के स्तर पर भी संराधन प्रयास किए गए, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका।

प्रबंधतंत्र का प्रारंभिक प्रस्ताव यह था कि वह प्रत्येक श्रमिक को मजदूरी दरों में प्रतिमाह 20 रुपए की तदर्थ वृद्धि तथा 300 रु० की एक मुश्त राशि देंगे बशर्ते कि इन उपक्रमों में संबंधित समझौतों को 30 सितम्बर, 1982 तक बढ़ाया जाए ताकि उन्हें बी० एच० ई० एल० समझौते की समाप्ति तारीख के साथ मिलाया जा सके। बाद में कर्नाटक के श्रम मन्त्री द्वारा मजदूरी दरों में प्रतिमाह 25 रुपए की वृद्धि और 600 रुपए की बकाया राशि के लिए एक मुश्त राशि देने का प्रस्ताव किया गया। तथापि, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वह यह प्रस्ताव अपने उत्तरदायित्व और इस आशा पर कर रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधतंत्र इसे स्वीकार करेंगे।

केन्द्रीय संचार मन्त्री द्वारा केन्द्रीय स्तर पर भी बातचीत हुई। हाल ही में 7 फरवरी, 1981 को मैंने पत्रकारों को और केन्द्रीय संगठनों, अर्थात इन्टक, एटक, सी टू और एच० एम० एस० के प्रतिनिधियों को भी समस्या का हल ढूंढने के लिए बुलाया था। इस बैठक में कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश के श्रम मन्त्रियों और केन्द्रीय संचार मन्त्री ने भी भाग लिया।

बैठक में श्रमिकों की मांग मूल वेतन में 30 रुपए की वृद्धि, मंहगाई भत्ते में 5 रुपए की वृद्धि और कम से कम 7 रुपए तथा अधिक से अधिक 22 रुपए की वेतन वृद्धि है, जो 1–1–1977 से लागू हो। प्रबंधतंत्र की ओर से यह बताया गया कि श्रमिकों ने प्रबंधतंत्र के साथ पहले से ही समझौते किए हुए हैं, जो जून, 1981 तक वैध है और इन समझौतों के अनुसार, श्रमिकों को कुछ भी देय नहीं है। तथापि, यदि श्रमिक समझौते की शर्तों को और अठारह महीनों की अवधि के लिए लागू करने के सम्बन्ध में सहमत हैं, तो प्रबंधतंत्र 1–1–1981 से प्रत्येक श्रमिक की मूल मजदूरी में 25 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि और 600 रुपए का एक मुश्त भुगतान करने के लिए सहमत होगा।

लम्बे विचार-विमर्श के पश्चात, श्रमिकों ने अपनी मांगों में कमी की। उन्होंने मूल मजदूरी में 30 रुपये की वृद्धि करने तथा 1-9-1978 से प्रभावी एक वेतन वृद्धि की मांग की और वे वर्तमान समझौते को छः मास तक बढ़ाने के लिए भी सहमत हो गये। तथापि, यह प्रस्ताव प्रबंधतन्त्र को स्वीकार्य नहीं था, और इसके स्थान पर यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उस समझौते को, जिसके अन्तर्गत श्रमिकों ने मजदूरी में वृद्धि के लिए मांग उठायी है, मध्यस्थ या मध्यस्थता बोर्ड को, जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, भेजा जाए। इस बीच प्रबंध तन्त्र प्रत्येक श्रमिक को 700 रुपये का अग्रिम भुगतान करेगा, जिसकी वसूली 12 किस्तों में की जाएगी। प्रबन्धतन्त्र मध्यस्थ या मध्यस्थता बोर्ड के निर्णय का पूर्णतया कार्यान्वियन करेगा और इस अग्रिम का पंचाटों के अन्तर्गत देय राशि के सम्बन्ध में समायोजन नहीं किया जायेगा। दूसरी ओर, यदि श्रमिक तत्काल निपटान चाहते है, तो उन्हें 25 रुपये प्रतिमास की वृद्धि और प्रत्येक श्रमिक को 700 रुपये का एक मुश्त भुगतान स्वीकार करना होगा, बशर्ते कि वर्तमान समझौते को कम-से-कम एक वर्ष तक बढ़ाया जाए। ये प्रस्ताव और प्रति प्रस्ताव पक्षों को स्वीकार्य न होने के कारण बात-चीत भंग हो गयी और बैठकों में हुई वार्ताओं के दौरान किए गए प्रस्तावों को दोनों पक्षों ने वापस ले लिया

श्री गदाधर साहा : सभापति महोदय, अपने दल, श्रमिक वर्ग तथा मजदूर संघों की ओर से इस सरकार के अति कठोर रुख तथा इसकी श्रमिक-विरोधी नीति के कारण बंगलौर, हैदराबाद कानपुर आदि में सरकारी क्षेत्र को इंजिनीयरिंग एककों के 1,25,000 श्रमिकों की हड़ताल का समाधान करने के समझौते की असफलता पर मैं अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त करता हूं इस सरकार ने उस समझौते में जिस पर श्रमिक संघों ने हस्ताक्षर किये थे, पहले किए गए वायदे को मानने से इंकार कर दिया।

महोदय, यह श्रमिक-विरोधी नीति और केन्द्रीय सरकार का यह रुख समस्त श्रमिक संघ आन्दोलन के प्रति एक चुनौती है। यह सर्व विदित है कि श्रम मन्त्री महोदय ने हड़ताल संबंधी गतिविधियों की केवल एक तरफी तस्वीर प्रस्तुत की है। उन्होंने अपने वक्तब्य में इस बात का जिक्र नहीं किया है। यदि सरकारी क्षेत्र के इंजीनियरी एकक बंगलौर स्थित उद्योगों से अधिक वैततमान देंगे तो उसका सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धक समझौते तथा श्रमिक संघों के साथ किए गए वायदे का पुनरीक्षण करेंगे तथापि सरकार ने अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम मजूरी के रूप में 500 रुपये मंजूर किये। मजदूरी समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर हो गये थे। अब बंगलौर में

स्थित उद्योगों के श्रमिकों ने अपने वेतन में वैसी वृद्धि की मांग की। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने समझौते को मानने से इन्कार कर दिया। श्री स्टीफन संचार मन्त्री ने स्पष्ट दावा किया कि समझौते के खन्ड में किसी अन्तर के कारण एक पैसे का भुगतान नहीं किया जाएगा। ये श्रमिक दिसम्बर, 1980 से हड़ताल पर है। उन्होंने प्रबन्धक को उचित नोटिस दिया है। अब प्रबन्धक श्रमिक संघों के साथ बात-चीत करने से इन्कार करते हैं। वे दलील देते हैं कि ऐसा वे सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं कर सकते इससे यह भी मालूम होता है कि सरकार वेतन समझौते के दौरान वार्ता में हस्तक्षेप कर रही थी। कानपुर त्रिपक्षीय समझौते के दौरान भारतीय तकनीकी संस्थापन के प्रतिनिधि ने कहा कि बंगलौर में स्थिति औद्योगिक श्रमिकों की मांगें पूर्णतः न्यायोचित थी। परन्तु कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, क्योंकि निर्णय केवल सरकार द्वारा लिया जा सकता था। यह दलील थी। अब समझौते से कोई लाभप्रद निष्कर्ष नहीं निकलने वाले हैं। श्रमिकों के पास सिवाय हड़ताल करने के और कोई विकल्प न था। हड़ताल के बाद सरकार ने केवल 25 रु० तदर्थ अदायगी तथा 600 रु० एक मुश्त के रूप में स्वीकार किए थे। उन्होंने समझौते को एक वर्ष और की अवधि के लिए बढ़ाने की शर्त भी रखी थी। इसीलिए श्रमिकों को यह स्वीकार नहीं है। समझौते के दौरान श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों ने कहा था कि वे हड़ताल का समाधान करने के लिए तैयार थे यदि केवल सरकार 42 रु० के अतिरिक्त वेतन तथा एक मुश्त अदायगी जिस पर वार्ता हो चुकी थी स्वीकार करने को तैयार होती। परन्तु क्या हुआ ? वार्ता के दौरान संचार मन्त्री श्री स्टीफन ने इस निम्नतम मांग को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। उन्होंने श्रम मन्त्री की मौजूदगी में रूखी तथा गन्दी भाषा का प्रयोग किया। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस के प्रेजीडेन्ट भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सका। यह सही स्थिति है।

महोदय, हड़ताल के कारण कुल हानि 2 करोड़ रु० आंकी गई है। हड़ताल की अवधि के दौरान आज तक इन 54 दिनों की पुरानी हड़ताल में उत्पादन की कुल हानि 100 करोड़ आंकी गयी है। यदि श्रमिकों की कुल मांग स्वीकार कर ली गयी होती तो सरकार की ओर से कुल लागत लगभग 20 से 25 करोड़ रुपये तक हुई होती अब वाद विवाद के दौरान सरकार ने 25 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया और श्रमिक 42 करोड़ रु० स्वीकार करने को तैयार थे। इसलिए स्पष्ट है कि अन्तर इतना कम था कि वार्ता को समाप्त करा देना तथा समझौते का न मानना सरकार की ओर से बुद्धिमानी का काम नहीं हुआ था। अब हड़ताल प्रायः सभी सरकारी इंजिनीयरी एककों में है और केन्द्रीय श्रमिक संघों ने भविष्य में कार्यवाही करने तथा देशव्यापी औद्योगिक कार्यवाही करने पर विचार करने के लिए इसी 22 तारीख को एक बैठक बुलाने का निर्णय किया है। इसलिए मुझे आशा है कि अब सरकार स्थिति की गंभीरता को समझेगी और मेरा सुझाव है कि श्रमिक संघ द्वारा किए गये प्रस्ताव के आधार पर विवाद को सुलझाने के लिए नया प्रयास किया जाये। इस सम्बन्ध में दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या माननीय मन्त्री महोदय विवाद को समाधान करने के लिए एक अन्य बैठक बुलायेंगे ?

एक माननीय सदस्य : कौन से मन्त्री ?

श्री गदाधर साहा : श्रम मंत्री। श्रमिक संघों द्वारा किये गये अनेक प्रस्तावों के आधार पर आप श्रमिकों तथा श्रमिक संघों की न्यूनतम मांगों को पूरा करने के लिए क्या उपाय करने पर विचार कर रहे हैं :

श्री नारायण तिवारी : मैं सभा के समक्ष कुछ तथ्यों के रखने के लिये माननीय सदस्य को बधाई देता हूं। हालांकि तथ्यों को मैंने दूसरे ढंग से पेश किया था। परन्तु शायद उन्होंने तथ्यों को अर्थपूर्ण ढंग से बताया है। परन्तु उनके विवाद से सहमत होना मेरे लिये मुश्किल है कि सम्पूर्ण श्रमिक आन्दोलन के लिए कोई चुनौती है। किसी चुनौती से इन्कार करने का सरकार का कोई प्रश्न नहीं और जहां तक समझौते का संबंध है उसके लिए दरवाजे कभी बन्द नहीं थे। आप मेरे वक्तव्य से देखेंगे कि किसी भी स्तर पर दरवाजे कभी बन्द नहीं थे और मुख्य रूप से बंगलौर में उपयुक्त सरकार द्वारा निरन्तर बातचीत जारी रखी गई थी। यह इस कारण से है कि बंगलौर में हड़ताल के अधिक केन्द्र थे। उसके बाद जब मैंने यहां पर इस बैठक का आयोजन किया तो हालांकि यह दुर्भाग्य की बात थी कि वार्ता समाप्त कर दी गई क्योंकि दोनों पक्ष सहमत नहीं हो सके थे। श्रम विभाग का उत्तरदायित्व केवल ऐसी बैठकें बुलाना है। हम प्रबंधक या श्रमिक संघों पर उनके रवैयों को छोड़ देने का दबाव नहीं डा सकते है। परन्तु अब माननीय सदस्य महोदय ने कहा है कि अन्तर बहुत कम हैं क्योंकि उन्होंने अभी स्वीकार किया है कि अन्तर बहुत कम है, मैं उनसे श्रमिक संघों पर अपने प्रभाव का प्रयोग करने तथा इस बात को सुनिश्चित करने का भी अनुरोध करूंगा कि उस कम अन्तर को जो भी है, आगे और कम किया जावे। मुझे आशा है कि श्रमिक संघ भी पहल करेंगे। कोई खुली चुनौती न हो। इसके बारे में कोई कठोर रुख न हो और मुझे आशा है कि माननीय सदस्य श्रमिक संघों पर अपना प्रभाव का प्रयोग करने के लिए कुछ मूल्यवान समय देंगे।

सभापति महोदय : दूसरे शब्दों में आपके कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि दोनों पक्षों का रुख नरम हो।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं अभी माननीय सदस्य की दलील का उल्लेख कर रहा था।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य में कुछ तथ्य हैं। अधिकांशत: ये तथ्य समझौता हो जाने के बाद की अवधि से तथा उन प्रयासों से संबंधित हैं जो दोनों पक्षों द्वारा किये गये थे। मैं वक्तव्य के पैरा 4 में एक शुद्धि करना चाहूंगा। यदि मैं सही हूं तो श्रमिक 1.1.1977 से बकाया की मांग नहीं कर रहे हैं जैसा कि बताया गया है परन्तु वे केवल 1.9.1978 से मांग कर रहे हैं।

इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा इस सभा के समक्ष बहुत महत्वपूर्ण विषय रखा गया है। इस हड़ताल से देश की समस्त अर्थ-व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है विशेष रूप से वर्तमान स्थिति में। यदि मैं सही हूं, तो लगभग 1.25 लाख श्रमिक 26 दिसम्बर से हड़ताल पर हैं और हड़ताल का 50वां दिन शुरू हो गया है। सरकारी स्रोतों के अनुसार हड़ताल के प्रत्येक दिन दो हजार करोड़ रु० के उत्पादन की हानि हो रही है।

अपने दलगत संबंधों की परवाह न करते हुये विभिन्न श्रमिक संघों द्वारा यह हड़ताल की जा रही है। शुरू से ही हड़ताल बड़े शान्तिपूर्ण तथा अनुशासनात्मक ढंग से हो रही है। सर्व प्रथम, हड़ताल की औचित्यता का जायजा लेने के लिए हम देखें कि उनकी क्या मांगें हैं। यदि मैं सही हूं कि वे संघ उन सरकारी उपक्रमों के साथ 1978 में दीर्घकालीन समझौते कर चुके थे

जो इस हड़ताल से संबंधित है । उस ससझौते में एक विशेष खण्ड था । उस खण्ड के बारे में कोई विवाद नहीं है; यदि आखिरकार कोई विवाद है तो वह केवल इसकी व्याख्या के संबंध में है। समझौते में स्पष्ट रूप से मूलवेतन और महगाई भत्ते में, संशोधन करने की व्यवस्था है यदि कोई अन्य सरकारी क्षेत्र का उपक्रम वैसा कर रहा है । समझौते में उस विशेष खण्ड के अनुसार इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उसी समय संघों ने प्रबंधक से सिफारिश की जैसे ही भारत हैवी इलैक्ट्रिक लि० में समझौता हुआ तथा उनसे अनुरोध किया था कि उनके समझौते में विद्यमान उपबन्ध का सम्मान किया जाना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्यवश जो लोग समझौते में शरीक थे वे उन आधारों पर कोई वायदा नहीं कर सके । इसलिए जब सभी विश्वास तथा अन्य तरीके असफल हो गये तो स्वभावत: श्रमिकों ने समझौते में उस विशेष उपबन्ध को क्रियान्वित करने पर दबाव डालने के लिए हड़ताल कर दी । इस मामले की यह पृष्ठभूमि है। और श्रमिक-संघों के दृष्टिकोण से जब कभी समझौतों का सामान्य तरीका उनकी शिकायतों को दूर करने में असफल हो जाता है तो उनके पास अंतिम हथियार हड़ताल करना है और यह देखना है कि उनकी वैध मांगें मान ली गई हैं । इसलिये ये श्रमिकों ने 26 दिसम्बर से हड़ताल कर दी ।

जैसा कि मैंने कहा, यह समझौता इन संघों के साथ 1978 में हुआ था । तत्पश्चात् 1979 में एकमात्र भारत हैवी इलैक्ट्रीक लि० के साथ एक अन्य समझौता हुआ था और उस 1979 के समझौते में न्यूनतम वेतनों, मंहगाई भत्ते और कुछ अन्य बातों में कुछ संशोधन के लिए सहमति हुई थी। स्वभावत: इन श्रमिकों ने 1978 के समझौते के अनुसार अपना दावा प्रस्तुत किया था । यहां पर मैं इस व्याप्त गलतफहमी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे मालूम नहीं है कि क्या यह जान-बूझकर है या अन्यथा। यह कहा जा रहा है कि वे श्रमिक जो इन उपक्रमों में हड़ताल कर रहे है उनकी मांग भारत हैवी इलैक्ट्रीकल के श्रमिकों के साथ समानता की मांग है । यदि यह बात थी तो श्रमिकों ने 30 रु० प्रतिमास न्यूनतम वेतन में वृद्धि तथा मंहगाई भत्ते में 5रु० की वृद्धि तथा 1.1.1981 से दो किश्तों की मांग की होती । इसके फलस्वरूप 40 रु० निम्नतम स्तर पर तथा 79 रु० अधिकतम स्तर पर वृद्धि होगी तथा 1.1.71 से 31.12.1980 तक की बकाया राशि देनी पड़ेगी । समझौते की अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी और जिन लोगों को पिछले समझौते के दौरान राहत नहीं दी गई थी उन्हें 40 रु० फिटमेंट लाभ के रूप में अदा किये जायेंगे और मंहगाई भत्ते और नगर प्रतिपूरक भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता यूल्य सूचांक के आंकड़ो के आधार पर की जाएगी जैसा कि भारत हैवी इलैक्ट्रिक लि० में होता है ।

जैसा कि मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य में भलीभांति उल्लिखित है, दिल्ली में हुए पिछले सम्मेलन से पूर्व अन्तिम प्रस्ताव यह था—न्यूनतम मजदूरी में 30 रुपये प्रतिमास की वृद्धि तथा एक वार्षिक वेतन वृद्धि । यह सबसे कम स्तर पर 37 रुपये तथा अधिकतम स्तर पर 52 रुपये होगी; 1.9.78 से 31.12.80 तक के पिछले बकाया के एकमुश्त भुगतान के लिए संगणना की गई; न्यूनतम मजदूरी लागू करने के प्रश्न पर समझौते की अवधि को 31.12.81 तक बढ़ाना; जिसको यह प्राप्त नहीं होती उनके लिए 40 रुपए वेतन-निर्धारक लाभ (फिटमेंट बेनिफिट) के रूप

में भुगतान करना; और अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के साथ-साथ नगर प्रतिकर भत्ते की मांग के लिए जोर न देना ।

कर्मचारियों द्वारा ही ये प्रस्ताव वास्तव में पेश किए गए थे। अतः यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि बात-चीत द्वारा विवाद के निपटारे तथा हड़ताल का शान्तिपूर्वक निपटारा करने के लिए संबंधित कार्मिक संघ तथा संयुक्त समिति बहुत उत्सुक थे कि कोई चल सकने वाला फार्मूला दिया जाये और समस्या को बैठक द्वारा निपटाया जाए। परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। मैं स्थिति को और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि इस सम्मेलन के बाद, जिस मन्त्री ने इस सम्मेलन का संचालन किया, अर्थात संचार मंत्री बंगलौर गए और अगले दिन उन्होंने एक पत्रकार सम्मेलन बुलाया और वहां उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा : "ये कर्मचारी इन-इन बातों का राग अलाप रहे थे, वे किसी भी समझौते पर नहीं पहुंचे, वे किसी भी ठोस बात को मानने को तैयार नहीं थे।" आदि। वह कर्मचारियों को गद्दार भी कह रहे थे और कह रहे थे कि उनमें देश के प्रति देश-भक्ति की भावना नहीं आदि। मैं उन बातों पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि वे संगत नहीं हैं। इसी-लिए मैं इन बातों को स्पष्ट कर रहा हूं। उनके अपने दृष्टिकोण से कर्मचारी समझौते का सम्मान करना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि उनकी मांगों पर कोई सम्मानजनक समझौता हो जाये। निस्सन्देह, सरकार की ओर से भी समझौते के एक खण्ड के बारे में कोई विवाद नहीं है कि कुछ अदायगियां की जाएंगी। यदि कोई विवाद था तो वह व्याख्या के बारे में था 58 दिन के बाद क्या हो रहा है ? आज की प्रेस रिपोर्टों के अनुसार यह देखा गया है कि पुलिस, सी० आर० पी० और सीमा सुरक्षा पुलिस के जवान कर्मचारियों की कालोनी में गश्त लगाकर उन्हें काम पर वापस जाने के लिए दबाव डाल रहे हैं और उनका दमन कर रहे हैं। परन्तु, सम्बन्धित कम्पनियों के इन सब के नोटिसों और प्रेस में विज्ञापनों तथा घोषणाओं के बावजूद मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि एक भी कर्मचारी फैक्ट्री में काम करने के लिए वापस लौटने को तैयार नहीं था। इससे पता लगता है कि किस प्रकार 125 000 कर्मचारी ईमानदारी से यह विश्वास रखते हैं कि वे न्यायोचित बात के लिए लड़ रहे हैं और उन्होंने किसी सम्मानजनक समझौते पर पहुंचने के लिए प्रबन्धकों को काफी अवसर दिए, परन्तु किसी सम्मानजनक समझौते के लिए कोई रास्ता नहीं निकल पाया। उनके पास हड़ताल के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रहा था। उन्हें मालिकों ने इसके लिए मजबूर किया। मैं समझता हूं कि यदि मालिकों ने समय रहते शीघ्र कदम उठाया होता तो यह सब कुछ न होता।

वास्तव में यह आश्चर्य की बात है कि इस हड़ताल से पूर्व हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स में स्थिति ऐसी थी कि उसके कर्मचारी कई दिनों तक काम के बिना खाली बैठे थे। ऐसा क्यों हुआ ? हड़ताल की अवधि के दौरान ये सब तथ्य सामने आये। मैं आपको यह सोचने के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि ऐसे बड़े महत्व के मामले में एक हड़ताल जो सरकारी क्षेत्र के बड़े संस्थानों में हो रही है, एक हड़ताल जो देश की समूची अर्थव्यवस्था पर असर डाल रही है और जिससे 1,25.000 कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं और जो पिछले 58 दिनों से चल रही है और यदि मैं ठीक हूं तो, इसके परिणामस्वरूप 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत के उत्पादन का नुकसान होगा।

इसे किस प्रकार सम्हाला और निपटाया जाय ? कर्मचारी अपनी पहली वाली स्थिति से नीचे आ गए हैं तथा बातचीत द्वारा किसी समझौते के लिए उत्सुक हैं। परन्तु मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं ? मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में मध्यस्थता के प्रस्ताव के विषय में कुछ कहा है। दुर्भाग्यवश मुझे सखेद यह कहना पड़ता है कि जीवन बीमा निगम अध्यादेश के बाद इन मध्यस्थाओं तथा अन्य पंचाटों पर कोई कर्मचारी कैसे भरोसा कर सकते हैं ? उनका इन सब पर से विश्वास उठ गया है, क्योंकि आप सामूहिक सौदेबाजी तथा बात-चीत द्वारा समझौते के मूल तत्व को ही समाप्त करना चाहते हैं और सभी प्रकार के बात-चीत द्वारा किये गये सकझौते को किसी भी समय नकारा जा सकता है। अतः आप यह आरोप नहीं लगा सकते कि वे मध्यस्थता के लिए सहमत नहीं हुए। जीवन बीमा निगम में जो हो रहा है उसे देखते हुए वे पंचाटों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं ? उनको दोष नहीं दिया जा सकता। सामान्यतया कर्मचारी सहमत नहीं होंगे।

अब मैं इस विशिष्ट प्रश्न पर आ रहा हूं कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। कर्मचारी संघों और संयुक्त परिषद ने कहा है कि यदि द्वार खुले हैं तो वे बैठकर मामले को सुलझाने के लिए तैयार हैं। उनकी दिलचस्पी इस बात में है कि वे कोई सम्मानजनक समझौता चाहते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि वह पहल करने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? क्या आपने अपने द्वार बन्द कर रखें हैं या आप दरवाजे खुले रखकर बातचीत द्वारा समझौता करने जा रहे हैं ? कर्मचारियों के संघों और उनकी संयुक्त परिषद ने इसे सुलझाने की इच्छा व्यक्त की है।

आप मजदूर संघों के इतिहास और बातचीत द्वारा यह समझौते के बारे में जानते हैं। कभी-कभी ऐसे मामलों में हमें बातचीत के कई दौर चलाने पड़ते हैं। पत्तन और गोदी कर्मचारियों के मामले में भी हमने बातचीत के कई दौर चलाए थे। एक ऐसा भी समय आया था जब ऐसा लग रहा था कि बातचीत टूट जायेगी। यदि यह बात-चीत चलती रहे तो मेरा विचार है कि किसी सम्मानजनक समझौते पर पहुंचा जा सकता है मेरा विचार है कि कर्मचारियों की मांग तर्कसंगत है। सामान्यतया सरकार को इस बात पर इतना सख्त रवैया अपनाना और चुप रहना नहीं चाहिए जब देश को नुकसान हो रहा है तथा कर्मचारी भी कष्ट उठा रहे हैं और सभी प्रकार से सताए जा रहे हैं। इस पर मैं मन्त्री जी से निश्चित उत्तर चाहूंगा।

मैं चाहता हूं कि यह समझौता हो जाए क्योंकि 58 दिन से जो हड़ताल चल रही है वह केवल कर्मचारियों से ही सम्बन्धित नहीं है अपितु सरकारी क्षेत्र के संस्थानों के कार्यचालन से भी संबंधित है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री जी उनके साथ विचार-विमर्श का एक और दौर शुरू करेंगे जिससे यह समस्या शीघ्र सुलझायी जा सके या उनके दरवाजे बन्द हो गये हैं। कर्मचारियों ने खुलेआम अनेक बार कहा है तथा आज समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है कि यदि दरवाजे खुले हैं तो वे बातचीत के लिए तैयार हैं क्योंकि वे कोई सम्मानजनक समझौता चाहते हैं। मैं पुनः जानना चाहूंगा कि क्या दरवाजे बन्द हो गए हैं या देश के तथा अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित में अभी भी द्वार खुले हैं।

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं माननीय सदस्य के विचारों का आदर और सम्मान करता हूं जो श्रम परामर्शदात्री समिति में भी हमारे साथी हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे कर्मचारियों की मजूरी वृद्धि के सम्बन्ध में उनकी मांग पर अपने विवरण को ठीक करना है कि यह 1.9.78 से है न कि 1.1.77 से। (व्यवधान) अर्थात् बकाया के बारे में परन्तु बकाया मजदूरी से सम्बन्धित है। अत: मैं इसे ठीक कर लेता हूं। निस्सन्देह मैंने अत्युक्ति नहीं की, हालांकि अत्युक्ति करना गलत होता है और न्यूनोक्ति भी गलत होती है।

चूंकि बहुत से ज्ञापन तथा पत्र आ रहे हैं, मैंने सोचा है, मुझे निरापद रहना चाहिए, परन्तु मैं अपनी बात को ठीक कर रहा हूं। और मैं उनको धन्यवाद देता हूं। 'पुनरीक्षण' शब्द की व्याख्या के सम्बन्ध में मूलत: एक प्रश्न है। विभिन्न सरकारी क्षेत्र के संस्थानों के व्यवस्थापकों का कहना है कि पुनरीक्षण का अर्थ बी० एच० ई० एल० के स्तर तक अपने आप वृद्धि नहीं है; इस पर बातचीत होगी। वे कहते हैं कि बातचीत हुई और वे कुछ और आगे बढ़े। अत: पुनरीक्षण का अर्थ मजदूरी में अपने आप समानता लाना नहीं है। इसलिए वे कहते हैं कि यदि मजदूर संघ समझते हैं कि उनकी व्याख्या सही है और वे मध्यस्थता के लिए तैयार हैं और मध्यस्थता बोर्ड की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा की जाए तो उन्हें निर्णय देने दो कि 'पुनरीक्षण' शब्द की सही व्याख्या क्या है। यदि मध्यस्थता बोर्ड निर्णय देता है कि मजदूर संघों द्वारा दी गई व्याख्या सही है तो हम उसका पालन करेंगे। मैं कह सकता हूं कि संचार मन्त्री ने मुझसे और बैठक में भी कहा था कि हम मध्यस्थों के फैसले को मान लेंगे; हम किसी भी निर्णय से पीछे नहीं हटेंगे, हम उसका ठीक-ठीक और पूर्णतया पालन करेंगे। इसलिए मैंने इस तथ्य का अपने विवरण के पृष्ठ 3 पर उल्लेख किया है कि प्रबन्ध-मन्डल मध्यस्थों या पंचों के बोर्ड के निर्णय को पूरी तरह क्रियान्वित करेगा और अग्रिम राशि को निर्णयानुसार भुगतान योग्य राशि में से समायोजित नहीं किया जाएगा।

मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि जीवन बीमा निगम अध्यादेश दूसरे सभी सरकारी क्षेत्र के संस्थानों के लिए भी लागू होगा। अत: इस प्रकार की यह एक मिसाल नहीं है।

इसलिए मेरा मत है कि जीवन बीमा अध्यादेश का हवाला देने से कोई सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि केन्द्रीय मन्त्री द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इसे लागू नहीं किया जाएगा और हम मध्यस्थों के बोर्ड के निर्णय का पालन करेंगे। मैं यह बात दोबारा कहूंगा कि दूसरे परम-पावन सदन में, - मैं दूसरे सदन का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे बताया गया है कि वह संसदीय नहीं है— उन्होंने मेरी उपस्थिति में बहुत स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा हैं कि उन्होंने कभी भी 'देशद्रोही' शब्द का प्रयोग नहीं किया और उन्होंने कहा है कि मजदूर संघ के नेताओं के प्रति वे बहुत आदर व सम्मान रखते हैं और उन्होंने कुछ समाचार पत्रों, जैसे 'स्टेट्समैन' का भी हवाला दिया कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इस शब्द के गलत प्रकाशन ने बहुत कठिनाई पैदा की है। और मुझे आशा है कि यह स्पष्टीकरण वातावरण को थोड़ा साफ करेगा। उन्होंने एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। वे इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। इसके लिए उन्होंने 'स्टेट्समैन' की कतरन भी पेश की है।

फिर जहां तक दरवाजा बन्द होने का सम्बन्ध है, दरवाजा कभी बन्द नहीं। किसी भी दरवाजे को बन्द करने का कोई भी प्रश्न नहीं है। दरवाजा कभी बन्द नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : क्या दिमाग खुला है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : क्योंकि दिमाग खुला है, अतः दरवाजे बन्द नहीं हैं। मैं यही कहूंगा। मजदूर संघ के नेताओं के लिए सम्बन्धित सरकार से बातचीत करने के लिए द्वार खुले हैं। सम्बन्धित सरकार बात करने के लिए है। दरवाजा बन्द होने या खोलने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : यहां यह आरोप लगाया गया है कि हमारी नीति श्रम विरोधी है और हम श्रमिक वर्ग के विरुद्ध हैं। हम इसे स्पष्ट करने जा रहे हैं कि हम श्रमिकों के पक्ष में वचनबद्ध हैं और हमारी वचनबद्धता सम्पूर्ण है और आधुनिकतम प्रस्ताव, जो श्रमिकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, सर्वथा न्यायोचित तथा युक्तिसंगत है। (व्यवधान)

हां, यह मेरा राज्य है। इसलिए मैं मामला ला रहा हूं।

अब, श्रमिक वर्ग इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार है। अधिकांश कार्मिक काम पर लौटने को भी तैयार हैं। परन्तु दुर्भाग्य से न केवल उन्हें धमकी दी गई है अपितु डराया धमकाया भी गया है। उन्हें काम पर न लौटने को कहा गया है। इसीलिए वे कार्य पर नहीं आ रहे हैं। अब जहां तक तथ्यों का सम्बन्ध है, हमारी नीति श्रमिकों के हित के विरुद्ध नहीं है। परन्तु निश्चय ही हम श्रमिक नेताओं के विरुद्ध हैं। क्यों ? आप जानते हैं कि कांग्रेस शासन के दौरान श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए बहुत से कानून बनाये गये। परन्तु दुर्भाग्य से उनकी भूख और अधिक हो गयी है तथा श्रमिक नेता उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए आज मेरा निवेदन यह है कि इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाये। हमें बाहर वाले लोगों को श्रमिक संघों में नहीं आने देना चाहिए क्योंकि इसका श्रमिक वर्ग पर दूरगामी कुप्रभाव पड़ता है। यदि हम सब राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हैं तो हमें बाहर के व्यक्तियों को श्रमिक संघों में नहीं आने देना चाहिए क्योंकि लोग श्रमिक संघों में दुर्व्यवस्था फैलाते हैं। दुर्व्यवस्था फैलाने वाले बाहर के लोगों को हमें श्रमिक संगठनों में जाने से रोकना चाहिए।

हमें एक और पहलू पर विचार करना है। कुछ औद्योगिक कारखाने रोगी तथा अक्षम हैं जबकि अन्य सक्षम तथा लाभोत्पादक हैं। इन दोनों को हम समकक्ष नहीं मान सकते। परन्तु यदि हम समानता के तर्क को स्वीकार करते हैं तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डीस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन रखते हुए पहले ही कहा है कि रेल कर्मचारी भी समानता की मांग कर रहे हैं। यदि उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो इस प्रकार की मांगों का कोई अन्त नहीं होगा।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ताउत्तर-पूर्व) : आप जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतन के सम्बन्ध में समानता की बात कह रहे हैं···(व्यवधान)।

श्री जनार्दन पुजारी : समान लाभ पाने के लिए रेल कर्मचारी सीधी कार्यवाही की तैयारी कर रहे हैं। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो भारत की अर्थ-व्यवस्था की क्या

स्थिति होगी ? कुछ ही समय पूर्व श्री के० ए० राजन ने देश की आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया था। हम सभी कहते रहे हैं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। अब जबकि हम अपनी अर्थ-व्यवस्था का सुधार कर रहे हैं, यदि यह मांग स्वीकार कर ली जाती है तो इसका कहीं अन्त नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें समानता की इस मांग को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि हम इसे स्वीकार करते हैं तो इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था को एक और धक्का लगेगा।

आज हड़तालों के कारण देश की क्या स्थिति बन गई है ? सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जल-प्रदूषण हुआ है। लोग गन्दे पानी को पीने के लिए उपयोग कर रहे हैं तथा इसका उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है। अनिवार्य सेवाओं में लगे व्यक्तियों को हड़तालों के लिए उकसाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है ? उनका उद्देश्य देश में दुर्व्यवस्था फैलाना है तथा इस सरकार को उलटना है। यह विपक्ष की कुछ पार्टियों का योजनाबद्ध कार्य है। उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि हम उनके हथकंडों को समझते नहीं हैं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : 'इंटक' ने भी यह मांग की है।

श्री जनार्दन पुजारी : तब तो हम उसकी भी निन्दा करेंगे (व्यवधान) यह देश में दुर्व्यवस्था फैलाने का योजनाबद्ध प्रयास है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : क्या आप आपातस्थिति की बात कर रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : यदि, राष्ट्र के हित में आपातस्थिति आवश्यक होगी तो हम उसकी घोषणा कर सकते हैं।

श्रमिक नेताओं की भूमिका के बारे में मैं सभा को अवगत करा चुका हूं। उन्हें देश की गरीब जनता की दशा का कोई ध्यान नहीं है। लाखों असंगठित श्रमिकों तथा बेरोजगार युवकों की क्या स्थिति है ? क्या आपको उनकी चिन्ता है ? आप गांवों में जाकर किसानों से अधिक दाम मांगने को कहते हैं। शहरों में जाकर आप कहते हैं कि मूल्य बढ़ रहे हैं और उन्हें कम करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है।

यदि सरकार को अधिक वेतन देने हैं तो धन आयेगा कहां से ? धन कहां से प्राप्त होगा ? हमारे देश के गरीब लोगों को ही धन देना पड़ेगा। यदि आप धन नहीं देंगे तो गरीब लोगों को धन देना पड़ेगा। जिनकी संख्या कुल जनसंख्या के 80 प्रतिशत से अधिक है क्या वे धन देने की स्थिति में है ? क्या उनकी क्षमता के बारे में आपको चिन्ता है ? इसलिए मैं कम से कम तीन वर्ष के लिए ऋणस्थगन तथा हड़तालों पर पाबन्दी की मांग कर रहा हूं।

मेरे सुझाव इस प्रकार हैं : आपको बाहर के व्यक्तियों को श्रमिक संगठनों में नहीं आने देना चाहिए, हड़तालों को अवैध घोसित किया जाना चाहिए तथा अधिनिर्णय लागू किया जाना चाहिए, प्रबन्ध में कार्मिकों को भाग मिलना चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : माननीय सदस्य ने सभा में देश की अर्थ-व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। उन्होंने तीन सुझाव दिए हैं। एक सुझाव यह है कि बाहर के व्यक्तियों को

सरकारी क्षेत्र के श्रमिक संगठनों में नहीं आने देना चाहिए । ठीक है, इसके बारे में कार्यवाही करना संबद्ध सरकारों का काम है ।

उन्होंने यह भी कहा है कि देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वेतनों में समानता नहीं होनी चाहिए । प्रबन्धकों का भी यही मत है । सरकारी प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों का कहना है कि वर्तमान स्थिति में वेतनों की समानता संभव नहीं है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अतः वह प्रबन्धकों का पक्ष ले रहे हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : आप जैसे अर्थ-शास्त्रियों का भी ।

एक अन्य सुझाव यह दिया गया है कि हड़तालों को अवैध घोषित किया जाए तथा विवादों को अधिनिर्णय के लिए सौंपा जाए । यह मामला तय करना सम्बद्ध सरकार का है कि क्या हड़ताल गैर-कानूनी है, घोषित की जानी चाहिए ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : माननीय सदस्य ने मेरा उल्लेख किया है ।

सभापति महोदय : आपकी बात मैंने सुन ली है । मैं देखूंगा कि क्या उन्होंने आपका उल्लेख किया है । यदि ऐसा होगा तो मैं आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में अपने संशोधन में मैंने मांग की है कि रेलवे कर्मचारियों का वेतनों के मामले में समानता दी जानी चाहिए । समझौते के क्रियान्वित किए जाने से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । विवाद समझौते के क्रियान्वित किये जाने के बारे में है । कृपया मेरी बात समझें । श्री स्टीफन संचार मंत्री हैं, उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें सभी सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए विशेषतः एच. एम. टी. के लिए वेतनों में समानता को स्वीकार किया गया है । इसलिए आपको मुझे अपना निवेदन करने देना चाहिए । मैं उस वक्तव्य को चुनौती देता हूं । वह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में मेरे संशोधन को उद्धृत कर रहे हैं जबकि यह एक समझौते के कार्यान्वयन के बारे में है ।

श्रीमती कृष्णा साही (बैंगूसराय) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

सभापति महोदय : आपका प्वाइंट आफ आर्डर चेयरमैन खड़े हैं उसके खिलाफ है ! जरा बैठ जाइये । मेरी बात सुन लीजिये ।

आप बहुत धीरे से बोले लेकिन मेरे कान कुछ तेज हैं और मुझे सुनने में कोई दिक्कत नहीं हुई । मैंने उसको टेपरिकार्डर से चैक करने के लिए कहा है । जब इसको कर लिया जाएगा और जरूरत हुई तो आपको ऐक्सप्लेशन करने का अवसर दिया जाएगा ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप माननीय सदस्य श्री पुजारी से पूछ सकते हैं ।

सभापति महोदय : इसका कोई लाभ नहीं । में जांच करूंगा ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने यह बात कही थी । इसे कार्यवाही से निकाले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही से निकाले जाने का कोई प्रश्न नहीं है। यदि आपने यह बात कही है तो उन्हें भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नांनडीस : मैं कोई व्यक्तिगत स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता हूं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि इसमें एक अन्तर है। पहले तो मैं यह चाहता हूं कि श्रम मंत्री स्वीकार करें कि मेरे द्वारा संशोधन रखने में एक अन्तर है···(व्यवधान)

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : श्रीमान, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : मुझे क्षमा करें, बहुत से व्यवस्था के प्रश्न हैं जिन्हें लेना कठिन है। इसलिए कृपया बैठ जाइये। मैंने अपना निर्णय दे दिया है। कागज आने दीजिए तब मैं निर्णय दूंगा (व्यवधान) उन्होंने क्या बात कही इसकी मुझे जांच कर लेने दें। तब मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इसके अलावा यह बात वर्तमान वाद-विवाद से संगत है। दो प्रश्न हैं। एक बात तो वर्तमान हड़ताल के बारे में है (व्यवधान) मुझे अपनी बात कहने भी नहीं दिया जाता।

सभापति महोदय : नहीं-नहीं। यह बात नहीं है। मैंने आदेश दिये हैं। कार्यवाही वृत्तान्त मेरे समक्ष आने दें। तब मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि श्रम मंत्री एक बार फिर उत्तर देने आयेंगे।

सभापति महोदय : ठीक हैं, श्रम मंत्री यहां बैठे हुए हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इसलिए कृपया मुझे अपनी बात कहने दें। मैं केवल स्पष्टीकरण दे रहा हूं। मुझे केवल इस प्रश्न को स्पष्ट करना है।

सभापति महोदय : आप अध्यक्षपीठ को यह देखने का अवसर नहीं देंगे कि माननीय सदस्य ने सभा में क्या बात कही थी, तथा बोलने पर उतारू हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : नहीं, नहीं।

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्रीमान, मैं सदा आपकी बात सुनता रहा हूं। समिति की बैठकों में मैं आपकी बात सुनता रहा हूं। मैं अन्य श्रोताओं की अपेक्षा आपकी बात अधिक सुनता रहा हूं।

सभापति महोदय : और आपने मुझे पूरा सहयोग दिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इसलिए मैं श्रम मंत्री से केवल एक बात का उत्तर चाहता हूं, प्रथमतः क्या इसमें अन्तर है। दूसरे कार्मिक लोग जिस बात की मांग कर रहे हैं वह वही है जिस पर श्री स्टीफन के भी हस्ताक्षर हैं। श्री स्टीफन ने एच० एम० टी० कार्मिकों के नेता के रूप में इस आशय के समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं कि वेतनों में समानता सरकारी प्रतिष्ठानों के कार्मिकों को अवश्य उपलब्ध की जानी चाहिए। श्रीमान, मैं माननीय श्रम मंत्री से एक बात का

उत्तर चाहता हूं। उन्होंने बताया है कि कार्मिक संबद्ध राज्य अधिकारियों के पास जा सकते हैं। वह ध्यानाकर्षण प्रस्तावों का उत्तर देते रहे है। समझौता करने के लिए उनकी अध्यक्षता में बहुत सी बैठकें हुईं। क्या वह श्रमिक नेताओं को बातचीत के लिए दिल्ली आमंत्रित कर समझौता करायेंगे। मतभेद बहुत कम हैं। वित्त मंत्री उपस्थित हैं। क्या वह श्रमिक नेताओं को बुलाकर विवाद का हल करने की चेष्टा करेंगे ? (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री नवल किशोर शर्मा : आप उन्हें व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति दे रहे हैं और वह श्रम मंत्री से उत्तर चाहते हैं। आपका विनिर्णय क्या है ? (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या वह श्रमिक संघों के नेताओं को आमंत्रित करेंगे···

श्री वी० वी० देसाई (रायचूर) : उनका नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने वाले सदस्यों में है। उन्हें क्यों बोलने दिया जा रहा है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्रीमान, क्या आप श्रम मंत्री को उत्तर देने को कहेंगे। (व्यवधान)

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

श्री पी० पार्थ सारथी (राजमपेट) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 14वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

भारतीय दण्ड संहिता संशोधन विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि को बढ़ाया जाना

श्री डी० के० नायकर (धारवाड़-उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भारतीय दण्ड संहिता-दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय छठे सत्र, 1981 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारतीय दण्ड संहिता-दंड प्रक्रिया संहिता 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय छठे सत्र, 1981 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1967 के कार्यकरण की जांच करने सम्बन्धी संयुक्त समिति

प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की अवधि को बढ़ाया जाना

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा दहेज प्रथा की बुराई से कारगर ढंग से निपटने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण तथा उसमें किए जा सकने वाले संशोधनों के प्रश्न की जांच करने संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय छठे सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मैंने एक प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि निम्न कारणों से समय नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इस संयुक्त समिति में जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। दूसरे, जब हमारी एक सदस्या, श्रीमती प्रमिला दंडवते ने इस मामले पर गैर-सरकारी विधेयक पेश किया तो मन्त्री महोदय ने उन्हें यह कहते हुए विधेयक को वापिस लेने को कहा था, "हम एक संयुक्त समिति नियुक्त कर रहे हैं तथा आपको उस संयुक्त समिति का सदस्य नियुक्त किया जा रहा है।" यदि संसदीय कार्य मन्त्री कह देते हैं कि उन्हें संयुक्त समिति में उनका नाम शामिल करने में कोई आपत्ति नहीं है तो मामला अध्यक्ष के अधिकार में आ जाता है और मैं अपने प्रस्ताव का आग्रह नहीं करूंगा।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : यह सही रूप से मेरा दायित्व नहीं है। आप समिति गठित करते हैं। परन्तु यदि उसमें जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व मिलता है तो मुझे उसमें क्या आपत्ति हो सकती है ?

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि क्या श्रीमती कृष्णा साही के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये अथवा नहीं। यदि आप उसका विरोध करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस प्रकार संसद कैसे चल सकती है। इस मामले में स्वीकृति दे दी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या वह जनता पार्टी की सदस्या श्रीमती प्रमिला दंडवते को संयुक्त समिति में सम्मिलित करने को तैयार हैं। मन्त्री महोदय ने सभा में आश्वासन दिया था। उन्हें इसे अवश्य क्रियान्वित करना चाहिए।

सभापति महोदय : आपने अध्यक्ष महोदय को लिखा था तथा जो कुछ मैंने आपको बताया उसके द्वारा आपको सूचित कर दिया गया है। आपको सूचित किया गया है, "कि सदस्य मतदान के समय प्रस्ताव के विरुद्ध मत दे सकते हैं।"

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे कुछ नहीं बताया गया था।

सभापति महोदय : तब आप अब नोट कर लें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह संसद की कार्यवाही का रिकार्ड है.....

श्री भीष्म नारायण सिंह : यदि संयुक्त समिति में जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व मिलता तो मुझे क्या आपत्ति होगी ? मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप ऐसा कहते हैं । ठीक है । अब मैं आग्रह नहीं करता ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा दहेज प्रथा की बुराई से कारगर ढंग से निपटने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण तथा उसमें किए जा सकने वाले संशोधनों के प्रश्न की जांच करने सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय छठे सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

—

कार्य मंत्रणा समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री वी० एन० गाडगिल (पुणे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से जो 17 फरवरी, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : श्रीमान, मैंने कार्य मन्त्रणा समिति के 11वें प्रतिवेदन में एक संशोधन का नोटिस दिया है । पहला मामला तो विदेश नीति का है; दूसरा मामला गन्दी बस्तियों के बारे में है जिसके बारे में सत्ता में आने के दिन ही उन्होंने वचन दिया था और जिसकी सभा में चर्चा हो रही है; तीसरा मामला बम्बई की उप-नगरीय रेल सेवाओं के बारे में है, जिसकी स्थिति बहुत बिगड़ गई है, गाड़ियों में कत्ल हो जाते हैं तथा लोग अपने कार्य-स्थल नहीं पहुंच पाते ।

हमें इन मामलों में रुचि लेनी चाहिए । मैं इन तीन मामलों पर प्रत्येक सत्र में चर्चा की मांग करता रहा हूं । संसदीय कार्य मंत्री मधुर भाषी हैं तथा वचन देते रहे हैं, "हां, इस पर चर्चा की जायेगी" परन्तु चर्चा नहीं हो सकी ।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं वह सबके प्रति मधुर हैं तथा आपके प्रति मधुरतर हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जहां तक विदेश नीति का सम्बन्ध है इस पर कार्य मन्त्रणा समिति ने विचार किया था । मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मन्त्री सभा को अपने निर्णय से सूचित करें । गंदी बस्तियों के बारे में तथा बम्बई की उप-नगरीय सेवाओं के बारे में, यदि वे मुझे अवसर देने का वचन दें, तो मैं आपको संशोधन के लिए जोर नहीं दूंगा ।

महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाये :

"कि निम्नलिखित को सम्मिलित करने के लिए अन्त में यह जोड़ दिया जाये :

1. विदेश नीति पर चर्चा।

2. गन्दी बस्ती सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति।

3. अर्ध नगरीय रेल सेवायें।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं इसके लिए अवसर प्राप्त करूंगा।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव में निम्न संशोधन है :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये :

इस रूप भेद के अध्याधीन—

"कि इस प्रतिवेदन को समिति के पास पैरा 3 मद (एक) के संदर्भ में वापस भेज दिया जाये।" ताकि निम्नलिखित मामलों पर चर्चा की जा सके; अर्थात् --

(क) रेल मन्त्री द्वारा सभा में 17 फरवरी, 1981 को रेल दुर्घटनाओं के बारे में दिये गये वक्तव्य पर चर्चा।

(ख) भाषायी अल्प संख्यक आयुक्त के 13वें, 14वें, 15वें, 16वें और 17वें प्रतिवेदनों पर तथा भाषायी अल्पसंख्यक उप-आयुक्त के 18वें तथा 19वें प्रतिवेदनों पर चर्चा।

कार्य मन्त्रणा समिति के प्रतिवेदन के पैरा 3 में निहित है कि जब तक वित्त विधेयक पारित नहीं हो जाता अनियत दिन वाले प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। वित्त विधेयक लगभग 27 अप्रैल तक चलेगा जिसके बाद इस सत्र में कठिनता से ही समय मिलेगा जब रेल मन्त्री रेल दुर्घटनाओं पर वक्तव्य दे रहे थे तब इस सभा में मांग की गई थी कि इस पर रेल बजट से अलग से चर्चा की जाए। यह मामला महत्वपूर्ण है। प्रति दिन एक न एक रेल दुर्घटना होती रहती है इसलिए इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिग।

मैंने बार-बार सभा में मामला उठाया है कि भाषायी अल्प संख्यक आयुक्त के प्रतिवेदनों पर विचार किया जाये। लगभग एक दशक से भाषायी अल्प संख्यक आयुक्त के प्रतिवेदनों पर सभा में विचार नहीं किया गया है। भाषायी अल्प संख्यक आयुक्त के 13वें, 14वें, 15वें, 16वें और 17वें, प्रतिवेदनों पर विचार नहीं किया गया है। इसी प्रकार भाषायी अल्प संख्यक उपायुक्त के 18वें और 19वें प्रतिवेदनों पर भी विचार नहीं किया गया है अतः मैं देखता हूं कि भाषायी अल्प संख्यक आयुक्त के 1971 से अब तक के प्रतिवेदनों पर विचार नहीं किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 350 (ख) के अधीन भाषायी अल्प संख्यक आयुक्त के प्रतिवेदन सभापटल पर रखे जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह संवैधानिक दस्तावेज है। हम सभी अपने देश में अल्प संख्यकों के लिए तथा विशेषतः भाषायी अल्प संख्यकों के लिए सहानुभूति व्यक्त करते हैं। परन्तु जब संविधान के अनुच्छेद 350

(ख) के अनुपरण में सभा पटल पर रखी गयी रिपोर्टों पर चर्चा का मामला उठाया जाता है, तो यह दुखद बात है कि इसके लिए समय नहीं दिया जाता है। यदि हमारे पास समय का इतना अभाव है तो अच्छा होगा कि संविधान के अनुच्छेद 350 (ख) को हटा दिया जाये संविधान में केवल दिखाने के लिए उपबन्ध नहीं किये जाने चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि इसके लिए विशेष उपबन्ध किया जाये और अब 10 वर्ष के बाद पिछले दशक में सभा पटल पर रखे गये प्रतिवेदनों पर चर्चा के लिए कुछ समय अवश्य निकाला जाये।

इसलिए मैंने इस मामलों को सभा में संशोधित के रूप में दृढ़ता से रखा है। मैं सभा से, सरकार से तथा सभा के प्रत्येक वर्ग से अपील करता हूं कि दलीय सम्बन्धों से ऊंचे उठकर इस बात का यत्न करें कि इस पर शीघ्र चर्चा की जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

श्री जार्ज फर्नान्डीस : (मुजफ्फरपुर) श्रीमान जी मैं एक निवेदन करना चाहता हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : क्या संसदीय कार्य मन्त्री कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं अभी आया हूं —

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है···

श्री जार्ज फर्नान्डीस : रेल मन्त्री द्वारा किए गए इस आश्वासन का क्या होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि हड़ताली लोकों रनिंग स्टाफ तथा रेल दुर्घटनाओं के बारे में चर्चा की जायेगी··· (व्यवधान) इससे सम्बद्ध प्रस्ताव सदन के समक्ष है। श्रीमानजी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह क्या है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कार्य मन्त्रणा समिति के प्रतिवेदन के अनुसार इसके बारे में आधे घन्टे की चर्चा की जा सकती है। सभा के दो माननीय सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। अतः आप मुझे चुप नहीं करवा सकते। मैं निवेदन करता हू।

परसों जब रेल मन्त्री जी बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य देने जा रहे थे तो हम सभी ने उनसे निवेदन किया था यह कार्यवाही वृत्तान्त में है कि रेल दुर्घटनाओं तथा लोको रनिंग स्टाफ की हड़ताल के बारे में चर्चा होनी चाहिए। 50,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं, हर स्थान पर उन्हें पीटा जा रहा है; प्रतिदिन उनके परिवार के सदस्यों पर प्रहार किये जा रहे हैं और उन्हें उनके घरों से बाहर फेंका जा रहा है। यह सब कितनी देर तक चलता रहेगा ? इसलिए हमने सुझाव दिया था कि हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मामला है और इसे बजट के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए···

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इसके अनेक अवसर मिलेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने यह मामला परसों भी उठाया था। मैंने उस समय भी कहा था कि दुर्घटनाओं तथा लोको रनिंग स्टाफ हड़ताल के मामलों को बजट के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। यह एक ऐसा मामला है जिससे बाहर के कर्मचारियों

में रोष फैल रहा है। सरकार इसके बारे में क्या करने का प्रयत्न कर रही है। मैं संसदीय कार्य मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मन्त्री रेल बजट के अतिरिक्त समय निकाल कर इस विषय पर स्वतन्त्र रूप से चर्चा करने के लिए समय निकालें क्योंकि परसों जब यह मामला चर्चा के लिए उठाया गया था तो रेल मन्त्री उसके लिए सहमत हो गये थे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है···

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : (दुर्गापुर) : श्रीमान, मैंने नोटिस दिया है···

अध्यक्ष महोदय : संशोधन किए जा चुके हैं। प्रश्न यह है कि डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने जो संशोधन प्रस्तुत किए थे···

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आप मेरी बात की अवहेलना क्यों कर रहे हैं; मैंने नोटिस दिया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके संबंध में किसी प्रकार का निवेदन नहीं किया जा सकता। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा।···(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : इससे पूर्व कि आप मेरे संशोधनों को मतदान के लिए रखें; मैं अपनी बात को कुछ अधिक तर्कसंगत ढंग से कहने के लिए तैयार हूं; मैं अपने संशोधन पर मतदान के लिए दबाव नहीं डालूंगा यदि संसदीय कार्य मन्त्री यह कह दें कि राष्ट्रीय स्लम नीति, उपनगरीय रेल सेवाओं तथा विदेश नीति तीनों ही मामलों पर इसी सत्र के दौरान चर्चा का अवसर दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि संशोधन···

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : चूंकि आप मुझे अवसर प्रदान नहीं कर रहे हैं, अतः मैं विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हू,

इसके पश्चात श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर सभा से बाहर चले गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए सभा में रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा 17 फरवरी, 1981 को सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी कार्य मन्त्रणा समिति के 11वें प्रतिवेदन के साथ सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : गृह मंत्री का क्या हाल है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब चार बज गये हैं । अब स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : श्रीमान जी, हमारे नियम 377 के अन्तर्गत दिये गये नोटिसों का क्या होगा ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : श्रीमान जी, आप केवल 5 मिनट का समय दे दीजिये । हम उन्हें बहुत तेजी से पढ़ देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं, हम पहले यह घोषणा कर चुके हैं कि स्थगन प्रस्ताव पर 4 बजे विचार किया जायेगा ।

अब केवल श्री नाडार द्वारा दिया गया स्थगन प्रस्ताव ही चर्चा के लिए लिया जायेगा । श्री नाडार.....(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आपको नियमों का सम्मान करना चाहिए । यह घोषणा की जा चुकी है कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 4 बजे की जायेगी । आपकी बात सुनने की शक्ति मेरे पास नहीं है.. शास्त्री जी, मुझे इसका बहुत खेद है । श्री नाडार ।

स्थगन प्रस्ताव-जारी

दिल्ली में अवैध शराब पीने के कारण हुई मौतें

श्री नीलालोहिथादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अब सभा स्थगित की जाये ।"

मैं स्थगन-प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं । श्रीमान जी, 18 फरवरी, 1981 को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा था :

"दिल्ली प्रशासन द्वारा सूचना दी गई है कि ऐसी आशंका है कि जनवरी, 1981 के महीने के दौरान नकली शराब पीने के कारण 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ।

पुलिस आयुक्त ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त से जांच करने के लिए कहा है ।

इस सम्बन्ध में अभी तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है ।

इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जो कार्यवाही की गई है उसमें नकली शराब बनाने के धंधे में लगे लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बंदी बनाना सीमावर्ती राज्यों के आस-पास के पुलिस स्टेशनों में सर्तकता बढ़ाने, गश्त बढ़ाने सीमावर्ती राज्यों तथा दिल्ली में रखे गये शुष्क दिवसों में एकरूपता लाने तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली से कुख्यात शराब के धंधे में लगे लोगों को बाहर निकालने की कार्यवाही की गई है ।"

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्रीमान जी, आज प्रातः के समाचार पत्रों में निम्न शीर्षक देखने को मिला है :

"जहरीली शराब से दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले व्यक्तियों की मृत्यु । इनमें से चार की स्थिति गंभीर है ।"

समाचार में आगे कहा गया है :

"पुलिस द्वारा इस त्रासदी के सुराग को समाप्त करने का प्रयत्न ।"

इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार इस प्रकार की घटनायें जनवरी में भी हुई हैं । यह तो 8 व्यक्तियों की मृत्यु सम्बन्धी समाचार के समाचार पत्रों में छपने से बहुत पहले की बात है जबकि यह घटना तो 15 फरवरी को हुई, परन्तु इसके बावजूद भी वे केवल एक ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर पाये हैं । यह तो स्थिति है । समाचारों में कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों ने आम जनता से इस दुर्घटना को छिपाने का पूरा प्रयत्न किया इसके बारे में जब उन्हें यह पता चल गया, कि मामला समाचारपत्र वालों के पास पहुंच चुका है, तो कल उन्होंने इसकी घोषणा कर दी ।

इसलिए, अपने भाषण में और अधिक कुछ कहने से पहले मैं यह मांग करता हूं कि इस दुर्घटना को 15 फरवरी से 18 फरवरी तक सामान्य जनता से तथा इस सरकार से छिपाने के लिए जो पुलिस कर्मचारी जिम्मेदार हैं, उन्हें निलम्बित किया जाना चाहिए ।

श्रीमान जी, नकली शराब की खपत का मामला अविलम्बनीय महत्व का मामला है । यदि आप पिछले कुछ महीनों के समाचारपत्रों को देखें, तो आपको मालूम होगा कि देश भर में नकली शराब पीने से अनेक लोगों की मृत्यु हुई हैं । नकली शराब पीने से हुई मौतों के समाचार उड़ीसा, बिहार तथा देश के अन्य भागों से भी प्राप्त हुये हैं ।

यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी गत वर्ष अनेक मृत्युओं के समाचार प्राप्त हुए । हरियाणा में भी नकली शराब पीने से दो या तीन बार अनेक लोगों की मृत्यु के समाचार आये । यह मामला हरियाणा विधान सभा के समक्ष भी लाया गया । उस पर गम्भीर रूप से चर्चा भी की गई । यह आरोप भी लगाया गया कि ऊंचे-ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्ति नकली शराब बेचने वालों के साथ मिले हुये हैं और इससे व्यापारिक लाभ उठा रहे हैं । यह आरोप हरियाणा विधान-सभा में न केवल विरोधी दल द्वारा अपितु हरियाणा सरकार के वर्तमान शासन दल के कांग्रेस (आई) के सदस्यों द्वारा भी लगाया गया । यहां तक कि हरियाणा मंत्रिमण्डल के एक मन्त्री तथा कांग्रेस (आई) के एक संसद-सदस्य इस बड़े व्यापार तथा नकली शराब बेचने के धंधे से सम्बद्ध थे । हरियाणा के मुख्य मन्त्री को आखिर उनकी न्यायिक जांच करवाने की मांग के आगे झुकना पड़ा । उन्होंने जांच के आदेश बहुत पहले दे दिये थे । अभी तक जांच के परिणाम हमारे सामने नहीं आये हैं । जांच प्रतिवेदन पर भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? हमें इसके बारे में भी कुछ मालूम नहीं है । सब जगह ऐसा हो रहा है । जब यहां कोई मामला गर्मी पकड़ता है और सरकार के समक्ष आ जाता है, तो सरकार उसकी जांच के आदेश दे देती है । इसके पश्चात सरकार उस विषय पर शांत होकर बैठ जाती है । यही स्थिति की विडम्बना है ।

कुछ मित्रों ने यह तर्क दिया है कि नशावंदी की नीति के कारण ही नकली शराव की खपत होती है।

मैं उस तर्क से सहमत नहीं हूं। मैं कह सकता हूं कि कुछ मान्यताप्राप्त तथा लाइसेंस-शुदा शराव की दुकानों में भी अवैध शराव होती है। कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि इसके लिए नशावंदी जिम्मेवार है? अत: वह तर्क ठीक नहीं है। एक लिखित संविधान वाले राष्ट्र के नाते हम इस देश में नशावंदी के लिए वचनवद्ध हैं। संविधान के अनुच्छेद 47 में नीति निदेशक सिद्धान्तों का उल्लेख है और नशावंदी के वारे में उसमें यह लिखा है :

"राज्य लोगों के आहार तथा रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने तथा जन स्वास्थ्य में सुधार करना अपना वुनियादी कर्त्तव्य समझेगा और राज्य विशेषकर औषध उद्देश्य को छोड़कर सभी नशीले पेयों तथा औषधियों, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, पर नशावंदी लगाने का प्रयास करेगा।"

दुर्भाग्यवश, इस वारे में क्या हुआ है। पिछले तीन दशकों से हम उपदेश देते आ रहे हैं और संविधान के अनुसार चलते आ रहे हैं लेकिन वास्तव में हमें प्राप्त क्या हुआ है? हम संविधान के इन नीति निदेशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित करना भूल गये हैं। मैं इस तर्क से सहमत नहीं कि नशावंदी को लागू करना सम्भव नहीं है। हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा परिस्थिति की ओर ध्यान देना चाहिये। भारत में नशीले पेयों तथा औषधियों के सेवन के वारे में हमारे पास प्राचीन काल से लेकर ऐसे उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि ऐसी चीजों के उपयोग को पुराने जमाने में वुरा समझा जाता था। इसका पता हमें हिन्दू ग्रंथों तथा तत्कालीन समाज की आदतों से लगता है। उन दिनों शराव सेवन के लिए सख्त सजा दी जाती थी। उन दिनों लोगों को शराव पीने की आदत नहीं थी लेकिन यह कहा जा सकता है कि इतिहास के हिन्दू तथा मुस्लिम काल में लोग साधारणत: मदिरापान की आदत से मुक्त थे। फाईयान, वास्कोडेगामा, फोरनियर, लेवेनियर आदि अनेक विदेशी यात्रियों की पुस्तकों में इन सव वातों का उल्लेख है। उनकी पुस्तकों में इन सव वातों के स्पष्ट प्रमाण हैं। वे भारत में भारतीय इतिहास के भिन्न-भिन्न चरणों में आये। भारत में ब्रिटिश से पहले उत्पाद शुल्क की कोई भी प्रणाली नहीं थी। ब्रिटिश शासन के आने तक तत्कालीन शासन लोगों की मदिरापान आदतों से किसी भी प्रकार के लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं करता था। मेरे विचार में 1790 में पहली वार उत्पाद शुल्क कानून वने। उत्पाद शुल्क नियम ब्रिटिश भारत में वनाये गये। वड़े-वड़े प्रान्तों में उत्पाद शुल्क अधिकारियों की नियुक्ति की गयी। उत्पाद शुल्क नीति का उद्देश्य उत्पाद शुल्क अधिकारियों की उत्पाद शुल्क कानून को कार्यान्वित करने में सहायता देता था। अत: मैं कह सकता हूं कि भारत में ब्रिटिश प्रशासन ने लोगों की पीने की आदतों को कानूनी रूप दिया।

इंडियन एक्साईज कमेटी 1905–1906 ने अपने विचार इस तरह प्रकट किये हैं :

"हर प्रकार के विदेशी शराव के सेवन में वृद्धि हो गयी है ताड़ी का सेवन, यदि नियंत्रित न किया जाये, से शराव पीने की आदतें वढ़ जायेंगी कुछ क्षेत्रों में देसी वीयर के सेवन से पीने की आदतें वढ़ रही हैं और वीयर कभी-कभी वहुत हानिकारक होती है।"

हमारे सामाजिक तथा सांस्कृतिक ढांचे में पीने की आदतें ब्रिटिश प्रभाव से पैदा हुईं। लेकिन यह कहा जा सकता है कि जव कभी भी भारत में कोई सामाजिक सुधार अथवा धार्मिक

और सांस्कृतिक क्रांति आयी, उस समय शराब के सेवन को एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनाया गया। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सम्पूर्ण नशाबन्दी को लागू करने का निर्णय लिया था। इस विचार को महात्मा गांधी सामने लाये। यह एकमात्र सुधार नहीं था। यह पुनर्निर्माण का एक सामान्य कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य लोगों का उत्थान था। ब्रिटिश गांधी जी से सहमत नहीं हुये। गांधी जी ने डंडी-मार्च शुरू करते समय लोगों के बीच फैली पीने की आदतों का विशेष जिक्र किया। अत: उत्पाद शुल्क गरीबी के ऊपर एक बहुत बड़ा भार था। गांधी-इर्विन समझौते के बाद महात्मा गांधी ने सभी मांगें वापिस लेते समय शराब की दुकानों पर धरना देने के अधिकार को छोड़ने से इन्कार किया। गांधी-इर्विन पैक्ट के बाद करांची में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ जिसमें देश भर में पिछले 12 महीनों के दौरान नशाबन्दी की दिशा में हुई प्रगति के प्रति संतोष प्रकट किया गया और कांग्रेस संस्था को शराववन्दी आंदोलन को और अधिक उत्साह के साथ चलाने के लिये कहा गया।

मुझे यकीन है कि सभा के दोनों पक्षों के अधिकांश सदस्य स्वतन्त्रता संग्राम तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के करांची अधिवेशन के सामाजिक तथा आर्थिक सुधारों सम्बन्धी सुझावों से परिचित हैं। अप्रैल 1937 में प्रान्तीय स्वायत्तता के श्रीगणेश होने पर कांग्रेस ने सात राज्यों में सत्ता ग्रहण की और पुराने वचन को पूरा करते हुए नशावन्दी नीति को कुछ चुने क्षेत्रों में लागू करना शुरू किया। 1937 से 1939 तक मद्रास, केन्द्रीय प्रान्त और बरार, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर पश्चिम सीमान्त प्रदेश सहित पांच प्रान्तों ने नशावन्दी सम्बन्धी कानून पास किये। उन्होंने इन्हें कार्यान्वित भी सफलतापूर्वक किया। अब 33 वर्ष आजादी के बाद भी स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों दिये गए वचन अब भी पूरे नहीं हुए हैं। एक ओर तो नशावन्दी के कानूनी तथा प्रशासनिक उपायों द्वारा लागू किया जाना चाहिए और दूसरी ओर लोगों को इस बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं नशाबन्दी जांच समिति 1954-55 की रिपोर्ट का हवाला देना चाहता हूं। पृष्ठ 39 में समिति द्वारा नशाबन्दी उपायों के मूल्यांकन का उल्लेख है।

> "इस प्रकार के सुधार का पूरा मूल्यांकन करने के लिए पांच अथवा छः वर्ष का समय बहुत कम है। लेकिन नशाबन्दी वाले राज्यों में किए गये हमारे मूल्यांकन से पता चला है कि 4-5 वर्षों से नशावन्दी कानून लागू करने के परिणाम उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि होने चाहिए शराब का सेवन बहुत कम हो चुका है। हमें पूरा यकीन है कि नशाबन्दी नीति इस स्कीम तक सफल रही है कि अवैध शराब के सेवन की मात्रा अब नशाबन्दी से पहले के दिनों की वैध शराब सेवन की मात्रा से कम है।"

गैर नशाबन्दी वाले राज्यों के बारे उन्होंने यह कहा : —

> "हमने उन राज्यों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन भी किया है जिन्होंने अभी तक नशाबन्दी की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाये हैं, उनसे पता चलता है कि इन राज्यों में लागू उत्पाद शुल्क नीति, जिसका अर्थ पुरानी कहावत के अनुसार "न्यूनतम सेवन तथा अधिकतम आय" होता है, वास्तव में अपने उद्देश्य को पूरा करने तथा सेवन कम करने में असफल हुई है। यद्यपि असहाय लोगों से अधिकतम आय प्राप्त की जा रही

है फिर भी सेवन मात्रा कम करने के दिशा में कोई ठोस परिणाम नहीं निकले हैं। यह बात स्पष्ट है कि पास ही बार-बार सेवन करने के लिए काफी मात्रा में उपलब्ध शराब से लोग नियमित रूप से पीना शुरू कर देते हैं। हमें यह जानकर चिन्ता हुई है कि गैर नशाबन्दी वाले राज्यों मे और अधिक नशाबन्दी वाले राज्यों के नशाबन्दी वाले क्षेत्रों में पीने की आदतें धीरे-धीरे उन लोगों के बीच बढ़ती जा रही हैं जो इसके पीने के आदि नहीं हैं।''

इस प्रतिवेदन में उन्होंने कहा है कि यद्यपि नशाबन्दी वाले राज्यों में पीने की आदत कम हो गयी है और मात्रा में भी कमी हो गयी है फिर गैर नशाबन्दी वाले राज्यों में पहले जो लोग पीने के आदी नहीं थे, अब उन्होंने भी पीना शुरू कर दिया है। एक सावधानीपूर्ण अध्ययन के बाद उनका यह मूल्यांकन है। जो लोग नशाबन्दी के विरुद्ध बोलते हैं, उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

हमारी सरकार द्वारा नशाबन्दी नीति को कार्यान्वित न करने अथवा कुछ राज्यों से नशाबन्दी समाप्त करने से ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिनमें हम उन लोगों का आदर करते हैं जो शराब पीते हैं। हम आपस में इस बात को सोचें कि कितने संसद सदस्य शराब पीने के आदी नहीं हैं, केन्द्र तथा राज्यों के कितने कैबिनेट मन्त्री पीने के आदी नहीं हैं और कितने उच्चाधिकारी पीने के आदी नहीं हैं। सरकार को पार्टियों में शराब का सेवन किया जाता है।

श्री के० मायातेवर (डिंडिगल) : मैं इसका विरोध करता हूं। हममें से बहुत तो इसे छूते भी नहीं हैं। इसे सब पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। हमारे अध्यक्ष महोदय इसे छूते तक नहीं हैं।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : लेकिन कितने ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाडार महात्यागी हैं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची): मैं इस बात पर कैसे विश्वास कर सकता हूं कि एक नाडार महात्यागी हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : वास्तव में किसान रैली के कारण ही यह दुर्घटना हुई है। इस बीच तीन दिन शुष्क दिवस घोषित किये गए। उन्होंने घटिया किस्म की शराब खरीदी इसीलिए सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किसान रैली से बहुत डरे हुए हैं। आप हर बार इसका जिक्र करते आ रहे हैं।

श्री नीलालोहियादसन नाडार: ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि समाज बिरोधी तत्व* इस अवैध शराब को अपने साथ पकड़ कर लाये थे और इसे राजधानी भर में वितरित किया; और मौतों का मुख्य कारण यही है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते ।

श्री नीलालोहिथादसन नाडार : यह एक आरोप है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है ।

नहीं, यह सच नहीं है । इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाडार, आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : मैं जांच की मांग करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा कह सकते हैं ।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : और उसी प्रश्न पर एक जांच भी होनी चाहिए । अत: मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह सरकार द्वारा मंत्रालय या सरकारी स्तर पर दी जाने वाली पार्टियों में शराब तथा अन्य नशीले पेय पीने पर पाबंदी लगाने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण कदम उठायें । मैं यह मांग भी करता हूं कि सम्पूर्ण भारत में नशाबंदी लागू की जानी चाहिए । मैं यह जानता हूं कि इसके परिणामस्वरूप कुछ लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा परन्तु जो लोग भारत में पूर्ण नशाबन्दी लागू करने के कारण बेकार होंगे, उनके लिये अन्य स्थानों पर रोजगार की व्यवस्था की जाये । अत: मैं भारत भर में नशाबंदी की नीति को लागू करने का अनुरोध करता हूं ।

दिल्ली पुलिस प्रशासन के विरुद्ध भी एक गम्भीर आरोप यह है कि अवैध शराब के बनाने, बेचने तथा सेवन करने का यह सारा काम दिल्ली पुलिश के नाक के नीचे उनको पता होते हुये हो रहा है और वे इस दिशा में कुछ भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । अत: दिल्ली पुलिस के कर्मचारी, गृह मंत्रालय के आशीर्वाद से, इन सब घटनाओं के लिए जिम्मेवार हैं जिसके फलस्वरूप पिछले 30 दिनों के अन्दर कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी । अत: मैं गृह मंत्री के त्यागपत्र की मांग करता हूं । मैं दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के निलम्बित करने तथा पूरी जांच करने की मांग करता हूं । (व्यवधान) धन्यवाद ।

श्री एडुआर्डो फलीरो (मारमागाओ) : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि मैं अनुभव करता हूं कि मेरे मित्र श्री नाडार ने इस पूरी घटना का सरसरी तौर पर मूल्यांकन किया है, मैं 8 व्यक्तियों की मृत्यु की इस गम्भीर दुर्घटना पर गहरी चिन्ता व्यक्त करने में उनसे सहमत हूं । यह त्रासदी इस कारण और भी दुखद है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है । जैसा कि हम सभी जानते हैं इस प्रकार की मौतों की खबरें नियमित रूप से समाचार-पत्रों में छपती रहती हैं । दिल्ली में ही, हाल के महीनों में, हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण आए हैं । ऐसी घटनाएं कोई हाल के महीनों में नही घटी हैं । ये तो तभी से चली आ रही हैं, जब से मेरे विचार से इस राज्यक्षेत्र में नशाबन्दी लागू की गई थी और सम्भवत: इससे भी पहले ।

एक माननीय सदस्य : यदि आप जिवराज मेहता समिति के प्रतिवेदन को पढ़ें तो आप पायेंगे कि इससे पूर्व भी मौतें हुई हैं ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : उससे भी पहले। ऐसी घटनाएं तो बहुत समय से घट रही हैं। ऐसा केवल दिल्ली में ही नहीं हुआ है। मेरे विचार से मेरे मित्र देश के अन्य भागों में, विशेषकर गुजरात और तमिलनाडु में अवैध शराब पीकर हुई मौतों का भी उल्लेख कर रहे हैं।

अब देखिए, वास्तव में गोआ मेरा चुनाव-क्षेत्र है, एक ऐसा स्थान है जहां का मैं रहने वाला हूं और जैसा कि कुछ समय पहले मैंने पढ़ा है यह वास्तव में ही एक ऐसा स्थान है जहां पर चाय की दुकानों से अधिक शराब की दुकानें और मधुशालाएं हैं और फिर भी अपने जीवन में मैंने कभी किसी गोआवासी, आदमी के, पुरुष या स्त्री के, अवैध शराब पीकर मरने की बात नहीं सुनी।

किसी भी सरकार को इस घटना के लिए दोषी ठहराना कहीं सबसे आसान काम है, फिर चाहे यह सरकार हो या और कोई सरकार। निश्चित रूप से इस विषय पर किसी व्यक्ति से त्यागपत्र की मांग करना उचित तथा तर्कसंगत नहीं होगा क्योंकि ऐसी घटनाएं तो हर सरकार के समय में घटती रही हैं। मेरा आपसे और सम्माननीय सदन से निवेदन है कि यह एक ऐसा मामला है जो दलीय सीमा से बाहर है क्योंकि हम सभी को संविधान के अनुसार चलना है और यही कांग्रेस की नीति भी रही है जिसके सभी कभी न कभी सदस्य रहे हैं या उसके प्रति निष्ठावान रहे हैं, कि इस देश में नशाबन्दी लागू होनी चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में न केवल यह बहुत स्पष्ट अक्षरों में लिखा गया है, अपितु और बहुत से नीति निर्देशक सिद्धान्त भी हैं।

मेरे मित्र श्री नाडार ने संविधान का उल्लेख किया है। मैंने संविधान को पढ़ा है जिसमें अनुच्छेद 39 में कहा गया है "(क) कि चाहे स्त्री हो या पुरुष सभी नागरिकों का जीविका के समुचित साधन अपनाने का समान अधिकार है; (ख) स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिये; (ग) बच्चों को स्वस्थ ढंग से और स्वाधीनता एवं गरिमापूर्ण स्थितियों में विकास के अवसर और सुविधाएं दी जानी चाहिए और बच्चों तथा युवकों को शोषण और नैतिक एवं भौतिक अपसर्जन के विरुद्ध संरक्षण मिलना चाहिए।" समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का भी प्रावधान है, काम करने, शिक्षा और कुछ मामलों में सरकारी सहायता का भी प्रावधान है। नागरिकों की सुरक्षा तथा बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का भी प्रावधान है। कई अन्य नीति निदेशक सिद्धान्त भी हैं जो मेरे विचार से नशाबन्दी के नीति निर्देशक सिद्धान्तों से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। फिर भी हम इन सिद्धान्तों की बात नहीं करते, ये और अन्य नीति निर्देशक सिद्धान्त हैं। चाहे यह सरकार हो या वह सरकार हो अथवा अन्य कोई राज्य, हमने इन नीति निर्देशक सिद्धान्तों को लागू करने के लिए कोई अधिक काम नहीं किया यथा काम करने का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार, आदि और फिर इसके बावजूद भी हम इसे पूज्य वस्तु मानते हैं।

हमारे कुछ आदर्श हैं और होने भी चाहिएं। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या आदर्शों के पालन में आप भलाई से बढ़कर बुराई नहीं कर रहे हैं। मैं यहां पर पुस्तकालय में इस विषय पर सामग्री का अध्ययन कर रहा था और मेरे मित्र श्री गोयल भी, जो आज बोल भी रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे थे। हमें नशाबन्दी के समर्थन में कोई भी प्रेस कतरन या अन्य बात नहीं मिली। ऐसा लगता है कि इस देश के जनमत ने इसे तोल लिया है, लगता है समझदार जनमत ने नशाबन्दी की

अच्छाई को नशाबन्दी की बुराई के विरुद्ध तोल कर देख लिया है और इस निर्णय पर पहुंचा है कि नशाबन्दी नीति को छोड़ दिया जाना चाहिए मुझे याद है कि मैंने एक व्यक्ति से बात की थी जो पिछली लोक सभा के एक सदस्य थे तथा बम्बई और महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री भी थे । आज दुर्भाग्य से वह हमारे बीच नहीं हैं । मुझे याद है कि उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार नशाबंदी के समर्थन में एक दल उनके पास आया था जिनमें से दो ने नशाबन्दी पर डटकर तर्क किए थे और उन्हें उनकी संकल्पना, विचारधारा बहुत अच्छी लगी थी जिसे राज्यों में लागू कर दिया गया था । भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई के कारण जो कि उस समय महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री थे, महाराष्ट्र राज्य पहला राज्य था जिसने नशाबन्दी लागू की थी और उन मुख्यमंत्री महोदय का कहना था कि कुछ समय बाद, उस बैठक के पश्चात् जांच-पड़ताल करके पुलिस ने उन्हें बताया कि नशाबन्दी के ये दोनों सर्वाधिक जोरदार और सशक्त समर्थक बम्बई में अवैध शराब के सबसे बड़े विक्रेता थे !

यदि यह नशाबन्दी का उल्लंघन करता है और हमारे लोगों के स्वास्थ्य को खराब करता है, विशेषकर गरीब लोगों के स्वास्थ्य को, तो यह केवल धोखेबाजों और शराब का अवैध धन्धा करने वाले संगठित अपराधियों को बड़े-बड़े अपराध करने को उकसाता है । यह जानना भी महत्वपूर्ण बात है कि बहुत से गरीब आदमी जो कि शिक्षा सुविधाओं की कमी के कारण और कोई नौकरी नहीं पकड़ सकते, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस शराब के धन्धे में फसे हैं । मेरे राज्यक्षेत्र के नाम का उल्लेख किया गया है और मेरे विचार से मेरे राज्यक्षेत्र की 10 लाख की जनसंख्या में से कम से कम 50,000 लोग ऐसे हैं जो या तो ताड़ी निकालते हैं या ताड़ी की छोटी दुकान चलाते हैं या फिर शराब उद्योग से सम्बद्ध कोई अन्य कार्य करता है । यदि आप उस राज्यक्षेत्र में नशाबन्दी लागू करते हैं तो आप सिद्धान्त के नाम पर इन गरीब आदमियों को मार रहे हैं । आप नैतिकता के नाम पर पाप कर रहे हैं । वास्तव में होता यही है । नशाबन्दी के बारे में कुछ समय पहले इस सभा में एक प्रश्न आया था । निस्सन्देह उत्तर देने वाले शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री ही थे । एक सदस्य ने प्रधान मन्त्री महोदया का ध्यान इस ओर दिलाया था और उन्होंने यह कहा था : "इस मामले में समस्त दर्शन का आधार यह होना चाहिये कि यदि अमीर लोग पीना चाहते हैं तो उन्हें मरते दम तक पीने दो । उनकी हमें चिन्ता नहीं करनी चाहिये, परन्तु गरीबों को तो बख्शो, चूंकि यदि पीने से मृत्यु होती है तो उसे तो हर हालत में रोका जाना चाहिये ।" यह विचार तो अच्छा लगता है कि सरकारी लक्ष्य के रूप में नशाबन्दी अच्छी बात है । इसके साथ ही साथ हमें संयम से भी काम लेना चाहिये । अमीरों को तो अपने होटलों, अपनी मधुशालाओं में पीने दो और मरते दम तक पीने दो । निजी मधुशालाओं पर भारी उत्पाद-शुल्क और भारी कराधान होना चाहिए । 12-सूत्री कार्यक्रम अच्छा था और मैं यहां बता देना चाहता हूं कि हमें इस 12-सूत्री कार्यक्रम की आधुनिक संकल्पना का पालन करना चाहिए । भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने अपने 12-सूत्री कार्यक्रम में बताया था कि 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शराब न पिलाई जाए । सिगरेट की डिब्बी की तरह शराब के डब्बे पर भी, बोतल पर भी एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी लिख देनी चाहिए कि "यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" और लोगों के स्वास्थ्य के बचाव के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहियें और यदि इन विनियमों का अतिक्रमण किया जाता है तो नियमित अतिक्रमणकर्त्ताओं के लाइसेन्स

रद्द कर दिए जाएं और इसे उसे फिर से न दिया जाए। जहां तक गरीब लोगों का प्रश्न है यह बड़ी ही अच्छी बात होगी यदि आप उन्हें पीने से रोक सकें। नाडार जी ने ठीक ही कहा है कि धर्मग्रन्थों के अनुसार और विशेषकर हिन्दू एवं मुस्लिम धर्मग्रन्थों के अनुसार मद्यपान को हेय दृष्टि से देखा गया है और धार्मिक सिद्धान्तों में भी वास्तव में इसकी निन्दा की गई है। अत: नशाबन्दी की नीति के बारे में वास्तव में ही कोई सन्देह नहीं है कि हमें संयम से काम लेना चाहिये। मेरे विचार से जैसा कि नाडार जी ने कहा है यह कहना गलत है कि हमारे देश में बड़ी संख्या में गरीब लोग शराब नहीं पियेंगे। मेरा निवेदन यह है कि ऐसा कानून बनना चाहिये कि सरकार को पर्याप्त मात्रा में सस्ती दरों पर ऐसी शराब उपलब्ध करानी चाहिये जिसमें अल्कोहल की मात्रा कम हो। यह उचित और सस्ती दरों पर उपलब्ध करायी जानी चाहिये जिससे कि यह उनके परिवारों और उनकी आय पर दुष्प्रभाव न डाले। यद्यपि मैं स्वयं शराब नहीं खरीदता लेकिन बम्बई में यह बहुत महंगी है। इस अवस्था पर श्री नाडार मन्त्री-मण्डल के मन्त्रियों के नाम का उल्लेख कर सकते हैं। नशाबन्दी के सबसे बड़े समर्थक हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री मोरार जी देसाई हैं और वह सब कुछ पता करना बड़ा ही उत्सुकतापूर्ण लगता है जो कुछ उनके उत्साही और सर्वाधिक प्रतिभाशाली अनुयायी डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी जो कि जनता पार्टी के महासचिव भी हैं इस बारे में कहते हैं। वे अभी हाल ही में मेरे नगर पंजिम गये थे और उन्होंने यह कहा था : "श्री मोरार जी देसाई और उनकी सरकार में जिसने पूर्ण नशाबन्दी का संकल्प पास किया था 26 मन्त्रियों में से सात मद्यत्यागी थे।" यह बात जनता पार्टी के महा-सचिव डा० स्वामी ने कही थी। उन्होंने और आगे कहा, "वास्तव में नशाबन्दी के संकल्प का उत्सव मन्त्रीमण्डल के मन्त्रियों में तत्कालीन इस्पात और खान मन्त्री श्री बीजू पटनायक के यहां शराब पार्टी में मनाया था।" और इस बात का आरोप डा० स्वामी ने गत संध्या यहां नागरिकों से बातचीत करते हुए लगाया "यदि देसाई महोदय अपने मन्त्रीमण्डल में नशाबन्दी लागू नहीं कर सके तो ऐसा वे सम्पूर्ण देश में कैसे कर सकते हैं।" डा० स्वामी ने यही बात पूछी थी। डा० स्वामी ने उनके इतना निकट होते हुए आदरणीय भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री मोरार जी देसाई से कहा कि उनकी नशाबन्दी की नीति असफल रही है। अत: मेरा यह कहना है कि कुछ संयम से काम लिया जाना चाहिये।

महोदय, अब इस पर मैं और समय नहीं लूंगा। इस घटना को गम्भीर रूप से लिया जाना चाहिये।

इस विषय को सदन के समक्ष उठाने के लिए मैं श्री नाडार को भी धन्यवाद देता हूं। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस घटना को आधार बनाकर शुरूआत की जाए और दिल्ली के समस्त अवैध शराब के धन्धे की गम्भीरता से जांच करायी जानी चाहिये। उन्हें इसके सामाजिक और नैतिक प्रभावों, इसके विस्तार और इससे जो हानि हुई है उस सबका पता लगाना चाहिए और भूतपूर्व कांग्रेस सरकार के 0-सूत्री कार्यक्रम को लागू करने पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में मैं सोच रहा था कि इस वाद-विवाद में सरकारी गतिविधियों पर विचार होगा और विशेष रूप से इस वर्ष की गतिविधियों की एक प्रकार से समीक्षा होगी।

जहां तक मद्यनिषेध का सम्बन्ध है, यह विश्व में कहीं भी सफल नहीं हुआ। न तो यह उस सीमित मात्रा तक भी भारत में सफल हुआ जिस तक पिछली राज्य सरकारों ने इसे लागू करने की कोशिश की थी और न ही यह भविष्य में सफल होगा। यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो शायद गुजरात ने मद्यनिषेध को सबसे अधिक समय तक लागू रखने का काम किया है। गुजरात में भी ऐसे सैंकड़ों लोग मरते हैं जो अवैध शराब पीते हैं। पिछले तीन या चार वर्षों में केवल एक वर्ष में ही गुजरात में लगभग 200 व्यक्ति नकली देशी शराब के पीने से मर गये थे।

अमरीका ने इसी शताब्दी के तीसरे दशाब्द में मद्य निषेध को लागू करने का प्रयास किया था। उसके परिणामस्वरूप मैक्सिको नकली देशी शराब का सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया था। अमरीका में मद्य निषेध लागू हो जाने के बाद नियमित रूप से करोड़ों डालर वालों का गिरोह पैदा हो गया था। इसने अमेरिका के नैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन को भयंकर रूप से अस्त-व्यस्त कर दिया था। यहां तक कि जब 1932 में रूजवेल्ट प्रेटीडेंट बने तो उन्होंने सबसे पहला काम मद्य निषेध को समाप्त करने का किया था।

मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि विश्व में कहीं भी शराब पीने को अपराध नहीं माना गया है। बल्कि पियक्कड़ों को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है तथा उन्हें पापी माना जाता है। इसलिए हम मद्य निषेध के पक्ष के नहीं हैं क्योंकि यह किसी समस्या का समाधान करने की अपेक्षा अधिक समस्याएं उत्पन्न करेगा। मैं कुछ हद तक श्री हरिकेश बहादुर की बात से सहमत हूं कि शायद यह दुखद घटना जो रविवार को हुई है, चार या पांच दिन के मद्य निषेध के कारण हुई थी। शायद सरकार किसान रैली के कारण कुछ एहतियाती कदम उठाना चाहती थी और मुझे बताया गया है कि चार या पांच दिन तक शराब की बिक्री नहीं की गई थी। परन्तु ऐसी घटनाएं क्यों हों ? प्रति वर्ष न केवल दिल्ली में बल्कि प्राय: सभी राज्यों में ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं। जहां तक दिल्ली में हुई इस विशेष घटना का सम्बन्ध है यह तो एक दम खेदजनक है क्योंकि यह केन्द्रीय सरकार की बिल्कुल नाक के नीचे हुई है।

मौतें रविवार की रात को हुई थीं और आज बृहस्पतिवार है। केवल बृहस्पतिवार को सुबह के समाचार-पत्रों के माध्यम से ही लोगों को मालूम हुआ कि रविवार की रात को 8 व्यक्तियों की जीवन लीला समाप्त हो गई है क्योंकि उन्होंने नकली देशी शराब पी थी··· (व्यवधान)। हूच एक देशी शराब है जिसे अवैध रूप से बनाया तथा वितरित किया जाता है। 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार जब सोमवार की सुबह पुलिस को इसके बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने झुग्गियों तथा झोपड़ियों में रहने वाले सभी व्यक्तियों को उस क्षेत्र को खाली करने के लिए कहा और इस सारी घटना को दबा देने की कोशिश की गई; वे सारी घटना पर पर्दा डालना चाहते थे। परन्तु किसी न किसी प्रकार से प्रैस को उसके बारे में कुछ जानकारी, कुछ संकेत मिल गये कि क्या हो रहा है। जब प्रैस इसको समाचार पत्रों में प्रकाशित करने वाले थे तो स्वयं पुलिस ने इसे प्रैस में दिया और इस तरह से हमें इसकी जानकारी मिल पाई।

आज अवैध शराब को बनाने तथा वितरण करने में एक गिरोह लगा हुआ है और यह दिल्ली में प्रशासन के ठीक नाक के नीचे हो रहा है जहां केन्द्रीय सरकार बैठी हुई है बिल्कुल

चुपचाप हालांकि इसके पास विधि और व्यवस्था कायम रखने की सभी शक्तियां विद्यमान हैं। इस सत्ता की कुर्सी से केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को प्रमाण-पत्र देती रहती है कि किस राज्य में विधि और व्यवस्था की स्थिति ठीक है और किस राज्य में ठीक नहीं है । ठीक उनकी नाक के नीचे शराब बनाने वाले गिरोहबाज, तस्कर तथा अपराधी लोग पनप रहे हैं तथा संगठित होते जा रहे हैं । जब किसी घटना के माध्यम से कोई मामला सामने आता है तो पुलिस इस पर पर्दा डाल देती है । तब सावधान प्रैस के कारण यह मामला प्रकाश में आता है और इसीलिए हमें यहां पर इस पर वाद-विवाद करने का अवसर मिला है ।

निस्सन्देह मैं सरकार से त्याग-पत्र देने के लिये नहीं कहने जा रहा हूं । आखिरकार हम भी पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा में सरकार चला रहे हैं । यह घटना किसी भी राज्य में घट सकती है । प्रश्न यह है कि देशी शराब के कारण मृत्यु की दुखद घटना का खण्डन नहीं हुआ है । श्री के० पी० सिंह देव द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था जिसका हमें उत्तर मिला । उत्तर देते समय दिल्ली में जो घटना घटी उसके बारे में मन्त्री ने एक शब्द भी नहीं कहा । इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाये ? क्या गृह मन्त्री महोदय को इन मौतों के बारे में मालूम नहीं था जब वे परसों इस सभा में प्रश्न का उत्तर दे रहे थे । जब देशी नकली शराब तथा नकली शराब के पीने के कारण हुई मौतों के बारे में श्री के० पी० सिंह देव द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर वह दे रहे थे तो उन्होंने मौतों का उल्लेख क्यों नहीं किया जो रविवार की रात्रि को हुई थीं ?

दूसरे, पुलिस सारी घटना को क्यों छिपाना चाहती थी ? इसमें पुलिस की क्या रुचि है ? दिल्ली में प्रत्येक समाचारपत्र ने इसकी निन्दा की है । आप नहीं कह सकते कि टाइम्स आफ इण्डिया श्रीमती इन्दिरा गांधी अथवा कांग्रेस (आई) सरकार के विरुद्ध है । फिर भी, टाइम्स आफ इन्डिया ने कहा है कि दिल्ली पुलिस इसे दबाना चाहती थी । इसका क्या कारण है ?

तीसरे, एक महीना पहले देशी नकली शराब की वैसी ही घटना होने के कारण दस आदमी मर गए थे । अब 30 दिनों के बाद पुनः यह घटना घट रही है । समाचार-पत्रों के अनुसार 30 दिन पहले अवैध शराब पीकर 10 आदमी मर गये थे और उसके बाद सरकार ने एक जांच समिति नियुक्त की थी । जांच समिति ने क्या कहा है ? क्या आपने जांच समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन किया है और कोई सुधारात्मक उपाय किये हैं ? यदि ऐसा हो, तो 30 दिन पहले दिल्ली में हुई उस त्रासदी के बाद उन्होंने क्या उपाय किये हैं ?

चौथे, यह सच है कि दिल्ली पुलिस सारी बात पर पर्दा डालना चाहती थी । उन्होंने ऐसा क्यों किया ? यह खुला राज है कि वे सभी महानगरों में नकली शराब बनाने वाले के साथ मिले हुए हैं । आखिरकार मैं भी कलकत्ता महानगर से निर्वाचित होकर आता हूं । शराब बनाने वालों तथा पुलिस के बीच संबंध है । जैसा कि इस शताब्दी की तीसरी दशाब्दी के दौरान अमरीका में हुआ, आज हमारे सभी महानगरों में देशी नकली शराब का यह अवैध धंधा करोड़ों रुपयों का व्यापार बन चुका है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मैत्रा, शराब बनाने वाले भगवान के बराबर हैं क्योंकि वे लोगों का जीवन समाप्त करते हैं ।

श्री सुनील मैत्रा : वे केवल शराब देकर ही ऐसा नहीं करते हैं बल्कि पेट में खंजर घुसेड़कर भी करते हैं। इस लाखों करोड़ों रुपयों के व्यापार में पुलिस का भी हाथ है क्योंकि ऐसा व्यापार बड़े पैमाने पर पुलिस के संरक्षण के बिना नहीं चल सकता है। प्रत्येक देश में जैसा हुआ है वैसा इस देश में भी हो रहा है । पुलिस को धन दिया जाता है। इस दिल्ली महानगर में देशी नकली शराब के इस गन्दे धंधे में यहां की पुलिस कितना धन लेती है ? दिल्ली पुलिस को दी जाने वाली राशि कितनी है ? शराब बनाने और बेचने वाले पुलिस के संरक्षण में हैं। इसलिए मैं इस बात का पता लगाने के लिए कि पुलिस किस हद तक इसमें अन्तर्ग्रस्त है, पूर्ण जांच करने के लिए सरकार से अनुरोध करूंगा । निस्सन्देह पुलिस इसमें अन्तर्ग्रस्त है क्योंकि पुलिस के वरद हस्त तथा संरक्षण के बिना ऐसा धंधा पनप नहीं सकता है। इसलिए पुलिस किस हद तक इसमें अन्तर्गस्त है इस बात का पता लगाइये और इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेवार हैं। जहां तक मौतों का सम्बन्ध है मेरा गृह मन्त्री से यह अनुरोध है। मुखियाओं को अवश्य भूमिका अदा करनी चाहिए। अपराधी व्यक्तियों को दंड से बचने नहीं देना चाहिए। अपराधी लोग कौन हैं ? मुखियाओं को यहां अवश्य अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इसलिए, मैं एक अनुरोध करता हूं । मैं कार्यपालिका द्वारा जांच किए जाने को पसंद नहीं करता हूं बल्कि मैं न्यायिक जांच की मांग करता हूं और जांच समिति का प्रमुख उच्च न्यायालय का प्रमुख होना चाहिए। इस बीच यदि आप वास्तव में ही भारत की राजधानी दिल्ली में अपनी नाक के नीचे ऐसी दुखद घटना होने के कारण चिन्तित हैं तो कम से कम आप पुलिस अधिकारियों को सेवा से निलम्बित कर सकते थे। यह 'आवश्यक' है कि उस क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार में ये मौतें हुई हैं, निलम्बित कर देना चाहिए । इसलिए मेरे सुझावों पर विचार करने के लिए सरकार को बहुत गम्भीर होना चाहिए और तुरन्त कुछ ठोस कदम उठाने चाहिएं। कम से कम समाज विरोधी तत्वों के साथ कड़ाई के साथ निपटने की आवश्यकता है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता बापू ने कहा था कि अगर मुझे एक घंटे के लिए राज मिल जाएगा तो मैं हिन्दुस्तान में जितनी शराब की दुकानें हैं उन सबको बंद करवा दूंगा। संविधान के पंडितों ने आर्टिकल 47 में यह लिखा था कि—

> "राज्य अपने लोगों के आहारपुष्टि-तल और जीवन-स्तर को ऊंचा करने तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों में से मानेगा तथा विशेषतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिशोध करने का प्रयास करेगा।"

यह 1950 में संविधान बन गया था और इस संविधान के बनने के 25-30 सालों के बाद भी आज यह बहस हो रही है कि इतने हिन्दुस्तान के गरीब आदमी इसके पीने से मौत से मर गये।

यह एक घटना नहीं है। (व्यवधान) आप कांग्रेस की नीतियों पर कुछ विश्वास कीजिये। अगर आपका यह कहने का इरादा है तो इसे खुले में कहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बात को आप गम्भीरता से लीजिए। इधर बैठने वाले हों या उधर बैठने वाले हों मैं सभी से

कहता हूं कि या तो इस संविधान को पलटो, इस संविधान की धारा 47 को हटा दो या इस पर अमल करो।

तीस सालों के बाद भी आज शराब की आदत बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से देश में जहरीली शराब बिक रही है। आज आपके तमिलनाडु में क्या हो रहा है? मैं किसी गवर्नमेंट पर आक्षेप नहीं करता लेकिन कहता हूं कि मनुष्य शराब को पीता है और शराब मनुष्य को पी जाती है। इसके बहुत से उदाहरण बन चुके हैं।

आज हिन्दुस्तान में गरीबी क्यों है? इसकी वजह से है। हिन्दुस्तान में कुछ लोग तो ऐशोइशरत में जिन्दगी बिताते हैं, और बहुत से लोगों को दोनों वक्त का खाना नहीं मिलता, झोंपड़ी नहीं मिलती, अच्छी एजूकेशन नहीं मिलती। गांवों में पढ़कर लड़का केवल चपड़ासी या क्लर्क बनता है और पब्लिक स्कूल में पढने वाला क्लेक्टर बन सकता है। इसका कारण है विषमता। आपकी नीति है जिसके कारण गरीब पैदा होता है, अमीर पैदा होता। अमीर रात को महलों में बैठकर शराब पीता है और आराम से पीता है। बाहर आ करके वह शैतानी करता है। इससे यह परिस्थिति पैदा होती है।

आज इसकी आदत बढ़ चुकी है। चोरी की आदत बढ़ चुकी है। यह क्यों बढ़ चुकी है? क्योंकि पुलिस इससे इनकम करती है। कहा जाता है कि यह गृह उद्योग है। "इट इज काल्ड ए होम इन्डीस्ट्री।" आज पुलिस इस इन्डीस्ट्री से कमाती है। पुलिस की कमाई का एक साधन बन गया है। यह कैसा समाजवाद है? क्या आप चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं होती रहें? क्या गरीब आदमी इसके पीने से इसी तरह मरते रहें? इस जहरीली शराब के पीने से गरीब आदमियों के कितने मां-बाप, कितने बच्चे इस संसार से उठ गए। आज उनको कोई देखने वाला नहीं है। आज हिन्दुस्तान में प्रोहिबिशन न होने के कारण उनके पास रहने के लिए अच्छे मकान नहीं हैं, उनकी कोई तरक्की नहीं होती है। उनकी डिस्पेरिटीज इसके कारण कम नहीं हुई हैं। गांवों में उनके पास ऐसे दूसरे साधन नहीं हैं जिससे कि वे मनोरंजन कर सकें। आखिर आप क्या चाहते हैं? क्या आप गांवों में छोटे-छोटे सीनेमाघर नहीं बनवा सकते? कहा जाता है कि यह तो आदत पड़ गयी है, जुए की आदत पड़ गयी है। मटका चलता है। शराब से आमदनी चलती है। लोगों की तन्दुरुस्ती बिगड़ गयी है। किसी को परवाह नहीं है। हजारों के घर बर्बाद हो गए हैं। अमीर तो सारे दिन खाता है। ही इज रिचर्स आफ लिकर। वे तो इसे ऐशो-आराम की चीज समझते हैं। आप प्रचार करते हैं। इसके लिए सरकारी धनराशि खर्च करते हैं सरकार लाखों रुपया प्रचार पर खर्चा करवाती है। एक तरफ शराब की दूकानें खुलवाती है, दूसरी जगह शराब बन्द करवाने के लिए प्रचार करवाती है। ये दो तरह की नीतियां कैसी हैं। एक तरफ शराब बन्द करने के लिए सरकार लाखों रुपया खर्च करती है, संस्थाओं को पैसा देती है कि वे देहातों में जाकर लोगों को समझाएं कि शराब पीना बुरा है और दूसरी तरफ शराब की दूकानों के लाय-सेंस देती है कि तुम शराब दे सकते हो। फर्माइये कि यह किस तरह की नीति है। दोनों तरह की बातें आप चलाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप शराब की दुकानों को खोलने की दलील देते हैं। आप शराब के विरुद्ध भी प्रचार करते हैं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं तो इसके हमेशा से विरोध में रहा हूं। अगर सरकार मजबूती से चाहती है तो इसके लिए कानून बना सकती है। कमालपाशा ने टर्की में जब पर्दा प्रथा हटानी थी तो हटा दी। अगर सरकार का इरादा मजबूत है कि नहीं हम शराब बन्द करना चाहते हैं तो शराब बन्द हो जाएगी और लाखों परिवार बर्बाद होने से बच जायेंगे। शराब भ्रष्टाचार की जड़ है और शराब बन्द करने से भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। शराब पीने से ड्राइवर गाड़ी कैसे चलाते हैं, कितनी औरतों के सिंदूर मिट जाते हैं। शराब पीने के बाद आदमी घर जाकर बाल-बच्चों पर किस-किस तरह के अत्याचार करते हैं। इस बात को आपने कभी सोचा है ? विद्वानों ने इस बात को सोचा था। "न पीना हराम है न पिलाना हराम है" इस तरह के शेर सुनाना इनके दिमाग के दीवालिएपन को बताता है। कभी गालिब का शेर सुनाते हैं यह सब इनके दिमाग का दीवालियापन है। सारे धर्म ग्रन्थों में क्या गलत लिखा हुआ है। सारे धर्म ग्रन्थों को क्या फैंक दें ? सोमरस की बात एक सज्जन कह रहे थे, मैं इनकी बातों को समझ रहा हूं। अगर सरकार शराब के लिए कानून नहीं बनाना चाहती तो संविधान का आर्टिकल 47 स्क्रैप कर दीजिए, हटा दीजिए।

इस शराब से कितने नुकसान हुए हैं। 16 तारीख को जहरीली शराब पीने से जो मर गए हैं उनके बच्चों की क्या हालत है। होम मिनिस्टर साहब ने इन्क्वारी करवा दी, कहते हैं कि वहां पर खाना जो दिया गया वह भी खराब था, मांस भी खराब था। एडल्ट्रेसन कैसे होता है ? सारे इंस्पेक्टर दूकानदारों से मिले हुए हैं, पैसा लेते हैं। केरल में परमिट देते हैं, तमिलनाडु में आकर विकता है। स्कैंडल मौजूद हैं, अखबारों में रोज छपता है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जांच करायेंगे। कौन जाने जांच होगी या नहीं होगी। कौन जानता है कि तमिलनाडु में शराब बनती है, कैसे जाती है, शराब बिकती है और क्यों बिकती है। 32-33 करोड़ का घोटाला है, लोग लिख-लिखकर थक गए हैं। यह भ्रष्टाचार कोई नहीं मिटा सकता। यह कैंसर का रोग है। जब कोई प्रशासन स्वच्छ और स्वस्थ नहीं होगा तो आने वाले दिनों में उसका टिकना मुश्किल होगा।

यहां तक भ्रष्टाचार फैल गया है कि पुलिस वाले मटके चलाते हैं। बम्बई में मटके का बाजार चल रहा है। उसको चलाने वाले भी हम ही हैं। यह विषय भले ही कुछ लोगों की नजरों में छोटा हो, महत्वहीन हो लेकिन है यह बहुत गंभीर विषय। जो अपने आपको प्रगतिशील लोग समझते हैं, जो समझते हैं कि वे मोस्ट प्राग्रैशिव एलीमैंट्स हैं, वे बड़ी सोसाइटीज में बैठते हैं और बैठकर शराब पीते हैं। मैं कहूंगा कि शराबबन्दी का जो आर्टिकल है उसको आपको सख्ती के साथ लागू करना चाहिए जहरीली शराब जो बिकती है वह पुलिस वालों की कनवेंस से ही बिकती है। कभी कभी यह चीज अखबारों में आ जाती है। मैं समझता हूं कि सारा सिस्टम आपको चेंज करना होगा। गरीबों के स्तर को आपको ऊंचा उठाना होगा। जब तक यह सब कुछ नहीं होता है तब तक यह चीज रुकने वाली नहीं है।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर-मध्य) : मुझे दुख है कि इतने लोग दिल्ली में जहरीली शराब पीने की वजह से गुजर गए हैं। प्रोहिबिशन की बात यहां कही गयी है। हमारे

देश में कुछ लोग हो सकते हैं जो प्रोहिबिशन के खिलाफ बोले । लेकिन जो महिलाएं हैं जिनके पति शराब पीकर आते हैं और उनके साथ मार पीट करते हैं, उनको भूखा रखते हैं वे कभी नहीं कहेंगीं कि प्रोहिबिशन नहीं होनी चाहिए । मेरे जो विचार हैं इसके बारे में उनको मैं बाद में आपके सामने रखूंगा ।

दिल्ली की घटना के बारे में दो तीन बातें सामने आती हैं । इसमें महिलाएं भी मरी हैं। टाइम्स आफ इंडिया में जो कुछ छपा है उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं । यह आप नहीं कह सकते हैं कि यह अखबार विरोधी दल का है। इसके अलग-अलग कालम आप देखें तो आपको पता चलेगा कि प्राईम मिनिस्टर और कांग्रेस आई की सरकार का इमेज यह अच्छा करने की कोशिश करता है । इसमें यह छपा है कि यह घटना जहां घटी है वहां से यह बाहर न आ जाए इसलिए वहां की तीन सौ झुग्गी झोपड़ियों को बिलकुल खत्म कर दिया गया है । मैं पूछना चाहती हूं कि क्या बात है और क्यों इसको दबाने की कोशिश की गयी और अगर यह खबर पहले मिल जाती तो उससे क्या हो जाता ? आखिर यह खबर इस तथा दूसरे अखबारों में भी आ ही गयी है । मैं चाहती हूं कि जांच होनी चाहिए कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया ? यह भी खबर है कि बूट लैगर्ज को पुलिस एन०एस०ए० में पकड़ने वाली थी । क्यों उनको इसके अन्दर वह पकड़ने वाली थी ? बम्बई के बारे में सारा देश जानता है कि पुलिस और गुण्डे भाई-भाई हैं। गुन्डों को जो प्रतिष्ठा समाज में और पुलिस स्टेशन में मिलती हैं वह आम आदमी को नहीं मिलती है । अगर किसी के पास मोटर है, फोन है और सत्ता उसके पीछे है तब तो उसकी सुनवाई पुलिस स्टेशन में होती है वर्ना नहीं होती है । लेकिन इनकी सुनवाई वहां हमेशा होती है ।

टाइम्स आफ इन्डिया में एक और खबर आई है । यहां कहा गया था कि एन०एस०ए० का इस्तेमाल हम गुन्डों के खिलाफ करेंगे, एंटी सोशल एलीमेंट्स के खिलाफ करेंगे, बूट लैगर्ज के खिलाफ करेंगे । हमने तब कहा था कि आप इसका इस्तेमाल विरोधी दल के लोगों के खिलाफ ही करने वाले हैं । गिव दी डाग ए बैड नैम एन्ड शूट हिम । यही इस सरकार की नीति रही है । मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान एक न्यूज की ओर खींचना चाहती हूं । पेपर में यह आया है : माइनर्ज प्रोटेस्ट ओस्ट नियोगीज एरेस्ट । रायपुर की यह खबर है । नियोगी वहां के माडनर्ज के नेता हैं, आर्गेनाईजिंग सैक्रेटरी हैं, छत्तीसगढ़ माइंज श्रमिक संघ के, और उनको पकड़ा गया है। यह भी खबर निकली है कि अर्जुन सिंह के खिलाफ उन्होंने वी० सी० शुक्ल की कुछ मदद की थी और इसके बारे में बहुत शिकायत रही है और इसलिये उनको गिरफ्तार किया गया है । ग्यारह तारीख को उनको गिरफ्तार किया गया । उनको गिरफ्तार किया । क्यों किया ? कहा कि वह नक्सलाईट है । वह नक्सलाईट है कि नहीं इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है । लेकिन वहां की भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने, जिनका कि नक्सलाइट के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता, उस लीडर ने खुद कहा है जो अखबार में छपा है और वह इस प्रकार है :

> "यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की राजगढ़िया शाखा के अध्यक्ष श्री दीपचन्द पारिख ने भी इस रिपोर्टर को यह बताया है कि श्री नियोगी नक्सलवादी नहीं हैं । वह शराब पीने, जूआ खेलने और सट्टा खेलने की बुराइयों के खिलाफ एक प्रभावकारी अभियान चलाकर मजदूरों और किसानों के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे थे ।"

यह काम करने वाले आदी जो हैं, क्योंकि वह कांग्रेस (आई) का साथ नहीं देते इसलिए उसको पकड़ा । ऐसा अखबार में आया है । उसको गिरफ्तार किया गया । उसके लिए व्यापारी वर्ग स्ट्राइक पर गया ।

हम भी चाहते हैं कि बूट लैगर्ज को पकड़ा जाय । महाराष्ट्र में प्रोहिविशन का जो प्रयोग हुआ उसको देखकर लगता है कि जब तक पुलिस रूलिंग पार्टी की पैट्रोनेज से करप्शन कराती है तब तक प्रोहिविशन कभी भी सफल होने वाला नहीं है । मैंने खद कई केसेज किये हैं और देखा है कि 1,000 रु० तनख्वाह पाने वाला आदमी घर में केवल एक दो रु० लेकर आता है । मैंने खुद देखा है कि पत्नी को कुछ काम करने के बाद कपड़ा मिलता है उसको लेकर आदमी जाता है और उसको वेचकर मिलने वाले पैसे से शराब पीता है । मैं खुद जब घूमती थी तो देखा कि जहां शिकायत मिली थी कि शराब बनती है वहां देखा कि उसी घर में दादर की पुलिस बैठकर शराव पी रही थी वहां प्रोहिविशन है, लेकिन पुलिस वाले खुद पीते हैं ।

गांधी जी के नाम से राज्य चला 30 साल तक । लेकिन दुख की बात है कि शराब पीने को प्रतिष्ठा मिली । शराब पीना खराब है । इसके पीने वालों को प्रतिष्ठा नहीं मिलनी चाहिए । जनता पार्टी के राज्य में मोरार जी भाई कहते थे कि शराबबन्दी होनी चाहिए । लेकिन वहां लोग क्या बोलते थे कि नशाबन्दी के लिए कांग्रेस गिर गयी, शराबबन्दी के लिए जनता पार्टी जायेगी । और सबको मालूम है कि एक बड़े शराब बनाने वाले ने जनता पार्टी को सत्ता से खींचने के लिए खूब पैसा खर्च किया । यह सबको मालूम है । अगर अगर हमें सच्चे नाते में गरीब परिवार के दुख के प्रति हमदर्दी है तो इस बुराई को सदा के लिए समाप्त करने का व्रत लेना चाहिए । बम्बई की बात मैं इसलिए कह रही हूं कि वहां पर प्रोहिविशन का प्रोग्राम जो फेल हुआ उसका कारण पुलिस का करप्सन है । वहां के आवकारी मन्त्री स्वयं शराब पीते थे इसलिए शराबबन्दी कामयाब नहीं हुई । गोआ में लोग शराब पीते हैं लेकिन पीकर रास्ते में गिरते नहीं हैं लेकिन बम्बई में आपको बराबर नालियों में गिरे हुए मिलेंगे ।

बहुत सालों से यह चर्चा चल रही है कि कितने लोग नकली शराब पीकर, हूच पीकर मर गए हैं यह नकली शराब कैसे बनती हैं मुझे पता है बम्बई में जगह-जगह आपको शराव फरमेंट होती हुई मिलेगी । लोग कहते हैं कि इसमें किक होता है यह किक क्या होता है, मुझे पता नहीं । मेरे परिवार में इसका कोई अनुभव नहीं है । लेकिन मैंने सुना है कि इल्लिसिट लिकर में कुछ किक होती है, इस किक का मतलब मुझे पता नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके पति प्रो० मधु दण्डवते सहित ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : किसी प्रकार की किक नहीं मिलती उनसे ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सीरियस इश्यू है, शराब-बन्दी के बारे में भी हमें सोचना चाहिए । हमें महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार का भी अनुभव है लेकिन शराब पीकर अपने परिवार को पीटने वाले, बर्बाद करने वाले लोगों के बारे में भी हमें ठोस से सोचना चाहिए । मेरी यह प्रार्थना है कि शराब की वजह से जो यह हो रहा है, हमने पुलिस के व्यवहार के बारे में जांच करनी है ।

पुलिस को यह क्या हो गया है, क्या बीमारी हो गयी है कि पुलिस जगह-जगह पर गुन्डों को सहयोग देती है ? क्या उनके ऊपर के लोग चाहते हैं कि वह गुन्डों के साथ सहयोग करे ? आज का विरोधी दल जो यहां बैठा है, वह कल सत्ता में भी जा सकता है, इसलिए यह सारी पार्टियों का सवाल है, इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए ।

मैं यह कहना चाहती हूं कि जो लोग ताजमहल में बैठकर पीते हैं या अमीर लोग हैं वह शराब पीकर नहीं मरते हैं, लेकिन मरते सिर्फ गरीब लोग ही हैं जो कि लिकर पीकर मरते हैं और गरीब लोग ही बर्बाद होते हैं । इसलिए इस सवाल के बारे में सोचना चाहिए ।

यह जो बातें अखबारों में आई हैं, इनकी पूरी खोज होनी चाहिए और पुलिस कमिश्नर को इस बात का आन्सर देना चाहिए कि यह बात क्यों छिपाई गई, अखबारों में क्यों नहीं आई ? 300 लोगों की झुग्गी गिरा दी गयीं, यह किस तरह से किया गया । जिन लोगों के मां-बाप मर गए, उनके घर भी गिरा दिये गए, यह किस प्रकार की सहानुभूति है ? हमारी सरकार जो गरीबों के नाम से काम चलाती है, किसानों का मेला लगाती है और उसी समय कुछ लोग मरते जाते हैं, उनकी गलती की वजह से, तो मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस बारे में सोचे और इस मामले की पूरी खोज होनी चाहिए । एन० एस० ए० के अन्दर बूट-लैगर्ज को गिरफ्तार किया जाना चाहिए नियोगी को गिरफ्तार करने से शराब-बन्दी या सट्टा-बन्दी होने वाली नहीं है ।

एक तरफ गुनाहों को छिपाने का काम यह सरकार कर रही है और दूसरी जगह पर विरोधी दल के लोगों को गिरफ्तार करके रख रही है । सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं इन परिवारों से हमदर्दी व्यक्त करती हूं और सरकार से निवेदन करती हूं कि वह इस बात का ध्यान रखे कि इस प्रकार की बातें फिर न हों और फिर गरीब लोग इस प्रकार का विष-प्राशन करके नहीं मरें । मुझे आशा है कि इस बारे में सरकार सावधानी से विचार करेगी ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यद्यपि, यह एक ऐसी दुखद घटना है जिसमें महिलाओं सहित आठ व्यक्तियों की मौतें हुई हैं, प्रत्येक व्यक्ति इस घटना का राजनीतिक लाभ उठाने की सोच रहा है । मैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझता । वस्तुतः लोग मरे हैं और यह लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाने की बात है कि पहले जहां वह शराब, मांस आदि के इस्तेमाल का विरोध करते थे इसके विपरीत अब महत्वपूर्ण अवसरों पर उन्होंने इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है । नकली देशी शराब का इस्तेमाल एक परिवार में एक उत्सव को मनाने के लिए किया गया था ।

अब जिस बात की आवश्यकता है और जिसमें कानून असफल रहा है, वह यह है कि सामाजिक शिक्षा दी जानी चाहिए । सभी वर्गों के लोगों को, अर्थात्, उनको जिन्होंने ऐसी भयंकर भूल की है, यह बात समझाने के लिए या उन्हें इसके लिए राजी करने के लिए कि वे ऐसा न करें, हमें एक अभियान शुरू करना चाहिए । इसका कोई लाभ नहीं है कि राजनीतिक नेता नशाबन्दी के बारे में केवल चिल्लाते रहें या नशाबन्दी के बारे में भाषण देते रहें । विधान सभाओं में संकल्प रखे गये हैं । पुलिस के पास कानूनी अधिकार हैं । क्या फिर भी लोग पीना छोड़ देंगे ? ऐसी बात नहीं है । सच्चाई यह है कि इस बुराई के लिए मूलतः जिम्मेदार वह निराशा, वह

कुण्ठा और मनोवैज्ञानिक इच्छा है जो मनुष्य को शराब पीने के लिए प्रेरित करती है, चाहे इसके लिए कानून का उल्लंघन करना पड़े, घटिया शराब पीनी पड़े, न कि वह शराब जो स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित हो। इसलिए एक विशाल अभियान शुरू करने की जरूरत है।

महोदय, आज से 10-15 वर्षों पहले मुझे नशाबन्दी के एक प्रमुख नेता राजस्थान के श्री गोकुल भाई भट्ट के विचारों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय एक ऐसा अभियान चला जिसमें महिलाओं ने अपने पतियों को शराब पीने से रोका और इसमें अत्यधिक सफलता मिली। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि केवल संसद में बोल के या सरकार पर दोषारोपण करके आप इस बुराई को रोक सकते हैं तो यह आपका सोचना गलत है। समय की पुकार है कि एक उदाहरण कायम किया जाये और वह उदाहरण किसी विशेष दल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। यह कहना गलत है कि जनता पार्टी की सरकार केवल इसलिए हट गई कि वे नशाबन्दी की बात कर रहे थे और उसे लागू कर रहे थे। क्या इस संदर्भ में मैं जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता श्री स्वामी द्वारा उस समय कही गई बात का हवाला दे सकता हूं ? उन्होंने कहा था कि श्री मोरारजी भाई के मंत्री मंडल के 19 सदस्य शराब के आदि थे। लेकिन महोदय, मैं किसी वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : जनता पार्टी 'शराब' की वजह से नहीं बल्कि मोरारजी के 'आव' की वजह से गई।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : तथापि, विचाराधीन विषय यह नहीं है। विचाराधीन विषय यह है कि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को होने से कहां तक रोका जा सकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी ओर से जोरदार अभियान चलाया जाना चाहिए। मुझे याद है कि मैंने नशाबन्दी परिषद द्वारा निकाला गया एक इश्तहार देखा था जिसमें महात्मा बुद्ध के कुछ उपदेश दिए गए थे. अर्थात, यदि आपको आग में कूदना है तो कूद जाओ, यदि आपने पहाड़ से कूदना हो, तो कूद जाओ, यदि आपने समुद्र में कूदना हो, तो कूद जाओ। लेकिन शराब के साथ कोई संबंध नहीं रखो, क्योंकि आग में कूदकर या पहाड़ से कूदकर या समुद्र में कूदकर तो आप केवल अपनी जान गंवाओगे लेकिन शराब पीकर अपने परिवार और उसके आस-पास के परिवारों को भी मौत के मुँह में पहुंचा दोगे।

महोदय, पुलिस क्या है ? पुलिस हमारे समाज का एक छोटा सा अंग है। जब तक आप समाज को समझा-बुझाकर शिक्षित नहीं करेंगे, आप इस बुराई को समाप्त नहीं कर सकते। वस्तुतः हमारे दिल शोकसंतप्त परिवारों के प्रति सहानुभूति से भर आते हैं। हमें यह जानकर बहुत दुःख हुआ है कि लोग मर गये हैं। लेकिन इस दुर्घटना का कारण क्या है ? यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिना किसी कारण के हुई हो। जब लोग अवैध शराब का सहारा लेते हैं तो कुछ न कुछ तो होना ही है। सरकार का दोष क्या है और स्थगन प्रस्ताव लाने की आवश्यकता क्या है जिससे कि सभा की कार्यवाही रुक जाये और सरकार की आलोचना की जा सके ? दूसरी ओर हमारे लिए यह एक ऐसा अवसर होना चाहिए जब हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोच सकें। सभी राजनीतिक दलों को एक हो जाना चाहिए। आइये

हम यह कार्य शैक्षिक संस्थाओं के स्तर से आरम्भ करें । यदि आप यह सोचते हैं कि कोई विधेयक लाकर या कोई अधिनियम पारित करके इस बुराई को दूर किया जा सकता है तो यह आपकी भूल है । इसमें कोई संदेह नहीं कि पुलिस को सतर्क रहना चाहिए और सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए लेकिन केवल इसी से समस्या का समाधान नहीं होगा । आपका यह कहना कि नशाबंदी लागू करने के आपके प्रयास से लोग आप से नाराज हो गए और अन्ततोगत्वा आपकी सरकार को जाना पड़ा, आपकी अपनी कमजोरी को स्वीकार करना है आप स्वयं इस बात को क्यों स्वीकार करना चाहते हैं ? यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो यह अपनी हार को स्वयं ही मानना है जिसका अब प्रचार किया जा रहा है । महोदय, हम कांग्रेस (आई) वाले महात्मा गांधी में विश्वास रखते हैं । हम उनके सिद्धान्तों को मानते हैं हम जो कुछ भी करते हैं उसमें उनके आदर्शों का अनुसरण करते हैं । लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि इस बुराई को दूर करने के लिए व्यापक पैमाने पर धार्मिक प्रचार की आवश्यकता है । हां, यह उदाहरण हम सभी ने कायम करना है । मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि वे इस राष्ट्रीय बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए कांग्रेस (आई) के साथ मिलकर काम करें । कृपया यह न सोचें कि यह कार्य केवल पुलिस के डंडे से ही हो जाएगा । बात ऐसी नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की है और सम्पूर्ण सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाने की है । केवल उसी से अन्ततोगत्वा यह सामाजिक बुराई इस देश के राजनीतिक जीवन से दूर हो सकेगी ।

महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों का यह घोषणा करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि वे आज से शराब को हाथ नहीं लगायेंगे ताकि हम अपने देश से इस बुराई को पूरी तरह दूर करने के लिए उदाहरण कायम कर सकें । धन्यवाद ।

स्वामी इन्द्रवेश (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, शराब के कारण अभी दिल्ली में जो मौतें हुईं उस पर यह चर्चा चल रही है । यह घटना हमारे देश में कोई नई घटना नहीं है । कोई महीना ऐसा नहीं जिसमें देश के किसी न किसी कोने में सैकड़ों लोग जहरीली शराब पीकर न मरते हों । जिस समय समाचार-पत्रों में हम यह पढ़ते हैं कि जहरीली शराब से लोग मर गए तो उसके बाद एक चर्चा चलती है. कुछ पुलिस के कर्मचारी निलम्बित हो जाते हैं और उसके बाद हम यह महसूस करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई । नगरों में जो लोग मरते हैं उनकी बात अखबारों में आ भी जाती है लेकिन गांव-गांव में हजारों हजार लोग जो शराब से मरते हैं उनकी चर्चा भी कहीं नहीं होती ।

शराब से मरना ही हम इतना महत्वपूर्ण क्यों मान रहे हैं । शराब पीकर के जिन लोगों के घर बर्बाद होते हैं, जिन बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है, जिन बहनों के गृहस्थ के जीवन में परेशानी होती है उसे भी हमें महसूस करना चाहिए । जब हम उसे महसूस करने लगते हैं तो मुझे यह लगता है कि सारे भ्रष्टाचार की यदि कोई जड़ है तो यह शराब है । शायद इसीलिए राष्ट्रीय आन्दोलन के समय हमारे देश के नेताओं ने और विशेषकर महात्मा गांधी जी ने इस आन्दोलन को अपने हाथ में लिया । लाखों लोगों ने शराब के ठेके के सामने पिकेटिंग किया ।

उस समय देश यह महसूस करता था कि जब आजादी मिलेगी उस समय शराब भी बन्द होगी। लेकिन पिछले 34 सालों में थोड़े समय सरकार की ओर से, मैं पूरा प्रयास तो नहीं कहता, लेकिन मन बनाकर थोड़ी कोशिश हुई, नहीं तो लगातार शराब को बढ़ाने की कोशिश ही रही है।

हमारे कुछ साथी सदन में भी और बाहर भी शराब के लिए यह दलील देते हैं कि आज तक दुनियां के किसी भी देश में शराबबन्दी लागू नहीं हुई। मैं यह समझता हूं, यह दलील वास्तविक नहीं बल्कि एक प्रकार से अपनी असफलता का प्रमाण है और किसी भी सफलता को आदर्श बना कर नहीं चल सकते। मैं आपको एक पुस्तक का हवाला देता हूं। हमारे देश में एक राजा हुए अश्वपति, अपने राज में घोषणा करके वह कहते हैं—

न मे जनपदे स्तेनो न कदर्यो न मद्यपः।

नानाहिताग्निरविद्वान न स्वैरि स्वैरिणी कुतः।

हमारे देश का राजा यह घोषणा करता है कि मेरे देश में कोई शराबी नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारे साथी और हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं वे आज ऐसे लोगों को आदर्श मानते हैं जो स्वयं पथभ्रष्ट हैं और शराब के नशे में डूबे रहते हैं। मैं समझता हूं यह जो तर्क है कि किसी देश में भी शराब बन्द नहीं हुई, इसलिए यहां भी नहीं होनी चाहिए—इसके लिए यदि मैं आपसे निवेदन करूं कि आज तक दुनियां के किसी देश में भी चोरी के ऊपर पूरी सफलता लोगों ने नहीं पाई तो इसका मतलब यह नहीं कि चोरी को खुला छोड़ दिया जाए। इसी प्रकार से जो डकैती है वह दुनियां के हर कोने में होती रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि डकैती को खुला छोड़ दिया जाए।

इसी प्रकार जो लोग शराब के पक्ष में जनमत तैयार करते हैं वे दूसरी दलील यह देते हैं कि लोकमत इसके पक्ष में नहीं है, किसी अखबार में नहीं देखते और किसी जगह नहीं सुनते कि शराब के ऊपर पाबन्दी लगनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का दायरा बड़ा सीमित है। हमारे देश में 50 प्रतिशत जो हमारी बहनें हैं वे शराब नहीं पीतीं, वे शराब के विरोध में हैं। इसी प्रकार से 25 प्रतिशत जो हमारे देश के बच्चे हैं, वे भी शराब नहीं पीते। इस बारह फीसदी और लोग जो कि बुजुर्ग हैं वे भी शराब नहीं पीते। इस तरह से कुल मिलाकर थोड़े से लोग रह जाते हैं वे भी, अगर शराब बन्द हो जाए तो मन से महसूस करेंगे कि यह अच्छी बात हो गई।

वास्तविकता यह है कि आज सरकार के द्वारा पूरी तरह से शराब को बढ़ावा मिल रहा है। इसके भी बड़े कारण हैं। हमारे साथी तीसरी दलील यह देते हैं कि यदि हम शराबबन्दी लागू कर दें तो अपराध बढ़ जाएंगे। मैं समझता हूं यह भी अपने आपको बहलाने की बात है। इस प्रकार तो किसी भी अच्छाई को आप देश में लागू करेंगे उसके प्रतिक्रिया-स्वरूप अपराध बढ़ेंगे। इस तरह से यह जितनी भी दलीलें हैं वह राष्ट्र के लिए घातक हैं, मानवता के लिए घातक हैं और संविधान, जिसके अन्तर्गत यह सारा तंत्र चल रहा है, उसके भी यह विरुद्ध है।

आज देश में जो शराब चल रही है उसके मुख्य तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि हमारे देश की जो सरकारें हैं वह शराब के ठेकेदारों से बहुत पैसा लेती हैं, उस पैसे से वह चुनाव लड़ती हैं, उस पैसे से एम एल एज को खरीदती-बेचती हैं और उस पैसे से अपनी सरकारों को बचाती हैं। मैं सारे देश की बात करने से पहले पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करना चाहता हूं। अभी वहां चालीस एम एल ए खरीदे गए—ऐसी मेरी जानकारी है। उपाध्यक्ष महोदय, आप इसके ऊपर जांच बिठा सकते हैं। हरियाणा की सरकार जो है वह शराब के ठेकेदारों से लाखों रुपया लेती है और अपने एम एल एज को माहवार देती है। यह राजनीतिक लोग शराब के ठेकेदारों से पैसा लेकर चुनाव लड़ते हैं। दूसरे नम्बर पर ऐसे राजनीतिक नेता हैं, मैं आपको बता सकता हूं, मथुरा रोड पर होटल है, उस इलाके में मैं घूमता हूं और वहां गांव के लोगों ने मुझे बताया कि इस मथुरा रोड पर डेबची नाम का एक पर्यटन स्थल है।*

यदि आप इस पर एक आँच बिठायें तो मैं ऐसे लोगों को उपस्थित करूंगा जो आपके सामने बता सकेंगे।*

अब मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं।·· (व्यवधान) आप आयोग बिठायेंगे तो इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी-अभी अखबार में आया···(व्यवधान)

मैं अखबार की खबर याद दिलाना चाहता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अखबार में आरोप लगाया।*

ये कांग्रेस (आई) के मुख्यमंत्री हैं ··(व्यवधान)·· मैं जो कह रहा हूं, बिलकुल ठीक कह रहा हूं। अखबार में आया है।

श्री जनार्दन पूजारी (मंगलौर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्य ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल पर आरोप लगाया है। उन्होंने उनका नाम लिया है। इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाये।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आप उनकी बात समझे नहीं हैं·· (व्यवधान)

श्री जेवियर अराकल (एणिकुलम) : महोदय, आप कार्यवाही को देख सकते हैं और यदि आप यह पायें कि कोई बात असंसदीय है या अनावश्यक है तो आप उसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही-वृत्तान्त को देखूंगा और यदि उसमें कोई असंसदीय या लांछन लगाने वाली बात होगी तो उसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दूंगा···(व्यवधान)

श्री के० मायातेवर (डिंडिगल) : महोदय, माननीय सदस्य ने उन राज्यों का उल्लेख किया है जहां कांग्रेस (आई) के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु और केरल के मुख्य मंत्रियों का क्या हुआ। वह तथ्यों को छिपा रहे हैं।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

स्वामी इन्द्रवेश : मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मेरा कहने का मतलब यह है कि आज जो हमारी सरकार है, वह शराब को बढ़ावा दे रही है। आज ही के "हिन्दुस्तान" अखबार में यह खबर निकली है कि हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि वह इस साल में देशी शराब के ठेके 315 से बढ़ा करके 580 कर देगी, अंग्रेजी शराब के ठेके 254 से बढ़ा करके 322 कर देगी। कहने का मतलब यह है कि सरकारें जो हैं, वे शराब को बढ़ावा दे रही हैं और शराब की आमदनी से अपने एम० एल० एज० को, सरकारों को भ्रष्ट कर रही हैं।

तीसरी बात यह है कि जब सरकार ही बढ़ावा देने लग जाए तो फिर आप यदि साधारण पुलिस कर्मचारी को निलम्बित करके, यह महसूस करें कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपको पांच ऐसी बातें बताना चाहता हूं, जिससे कि समस्या का हल हो सकता है।

सबसे पहली बात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार एक समयवद्ध प्रोग्राम बनाए, जैसे कि जनता सरकार ने कहा था कि चार साल के अन्दर हम शराबबन्दी लागू कर देंगे। उनको पूरा टाइम न मिलने की वजह से मैं उनको उलाहना नहीं दे सकता हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप एक निश्चित प्रोग्राम बनायें, शराबबन्दी के लिए।

दूसरे, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि नकली शराब बनाई जाती है, इसलिए डीनेचर्ड-स्प्रीट का लाइसेंस किसी भी व्यक्ति या प्राइवेट संस्था को न दिया जाए, क्योंकि उससे नकली शराब बनती है और उससे यह जहरीली शराब बनाकर के लोगों की मौतें होती हैं।

तीसरा, जो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि शराब के ठेकेदार गांव-गांव में मोटर साइकिल, जीप में बैठ करके एक-एक झोंपड़ी तक उसका प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, यह एक सिस्टम है, जो कि शराब को बढ़ावा देता है। इसलिए पूरी तरह, पूरे देश में ठेकेदारी समाप्त करके सरकारी दुकानें हों। उससे स्वाभाविक रूप से जो शराब की वृद्धि है, वह रुक जाएगी। पुलिस का जो विभाग है और एक्साइज का जो हमारा विभाग है औरखास तौर से जो हमारी सरकारें हैं, वे इस बात से तौबा करें तथा नीयत बनायें कि हम शराब को बन्द करेंगे और सतर्क रहेंगे।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें जनता को इस बात के लिए शिक्षित करना चाहिये कि शराब में क्या-क्या बुराइयां हैं। आज क्या होता है कि शराब की बोतल पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा होता है—"पियो और जीओ" और उसी पर नीचे बारीक अक्षरों में लिखा होता है—"शराब स्वास्थ्य के लिये घातक है।" यह क्या नाटक है एक तरफ बड़े अक्षरों में लिखते हैं—पीयो और जीओ और दूसरी तरफ नीचे बारीक अक्षरों में लिखते हैं—शराब स्वास्थ्य के लिये घातक है। यह दो तरह का नाटक करना ठीक नहीं है।

अभी थोड़ी देर पहले मूल चन्द डागा जी ने जो बात कही थी, मैं उसका समर्थन करता हूं—सरकार को, इस बारे में जनता को पूरी तरह से शिक्षित करना चाहिये। आप देखिये—आज जो हमारा साहित्य निकल रहा है, उपन्यास निकलते हैं, सिनेमा और टेलीविजन में जिनको आज हमारा नौजवान पढ़ता और देखता है, उन सब में शराब का नाटक दिखलाते हैं, जिससे उन लोगों के अन्दर शराब पीने की प्रवृत्ति पैदा होती है। मैं ऐसे उदाहरण भी बतला सकता हूं

जहां शराबी लोग पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अभी हरियाणा में उप-चुनाव था--मैंने यह देखा कि*

यह जो चक्कर है, यह इसलिए है कि राजनीतिक लोग शराब के ठेकेदारों से पैसा लेकर मौज कर रहे हैं। आज गरीबों के साथ क्या हो रहा है—एक गरीब आदमी दिन भर मेहनत करके 15 रुपये कमाकर लाता है और उसको शराब में खराब कर देता है। हमारा गरीब किसान 6 महीने बाद जब अपने गेहूं, चने या गन्ने को बेच कर आता है और उसको जो पैसा मिलता है, उसको वह बोतल के चक्कर में खराब कर देता है। मैं यह समझता हूं कि यह जिम्मेदारी सरकार की है कि वह इन गरीबों को लुटने से बचाये, शराब के कारण उनका जो शोषण हो रहा है, शराब के कारण जो कत्ल हो रहे हैं, जो झगड़े हो रहे हैं—आप इन सब का यदि सर्वे करायें तो आप देखेंगे कि आज ज्यादा से ज्यादा मुकद्दमे शराब के कारण हो रहे हैं। हमारी मां-बहनों की वेइज्जती, बलात्कार के केसेज, एक्सडेन्ट्स, इन सब में शराब का मुख्य हाथ रहता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से देश में शराबबन्दी लागू करने की कोशिश करे।

श्रीमती संयोगिता राणे (पवाजी) : व्यवस्था का एक प्रश्न है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : वह व्यवस्था का एक प्रश्न उठाने के लिए खड़ी हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि वह यह जानना चाहती हैं कि वह बोल सकती हैं या नहीं।

श्रीमती संयोगिता राणे : अभी हमारी बहन श्रीमती दण्डवते जी ने कहा कि शराब पीकर लोग मरते हैं, दूसरे सदस्यों ने भी यही कहा कि शराबबन्दी लागू की जाये, लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि शराबबन्दी के कारण ही इल्लिसिट-लिकर तैयार की जाती है। अगर शराबबन्दी न हो तो इल्लिसिट-लिकर तैयार नहीं होगी। हमारे यहां भी लोग बहुत शराब पीते हैं, वहां शराबबन्दी नहीं, इसलिये वहां इल्लिसिट-लिकर नहीं बनती - इसका क्या कारण है? आदमी शराब क्यों पीता है—इसलिये पीता है कि जब दिन भर काम करके वह थक जाता है तो अपनी थकान को दूर करने के लिये थोड़ी सी शराब पीता है। जहाँ तक इसकी बुराइयों का प्रश्न है—हमारे सोशल वर्कर्स को समाज के अन्दर जाकर लोगों को इसकी बुराइयों के बारे में बतलाना चाहिये। सरकार अपनी तरफ से नहीं कह रही है कि शराब पीयो, शराब पीने का कारण तो यही है कि लोग थकान मिटाने के लिये पीते हैं।

अभी कुछ सदस्यों ने कहा कि पार्टी पैसा लेकर शराब को बढ़ावा दे रही है—यह बिलकुल गलत बात है। इसमें सरकार का कोई हिस्सा नहीं है। मैं यह बात निश्चित तौर पर कहती हूं कि शराबबन्दी लगाने से ज्यादा इल्लिसिट-लिकर तैयार होगी, लेकिन यदि शराबबन्दी नहीं होगी तो इल्लिसिट-लिकर नहीं बनेगी और लोग उसको नहीं पीयेंगे। जब किसी चीज का कन्ट्रोल आता है तो उस पर लोगों का ज्यादा ध्यान जाता है। लेकिन यह काम समाज सुधारकों और

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

सोशल वर्कर्ज का है वे लोग उनके पास जाकर उनको बतलायें कि इससे क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। जब तक यह उनको नहीं बतलाया जायगा, तब तक कायदे-कानून लगा कर यह काम होने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रही हैं। यह केवल एक सुझाव है।

श्री तपेश्वर सिंह (विक्रमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आये दिन अखबारों में समाचार निकलते रहते हैं, कभी दिल्ली में, कभी कलकत्ते में, धनवाद में, अन्य राज्यों में इस तरह की घटनायें होती रहती हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि जब से इस देश में शराबबन्दी का नारा भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने लगाया, उसी समय से इस तरह की घटनायें होनी शुरू हो गई। उस सरकार ने शराबबन्दी का नारा लगाया और अनेक राज्यों में प्राहिविशन जारी किया गया, शराब पर रोक लगाई गई है पर मैं तो यह देख रहा हूं कि कुछ लोगों के लिए शराब पीना इस कन्ट्री में एक फैशन सा बन गया है और खासकर जो यंगर जेनरेशन है और मजदूरी का काम करने वाले जो लोग हैं तथा गाड़ी चलाने वाले जो ड्राइवर हैं, वे आम तौर पर शराब पीते हैं। जब अच्छे किस्म की शराब बनना बन्द हुआ और लोगों को अच्छी शराब नहीं मिली, तो मेरी यह निजी जानकारी तो नहीं है लेकिन मुझे ऐसी सूचना बिहार में मिली है कि वहां पर लोगों ने यूरिया जोकि धान और गेहूं की खाद में प्रयोग किया जाता है, से ही शराब बनाना शुरू कर दिया और यूरिया इसलिए डाला क्योंकि यूरिया डालने से उसमें एलकोहलिक मात्रा बढ़ जाती है।

श्री के० मायातेवर : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं माननीय सदस्य द्वारा भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई का, जो पूर्ण नशाबन्दी चाहते हैं, उल्लेख किए जाने का स्वागत करता हूं। लेकिन उन्होंने शराब या काफी या चाय के स्थान पर सुबह या शाम को पीने के लिए राष्ट्र को क्या वैकल्पिक सुझाव दिया था ?

श्री तपेश्वर सिंह : सभी तरह की घटिया शराब केवल जनता पार्टी की नशाबन्दी नीति के कारण ही बनाई जाती है क्योंकि आजकल यूरोपीय देशों की तरह यहां भी शराब पीना समाज में एक फैशन बन गया है।

मैं माननीय सदस्य की बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहता हूं लेकिन मेरी जो धारणा है, मेरी जो फीलिंग है, उसके आधार पर मैं बोलना चाहता हूं कि पहले जो अच्छी किस्म की शराब बनाते थे, उस तरह की शराब आज लोगों को नहीं मिलती है। इसलिए लोग घातक शराब पीते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रोहिविशन की चर्चा की है और आज स्थिति इतनी विगड़ गई है जैसा कि मैंने पहले कहा कि खाद में डालने वाला जो फर्टिलाइजर है, उसका भी प्रयोग किया जाता है। धनबाद में इस तरह की घटना हुई। हम लोगों ने जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो पता चला कि खेतों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो दवाएं डाली जाती हैं या प्लांट प्रोटेक्शन के लिए जो इस तरह की चीजें इस्तेमाल होती हैं, उनको इसलिए शराब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसमें एल्कोहलिक मात्रा ज्यादा हो और लोगों को ज्यादा इनटोक्सीकेशन हो। ऐसी सूचना हमें दी गई है और मैं इस बात

की चर्चा इसलिए करता हूं कि विहार में शराब पर रोक लगाई गई और वहां पर बड़ा स्ट्रांग प्रोहिविशन का कानून बनाया गया। मैं समझता हूं कि जिस तरह का प्रोहिविशन का स्ट्रांग कानून बिहार में हमारे कर्पूरी ठाकुर जी ने बनाया था, उतना स्ट्रांग कानून कन्ट्री के किसी दूसरे भाग में नहीं होगा लेकिन उसके बाद भी वहां पर ये घटनाएं होती रहीं।

इस संदर्भ में दो, तीन सुझाव आपके सामने देना चाहता हूं। मैं सदन के माध्यम से सरकार से भी कहना चाहूंगा कि वह एक ऐसी व्यवस्था करे कि अगर इस देश में शराववन्दी हो सके, तो शराबबन्दी करावे लेकिन अगर यह संभव न हो, तो शराब का उत्पादन जितना हो, उसके लिए काफी सख्त से सख्त कानून बनाए। आज तो यह हो रहा है कि शराब बनाने वाले लाइसेंस होल्डर हैं, ये लाइसेंस होल्डर अगर किसी प्रदेश में 50 हैं, तो प्राइवेट ढंग से शराब बनाने वालों की संख्या पांच हजार और दस हजार होगी। इस तरह से बहुत से लोग इस तरह की शराब प्राइवेटली बनाते हैं। मैं अपने बिहार की स्थिति को अच्छे ढंग से जानता हूं। इस पर सख्ती करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। जो लोग प्राइवेट तरीके से शराब बनाते हैं, जो प्राइवेट ढंग से चोरी-चोरी बिक्री करते हैं, वैसे लोगों के लिए आज यह आवश्यक हो गया है कि उन पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए।

इसके साथ ही साथ जो सुझाव हाऊस में आए हैं, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अपील करूंगा कि उनके बारे में सरकार सोचे और पूरी छानबीन इस मामले की हो। इसके अलावा लोगों के विचारों को परिवर्तित कराने की चेष्टा की जाए ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हों।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह जानकर दुख हुआ है कि भारत की राजधानी में आठ व्यक्ति अवैध शराव पीने से मर गए हैं। इस पूरे देश में किसी विशेष प्रकार की शराब या स्पिरिट या अन्य अवैध चीजें पीने से केवल गरीब लोग ही मर रहे हैं। मैं खुश नहीं हूं। मेरी यह इच्छा नहीं है कि वे मरें। वे अच्छी या वेहतर किस्म की शराब वैध या अवैध तौर पर खरीदने में समर्थ हैं। इसीलिए वे कानून से भागते हैं। वहुत से गरीब लोग मर रहे हैं। उनके बच्चे गलियों में पड़े हैं। वे अनाथ हो रहे हैं। उनकी पत्नियां विधवा हो रही हैं। सरकार को इन मामलों की जांच करानी चाहिए। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में उनको बचाया जाना चाहिए। एक या दो माननीय सदस्यों ने इस कांड पर माननीय गृह मन्त्री से त्यागपत्र की मांग की है। मेरा इससे संबंध नहीं है। क्योंकि जो मन्त्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं उनसे त्यागपत्र की मांग करना न्यायसंगत नहीं है। यदि हम हरेक दुर्घटना के लिए त्यागपत्र की मांग करते रहेंगे तो रेल मन्त्री ने हाल ही में तमिलनाडु में हुई दुर्घटना में हुई कई मौतों के कारण त्यागपत्र दे दिया होता। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : श्री लाल बहादुर शास्त्री ने, जब वे रेल मन्त्री थे, त्यागपत्र दे दिया था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह एक स्वर्णिम समय था। (व्यवधान)

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : वे कुछ और दिन थे। (व्यवधान)

श्री के० मायातेवर : कुछ माननीय सदस्यों ने इस घटना (त्रासदी) के लिए कांग्रेस रैली को उत्तरदायी ठहराया है। लोग पिछले महीने भी मरे थे। क्या तब कांग्रेस रैली थी ? क्या तब जनता रैली थी ? क्या तब कोई डी० एम० के० रैली थी ? कोई रैली नहीं थी। परन्तु अब भी पूरे भारत में लोग मर रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि क्योंकि कांग्रेस रैली में यहां दस लाख लोग एकत्र हुए थे इसलिए यह घटना हुई। यह आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों ने जहरीली शराब बेची और कुछ लोगों ने पी। यह कारण नहीं है। इस दुर्घटना से कोई राजनीतिक प्रयोजन हल नहीं किया जाना चाहिए। यह राजनीति से ऊपर है। यह इस या उस दल से ऊपर है। हमारी दिलचस्पी मानवीय जीवन में है। यह एक बड़ा उद्योग है। अब यह हर जगह एक बड़े पैमाने के उद्योग के रूप में उभर रहा है। तमिलनाडु या अधिकतर राज्यों के प्रत्येक घर में हरेक इस शराब का निर्माण और उत्पादन कर रहा है। इसी से वे लोग जी रहे हैं। बहुत से बड़े लोग भी इसमें संलग्न हैं। इस सभा के बहुत से सदस्यों तथा सभी दलों के सदस्यों ने ठीक ही संकेत दिया है कि बहुत से लोग प्रतिदिन करोड़ों और लाखों रुपए कमा रहे हैं क्योंकि वे बिक्री-कर अदा नहीं करते। देश में बहुत से अवैध शराब बनाने वाले हैं और भारत में तथा अन्य जगहों पर इसे बेचने वाले उद्यमी विद्यमान हैं क्योंकि वे व्यापारिक-कर, बिक्री-कर या आय-कर नहीं देते। उन्हें कोई भी खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है। शराब की बिक्री पर किसी प्रकार की रोक या प्रतिबंध नहीं है। सरकार को उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। वे ऐसा कैसे कर रहे हैं ? उनकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई ? उन्हें ये सुविधाएं कैसे मिल रही हैं ? मैं सभी पुलिस कर्मियों पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। पुलिस थानों में कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी भी हैं जो अवैध शराब को प्रोत्साहित करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि प्रत्येक पुलिस वाला या अधिकारी ऐसा है। परन्तु प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक जिले में ऐसे कुछ पुलिस कर्मचारी हैं। पुलिस विभाग में यह अपरिहार्य बात हो गई है।

पुलिस कर्मचारी अवैध शराब निर्माताओं के साथ हैं तथा नियमित रूप से उससे अपना हिस्सा लेते रहते हैं। उन्हें 1000 रु० या 500 रुपये सरकार से वैध वेतन मिलता होगा परन्तु वे अपने हिस्से के रूप में अवैध वेतन ले रहे हैं जो उन्हें सरकार द्वारा दिए गए वेतन से कहीं ज्यादा है। अतः कतिपय पुलिस कर्मचारियों को इस प्रकार की अवैध शराब के उत्पादन तथा बिक्री के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप बहुत से गरीब लोग मर रहे हैं।

गरीब लोग मंहगी शराब नहीं खरीद सकते। इसीलिए वे इस प्रकार की जहरीली और घटिया शराब खरीदते हैं।

सरकार के त्यागपत्र या रैली पर दोषारोपण या कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने का कोई प्रश्न नहीं है। फिर भी मैं मांग करता हूं कि इस मामले में सचाई का पता लगाने के लिए इस बात की न्यायिक जांच करायी जाय कि क्या पुलिस कर्मचारियों का इसमें कोई हाथ है। जांच उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश द्वारा कराई जाय नकि उच्च न्यायालय के किसी सेवा-निवृत्त न्यायाधीश द्वारा वह उच्च न्यायालय का वर्तमान स्वतंत्र और निर्भीक न्यायाधीश होना चाहिए।*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

वस्तुतः यह हमारी सभ्यता का एक अंग तथा फैशन बन गया है। सभी राज्यों में इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान तेवर आपको यह नहीं कहना चाहिए। मैं रिकार्ड पढ़ूंगा।

श्री के० मायातेवर: कुछ माननीय सदस्य हरियाणा में किसी मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य का हवाला दे रहे थे। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। अतः मैं गुजरात, हरियाणा या महाराष्ट्र का कोई हवाला नही दूंगा।

जहां तक तमिलनाडु का प्रश्न है वहां मद्य निषेध लागू है और हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसकी वकालत तथा पूरा समर्थन किया था। हम गांधीवाद के दर्शन, सिद्धान्तों और नीतियों के बारे में बहुत सी बातें करते हैं। वे सभी दक्षिण भारतीय गांधी, अन्ना द्वारा समर्थित थी। वे दक्षिण भारतीत गांधी कहलाते थे क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए दर्शन तथा नीति की वकालत तथा समर्थन किया था। गांधीजी तथा अन्ना दोनों ने लोगों में निर्धनतम वर्ग के अधिकतम हितों के लिए मद्य निषेध को लागू करना चाहा था।

हालांकि तमिलनाडू में मद्य निषेध है, इसे नुकसान पहुंचाए बिना तमिलनाडु में सत्ताधारी दल के कतिपय बड़े नेताओं ने अवैध स्पिरिट की कार्यवाई को बचाने के लिए इसे बलि के बकरे, आड़ के तौर पर उपयोग किया। इस कांड का काफी प्रचार किया गया। बहुत ज्यादा बिक्री वाले केरल के एक समाचार पत्र "मलयालम मनोकमा" ने इस स्पिरिट कांड के ब्यौरे का हवाला दिया जो 35 करोड़ रुपये का मामला था और इसने इस सम्बन्ध में तमिलनाडु में सत्ताधरी दल के कतिपय सदस्यों का भी हवाला दिया था। अभी तक तमिलनाडु सरकार ने इसका खण्डन नहीं किया है।

मैं केरल पुलिस का, इस कांड की जांच करने तथा इसे पकड़ने के लिए आभारी हूं। चूंकि इस मामले में दो राज्य सरकारों का हाथ है, मैं सुझाव दूंगा कि सच्चाई का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन एक जांच आयोग गठित किया जाना चाहिए। हम किसी भी व्यक्ति या किसी मुख्य मंत्री पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम इसकी परवाह नहीं करते। हमें इस में भी दिलचस्पी नहीं है कि इससे प्रभावित व्यक्ति सत्ताधारी दल के हैं या विपक्षी दल के हैं हम चाहते हैं कि 35 करोड़ रुपये वाले इस स्पिरिट कांड की जांच किसी केन्द्रीय संस्था से कराई जाए, जिसके लिए तमिलनाडू सरकार जिम्मेदार है। मैं तमिलनाडु तथा केरल और साथ ही शेष भारत के लोगों के हित में यह मांग कर रहा हूं।

श्री जी. एम. बनातवाला, (पोन्नागी) हम उनका समर्थन कर रहे हैं।

श्री के. मायातेवर: तमिलनाडू में मद्य निषेध है। परन्तु इसका उल्लंघन करने वाले लोग सत्ताधारी दल से संबन्ध रखते हैं। यह ध्यान में रखना चाहिये कि रेडियो, टेलीविजन तथा समाचार पत्रों ने पूरे भारत में इस कांड का भरपूर प्रचार किया था, फिर भी श्रीमती गांधी के नेतृत्व वाली केन्द्रीय सरकार इस मामले की जांच कराये बिना चुपचाप सो रही है।

चूंकि इस मामले में दो राज्य सरकारों का हाथ है मैं मांग करता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अनुच्छेद 3(1) (ख) के अधीन जांच के आदेश दिये जाए

तथा अपराधियों से स्पष्टीकरण मांगा जाए, चाहे वे कैसे भी अधिकार तथा प्राधिकार रखते हों। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में शीघ्र ही कार्यवाई आरम्भ करेगी।

श्री दिलीपसिंह भूरिया (झाबुआ) : दिल्ली में जो घटना घटी है जहरीली शराब की यह बड़ी दुखद है। आजादी के इतने साल बाद भी हमारी समाज में दिनों दिन इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं जो बहुत ही चिन्ता की बात है। आप इसके कारण को देखें। गरीब आदमी अपनी थकान मिटाने के लिए शराब पीता है। और अमीर आदमी महंगी शराब ऐशोआराम और ऐयाशी करने के लिए पीता है। शराब ही नहीं, और भी कई तरह की जहरीली चीजें लोग बेचते हैं और जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं, जो ऐसा गन्दा धंधा करते हैं और गरीब का शोषण करते हैं उनके लिये जब तक मौत की सजा न हो तब तक यह गदा धंधा बन्द नहीं होगा।

मैं चाहता था कि इस प्रस्ताव पर राजनीति से ऊपर उठकर विचार हो, खास करके इस दुर्घटना पर ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे ड्राई एरियाज की बात कही। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, गुजरात पड़ौस में है, वहां जैसे एक माननीय सदस्य ने मोरार जी भाई की बात कही उनके ढाई साल के शासन के बारे में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि गुजरात में जहां मोरार जी भाई की फोटो लगती है वहां आपको जरूर शराब की बोतल मिलेगी। क्योंकि शराब का नाम वहां लोगों ने मोरार जी भाई रख दिया है और अगर शराब नहीं है तो वहां आपको उनकी फोटो उल्टी लटकी हुई मिलेगी। जब ऐसा वातावरण हो तब हमें राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिये।

हर धर्म में चाहे हिन्दू हो या मुस्लिम धर्म हो, कुरान में तो यहां तक लिखा है अगर शरीर के ऊपर शराब की बूंद गिर जाती है तो शरीर के उस हिस्से को काट दो। हिन्दू धर्म में भी शराब को अच्छा नहीं कहा गया है। मगर आज शादियों में क्या हो रहा है। कौन-सा ऐसा धर्म है जहां शादियों में शराब का उपयोग न होते देखा जाय। जितने भी डांस करते हैं शादी में वह सब शराब पीने वाले होते हैं। गरीब आदमी शौकिया नहीं पीता बल्कि अपनी थकान मिटाने के लिये पीता है। आज दिल्ली में 95 प्रतिशत लोग शराब पीते हैं। ऐसा जब वातावरण हो तब समाजसेवी संस्थाओं का यह फर्ज होता है कि वह ऐसा वातावरण बनायें जिसमें इन बुरी चीजों का उपयोग लोग न करें और साथ ही जो जहरीली शराब, जहरीली दवायें बेचने का धंधा करते हैं उनके लाइसेंस कैंसिल किये जायें और कठोर दंड की व्यवस्था हो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक देश के अन्दर यह बुराई बढ़ती रहेगी।

दुनिया के किसी मुल्क में शराब बन्द नहीं हो सकती। मगर भारत में जब तक मारल दबाव नहीं आयेगा, सामाजिक क्रान्ति नहीं होगी तब तक शराब यहां चलती रहेगी।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि शराब के पाईंट पर जनता पार्टी की सरकार हटी और कांग्रेस सरकार आयी। इसको मैं गलत मानता हूं। 1977 में जब लोक सभा का चुनाव हुआ तो इमरजेंसी के अन्दर जितने शराब का धंधा करने वाले थे वह सब बंद हो गये थे और इमरजेंसी के समय ऐसी दुर्घटनायें नहीं होती थीं, लेकिन 1977 के चुनाव में जैसे ही जनता पार्टी सत्ता में आयी तभी से ऐसी बातें अधिक होने लगीं। जिसका साफ मतलब है कि ऐसे गलत धंधा करने

वाले लोगों ने ही जनता पार्टी को सपोर्ट किया और वह सत्ता में आयी। कांग्रेस के लोगों की तो गरीबों के प्रति सहानुभूति रही है और आज भी है। गरीबों, हरिजनों और आदिवासियों ने हम से यह शिकायत की है कि जनता पार्टी के लोग ठेकेदार हैं, इन्होंने हमको वोट नहीं देने दिया। इस प्रकार के जनता पार्टी के लोग हैं।

हमारी बहन श्रीमती प्रमिला दंडवते जी ने शराब के बारे में कहा, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी महिलाएं भी शराब पीती हैं। हमारी करनी और कथनी में फर्क है। अगर हाउस में ऐसे ही चर्चा करनी है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, अगर सभा में क्रांति लानी है तो यहां सही चर्चा करनी चाहिये। मैं साफ कहता हूं कि इस देश में प्रतिशत 50 महिलाएं भी शराब पीती हैं और बड़े घरों की महिलाएं शराब पीती हैं।

मैं एक शादी में बारातियों में देख रहा था कि वहां कुछ औरतें डांस कर रही थीं मेरा कहना है कि कानून बनाने से वह सब बन्द होने वाला नहीं है, यह कोई तरीका दंड देने का नहीं है। यह सब बातें हैं। सामाजिक बुराई से।

जहां तक पुलिस वाली बात है, जैसा मैंने पहले कहा यह हमारी सामाजिक बुराई है, इसे सारी पार्टियों को समाज से दूर करना चाहिये। इसके लिये सिर्फ पुलिस को ही दोष नहीं दे सकते। पुलिस इसलिये जबावदार है कि उनका अधिकार आता है, उनको मालूम है कि कहां सट्टा चलता है और कहां जहरीली शराब बिकती है। पुलिस को मालूम है कि कौन वह आदमी है, अगर उसको सख्ती से दबाया जाये तो यह काम निश्चित हो सकता है।

जहां तक कमीशन की बात कही गई, मंत्री जी के रिजाइन की बात कही गई, मैं इसका विरोध करता हूं। बहुत सारे कमीशन बने, उनकी रिपोर्टें आई लेकिन वह सब बस्ते में बंधी हुई हैं। उनके ऊपर कुछ नहीं होता है। होम मिनिस्टर साहब को कहना चाहिये कि वह इस मामले की 8-10 दिन में पूरी इन्क्वायरी करायें और जो रिजल्ट हो उसमें जो भी दोषी हो, चाहे ठेकेदार हो या पुलिस हो, उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और जो लोग जहरीली शराब से मरे हैं, उनके परिवार के लोगों के लिए पूरी सहानुभूति व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में मेरे मित्र श्री फैलीरो ने इस प्रकार कहा कि जब हम दोनों लाइब्रेरी में कुछ लिट्रेचर देख रहे थे तो प्राहीबीशन के पक्ष में हमें कुछ मिला नहीं और ऐसा लगता है कि जन-मानस प्राहीबीशन के पक्ष में नहीं है।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यही है कि देश का जन-मानस और पब्लिक ओपीनियन तो बनानी होगी। हमको यह तय करना है कि देश के अन्दर शराब पीना ठीक है या नहीं और इसका निर्णय इस आधार पर नहीं हो सकता कि मैं शराब पीता हूं अथवा नहीं पीता हूं, अगला कोई शराब पीता है या नहीं पीता है। इस आधार पर इस चीज का फैसला नहीं किया जा सकता।

मुझे समझ में नहीं आता कि 1920 में कांग्रेस के फैसले के बाद, संविधान में भी इस चीज के नीत हो जाने के बाद यह चर्चा कि प्राहीबीशन के कारण ही यह जो कुछ हो रहा है, जहरीली शराब के कारण ही देश में मौतें हो रही हैं, शराब बिक रही है, मैं समझता हूं कि इससे अधिक शर्मनाक चर्चा इस देश में और नहीं हो सकती ।*

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों ओर से जो कुछ कहा गया उसे काटना होगा । चर्चा एक विशिष्ट विषय पर है । आप इसमें वैयक्तिक बातें क्यों लाते हैं ? यह सब रिकार्ड में नहीं जाएगा । भाषणों के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह तर्क ठीक नहीं है कि चूंकि अमुक चीज नहीं रोकी जा सकती है, इसलिए किसी गलत चीज को एलाऊ करना चाहिए । क्या हम यह तर्क मान सकते हैं कि चूंकि देश में उत्पादन कम है, इसलिए व्यापारियों को मंहगाई को बढ़ाने दिया जाये ? क्या किसी मजबूरी के आधार पर हम सब कानूनों को खत्म कर दें और देश तथा समाज के लिए घातक गैर-कानूनी कामों को चलने दें ? क्या हम इस देश में वेश्या-वृत्ति को इस आधार पर चलने दें कि वेश्या-वृत्ति रोक देने के कारण देश में चरित्र का ज्यादा हनन हुआ है ? यह कहना तर्कसंगत नहीं है कि प्राहीबीशन के कारण जहरीली शराब का उत्पादन हो रहा है, इसलिए हम देश में शराब को चलने दें ।

आज यह प्रश्न एजार्नमेंट मोशन के रूप में इस सदन के सामने आया है । आपके माध्यम से मैं गृह मन्त्री जी को कहना चाहूंगा कि दिल्ली में यह पहली घटना नहीं है, बल्कि केवल ढाई महीनों में देश की राजधानी में यह सातवीं घटना है । मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सबसे पहली घटना करौल बाग में हुई, जिसमें दो आदमी जहरीली शराब पीने के कारण मरे थे । इसके बाद अंधा मुगल में 7 आदमी मरे, जो कि सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में आता है । तीसरी घटना शाहदरा में हुई, जिसमें तीन आदमी मरे । चौथी घटना पश्चिम दिल्ली में हुई । और यह अन्तिम–सांतवीं–घटना गौतमनगर में हुई है ।

जैसा कि अन्य सदस्यों ने कहा है, पुलिस ने इस घटना को छिपाना चाहा । पुलिस नहीं चाहती थी कि यह सूचना समाचारपत्रों तक पहुंचे कि जहरीली शराब पीने के कारण कुछ लोग मरे हैं, और यह बात दिल्ली की जनता को मालूम हो । इसीलिए जो घटना 15 तारीख को हुई, उसको छिपाकर रखा गया, और 18 तारीख को जब लीक हो गया, तो पुलिस अपना वर्शन लेकर आई है और इस संबंध में उसका वर्शन क्या है, उसकी ओर मैं गृह मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

जैसा कि मैंने अभी बताया है, पहली घटना अन्धा मुगल में हुई, जिसमें 7 आदमी मरे थे। पुलिस के द्वारा उस घटना को भी छिपाने की पूरी कोशिश की गई थी । जब प्रेस को यह समाचार मिला कि उस क्षेत्र में इल्लिसिट लिकर, जहरीली शराब, पीने के कारण 7 आदमी मर चुके हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि पुलिस कमिश्नर ने स्वयं अपने पी० आर० ओ० को सब समाचार एजेन्सियों को यह सूचना भेजने के लिए कहा कि अंधा मुगल में शराब पीने के कारण लोगों के

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

मरने की खबर बिल्कुल गलत है और इसे न छापा जाये । लेकिन जब हिन्दुस्तान टाइम्ज इंडियन एक्सप्रेस और पेट्रियट आदि समाचारपत्रों के प्रतिनिधि स्वयं घटनास्थल पर गये और उन्होंने पाया कि वास्तव में जहरीली शराब पीने के कारण लोग मरे हैं, तो उन्होंने यह समाचार दे दिया ।

मैं गृह मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जब हम शराबबन्दी के पक्ष में हैं और इसलिए अगर जहरीली शराब पीने के कारण लोग मरे हैं, तो उसका जितना प्रचार किया जाये, उतना ही अच्छा है, ताकि आगे लोग डर के कारण शराब न पियें, तो फिर पुलिस कमिश्नर के द्वारा उस समय भी और इस बार भी घटनाओं को छिपाने की आवश्यकता क्यों पड़ी । गृह मंत्री इसकी जांच करवायें ।

मैं हिन्दुस्तान टाइम्ज़ की कुछ पंक्तियों की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं । क्या यह इन्डिकेट नहीं करता है कि अब भी मुलजिमों को बचाने की कोशिश की जा रही है ? अब भी पुलिस का वर्शन दबी जुबान से यह कहना चाहता है कि ये मौतें जहरीली शराब पीने के कारण नहीं हुई हैं । हो सकता है कि कोई गंदा मांस खाया था, उसकी वजह से उनकी मौत हुई । इस समाचार को मैं पढ़ देना चाहता हूं :

> "पुलिस ने कहा कि कुछ बंजारन स्त्रियों ने एक मंगनी उत्सव मनाया जिसमें उन्होंने कुछ स्पिरिट पी तथा सड़ा मांस खाया । उन्हें जहर के संदेह पर अस्पताल में भर्ती कराया गया । सोमवार की रात को अस्पताल में चार की मृत्यु हो गई ।
>
> "पुलिस के अनुसार जिसने केवल छः मौतें बताई हैं ये बंजारनें साउथ एक्सटेंशन की एक दुकान से तर्क के आधार पर स्पिरिट लाई थीं कि यह वार्निश करने के लिए चाहिए । उन्होंने इसके लिए 70 रुपये दिए । इसके अलावा, वे सदर बाजार की एक दुकान से फेंका गया मांस भी लाई थीं ।
>
> "पुलिस ने कहा कि उन्होंने साउथ एक्सटेंशन के दुकानदार विजय कुमार, जो प्राधिकृत स्पिरिट विक्रेता है, को गिरफ्तार कर लिया है । परन्तु उसने ओमप्रकाश को स्पिरिट बेचे जाने के बारे में कोई इन्दराज नहीं किए थे ।"

पुलिस यह कहने की कोशिश कर रही है, आज जब यह खबर समाचार-पत्रों में और जनता के बीच आ गई, तब भी वह यह बताने की कोशिश कर रही है कि वे किसी इल्लीसिट लिकर की वजह से नहीं मरे, एक स्पिरिट खरीदकर लाए थे वार्निश करने के नाम पर और उसको वह पी गए या सड़ा हुआ मांस खाने से वे मरे हैं । पुलिस आज यह कहने की स्थिति में नहीं है कि वह जहरीली शराब पीने के कारण मरे हैं । तो मैं गृह मंत्री से पूछना चाहूंगा कि पुलिस आखिर इस प्रकार की घटनाओं को छिपाने की कोशिश क्यों कर रही है ? इसके पीछे क्या कोई साजिश नहीं है ? मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है । आखिर पकड़े कौन जाते हैं—जो बेचारे कैरियर्स होते हैं, जो दो रुपये, पांच रुपये पर अपना पेट भरने के लिए अपना धंधा करते हैं । इसके पीछे पूरा गैंग है, इसके पीछे पूंजीपतियों का गैंग है जो कारखानों से सीधे मोलैसिस खरीदकर इल्लिसिट लिकर बनाते हैं और

उसमें कितनी ही जहरीली चीजें भरते हैं। वह बड़ा गैंग आज पुलिस आफीसर्स को फाइनेंस करता है। वह पुलिस आफिसर्स फाइनेंस होने के कारण इन पर हाथ नहीं डालते, केवल खानापूर्ति करने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार के अपराधों को छिपाने की कोशिश करते हैं।

इससे ज्यादा मखौल क्या हो सकता है कि दिल्ली के अन्दर आज एक साल हो गया, चुने हुए प्रतिनिधि न मेट्रोपोलिटन कौंसिल में हैं न कारपोरेशन के अंदर हैं और न आज भी चुनाव कराए जा रहे हैं। दिल्ली का राज आज श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथ में नहीं है। दिल्ली का राज आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में और पुलिस कमिश्नर के हाथ में दे रखा है और दोनों के दोनों व्यक्ति पुलिस कमिश्नर भिंडर और लैफ्टिनेंट गवर्नर जगमोहन ये दोनों दोषी हैं, अपराधी हैं केवल इस कांड में नहीं, यह कांड तो सामने आया लेकिन*

अपराध जो दिन प्रतिदिन दिल्ली के अन्दर बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो मैं गृह मंत्री के लिए नहीं कहना चाहता, उप-गृहमंत्री के लिए नहीं कहना चाहता, दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ करने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो इन दोनों अधिकारियों की है।

इसलिए मेरी पहली मांग है कि दिल्ली के अन्दर अविलम्ब मेट्रोपोलिटन कौंसिल के और कारपोरेशन के चुनाव कराए जायें और मेरी दूसरी माग है कि दोनों व्यक्ति लैफ्टिनेंट गवर्नर जगमोहन और पुलिस कमिश्नर भिंडर, इन दोनों को हटाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैं सभा की कार्यवाही का अध्ययन करूंगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : श्रीमान जी, मैं जानना चाहता हूं कि कौन से शब्द असंसदीय हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं सभा की कार्यवाही का अध्ययन करूंगा और यदि आपने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया होगा ..

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आप सभा की कार्यवाही का अध्ययन कर सकते हैं। मैंने असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं हर बात को कार्यवाही वृत्तान्त से नहीं निकालूंगा। यदि कोई असंसदीय शब्द होंगे तो मैं उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकालूंगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैंने हिन्दी शब्दों का प्रयोग किया है। संभव है कि आपने उन्हें गलत समझ लिया हो। असंसदीय शब्दों का प्रयोग करना मेरे लिए असंभव है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : 'भिण्डर' असंसदीय शब्द नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा की कार्यवाही का अध्ययन करूंगा। श्री अराकल।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया है। मेरे से पहले वक्ताओं ने इस विषय पर

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

बहुत अच्छा भाषण दिया है और मुझे पक्का विश्वास है कि यह सभा इस समय इस मामले के महत्व को समझती है । मेरा दिमाग इसी पर विचार कर रहा था; मैं विचार कर रहा था कि जहां तक इस मामले का संबंध है वक्ताओं द्वारा रखे गए प्रस्ताव वास्तव में क्या हैं । जब हम ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं आशा कर रहा था कि सभा में कुछ ठोस सुझाव रखे जायेंगे । मुझे खेद है कि किसी ने भी ऐसे ठोस सुझाव नहीं दिए···

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर-मध्य) : तो आप उन सुझावों को लायें ।

श्री जेवियर अराकल : मुझे आशा है कि जब माननीय मन्त्री इस चर्चा का उत्तर देंगे तो वह बतायेंगे कि कितनी परिशोधित स्प्रिट का निर्माण या उत्पादन हमारे देश में होता है, इसका वितरण किस प्रकार होता है तथा कितनी अवैध शराब का निर्माण हमारे देश में होता है···

एक माननीन सदस्य : क्या सरकार इसे बनाती है ?

श्री जेवियर अराकल : इस बात का पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए क्योंकि मैंने कुछ लेख पढ़े हैं जिनमें कुछ विचित्र आंकड़े दिए गए थे और कहा गया था कि परिशोधित स्प्रिट का अत्यधिक मात्रा में उत्पाद हो रहा है । आपने भूतकाल से क्या सवक सीखा है ? आपने इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

मेरा पहला सुझाव यह है कि हमें इस मामले के सामाजिक पहलू पर बल देना चाहिए । इस भयावह विषय पर जनता के निर्धन वर्गों के लोगों को शिक्षित करने के लिए अधिक धन दिया जाना चाहिए । मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि यदि हम बजट प्रावधानों को देखें तो इस उद्देश्य के लिए निर्धारित धनराशि पर्याप्त नहीं है । श्रीमती दंडवते बहुत अच्छा भाषण कर रही थीं । परन्तु मैं आश्चर्यचकित हूं कि उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि हमने इस विषय पर सामाजिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और इस विषय पर चाहे हम यहां कितना भी बोलें इससे कोई लाभ नहीं होता जब तक हम इसके सामाजिक और शैक्षिक पहलू पर जोर न दें·· तब तक यह कार्यान्वित नहीं होगा···

श्रीमती प्रमिला दंडवते : शिक्षित लोग ऐसा कर रहे हैं । इसमें क्या किया जा सकता है ?

श्री जेवियर अराकल : आप मुझसे ज्यादा जानती हैं ।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जहां तक इस मामले का संबंध है, केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्या हैं ? जहां तक इस मामले का संबंध है क्या राज्य सरकारें हमें, अर्थात केन्द्रीय सरकार को, ठोस कदम उठाने की अनुमति देंगीं ? क्या राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने राजस्व की अतिक्रमण हानि होने देंगीं ? कितने सदस्यों ने इस विषय को समझा है और इस प्रश्न का उल्लेख किया है ? मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि जहां तक इस मामले का संबंध है, इसकी प्राप्तियों (आय), उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण रखने के लिए केन्द्रीय सरकार के क्या अधिकार हैं ?

मेरा तीसरा सुझाव, जिसका उल्लेख में सभा में करना चाहता हूं, यह है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने केरल सरकार तथा तमिलनाडु सरकार के कुख्यात कांड का उल्लेख किया है

जिसमें लगभग 35 करोड़ रुपयों का घोटाला है। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि इस मामले में वह क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। यह केवल तमिलनाडु या केरल से ही संबंधित नहीं है। यह तो राष्ट्रीय प्रश्न है। अतः हम सिफारिश करते हैं कि आप इस विषय में कठोर कदम उठाएं और केन्द्र द्वारा इसकी जांच कराई जाए। आप कह सकते हैं कि राज्य सरकारों ने न्यायिक कार्यवाही और जांच कराने के लिए कदम उठाए हैं। परन्तु मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु तथा केरल की जनता तथा भारत के प्रबुद्ध लोग इसकी राष्ट्रीय जांच कराना चाहते हैं और वे बिना जांच कराए संतुष्ट नहीं होंगे। केन्द्रीय जांच आयोग चाहते हैं। उन्हें राज्य स्तर की जांच पर आपत्ति है। इन मामलों की तत्काल जांच करने के लिए एक केन्द्रीय जांच आयोग गठित किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं कहूंगा कि इस मामले पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए तथा सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाए।

अतः मैं माननीय मन्त्री से विनम्र अनुरोध करूंगा कि जहां तक मेरी बातों का सम्बन्ध है वह ठोस सुझाव पेश करे तथा बताएं कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाने जा रही है और इस मामले में क्या कार्रवाई प्रारम्भ करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस स्थगन प्रस्ताव का कड़ा विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने सुबह घोषणा की थी कि इस स्थगन प्रस्ताव के लिए 2½ घण्टे का समय दिया गया है। अब 18.30 बज गए हैं। सभा की इच्छा क्या है ? मन्त्री जी को अभी उत्तर देना है। मैं सभा की इच्छा जानना चाहता हूं क्योंकि अभी कुछ वक्ता शेष हैं।

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : कृपया मंत्री महोदय को चर्चा का उत्तर देने के लिए कहें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आप उन्हें उत्तर देने के लिए कैसे कह सकते हैं ? मेरे दल के सदस्य तो अभी बोले ही नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सबको सहयोग करना चाहिए। चूंकि आपके दल के सदस्य नहीं बोले, मैं श्री झारखण्डे राय को बोलने को कहूंगा। उनके बाद मंत्री जी उत्तर देंगे।

आपको पांच मिनट का समय दिया जाता है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल के कई माननीय सदस्य पहले बोल चुके हैं। उनके दल वाले नहीं बोले। मैं श्री झारखण्डे राय को बोलने के लिए कह रहा हूं।

श्री ए० के० राम (धनबाद) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। इस विषय को इतना हल्का नहीं मानना चाहिए। हम चर्चा में भाग लेना चाहेंगे क्योंकि हम खनन क्षेत्रों से आए हैं

जहां मद्यपान का प्रचलन है। अतः मैं आपको बता रहा हूं कि आप समय देने में रूढ़िवादी न बनें।

उपाध्यक्ष महोदय : 2½ घण्टे इसके लिए दिए गए थे। यदि प्रत्येक माननीय सदस्य समय का ध्यान रखता तो निश्चय ही हम चर्चा समय पर पूरी कर सकते थे और प्रत्येक को मौका मिल सकता था।

श्री ए० के० राय : हम केवल आपकी अनुमति चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आज सुबह घोषणा की गई थी कि इस चर्चा के लिए 2½ घण्टे का समय होगा।

श्री ए० के० राय : मेरा प्रस्ताव है कि इसके लिए आधे घण्टे का समय और दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। श्री झारखण्डे राय अन्तिम वक्ता होंगे। फिर मंत्री महोदय उत्तर देंगे। प्रस्तावक को भी उत्तर देने का अधिकार होता है। श्री नाडार, उत्तर देने के लिए तैयार रहें। अब श्री झारखण्डे राय बोलेंगे।

श्री झारखंडे राय (घोसी) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर संविधान की चर्चा की गयी और संविधान के 47वें अनुच्छेद की बात भी कही गयी। मैं एक बात सोच नहीं पा रहा हूं कि संविधान बनाने वालों के हाथ में ही हिन्दुस्तान की सत्ता अंग्रेजों के जाने के बाद आई। तो क्या यह पोलिटिकल-विल या नेशनल-विल का अभाव था जो 47वें दफा को सख्ती से लागू नहीं किया गया।

पं० जवाहरलाल नेहरू के जमाने में, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में और खुद श्रीमती इन्दिरा गांधी के 12 वर्ष के जमाने में मेरा ख्याल है कि नेशनल-बिल अगर थी, तो वह मोरारजी देसाई के दिमाग में यह बात जरूर थी कि इसको लागू करेंगे। वह सरकार तो किसी वजह से नहीं रही, लेकिन उसके अन्दर विल था। मोरारजी देसाई के इस विचार से निजी तौर पर मैं अपनी बात बताता हूं—मैंने शराब न पी है और न ही मैं जानता हूं कि कैसा उसका स्वाद होता है।

जहां तक घटनाओं का संबंध है, मान्यवर, देश के कोने-कोने में घटनायें हो रही हैं। कोई भी प्रदेश शायद न बचा हो, जहां पर ऐसी घटनायें न हुई हों। दिल्ली में यह घटना दूसरी हुई है, एक साल के अन्दर। कितने मरे, कितने बच गये, कितने अस्पताल में गये, कितने अन्धे हो गये—इनके आंकड़ों में न जाने का समय है और न ही मैं आपका समय लूंगा। खुद पुलिस भी कहती है कि जितनी गिरफ्तारियां हुई और जितने केसेज चले, वह केवल एक टिप-आफ-दी-आईसबर्ग है। देश के कोने-कोने में कितनी घटनायें तो प्रकाश में नहीं आती हैं। दिल्ली में टिप आफ दि आईस बर्ग बहुत बड़ा होगा, उसका आंकड़ा तो सम्भव नहीं है।

एक फ्रीडम-फाइटर के नाते मुझे एक बात बहुत पिच करती है—हर सूबे की सरकार अपने यहां शराब के ठेके देती हैं, इसके लिए अलग से विभाग खुले हुए हैं, इसके साथ ही बोतल पर यह प्रचार भी होता है कि इसको मत पियो—ये दोनों बातें परस्पर विरोधाभासी हैं, आत्म-प्रवंचना है।

अगर सचमुच में देश की सरकार चाहती है कि शराबबन्दी हो, तो दृढ़ संकल्प से आगे आना चाहिए—कानून बनाना चाहिए, लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए, जन-भावना तैयार की जानी चाहिए और मन को बदलने के जो भी तरीके हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिए तब जाकर यह काम हो पायेगा। कानून भी जरूरी है और शिक्षा भी जरूरी है, प्रचार भी जरूरी है, केवल एक बात कर देने से यह नहीं हो पाएगा।

मैं बहुत साल पहले की एक बात कह रहा हूं—उस समय मैं यू०पी० असेम्बली में था, शायद मेरे पास उस समय की प्रेस-कटिंग भी होगी उस समय श्री अशोक मेहता जी ने एक सवाल के जवाब में कहा था—हम प्रोहिविशन के हक में नहीं हैं, भारत सरकार प्रोहिविशन नहीं करेगी, क्योंकि इससे 1 अरब रुपये के रेवेन्यू का ह्रास होगा। यही कारण है कि आज तक शराब-बन्दी कहीं भी नहीं हो सकी। अभी डागा जी ने महात्मा गांधी का जिक्र किया—उन्होंने कहा था—यदि एक दिन के लिए मेरे हाथ में सत्ता आ जाये तो मैं तमाम शराब की दुकानों को बन्द कर दूं। मैं पूछता हूं—उनके जीवन काल में भी 5 महीने आपके हाथ में सत्ता रही—15 अगस्त को आपकी सत्ता ट्रांसफर हुई और 30 जनवरी को गान्धी का बलिदान हुआ—इस बीच में आपने क्यों नहीं रुकवाया उस समय तो नेहरू जी सत्ता में थे। वास्तव में बात यह है कि एक नेशनल-बिल, पोलिटीकल-बिल या दृढ़ संकल्प इस बारे में नहीं है और इस समय भी भारत सरकार उसी अनिश्चय का शिकार है, तय नहीं कर पा रही है कि करे या न करे।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह विषय सचमुच में बहुत गम्भीर है। यह एक नेशनल-ईशू है, किसी स्टेट का विषय नहीं है। पोलिटिक्स से ऊपर है ..

उपाध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं कि मद्य-निषेध सब राज्यों में लागू किया जाना चाहिए।

श्री झारखन्डे राय : यदि आप मेरी निजी राय पूछना चाहते हैं तो मैं प्राहिबिशन का पूरा पक्षपाती हूं। मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में न शराब बने और न पीने दी जाय। लेकिन मैं यह भी महसूस करता हूं कि क्या यह सम्भव है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे उम्मीद है कि ये आपके अपने विचार हैं और आपके दल के विचार नहीं।

श्री झारखंडे राय : इसमें पार्टी की बात नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या यह सम्भव है ? श्री मोरारजी देसाई ढाई साल के करीब रहे, उनके बाद 6 महीने चौधरी चरण सिंह का रिजीम भी रहा—ये दोनों इसके विरोधी थे—उस काल में मैंने देखा कि जब इसको रोका जा रहा था, जिस प्रशासन तन्त्र का इस्तेमाल करके इसको रोकने का प्रयास किया गया—उससे यह चीज रुकी नहीं, पीनेवाले यहां से, वहां से, कहीं से भी लाकर उसको पीते रहे। इसलिए मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इसके लिए एक नेशनल-बिल, पोलिटिकल-बिल होना चाहिए। इसके लिए एक नेशनल-कन्सेन्सश पैदा करना होगा। पार्टियों की मीटिंग करके इसके तरीके पर विचार करना चाहिए।

सोम रस की चर्चा तो अनादि काल से चली आ रही है, पहले देवता पीते थे। मदिरा की

चर्चा भी बुद्ध भगवान तक चली । अभी हमारे सन्यासी जी ने एक मन्त्र पढ़ा, पता नहीं किस युग का है, वेद से है या कहां से है–इसके माने हैं–बुद्ध भगवान कहते हैं–समुद्र में कूद पड़ो, आग में कूद पड़ो, पहाड़ से कूद पड़ो–यह इतना बुरा नहीं है, जितना शराब पीना बुरा है । इसका मतलब है कि उस जमाने में भी लोग शराब पीते थे । जो चीज इतने समय से चली आ रही है उसको एक सीमित मात्रा में कैसे रोका जाय–यह असली सवाल है ।

एक बात मैं यहां पर और कहना चाहता हूं–प्रशासन इसमें सफल रहा है या नहीं रहा है–यह एक प्रश्न है । मेरे से पूर्व वक्ता बतला रहे थे कि यहां की पुलिस इस चीज को दबाना चाहती थी, दबा रही थी, जब मामला खुल गया, तब बयान के साथ सामने आई, यह असली चीज है । इसमें पुलिस और गुन्डों का काल्यूजन काम करता है । इसी के कारण ये घटनायें लगातार हो रही हैं । मेरे विचार में किसी को जहरीली शराब पिलाना और किसी को जहर देकर मारना दोनों अपराध बराबर हैं । आज किसी को कत्ल कर देने से कातिल को काला पानी होता है, फांसी की सजा दी जाती है, कभी-कभी एमिनेन्ट लायर्स भी उसको नहीं बचा पाते हैं इसी तरह से जहरीली शराब देना, बेचना और उससे मरने के लिए विवश करना–यह भी कत्ल के बराबर जुर्म होना चाहिए–यही मेरा सुझाव है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दो और माननीय सदस्यों को बुलाने जा रहा हूं । वे दो-दो मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे । किसी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री ए० के० राय : परन्तु एक मिनट 100 सेकंडों का होना चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, इतने सारे भाग्यहीन गरीब लोगों की अस्वाभाविक मौतें स्वतन्त्र भारत में हमारे लिए कोई नया समाचार नहीं है तथा इस सभा के पास इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने के लिये समय नहीं है । यह वास्तव में ही दुर्भाग्यपूर्ण है । परन्तु मैं इसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा । मैं जैसा महसूस करता हूं वैसा कहना चाहता हूं । खनन क्षेत्र से संबन्धित होने के कारण मैं महसूस करता हूं कि जैसी स्थिति अफीम की चीन में है वैसे ही स्थिति शराब की भारत में है । शराब पीना केवल सामाजिक बुराई ही नहीं है, बल्कि यह गरीबों का शोषण करने का भी एक साधन है गरीब लोग केवल शराब पीते ही नहीं हैं, उनको पीने के लिए बाध्य किया जाता है । हम संविधान के निदेशक सिद्धान्तों की बात कर रहे हैं । हम कहते हैं कि हम मूलभूत अधिकारों पर निदेशक सिद्धान्तों को वरीयता देते हैं । परन्तु वास्तविक स्थिति क्या है ? शायद बात यह है कि वे असंगतियों और असमानताओं का अन्त करने में असमर्थ हैं; परन्तु जब हम देखते हैं कि वे पिछड़ रहे हैं, वे देश की प्रगति को विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं तो निश्चय ही यह मामला हम सब के लिये चिन्ता का विषय बन जाता है । मैं जानना चाहूंगा कि सरकार को इस पर क्या कहना है । मैं इस मामले में सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसमें हस्तक्षेप करने जा रहे हैं ।

श्री ए. के. राय : माननीय सदस्या श्रीमती प्रमिला दण्डवते ने मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लोगों की दुर्दशा का हवाला दिया है । आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि खनन क्षेत्र में क्या हो रहा है । सभी समाज-विरोधी तत्व, सभी साहूकार वहां के हरिजनों तथा आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं । ये शराब के व्यापारी वहां उनका शोषण कर रहे हैं शराब की दुकानें उनका शोषण करने तथा उन्हें दास बनाये रखने

का सबसे बड़ा साधन बन गयी हैं। हमारे वहां काम करने वाले साथियों ने सभी खनिकों को संगठित किया है, जिनमें से 15,000 डाली राजगढ़ खानों में काम कर रहे हैं। जब शराब की सब दुकानें बन्द कर दी गयीं तो क्या हुआ ? उन शराब के व्यापारियों की सांठ-गांठ थी*

और श्रीमान, आपको पता है कि उन्होंने क्या किया ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उल्लेख न करें।

श्री ए. के. राय : यह टाइम्स आफ इन्डिया में छपा था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे नक्सलवादी घोषित किया गया। उन्होंने उसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन नजरबन्द कर दिया। क्या आप माननीय मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन से परिचित हैं। माननीय मंत्री ने इस सभा में आश्वासन दिया था कि किसी को भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार नहीं किया जाएगा चाहे उसकी राजनैतिक विचारधारा कुछ भी हो। परन्तु इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह वहां की शराब की सारी दुकानों को बन्द कराना चाहता था। यह कांग्रेस (ई) का राजनैतिक रवैया है जिसका वह प्रदर्शन कर रही हैं। मैं चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री चर्चा का उत्तर दें तो वे इस पर भी कुछ कहें। मैं चाहूंगा कि वह हमें बताएं कि क्या यह खबर सही है या नहीं। मैं चाहता हूं कि वह विशेष रूप से इसका उल्लेख करें क्योंकि मैंने देखा है कि* का नाम भी उसमें उल्लिखित था। कुल 10,000 खनिकों ने, जिनमें हरिजन और आदिवासी भी शामिल हैं, लौह अयस्क खानों में हड़ताल कर रखी है क्योंकि उन्होंने शराब पीने से इन्कार कर दिया था। परन्तु यह सरकार। चाहती है कि वे शराब पीयें। गांधीजी के चेले यह सब कुछ कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से इस आरोप का उत्तर देने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : मान्यवर, जहरीली शराब पीने से जो मौतें हुई हैं यह एक बहुत गंभीर मामला है और इसे हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। वैसे इस पर काफी विचार हुआ है, मैं दोहराना नहीं चाहता सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब हम विकलांग लोगों के विषय में सोचते हैं, कानून बनाते हैं तो इस विषय पर क्यों नहीं सोचते, जब उन माताओं, पत्नियों और बच्चों के माता-पिता, पति शराब पीते हैं और घर आकर उनको मारते-पीटते हैं। यह भी एक कोढ़ है। गरीबी उनके यहाँ घर कर गई है। सारा पैसा शराब में वे लोग उड़ा जाते हैं। इसकी तरफ क्या हमको विचार नहीं करना चाहिए। हिन्दुस्तान के सभी लोग चाहे बड़े हों या छोटे, किसी न किसी रूप में इस शराब से पीड़ित जरूर होते हैं। बड़े सेठ हैं वे चाहे अपने परिवार को पीड़ित न करते हों, लेकिन गरीब अपने परिवार को पीड़ित करते हैं। इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

विषाक्त शराब से मौतें हुई, सारी चर्चा इस बात से सम्बन्धित है। शराब बन्द हो या न हो यह एक अलग बात है, लेकिन सरकार यह काम तो कर सकती है कि विषाक्त शराब न बने और न बिके। लोग विषाक्त शराब न पिएं, इसका इन्तजाम तो सरकार कर सकती है। अभी पता चला है कि एक स्प्रिट के दूकानदार को पकड़ लिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें स्प्रिट वाला शामिल ही नहीं होगा। यह तो जो बड़े-बड़े पूंजीपति कारखाने चलाते हैं,

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

वे इसमें शामिल होंगे । इसके पीछे स्प्रिट वाला हरगिज नहीं होगा । बड़े आदमियों को बचाने के लिए पुलिस ऐसा करती है, क्योंकि पुलिस को वहां से महावार पैसा मिलता है । मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं जो स्टेट्स के हैं, पुलिस आफिसर होते हैं तो क्या ये दोनों आदमी मिलकर नाजायज शराब जहाँ बनती है उसको चैक नहीं कर सकते ? आपकी पुलिस वहाँ मौजूद है, आपका एक्साइज इंस्पेक्टर वहाँ पर मौजूद है। इस एक्साइज इन्स्पेक्टर से तो मुझे बहुत शिकायत है । हिन्दुस्तान भर के आँकड़े देख लीजिए । पूलिस वालों ने उनके मुकाबले ज्यादा ही केस पकड़े होंगे । इन एक्साइज इन्स्पेक्टरों को सही करें । एक्साइज इन्स्पेक्टर चाहें तो दो मिनट में चैक करके पता लगा सकता है कि यह नाजायज शराब है । जहाँ भट्टियां चलती हैं, कारखाने चलते हैं या शराब बेची जाती है वहाँ इन्स्पेक्टर चैक करके रोक सकता है । अगर ये चाहें तो कतई विषाक्त शराब न बने ।

दूसरी बात यह है कि जिस समय पुलिस वालों को कोई थाना दिया जाता है तो उनकी आमदनी के तीन साधन होते हैं । एक तो जहां हिस्ट्री शीटर ज्यादा हों, दूसरा जहां शराब की भट्टियां ज्यादा हों । और तीसरा जहां बसों और ट्रकों का ट्रैफिक ज्यादा हो । एस. ओ. उसी थाने पर जाना ज्यादा पसन्द करता है । जहां 5 भट्टियां हों वहां ज्यादा आमदनी होगी । इसलिए मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस दिन ये पुलिस वालों को और एक्साइज इन्स्पेक्टरों को सीधा कर देंगे उसी दिन विषाक्त शराब बंद हो जायेगी । इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है वह मैं आपको बताना चाहता हूं । इससे मेरा मुद्दा सामने आ जायेगा । ये लोग यहां पर इस तरह की बातें करते हैं :

"न इधर उधर की तू बात कर, यह बता कि काफिला क्यों लुटा,

तेरी रहबरी का सवाल है, मुझे राहजन से गरज नहीं ।"

इतने आदमी मर गये और आप हंस रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए । सैकड़ों आदमी शराब से मर गये और आप शराब पीने की बात कर रहे हैं ।

एक नवाब साहब थे । उन्होंने जिन्दगी में कभी शराब नहीं पी । उनका एक लड़का था । मरने वक्त लड़के ने अपने बाप से पूछा कि आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं या कुछ शिक्षा देना चाहते हैं ? बाप ने कहा कि मैं यह कहना चाहता हू कि "जिन्दगी भर कभी शराब मत पीना ।" बहुत दिनों तक लड़का शराब से इन्कार करता रहा । उसके यार दोस्त आए लेकिन वह इन्कार करता रहा । उसके पास पैसा था, लोगों ने उसको शराब पीने के लिए मजबूर किया । उसका एक नौकर था । उसने भी उसको मना किया कि आप शराब न पीयें, आपके वालिद साहब फरमा गए हैं कि आप शराब न पीना । लेकिन वह नहीं माना और उसने नौकर को शराब लाने को कहा । वह नौकर शराब की बोतल लेकर आया लेकिन उसके साथ-साथ गोश्त भी ले आया और फिर एक वैश्या को ले आया और वैश्या को लाने के बाद कफन भी ले आया । उसने पूछा कि ये सब चीजें क्यों साथ-साथ ले आए हो तो उसने जवाब दिया कि शराब के बाद आपको गोश्त की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको वैश्या की जरूरत पड़ेगी और इस सबके बाद कफन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनको भी साथ-साथ ले आया हूं ।

यह मेरे विचार हैं शराब के बारे में। गलत शराब जो बनती है उसको मंत्री जी रुकवा देवें। यह उनका पहला काम होना चाहिये। शराबबन्दी होगी या नहीं यह लम्बी चर्चा और झगड़े की बात है। लेकिन गलत शराब जो बनती है इसको वह बन्द करवा ही सकते हैं। लेकिन वह करवाएंगे क्या इसको? अगर इसको भी नहीं करवा सकते हैं तो कम से कम उनको अपनी इस नाकामयाबी के लिए इस्तीफा तो दे ही देना चाहिए।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री नाडार द्वारा पेश किये गये स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं। चर्चा के दौरान अनेक बातें कही गयी हैं जिनमें कुछ संगत एवं अनेक असंगत हैं, किन्तु मैं केवल श्री नाडार द्वारा पेश किये गये स्थगन प्रस्ताव के बारे में ही कहूंगा।

अनेक माननीय सदस्यों ने सब से पहले पुलिस को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पुलिस उत्तरदायी है और इसने तुरन्त कार्यवाही नहीं की। मैं इस तथ्य की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह घटना 16 फरवरी, 1981 को 10.40 म० प० पर घटित हुई और उसी दिन पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 337 एवं 304 के अधीन एक मामला रजिस्टर किया गया। अतः मैं उन माननीय सदस्यों के तर्कों को समझने में असमर्थ हूं जिन्होंने कहा कि पुलिस ने उतेक्षा की और इसे छिपाने का प्रयास किया। यदि पुलिस का इरादा किसी भी प्रकार इस घटना को छिपाने का होता, तो उसने भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत मामला रजिस्टर न किया होता।

अनेक माननीय सदस्य सरकार की मद्यनिषेध नीति के समर्थन में और विरोध में बोले हैं। यह वाद-विवाद दलगत आधार पर सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये और जैसा कि मैंने कहा है मद्यनिषेध नीति के बारे में तीव्र मतभेद था। एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि मद्यनिषेध का विषय राज्य विषय है और केन्द्र का इस विषय से किसी प्रकार भी सम्बन्ध नहीं है। राज्यों ने स्वयं ही इसका निर्णय करना है और जैसा कि माननीय सदस्य अराकल ने बताया है, केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : दिल्ली के बारे में क्या है? यह केन्द्रीय सरकार के अधीन एक संघ राज्य क्षेत्र है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं इस बारे में भी कहूंगा। इस समय मैं उस मद्यनिषेध नीति के बारे में कह रहा हूं जिसके सम्बन्ध में अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। जैसा कि मैंने कहा है। इस विषय के सम्बन्ध में तीव्र मतभेद हैं। (व्यवधान)

एक माननीय महिला सदस्य ने अपनी यह शिकायत व्यक्त की है कि इस मद्यनिषेध नीति के कारण ही जनता सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर-मध्य) : जो बात कही गयी है उसे किसी ने समझा नहीं है अथवा वह इसे समझने में असमर्थ है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यदि मैं इसे नहीं समझ सकता, तो इसका मुझे खेद है। किन्तु

श्री फैलीरो ने समाचार का एक कतरन पढ़ा है जिसमें उन्होंने डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को उद्धृत किया है और डा० स्वामी ने श्री मुरारजी के मंत्रिमंडल के सदस्यों के बारे में कही हुई बात को सुना है और इस बात को भी सुना है कि शराब पीने वाले कौन-कौन मंत्री ऐसे थे जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे। इसलिये मैंने उससे अधिक कुछ नहीं कहना है जो श्री फैलीरो ने इस बारे में कहा है।

एक माननीय सदस्या द्वारा कुछ गम्भीर आरोप लगाये गये थे। ऐसा विशेषकर हरियाणा के एक माननीय सदस्य स्वामी इन्द्रवेश ने किया था। उन्होंने वे अनेक गम्भीर आरोप लगाये थे और उन्होंने एक केन्द्रीय मंत्री के बारे में कुछ कहा भी था। मैं नहीं जानता कि वह मंत्री कौन हैं, क्योंकि उन्होंने उसका नाम नहीं बताया है। किन्तु यह बात अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह बिना किसी आधार के आरोप लगायें और वह भी किसी राज्य के मुख्य मंत्री के विरुद्ध।

अब मैं इस सभा में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देना चाहत हूं।

श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार : उठ खड़े हुये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाडार, आप उत्तर देने वाले हैं। कृपया सभी बातों का ध्यान रखिये।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक पुलिस की भूमिका का सम्बन्ध है, मैंने कहा पुलिस ने बहुत ही शीघ्र कार्यवाही की और उसने उसी दिन इस मामले को रजिस्टर किया। इस मामले को रजिस्टर कर दिये जाने के कारण ही उसने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उसने स्वयं ही समाचार पत्रों को सूचित किया। समाचार पत्रों ने अपने आप इस घटना का पता नहीं लगाया। पुलिस ने समाचार पत्रों को 16 तारीख को ही सूचित कर दिया इस बारे में कोई भी संदेह नहीं है। (व्यवधान)। यदि हम इस पर पूरी तरह विचार करें, तो पता लगेगा कि यह घटना शराब के उपलब्ध न होने, इसके मूल्य, शिक्षा के अभाव तथा पड़ोसी राज्यों से आयी नकली देशी किस्म की शराबों एवं परिष्कृत स्पिरिट और विरलक आदि के कारण ही घटित हुयी है।

यही बातें हैं जिन पर विचार किया जाना है और इस सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ पग उठाये गए हैं। मैं माननीय सदस्यों को सरकार द्वारा उठाये पगों की सूचना देना चाहता हूं। जहां तक मूल्य का सम्बन्ध है, सरकार ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों की तुलना में इसे कम से कम रखा हुआ है। जहां तक इसकी उपलब्धता का सम्बन्ध है, इस नगर में शराब बेचने वाली कोई 7 दुकानें हैं और निकट भविष्य में अन्य ऐसी 2 दुकानें और खोले जाने का प्रस्ताव है ताकि यह आसानी से उपलब्ध हो सके।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : क्या आप शराब पीने को प्रोत्साहन देना चाहते हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इसे प्रोत्साहन देने का प्रश्न ही नहीं है। यदि लोग इसे चाहते हैं

तो आपको इसकी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी । यदि आप इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो वे अवैध शराब पीयेंगे और मरेंगे । यदि आप चाहते हैं कि वे जीवित रहें, तो आपको सस्ती शराब की व्यवस्था करनी ही होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नकली शराब न पीयें ।

जहां तक सामाजिक शिक्षा का सम्बन्ध है, इसके बारे में भी दिल्ली प्रशासन ने कुछ कदम उठाये हैं । पहली बार जनता को विशेष रूप से अवैध शराब के खतरों की चेतावनी देने वाले इश्तहार दिल्ली के मुख्य-मुख्य स्थानों पर लगाये गये हैं । इस बारे में रेडियो द्वारा प्रचार की कार्यवाही भी शुरू की जा चुकी है । फरवरी 1980 से झुग्गियों, झोपड़ियों, कालोनियों, पुनर्वास कालोनियों, औद्योगिक क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जहां चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रहते हैं, में 19 नाटकों का आयोजन नशाबंदी नीति का प्रचार योजना के अन्तर्गत किया गया है । हर नाटक को लगभग 2500 दर्शकों ने देखा ।

जहाँ तक पड़ोसी क्षेत्रों से जहरीली शराब के लाने पर रोक लगाने का सम्बन्ध है, इस बारे में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) एक महिला सहित छः व्यक्तियों को, जो अवैध शराब का व्यापार करते हैं, पुलिस आयुक्त दिल्ली ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किया है ।

(ii) चुंगियों तथा जाने-माने अवैध शराब के व्यापारियों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है ताकि उनको अवैध शराब निकालने, उसका परिवहन तथा बिक्री करने से रोका जा सके ।

(iii) सीमावर्ति पुलिस स्टेशनों को इस बारे में सख्त निगरानी रखने के लिए कहा गया है ।

(iv) जिन लोगों पर शराब कशीद करने के बारे में संदेह है, उनके घरों पर बार-बार छापे मारे जाते हैं ।

(v) साधन जुटाये जा रहे हैं और आसूचना एकत्र की जा रही है ।

(vi) बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए दिल्ली पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत कुख्यात अवैध शराब के व्यापारियों को बाहर निकालने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

(vii) गश्त में वृद्धि कर दी गई है और खास-खास स्थानों पर पुलिस को तैनात किया गया है ।

पड़ोसी राज्यों से अवैध शराब के आने पर रोक लगाने के लिए ये कुछ कदम उठाये गये हैं ।

जहां तक डिनेचर्ड और थिनर का सम्बन्ध है, डिनेचर्ड स्पिरिट उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत आता है । जहां तक थिनर का सम्बन्ध है, यह बहुत खतरनाक है क्योंकि डिनेचर्ड स्पिरिट में एथिल

मैथली होता है जो जहर है और जिससे आदमी मर जाता है । इस थिनर में अधिक माईथल होता है और यह तेज होता है । अतः हम इसे उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत लाने पर विचार कर रहे हैं ताकि इसकी बिक्री विनियमित हो सके ।

अब दिल्ली प्रशासन कुछ निवारक उपाय भी कर रहा है ताकि अपराधो पर रोक लग सके क्योंकि दिल्ली एक शराब उत्पादक क्षेत्र नहीं है । इसे बाहर से लाया जाता है । उत्पाद शुल्क आसूचना ब्यूरो जिला पुलिस तथा अपराध शाखा से सम्पर्क बनाये रखता है । उत्पाद शुल्क आसूचना ब्यूरो में सहपुलिस आयुक्त के पद का एक अधिकारी, तीन सब-इन्सपैक्टर तथा 12 कान्सटेबल होते हैं । दिल्ली के पुलिस अधिकारियों को भी उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने की शक्तियां प्राप्त हैं । पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम को दिल्ली क्षेत्र में भी लागू किया गया है ।

कुछ माननीय सदस्य पहले वाले जनवरी, 81 के मामले में की गई जांच के बारे में जानना चाहते थे । 18 फरवरी को इस सभा के सामने प्रश्न एक गया । इसकी जांच हो रही है । इस समय मैं उस जाच के बारे में कुछ नहीं कह सकता । जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, उपराज्यपाल दिल्ली ने इस बारे में एक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का आदेश दे दिया है । दूसरी ओर से किसी माननीय सदस्य ने केरल तथा तमिलनाडु के स्पिरिट घोटाले का मामला उठाया था ····(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : इसकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करवाई जानी चाहिए । (व्यवधान)····

एक माननीय सदस्य : इसके सम्बन्ध में पूरी जांच करवाई जानी चाहिए ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मुझे जो जानकारी केरल सरकार से प्राप्त हुई है, उसके अनुसार तमिलनाडु तथा केरल दोनों में ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के एक दल द्वारा जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत जांच करवाई जा रही है ।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : जुर्म राज्य सरकार द्वारा किये गये हैं । मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार द्वारा करवाई जा रही विभागीय जाँच उचित है ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं यह कह रहा हूं कि उपयुक्त समय पर जाँच आयोग की स्थापना भी की जाएगी । अतः इस घटना का उल्लेख करने का कोई लाभ नहीं है । जहाँ तक पुलिस का सम्बन्ध है, मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े, जो इस समय मेरे पास हैं, सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे कि माननीय सदस्यों को यह जानकारी हो सके कि पुलिस नकली शराब की घटनाओं की रोकथाम के लिए कितनी सक्रियता से कार्य कर रही है । वर्ष 1980 में ऐसे 4,244 मामले पकड़े गये तथा पंजीकृत किये गये और 4,372 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । जनवरी, 1981 के महीने में 408 मामले पकड़े गये और 413 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । अब यह देखा जा सकता है····(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने उन आंकड़ों की संगणना कैसे की है ? (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह सब तो मामलों पर निर्भर करता है । इन सभी की संगणना

कर पाना तो सम्भव नहीं है। अत: यही वह आंकड़े हैं जिनकी ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता था क्योंकि जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा, पुलिस इस सम्बन्ध में काफी सतर्क है। प्रशासन द्वारा निरन्तर स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और पुलिस या प्रशासन द्वारा इस मामले में किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जा रही है। अत: इस सम्बन्ध में मैंने जो कुछ भी कहा है, उसके अतिरिक्त मैं श्री नाडार द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थगन प्रस्ताव का भी पूरी तरह से विरोध करता हूं।

एक माननीय सदस्य : मैं चाहता हूं ···(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, अभी नहीं। यह कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। श्री नाडार, आप बोलिये··· (व्यवधान)

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : मंत्री महोदय का उत्तर सुन लेने के पश्चात अब मैं अपने स्थगन प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हूं। जब तक मंत्री महोदय ने इसका उत्तर नहीं दिया था तब तक सभा की अधिकांश कार्यवाही से ऐसा लगता था कि सामान्य तौर से सभा ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या राजधानी में शराब की और दुकानें खोलने की अनुमति न देकर मंत्री महोदय शराब पीने की आदत को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : इनकी बात बिल्कुल ठीक है ···(व्यवधान)

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : श्रीमान जी, मुझे यह कहते हुये खेद हो रहा है कि वह एक ऐसे दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसका नाम कांग्रेस (आई) है और जो गांधीवादी आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती है। लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने का ढोंग करने से पहले उन्हें अपने दल के साथ लगे 'कांग्रेस' शब्द को हटा देना चाहिये तथा उनके दल को गांधीवादी आदर्शों की बात नहीं करनी चाहिये। आपके दल का नाम इन्द्रिरा एण्ड कम्पनी होना चाहिये।

अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने कुछ उन तथ्यों का पूर्णतया उल्लेख नहीं किया है, जो आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुये हैं। मंत्री महोदय ने सदन को बताया कि यह दुर्घटना 16 फरवरी को घटी थी। परन्तु आज के इण्डियन एक्सप्रेस में स्पष्ट रूप से यह समाचार छपा है।

> "राजधानी में घटी एक अन्य प्रमुख नकली शराब की दुर्घटना में 8 व्यक्तियों जिनमें 5 औरतें भी थीं— की मृत्यु 15 फरवरी को यूसफ सराय के निकट गौतम नगर की झुग्गियों में हो गई।
>
> चार अन्य व्यक्तियों को गम्भीर हालत में अस्पताल भर्ती करवाया गया है।"

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उन्होंने 15 फरवरी को शराब पी और 16 फरवरी को उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना पुलिस की

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जानकारी में 16 तारीख को आई जबकि कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया । और उसमें भी 8 व्यक्तियों की नहीं, 9 की मृत्यु हुई ।

श्री जी० एम० बनातवाला : वह यह जानना चाहते हैं कि उनकी मृत्यु इतनी देर से क्यों हुई ?

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : समाचार में आगे कहा गया है :

"यद्यपि गौतम नगर झुग्गी बस्ती में होने वाली मौतों का प्रथम समाचार पुलिस को 16 फरवरी की प्रातः प्राप्त हो गया था फिर भी पुलिस के दैनिक अपराध समाचार में उसका उल्लेख नहीं किया गया था ।"

परन्तु इसके बावजूद भी गृह मंत्री द्वारा दिल्ली पुलिस के पक्ष में सफाई दी जा रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस के अध्यक्ष श्री भिडर हैं और उप-राज्यपाल श्री जगमोहन भी उन्हीं की सहायता में लगे हैं । प्रधान मंत्री से इन सब का सीधा सम्बन्ध है । यही हमारी राजधानी की स्थिति की विडम्बना है । हमारे गृह मंत्री का दिल्ली पुलिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है ।

श्री० एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : यह बिल्कुल बेकार बातें कर रहे हैं । प्रधान मंत्री का नाम अनावश्यक रूप से इसमें घसीटा जा रहा है । इन्हें यह भी मालूम नहीं है कि दिल्ली की पुलिस गृह मंत्री के अधीन है ।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : आप भी इसी के शिकार हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाडार, आप चर्चा का उत्तर दे रहे हैं ।

श्री एच० के० एल० भगत : जब इनके नेता सत्ता में थे तो उस समय दिल्ली में नकली शराब की सब से बड़ी दुर्घटना घटी थी, जिसमें कि 50 व्यक्तियों की मौतें हुई थीं उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं कहा था ।

श्री नीलालोहिथादसन नाडार : मेरे नेता ने इसकी निंदा की थी ।

श्री एच० के० एल० भगत : उन्होंने इसके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा था ।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : उस समय आप विरोध पक्ष में थे । आप को कहना चाहिए था ।

टाइम्ज़ आफ इण्डिया में एक समाचार छपा है जिसका श्री राय ने वाद-विवाद में भाग लेते हुए स्पष्ट संकेत दिया है :

"छत्तीसगढ़ खान श्रमिक संघ, राजहारा के संयोजक सचिव, श्री शंकर गुह नियोगी, जिसे नक्सलवादी करार देकर गिरफ्तार कर लिया गया है, की गिरफ्तारी के कारण खान श्रमिकों ने आन्दोलन आरम्भ कर दिया है ··"

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सम्बद्ध विषय के बारे में ही कहिये ।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : टाइम्ज़ आफ इण्डिया के समाचार में कहा गया है :

"तभी से खान-कर्मकार, दुकानदार तथा अन्य व्यापारी इसके खिलाफ आन्दोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार श्री नियोगी, चाहे वह वामपंथी ही क्यों न हों, वह एक शांतिप्रिय व्यक्ति हैं। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी राजहारा के अध्यक्ष श्री दलीप चन्द पारिख ने भी इस संवाददाता को बताया कि श्री नियोगी नक्सलवादी नहीं हैं। क्योंकि वह शराब पीने, जुआ खेलने तथा सट्टे की बुराई के खिलाफ एक कारगर अभियान चलाकर श्रमिकों तथा किसानों के लिए अच्छा कार्य कर रहे थे।"

इस प्रकार एक बड़े व्यक्ति, एक मजदूर संघ नेता को जो शराब की बुराईयों के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार वे यहां कार्य कर रहे हैं।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं एक और ऐसी घटना का उल्लेख करना चाहता हूं जिससे कि वर्तमान सरकार का नशाबन्दी सम्बन्धी रवैया स्पष्ट हो जाता है। नशाबन्दी संबंधी सरकार का रवैया तो केवल इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल को अपना पद केवल इसलिए छोड़ना पड़ा कि उसने इसके बारे में कड़ा रवैया* अपनाया था।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मैं उस पर आपत्ति करता हूं। यह कारण नहीं है। श्री पटवारी को हटाने के कई कारण थे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दण्डपाणि, श्री पटवारी ने उन्हें यही कारण बताया होगा। आपको क्यों चिंता है ?

श्री एच० के० एल० भगत : श्रीमान जी, राज्यपाल के व्यवहार पर सभा में चर्चा नहीं की जानी चाहिये।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : यह सरकार इस प्रकार से कार्य कर रही है। इस सरकार ने पुलिस कर्मचारियों को, जो कि पहले ही अपराध कर चुके हैं, बचाने तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने की नीति अपना रखी है। अतः मैं गृह मंत्री के त्याग-पत्र की मांग करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मकवाना के त्याग-पत्र की नहीं।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : गृह मंत्रालय के सम्पूर्ण दल को त्याग-पत्र देना चाहिए। अतः मैं अपने स्थगन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा अब स्थगित होती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

मेक्सिको में भारतीय दूतावास पर कब्जा किये जाने के बारे में वक्तव्य

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : श्रीमान जी, मैं विदेश मंत्री की ओर से निम्न वक्तव्य देता हूं :

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल दिया गया।

माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि भारतीय समय के अनुसार 01.30 बजे मेक्सिको शहर में भारतीयों के एक दल द्वारा भारतीय मिशन और ग्वाटेमाला मिशन पर कब्जा कर लिया गया। ऐसा समझा जाता है कि वह मेक्सिको सरकार द्वारा उनके नेताओं को गिरफ्तार किये जाने के विरुद्ध विरोध प्रकट कर रहे थे। संभवतः वह चाहते थे कि हमारा दूतावास उनकी ओर से मेक्सिको सरकार के साथ मध्यस्थता करे क्योंकि मेक्सिको के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे। फिर भी उन्होंने हमारे दूतावास के कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया। उनका मंशा उन्हें बंदी बनाना या उन्हें किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का नहीं है।

स्थानीय सरकार के प्राधिकारियों के सहयोग से यह कब्जा भारतीय समय के अनुसार 6 बजे हटा लिया गया। वहां किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री वी० एन० गाडगिल (पुणे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस भाषण के लिए जो उन्होंने 16 फरवरी, 1981 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

7.21 म० प०

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 20 फरवरी, 1981/1 फाल्गुन, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।